



The Rajasthan Municipalities Act, 2009


Act 18 of 2009

Keyword(s):

Auditor, Backward Classes Balance Sheet, Bio Medical Waste, Bridge, Budget Estimate, Budget Grant, Corporator, Councillor, Financial Statement, Hazardous Wastes

Amendments appended: 19 of 2010, 2 of 2011, 29 of 2011, 12 of 2012, 13 of 2015, 7 of 2020, 4 of 2021, 10 of 2022

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

 <p>सत्यमेव जयते</p>	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	भाद्र 20, शुक्रवार, शाके 1931—सितम्बर 11, 2009 <i>Bhadra 20, Friday, Sakā 1931—September 11, 2009</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 11, 2009

संख्या प. 2(21) विधि/2/2009.—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितम्बर, 2009 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 18)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितम्बर, 2009 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में नगरपालिकाओं से संबंधित विधियों को समेकित करने और संशोधित करने तथा उनसे संसक्त और आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान—मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:—

अध्याय

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.**— (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका प्रसार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (i) “संपरीक्षक” से राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) में परिभाषित संपरीक्षक अभिप्रेत है;
- (ii) “पिछड़े वर्ग” से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न, नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें;
- (iii) “तुलनपत्र” से धारा 92 के अधीन तैयार किया गया तुलनपत्र अभिप्रेत है;
- (iv) “जीव-चिकित्सा अपशिष्ट” से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो मानवों या पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे संबंधित किन्हीं अनुसंधान क्रियाकलापों या जैव पदार्थों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न हुआ है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

(क) मानव शारीरिक अपशिष्ट;

(ख) पशु अपशिष्ट;

(ग) सूक्ष्म जीव विज्ञान और जीव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट;

(घ) अपशिष्ट तीक्ष्णाग्र;

(ङ) फेंकी गयी औषधें और कोशिका आविष ओषधियां;

(च) ठोस अपशिष्ट;

(छ) द्रव अपशिष्ट;

- (ज) भस्मन राख;
- (झ) रासायनिक अपशिष्ट;
- (v) "पुल" में पुलिया सम्मिलित है;
- (vi) "बजट प्राक्कलन" से धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राक्कलन अभिप्रेत है;
- (vii) "बजट अनुदान" से किसी बजट प्राक्कलन के व्यय पक्ष में किसी वृहत् शीर्ष के अधीन प्रविष्ट और नगरपालिका द्वारा अंगीकृत कुल राशि अभिप्रेत है और उसमें इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार अन्य शीर्षों से या में अन्तरण द्वारा ऐसे बजट अनुदान में की गयी बढ़ोतरी या कटौती की राशि भी सम्मिलित है;
- (viii) "भवन-निर्माता" या "विकासकर्ता" से ऐसा कोई अभिकरण या व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी स्वयं की भूमि पर या किसी करार के अधीन किसी अन्य की भूमि पर कोई काम्प्लेक्स संनिर्मित किया है;
- (ix) "भवन" से किसी भी प्रयोजन के लिए और किसी भी सामग्री से संनिर्मित कोई संरचना अभिप्रेत है और इसमें नींव, प्लिन्थ, दीवारें, फर्श, छतें, चिमनियां, स्थिर चबूतरे, बरामदे, बालकॉनियां, कार्निसें या बहिर्गत भाग या किसी भवन का कोई भाग या उससे संसक्त कोई वस्तु या किसी भूमि की बाड़बंदी करती हुई या बाड़बंदी करने के लिए आशयित कोई भी दीवार (तीन मीटर से कम ऊंचाई की सीमा दीवार को छोड़कर), चिह्न या बाह्य अभिदर्शक संरचना सम्मिलित है किन्तु इसमें कोई तम्बू, शामियाना या तिरपाल-आश्रय सम्मिलित नहीं है;

- (x) "भवन-स्थल" से भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए धारित भूमि का कोई भाग अभिप्रेत है;
- (xi) "उप-विधि" से इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी उप-विधियां अभिप्रेत है;
- (xii) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है,—
(क) नगरपालिक बोर्ड के मामले में अध्यक्ष;
(ख) नगरपरिषद् के मामले में सभापति; और
(ग) नगर निगम के मामले में महापौर;
- (xiii) "मुख्य नगरपालिक अधिकारी" से अभिप्रेत है,—
(क) नगर निगम के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त;
(ख) नगर परिषद् के मामले में आयुक्त; और
(ग) नगरपालिक बोर्ड के मामले में कार्यपालक अधिकारी;
- (xiv) "पूर्ण दिवस" में, जब वह इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन नोटिस की कालावधि के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाये, रविवार और अन्य अवकाश के दिवस सम्मिलित हैं किन्तु उस व्यक्ति द्वारा, जिसे नोटिस सम्बोधित किया गया है, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख अथवा नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख सम्मिलित नहीं है;
- (xv) "काम्प्लेक्स" से वाणिज्यिक उपयोग के मामले में पच्चीस या अधिक इकाइयों, और आवासीय उपयोग के मामले में दस या अधिक इकाइयों, से मिलकर बना कोई भवन अभिप्रेत है;
- (xvi) "निगम-पार्षद" से नगर निगम का कोई सदस्य अभिप्रेत है;
- (xvii) "पार्षद" से नगर परिषद् का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(xviii)

“डेयरी” में कोई भी ऐसा फार्म, पशुशाला, गौशाला, दुग्ध भंडार, दूध की दुकान या ऐसा अन्य स्थान सम्मिलित है—

(क) जिससे विक्रय पर या विक्रय के लिए दूध की आपूर्ति की जाती है, या

(ख) जिसमें विक्रय के प्रयोजनों के लिए दूध रखा जाता है, या जो—

(i) मक्खन, या

(ii) घी, या

(iii) पनीर, या

(iv) दही, या

(v) शुष्क, विसंक्रमित, संघनित या टोन्ड दूध,

के विक्रय के लिए विनिर्माण या तैयार करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं:—

(i) कोई दुकान या अन्य स्थान जिसमें दूध का विक्रय केवल उसके परिसर के भीतर उपभोग करने के लिए किया जाता है; या

(ii) कोई दुकान या अन्य स्थान जिसमें से दूध का वातरक्षित रूप से बंद और बिना खुले पात्रों में उसी मूल स्थिति में विक्रय या आपूर्ति की जाती है, जिसमें वह ऐसी दुकान या अन्य स्थान में प्रथम बार प्राप्त हुआ था;

- (xix) "खतरनाक रोग" से अभिप्रेत है,—
- (क) हैजा, प्लेग, चेचक, प्रमस्तिष्क सुषुम्नावरण-शोथ, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, इंपलुएंजा, मस्तिष्क कला शोथ, पोलियो या उपदंश; या
- (ख) कोई भी अन्य महामारी, स्थानिकमारी या संक्रामक रोग जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा खतरनाक रोग के रूप में घोषित करे;
- (xx) "पार्किंग स्थान में की न्यूनता" से किन्हीं भी गैर-आवासीय भवनों, जिनमें काम्प्लेक्स और संस्थागत भवन, चाहे वे अप्राधिकृत रूप से या भूमि उपयोग के परिवर्तन द्वारा निर्मित हुए हों, सम्मिलित हैं, में विभिन्न प्रकार के यानों के लिए इस निमित्त बनायी गयी उप-विधियों के अधीन यथा-अपेक्षित पार्किंग स्थानों के लिए स्थान उपलब्ध करने में रखी गयी न्यूनता अभिप्रेत है;
- (xxi) "निदेशक, स्थानीय निकाय" से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन निदेशक, स्थानीय निकाय के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत आयुक्त के रूप में, या किसी अन्य पदनाम से, पदाभिहित उसका कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;
- (xxii) "व्ययन" से भूजल, सतही जल और चारों ओर की वायु की गुणवत्ता का संदूषण निवारित करने के लिए विनिर्दिष्ट उपायों के अनुसार नगरपालिक ठोस अपशिष्टों का अंतिम व्ययन अभिप्रेत है;

- (xxiii) "जिला मजिस्ट्रेट" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 20 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (xxiv) "नाली" में मलनाली, पाईप, खाई, जलसरणी या कोई अन्य युक्ति जिससे मैला पानी, मल तथा दूषित जल, वर्षा जल या अधोमृदा जल का वहन हो और साथ ही उनसे अनुलग्न शौचालय पात्र, ट्रेप्स, सिंक, हौज, पलश टैंक तथा अन्य फिटिंग सम्मिलित हैं;
- (xxv) "कार्यपालक समिति" से धारा 55 में निर्दिष्ट कार्यपालक समिति अभिप्रेत है;
- (xxvi) "वित्त आयोग" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243झ के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है;
- (xxvii) "वित्तीय विवरण" से धारा 92 के अधीन तैयार किया गया वित्तीय विवरण अभिप्रेत है;
- (xxviii) "अग्निशमन दल" से धारा 256 के अधीन नगरपालिका द्वारा स्थापित और संधारित अग्निशमन दल अभिप्रेत है;
- (xxix) "अग्निशमन संपत्ति" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-
- (क) दमकल केन्द्रों के रूप में प्रयुक्त भूमियां और भवन,
 - (ख) दमकल इंजन, उपस्कर, औजार, हाईड्रेटर, उपकरण और अग्निशमन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं, चाहे वे कुछ भी हों,
 - (ग) अग्निशमन के संबंध में प्रयुक्त मोटरयान और परिवहन के अन्य साधन,
 - (घ) वर्दियां और रैंक के बैज;

- (xxx) "दमकल केंद्र" से राज्य सरकार द्वारा दमकल केन्द्र के रूप में साधारणतया या विनिर्दिष्ट रूप से घोषित की गयी कोई चौकी या स्थान अभिप्रेत है;
- (xxxi) "परिसंकटमय अपशिष्ट" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 29) में इस रूप में विनिर्दिष्ट अपशिष्ट के प्रवर्ग अभिप्रेत हैं;
- (xxxii) "निवासी" से, जब वह किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रयुक्त किया जाये, उस क्षेत्र में मामूली तौर से निवास करने वाला या कारबार चलाने वाला या स्थावर सम्पत्ति का स्वामित्व या अधिभोग रखने वाला कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (xxxiii) "भूमि" में ऐसी भूमि सम्मिलित है जिस पर निर्माण किया हुआ हो या जो जलाच्छादित हो;
- (xxxiv) "नवीनतम जनगणना आंकड़े" से वे आंकड़े अभिप्रेत हैं जो अन्तिम पूर्ववर्ती उस जनगणना में, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिये गये हैं, अभिनिश्चित किये गये हैं;
- (xxxv) "बासा" में तीर्थ-यात्रियों और यात्रियों की वास-सुविधा के लिए उपयोग में लिए जाने वाले भवनों का कोई समूह या कोई भवन या किसी भवन का कोई भाग सम्मिलित है;
- (xxxvi) "सदस्य" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी नगरपालिका का विधिपूर्वक सदस्य है और इसमें नगर निगम के मामले में निगम-पार्षद्, नगर परिषद् के मामले में पार्षद् और नगरपालिक बोर्ड के मामले में सदस्य सम्मिलित है;
- (xxxvii) "दूध" में क्रीम, क्रीम युक्त दूध, क्रीम निकला दूध और संघनित, विसंक्रमित, सूखा और टोन्ड दूध सम्मिलित हैं;

- (xxxviii) "नगरपालिक लेखा निर्देशिका" से धारा 91 के अधीन तैयार की गयी और संधारित नगरपालिक लेखा निर्देशिका अभिप्रेत है;
- (xxxix) "नगरपालिक क्षेत्र" से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-अधिसूचित किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (xl) "नगरपालिक निधि" से धारा 79 में निर्दिष्ट नगरपालिक निधि अभिप्रेत है;
- (xli) "नगरपालिक ठोस अपशिष्ट" में, किसी नगरपालिक क्षेत्र में औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट को छोड़कर, किन्तु उपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस रूप में पैदा होने वाला वाणिज्यिक और आवास सम्बन्धी अपशिष्ट सम्मिलित है;
- (xlii) "नगरपालिका" से इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय विद्यमान या इसके उपबन्धों के अनुसार गठित कोई नगर निगम, नगर परिषद् और कोई नगरपालिक बोर्ड अभिप्रेत है;
- (xliii) "अनापत्ति प्रमाणपत्र" से इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के हकदार प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज अभिप्रेत है और इसमें अनंतिम अनापत्ति प्रमाणपत्र सम्मिलित होगा;
- (xliv) "न्यूसेंस" में, कोई भी ऐसा कार्य, लोप, स्थान या वस्तु सम्मिलित है जो दृष्टि, घ्राण या श्रवण चेतना के लिए क्षति, खतरा, क्षोभ या घृणा कारित करे या जिससे इनके कारित होने की सम्भावना हो या जो जीवन के लिए

खतरनाक या स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए हानिकारक हो या हो सकती हो;

- (xlv) "अधिभोगी" में ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित है, जो भूमि या भवन, जिसके संबंध में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, के स्वामी को किराया या किराये के किसी भाग का, या ऐसी भूमि या भवन के अधिभोग के पेटे नुकसानी का तत्समय संदाय कर रहा है, या संदाय करने का दायी है, और इसमें किराया मुक्त अभिधारी भी सम्मिलित है:

परन्तु अपनी स्वयं की भूमि या भवन में रहने वाला या उसका अन्यथा उपयोग करने वाला स्वामी उसका अधिभोगी समझा जायेगा।

- (xlvi) "घृणोत्पादक पदार्थ" से अभिप्रेत है रसोई का कचरा, अस्तबल का कचरा, गोबर, गंदा, गलित या सड़ने वाला पदार्थ या किसी भी प्रकार की गंदगी, जिसे मल में सम्मिलित नहीं किया गया है;

- (xlvii) "नगरपालिका का अधिकारी" से इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सृजित या चालू रखे गये किसी पद को तत्समय धारण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है किन्तु इसमें नगरपालिका या उसकी किसी समिति का कोई सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं होगा;

- (xlviii) "अन्य अभिकरण" से प्राइवेट सेक्टर में की कोई कम्पनी, फर्म, सोसाइटी, या निगमित निकाय, या कोई संस्था, या सरकारी अभिकरण या कोई संयुक्त क्षेत्र का अभिकरण या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

- (xlix) "स्वामी" में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो स्वयं के मद्दे या किसी व्यक्ति या सोसाइटी या किसी धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए किसी अभिकर्ता या न्यासी के रूप में या रिसीवर के रूप में किसी भूमि या भवन का या किसी भूमि या भवन के किसी भाग का तत्समय किराया प्राप्त कर रहा है या यदि वह भूमि या भवन या उस भूमि या भवन का कोई भाग किसी अभिधारी को किराये पर दिया जाता तो वह ऐसा किराया प्राप्त करता;
- (1) "जनसंख्या" से, जब वह किसी भी स्थानीय क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रयुक्त की जाये, ऐसे स्थानीय क्षेत्र की वह जनसंख्या अभिप्रेत है जो उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गयी है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिये गये हैं;
- (li) "विहित" से इस अधिनियम द्वारा या तदधीन बनाये गये नियमों, किये गये आदेशों या बनायी गयी उप-विधियों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (lii) "सार्वजनिक स्थान" से वह स्थान अभिप्रेत है जो निजी सम्पत्ति न हो और जो जनता के उपयोग या उपभोग के लिए खुला हो, चाहे ऐसा स्थान नगरपालिका में निहित हो या न हो;
- (liii) "लोक प्रतिभूति" से अभिप्रेत हैं,—
- (क) राजस्थान सरकार या केन्द्रीय सरकार या भारत के किसी राज्य की सरकार की प्रतिभूतियां; और

- (ख) किसी भी ऐसे आदेश द्वारा, जो राज्य सरकार इस निमित्त करे, अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत कोई प्रतिभूति;
- (liv) "सार्वजनिक मार्ग" से ऐसा मार्ग अभिप्रेत है, —
- (क) जिस पर होकर जनता को आवागमन का अधिकार है; या
- (ख) जिसे इससे पूर्व नगरपालिक निधि, राज्य सरकार की निधि, केन्द्रीय सरकार की निधि या अन्य सार्वजनिक निधियों से समतल करवाया गया है, पत्थर जड़वाये गये हैं, डामर बिछायी गयी है, जलसरणियां या मलनालियां बनवायी गयी हैं या मरम्मत करवायी गयी है; या
- (ग) जो इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन सार्वजनिक मार्ग हो जाता है;
- (lv) "कूड़ाकरकट" से धूल, राख, टूटी ईंटें, चूना-गारा, कांच के टुकड़े और किसी भी प्रकार का कोई कचरा, जो घृणोत्पादक पदार्थ नहीं है, अभिप्रेत है;
- (lvi) "नियम" से इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया कोई नियम अभिप्रेत है;
- (lvii) "अनुसूचित जाति" से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में विनिर्दिष्ट जातियों में से कोई भी जाति अभिप्रेत है;
- (lviii) "अनुसूचित जनजाति" से संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में विनिर्दिष्ट जनजातियों में से कोई भी जनजाति अभिप्रेत है;

- (lix) "मल" से विष्ठा और शौचालयों, मूत्रालयों, मलकूपों या नालियों की अन्य अन्तर्वस्तुएं अभिप्रेत हैं और इसमें सभी प्रकार के व्यवसायिक बहिःस्राव और विनिर्माणशालाओं से निस्सारण सम्मिलित हैं;
- (lx) "राज्य" से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 37) की धारा 10 द्वारा यथागठित राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;
- (lxi) "राज्य वित्त आयोग" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243म के साथ पठित अनुच्छेद 243झ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल द्वारा यथागठित राजस्थान वित्त आयोग अभिप्रेत है;
- (lxii) "मार्ग" से कोई भी ऐसी सड़क, पुल, पैदल मार्ग, गली, अहाता, चौक, वीथी या रास्ता अभिप्रेत है जो जनता की, चाहे स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, पहुंच में हो, चाहे वह आम रास्ता हो या नहीं, और इसमें सम्मिलित हैं मार्ग के दोनों ओर स्थित—

(क) नालियां या गटर और परिनिश्चित सीमा तक की भूमि, चाहे ऐसी भूमि पर किसी भी बरामदे या अन्य उपरिसंरचना का भाग आगे निकला हुआ हो;

(ख) प्रत्येक खाली जगह, चाहे वह निजी सम्पत्ति हो, या वहां जाना किसी दरवाजे, स्तम्भ, जंजीर या अन्य अवरोध द्वारा पूर्णतः या अंशतः बाधित हो, यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह उससे संलग्न किसी सम्पत्ति का अधिभोगी हो या न हो, किसी सार्वजनिक

स्थान या आम रास्ते तक जाने या वहां से आने के साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती हो;

- (lxiii) "उप-विभाजन" से भूमि के किसी खण्ड या टुकड़े का दो या अधिक भागों में विभाजन अभिप्रेत है;
- (lxiv) "कर" में इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कोई पथकर, रेट, उपकर, फीस या अन्य लागू सम्मिलित है;
- (lxv) "कोई संक्रमणशील क्षेत्र", "कोई लघुतर नगरीय क्षेत्र" या "कोई बृहत्तर नगरीय क्षेत्र" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के अधीन विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (lxvi) "नगरीय भूमि" से नगरीय विकास के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित या उसके व्ययन पर रखी गयी कोई भूमि अभिप्रेत है;
- (lxvii) "यान" में साइकिल, तीन पहियों की साइकिल, स्वचालित मोटर कार तथा पहियेदार ऐसा प्रत्येक वाहन सम्मिलित है जो किसी सार्वजनिक मार्ग पर प्रयुक्त किया जाता हो या किये जाने योग्य हो;
- (lxviii) "उपाध्यक्ष" से अभिप्रेत है,—
- (क) नगरपालिक बोर्ड के मामले में उपाध्यक्ष;
- (ख) नगरपरिषद् के मामले में उपसभापति; और
- (ग) नगर निगम के मामले में उपमहापौर;
- (lxix) "ग्राम" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खण्ड (छ) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई ग्राम अभिप्रेत है;

- (lxx) "वार्ड" से धारा 9 के अधीन बनाया गया कोई वार्ड अभिप्रेत है;
- (lxxi) "वार्ड समिति" से धारा 54 में निर्दिष्ट वार्ड समिति अभिप्रेत है;
- (lxxii) "अपशिष्ट प्रबंध" में नगरपालिक ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन सम्मिलित है; और
- (lxxiii) "पूर्ण संख्या" या "कुल संख्या" से, जब वह किसी नगरपालिका के सदस्यों के संदर्भ में प्रयुक्त की जाये, धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों को अपवर्जित करते हुए, तत्समय पद धारण करने वाले सदस्यों की कुल संख्या अभिप्रेत है।

अध्याय 2

नगरपालिकाओं का गठन और शासन

3. नगरपालिकाओं का परिसीमन.— (1) राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को, जो किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं है, नगरपालिका घोषित कर सकेगी या ऐसे किसी भी क्षेत्र को किसी नगरपालिका में सम्मिलित कर सकेगी या किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका से अपवर्जित कर सकेगी या किसी भी नगरपालिका की सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन कर सकेगी और जब—

- (क) कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका घोषित किया जाये या उसमें सम्मिलित किया जाये, या
- (ख) कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका से अपवर्जित किया जाये, या
- (ग) किसी नगरपालिका की सीमाओं को, एक नगरपालिका के किसी अन्य नगरपालिका में समामेलन करके या एक नगरपालिका को दो या अधिक नगरपालिकाओं में विभाजित करके अन्यथा परिवर्तित किया जाये, या
- (घ) कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगरपालिका न रहे,

तब राज्य सरकार इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि, -

- (i) खंड (क) के अधीन आने वाले मामले में उस क्षेत्र या उस अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर कराया जायेगा;
- (ii) खंड (ख) के अधीन आने वाले किसी मामले में, उन सदस्यों को, जो राज्य सरकार की राय में नगरपालिका से अपवर्जित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हटाया जायेगा;
- (iii) खण्ड (ग) के अधीन आने वाले किसी मामले में, ऐसी नगरपालिका की जिसमें कोई अन्य नगरपालिका समामेलित की गयी है, इस अधिनियम के अधीन अवधि समाप्त होने तक, ऐसी अन्य नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उस नगरपालिका के, जिसमें ऐसी अन्य नगरपालिका

समामेलित की गयी है, सदस्य समझे जायेंगे और जहां कोई नगरपालिका दो या अधिक नगरपालिकाओं में विभाजित की गयी है, वहां नव-गठित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नवीन नगरपालिका के सदस्य समझे जायेंगे और ऐसी नवीन नगरपालिका, यदि इस अधिनियम के अधीन पहले विघटित नहीं कर दी जाये तो तब तक बनी रहेगी, जब तक कि मूल नगरपालिका बनी रहती।

(iv) खंड (घ) के अधीन आने वाले किसी मामले में, नगरपालिका को विघटित कर दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण:- इस उप-धारा में "नियत दिवस" से वह दिवस अभिप्रेत है जिससे खंड (क) से (घ) तक में से किसी में भी निर्दिष्ट कोई परिवर्तन होता है।

(2) पहले से ही विद्यमान प्रत्येक नगरपालिका का, और इस अधिनियम के अधीन नये रूप से स्थापित प्रत्येक नगरपालिका का, और ऐसी प्रत्येक नगरपालिका का, जिसकी स्थानीय सीमाएं यथापूर्वोक्त रूप से परिवर्तित की जायें, यह कर्तव्य होगा कि वह अधिसूचना में यथावर्णित अपने प्राधिकार में की नगरपालिका की सीमाओं या परिवर्तित सीमाओं को, परिनिश्चित करते हुए ऐसे विवरण वाले तथा ऐसी स्थितियों में पर्याप्त सीमा चिह्न, जो कलक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे, अपने खर्च पर परिनिर्मित या स्थापित करवाये और तत्पश्चात् अनुरक्षित रखे।

(3) जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका न रहे, तब उसमें स्थापित नगरपालिका अस्तित्वहीन हो जायेगी और नगरपालिक निधि का अतिशेष तथा ऐसी नगरपालिका में निहित अन्य संपत्ति और अधिकार, समस्त प्रभारों और उन्हें प्रभावित करने वाले दायित्वों के अध्यक्षीन रहते हुए, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे और उनके आगम, यदि कोई हों, राज्य सरकार के आदेशों के अधीन उस स्थानीय क्षेत्र के, जिसमें ऐसी नगरपालिका की अधिकारिता थी, फायदे के लिए व्यय किये जायेंगे।

(4) उप-धारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका न रहे और उसे किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में सम्मिलित कर लिया जाये तब उस नगरपालिका में निहित नगरपालिक निधि तथा अन्य सम्पत्ति और अधिकार ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जायेंगे और उस नगरपालिका के दायित्व ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व हो जायेंगे।

(5) जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिक क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया जाये और दूसरी नगरपालिका में सम्मिलित कर लिया जाये तब प्रथम वर्णित नगरपालिका में निहित नगरपालिक निधि और अन्य संपत्ति का ऐसा भाग और उसके दायित्वों का ऐसा भाग, जो राज्य सरकार दोनों नगरपालिकाओं से परामर्श के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे, ऐसी दूसरी नगरपालिका में निहित हो जायेगा और उसका दायित्व हो जायेगा:

परन्तु इस उप-धारा के उपबंध किसी ऐसे मामले में वहां लागू नहीं होंगे जहां राज्य सरकार की राय में परिस्थितियां ऐसी हों जिनके

कारण नगरपालिक निधि और संपत्तियों या दायित्वों के किसी भाग का अंतरण अवांछनीय हो।

(6) जब कोई आवासगृह, विनिर्माणशाला, भांडागार या उद्योग या कारबार का स्थान दो या अधिक पार्श्वस्थ नगरपालिक क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित हो, तब राज्य सरकार, इस अधिनियम में कहीं भी अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा नगरपालिक क्षेत्र घोषित कर सकेगी जिसके अन्तर्गत ऐसा आवासगृह, विनिर्माणशाला, भांडागार या उद्योग या कारबार का स्थान इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्मिलित किया हुआ समझा जायेगा।

(7) जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका में सम्मिलित कर लिया जाये, तब बनाये गये समस्त नियम और उप-विधियां, जारी किये गये आदेश, निदेश, अधिसूचनाएं और नोटिस और प्रदत्त शक्तियां, जो उक्त क्षेत्र को इस प्रकार सम्मिलित किये जाने के समय ऐसी संपूर्ण नगरपालिका में प्रवृत्त थीं, ऐसे क्षेत्र पर, इस प्रकार सम्मिलित किये जाने की तारीख से, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, लागू होंगी।

(8) जब किसी गांव में समाविष्ट कोई क्षेत्र किसी नगरपालिका क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाये, या जब कोई क्षेत्र किसी गांव से अपवर्जित किया जाये और किसी नगरपालिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाये तब उस तारीख से, जिसको ऐसा क्षेत्र इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाये या इस प्रकार सम्मिलित किया जाये, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:-

(क) ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा;

- (ख) वह नगरपालिका, जिसमें ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया जाये, या ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका, ऐसे क्षेत्र पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगी और ऐसे क्षेत्र के लिए स्थापित पंचायत उसमें कार्य करना बंद कर देगी;
- (ग) जब तक उप-धारा (1) के अधीन निर्वाचन न हो जायें, या इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका की अवधि समाप्त न हो जाये, जो भी पहले हो, तब तक नगरपालिका में इस प्रकार सम्मिलित किये गये या नगरपालिका घोषित किये गये गांव के ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच, उप-सरपंच और पंच या पंचों को उस नगरपालिका का, जिसमें गांव का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है, अतिरिक्त सदस्य समझा जायेगा या ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका का क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और, यथास्थिति, सदस्य समझा जायेगा;
- (घ) इस प्रकार नगरपालिका घोषित की गयी पंचायत में निहित संपूर्ण आस्तियां और पंचायत के विरुद्ध विद्यमान संपूर्ण दायित्व, या उस दशा में जहां किसी नगरपालिका में किसी गांव का केवल कोई भाग या संपूर्ण गांव इस प्रकार सम्मिलित कर लिया जाये वहां उक्त आस्तियों और दायित्वों का ऐसा भाग, जिसके लिए राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका को या उस नगरपालिका को जिसमें गांव का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है, न्यागत होगा;

(ड) गांव के किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका में सम्मिलित करके या किसी गांव को नगरपालिका घोषित करके इस प्रकार स्थापित की गयी नगरपालिका ऐसे कर उद्गृहीत करेगी या करती रहेगी जो इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक अधिरोपित किये जायें;

(च) ऐसा क्षेत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के अधीन बनाये गये समस्त नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों तथा उप-विधियों के अधीन नहीं रहेगा।

(9) किसी नगरपालिका में गांव के किसी भी क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने या ऐसे किसी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किये जाने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत हों।

(10) इस धारा में अन्यथा यथाउपबंधित के सिवाय, इसके उपबंध, इस अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

4. नगरपालिक बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हों.— (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध कारणों से किसी नगरपालिक बोर्ड को इस अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी, जो उसके लिए अनुपयुक्त समझे जायें और तदुपरान्त ऐसे उपबंध तब तक ऐसे

नगरपालिक बोर्ड में लागू नहीं होंगे जब तक ऐसे उपबंधों को अधिसूचना द्वारा लागू नहीं किया जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रवृत्त रहने तक राज्य सरकार ऐसे उपबंधों, जिनसे नगरपालिक बोर्ड को छूट है, के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी भी मामले के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों से सुसंगत नियम बना सकेगी।

5. **नगरपालिका की स्थापना और निगमन.**— (1) प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र में एक नगरपालिक बोर्ड की स्थापना की जायेगी और प्रत्येक ऐसा नगरपालिक बोर्ड उस स्थान के, जिसके प्रति निर्देश से नगरपालिका जानी जाती है, नगरपालिक बोर्ड के नाम से एक निगमित निकाय होगा तथा उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा उसके निगमित नाम से वह वाद चला सकेगा या उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

(2) प्रत्येक लघुतर नगरीय क्षेत्र में एक नगर परिषद् की स्थापना की जायेगी और ऐसी प्रत्येक नगर परिषद् उस नगर की, जिसके प्रति निर्देश से नगरपालिका जानी जाती है, नगर परिषद् के नाम से एक निगमित निकाय होगी तथा उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा उसके निगमित नाम से वह वाद चला सकेगी और उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

(3) प्रत्येक वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में एक नगर निगम की स्थापना की जायेगी और ऐसा प्रत्येक नगर निगम उस नगर के, जिसके प्रति निर्देश से नगरपालिका जानी जाती है, नगर निगम के नाम से एक निगमित निकाय होगा तथा उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी

सामान्य मुहर होगी तथा उसके निगमित नाम से वह वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई नगरपालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापना द्वारा दी जा रही या दिये जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिक सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटक या इसी प्रकार के अन्य महत्व को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका से अपवर्जित कर सकेगी और विकास प्राधिकरण गठित कर सकेगी, या ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका से अपवर्जित किये बिना उक्त क्षेत्र में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, जो विहित किये जायें, नगरपालिका के अतिरिक्त एक विकास प्राधिकरण गठित कर सकेगी और इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं भी किसी बात के होने पर भी, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, उक्त प्राधिकरण को ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसी नगरपालिक शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य प्रत्यायोजित कर सकेगी जो वह ऐसे क्षेत्र के उचित, त्वरित और योजनाबद्ध विकास के लिए उचित समझे।

6. **नगरपालिका की संरचना.**— (1) उत्तरवर्ती उप-धाराओं में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, किन्तु इस उप-धारा के आगामी उपबंधों में यथा-उपबंधित के सिवाय, किसी नगरपालिका के सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, प्रत्यक्ष

9 (24) राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 11, 2009 भाग 4 (क)
निर्वाचन द्वारा चुने गये व्यक्तियों से भरे जायेंगे। ऐसे स्थानों की संख्या,
जो तेरह से कम नहीं होगी, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र
में अधिसूचना द्वारा, नियत की जायेगी:-

(क) नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद् या, यथास्थिति, नगर निगम
में निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व होगा, अर्थात्:-

- (i) किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का, जिसमें किसी नगरपालिका का क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हो, प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान विधान सभा का सदस्य; और
- (ii) नगरपालिक प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले तीन व्यक्ति या नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का दस प्रतिशत इनमें से जो भी कम हो, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नामनिर्दिष्ट किया जाये:

परन्तु -

- (i) धारा 24 और धारा 35 में अंतर्विष्ट उपबंध नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले या नामनिर्दिष्ट सदस्यों पर लागू होंगे;
- (ii) राज्य सरकार को किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य को किसी भी समय प्रत्याहृत करने की शक्ति होगी;
- (iii) नामनिर्दिष्ट सदस्य को नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(ख) किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का, जिसमें नगर परिषद् या, यथास्थिति, नगर निगम का क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य का ऐसी नगर परिषद् या, यथास्थिति, नगर निगम में प्रतिनिधित्व होगा:

परन्तु खंड (क) के उप-खंड (i) में निर्दिष्ट सदस्य को नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद् या, यथास्थिति, नगर निगम की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा और खंड (ख) में निर्दिष्ट सदस्य को नगर परिषद् या नगर निगम की बैठकों में वोट देने का अधिकार होगा:

परन्तु यह और कि खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सदस्य इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी भी निरर्हता या किन्हीं भी अन्य कार्यवाहियों के अध्यक्षीन नहीं होंगे।

(2) नगरपालिका की स्थापना के पश्चात् प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्थानों की संख्या, नगरपालिक क्षेत्र की नवीनतम जनगणना में यथा-अभिनिश्चित जनसंख्या के आधार पर पुनः अवधारित करेगी:

परन्तु स्थानों के पूर्वोक्तानुसार अवधारण से नगरपालिका की विद्यमान संरचना पर उसकी पदावधि समाप्त होने तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) नगरपालिका के लिए इस प्रकार स्थानों की कुल संख्या नियत करते समय राज्य सरकार क्रमशः सामान्य स्थानों की और महिलाओं के लिए तथा अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए या दोनों के लिए या पिछड़े वर्गों के

व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थानों की वह संख्या विनिर्दिष्ट करेगी जो राज्य सरकार प्रत्येक मामले में अवधारित करे।

(4) नगरपालिका के लिए नियत स्थानों की कुल संख्या के संबंध में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात यथाशक्य निकटतम वही होगा जो अनुपात उस नगरपालिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उसकी कुल जनसंख्या के साथ है।

(5) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत इतना होगा जितना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगरपालिक क्षेत्र की कुल जनसंख्या के पचास प्रतिशत से कम पड़ता है:

परन्तु पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार आरक्षित स्थानों का प्रतिशत इक्कीस से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगरपालिक क्षेत्र की कुल जनसंख्या के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं है वहां प्रत्येक नगरपालिका में कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगा।

(6) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों में से आधे स्थान ऐसी जातियों, जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(7) स्थानों की कुल संख्या में से आधे स्थान, जिसमें उप-धारा (6) के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(8) उप-धारा (3), (5) और (6) के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(9) नगरपालिका के लिए नियत किये गये सामान्य तथा आरक्षित सभी स्थान नगरपालिक क्षेत्र के वार्डों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जायेंगे और ऐसे निर्वाचन विहित रीति से करवाये जायेंगे।

स्पष्टीकरण.—यदि इस धारा के अधीन संगणित स्थानों की संख्या की भागरूप कोई भिन्न हो तो उस स्थिति में, जब वह भिन्न एक स्थान के आधे या उससे अधिक से बनी हो, स्थानों की संख्या को ठीक उच्चतर संख्या तक बढ़ा दिया जायेगा और उस स्थिति में, जब वह एक स्थान के आधे से कम हो, भिन्न को छोड़ दिया जायेगा।

7. पदावधि.— (1) प्रत्येक नगरपालिका, यदि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी गयी हो, तो उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं।

(2) किसी नगरपालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगरपालिका के विघटन पर गठित की गयी कोई नगरपालिका, उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका उप-धारा (1) के अधीन बनी रहती।

स्पष्टीकरण .- इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "प्रथम बैठक" से सामान्य निर्वाचन के तुरन्त पश्चात् नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों की हुई बैठक अभिप्रेत है।

8. **नगरपालिक शासन का नगरपालिका में निहित होना.**— इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, किसी नगरपालिका का नगरपालिक शासन, नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद् या, यथास्थिति, नगर निगम में उनके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों को, उसमें विनिर्दिष्ट परिसीमाओं तथा निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, कार्यान्वित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा।

9. **वार्डों में विभाजन.**— (1) निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ, नगरपालिका को धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन नगरपालिका के लिए नियत कुल स्थानों की संख्या के बराबर वार्डों में विभाजित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा और उसका अनुपात यथासम्भव वही होगा जो नगरपालिका के स्थानों की कुल संख्या का उसकी जनसंख्या के साथ है।

10. **वार्डों का अवधारण.**— (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा निम्नलिखित का अवधारण करेगी:—

(क) वार्ड, जिनमें प्रत्येक नगरपालिका को निर्वाचन के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जायेगा;

(ख) प्रत्येक वार्ड की सीमा;

(ग) अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए और ऐसी जातियों और जनजातियों

की महिला सदस्यों के लिए तथा पिछड़े वर्गों के सदस्यों और उनकी महिला सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों, यदि कोई हों, की संख्या; और

(घ) महिला उम्मीदवारों के लिए वार्डों की संख्या।

(2) अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का आबंटन विभिन्न वार्डों को चक्रानुक्रम द्वारा ऐसी रीति से किया जा सकेगा, जो विहित की जाये।

(3) राज्य सरकार, वार्डों की सीमाओं का अवधारण और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का वार्डों में आबंटन धारा 6 के उपबंधों और निम्नलिखित उपबंधों को भी ध्यान में रखते हुए करेगी, अर्थात्:-

(क) सभी वार्ड, यथासाध्य, भौगोलिक रूप से संहत क्षेत्र होंगे;

(ख) ऐसे वार्डों को, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, उन नगरपालिक क्षेत्रों के ऐसे भिन्न-भिन्न भागों में वितरित किया जायेगा जहाँ ऐसी जातियों या, यथास्थिति, जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक है; और

(ग) वार्डों का संख्यांकन किसी नगरपालिका के स्थानीय क्षेत्र के उत्तरी-पश्चिमी कोण से शुरू होगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन आदेश का प्रारूप, उसके संबंध में, ऐसी कालावधि के भीतर, जो सात दिवस से कम न हो, आक्षेप दाखिल

करने के लिए प्रकाशित किया जायेगा और उसकी प्रतिलिपि संबंधित नगरपालिका को टिप्पणी हेतु भेजी जायेगी।

(5) राज्य सरकार उप-धारा (4) के अधीन प्राप्त किसी आक्षेप तथा टिप्पणी पर विचार करेगी और यदि आवश्यक हो तो आदेश के प्रारूप को तदनुसार संशोधित, परिवर्तित या उपान्तरित किया जायेगा और तदुपरान्त वह अन्तिम हो जायेगा।

11. नगरपालिका के लिए निर्वाचन.— (1) नगरपालिका के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(2) किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन—

- (i) धारा 7 में विनिर्दिष्ट इसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व;
- (ii) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व,

पूरा किया जायेगा:

परन्तु जहां शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटित नगरपालिका बनी रहती, छह मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए नगरपालिका का गठन करने के लिए इस खण्ड के अधीन कोई निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं होगा।

(3) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, सभी वार्डों से, इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाये गये नियमों और आदेशों के अनुसार ऐसी तारीख या तारीखों पर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, सदस्यों का निर्वाचन करने की अपेक्षा करेगी।

(4) जब कोई नयी नगरपालिका स्थापित होती है, तब वह यथासम्भव नगरपालिका के साधारण निर्वाचन से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित की जायेगी।

(5) राज्य सरकार, जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाये, आयोग को ऐसा कर्मचारिवृंद उपलब्ध करायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग को उप-धारा (1) द्वारा सौंपे गये कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो।

12. **राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन.**— इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या जारी किये गये आदेशों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का पालन ऐसे सामान्य या विशेष निदेशों के, यदि कोई हों, अध्याधीन रहते हुए, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिये जायें, किसी उप निर्वाचन आयुक्त, यदि कोई हो, द्वारा या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा भी किया जा सकेगा।

13. **प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली.**— (1) प्रत्येक वार्ड के लिए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी का ऐसा अधिकारी होगा जो राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट

9 (32) राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 11, 2009 भाग 4 (क)
किया जाये, विहित रीति से तैयार, पुनरीक्षित, उपांतरित, अद्यतन और
प्रकाशित की गयी निर्वाचक नामावली होगी।

(2) प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी और
पुनरीक्षण के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, किन्हीं विहित निर्बंधनों
के अध्याधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्तियों को नियोजित कर सकेगा जिन्हें वह
ठीक समझे।

(3) राज्य निर्वाचन आयोग किसी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए, एक या एक से
अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में
नियुक्त कर सकेगा।

(4) प्रत्येक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए, निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का पालन करने के
लिए सक्षम होगा।

(5) धारा 14 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति
जो—

(क) अर्हता की तारीख को अठारह वर्ष से कम आयु का
नहीं है, और

(ख) नगरपालिका के किसी वार्ड का मामूली तौर पर
निवासी है,

उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण.—

- (i) किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण से, कि वह किसी वार्ड में किसी निवास-गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है, यह न समझा जायेगा कि वह उस वार्ड का मामूली तौर से निवासी है।
- (ii) अपने मामूली निवास-स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण से यह न समझा जायेगा कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।
- (iii) जो कोई व्यक्ति, जो मानसिक रोग या मनोवैकल्य या लम्बे उपचार वाली किसी अन्य रूग्णता से पीड़ित व्यक्तियों के रखने और चिकित्सा के लिए पूर्णतः या मुख्यतः पोषित किसी स्थापन में चिकित्साधीन है या जो किसी स्थान में कारागार या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरुद्ध है या अध्ययन के लिए किसी छात्रावास में रह रहा है या किसी होटल आदि में आकस्मिक अतिथि के रूप में रह रहा है, उसके बारे में केवल इसी कारण यह न समझा जायेगा कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी है।
- (iv) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर कहां का मामूली तौर से निवासी है तो ऐसा प्रश्न मामले के सभी सुसंगत तथ्यों के प्रति निर्देश से और ऐसे नियमों के अनुसार, जो राज्य

सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जायें, अवधारित किया जायेगा।

(v) संसद् का या राज्य के विधान-मंडल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस वार्ड की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, उसकी बाबत इस कारण से कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस वार्ड से अनुपस्थित रहा है, यह न समझा जायेगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।

(vi) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अर्हता की तारीख" से उस वर्ष की जनवरी का पहला दिवस अभिप्रेत है, जिसमें निर्वाचक नामावली ऐसे तैयार की जाती है या पुनरीक्षित की जाती है।

(6) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(7) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार नहीं होगा।

14. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हताएं— (1) कोई भी व्यक्ति वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हित होगा, यदि वह—

(क) भारत का नागरिक नहीं है; या

(ख) विकृतचित्त है या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या

(ग) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित है।

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हित हो जाता है उसका नाम इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जायेगा:

परन्तु किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन निरर्हता के कारण काटा गया है, यदि ऐसी निरर्हता, उस कालावधि के दौरान जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है, जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनः प्रविष्ट कर दिया जायेगा।

15. **मिथ्या घोषणा करना.**— यदि कोई व्यक्ति—

(क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि, या

(ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामवाली में सम्मिलित या से अपवर्जित किये जाने—

के संबंध में ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रूप में करता है, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह ऐसे कारावास से,

जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुमाने से, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

16. **मुख्य निर्वाचन अधिकारी.**— (1) एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा जो राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी होगा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए—

(क) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य में इस अधिनियम के अधीन समस्त निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा;

(ख) राज्य में इस अधिनियम के अधीन के सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा जिनका राज्य निर्वाचन आयोग निदेश दे।

17. **जिला निर्वाचन अधिकारी.**— (1) राज्य में प्रत्येक जिले के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा, जो राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगा:

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए एक से अधिक ऐसे अधिकारी पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगा, यदि आयोग का यह

समाधान हो जाता है कि पद के कृत्यों का एक अधिकारी द्वारा समाधानप्रद रूप में पालन नहीं किया जा सकता।

(2) जहां किसी जिले के लिए उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किये जायें, वहां राज्य निर्वाचन आयोग उस आदेश में, जिससे जिला निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किये जायें, वह क्षेत्र भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसके बारे में ऐसा प्रत्येक अधिकारी अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

(3) मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जिला निर्वाचन अधिकारी, अपनी अधिकारिता के भीतर जिले की नगरपालिकाओं में निर्वाचनों के संचालन के संबंध में सभी कार्यों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा।

(4) जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा, जो राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसे सौंपे जायें।

18. स्थानीय प्राधिकारियों आदि के कर्मचारिवृन्द का उपलब्ध कराया जाना.— (1) राज्य में का प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित किये जाने पर, किसी भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऐसा कर्मचारिवृन्द उपलब्ध करायेंगे जो निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संसक्त किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो।

(2) उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित किये जाने पर, किसी भी रिटर्निंग आफिसर को ऐसा

कर्मचारिवृन्द उपलब्ध करायेगा जो निर्वाचन से संसक्त किन्हीं भी कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो।

(3) उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:-

(i) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी;

(ii) कोई भी अन्य संस्था, समुत्थान या उपक्रम जो किसी राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित हो या जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा पूर्णतः या सारतः वित्तपोषित हो।

19. अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाना.— इस अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि और सभी निर्वाचनों के संचालन के संबंध में अभिनियोजित अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, उस अवधि में जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार अभिनियोजित किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जायेंगे और ऐसे अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, उस कालावधि के दौरान, राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन होंगे।

20. निर्वाचक नामावलियों की तैयारी करने आदि से संसक्त पदीय कर्तव्यों का भंग.— (1) यदि कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि से संसक्त या किसी प्रविष्टि को उस निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने या उससे अपवर्जित करने से संसक्त किसी पदीय कर्तव्य के पालन के

लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, ऐसे पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या कार्यलोप का दोषी युक्तियुक्त हेतुक के बिना होगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोप की बाबत नुकसानी के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

(3) जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी या सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन कोई शिकायत न हो, कोई भी न्यायालय उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

21. **सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति.**— धारा 6 और 24 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नगरपालिका में किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि—

(क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, ऐसा व्यक्ति इन जातियों तथा जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों में से किसी का सदस्य न हो, और नगरपालिका के किसी वार्ड के लिए निर्वाचक न हो;

- (ख) किसी महिला के लिए आरक्षित स्थान के मामले में, ऐसा व्यक्ति महिला न हो और नगरपालिका के किसी वार्ड के लिए निर्वाचक न हो;
- (ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, ऐसा व्यक्ति इन जातियों या जनजातियों या, यथास्थिति, पिछड़े वर्गों में से किसी का सदस्य न हो और नगरपालिका के किसी वार्ड के लिए निर्वाचक न हो और महिला न हो;
- (घ) किसी अन्य स्थान की दशा में, वह व्यक्ति नगरपालिका के किसी वार्ड के लिए कोई निर्वाचक न हो; और
- (ङ) चाहे स्थान आरक्षित है या नहीं, दोनों ही मामलों में उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो।

21क. कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता.— इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के किसी उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी नगरपालिका में ऐसे स्थानों पर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से अवधारित किये जायें, कोई व्यक्ति निर्वाचन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह 21 वर्ष से 35 वर्ष के आयु वर्ग में न हो और ऐसे स्थानों पर निर्वाचन के लिए अन्यथा पात्र न हो:

परन्तु—

- (i) किसी नगरपालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में से प्रत्येक से दो से अधिक स्थान इस धारा के अधीन अवधारित नहीं किये जायेंगे;

- (ii) जहां किसी नगरपालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं में से किसी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तीन या तीन से कम हो, वहां ऐसी जातियों, जनजातियों, वर्गों या, यथास्थिती, महिलाओं में से केवल एक इस स्थान इस धारा के अधीन अवधारित किया जायेगा;
- (iii) जहां किसी नगरपालिका में अनारक्षित स्थानों की संख्या पांच या पांच से कम हो, वहां ऐसे स्थानों में से केवल एक स्थान इस धारा के अधीन अवधारित किया जायेगा; और
- (iv) जहां किसी नगरपालिका में अनारक्षित स्थानों की संख्या पांच से अधिक हो वहां ऐसे पांच स्थानों के प्रत्येक खण्ड में से एक स्थान इस धारा के अधीन अवधारित किया जायेगा और पांच से कम स्थानों के किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा।

22. एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बन्धन—

धारा 21 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति ऐसे मामलों में, जहां किसी स्थान के लिए निर्वाचन लड़ा जाये, एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने का हकदार नहीं होगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसने नगरपालिका के स्थानों के लिए एक से अधिक वार्डों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया हो, लिखित नोटिस द्वारा, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जो विहित की जायें, एक स्थान को छोड़कर सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेगा और ऐसा नोटिस

उम्मीदवारी वापस लेने के लिए नियत अन्तिम तारीख को अपराह्न 3 बजे के पूर्व देगा:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति ऊपर विनिर्दिष्ट रीति से एक स्थान को छोड़कर अन्य सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने में विफल रहता है तो उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है।

23. यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधन.— (1)

राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है, समाप्त होने वाली निर्वाचन की कालावधि के दौरान किसी भी उम्मीदवार या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा यानों या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग या कटआउटों, होर्डिंगों, पोस्टरों और बैनरों के प्रदर्शन पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा।

(2) यदि कोई भी उम्मीदवार या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता, उप-धारा (1) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों में से किसी का भी उल्लंघन करता है तो वह, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन दंडित प्रत्येक व्यक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से, किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने या होने के लिए ऐसी कालावधि के लिए, जो ऐसे आदेश की तारीख से छह वर्ष तक की हो सकेगी, निरर्हित किये जाने का भागी होगा:

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग किसी पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा, लेखबद्ध कारणों से, इस धारा के अधीन किसी भी निरर्हता को हटा सकेगा या ऐसी किसी भी निरर्हता की कालावधि को कम कर सकेगा।

(4) कोई भी न्यायालय उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध का संज्ञान, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किये गये परिवाद के सिवाय नहीं करेगा।

24. सदस्यों के लिए साधारण निरर्हताएं.— कोई व्यक्ति, अन्यथा अर्हित होते हुए भी, नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए या होने के लिए निरर्हित होगा—

- (i) यदि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अंतर्वलित किसी अपराध के लिए या किसी भी अन्य अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो और छह मास या अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो, या
- (ii) यदि वह इस अधिनियम की धारा 245 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, या
- (iii) यदि वह ऐसे सक्षम न्यायालय के, जिसने अपराध का संज्ञान किया हो और उसके विरुद्ध पांच वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के

लिए आरोप विरचित कर दिये हों, विचारणाधीन हो, या

- (iv) यदि वह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 37) के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, या
- (v) जिसके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 110 के अधीन संस्थित कार्यवाहियों में उस संहिता की धारा 117 के अधीन कोई आदेश पारित कर दिया गया हो और ऐसा आदेश तत्पश्चात् उलटा नहीं गया हो, या
- (vi) यदि वह केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या खण्ड (xi) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी की सेवा से अवचार के कारण पदच्युत कर दिया गया हो, या हटा दिया गया हो, या
- (vii) यदि वह ऐसा वृत्ति-व्यवसायी रह चुका हो, जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा इस रूप में व्यवसाय करने से विवर्जित कर दिया गया हो, या
- (viii) यदि वह नगरपालिका की प्रदान-शक्ति या व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ का पद धारण करता हो, या

(ix) यदि वह धारा 35 या धारा 41 के अधीन निरर्हित हो, या

(x) यदि वह राजस्थान विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए, तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के द्वारा या अधीन इस प्रकार निरर्हित हो:

परन्तु कोई व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, इस खण्ड के अधीन इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है, या

(xi) यदि वह केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई वैतनिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण करता हो, या

(xii) यदि वह किसी विश्वविद्यालय या किसी निगम, निकाय, उद्यम या सहकारी सोसाइटी, जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित हो, के अधीन कोई वैतनिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण करता हो, या

(xiii) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो, या

(xiv) यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त न्यायनिर्णीत कर दिया गया हो, या

- (xv) यदि वह, इसमें इसके पश्चात् यथा-उपबंधित को छोड़कर, ऐसी नगरपालिका के आदेश से किये गये किसी कार्य में, की गयी आपूर्ति में, या ऐसी नगरपालिका के साथ या उसके अधीन या द्वारा या उसकी ओर से किसी भी संविदा या नियोजन में, स्वयं का या उसके परिवार के किसी सदस्य या उसके भागीदार, नियोजक या कर्मचारी के माध्यम से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई हिस्सा या हित रखता हो, या
- (xvi) यदि वह नगरपालिका के लिए उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरते समय ऐसी नगरपालिका की ओर से वैतनिक विधि व्यवसायी के रूप में नियुक्त हो या किसी न्यायालय में ऐसी नगरपालिका के विरुद्ध वकील के रूप में पैरवी कर रहा हो या उस अवधि के दौरान जिसके लिए वह निर्वाचित हुआ है ऐसी नगरपालिका के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार करता हो; या
- (xvii) यदि उसके दो से अधिक सन्तानें हैं, या
- (xviii) यदि उसके विरुद्ध दो से अधिक वर्षों से कोई भी नगरपालिक शोध की बकाया हो और उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन वसूली के लिए कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी गयी हों, या

- (xix) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नगरपालिका की सम्पत्ति या निधि का दुर्विनियोग या गबन अन्तर्वलित हो:

परन्तु—

- (क) खण्ड (i) में वर्णित निरर्हता, निरर्हित व्यक्ति के कारावास से मुक्त होने की तारीख से छह वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त नहीं रहेगी;
- (ख) खण्ड (v) में वर्णित निरर्हता, उस कालावधि की समाप्ति के पश्चात् जिसके लिए उस व्यक्ति को प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है, प्रवृत्त नहीं रहेगी;
- (ग) खण्ड (ix) में वर्णित निरर्हता, यदि वह राज्य निर्वाचन आयोग के किसी आदेश द्वारा पहले ही नहीं हटा दी गयी हो, उस कालावधि की समाप्ति के पश्चात् जिसके लिए वह व्यक्ति इस प्रकार निरर्हित कर दिया गया है, प्रवृत्त नहीं रहेगी;
- (घ) किसी व्यक्ति की बाबत इस कारण से खण्ड (xv) के अधीन निरर्हता उपगत की हुई नहीं समझी जायेगी कि वह—

- (i) किसी भी ऐसी संयुक्त स्टाक कम्पनी में, जो नगरपालिका के साथ संविदा करे या जिसे नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया जाये, प्रबन्ध निदेशक या अभिकर्ता से भिन्न किसी रूप में कोई हिस्सा या हित रखता है, या
- (ii) किसी भी स्थावर सम्पत्ति के किसी भी पट्टे, विक्रय या क्रय या उनके लिए किसी करार में कोई हिस्सा या हित रखता है, या
- (iii) किन्हीं भी ऐसे समाचार पत्रों में कोई हिस्सा या हित रखता है, जिनमें नगरपालिका के कार्यकलापों से संबंधित कोई विज्ञापन सम्मिलित किये जाते हों, या
- (iv) नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से लिए गये उधार में कोई डिबेंचर धारण करता है, या अन्यथा हितबद्ध है; या
- (v) किसी ऐसी वस्तु के, जिसका वह नियमित रूप से व्यापार करता है, नगरपालिका को यदा-कदा किये जाने वाले इतने से अनधिक मूल्य के विक्रय में, जो नगरपालिका राज्य सरकार की मंजूरी

से इस निमित्त नियत करे, कोई हिस्सा या हित रखता है, या

(vi) किसी भी शासकीय वर्ष में दो हजार रुपये से अनधिक की रकम, या पांच हजार रुपये से अनधिक ऐसी उच्चतर रकम, जो राज्य सरकार की मंजूरी से नगरपालिका द्वारा इस निमित्त नियत की जाये, की किसी भी वस्तु को यदा-कदा नगरपालिका को भाड़े पर देने या नगरपालिका से भाड़े पर लेने में हिस्सा या हित रखता है;

(ड) कोई व्यक्ति, जिसके दो से अधिक सन्तानें हैं, खण्ड (xvii) के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक कि 27 नवम्बर, 1995 को रही उसकी संतानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती।

स्पष्टीकरण.— खण्ड (xvii) के प्रयोजनों के लिए किसी एकल प्रसव से जन्मी हुई सन्तानों की किसी भी संख्या को एक ही माना जायेगा और दत्तक में दी गयी किसी संतान को संतानों की संख्या की गणना करते समय अपवर्जित नहीं किया जायेगा।

25. मतदान का अधिकार.— (1) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा-उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति को, जो तत्समय किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है, उस वार्ड में मत देने का हकदार होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में किसी भी वार्ड में मत नहीं देगा, यदि वह धारा 14 में निर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के अध्यक्षीन है।

(3) कोई भी व्यक्ति, किसी निर्वाचन में एक से अधिक वार्डों में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में मत देता है तो समस्त वार्डों में के उसके मत शून्य होंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति एक ही वार्ड में एक से अधिक बार इस बात के होते हुए भी मत नहीं देगा कि उसका नाम उसकी निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत है और यदि वह ऐसे मत दे देता है तो उसके सभी मत शून्य हो जायेंगे।

(5) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन में मत नहीं देगा, यदि वह दण्डादेश के अधीन या अन्यथा किसी कारागार में परिरुद्ध है या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है:

परन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन निवारक निरोध के अध्यक्षीन किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी।

26. निर्वाचन में मत देने की रीति.— (1) ऐसे प्रत्येक निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है, मतपत्र द्वारा ऐसी रीति से मत दिये जायेंगे जैसी विहित की जाये और कोई भी मत परोक्षी के माध्यम से नहीं लिए जायेंगे।

(2) प्रत्येक निर्वाचन का एक मत होगा। यदि कोई निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवारों को मत देता है तो मतों की गणना के समय उसके द्वारा दिये गये सभी मत शून्य मानकर नामंजूर कर दिये जायेंगे।

(3) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों में किसी बात के होते हुए भी, मतदान मशीनों से, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, मत देना और अभिलिखित करना किसी नगरपालिका के ऐसे वार्ड या वार्डों में अंगीकृत किया जा सकेगा, जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण.— उप-धारा (3) के प्रयोजन के लिए 'मतदान मशीन' से अभिप्रेत है मत देने या अभिलिखित करने के लिए प्रयुक्त कोई मशीन या साधित्र, चाहे वह इलैक्ट्रॉनिकी द्वारा या अन्यथा प्रचालित हो और इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों में मतपेटी या मतपत्र के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, इस प्रकार लगाया जायेगा मानो उसके अन्तर्गत जहां कहीं ऐसी मतदान मशीन का किसी निर्वाचन में प्रयोग होता है, ऐसी मतदान मशीन के प्रति निर्देश है।

27. आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जायेंगी.— (1) किसी सदस्य के पद पर समय व्यतीत हो जाने से अन्यथा होने वाली कोई आकस्मिक रिक्ति, उप-धारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उप-निर्वाचन से भरी जायेगी, जो किसी साधारण निर्वाचन के लिए विहित रीति में यथाशक्य शीघ्र करवाये जाने के लिए नियत किया जायेगा।

(2) उप-निर्वाचन में निर्वाचित कोई सदस्य केवल तब तक पद धारण करेगा, जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह निर्वाचित हुआ है, तब पद धारण करने का हकदार होता जबकि रिक्ति नहीं हुई होती।

(3) जब किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाये जाने से कोई रिक्ति,—

(क) किसी भी वार्ड में अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के किसी सदस्य के लिए आरक्षित किसी स्थान में हो तो ऐसी रिक्ति, ऐसी जाति या जनजाति या वर्गों के किसी सदस्य द्वारा भरी जायेगी; और

(ख) किसी भी वार्ड में किसी महिला के लिए आरक्षित स्थान में हो तो ऐसी रिक्ति किसी महिला द्वारा भरी जायेगी।

(4) जहां कोई रिक्ति किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु हो जाने, उसके त्यागपत्र दे देने, उसे हटा दिये जाने या उसके निर्वाचन के परिहार के कारण होती है और उस सदस्य की पदावधि, घटनाओं के साधारण अनुक्रम में, रिक्ति होने के छह मास के भीतर-भीतर पर्यवसित हो गयी होती, वहां राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि रिक्ति को अगले सामान्य निर्वाचन तक न भरा जाये।

28. **निर्वाचन अपराध.**— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) की धारा 125, 126, 127, 127क, 128, 129, 130, 131, 132, 132क, 133, 134, 134क, 134ख, 135, 135क, 135ख, 135ग और 136 के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो —

(क) उनमें निर्वाचन के प्रति निर्देश इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के प्रति निर्देश हों,

(ख) उनमें किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रति निर्देश वार्ड के प्रति निर्देश हों,

(ग) धारा 125 और 127 में अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अधीन" और धारा 134 तथा 136 में अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के द्वारा या अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के द्वारा या अधीन" प्रतिस्थापित कर दी गयी हो।

(घ) धारा 135ख की उप-धारा (1) में शब्दों "लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा" के स्थान पर शब्द "नगरपालिका का वार्ड" प्रतिस्थापित कर दिये गये हों।

29. **भ्रष्ट आचरण.**— इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण समझा जायेगा, अर्थात्:—

(i) रिश्वत, अर्थात् किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को, वह चाहे कोई भी हो, किसी परितोषण का ऐसा दान, प्रस्थापना या वचन, जिसका प्रत्यक्षतः या परोक्षतः यह उद्देश्य हो कि —

(क) किसी व्यक्ति को, किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न होने या अपनी उम्मीदवारी वापस लेने या कोई निर्वाचन लड़ने से हट जाने के लिए; या

(ख) किसी निर्वाचक को किसी निर्वाचन में मत देने या मत देने से विरत रहने के लिए,

उत्प्रेरित किया जाये, या जो—

(i) किसी व्यक्ति को इस प्रकार खड़ा होने या न होने या उम्मीदवारी वापस लेने या निर्वाचन से हट जाने के लिए; या

(ii) किसी निर्वाचक को मत देने या मत देने से विरत रहने के लिए—

ईनाम के रूप में हो।

स्पष्टीकरण.— इस खण्ड के प्रयोजनार्थ शब्द “परितोषण” धनीय परितोषण या धन के रूप में प्राक्कलनीय परितोषणों तक ही निर्बंधित नहीं है और इसमें सब रूपों के मनोरंजन तथा ईनाम के लिए सभी रूपों के नियोजन सम्मिलित हैं किन्तु इसमें किसी भी निर्वाचन में या उसके प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक उपगत किन्हीं व्ययों का संदाय सम्मिलित नहीं है;

(ii) असम्यक् असर डालना, अर्थात् किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतन्त्र प्रयोग में उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप का प्रयत्न:

परन्तु—

(क) इस खण्ड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें यथानिर्दिष्ट ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जो—

- (i) किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे उम्मीदवार या निर्वाचक हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति, जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बाहर करना या निष्कासन आता है, पहुंचाने की धमकी देता है; या
- (ii) किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जायेगा या बना दिया जायेगा;

यह समझा जायेगा कि वह ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचक के निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में इस खण्ड के अर्थान्तर्गत हस्तक्षेप करता है।

(ख) लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या, किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस खण्ड के अर्थान्तर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जायेगा;

(iii) किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से

विरत रहने की उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा या उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील या उस उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उनकी दुहाई या राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या उनकी दुहाई:

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी भी उम्मीदवार को आबंटित कोई भी प्रतीक इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं समझा जायेगा;

(iv) किसी भी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी भी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा उस उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों में धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावना का संप्रवर्तन करना या संप्रवर्तन का प्रयत्न करना;

(v) किसी भी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा उस उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए सती की प्रथा या उसके कर्म का प्रचार या उसका गौरवान्धयन।

स्पष्टीकरण.— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए सती के संबंध में “सती” और “गौरवान्वयन” का अर्थ क्रमशः वही होगा जो सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 3) में है;

(vi) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या निर्वाचन से नाम वापस लेने या निर्वाचन लड़ने से हट जाने के सम्बन्ध में ऐसे तथ्य का प्रकाशन, जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है और जो उस उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है;

(vii) किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या से किसी निर्वाचक (स्वयं उम्मीदवार, उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) के प्रवहण के लिए किसी यान या जलयान को, उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदाय करके या अन्यथा, भाड़े पर लेना या उपाप्त करना:

परन्तु निर्वाचक या कई निर्वाचकों द्वारा अपने संयुक्त खर्चे पर स्वयं को किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या से प्रवहित किए जाने के प्रयोजनार्थ यान या जलयान को भाड़े पर लेना इस खण्ड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं समझा जायेगा यदि इस प्रकार भाड़े पर लिया गया यान या जलयान कोई ऐसा यान या जलयान है जो यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित नहीं है:

परन्तु यह और कि किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को जाने या वहां से आने के प्रयोजन के लिए अपने ही खर्चे पर किसी निर्वाचक द्वारा किसी लोक परिवहन यान या जलयान या किसी ट्राम या रेलगाड़ी का उपयोग इस खण्ड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं समझा जायेगा;

स्पष्टीकरण.— इस खण्ड में अभिव्यक्ति “यान” से ऐसा कोई भी यान अभिप्रेत है, जो सड़क परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाये जाने के योग्य है, चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चालित हो, और चाहे अन्य यानों को खींचने के लिए या अन्यथा उपयोग में लाया जाता हो;

(viii) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये निर्वाचन से संबंधित किसी नियम या आदेश के उपबन्ध के उल्लंघन में व्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना;

(ix) उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकार की सेवा में के और निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग के किसी भी व्यक्ति से, कोई भी सहायता (मत देने से अन्यथा) अभिप्राप्त या उपाप्त करना या अभिप्राप्त या उपाप्त करने का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करना, अर्थात्:—

(क) राजपत्रित अधिकारी;

(ख) संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य;

- (ग) पुलिस बल के सदस्य;
- (घ) आबकारी अधिकारी;
- (ङ) राजस्व अधिकारी जिसमें पटवारी और इसी प्रकार के अधिकारी सम्मिलित हैं; और
- (च) सरकार की सेवा में के व्यक्तियों का ऐसा अन्य वर्ग जो विहित किया जाए।

स्पष्टीकरण.— (i) खण्ड (ix) के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति, किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायक समझा जायेगा, यदि वह उस उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में काम करता है;

(ii) निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसकी बाबत यह ठहराया जाये कि उसने उम्मीदवार की सम्मति से निर्वाचन के सम्बन्ध में अभिकर्ता के रूप में काम किया है, इस धारा में की अभिव्यक्ति “अभिकर्ता” में सम्मिलित है।

30. निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता—(1) किसी सिविल न्यायालय को वार्डों के परिसीमन, ऐसे वार्डों को स्थानों के आबंटन, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी या निर्वाचन

के संचालन से संबंधित किसी भी प्रश्न को ग्रहण करने और उस पर न्यायनिर्णयन करने की अधिकारिता नहीं होगी।

(2) किसी भी नगरपालिका के किसी निर्वाचन को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गयी किसी निर्वाचन याचिका से अन्यथा प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

31. **निर्वाचन याचिका.**— (1) नगरपालिका के सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति के निर्वाचन को नगरपालिक क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश के समक्ष, निर्वाचन की तारीख से एक मास के भीतर-भीतर कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर प्रश्नगत किया जा सकेगा, अर्थात्:—

- (क) कि निर्वाचन की तारीख को निर्वाचित उम्मीदवार इस अधिनियम के अधीन स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित नहीं था, या निरर्हित था, या
- (ख) कि निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा या निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, धारा 29 में विनिर्दिष्ट कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है, या
- (ग) कि कोई नामांकन अनुचित तौर पर खारिज कर दिया गया है, या
- (घ) कि निर्वाचन का परिणाम, जहां तक उसका सम्बन्ध निर्वाचित उम्मीदवार से है, निम्नलिखित द्वारा तात्विक रूप से प्रभावित किया गया है—

- (i) किसी नामांकन की अनुचित स्वीकृति द्वारा, या
- (ii) निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से काम कर रहे किसी व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किये गये किसी भ्रष्ट आचरण द्वारा, या
- (iii) किसी मत को अनुचित रूप से ग्रहण, नामंजूर या खारिज करके या ऐसे किसी मत को, जो शून्य है, ग्रहण करके, या
- (iv) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या किये गये आदेशों के उपबन्धों की किसी अननुपालना द्वारा, या
- (ड) कि वस्तुतः याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिमान्य मतों का बहुमत प्राप्त हुआ था, या
- (च) कि यदि निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण से मत प्राप्त न किये जाते तो याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिमान्य मतों का बहुमत प्राप्त होता।
- (2) निर्वाचन याचिका की सुनवाई में जिला न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जायें।

32. जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपीलें.— (1) धारा 31 के अधीन दायर याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा किये गये प्रत्येक आदेश से अपील उच्च न्यायालय को होगी।

(2) उच्च न्यायालय को, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन अपील के सम्बन्ध में वही शक्तियां, अधिकारिता तथा प्राधिकार होगा और वह उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसा वह अपनी सिविल अपील अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित मूल डिक्री से अपील की दशा में करता है।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस आदेश की, जिससे अपील की गयी है, तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर की जायेगी:

परन्तु उच्च न्यायालय, तीस दिवस की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी कोई अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि अपीलार्थी के पास ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

(4) जहां अपील सभी या किन्हीं भी निर्वाचित उम्मीदवारों के निर्वाचन को शून्य घोषित करते हुए दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध की गयी है वहां उच्च न्यायालय, पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर, उस आदेश, जिससे अपील की गयी है, के प्रवर्तन पर रोक लगा सकेगा और ऐसी दशा में उस आदेश की बाबत यह समझा जायेगा कि वह प्रभाव में नहीं आया है।

(5) प्रत्येक अपील यथासम्भव शीघ्रता से विनिश्चित की जायेगी और उस तारीख से, जिसको अपील का ज्ञापन उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो, तीन मास के भीतर-भीतर उसे अन्तिम रूप से अवधारित करने का प्रयास किया जायेगा।

33. **समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त होने की दशा में प्रक्रिया.**— जब कभी किसी नगरपालिका के सभी सदस्यों का या उसके सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक सदस्यों का निर्वाचन धारा 31 के अधीन, या धारा 32 के अधीन अपील किये जाने पर, शून्य घोषित कर दिया जाये, तब राज्य सरकार नगरपालिका को विघटित करेगी और तदुपरान्त धारा 322 के उपबंध, उसकी उप-धारा (1) के उपबंधों को छोड़कर, लागू होंगे।

34. **आदेशों और विनिश्चय की अन्तिमता.**—धारा 32 के अधीन की गयी किसी अपील पर उच्च न्यायालय का विनिश्चय और केवल ऐसे विनिश्चय के अध्यक्षीन रहते हुए, धारा 31 के अध्यक्षीन जिला न्यायाधीश का आदेश अन्तिम तथा निश्चायक होगा।

35. **निरर्हताएं.**— (1) निम्नलिखित से किसी नगरपालिका की सदस्यता के लिए निरर्हताएं हो जायेंगी, अर्थात्:—

(क) धारा 28 में निर्दिष्ट निर्वाचन संबंधी अपराधों से,

(ख) धारा 29 में विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरणों से।

(2) ऐसी निरर्हता की कालावधि, ऐसे भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में जिला न्यायाधीश के निष्कर्ष की तारीख से या, यथास्थिति, ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये जाने की तारीख से, छह वर्ष की होगी।

36. **निरहता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना.**— राज्य निर्वाचन आयोग, धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन की किसी निरहता को, लेखबद्ध कारणों से, हटा सकेगा या ऐसी किसी भी निरहता की कालावधि को कम कर सकेगा।

37. **पद की शपथ.**—(1) प्रत्येक सदस्य, इस रूप में अपना कर्तव्य ग्रहण करने के पूर्व, कलक्टर या इस प्रयोजन के लिए उसके नामनिर्देशिती के समक्ष, विहित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

(2) किसी भी ऐसे सदस्य की बाबत, जो नगरपालिका की प्रथम बैठक की तारीख से, या उप-निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य या नामनिर्दिष्ट सदस्य के मामले में, उसके निर्वाचन की तारीख से या, यथास्थिति, उसके नामनिर्देश की तारीख से, एक मास की कालावधि के भीतर-भीतर उप-धारा (1) के उपबन्धों का पालन करने में विफल रहता है, यह समझा जायेगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है:

परन्तु ऐसी कालावधि को विचार में नहीं लिया जायेगा जिसके दौरान ऐसा सदस्य विचाराधीन कैदी या निरुद्ध व्यक्ति या राजनैतिक कैदी के रूप में जेल में था।

38. **त्यागपत्र.**— कोई सदस्य, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित उस आशय का लिखित नोटिस अध्यक्ष को देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र नोटिस की तारीख से पन्द्रह दिवस की समाप्ति के पश्चात् या अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की तारीख, जो भी पहले हो, से प्रभावी होगा।

39. **सदस्य का हटाया जाना.**—(1) राज्य सरकार, उप-धारा (3) और (4) के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए, नगरपालिका के किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर हटा सकेगी, अर्थात्:—

(क) कि वह नगरपालिका की इजाजत के बिना तीन से अधिक क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहा है:

परन्तु ऐसी कालावधि को विचार में नहीं लिया जायेगा जिसके दौरान ऐसा सदस्य विचाराधीन कैदी या निरुद्ध व्यक्ति या राजनैतिक कैदी के रूप में जेल में था;

(ख) कि वह धारा 37 के उपबन्धों का पालन करने में विफल रहा है,

(ग) कि उसने अपने निर्वाचन के पश्चात्, धारा 14 या धारा 24 में वर्णित कोई निरर्हता उपगत कर ली है या वह धारा 21 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है,

(घ) कि—

- (i) उसने सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन में जानबूझकर उपेक्षा की है या परिवर्जन किया है, या
- (ii) वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है, या
- (iii) वह किसी निकृष्ट आचरण का दोषी रहा है, या
- (iv) वह सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो गया है, या
- (v) वह इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निरर्हित हो गया है, या
- (vi) उसने ऐसे सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का किसी रीति से अन्यथा दुरुपयोग किया है:

परन्तु हटाये जाने का कोई आदेश, राज्य सरकार द्वारा, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और जिसे वह या तो स्वयं करे या किसी ऐसे विद्यमान या सेवानिवृत्त अधिकारी से, जो राज्य स्तरीय सेवा की

रैंक से नीचे का न हो, या ऐसे प्राधिकारी से, जिसका वह निदेश दे, करवाये, और संबंधित सदस्य को स्पष्टीकरण का अवसर दे दिये जाने के पश्चात्, पारित किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, राज्य सरकार द्वारा स्वप्रेरणा से या उस निमित्त नगरपालिका से कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य सरकार की जानकारी में आये तथ्यों के आधार पर किया जा सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन राज्य सरकार के किसी आदेश द्वारा किसी सदस्य को जब तक हटा नहीं दिया जाये तब तक वह अपना पद रिक्त नहीं करेगा और उप-धारा (6) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए सदस्य के रूप में कार्य करता रहेगा तथा सदस्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करता रहेगा और ऐसी हैसियत में इस अधिनियम के अधीन सदस्य के समस्त अधिकारों का हकदार तथा समस्त दायित्वों के अध्यक्षीन होगा।

(3) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी सदस्य को, उक्त उप-धारा के परन्तुक में निर्दिष्ट जांच के परिणामस्वरूप और सम्बन्धित सदस्य के स्पष्टीकरण को सुनने के पश्चात्, उप-धारा (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी भी आधार पर हटाने का प्रस्ताव किया जाये तब राज्य सरकार, ऐसे सदस्य के विरुद्ध सुस्पष्ट आरोप उपवर्णित करते हुए एक विवरण तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किये जाने वाले जिला न्यायाधीश की रैंक के किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा जांच और निष्कर्षों के लिए भेज देगी।

(4) इस प्रकार नियुक्त किया गया न्यायिक अधिकारी आरोप की जांच करेगा, संबंधित सदस्य को, यदि वह उपस्थित होता है, सुनेगा और विवरण में उपवर्णित प्रत्येक मामले पर और साथ ही प्रत्येक ऐसे अन्य मामले पर जिसे वह आरोप के लिए सुसंगत समझता है, अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, और ऐसे निष्कर्ष के साथ अभिलेख राज्य सरकार को भेजेगा, जो तदुपरान्त लेखबद्ध कारणों से या तो पुनः जांच का आदेश करेगी या अंतिम आदेश पारित करेगी।

(5) उप-धारा (4) के अधीन जांच की सुनवाई करते समय, न्यायिक अधिकारी प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें और उसे वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वाद का विचारण करते समय निहित होती हैं, अर्थात्:—

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री जो साक्ष्य में पोषणीय हो, के प्रकटीकरण और उसे पेश किये जाने की अपेक्षा करना; और
- (ग) किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना; और
- (घ) कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाये।

(6) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी ऐसे सदस्य को, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन जांच की

कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है, जांच की समाप्ति तथा अन्तिम आदेश पारित होने तक के लिए निलम्बित कर सकेगी और इस प्रकार निलम्बित सदस्य नगरपालिका की किसी कार्यवाही में भाग लेने या अन्यथा उसके सदस्य के कर्तव्यों का पालन करने का हकदार नहीं होगा।

(7) इस धारा के अधीन पारित राज्य सरकार का प्रत्येक अंतिम आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा और वह अन्तिम होगा और ऐसे किसी भी आदेश को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।

40. पदावधि की समाप्ति के पश्चात् कतिपय अभिकथनों की जांच.—(1) किसी नगरपालिका के किसी भी सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध धारा 39 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के किन्हीं अभिकथनों के संबंध में ऐसी नगरपालिका के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध उक्त उप-धारा के परन्तुक तथा उस धारा की उप-धारा (3) या (4) में निर्दिष्ट जांच, उस नगरपालिका के कार्यकाल की समाप्ति के बाद या उसके ऐसा सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न रहने के बाद भी प्रारम्भ की जा सकेगी, और यदि जांच ऐसी समाप्ति या उसके ऐसा सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न रहने के पूर्व ही आरम्भ की जा चुकी हो तो वह उसके बाद भी चालू रखी जा सकेगी और उप-धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर, ऐसे प्रत्येक मामले में राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा, केवल धारा 39 की उप-धारा (4) के अधीन न्यायिक अधिकारी द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों के अनुरूप अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी।

(2) राज्य सरकार के इस प्रकार अभिलिखित निष्कर्षों पर धारा 39 की उप-धारा (6) के उपबन्ध लागू होंगे।

(3) ऐसे सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामलों में, जिसे नगरपालिका की नयी अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित किया जाता है और जिसके विरुद्ध नगरपालिका में उसकी पूर्व अवधि के सम्बन्ध में उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई जांच प्रारम्भ की जाती है, या यदि वह पहले से ही प्रारम्भ कर दी गयी है और जारी रखी जाती है, धारा 39 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

41. धारा 39 के अधीन हटाये गये सदस्यों की निर्योग्यता.— कोई सदस्य, जिसे धारा 39 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन हटा दिया गया हो या जिसके विरुद्ध धारा 40 के अधीन प्रतिकूल निष्कर्ष अभिलिखित कर दिये गये हों, उसके हटाये जाने या, यथास्थिति, प्रतिकूल निष्कर्ष अभिलिखित किये जाने की तारीख से छह वर्ष की कालावधि तक पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा।

42. किसी नगरपालिका में सदस्य का पद और संसद् या राज्य विधान सभा या किसी पंचायती राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर निर्बन्धन.— कोई भी व्यक्ति किसी नगरपालिका का निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य और संसद् या राज्य विधान-मण्डल या किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य, दोनों नहीं रहेगा और यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो पहले से ही संसद् या राज्य विधान सभा या किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य है, किसी नगरपालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है तब ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचित होने या नामनिर्देशन की तारीख से चौदह दिवस की समाप्ति पर वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा जब तक कि वह संसद् या राज्य विधान सभा या, यथास्थिति, पंचायती राज संस्था में के अपने स्थान से, पहले ही त्यागपत्र नहीं दे देता है:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जो पहले से ही किसी नगरपालिका का निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य है, संसद् या राज्य विधान सभा या किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य निर्वाचित कर लिया जाता है, तब संसद् या राज्य विधान सभा या, यथास्थिति, किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य निर्वाचित होने की तारीख से, चौदह दिवस की समाप्ति पर वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा जब तक कि वह संसद् या राज्य विधान सभा या, यथास्थिति, पंचायती राज संस्था में के अपने स्थान से, पहले ही त्यागपत्र नहीं दे देता है।

43. प्रत्येक नगरपालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा.—

(1) प्रत्येक नगर निगम के लिए एक महापौर, प्रत्येक नगर परिषद् के लिए एक सभापति और प्रत्येक नगरपालिक बोर्ड के लिए एक अध्यक्ष होगा जो विहित रीति से निर्वाचित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक नगर निगम के लिए एक उप-महापौर, और नगर परिषद् के लिए एक उप-सभापति और प्रत्येक नगरपालिक बोर्ड के लिए एक उपाध्यक्ष होगा, जो विहित रीति से निर्वाचित किया जायेगा।

(3) नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए तथा महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो विहित की जाये।

(4) राज्य सरकार उप-धारा (3) के अधीन आरक्षित अध्यक्षों के पदों का राज्य की विभिन्न नगरपालिकाओं को आबंटन करेगी और ऐसे पदों का आबंटन करने में निम्नलिखित उपबंधों को ध्यान में रखा जायेगा, अर्थात्:—

- (i) ऐसी नगरपालिकाओं का, जिनमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए पद का आरक्षण किया जाये, फैलाव सम्पूर्ण राज्य में होगा और वे यथासाध्य उन क्षेत्रों में स्थित होंगी जिनमें उन जातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या के साथ तुलनात्मक रूप से अधिक है;
- (ii) ऐसी नगरपालिकाओं का, जिनमें महिलाओं के लिए पद का आरक्षण किया जाये, फैलाव सम्पूर्ण राज्य में होगा।

(5) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए अध्यक्षों के पद का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) ऐसा प्रत्येक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो नगरपालिका से एक मास से अधिक की कालावधि तक ऐसे अनुपस्थित रहता है, कि वह ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाये, तो वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रहेगा जब तक कि उसे नगरपालिका द्वारा इस प्रकार अनुपस्थित रहने की छुट्टी मंजूर नहीं कर दी गयी हो।

(7) उप-धारा (6) के अधीन छह मास से अधिक की कालावधि के लिए छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी। जब कभी किसी अध्यक्ष को छुट्टी मंजूर कर दी जाये और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब ऐसी रिक्ति ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर तथा ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, सदस्यों में से निर्वाचन के द्वारा भरी जायेगी। जब किसी उपाध्यक्ष की छुट्टी मंजूर कर दी जाये या जब उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का कार्य कर रहा हो, तब उपाध्यक्ष

के पद की रिक्ति उस पर किसी अन्य सदस्य का निर्वाचन करके भरी जा सकेगी।

(8) यदि किसी नगरपालिका का उपाध्यक्ष, नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो उसकी बाबत यह समझा जायेगा कि उसने उपाध्यक्ष के रूप में अपना पद रिक्त कर दिया है।

(9) किसी नगरपालिका के प्रत्येक अध्यक्ष और प्रत्येक उपाध्यक्ष की बाबत तत्काल यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है, यदि विहित प्रक्रिया के अनुसार उसमें अविश्वास अभिव्यक्त करते हुए कोई संकल्प पारित कर दिया गया है।

(10) प्रत्येक अध्यक्ष तथा प्रत्येक उपाध्यक्ष को, ऐसे अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के रूप में अपने पद से, धारा 39 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी भी आधार पर हटाया जा सकेगा और उस धारा की उप-धारा (2) से (6) तक के उपबन्ध लागू होंगे।

(11) प्रत्येक अध्यक्ष तथा प्रत्येक उपाध्यक्ष की पदावधि, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, नगरपालिका की पदावधि के अनुरूप होगी।

(12) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और अध्यक्ष ऐसे अधिकारी को, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किया जाये, वैसा ही नोटिस व्यक्तिशः देकर त्यागपत्र दे सकेगा। ऐसा प्रत्येक त्यागपत्र उसके मंजूर किये जाने पर या, यथास्थिति, अध्यक्ष या, यथास्थिति, ऐसे अधिकारी को नोटिस दिये जाने से तीस दिवस की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।

(13) (i) अध्यक्ष के पद पर पदावधि समाप्त हो जाने से अन्यथा हुई कोई रिक्ति, ऐसी रिक्ति होने से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर भरी जायेगी और ऐसी रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, ऐसी शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके लिए वह अध्यक्ष, जिसके स्थान पर उसका इस प्रकार निर्वाचन किया गया है, पद धारण करता, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती:

परन्तु राज्य सरकार अपरिहार्य परिस्थितियों के मामले में ऐसे निर्वाचन की तारीख को पूर्वोक्त कालावधि से आगे अधिकतम तीन मास की कालावधि के लिए और बढ़ा सकेगी।

(ii) उपाध्यक्ष के पद पर पदावधि समाप्त हो जाने से अन्यथा हुई कोई रिक्ति पूर्ववर्ती उप-धाराओं के उपबन्धों के अनुसार भरी जायेगी और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, ऐसी शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके लिए वह उपाध्यक्ष, जिसके स्थान पर उसका इस प्रकार निर्वाचन किया गया है, पद धारण करता, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती।

(14) इस धारा के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के नाम यथाशक्य शीघ्र राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

(15) नगरपालिका का अध्यक्ष नगरपालिक निधि से ऐसे मासिक भत्ते और प्रसुविधाएं प्राप्त कर सकेगा, जो विहित की जायें।

44. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधिमान्यता का अवधारण.—(1) धारा 43 के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन, नगरपालिक क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत निर्वाचन याचिका के सिवाय प्रश्नगत नहीं किया जायेगा:

परन्तु जब किसी जिला न्यायाधीश को यथापूर्वोक्त रूप से कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाये, तब वह उसे लेखबद्ध कारणों से अपने अधीनस्थ किसी न्यायाधीश को सुनवाई तथा निपटारे के लिए अन्तरित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.— जिला न्यायाधीश या किसी भी अन्य न्यायाधीश को, जिसे कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत या अन्तरित की गयी है और जिसके द्वारा इस धारा के उपबन्धों के अनुसार उसकी सुनवाई की गयी है, इसमें इसके पश्चात् न्यायाधीश के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) ऐसी कोई याचिका ऐसे किसी उम्मीदवार द्वारा, जो पराजित हो गया है, या जिसका नामांकन रद्द कर दिया गया है, ऐसी रीति से, ऐसे आधारों पर और ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जो विहित की जाये, एक हजार रुपये के निक्षेप के साथ प्रस्तुत की जा सकेगी।

(3) याचिका की सुनवाई करने में न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जायें।

(4) उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायाधीश, यदि याचिका सारहीन पायी जाये, तो यह निदेश दे सकेगा कि उप-धारा (2) में उल्लिखित निक्षेप राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत किया जायेगा।

45. मुख्य नगरपालिक कृत्य.— (1) प्रत्येक नगरपालिका का कर्तव्य होगा कि वह अपने नगरपालिक क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित मामलों के लिए युक्तियुक्त उपबंध और समुचित व्यवस्था करे, अर्थात्:—

- (क) लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध, जल-निकास और मल-वहन, सार्वजनिक मार्गों, स्थानों तथा मलनालियों और ऐसे स्थानों, जो निजी संपत्ति नहीं हों और जो जनता के उपयोग के लिए खुले हों, चाहे ऐसे स्थान नगरपालिका में निहित हों या नहीं, की सफाई, हानिपूर्ण वनस्पति को हटाना और सभी लोक न्यूसेंसों को समाप्त करना;
- (ख) गंदगी, कूड़ाकरकट, विष्टा, दुर्गन्ध या किसी भवन या भवनों में या उनसे संबंधित शौचालयों, तहारतों, मूत्रालयों, मलकूपों या ऐसे पदार्थों को डालने के लिए अन्य सामान्य पात्रों से किसी अन्य हानिकारक या घृणोत्पादक पदार्थ को हटाना;
- (ग) सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों में रोशनी की व्यवस्था करना;
- (घ) आग बुझाना और आग लगने पर जीवन तथा सम्पत्ति की संरक्षा करना;
- (ङ) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों को विनियमित करना;
- (च) सार्वजनिक मार्गों या स्थानों तथा उन जगहों में, जो निजी सम्पत्ति नहीं हैं और जो जनता के उपयोग के लिए खुली हैं, चाहे ऐसी जगहें नगरपालिका में निहित हों या न हो, बाधाओं तथा बहिर्गत भागों को हटाना;

- (छ) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित करना या हटाना तथा अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरूद्धार करना ;
- (ज) मृतकों तथा मृत जानवरों के शवों के निर्वर्तन के लिए स्थानों का अर्जन, अनुरक्षण, परिवर्तन तथा विनियमन करना;
- (झ) सार्वजनिक मार्गों, पुलियाओं, नगरपालिक सीमा चिह्नों, बाजारों, वधशालाओं, नालियों, मलनालियों, जलनिकास संकर्मों, मलनाली संकर्मों, स्नानागारों, धोने के स्थानों, पेय-जल स्रोतों, तालाबों, कुंओं, बांधों और तत्समान अन्य संकर्मों का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना तथा उनका अनुरक्षण करना;
- (ञ) सार्वजनिक तहारतों, शौचालयों, और मूत्रालयों का निर्माण करना;
- (ट) मार्गों का नामकरण और घरों का संख्यांकन करना;
- (ठ) जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना;
- (ड) नगरपालिका के भीतर ऐसे कुत्तों के परिरोध और परिरक्षण के लिए व्यवस्था करना, जिनके संबंध में इस अधिनियम की धारा 249 के अधीन कार्रवाई की जानी है;
- (ढ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या किसी नगरीय सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए नगरपालिका द्वारा यथा-अपेक्षित पुलिस अधिकारियों के मद्धे वेतन का और उनके आकस्मिक व्यय का भुगतान करना और ऐसा स्थान उपलब्ध कराना जो

पुलिस से संबंधित प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित किया जाये;

- (ग) व्यक्तियों की संरक्षा, सम्पत्ति की सुरक्षा और लोक सुरक्षा के संबंध में ऐसे कृत्य और कर्तव्य, जो विहित किये जायें, करने के लिए स्वयंसेवी बल का गठन करना;
- (त) विष्ठा और कूड़ाकरकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिए व्यवस्थाएं करना;
- (थ) कांजी हाउस स्थापित करना और उनका रख-रखाव करना;
- (द) जनसंख्या नियन्त्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मानकों को बढ़ावा देना;
- (ध) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;
- (न) सड़कों, फुटपाथों, पैदल रास्तों, यात्रियों और माल, दोनों के लिए परिवहन टर्मिनलों, पुलों, ओवर-ब्रिजों, सब-वे, फेरीज के निर्माण और रख-रखाव सहित संचार प्रणाली और आन्तरिक जल परिवहन प्रणाली स्थापित करना;
- (प) यातायात अभियांत्रिकी योजनाओं, मार्ग-फर्नीचर, पार्किंग क्षेत्रों और बस स्टॉप सहित परिवहन प्रणाली उपांग तैयार करना;
- (फ) मानव बस्ती के लिए नये क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के लिए व्यवस्था करना;

- (ब) उद्यान एवं झरने स्थापित करके, मनोरंजन क्षेत्रों की व्यवस्था करके, नदी के किनारों को संवार कर और भू-दृश्य चित्रण द्वारा नगरीय क्षेत्र के सौन्दर्यकरण के लिए उपाय करना;
- (भ) समुदाय के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों और डाटा का संग्रह करना;
- (म) जिला या क्षेत्रीय विकास योजना, यदि कोई हो, के साथ नगरीय क्षेत्र की विकास योजनाओं और स्कीमों को समेकित करना;
- (य) शैक्षणिक, खेल संबंधी और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना;
- (यक) नगरपालिका के वित्त और उसके द्वारा हाथ में लिए गये विकास कार्य और अन्य गतिविधियों के बारे में तात्विक और महत्वपूर्ण सूचनाएं हितधारकों और आम जनता को प्रकट करना;
- (यख) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना; और
- (यग) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन यथा-उपबंधित अन्य कानूनी या नियामक कृत्यों का पालन करना।
- (2) नगरपालिका अपनी प्रबन्धकीय, तकनीकी, वित्तीय और संगठनात्मक क्षमता और नगरीय क्षेत्र में विद्यमान वास्तविक दशाओं को

ध्यान में रखते हुए पूर्वोक्त में से किन्हीं कृत्यों को नहीं करने, या उनकी पालना को स्थगित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार नगरपालिका को यथापूर्वोक्त में से किन्हीं कृत्यों का, यदि ऐसे कार्य का जिम्मा नगरपालिका द्वारा नहीं लिया गया है या उसके द्वारा स्थगित कर दिया गया है, पालन करने का निदेश दे सकेगी।

(4) नगरपालिका यथापूर्वोक्त कृत्यों में से किसी के भी निर्वहन के लिए अपेक्षित अवसरचना की, या तो स्वयं या धारा 154 में निर्दिष्ट करार के अधीन किसी भी अभिकरण के माध्यम से, योजना बना सकेगी, उसका सन्निर्माण, प्रवर्तन, रख-रखाव या प्रबंध कर सकेगी।

46. **अन्य नगरपालिक कृत्य.**— नगरपालिका अपने मुख्य कृत्यों, जो नगरपालिक निधि पर प्रथम प्रभार होंगे, के संतोषप्रद निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और अपनी प्रबंधकीय, तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित में से किन्हीं भी कृत्यों का जिम्मा ले सकेगी, उनका निष्पादन कर सकेगी या उनके निष्पादन को प्रोत्साहित कर सकेगी, अर्थात्:—

(i) पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में—

(क) बंजर भूमियों को उपजाऊ बनाना, सामाजिक वानिकी को प्रोन्नत करना और खुले स्थानों का रख-रखाव करना;

(ख) पौधों, सब्जियों और वृक्षों के लिए पौधशालाओं की स्थापना और रख-रखाव और जन सहभागिता के माध्यम से हरियाली की वृद्धि;

(ग) पुष्प-प्रदर्शनियों का आयोजन और नागरिक संस्कृति के रूप में फूल उगाने को बढ़ावा देना; और

(घ) प्रदूषण के सभी स्वरूपों के निवारण के लिए उपायों को प्रोत्साहित करना।

(ii) लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में—

(क) संक्रामक बीमारियों के उन्मूलन के लिए जन टीकाकरण अभियान;

(ख) अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का उद्धार;

(ग) सभी सार्वजनिक तालाबों का रख-रखाव और सभी निजी तालाबों, कुओं और जलापूर्ति के अन्य स्रोतों के पुनर्उत्खनन, मरम्मत और रख-रखाव का ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जिन्हें नगरपालिका ठीक समझे, विनियमन; और

(घ) प्रवचनों, सेमीनारों और सम्मेलनों के माध्यम से लोक स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की नागरिक चेतना की प्रोन्नति;

(iii) शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में—

(क) नागरिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की प्रोन्नति;

(ख) संगीत, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और थियेटर सहित सांस्कृतिक क्रियाकलापों की और उनके लिए अवसरचना की प्रोन्नति;

(ग) नगरीय जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अभिवृद्धि;

(घ) नगरपालिक पत्रिकाओं, नियतकालिक पत्रिकाओं और स्मारिकाओं का प्रकाशन, पुस्तकों का क्रय और पत्रिकाओं, मेगजीनों और समाचार पत्रों का ग्राहक बनना;

- (ङ) समुचित रीति से मूर्तियां, चित्र और तस्वीर स्थापित करना;
- (च) कला-दीर्घाओं और वानस्पतिक या प्राणी संग्रहों की व्यवस्था, स्थापना और रख-रखाव;
- (छ) ऐतिहासिक, कलात्मक और अन्य महत्व के स्थानों और संस्मारकों का परिरक्षण और रख-रखाव; और
- (ज) सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वाचनालयों, पागलखानों, सभा-भवनों, कार्यालयों का संनिर्माण, स्थापना, रख-रखाव करना या रख-रखाव में योगदान करना;

(iv) लोक कल्याण के क्षेत्र में-

- (क) सूखा, बाढ़, भूकम्प या अन्य प्राकृतिक या प्रौद्योगिकी आपदाओं के समय आश्रयों की स्थापना और रख-रखाव और नगरपालिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर निराश्रित व्यक्तियों के लिए राहत कार्य;
- (ख) अस्पतालों, औषधालयों, आश्रयों, उद्धार गृहों, प्रसूति गृहों और बाल कल्याण केन्द्रों का संनिर्माण या रख-रखाव या उनकी सहायता के लिए प्रावधान;
- (ग) बेघरों के लिए आश्रयों का प्रावधान;
- (घ) हथ-सफाई कर्मियों और उनके परिवारों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन;
- (ङ) सामुदायिक कल्याण के लिए स्वैच्छिक श्रम की व्यवस्था और स्वैच्छिक संगठनों के क्रियाकलापों का समन्वय; और

(च) ऐसी सूचना के प्रसार के लिए अभियान, जो लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हो; और

(v) सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में-

(क) विशिष्ट व्यक्तियों का नागरिक सम्मान और ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों की मृत्यु पर श्रद्धांजलि देना;

(ख) मेलों और प्रदर्शनियों की व्यवस्था और प्रबंध करना; और

(ग) लोकहित की सूचना का प्रसार।

47. सरकार द्वारा समनुदेशित कृत्य.- राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी नगरपालिका से ऐसे अन्य नगरपालिक कृत्यों का पालन करने की अपेक्षा कर सकेगी जिनका राज्य सरकार, उस नगरपालिका की आवश्यकता और संसाधनों का ध्यान रखते हुए उस नगरपालिका द्वारा पालन किया जाना उचित समझे।

48. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य.- (1) नगरपालिका के अध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(क) धारा 58 में यथा-उपबंधित रूप में नगरपालिका की नियमित बैठकें आयोजित करना;

(ख) जब तक कि युक्तियुक्त कारण से निवारित नहीं किया गया हो, नगरपालिका की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना और धारा 337 की उप-धारा (2) के खण्ड (xiii) के अधीन तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसी बैठकों में कार्य संचालन को विनियमित करना;

(ग) नगरपालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना;

(घ) इस अधिनियम के अधीन और उसके अनुसार विनिर्दिष्ट रूप से उस पर अधिरोपित या उसे प्रदत्त सभी कर्तव्यों का पालन और सभी शक्तियों का प्रयोग करना; और

(ङ) ऐसे अन्य कार्यपालक कृत्यों का पालन करना जो विहित किये जायें।

(2) नगरपालिका का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो अध्यक्ष उसे समय-समय पर प्रत्यायोजित करे। उपाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य भी होंगे:-

(क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में और जब तक युक्तियुक्त कारण से निवारित नहीं किया गया हो, नगरपालिका की बैठकों की अध्यक्षता करना और जब इस प्रकार अध्यक्षता कर रहा हो, उसी प्राधिकार का प्रयोग करना जो उप-धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन अध्यक्ष में निहित है; और

(ख) अध्यक्ष के छुट्टी पर अनुपस्थित रहने के दौरान, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करना।

49. अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिक अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य.- (1) मुख्य नगरपालिक

अधिकारी, नगरपालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) जहां किसी नगरपालिका या उसकी किसी भी समिति की कोई कार्यवाहियां या संकल्प या अध्यक्ष का आदेश इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत हो, वहां मुख्य नगरपालिक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का कार्यान्वयन करने के लिए विधि के सुसंगत उपबन्धों को वर्णित करते हुए नगरपालिका, या समिति या अध्यक्ष को सलाह दे और नगरपालिका या समिति की बैठक की कार्यवाहियों में या अध्यक्ष के आदेश पर यह तथ्य अभिलिखित करे कि उसने ऐसी सलाह दे दी थी और तदुपरांत ऐसी कार्यवाहियों, संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत करे और यह सुनिश्चित करे कि ऐसा संकल्प या आदेश पारित होने या, यथास्थिति, ऐसी कार्यवाहियां हाथ में लेने के सात दिवस के भीतर-भीतर उस मामले को राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को संसूचित करे।

(3) यदि मुख्य नगरपालिक अधिकारी, उप-धारा (2) के अधीन उसके कर्तव्यों में जानबूझकर उपेक्षा करता है तो वह उस उप-धारा में विनिर्दिष्ट प्रकृति की कार्यवाहियों, संकल्प या आदेश के परिणामस्वरूप नगरपालिका द्वारा उपगत किसी भी हानि के लिए व्यक्तिशः दायी होगा और ऐसी हानि उससे उसी रीति से वसूल की जायेगी जिससे नगरपालिक बकायाएं वसूल की जाती हैं।

(4) उप-धारा (2) के अधीन रिपोर्ट किये गये विसम्मति के टिप्पण का परीक्षण करने के पश्चात्, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अंतरिम या अंतिम आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे और वह नगरपालिका पर आबद्धकर होगा:

परन्तु यदि विसम्मति का टिप्पण प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर ऐसा कोई अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है तो नगरपालिका, कार्यवाहियों या संकल्प, या, यथास्थिति, आदेश पर ऐसे कार्यवाही कर सकेगी मानो विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(5) मुख्य नगरपालिक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के अधधीन रहते हुए, समस्त संकल्पों, समस्त अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञाओं को, जो इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका, समिति या अध्यक्ष के आदेश द्वारा मंजूर किये जायें या दिये जायें, अपने हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और कोई भी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा या आदेश तब तक वैध तथा विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि उसे मुख्य नगरपालिक अधिकारी या, यथास्थिति, ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा इस प्रकार अधिप्रमाणित न कर दिया गया हो।

(6) मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगरपालिका की ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो राज्य सरकार उसे विनिर्दिष्ट प्रशासनिक अत्यावश्यकता में किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सौंपे।

(7) नगरपालिका को संबोधित या उसके लिए तात्पर्यित समस्त पत्राचार साधारणतया मुख्य नगरपालिक अधिकारी के नाम से भेजा जायेगा किन्तु अध्यक्ष को भी भेजा जा सकेगा और नगरपालिका की तरफ से जारी या किया गया समस्त पत्राचार साधारणतया मुख्य नगरपालिक अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा और अध्यक्ष की मुहर और हस्ताक्षर से भी जारी किया जा सकेगा।

(8) मुख्य नगरपालिक अधिकारी नगरपालिका या उसकी किसी भी समिति की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों या अन्य दस्तावेज या वस्तु से ऐसा

कोई भी उद्धरण प्रस्तुत करेगा, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी समय-समय पर मांगे।

(9) मुख्य नगरपालिक अधिकारी,—

- (i) नगरपालिका के लेखाओं की संपरीक्षा के दौरान उसके ध्यान में लायी गयी या संपरीक्षा रिपोर्ट में इंगित की गयी किसी भी त्रुटि या अनियमितता को हटाने के लिए तुरन्त कदम उठायेगा;
- (ii) नगरपालिका के धन या सम्पत्ति के संबंध में कपट, गबन, चोरी या हानि के सभी मामलों की रिपोर्ट नगरपालिका को करेगा;
- (iii) नगरपालिका द्वारा अध्यपेक्षित कोई भी विवरणी, विवरण, लेखा या रिपोर्ट या अपने प्रभार में का कोई भी दस्तावेज या उनकी प्रति देगा;
- (iv) उसकी बैठक में विचाराधीन किसी विषय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देगा, किन्तु उस पर मतदान नहीं करेगा या उसमें कोई प्रस्थापना नहीं करेगा;
- (v) नगरपालिका की नीतियों, विनिश्चयों और निदेशों को, यदि इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हों, को क्रियान्वित करेगा और नगरपालिका के सभी कार्यों और विकास योजनाओं के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करेगा;
- (vi) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और

उप-विधियों के अधीन या द्वारा उसे समनुदेशित किये जायें; और

- (vii) अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, अपने अधीनस्थ नगरपालिका के अधिकारियों और सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा।

50. कार्यभार सौंपना.— (1) जब कभी—

- (i) कोई अध्यक्ष त्यागपत्र दे दे या अध्यक्ष न रहे या उसे अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाये या वह अध्यक्ष का पद रिक्त कर दे या उसे निलम्बित कर दिया जाये या सदस्य या अध्यक्ष के रूप में उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाये;
- (ii) कोई उपाध्यक्ष त्यागपत्र दे दे या उपाध्यक्ष न रहे या उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया जाये या वह उपाध्यक्ष का पद रिक्त कर दे या उसे निलम्बित कर दिया जाये या सदस्य या उपाध्यक्ष के रूप में उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाये;
- (iii) कोई सदस्य त्यागपत्र दे दे या हटा दिया जाये या उसे निलम्बित कर दिया जाये या उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाये;
- (iv) किसी नगरपालिका को विघटित कर दिया जाये या वह अन्यथा निष्क्रिय हो जाये,

तो ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य या ऐसी नगरपालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या यथास्थिति, सदस्य, ऐसे पद से संबंधित समस्त

कागज-पत्र और सम्पत्तियों सहित, जो उसके या उनके वास्तविक कब्जे या अधिभोग में हों, अपने पद का कार्यभार विहित रीति से निम्नलिखित को तुरन्त सौंप देगा:-

(क) अध्यक्ष के मामले में, उपाध्यक्ष को और यदि कोई उपाध्यक्ष न हो तो ऐसे सदस्य को जिसके लिए राज्य सरकार निदेश दे:

परन्तु ऐसे किसी अध्यक्ष के पद का कार्यभार, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों या महिलाओं के लिए आरक्षित पद पर निर्वाचित हुआ था, यदि वह उसी प्रवर्ग का है तो उपाध्यक्ष को और यदि ऐसा कोई उपाध्यक्ष नहीं हो तो राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार, उक्त जातियों, जनजातियों, या वर्गों के सदस्य या, यथास्थिति, महिला सदस्य को, यदि कोई हो, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, सौंपा जायेगा और जहां उक्त जातियों, जनजातियों, वर्गों से संबंधित ऐसा कोई सदस्य या महिला सदस्य नहीं हो, जिसे पूर्वोक्तानुसार कार्यभार दिया जा सकता हो, तो कार्यभार किसी ऐसे अन्य सदस्य को, जो पूर्वोक्त प्रवर्गों से संबंधित नहीं हो, ऐसे रीति से जो विहित की जाये, सौंपा जायेगा;

(ख) उपाध्यक्ष की दशा में, अध्यक्ष को और यदि कोई अध्यक्ष न हो तो ऐसे सदस्य को जिसके लिए राज्य सरकार निदेश दे,

(ग) सदस्य की दशा में, अध्यक्ष को और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को;

(घ) विघटित या अन्यथा निष्क्रिय हुई नगरपालिका की दशा में, नवगठित नगरपालिका को या, यथास्थिति, धारा 322 के अधीन नियुक्त अधिकारी को:

परन्तु सदस्य जिसे खण्ड (क) और (ख) के अधीन कार्यभार सौंपा गया है, साठ दिवस से अनधिक की कालावधि या अध्यक्ष या, यथास्थिति, उपाध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, कार्यभार धारण करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित रूप से पद का कार्यभार सौंपने में विफल रहता है या सौंपने से इनकार करता है या सौंपने के लिए उपलब्ध नहीं है तो कार्यभार ग्रहण करने का हकदार व्यक्ति पद का कार्यभार ग्रहण कर लेगा और तत्पश्चात् उसकी बाबत यह समझा जायेगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अध्याय 3

कार्य संचालन और वार्ड समिति

51. नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपबन्ध.— (1) नगरपालिका की सामान्य साधारण बैठक, साठ दिवसों के भीतर-भीतर एक बार होगी और एक कलेण्डर वर्ष में न्यूनतम छह बैठकें होंगी और बैठक के कार्य का संचालन ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, जो विहित की जाये।

(2) अध्यक्ष उस तारीख से, जिसको नगरपालिका के कम से कम एक-तिहाई सदस्यों द्वारा, उस संकल्प को विनिर्दिष्ट करते हुए जो

प्रस्तावित किया जायेगा, हस्ताक्षरित अनुरोध प्राप्त होता है, अधिकतम सात दिवस के भीतर की किसी तारीख को विशेष बैठक बुलायेगा।

(3) यदि अध्यक्ष उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी उस तारीख से जिसको उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट समय समाप्त होता है, दस दिवस के भीतर-भीतर ऐसी बैठक बुलायेगा।

52. व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार.— (1) कोई भी सदस्य, किसी नगरपालिक कार्य के निष्पादन में की गयी किसी उपेक्षा, नगरपालिक सम्पत्ति की किसी बरबादी या किसी परिक्षेत्र की नागरिक समस्याओं की ओर समुचित प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकेगा और ऐसे किसी भी सुधार का सुझाव भी दे सकेगा, जिसे वह वांछनीय समझे।

(2) प्रत्येक सदस्य को विहित नियमों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष से प्रश्न पूछने और नगरपालिका के प्रशासन से संसक्त मामलों पर संकल्प प्रस्तावित करने का अधिकार होगा।

(3) प्रत्येक सदस्य को मुख्य नगरपालिक अधिकारी को सम्यक् नोटिस देने के पश्चात्, नगरपालिक कार्यालय में, बिना किसी फीस का भुगतान किये, नगरपालिका के अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

53. अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव.— (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी अध्यक्ष या किसी उपाध्यक्ष के पदग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर-भीतर नहीं दिया जायेगा।

(3) यदि उप-धारा (1) के अधीन कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाता है तो उसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने के लिए किसी

पश्चात्वर्ती प्रस्ताव का कोई भी नोटिस उस बैठक, जिसमें ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया गया था, की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति तक नहीं दिया जायेगा।

54. **वार्ड समिति का गठन.**— (1) तीन लाख या अधिक की जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियां गठित की जायेंगी जिसमें एक या अधिक वार्ड होंगे।

(2) प्रत्येक वार्ड समिति में निम्नलिखित होंगे —

- (क) वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले नगरपालिका के सदस्य; और
- (ख) पांच से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो 25 वर्ष की आयु से कम के न हों और जो नगरपालिक प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हों, नगरपालिका द्वारा, नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे:

परन्तु कोई व्यक्ति नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिए और वार्ड समिति के सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध के अधीन सदस्य के रूप में निर्वाचित किये जाने और सदस्य होने के लिए निरर्हित हो।

(3) जहां किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड है, नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य उस समिति का अध्यक्ष होगा।

(4) (क) वार्ड समिति, उप-धारा (1) के अधीन उसके गठन के पश्चात् उसकी प्रथम बैठक में और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में उसी मास में उसकी प्रथम बैठक में, जहां वार्ड समिति में दो या अधिक वार्ड हों, वहां

उस समिति के अध्यक्ष के रूप में नगरपालिका में ऐसे वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक का निर्वाचन करेगी।

(ख) अध्यक्ष, उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होने तक पद धारण करेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

(5) अध्यक्ष, जैसे ही वह सदस्य न रहे, अपना पद रिक्त कर देगा।

(6) अध्यक्ष का पद, उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व रिक्त होने की दशा में, वार्ड समिति, रिक्त होने के पश्चात् सुविधानुसार यथाशीघ्र, उप-धारा (4) के अनुसार नये अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी:

परन्तु इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष उस पद को केवल तब तक धारित करेगा जब तक वह व्यक्ति जिसके स्थान पर वह निर्वाचित हुआ है, यदि ऐसी रिक्ति न हुई होती तो उस पद को धारण करता।

(7) वार्ड समिति की अवधि नगरपालिका की अवधि की सह-विस्तारी होगी।

(8) नगरपालिका आदेश द्वारा वार्ड समिति के कृत्यों और कर्तव्यों, ऐसी समिति के प्रादेशिक क्षेत्रों और उसके कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसी समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित करेगी।

(9) वार्ड समिति के अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी और वार्ड समिति उसके कारबार के संव्यवहार में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो नगरपालिका द्वारा बनाये जायें।

55. **समितियाँ**— (1) प्रत्येक नगरपालिका में एक कार्यपालक समिति होगी, जो निम्नलिखित से गठित होगी और उसमें निम्नलिखित होंगे—

- (i) नगरपालिका का अध्यक्ष;
- (ii) नगरपालिका का उपाध्यक्ष;
- (iii) विपक्ष का नेता;

- (iv) नगर निगम या नगर परिषद् के मामले में, नगर निगम या, यथास्थिति, नगर परिषद् द्वारा निर्वाचित, महिला सदस्यों में से दो सदस्यों सहित, सात सदस्य;
- (v) नगरपालिक बोर्ड के मामले में, नगरपालिक बोर्ड द्वारा निर्वाचित पांच से अनधिक ऐसी संख्या में सदस्य, जो नगरपालिक बोर्ड द्वारा अवधारित किये जायें; और
- (vi) नगरपालिका द्वारा उप-धारा (3) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्ष।

(2) नगरपालिका का मुख्य नगरपालिक अधिकारी कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होगा।

(3) कार्यपालक समिति के अतिरिक्त, प्रत्येक नगरपालिका दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनी निम्नलिखित समितियां भी गठित करेगी, अर्थात्:—

- (i) वित्त समिति;
- (ii) स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति;
- (iii) भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति;
- (iv) गन्दी बस्ती सुधार समिति;
- (v) नियम और उप-विधियां समिति;
- (vi) अपराधों का शमन और समझौता समिति; और
- (vii) नगरपालिका के कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए वह नगर निगम के मामले में आठ से अनधिक, नगर परिषद् के मामलों में छह से अनधिक, और नगरपालिक बोर्ड के मामले में चार से अनधिक ऐसी अन्य समितियां भी गठित कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे:

परन्तु राज्य सरकार नगरपालिका के कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए, इस खण्ड में विनिर्दिष्ट समितियों की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर सकेगी ।

(4) कार्यपालक समिति और उप-धारा (3) में वर्णित समितियां ऐसी शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन कर सकेंगी, जो विहित किये जायें ।

(5) ऊपर निर्दिष्ट समितियां नगरपालिका के गठन के नब्बे दिवस के भीतर-भीतर, नगर पालिका द्वारा गठित की जायेंगी, जिसमें विफल रहने पर राज्य सरकार, ऐसी समितियां गठित कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण.— शंकाओं के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य भी इस धारा के अधीन गठित किसी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा ।

56. सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे.—

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका के लिए, समय-समय पर सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से, ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को जो सदस्य नहीं हैं, किन्तु जो ऐसी नगरपालिका की राय में ऐसी समितियों में कार्य करने के लिए विशेष अर्हताएं रखते हैं, कार्यपालक समिति को छोड़ कर धारा 55 के अधीन किसी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त करना विधिपूर्ण होगा:

परन्तु किसी समिति में इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की संख्या, ऐसी समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी ।

(2) सदस्यों के कर्तव्यों, शक्तियों, दायित्वों, निरर्हताओं और निर्योग्यताओं से संबंधित इस अधिनियम के समस्त उपबन्ध, यथाशक्य, ऐसे व्यक्तियों पर लागू होंगे ।

57. **समिति का अध्यक्ष.**— (1) नगरपालिका का अध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

(2) नगरपालिका का उपाध्यक्ष यदि किसी ऐसी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया हो जिसका सदस्य अध्यक्ष नहीं है, तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) नगरपालिका किसी सदस्य को ऐसी किसी भी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जिसका कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है।

(4) प्रत्येक समिति, जिसका कोई पदेन अध्यक्ष या नगरपालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष है, प्रत्येक बैठक में, जिसमें ऐसा अध्यक्ष उपस्थित न हो, अपने सदस्यों में से ऐसी बैठक का अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

(5) प्रत्येक समिति, जिसका कोई पदेन अध्यक्ष या नगरपालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष नहीं हो, अपने सदस्यों में से समय-समय पर अपना अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

58. **बैठकों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया.**— (1) नगरपालिका की किसी समिति की साधारण बैठकें दो मास के भीतर-भीतर ऐसी प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जायेंगी, जो विहित की जाये।

(2) यदि किसी समिति का अध्यक्ष पन्द्रह दिवस से अधिक की कालावधि के लिए नगरपालिका से अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में नगरपालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसकी बैठक बुला सकेगा।

(3) समितियां, जैसा वे उचित समझें, अपनी बैठकें कर सकेंगी और उन्हें स्थगित कर सकेंगी, लेकिन समिति का अध्यक्ष, जब कभी वह ठीक समझे, और नगरपालिका के अध्यक्ष के या समिति के कम से कम दो सदस्यों के लिखित अनुरोध पर और ऐसी तारीख को, जो ऐसे अनुरोध के प्रस्तुतीकरण से दो दिवस से बाद की न हो, ऐसी समिति की विशेष बैठक बुलायेगा।

(4) समिति की किसी बैठक में कोई कार्य तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उसमें समिति के आधे सदस्य उपस्थित न हों।

59. **समितियों का नगरपालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना तथा नगरपालिका की अध्यक्षों का उनके द्वारा अनुपालन किया जाना।—**

(1) वार्ड समिति को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक समिति ऐसे अनुदेशों के अनुरूप कार्य करेगी जो नगरपालिका द्वारा उसे समय-समय पर दिये जायें। कोई भी समिति किसी भी स्कीम, या नगरपालिक निधि में से व्यय का अनुमोदन तब तक नहीं कर सकती है जब तक कि वह नगरपालिका द्वारा पारित वार्षिक बजट या अनुपूरक बजट में पहले ही अनुमोदित नहीं कर दिया गया हो। नगरपालिका किसी भी समय, किसी समिति की किन्हीं कार्यवाहियों से कोई भी उद्धरण तथा किसी ऐसे मामले से, जिसके बारे में कार्यवाही करने के लिए किसी समिति को प्राधिकृत या निर्दिष्ट किया गया है, संबंधित या सम्बद्ध कोई भी विवरणी, विवरण, लेखा या रिपोर्ट मांग सकेगी और ऐसी प्रत्येक अध्यक्ष का, उस समिति द्वारा, जिससे इस प्रकार की अध्यक्षता की गयी है, बिना किसी अनुचित विलम्ब के पालन किया जायेगा।

(2) धारा 54 और धारा 55 के अधीन नियुक्त किसी समिति द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प, ऐसे नियमों के अनुसार जो नगरपालिका द्वारा इस निमित्त बनाये जायें, नगरपालिका के पुनरीक्षण के अधीन होगा और उसकी नगरपालिका को अपील की जा सकेगी।

60. **वार्ड समिति के सामान्य कृत्य।—** वार्ड समिति निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी, अर्थात्:—

- (क) वार्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंध में सहायता करना;
- (ख) वार्ड में स्वच्छता कार्य के पर्यवेक्षण में सहायता करना;
- (ग) वार्ड के लिए विकास स्कीमों के तैयार किये जाने और उनके प्रोत्साहन में सहायता करना;

- (घ) वार्ड में लोगों के विभिन्न समूहों में सामंजस्य और एकता को प्रोत्साहित करना;
- (ङ) सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और माल या धन के रूप में दान जुटाना;
- (च) वार्ड से संबंधित विकास स्कीमों के क्रियान्वयन में सहायता करना;
- (छ) विकास और कल्याण स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए हिताधिकारियों की पहचान में सहायता करना;
- (ज) कला और सांस्कृतिक गतिविधियों और क्रीड़ा और खेल-कूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करना;
- (झ) नगरपालिका के विकास क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक स्वैच्छिक क्रियाकलापों में जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करना;
- (ञ) नगरपालिका को शोध्य करों, फीसों और अन्य रकमों के समय पर संग्रहण में सहायता करना;
- (ट) वार्ड में उद्यानों के रख-रखाव में सहायता करना;
- (ठ) वार्ड में स्ट्रीट-लाइटों के रख-रखाव में सहायता करना; और
- (ड) ऐसे अन्य कृत्य जो उसे नगरपालिका द्वारा समनुदेशित किये जायें।

61. शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित किये जा सकेंगे.— (1) कोई भी ऐसी शक्तियां, कर्तव्य या कार्यपालक कृत्य, जिनका प्रयोग, निर्वहन या पालन नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से किया जाये, धारा 55, 157, या 158, के अधीन विहित शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निर्बन्धनों, परिसीमाओं और

शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, इस अधिनियम के अधीन समितियों को प्रत्यायोजित किये जा सकेंगे।

(2) जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाये और कार्यभार सम्भालने के लिए कोई उपाध्यक्ष नहीं हो तो नगरपालिका प्रवृत्त नियमों के अनुसार किसी अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक अध्यक्ष की शक्तियां, कर्तव्य और कार्यपालक कृत्य नगरपालिका के ऐसे सदस्य को, जिसके द्वारा उनका प्रयोग किया जाना वह ठीक समझे, विहित रीति से बुलाई जाने वाली बैठक में प्रत्यायोजित करेगी:

परन्तु जब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिए आरक्षित अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाये, तब अध्यक्ष की शक्तियां, कर्तव्य, और कार्यपालक कृत्य उक्त जातियों, जनजातियों, वर्गों से संबंधित सदस्य या, यथास्थिति, महिला सदस्य को प्रत्यायोजित किये जायेंगे, और उक्त जातियों, जनजातियों, वर्गों से संबंधित या, यथास्थिति, कोई महिला सदस्य नहीं हो तो ऐसे अन्य सदस्य को प्रत्यायोजित किये जायेंगे, जिसे वह उपयुक्त समझे।

62. नगरपालिका तथा समितियों के कार्य और कार्यवाहियां उसके सदस्यों की निरर्हता आदि के कारण दूषित नहीं होंगी.— (1) किसी साधारण बैठक या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्य के रूप में या अध्यक्ष या पीठासीन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की कोई निरर्हता या उसके निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में हुई कोई त्रुटि, नगरपालिका या, यथास्थिति, ऐसी समिति के किसी कार्य या कार्यवाही को, जिसमें ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, दूषित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

(2) जहां किसी सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को किसी निर्वाचन याचिका के परिणामस्वरूप सम्यक् रूप से निर्वाचित नहीं हुआ घोषित कर दिया जाये वहां वह ऐसी तारीख से उस रूप में कार्य करना बन्द कर देगा

किन्तु उसके द्वारा अपने पद से संबंधित कार्य के निष्पादन में उस समय तक किये गये कार्य ऐसी घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे।

(3) नगरपालिका का, या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी भी समिति का, कोई भी संकल्प किसी सदस्य पर नोटिस की तामील में हुई किसी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा, बशर्त कि ऐसी अनियमितता का नगरपालिका या समिति की कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो।

(4) जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं किया जाये, नगरपालिका या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति की प्रत्येक बैठक, जिसकी कार्यवाही के संबंध में कोई कार्यवृत्त इस अधिनियम के अनुसार तैयार और हस्ताक्षरित किया गया है, सम्यक् रूप से बुलायी और आयोजित की गयी समझी जायेगी और उस बैठक के समस्त सदस्य सम्यक् रूप से अर्हित समझे जायेंगे और जहां ऐसी कार्यवाहियां किसी समिति की कार्यवाहियां हो वहां ऐसी समिति सम्यक् रूप से गठित की गयी और कार्यवृत्त में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कार्यवाही करने की शक्ति रखने वाली समझी जायेगी।

(5) नगरपालिका या समिति में किसी रिक्ति के दौरान पदारूढ सदस्य इस प्रकार कार्य करते रहेंगे मानो कोई रिक्ति नहीं हुई हो।

63. नगरपालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चों तथा व्ययों के लिए साधारणतः नगरपालिक निधि का दायी होना.— (1) इसमें अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य, नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से की गयी किसी संविदा या करार के संबंध में या उपगत किसी व्यय के लिए वैयक्तिक रूप से दायी नहीं होगा और नगरपालिक निधि ऐसी किसी भी संविदा या करार से संबंधित समस्त लागतों तथा ऐसे समस्त व्ययों के लिए दायी और उनसे भारित होगी।

(2) प्रत्येक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, नगरपालिका के स्वामित्वाधीन या उसमें निहित किसी धन या अन्य सम्पत्ति के दुर्विनियोग के लिए, जिसमें वह पक्षकार रहा है, तथा ऐसे धन या सम्पत्ति की किसी हानि या दुर्व्यय के लिए, जो उसके अवचार के कारण हुआ है या जिसको उसके अवचार ने सुकर बनाया है, दायी होगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, मुख्य नगरपालिक अधिकारी या अन्य अधिकारी या व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कार्यपालक शक्तियां प्रदत्त की जायें, ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुर्विनियोग के लिए दायी होगा, यदि वह उसकी उपेक्षा का सीधा परिणाम है या उसके अवचार के कारण हुआ है या जिसे उसके अवचार ने सुकर बनाया है।

64. नगरपालिका के पदधारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना.— कोई भी व्यक्ति, जो किसी नगरपालिका के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गयी किसी संविदा में या किसी नगरपालिका के साथ, उसके अधीन, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी नियोजन में नगरपालिक अधिकारी या कर्मचारी से भिन्न हैसियत से, स्वयं या अपने भागीदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा या हित रखता हो, समुचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई का भागी होगा।

65. नगरपालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए शास्ति.— (1) कोई भी सदस्य, जो किसी नगरपालिका, जिसका कि वह सदस्य है, के साथ, उसके अधीन, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी संविदा या नियोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा हिस्सा या हित जानबूझकर अर्जित करता है, जो ऐसा हिस्सा या हित नहीं है, जो धारा 24 के अधीन किसी व्यक्ति के लिए तद्वारा सदस्यता के लिए निरर्हित हुए बिना रखा जाना अनुज्ञेय है, किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

(2) कोई भी नगरपालिक अधिकारी या कर्मचारी जो किसी नगरपालिका, जिसका वह अधिकारी या कर्मचारी है, के साथ, उसके अधीन, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा में या, जहां तक नगरपालिक अधिकारी या कर्मचारी के रूप में उसके स्वयं के नियोजन का संबंध है, उसके सिवाय, किसी नियोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी हिस्सा या हित जानबूझकर अर्जित करता है, किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का दायी होगा, जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा और उस पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई के लिए भी दायी होगा।

66. **सदस्य आदि लोक सेवक समझे जायेंगे.**—नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य, अधिकारी, सेवक या नगरपालिका का कर्मचारी तथा किसी नगरपालिक कर के उद्ग्रहण का प्रत्येक पट्टेदार और ऐसे किसी भी पट्टेदार का प्रत्येक सेवक या अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

अध्याय 4

नगरपालिक सम्पत्ति

67. **सम्पत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति.**— इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, नगरपालिका को, नगरपालिक क्षेत्र की सीमाओं के चाहे भीतर या बाहर, दान द्वारा, क्रय द्वारा या अन्यथा जंगम तथा स्थावर सम्पत्तियां या उनमें कोई हित अर्जित करने और उन्हें धारित करने की शक्ति होगी।

68. **सम्पत्ति का निहित होना.**— (1) इस धारा में इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट स्वरूप की सम्पूर्ण सम्पत्ति, जो राज्य सरकार द्वारा

विशेष रूप से आरक्षित नहीं की गयी हो, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रहते हुए, नगरपालिका में निहित होगी और नगरपालिका की होगी, तथा ऐसी सम्पूर्ण अन्य सम्पत्ति सहित, चाहे वह किसी भी स्वरूप या प्रकार की हो, जो विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा आरक्षित नहीं की गयी हो, जो नगरपालिका में निहित हो जाये, उसके निदेश, प्रबन्ध और नियंत्रण के अधीन होगी तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और प्रयोजन के लिए उसके द्वारा न्यासी के रूप में धारित और उपयोजित की जायेगी, अर्थात्:—

(क) समस्त निहित सार्वजनिक भूमि;

(ख) नगर या कस्बे के समस्त सार्वजनिक परकोटे, द्वार, बाजार, वधशालाएं, खाद और विष्टा के डिपो तथा प्रत्येक प्रकार के सार्वजनिक भवन जो नगरपालिक निधि से निर्मित किये गये हैं या संधारित किये जाते हैं;

(ग) समस्त सार्वजनिक तालाब, जल-धाराएं, जलाशय, कुण्ड, झरने, जलसेतु, नलिकाएं, सुरंगें, पाइप और पम्प; तथा समस्त पुल, भवन, इंजन, संकर्म, इनमें संबंधित या उनसे सम्बद्ध सामग्री तथा वस्तुएं तथा किसी सार्वजनिक तालाब या कुएं से अनुलग्न कोई पार्श्वस्थ भूमि भी, जो निजी सम्पत्ति न हों;

(घ) किसी मार्ग में, उसके पार्श्वस्थ या उसके नीचे की समस्त सार्वजनिक मलनालियां और नालियां, जलसरणियां, सुरंगें, पुलियाएं और जलमार्ग;

- (ङ) समस्त सार्वजनिक मार्ग और पटरियां, तथा उन पर के पत्थर और अन्य सामग्री तथा ऐसे मार्गों में उपलब्ध कराये गये समस्त वृक्ष, परिनिर्माण, सामग्री, उपकरण तथा वस्तुएं;
- (च) सभी सार्वजनिक उद्यान और बाग, जिसमें चौक और सार्वजनिक खुली जगहें सम्मिलित हैं;
- (छ) नदियों या जल-धाराओं या तालाबों पर सभी सार्वजनिक घाट;
- (ज) ऐसी सरकारी भूमियां, जो नगरपालिक क्षेत्र के भीतर स्थित हों या बाहर, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नगरपालिका में निहित करे;
- (झ) समस्त सार्वजनिक लैंप, लैंपों के खम्भे, तथा उनसे संबंधित या उनसे सम्बद्ध उपकरण;
- (ञ) समस्त सरकारी भवन तथा समस्त निजी भूमियां और भवन जो उसको दान द्वारा या अन्यथा अन्तरित किये गये हैं;
- (ट) मृत शरीरों के निर्वर्तन के लिए समस्त सार्वजनिक स्थान, उनको छोड़कर जो इस निमित्त किसी विशेष विधि द्वारा शासित हैं;
- (ठ) सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर संगृहीत सभी ठोस अपशिष्ट, जिसमें मृत पशु और पक्षी सम्मिलित हैं; और
- (ड) सभी भटके हुए जानवर, जो किसी प्राईवेट व्यक्ति के नहीं हैं।

(2) राज्य सरकार, उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन नगरपालिका में निहित की गयी किसी भी सरकारी भूमि को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों पर, जो राज्य सरकार अवधारित करे, समय-समय पर पुनर्गृहीत करने के लिए सक्षम होगी,—

- (i) यदि जांच करने पर यह पाया जाये कि ऐसी नगरपालिका ने ऐसी भूमि का कुप्रबन्ध किया है, या
- (ii) यदि ऐसी भूमि राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अन्यथा अपेक्षित हो।

69. करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा सम्पत्ति का अर्जन.— (1) नगरपालिका ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जो उसके द्वारा अनुमोदित किये जायें और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से,—

- (i) करार द्वारा —
 - (क) कोई स्थावर सम्पत्ति, और
 - (ख) स्थावर संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई सुखाधिकार—

अर्जित कर सकेगी;

- (ii) विनिमय द्वारा कोई सम्पत्ति अर्जित कर सकेगी; और
- (iii) स्थावर सम्पत्ति भाड़े या पट्टे पर ले सकेगी।

(2) नगरपालिका दानदाता से ऐसा कोई अनुदान या समर्पण, चाहे वह किसी आय के रूप में हो या कोई जंगम या स्थावर संपत्ति, प्राप्त कर सकेगी जिससे नगरपालिका को अपने किन्हीं कृत्यों के निर्वहन में फायदा हो।

(3) नगरपालिका के लिए पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 (1920 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 14), या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882

(1882 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अधीन सृजित किसी न्यास का हितग्राही होना विधिपूर्ण होगा।

70. **भूमि का अनिवार्य अर्जन.**— जब कोई भूमि या भूमि में अधिकार, चाहे वह नगरपालिका की सीमाओं के भीतर हो या बाहर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो तो राज्य सरकार नगरपालिका के अनुरोध पर और उसकी ओर से भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के उपबंधों के अधीन उसे अर्जित करने की कार्यवाही करेगी और नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार को तदधीन अधिनिर्णीत मुआवजे और ऐसे अर्जन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपगत अन्य प्रभारों का संदाय करने पर भूमि या, यथास्थिति, अधिकार नगरपालिका में निहित हो जायेंगे।

71. **कतिपय भूमियों का आबंटन, नियमन आदि.**— (1) ऐसी समस्त भूमियां, जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-ख के अधीन खातेदारों के अभिधारण अधिकारों और हित के पुनर्ग्रहण या, यथास्थिति, अभ्यर्पण पर नगरपालिका के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी हैं, अधिमानतः ऐसे व्यक्तियों को, जो उक्त धारा 90-ख की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के आधार पर या, यथास्थिति, उक्त धारा 90-ख की उप-धारा (3) के अधीन उस व्यक्ति को जिसने भूमि अभ्यर्पित की है, कब्जा रखते हैं, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और आबंटन के लिए उनकी पात्रता की परीक्षा करने के पश्चात् और नगरपालिका को ऐसे प्रभारों या प्रीमियम या, यथास्थिति, दोनों के संदाय के अध्यक्षीन और ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जायें, आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होंगी:

परन्तु किसी भी ऐसी भूमि का आबंटन या नियमितीकरण नहीं किया जायेगा जिसको सार्वजनिक उपयोगिताओं या सेवाओं, जैसे उद्यानो

पौधशाला, सिविल या सैन्य विमानन, बस अड्डे, परिवहन टर्मिनल, रेलवे, सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों, फुटपाथ, मल प्रवाह, जलप्रदाय, विद्युत् प्रदाय, टेलीफोन लाइनों, अस्पताल, विद्यालय, शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालय, श्मशान घाट, कब्रिस्तान के लिए और अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सम्यक् रूप से चिह्नित किया गया है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन वसूल किये गये प्रभार राज्य की संचित निधि और नगरपालिका की निधि में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाये, जमा किये जायेंगे।

72. नगरपालिक संकर्मों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा और ऐसे संकर्मों के लिए संदाय.— धारा 82 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका की ओर से किसी संकर्म के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, ऐसे नियन्त्रण के अध्यक्षीन रहते हुए, जो राज्य सरकार विहित करे, ऐसे संकर्म के लिए रखी गयी राशि की सीमा तक, ऐसी संविदाएं कर सकेगा जो ऐसे संकर्म के निष्पादन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों; और नगरपालिका इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को ऐसी राशियों का, जो उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित हों, उपर्युक्त सीमा तक संदाय करेगी।

73. सम्पत्ति के अन्तरण और संविदाओं के संबंध में उपबन्ध.— (1) प्रत्येक नगरपालिका, विहित निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, अपनी किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जिसमें नगरपालिक भूमि या कोई सरकारी भूमि भी सम्मिलित है, पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आबंटित करने या अन्यथा अन्तरित करने और जहां तक इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों और प्रयोजनों से असंगत नहीं हों, ऐसी समस्त संविदाएं, जिन्हें उक्त उपबन्धों और प्रयोजनों

के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे, करने या उनका पालन करने के लिए सक्षम होगी:

परन्तु—

- (i) ऐसा कोई भी पट्टा, विक्रय, नियमन, आबंटन या अन्तरण और संविदा किसी नगरपालिका पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगी, जब तक कि वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुरूप न हो;
- (ii) किसी भी सरकारी भूमि के बारे में कोई भी पट्टा, विक्रय, नियमन, आबंटन या अन्तरण या उसके बारे में कोई अन्य संविदा तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि उसकी पुष्टि विहित प्राधिकारी द्वारा, विहित रीति से और विहित शर्तों पर न कर दी जाये।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति “सरकारी भूमि” से ऐसी कोई भूमि अभिप्रेत है,—

- (क) जो धारा 68 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन नगरपालिका में निहित हो गयी हो; या
- (ख) जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 3 में यथा-परिभाषित नजूल भूमि है; या
- (ग) जो राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के व्ययनाधीन रखी जाये।

(2) (क) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी नगरपालिका या किसी नगरपालिका के अध्यक्ष या अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किसी नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आबंटित करने या

अन्तरित करने के लिए किये गये किसी प्रस्ताव की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत अभिलेख मंगवा सकेगा और ऐसा करते समय यह निदेश दे सकेगा कि मामले के परीक्षण होने तक, नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आबंटित करने या अन्तरित करने का प्रस्ताव प्रास्थगित रहेगा और उप-धारा (2) (ख) के अधीन राज्य सरकार का या प्राधिकृत अधिकारी का विनिश्चय होने तक उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(ख) यदि अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् और इस प्रकार के प्रस्ताव में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आबंटित करने या अन्तरित करने का प्रस्ताव इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं है या उनका उल्लंघन करता है, तो वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उस नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आबंटित करने या अन्तरित करने के लिए किये गये प्रस्ताव को या उसके अनुसरण में की गयी किसी कार्रवाई या कार्यवाही को पूर्णतः या भागतः उपान्तरित, रद्द या विखंडित कर सकेगा या ऐसा कोई भी अन्य निदेश दे सकेगा, जो वह उचित समझे।

(3) जहां किसी नगरपालिका द्वारा या किसी नगरपालिका के अध्यक्ष या अधिकारी द्वारा इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में दिये गये किसी पट्टे, किये गये विक्रय, आबंटन, अन्तरण या किसी अन्य संविदा के अनुसरण में किसी व्यक्ति ने किसी नगरपालिक भूमि या सरकारी भूमि का कब्जा ले लिया हो वहां ऐसा व्यक्ति राजस्थान लोक परिसर (अनधिकृत

अधिभोगी की बेदखली) अधिनियम, 1964 (1965 का अधिनियम सं. 2) के अर्थान्तर्गत अनधिकृत अधिभोगी समझा जायेगा और ऐसी भूमि से बेदखल किये जाने तथा उसके उपयोग और अधिभोग के लिए किराये या नुकसानी के संदाय के बारे में उक्त अधिनियम के अधीन समस्त दायित्वों के लिए दायी होगा, जब तक कि उक्त अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे पट्टे, विक्रय, आबंटन, अन्तरण या संविदा की पुष्टि विहित रीति से न कर दी जाये:

परन्तु जहां किसी ऐसे पट्टे, विक्रय, आबंटन, अन्तरण या संविदा की यथापूर्वोक्त रूप से पुष्टि नहीं कर दी गयी हो, वहां ऐसे पट्टे, विक्रय, आबंटन, अन्तरण या संविदा के लिए नगरपालिका, नगरपालिका के अध्यक्ष या अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिफल, यदि कोई हो, ऐसी भूमि से बेदखल किये गये व्यक्ति को प्रतिदत्त कर दिया जायेगा।

74. स्थावर नगरपालिक सम्पत्ति की तालिका और मानचित्र.— (1) नगरपालिका उन समस्त स्थावर सम्पत्तियों की, जो उसमें निहित हैं या उससे संबंधित हैं या उसके द्वारा अर्जित की गयी हैं, एक तालिका और मानचित्र संधारित करेगी। आदिनांकित तालिकाएं और मानचित्र की प्रतियां इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर-भीतर प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करवायी जायेंगी।

(2) मुख्य नगरपालिक अधिकारी, किसी स्थावर सम्पत्ति की तालिका के मामले में उक्त तालिका में परिवर्तनों, यदि कोई हों, को उपदर्शित करते हुए एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा और उसे नगरपालिका के समक्ष रखेगा और उसकी एक प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय को भी भेजेगा।

75. नगरीय भूमि और सम्पत्तियों के अभिलेखों का संधारण.— नगरपालिका, अन्य सम्बन्धित विभागों, या यथास्थिति, प्राधिकारी के परामर्श

से, नगरपालिक क्षेत्र के भीतर स्थित नगरीय भूमि और निजी सम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए समस्त सम्पत्तियों का एक अभिलेख, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, तैयार कर सकेगी, संधारित कर सकेगी और नियमित रूप से आदिनांकित कर सकेगी।

अध्याय 5

नगरपालिक वित्त और नगरपालिक निधि

76. राज्य वित्त आयोग.— (1) राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और —

- (क) (i) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के, जो राज्य और नगरपालिकाओं के बीच विभाजित किये जायें, उनके बीच वितरण को और सभी स्तरों की नगरपालिकाओं के बीच ऐसे आगमों के उनके भाग के आबंटन को;
 - (ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी;
 - (iii) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के सहायता-अनुदान को,
शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में;
- (ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में; और
- (ग) नगरपालिका की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के हित में राज्य वित्त आयोग को निर्दिष्ट किये गये किसी भी अन्य विषय के बारे में,

राज्यपाल को सिफारिश करेगा।

(2) राज्य वित्त आयोग द्वारा की गयी प्रत्येक सिफारिश, उस पर की गयी कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखी जायेगी।

77. **राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन.**—राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, राज्य सरकार—

- (क) करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का नगरपालिकाओं को न्यागमन,
- (ख) करो, शुल्कों, पथकरों और फीसों का नगरपालिकाओं को समनुदेशन,
- (ग) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं को सहायता-अनुदान की मंजूरी, और
- (घ) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अपेक्षित अन्य अध्यापयों,

का अवधारण करेगी।

78. **राज्य सरकार से वित्तीय सहायता.**— (1) राज्य सरकार समय-समय पर नगरपालिका को अनुदान या वित्तीय सहायता, उस रीति, जिसमें ऐसे अनुदान या वित्तीय सहायता का उपयोग किया जायेगा, के बारे में निदेश सहित या उसके बिना, प्रदान कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार ऐसे अनुदान या सहायता देने के लिए एक स्कीम अधिकथित कर सकेगी जिसमें ऐसे अनुदान या सहायता जारी किये जाने की शर्तें सम्मिलित हो सकेंगी और इसमें उक्त प्रयोजन के लिए नगरपालिकाओं के विभिन्न वर्गों में विभाजन का उपबंध हो सकेगा।

(3) राज्य सरकार नगरपालिका को नगरपालिका की वार्षिक विकास योजना में सम्मिलित किसी स्कीम के सम्पूर्ण या भागतः क्रियान्वयन के लिए अनुदान दे सकेगी।

79. **नगरपालिक निधि.**— (1) नगरपालिक निधि के नाम से एक निधि होगी जिसे नगरपालिका द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए न्यासतः धारित किया जायेगा और इस अधिनियम के अधीन वसूल किया गया या वसूल करने योग्य समस्त धन और नगरपालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त समस्त धन उसमें जमा किया जायेगा।

(2) ऐसे निदेशों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो राज्य सरकार इस निमित्त जारी करे, नगरपालिका की प्राप्तियां और व्यय ऐसे लेखा शीर्षों, जिनमें जल-निकास और मल-वहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, सड़क विकास और रख-रखाव, गन्दी बस्ती सेवाएं, वाणिज्यिक परियोजनाएं सम्मिलित हैं और अन्य लेखा शीर्षों, जो विहित किये जायें, तथा साधारण लेखा शीर्ष, के अन्तर्गत ऐसी रीति से, और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किये जायें, रखे जायेंगे, ताकि इस अधिनियम के अधीन उपयोक्ता प्रभारों का अधिरोपण और किसी भी सहायकी प्रतिवेदन की तैयारी सुकर हो सके।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए “वाणिज्यिक परियोजनाओं” में नगरपालिक बाजार, बाजार विकास परियोजनाएं, सम्पत्ति विकास परियोजनाएं और वाणिज्यिक प्रकृति की ऐसी अन्य परियोजनाएं, जो नगरपालिका द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायें, सम्मिलित होंगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक लेखा शीर्ष राजस्व लेखा और पूंजी लेखा में विभाजित किया जायेगा और प्राप्तियों और व्ययों की समस्त मदों को ऐसे राजस्व लेखा या, यथास्थिति, पूंजी लेखा के अधीन समुचित रूप से रखा जायेगा।

80. **नगरपालिक निधि का उपयोग.**— नगरपालिक निधि में समय-समय पर जमा किये गये धन का उपयोग इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और उप-विधियों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समस्त राशियों, प्रभारों और लागतों के संदाय के

लिए और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नगरपालिक निधि में से संदेय समस्त राशियों के संदाय के लिए किया जायेगा।

81. नगरपालिक निधि में से तब तक संदाय नहीं किया जाना, जब तक कि वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो.— नगरपालिक निधि में से किसी राशि का कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ऐसा व्यय चालू बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो और ऐसे बजट अनुदान का पर्याप्त अतिशेष, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसमें किसी कमी या उसके अंतरण के होते हुए भी, उपलब्ध नहीं हो:

परन्तु यह धारा निम्नलिखित मामलों में किसी संदाय पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:—

- (क) कर और अन्य धन, जो इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत हैं, का प्रतिदाय;
- (ख) संविदाकारों या अन्य व्यक्तियों से संबंधित और निक्षेप में धारित धन और नगरपालिका द्वारा भूलवश संगृहीत या नगरपालिक निधि में निक्षिप्त समस्त धन का प्रतिसंदाय,
- (ग) राज्य सरकार द्वारा लोकहित में तत्काल अपेक्षित संकर्मों के लिए अस्थायी संदाय,
- (घ) खतरनाक रोगों के फैलने पर, प्राकृतिक या प्रौद्योगिक खतरों के होने पर या किसी अन्य अत्यावश्यक मामले में नगरपालिका द्वारा विशेष उपायों पर उपगत व्यय,
- (ङ) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों के अधीन प्रतिकर के रूप में संदेय राशियां,
- (च) (i) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित कोई कार्रवाई करने में

नगरपालिका के विफल होने पर राज्य सरकार के आदेशों के अधीन, या

- (ii) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, या
- (iii) नगरपालिका के विरुद्ध किसी सिविल या दाण्डिक न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन, या
- (iv) किसी दावे, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही के समझौते के अधीन, या
- (v) नगरपालिका की सम्पत्ति या मानव जीवन को हुए अचानक भय या खतरे को टालने के लिए किसी भी नगरपालिक प्राधिकारी द्वारा तुरन्त कार्रवाई करने में उपगत व्यय के मद्धे या—
- (vi) वेतन और मजदूरी के मद्धे,

संदेय राशियां, और

(छ) ऐसे अन्य मामले, जिन्हें उप-विधियों द्वारा अवधारित किया जाये।

82. लोकहित में तत्काल अपेक्षित संकर्मों के लिए नगरपालिक निधि में से अस्थायी संदाय.—(1) राज्य सरकार द्वारा लिखित अध्यपेक्षा पर, नगरपालिका किसी भी समय, मुख्य नगरपालिक अधिकारी से, ऐसे किसी कार्य के निष्पादन की, जिसे राज्य सरकार ने लोकहित में तत्काल अपेक्षित संकर्म के रूप में प्रमाणित किया हो और इस प्रयोजन के लिए ऐसे कार्य के लिए नगरपालिक निधि में से संदाय की, जहां तक कि ऐसा संदाय नगरपालिका के नियमित कार्य में किसी असम्यक् हस्तक्षेप के बिना किया जा सकता हो, अपेक्षा कर सकेगी।

(2) इस प्रकार निष्पादित समस्त कार्यों की लागत और ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए आनुपातिक स्थापन प्रभार राज्य सरकार द्वारा संदत्त

किये जायेंगे और नगरपालिक निधि में जमा किये जायेंगे।

83. **नगरपालिका की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति.**—इस अध्याय में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नगरपालिका, राज्य सरकार के अनुमोदन से, नगरपालिक क्षेत्र की सीमाओं के बाहर, नगरपालिका के मुख्य कृत्यों से संबंधित भौतिक आस्तियों का सृजन करने और उनके रख-रखाव के लिए ऐसे नगरपालिक क्षेत्र की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी।

84. **विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिक निधि का अनन्य उपयोग.**—(1) इस अध्याय में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार, आदेश द्वारा नगरपालिका से नगरपालिक निधि के किसी विशिष्ट भाग को, या किसी विशिष्ट अनुदान या उसके भाग को, या किसी लेखा शीर्ष के अधीन प्राप्ति की किसी मद या उसके किसी प्रतिशत को, या इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका को समनुदेशित करों, शुल्कों और जुर्मानों से भिन्न नगरपालिका द्वारा प्राप्य कर के किसी अंश या उसके किसी भाग को, नगरपालिक कृत्यों से संबंधित किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, अनन्य रूप से उपयोग में लेने के लिए चिह्नित करने की अपेक्षा कर सकेगी और तदनुसार कार्य करना नगरपालिका का कर्तव्य होगा।

(2) राज्य सरकार, उप-धारा (1) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, विभिन्न वर्गों की नगरपालिकाओं के लिए नियम बना सकेगी।

85. **लेखाओं का प्रचालन.**— इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, नगरपालिक निधि में से संदाय ऐसी रीति से किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में विहित हो।

86. **अधिशेष धन का विनिधान.**—(1) नगरपालिक निधि के लेखा शीर्षों में से किसी में जमा अधिशेष धन, जिसकी नगरपालिका द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या तो तुरन्त ही या शीघ्र ही उपयोग में लिए जाने की आवश्यकता नहीं हो, नगरपालिका द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार नगरपालिक निधि के किसी अन्य लेखा शीर्ष में, या तो पूर्णतः या भागतः, अंतरित किये जा सकेंगे:

परन्तु नगरपालिक निधि के वाणिज्यिक परियोजना लेखा में जमा ऐसा अधिशेष धन नगरपालिक निधि के सामान्य लेखा में अन्तरित नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे अधिशेष धन को, जिसको उप-धारा (1) के अधीन अंतरित नहीं किया गया है, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्रतिभूतियों या लघु बचत स्कीमों में विनियोजित किया जा सकेगा या ऐसे अनुसूचित बैंक में, जो नगरपालिका द्वारा अवधारित किया जाये, ब्याज पर जमा कराया जा सकेगा।

(3) यथापूर्वोक्त विनिधान से उद्भूत लाभ या हानि, यदि कोई हो, उस खाते में, जिससे ऐसा लाभ या हानि संबंधित है, जमा या, यथास्थिति, विकलित किया जायेगा।

87. **नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना.**—(1) मुख्य नगरपालिक अधिकारी प्रत्येक वर्ष में पन्द्रह जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और साथ ही नगरपालिका की स्थापन अनुसूची तैयार करेगा, और ऐसा बजट प्राक्कलन नगरपालिका की वास्तविक आय और व्यय का प्राक्कलन होगा। तथापि, अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करने से पूर्व, वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(2) धारा 4 और धारा 79 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, बजट प्राक्कलन विभिन्न लेखा शीर्षों के सम्बन्ध में

नगरपालिका की प्राप्त की जाने वाली आय और उपगत किये जाने वाले व्यय को पृथक्-पृथक् वर्णित करेगा:

परन्तु राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, बजट में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किया जायेगा:-

- (i) नये पदों का सृजन या रिक्त पदों को भरना;
- (ii) नये यान का क्रय;
- (iii) स्थावर सम्पत्ति का क्रय;
- (iv) किसी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान देना; या
- (v) किसी अन्य मामले के लिए जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निदिष्ट किया जाये।

(3) बजट प्राक्कलन उन दरों को वर्णित करेगा, जिन पर अगले वर्ष में नगरपालिका द्वारा विभिन्न कर, अधिभार, उपकर और फीस उद्गृहीत की जायेगी।

(4) बजट प्राक्कलन अगले वर्ष के दौरान उधार के रूप में ली जाने वाली धनराशि को वर्णित करेगा।

(5) अध्यक्ष, ऐसी तारीख को, जो प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी के पश्चात् की न हो, जिसे कार्यपालक समिति द्वारा नियत किया जाये, नगरपालिका को बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा और उसे प्रत्येक वर्ष की 15 फरवरी से पहले नगरपालिका द्वारा पारित किया जायेगा।

(6) बजट प्राक्कलन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तैयार, प्रस्तुत और अंगीकृत किया जायेगा, और ऐसे मामलों के लिए उपबंध करेगा, जो विहित किये जायें।

(7) धारा 74 की उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गयी वार्षिक तालिका और धारा 150 की उप-धारा (1) के अधीन तैयार किया गया विवरण बजट प्राक्कलन के साथ संलग्न किया जायेगा।

88. **नगरपालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी.**— नगरपालिका बजट प्राक्कलन पर विचार करेगी और प्रत्येक वर्ष फरवरी के पन्द्रहवें दिवस तक, ऐसे परिवर्तनों के साथ, जिन्हें वह आवश्यक समझे, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी और उसकी प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और यदि बजट प्राक्कलनों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय हो कि नगरपालिका के हित में बजट प्राक्कलनों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तो वह परिवर्तन करने के लिए नगरपालिका को निदिष्ट कर सकेगी और ऐसे निदेश नगरपालिका पर बाध्यकारी होंगे।

89. **बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति.**—नगरपालिका किसी वित्तीय वर्ष के दौरान समय-समय पर—

(क) किसी भी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम बढ़ा सकेगी,

(ख) उक्त वर्ष के दौरान किसी विशेष या अप्रत्याशित आवश्यकता को पूर्ण करने के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त बजट अनुदान कर सकेगी,

(ग) किसी एक शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम या उसके भाग को किसी अन्य शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम में अंतरित कर सकेगी, या

(घ) किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम घटा सकेगी:

परन्तु वित्त समिति की सिफारिश के बिना खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन कुछ भी नहीं किया जायेगा।

अध्याय 6

लेखा और संपरीक्षा

90. **लेखाओं का संधारण.**—मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगरपालिका की प्राप्तियों और व्ययों के लेखे ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाये, तैयार और संधारित करेगा।

91. **नगरपालिक लेखा निर्देशिका का तैयार किया जाना.**—राज्य सरकार नगरपालिक लेखा निर्देशिका के नाम से जानी जाने वाली एक निर्देशिका तैयार और संधारित करेगी, जिसमें नगरपालिका से संबंधित समस्त वित्तीय मामलों और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे।

92. **वित्तीय विवरण और तुलनपत्र.**—(1) मुख्य नगरपालिक अधिकारी किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर—भीतर, एक वित्तीय विवरण, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए नगरपालिका के लेखाओं के संबंध में आय और व्यय का लेखा तथा प्राप्तियां और संदाय का लेखा हो और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए नगरपालिका की आस्तियों और दायित्वों का एक तुलनपत्र तैयार करवायेगा।

(2) वित्तीय विवरण और तुलनपत्र का प्ररूप और रीति, जिसमें वित्तीय विवरण और तुलनपत्र तैयार किया जायेगा, ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

93. **वित्तीय विवरण और तुलनपत्र का लेखा संपरीक्षक को प्रस्तुत किया जाना.**— वित्तीय विवरण और तुलनपत्र मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा वित्त समिति के समक्ष रखे जायेंगे, जो उनकी परीक्षा करने के पश्चात् उन्हें अंगीकार करेगी और उन्हें संपरीक्षक को प्रेषित करेगी।

94. **लेखाओं की संपरीक्षा.**— (1) वित्तीय विवरण और तुलनपत्र में यथा—अन्तर्विष्ट नगरपालिक लेखाओं की परीक्षा और संपरीक्षा स्थानीय निधि संपरीक्षा के संपरीक्षकों द्वारा राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा

अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(2) भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, राज्य सरकार के अनुरोध पर, नगरपालिकाओं के लेखाओं के उचित संधारण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा सकेगा।

(3) मुख्य नगरपालिक अधिकारी संपरीक्षक को ऐसे और लेखे प्रस्तुत करेगा, जिनकी उसके द्वारा अपेक्षा की जाये।

(4) संपरीक्षक या उसका अधीनस्थ अधिकारी लेखाओं की इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल किसी मद की रिपोर्ट वित्त समिति को कर सकेगा।

(5) वित्त समिति यथासम्भव शीघ्र संपरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करेगी और, यदि आवश्यक हो, तो उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी, और, यदि आवश्यक हो, तो किसी अवैध संदाय की रकम को ऐसे संदाय करने वाले या प्राधिकृत करने वाले किसी व्यक्ति पर अधिभारित भी करेगी, और किसी व्यक्ति की उपेक्षा या अवचार के कारण किसी रकम में उपगत किसी कमी या हानि की रकम या ऐसी कोई भी रकम, जो किसी व्यक्ति द्वारा लेखाओं में लायी जानी चाहिए थी, किन्तु नहीं लायी गयी हो, उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर भारित करेगी और प्रत्येक ऐसे मामले में ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को प्रमाणित करेगी:

परन्तु प्रमाणित राशियों के संदाय के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अपील कर सकेगा, जिसका ऐसी अपील पर विनिश्चय अंतिम होगा।

95. नगरपालिका के समक्ष संपरीक्षित लेखाओं का रखा जाना.—

(1) मुख्य नगरपालिक अधिकारी संपरीक्षित वित्तीय विवरण, तुलनपत्र और संपरीक्षक की रिपोर्ट तथा उसकी टिप्पणियां वित्त समिति के समक्ष रखेगा,

जो उनकी जांच करने के पश्चात् उन्हें अपनी टिप्पणियों, यदि कोई हों, के साथ नगरपालिका के समक्ष रखेगी।

(2) मुख्य नगरपालिक अधिकारी किसी त्रुटि को, जो संपरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में इंगित की गयी हो, दूर करेगा और संपरीक्षकों द्वारा इंगित आक्षेपों और त्रुटियों का जवाब नगरपालिका के समक्ष रखेगा।

96. **संपरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करना.**—(1) मुख्य नगरपालिक अधिकारी वित्तीय विवरण और तुलनपत्र तथा संपरीक्षक की रिपोर्ट, यदि कोई हो, को नगरपालिका द्वारा अंगीकार करने के पश्चात्, उसे नगरपालिका द्वारा उस पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार को भेजेगा।

(2) यदि संपरीक्षक और नगरपालिका की राय में कोई अन्तर हो या यदि नगरपालिका युक्तियुक्त कालावधि के भीतर-भीतर संपरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित त्रुटियों या अनियमितताओं को दूर नहीं करती है, तो संपरीक्षक उस मामले को राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

97. **संपरीक्षा रिपोर्ट पर आदेश प्रवर्तित करने की राज्य सरकार की शक्ति.**—यदि इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी भी आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार के लिए ऐसे आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम उठाना, जो वह ठीक समझे, और यह निदेश देना कि उसके समस्त खर्च नगरपालिक निधि से अदा किये जायेंगे, विधिपूर्ण होगा।

98. **विशेष संपरीक्षा.**— वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा के अतिरिक्त, राज्य सरकार या नगरपालिका, यदि वह ठीक समझे, गहन परीक्षा की अपेक्षा रखने वाली विनिर्दिष्ट मद या मदों की श्रृंखला से संबंधित विशेष संपरीक्षा करने के लिए कोई संपरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और संपरीक्षा

से सम्बन्धित प्रक्रिया, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसी विशेष संपरीक्षा पर लागू होगी।

99. **आंतरिक संपरीक्षा.**— राज्य सरकार या नगरपालिका, नगरपालिका के दैनिक लेखाओं की आंतरिक संपरीक्षा के लिए विहित रीति में उपबंध कर सकेगी।

100. **वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट.**— (1) नगरपालिका प्रतिवर्ष अप्रैल के प्रथम दिवस के पश्चात् यथाशीघ्र और 30 जून के अपश्चात् तक पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान के प्रशासन पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसे ब्यौरों सहित, जिसका राज्य सरकार निदेश दे, राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(2) मुख्य नगरपालिक अधिकारी, रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे नगरपालिका के समक्ष विचार के लिए रखेगा और उस पर नगरपालिका के संकल्प के साथ उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(3) रिपोर्ट ऐसी रीति से प्रकाशित की जा सकेगी, जिसका नगरपालिका निदेश दे।

अध्याय 7

नगरपालिक राजस्व

101. **नगरपालिका का आंतरिक राजस्व.**—नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित स्रोतों से उसकी प्राप्तियां सम्मिलित होंगी, अर्थात्:—

(क) नगरपालिका द्वारा उद्गृहीत कर,

(ख) नागरिक सेवाओं की व्यवस्था के लिए नगरपालिका द्वारा उद्गृहीत उपयोक्ता प्रभार, और

(ग) विनियामक और अन्य कानूनी कृत्यों के अनुपालन के लिए उद्गृहीत फीसों और जुर्माने।

102. **बाध्यकारी कर.**— (1) धारा 4 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक नगरपालिका ऐसी दर पर और ऐसी तारीख से, जिसके लिए राज्य सरकार प्रत्येक मामले में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदिष्ट

करे, और ऐसी रीति से, जो इस अधिनियम में अधिकथित की गयी है और जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों में उपबन्धित की जाये, निम्नलिखित कर उद्गृहीत कर सकेगी और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो उद्गृहीत करेगी अर्थात्:-

- (क) इकाई क्षेत्र आधारित प्रणाली द्वारा या किसी अन्य प्रणाली द्वारा, नगरपालिक सीमाओं के भीतर स्थित भूमियों और भवनों पर कर;
- (ख) वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर;
- (ग) नगरपालिका के स्वामित्व वाली या उसकी निधियों से निर्मित सड़कों, पुलों और घाटों पर पथकर;
- (घ) ऐसे व्यवसाय और उद्योग, जो नगरपालिक सीमाओं के भीतर पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत हैं, से प्रदूषण नियंत्रण के लिए कर;
- (ङ) सार्वजनिक स्थान पर या निजी भूमि या भवन पर अनुज्ञेय संप्रदर्शन या विज्ञापन पर कर;
- (च) कोई अन्य कर जिसे भारत के संविधान के अधीन अधिरोपित करने की राज्य सरकार को शक्ति हो :

परन्तु किसी नगरपालिका द्वारा और उसके अनुरोध पर किये गये किसी अभ्यावेदन पर राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसी परिस्थितिया विद्यमान हैं कि किसी नगरपालिका के लिए इस धारा में उल्लिखित करों में से किसी भी कर का उद्ग्रहण नहीं करने, या उसका उद्ग्रहण बन्द करने, या उसकी दर कम करने का पर्याप्त औचित्य है तो ऐसा आदेश करने के कारणों सहित, राजपत्र में प्रकाशित विशेष आदेश द्वारा उस नगरपालिका को ऐसे किसी भी कर का उद्ग्रहण नहीं करने या

उसका उद्ग्रहण बन्द करने, या उसकी दर कम करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

(2) विभिन्न नगरपालिकाओं की परिवर्तनशील स्थानीय दशाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न दरों पर करों के उद्ग्रहण के लिए उप-धारा (1) के अधीन निदेश दिये जा सकेंगे, और उन्हीं तर्कों तथा वैसे ही निदेश द्वारा, राज्य सरकार उद्गृहीत करों की दरों को विभिन्न नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में समय-समय पर एक समान रूप से या भिन्न-भिन्न रूप से परिवर्तित कर सकेगी।

103. अन्य कर जो अधिरोपित किये जा सकेंगे.—(1) राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेशों के अध्यक्षीन रहते हुए, कोई नगरपालिका उसके सम्पूर्ण या किसी भी भाग में, जिसके लिए उसकी स्थापना की गयी है, निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी कर का अधिरोपण और उद्ग्रहण कर सकेगी, अर्थात्:—

- (i) नगरपालिका के भीतर चलाये जाने वाले यानों पर कर;
- (ii) नगरपालिका के भीतर लंगर डालने वाली नौकाओं पर कर;
- (iii) रोशनी कर;
- (iv) सभाओं पर कर;
- (v) तीर्थयात्रियों और पर्यटकों पर कर;
- (vi) विज्ञापन के लिए होर्डिंग या कोई अन्य संरचना परिनिर्मित करने के लिए उपयोग में ली गयी भूमि या भवन पर कर;
- (vii) अग्नि कर;
- (viii) किसी गैर-आवासीय भवन में पार्किंग स्थानों में की न्यूनता पर कर;
- (ix) स्टाम्प शुल्क पर, स्टाम्प शुल्क के आधे प्रतिशत से अनधिक की दर पर, अधिभार;

(x) कोई भी अन्य कर जिसे अधिरोपित करने की शक्ति राज्य सरकार को संविधान के अधीन है।

(2) इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे कर के अधिरोपण या उद्ग्रहण को प्राधिकृत नहीं करेगी या प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जायेगी, जिसको राज्य में अधिरोपित या उद्गृहीत करने की राज्य सरकार को संविधान के अधीन शक्ति नहीं है।

(3) इस धारा के अधीन करों का उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और उप-विधियों के उपबन्धों के अनुसार होगा।

104. **उपयोक्ता प्रभार उद्गृहीत करने की शक्ति.**— नगरपालिका,—

- (i) जल-निकास और मल-वहन की व्यवस्था,
- (ii) ठोस अपशिष्ट प्रबंध,
- (iii) विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न कालावधियों के लिए विभिन्न प्रकार के यानों की पार्किंग,
- (iv) किसी भी प्रकार के सन्निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत या ढहाने के कार्य के लिए सार्वजनिक मार्गों पर सामग्रियों या मलबे के ढेर, और
- (v) कोई अन्य नागरिक सेवा,

के लिए ऐसी रीति से और ऐसी दरों पर, जो समय-समय पर उसके द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अवधारित की जायें, उपयोक्ता प्रभार उद्गृहीत कर सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार नगरपालिका को यथापूर्वोक्त में से किसी भी उपयोक्ता प्रभार के उद्ग्रहण का निदेश दे सकेगी, जिसे नगरपालिका ने उद्गृहीत नहीं किया है या स्थगित कर दिया है।

105. **फीसों और जुर्माने उद्गृहीत करने की शक्ति.**— नगरपालिका को इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों द्वारा या उनके अधीन उसमें निहित विनियामक शक्तियों का प्रयोग करते हुए,—

- (क) भवन योजना की मंजूरी और पूर्ण किये जाने का प्रमाणपत्र जारी किये जाने,
- (ख) भूमियों और भवनों के विभिन्न गैर-आवासीय उपयोगों के लिए नगरपालिक अनुज्ञप्ति जारी किये जाने,
- (ग) (i) व्यावसायिकों के विभिन्न प्रवर्गों जैसे कि प्लम्बर और सर्वेक्षणकर्ता,
- (ii) विभिन्न क्रियाकलापों जैसे कि नलकूप लगाने, मांस, मछलियां या कुक्कुट उत्पादों का विक्रय करने, या वस्तुओं का खोमचा लगाने,
- (iii) विज्ञापन के लिए उपयोग में लिए जाने वाले स्थानों या निजी बाजारों, वधशालाओं, अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, कारखानों, भांडागारों, गोदामों, माल परिवहन डिपो, भोजनालयों, बासों, होटलों, नाट्यशालाओं, सिनेमाघरों के लिए प्रयुक्त परिसरों और लोक मनोरंजन के स्थलों और अन्य गैर-आवासीय उपयोगों,
- (iv) पशुओं,
- (v) छकड़ों या गाड़ियों, और

(vi) ऐसे अन्य क्रियाकलापों, जिन्हें इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा की आवश्यकता हो,

के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने; और

(घ) जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने, के लिए इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार फीसों और जुर्माने उद्गृहीत करने की शक्ति होगी।

106. विकास प्रभार उद्गृहीत करने की शक्ति.— (1)

नगरपालिका—

(क) चौदह मीटर से अधिक ऊँचाई के किसी आवासीय भवन पर, या किसी गैर-आवासीय भवन पर किसी विशिष्ट प्रवर्ग के मार्ग पर इसकी अवस्थिति, इसके उपयोग की विशेषताओं और मंजूर निर्मित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, और

(ख) किसी विकास योजना के अनुसार, या उस क्षेत्र की किसी उप-विभाजन योजना को अनुमोदित करते समय, किसी विद्यमान क्षेत्र के विकास या पुनर्विकास के लिए,

ऐसा विकास प्रभार उद्गृहीत कर सकेगी, जो समय-समय पर उप-विधियों द्वारा अवधारित किया जाये।

(2) ऐसा कोई भी विकास प्रभार अनुमोदित योजना या उप-विभाजन पर किसी भी क्रियाकलाप का आरम्भ करने के पूर्व विकासकर्ता द्वारा अग्रिम रूप से संदत्त किया जायेगा।

(3) किसी क्षेत्र के पुनर्विकास के मामले में, प्रभार सभी निवासियों और विकास के हिताधिकारियों द्वारा संदेय होंगे।

(4) नगरपालिका ऐसे विकास प्रभार का एक पृथक् लेखा रखेगी और उसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपयोजित नहीं करेगी।

107. **करारोपण से छूट**— (1) धारा 102 और 103 में विनिर्दिष्ट करों में से कोई भी कर नगरपालिका द्वारा नगरपालिका की या उसमें निहित किसी भी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

(2) धारा 102 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा धारा 103 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट करों में से कोई भी कर, ऐसी किन्हीं भी भूमियों, भवनों, यानों, वाहनों और नौकाओं के संबंध में, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के हों या उनमें निहित हों, उद्ग्रहणीय नहीं होगा:

परन्तु जब तक नगरपालिका द्वारा अन्य व्यक्तियों की वैसी ही सम्पत्तियों पर ऐसा कोई कर उद्ग्रहीत किया जाता रहे तब तक इस उप-धारा की कोई भी बात नगरपालिका को उस कर का उद्ग्रहण करने से नहीं रोकेगी जिसके लिए केन्द्रीय सरकार की कोई भूमियां, भवन, यान, वाहन, नौकाएं 26 जनवरी, 1950 के ठीक पूर्व दायी थे या दायी माने जाते थे:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार की या उसमें निहित कोई भी भूमि, भवन, यान, वाहन या नौका ऐसे किसी भी कर के संदाय से छूट प्राप्त रहेंगे यदि उनका उपयोग मात्र लोक प्रयोजनों के लिए ही किया जाता हो या किया जाना आशयित हो न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए।

(3) धारा 102 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कर ऐसी भूमियों और भवनों के संबंध में उद्ग्रहणीय नहीं होगा जिनका उपयोग मात्र सार्वजनिक पूजा-स्थलों के रूप में किया जाता है और जो नगरपालिका द्वारा इस रूप में सम्यक् रूप से मान्यताप्राप्त हैं।

(4) राज्य सरकार यदि उसकी राय में ऐसा करने के युक्तियुक्त आधार विद्यमान हों, तो इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय किसी कर के संदाय से, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी छूट मंजूर और परिनिश्चित कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

108. **कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया.**—नगरपालिका धारा 103 के अधीन कर का अधिरोपण करने के पूर्व, निम्नलिखित प्रारम्भिक प्रक्रिया का पालन करेगी, अर्थात्:—

(क) वह साधारण बैठक मे पारित संकल्प द्वारा धारा 103 में विनिर्दिष्ट करों में से किसी एक या अन्य कर का इस प्रयोजन के लिए चयन करेगी और कर विहित करने वाले नियमों का एक प्रारूप तैयार करेगी और ऐसे नियमों में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करेगी—

- (i) उन व्यक्तियों या सम्पत्ति अथवा दोनों के वर्ग, जिन्हें नगरपालिका दायी बनाने का प्रस्ताव करती है और कोई भी छूटें, जिन्हें देने का वह प्रस्ताव करती है,
- (ii) वह रकम या रेट जिस पर नगरपालिका प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को निर्धारित करने का प्रस्ताव करती है,
- (iii) भवनों या भूमियों या दोनों पर रेट के मामले में, प्रत्येक वर्ग के लिए मूल्यांकन का वह आधार, जिस पर ऐसी रेट अधिरोपित की जानी है, और
- (iv) ऐसे अन्य समस्त मामले जिनको उनमें विनिर्दिष्ट किये जाने की राज्य सरकार अपेक्षा करे;

(ख) जब ऐसा संकल्प पारित कर दिया गया हो तब नगरपालिका इस प्रकार तैयार किये गये प्रारूप-नियमों को प्रथम अनुसूची में दिये गये प्रारूप में एक नोटिस के साथ, प्रकाशित करेगी;

(ग) उक्त कर के अधिरोपण के या प्रस्तावित रकम या रेट के, या उसके दायी बनाये जाने वाले व्यक्तियों या सम्पत्ति के वर्गों के, या प्रस्तावित किसी छूट के सम्बन्ध में आपत्ति करने वाला नगरपालिका का कोई भी निवासी उक्त नोटिस के प्रकाशन से एक मास के भीतर-भीतर, नगरपालिका को अपनी लिखित आपत्ति भेज सकेगा, और वह नगरपालिका ऐसी समस्त आपत्तियों पर विचार करेगी, या उन पर विचार करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए किसी समिति को प्राधिकृत करेगी, और, जब तक कि वह प्रस्तावित कर को त्यागने का विनिश्चय न करे, विशेष संकल्प द्वारा ऐसी तारीख से कर के अधिरोपण का निदेश देगी जो संकल्प में विनिर्दिष्ट की जाये।

109. **कर का अधिरोपण आदि.**—(1) धारा 108 में निर्दिष्ट विशेष संकल्प पारित करने के पश्चात्, नगरपालिका नियत तारीख से कर का अधिरोपण राजपत्र में अधिसूचित करेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कर के अधिरोपण की अधिसूचना इस बात का निश्चायक सबूत होगी कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कर अधिरोपित कर दिया गया है:

परन्तु—

(क) वार्षिक रूप से उद्ग्रहणीय कर—

- (i) निम्नलिखित तारीखों में से किसी एक तारीख पर के सिवाय प्रवृत्त नहीं होगा अर्थात् उस शासकीय वर्ष, जिसमें ऐसा नोटिस प्रकाशित किया जाये, की अप्रैल के प्रथम दिवस, जुलाई के प्रथम दिवस, अक्टूबर के प्रथम दिवस या जनवरी के प्रथम दिवस से, और
- (ii) यदि वह अप्रैल के प्रथम दिवस से भिन्न किसी अन्य दिवस से प्रवृत्त हो तो वह आगामी अप्रैल के प्रथम दिवस तक त्रैमासिक रूप से उद्ग्रहणीय होगा;
- (ख) नगरपालिका, इस धारा के अधीन नोटिस जारी किये जाने वाले दिवस को या उसके पूर्व, ऐसे और विस्तृत नियम, जो अपेक्षित हों, उनमें विनिर्दिष्ट कर के उद्ग्रहण और वसूली के ढंग और ऐसी तारीखें जिन पर वह या उसकी किस्तें, यदि कोई हों, संदेय होंगी, को विहित करते हुए, प्रकाशित करेगी; और
- (ग) यदि किसी कर का या किसी कर के किसी विशेष भाग का उद्ग्रहण केवल किसी कालावधि के लिए मंजूर किया गया हो, तो उद्ग्रहण, उस असंदत्त बकाया के सिवाय, जो उस कालावधि में देय हो गया हो, उस कालावधि की समाप्ति पर समाप्त हो जायेगा।

110. करों में परिवर्तन करने के लिए प्रक्रिया.— धारा 103 के अधीन अधिरोपित कर को समाप्त करने या उसमें परिवर्तन करने की प्रक्रिया, जहां तक हो सके, वही प्रक्रिया होगी जो उसके अधिरोपण के लिए धारा 108 और 109 द्वारा विहित है।

111. **कर को स्थगित करने या प्रतिषिद्ध करने या उसमें सुधार करने की सरकार की शक्ति.**—यदि राज्य सरकार को, शिकायत किये जाने पर या अन्यथा, ऐसा प्रतीत हो कि धारा 102 और 103 के अधीन नगरपालिका द्वारा उद्गृहीत किसी भी कर का भार अनुचित है या उसका या उसके किसी भाग का उद्ग्रहण जनसाधारण के हित के प्रतिकूल है या उसके लिए हानिकारक है तो राज्य सरकार उक्त नगरपालिका से किसी भी त्रुटि या आक्षेप के, जो उसे उक्त कर के बारे में या उसके निर्धारण या संग्रहण की रीति में विद्यमान प्रतीत हो, ऐसी कालावधि के भीतर—भीतर, जो वह इस निमित्त नियत करे, निराकरण के उपाय करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि इस प्रकार नियत की गयी कालावधि के भीतर—भीतर ऐसी अपेक्षा राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में क्रियान्वित नहीं की जाये तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर या उसके किसी भी भाग के उद्ग्रहण को ऐसे समय तक के लिए स्थगित कर सकेगी जब तक कि ऐसी त्रुटि या आक्षेप का निराकरण न कर दिया जाये या ऐसे कर को समाप्त या कम कर सकेगी।

112. **कर को स्थगित या समाप्त करने की नगरपालिका की शक्ति.**— राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अध्याधीन रहते हुए, कोई नगरपालिका, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा किया जाना लोकहित में है, किसी ऐसे कर को स्थगित या समाप्त कर सकेगी, जो धारा 103 के अधीन अधिरोपित किया गया है या अधिरोपित किया गया समझा गया है।

113. **कर का निर्धारण और कर-निर्धारकों की नियुक्ति.**—(1) नगरपालिक कर निर्धारण के लिए राज्य सरकार कर-निर्धारकों की नियुक्ति कर सकेगी, जो ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो राज्य

सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों में अधिकथित की जाये, कर निर्धारित करेंगे।

(2) कर-निर्धारकों को राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा कोई ऐसा अन्य कार्य समनुदेशित किया जा सकेगा।

114. **कतिपय जानकारियां देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम**— (1) कर-निर्धारक की अध्यक्षता पर, धारा 102 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भवन या भूमि या दोनों का स्वामी या अधिभोगी, ऐसी युक्तियुक्त कालावधि में, जो अध्यक्षता में विनिर्दिष्ट की जाये, निम्नलिखित के लिए बाध्य होगा:—

(i) ऐसे प्ररूप में विवरणी देने के लिए, जो विहित की जाये; और

(ii) ऐसी जानकारी देने के लिए जो उस व्यक्ति का अवधारण करने के लिए अपेक्षित हो, जिससे धारा 120 के अधीन कर मूलतः उद्ग्रहणीय है।

(2) यदि ऐसा स्वामी या अधिभोगी, अध्यक्षता का अनुपालन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर करने में विफल रहता है या उसका अनुपालन करने से इनकार करता है तो इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबन्ध के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कर-निर्धारक, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, ऐसे भवन या भूमि या दोनों पर अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार संदेय कर का निर्धारण करेगा।

115. **संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता**— (1) जब कोई भवन, निर्मित या परिवर्धित किया जाये तब उसका स्वामी ऐसे निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन के पूर्ण होने की तारीख से या ऐसे भवन का अधिभोग करने की तारीख से, जो भी तारीख पहले हो, एक मास के भीतर-भीतर नगरपालिका को उसकी सूचना देगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित सूचना देने में विफल रहता है तो नगरपालिका उस पर पांच सौ रुपये से अनधिक या उक्त भवन या परिवर्धन पर तीन मास की कालावधि के लिए संदेय कर की रकम का दस गुना, जो भी अधिक हो, ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगी, जो नगरपालिका ठीक समझे।

116. भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के लिए मूलतः दायी व्यक्तियों द्वारा हक के समस्त अन्तरणों के विषय में नगरपालिका को सूचना देना.—(1) जब कभी किसी भवन या भूमि या दोनों पर अधिरोपित कर के संदाय के लिए मूलतः दायी किसी व्यक्ति के हक का अन्तरण किया जाये तब वह व्यक्ति, जिसके हक का इस प्रकार अन्तरण किया गया है और वह व्यक्ति जिसको ऐसा हक अन्तरित किया जायेगा, नगरपालिका को ऐसे अन्तरण की लिखित सूचना देंगे।

(2) यथापूर्वोक्त मूलतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में, वह व्यक्ति, जिसको वारिस के रूप में या अन्यथा मृत व्यक्ति के हक का अन्तरण हो, नगरपालिका को ऐसे अन्तरण की सूचना देगा।

117. सूचना का प्ररूप.—(1) अन्तिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन दी वाली सूचना या तो द्वितीय अनुसूची या, यथास्थिति, तृतीय अनुसूची के प्ररूप में होगी, और इसमें उक्त प्ररूप द्वारा अपेक्षित समस्त विशिष्टियों का स्पष्ट तौर पर और सही-सही कथन किया जायेगा।

(2) ऐसी कोई सूचना प्राप्त होने पर नगरपालिका, यदि वह आवश्यक समझे, अन्तरण की लिखत, यदि कोई हो, या उसकी प्रतिलिपि पेश किये जाने की अपेक्षा कर सकेगी।

118. अन्तरिती के नाम का नगरपालिक रजिस्ट्रों में प्रतिस्थापन किया जाना.—जब कभी या तो ऐसी सूचना द्वारा या अन्यथा ऐसा अन्तरण, नगरपालिका की जानकारी में आये और ऐसी जांच करने के पश्चात, जो

आवश्यक हो, नगरपालिक रजिस्टर में उस व्यक्ति के स्थान पर, जो मूलतः दायी है, अन्तरिती का नाम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा।

119. अन्तरण की सूचना के अभाव में भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के दायित्व का बना रहना.—(1) किसी भवन या भूमि या दोनों पर अधिरोपित कर के संदाय के लिए मूलतः दायी प्रत्येक व्यक्ति, जो नगरपालिका को यथापूर्वोक्त ऐसे अन्तरण की सूचना दिये बिना अपने हक का अन्तरण कर देता है, उसके संबंध में समय-समय पर संदेय समस्त करों के संदाय के लिए तब तक दायी रहेगा जब तक वह ऐसी सूचना न दे दे या जब तक नगरपालिका के रजिस्टर में अन्तरण को अभिलिखित न कर लिया जाये।

(2) इस धारा की कोई भी बात उक्त कर के लिए अन्तरिती के दायित्व को कम करने वाली या नगरपालिका के परिसरों पर देय कर की वसूली के लिए धारा 140 द्वारा प्रदत्त उन पर पूर्विकता के दावे को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

120. कर मूलतः किससे उद्ग्रहणीय है.—(1) भवनों या भूमियों या दोनों पर अधिरोपित प्रत्येक कर मूलतः उस सम्पत्ति के वास्तविक अधिभोगी से उद्ग्रहणीय होगा जिस पर ऐसा कर-निर्धारण किया गया है, यदि वह भवन या भूमि या दोनों का स्वामी हो या वह उनको राज्य सरकार से या नगरपालिका से भवन या अन्य पट्टे पर, या किसी भी व्यक्ति से भवन या अन्य पट्टे पर धारण करता हो।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए, कर मूलतः निम्नलिखित से उद्ग्रहणीय होगा, अर्थात्:—

(क) यदि सम्पत्ति पट्टे पर दी गयी हो, तो पट्टाकर्ता से;

(ख) यदि सम्पत्ति उप-पट्टे पर दी गयी हो, तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता से;

(ग) यदि सम्पत्ति पट्टे पर न दी गयी हो, तो उस व्यक्ति से, जिसमें उसे पट्टे पर देने का अधिकार निहित है:

परन्तु मूलतः दायी व्यक्ति से ऐसे कर के मद्धे शोध्य किसी राशि की वसूली में विफलता पर, भवन या भूमि के किसी भाग के अधिभोगी से राशि का ऐसा भाग वसूल किया जा सकेगा, जो ऐसे भाग के सम्बन्ध में आनुपातिक रूप से संदेय हो:

परन्तु यह और कि ऐसे किसी अधिभोगी द्वारा, जो इस धारा के अधीन मूलतः दायी नहीं है, संदत्त या उससे वसूल की गयी किसी भी राशि के लिए वह मूलतः दायी व्यक्ति से मुजराई प्राप्त करने का हकदार होगा।

121. **कराधान से संबंधित अपीलें.**—कर-निर्धारण या कर-निर्धारण में किसी परिवर्तन के विरुद्ध अपील, और ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें यथापूर्वोक्त कोई अपील नहीं की गयी है, धारा 130 के अधीन मांग के नोटिस के विरुद्ध अपील, कलक्टर को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाये, की जा सकेगी।

122. **परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व-निक्षेप.**— ऐसी कोई भी अपील तब तक सुनी और अवधारित नहीं की जायेगी जब तक कि—

(क) वह अपील, भवनों या भूमियों या दोनों पर निर्धारित कर के मामले में आदेश की संसूचना की तारीख के पश्चात् अगले तीस दिवस के भीतर-भीतर (ऐसे आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को छोड़कर) और किसी अन्य कर के मामले में कर-निर्धारण के या कर-निर्धारण में परिवर्तन के नोटिस की प्राप्ति की तारीख के पश्चात् अगले तीस दिवस के भीतर-भीतर, या यदि कोई नोटिस नहीं दिया गया हो तो कर-निर्धारण या कर-निर्धारण में परिवर्तन के अधीन प्रथम मांग की तारीख के पश्चात् अगले तीस दिवसों के भीतर-भीतर, न कर दी जाये; और

(ख) आवेदक ने उससे दावाकृत रकम नगरपालिक कार्यालय में जमा न करा दी हो:

परन्तु अपील प्राधिकारी लेखबद्ध कारणों से और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो वह अधिरोपित करे, खण्ड (ख) में उल्लिखित रकम को जमा कराये बिना, या ऐसी कम राशि जमा कराने पर, जिसके लिए उक्त प्राधिकारी निदेश दे, अपील ग्रहण कर सकेगा।

123. **खर्चे.**— (1) प्रत्येक अपील में खर्चे दिलाना, अपील का विनिश्चय करने वाले अधिकारी के विवेकाधीन होगा।

(2) इस धारा के अधीन नगरपालिका को दिलाये गये खर्चे, नगरपालिका द्वारा इस अध्याय में उपबंधित रीति से वसूलीय होंगे।

(3) यदि नगरपालिका किसी अपीलार्थी को दिलाये गये खर्चे का संदाय, नगरपालिका को उसके संदाय के आदेश से संसूचित किये जाने की तारीख के पश्चात् तीस दिवस के भीतर करने में विफल रहती है तो खर्चे दिलाने वाला अधिकारी नगरपालिक निधि के अतिशेष की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति को उक्त रकम के संदाय का आदेश दे सकेगा।

124. **कराधान के मामले में सिविल और दाण्डिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन.**— (1) इस अधिनियम में उपबंधित से भिन्न किसी रीति से और किसी भी प्राधिकारी द्वारा, किसी मूल्यांकन या निर्धारण पर कोई आक्षेप नहीं किया जायेगा और न ही निर्धारित या कराधान किये जाने वाले किसी व्यक्ति के दायित्व को प्रश्नगत किया जायेगा।

(2) मूल्यांकन या कर-निर्धारण, या कर-निर्धारण या कराधान के दायित्व के संबंध में किसी आदेश की पुष्टि करने, उसे अपास्त करने या उपान्तरित करने का अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा:

परन्तु अपील प्राधिकारी के लिए, आवेदन किये जाने पर या स्वप्रेरणा से, अपने द्वारा अपील में पारित किसी आदेश का, मूल आदेश की

तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर कोई और आदेश पारित करके पुनर्विलोकन करना विधिपूर्ण होगा।

125. **व्यावृत्तियाँ**— (1) कोई भी कर-निर्धारण सूची या अन्य सूची, नोटिस, बिल या ऐसा ही अन्य दस्तावेज, जो किसी कर, प्रभार, किराये या फीस के संदर्भ में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, वस्तु या परिस्थिति को विनिर्दिष्ट करे या विनिर्दिष्ट करने के लिए तात्पर्यित हो, केवल व्यक्ति के नाम, निवास-स्थान, कारोबार या उपजीविका के स्थान, सम्पत्ति, वस्तु या परिस्थिति के वर्णन में किसी भूल के कारण या मात्र कोई लेखन की गलती, या उसके स्वरूप की किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगा तथा यह पर्याप्त होगा कि पहचान के प्रयोजन के लिए व्यक्ति, सम्पत्ति, वस्तु या परिस्थिति का वर्णन पर्याप्त रूप से कर दिया जाये तथा किसी कर के संबंध में दायी सम्पत्ति के स्वामी या अधिभोगी को नामित करना आवश्यक नहीं होगा।

(2) करों का उद्ग्रहण सम्पत्ति का हक नहीं समझा जायेगा।

126. **दायित्व प्रकट करने की बाध्यता**—(1) नगरपालिका, मुख्य नगरपालिक अधिकारी, कर-निर्धारक या नगरपालिका द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी, लिखित संसूचना द्वारा, नगरपालिका के किसी निवासी से ऐसी जानकारी देने के लिए अपेक्षा कर सकेगा, जो निम्नलिखित को अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो:—

- (क) क्या ऐसा निवासी इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर संदत्त करने का दायी है;
- (ख) रकम, जिस पर उसका निर्धारण होना चाहिए,
- (ग) स्वामी का नाम और पता।

(2) यदि कोई निवासी, जिससे इस प्रकार जानकारी देने की अपेक्षा की जाये, जानकारी नहीं देता है या ऐसी जानकारी देता है जो असत्य है

तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का दायी होगा, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा।

127. **करों को वसूल करने का कर्तव्य.**— मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी धारा 102 और 103 अधीन अधिरोपित करों के उचित उद्ग्रहण और वसूली के लिए उत्तरदायी होगा।

128. **कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना.**— जब कोई रकम—

- (क) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध द्वारा या उसके अधीन, इस अध्याय द्वारा उपबंधित रीति से वसूलीय घोषित की जाये, या
- (ख) नगरपालिका को, उसमें निहित किसी भवन या भूमि के संबंध में, किराये के पेटे देय हो गयी हो,

तब नगरपालिका, यथासम्भव शीघ्र उसके संदाय के लिए दायी व्यक्तियों को बकाया के रूप में दावाकृत राशि का बिल प्रस्तुत करवायेगी।

129. **बिल की अन्तर्वस्तु.**— ऐसे प्रत्येक बिल में,—

- (क) वह कालावधि जिसके लिए, और
- (ख) वह सम्पत्ति, उपजीविका, परिस्थिति या वस्तु जिसके सम्बन्ध में—

राशि का दावा किया गया है, विनिर्दिष्ट होंगे और उसमें—

- (i) संदाय के व्यतिक्रम में उपगत होने वाले दायित्व, और
- (ii) अवधि, जिसके भीतर-भीतर इस अधिनियम में यथाउपबंधित अपील की जा सकेगी,

की सूचना भी दी जायेगी।

130. **मांग का नोटिस.**— यदि उस राशि का, जिसके लिए पूर्वोक्त रूप से कोई बिल प्रस्तुत कर दिया गया है, संदाय, उसके प्रस्तुत किये जाने से पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर नगरपालिका कार्यालय में या किसी

नियम द्वारा इस निमित्त ऐसा संदाय प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को नहीं किया जाता है तो नगरपालिका ऐसे व्यक्ति पर, जिसे ऐसा बिल प्रस्तुत किया गया है, चौथी अनुसूची के प्ररूप में या वैसे ही आशय का मांग का नोटिस तामील करवा सकेगी।

131. **किन मामलों में वारण्ट जारी किया जा सकेगा.**— (1) यदि कोई व्यक्ति, जिस पर धारा 130 के अधीन मांग का नोटिस तामील किया गया है, ऐसे मांग के नोटिस की तामील से पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर, न तो—

- (क) नोटिस में मांगी गयी राशि का संदाय करे; या
- (ख) न ही नगरपालिका के या ऐसे अधिकारी के, जिसे नगरपालिका नियम द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे, या मुख्य नगरपालिक अधिकारी, यदि कोई हो, के समाधानप्रद रूप में इस बात का कारण बताये कि क्यों उसे उक्त राशि का संदाय नहीं करना चाहिए; या
- (ग) न ही मांग के विरुद्ध धारा 121 के उपबन्धों के अनुसार अपील करे,—

तो ऐसी राशि, वसूली के समस्त खर्चों सहित व्यतिक्रमी की किसी सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा उद्गृहीत की जा सकेगी और किसी जंगम सम्पत्ति की कुर्की के मामले में मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा वारण्ट पांचवीं अनुसूची के प्ररूप में या वैसे ही आशय का जारी करवाया जायेगा तथा किसी स्थावर सम्पत्ति की कुर्की के मामले में नगरपालिका द्वारा वारण्ट ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाये, जारी करवाया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका को देय किसी राशि की वसूली के लिए उप-धारा (1) के अधीन कुर्की और विक्रय के लिए कोई वारण्ट उस तारीख से तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् जारी

नहीं किया जायेगा जिसको ऐसा वारण्ट उस उप-धारा के अधीन जारी किया जा सकता था:

परन्तु तीन वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नगरपालिका, नगरपालिका को देय किसी राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों से अनुरोध करने की हकदार होगी।

(3) प्रत्येक वारण्ट मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और जारी किया जायेगा।

(4) जहां ऐसी सम्पत्ति नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर हो वहां वारण्ट नगरपालिका के किसी अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा।

(5) जहां ऐसी सम्पत्ति किसी दूसरी नगरपालिका में हो या ऐसे स्थान में हो, जो नगरपालिका न हो, वहां वारण्ट संबंधित नगरपालिका के मुख्य नगरपालिक अधिकारी को या, यथास्थिति, तहसीलदार को सम्बोधित किया जायेगा:

परन्तु ऐसा मुख्य नगरपालिक अधिकारी या तहसीलदार ऐसे वारण्ट को किसी अधीनस्थ अधिकारी को पृष्ठांकित कर सकेगा।

132. वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश.—किसी भी ऐसे अधिकारी के लिए, जिसको धारा 131 के अधीन जारी किया गया वारण्ट सम्बोधित या पृष्ठांकित किया गया हो, यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हों कि ऐसे भवन में ऐसी सम्पत्ति है जो वारंट के अधीन अभिग्रहणीय है और यदि वह अपना प्राधिकार और प्रयोजन अधिसूचित करने और प्रवेश के लिए सम्यक् रूप से मांग करने के पश्चात्, वह अन्यथा प्रवेश नहीं कर सकता है तो वारण्ट में निदेशित कुर्की करने के लिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय, किसी भवन का बाहर या भीतर का कोई दरवाजा या खिड़की तोड़कर खोलना, विधिपूर्ण होगा:

परन्तु ऐसा अधिकारी महिलाओं के लिए काम में आने वाले किसी कमरे में तब तक प्रवेश नहीं करेगा या उसके दरवाजे को तोड़कर नहीं खोलेगा जब तक कि उसने अपने आशय का तीन घण्टे का नोटिस न दे दिया हो, और ऐसी महिलाओं को हट जाने का अवसर न दे दिया हो।

133. **वारण्ट को निष्पादित करने की रीति.**— (1) ऐसे किसी अधिकारी के लिए धारा 131 के अधीन जारी किये गये वारण्ट में व्यतिक्रमी के रूप में नामित व्यक्ति की किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का, जहां कहीं भी वह पायी जाये, निम्नलिखित उप-धाराओं के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए, कुर्की करना विधिपूर्ण होगा।

(2) निम्नलिखित सम्पत्ति की कुर्की नहीं की जायेगी, अर्थात्:—

- (i) व्यतिक्रमी, उसकी पत्नी और बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र तथा बिस्तर,
- (ii) उसके भोजन पकाने के बर्तन,
- (iii) शिल्पियों के औजार, और
- (iv) जब व्यतिक्रमी कृषक हो, तब उसके खेती के उपकरण, बीज और ऐसे पशु जो व्यतिक्रमी को उसकी जीविका का उपार्जन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों।

(3) जंगम संपत्ति की कुर्की अत्यधिक नहीं होगी, अर्थात् कुर्क की गयी जंगम सम्पत्ति मूल्य में वारण्ट के अधीन वसूलीय रकम के यथाशक्य निकटतम अनुपात में होगी, और यदि ऐसी किन्हीं वस्तुएं कुर्क कर ली गयी हैं जो धारा 131 की उप-धारा (3) के द्वारा या उसके अधीन वारण्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की या ऐसे व्यक्ति की, जिसको वारण्ट सम्बोधित हो, राय में इस प्रकार कुर्क नहीं की जानी चाहिए थीं, तो वे तुरन्त लौटा दी जायेंगी।

(4) अधिकारी, जंगम सम्पत्ति कुर्क करने पर, तुरन्त उसकी सूची बनायेगा और ऐसी सम्पत्ति हटाने के पूर्व, कुर्की करने के समय उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को छठी अनुसूची के प्ररूप में लिखित नोटिस देगा।

(5) जब संपत्ति स्थावर हो तो,—

- (i) कुर्की, व्यतिक्रमी को किसी भी तरीके से सम्पत्ति का अंतरण करने या प्रभारित करने से, और सभी व्यक्तियों को ऐसे अंतरण या प्रभार से कोई लाभ लेने से, प्रतिषिद्ध करते हुए कोई आदेश करके की जायेगी, और
- (ii) आदेश, सम्पत्ति पर या उसके समीप किसी स्थान पर ढोल बजाते हुए या अन्य परम्परागत तरीके से उद्घोषित किया जायेगा, और आदेश की एक प्रति ऐसी सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर, और नगरपालिका के कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग पर, और जब सम्पत्ति राज्य सरकार को राजस्व संदत्त करने वाली भूमि हो तब, उस जिले के, जिसमें ऐसी भूमि स्थित है, कलक्टर के कार्यालय में भी, चिपकायी जायेगी।

(6) ऐसी कुर्की के पश्चात् और मुख्य नगरपालिक अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, कुर्क की गयी सम्पत्ति या उसमें किसी हित का अन्तरण या उस पर सृजित कोई प्रभार कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय नगरपालिका के समस्त दावों के विरुद्ध शून्य होगा।

134. **कुर्क की गयी सम्पत्ति का विशेष मामलों में विक्रय.**—(1) जब अभिगृहीत सम्पत्ति शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील हो या जब वसूल की जाने वाली रकम को मिलाकर उसे अभिरक्षा में रखे जाने का व्यय, उसके मूल्य से अधिक हो जाने की सम्भावना हो तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी उस

व्यक्ति को, जिसके कब्जे में सम्पत्ति कुर्की के समय थी, इस आशय का नोटिस तुरन्त देगा कि उसका विक्रय तुरन्त किया जायेगा, और तदनुसार, जब तक कि वारण्ट में बतायी गयी रकम का संदाय तुरन्त न किया जाये या उस रकम के बराबर प्रतिभूति न दे दी जाये, उसका विक्रय कर देगा।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन सम्पत्ति का विक्रय तुरन्त न कर दिया गया हो तो कुर्क की गयी सम्पत्ति या उसके पर्याप्त भाग का, जब तक कि नोटिस, वारण्ट, कुर्की और सम्पत्ति के निरोध के आनुषंगिक समस्त खर्चों सहित व्यतिक्रमी द्वारा देय राशि संदत्त न कर दी गयी हो, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से, मुख्य नगरपालिक अधिकारी के आदेशों के अधीन लोक नीलाम द्वारा विक्रय किया जा सकेगा और आगम या उसका ऐसा भाग, जो अपेक्षित हो, देय राशि और यथापूर्वोक्त ऐसे समस्त आनुषंगिक खर्चों के उन्मोचन में उपयोजित किया जायेगा।

(3) अधिशेष, यदि कोई हो, तुरन्त नगरपालिक निधि में जमा किया जायेगा, उसी समय ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में सम्पत्ति कुर्की के समय थी, ऐसी जमा का नोटिस दिया जायेगा किन्तु यदि इस उप-धारा के अधीन दिये गये नोटिस की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर नगरपालिका को लिखित आवेदन देकर उसके लिए दावा किया जाये तो ऐसे व्यक्ति को उसका प्रतिदाय कर दिया जायेगा। ऐसी कोई राशि, जिसके लिए ऐसे नोटिस की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर कोई दावा नहीं किया गया हो, नगरपालिका की सम्पत्ति हो जायेगी।

135. **नगरपालिका के बाहर कुर्की और विक्रय.**—जहां वारण्ट का निष्पादन नगरपालिका के बाहर किया जाना हो, वहां वारण्ट जारी करने वाला प्राधिकारी पृष्ठांकन द्वारा उस अधिकारी को, जिसे वारण्ट सम्बोधित किया जाये, कुर्क की गयी सम्पत्ति के विक्रय का निदेश दे सकेगा और ऐसे मामले में, ऐसे अधिकारी के लिए सम्पत्ति का विक्रय करना और विक्रय संबंधी समस्त आनुषंगिक कार्य करना विधिपूर्ण होगा और पूर्वगामी

उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। ऐसा अधिकारी, उसके द्वारा वसूली के लिए किये गये समस्त खर्चे घटाने के पश्चात्, वारण्ट के अधीन वसूल की गयी रकम वारण्ट जारी करने वाले प्राधिकारी को भेज देगा जो उसका निपटारा धारा 131 के उपबन्धों के अनुसार करेगा।

136. उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्यवाही की जा सकेगी, जो नगरपालिका छोड़ने ही वाले हों.—(1) यदि नगरपालिका के पास किसी भी समय यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति, जिससे इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन वसूलीय कोई राशि शोध्य है या शोध्य होने वाली है, नगरपालिक क्षेत्र से अपने आपको हटाने वाला है तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी, शोध्य राशि या शोध्य होने वाली राशि के लिए ऐसे व्यक्ति को बिल प्रस्तुत करवा सकेगा और उसके तुरन्त संदाय की मांग कर सकेगा।

(2) यदि उक्त व्यक्ति, ऐसा बिल प्रस्तुत किये जाने पर, उससे शोध्य राशि या शोध्य होने वाली राशि का तुरन्त संदाय न करे तो ऐसी रकम, इसमें इसके पूर्व विहित रीति से, व्यतिक्रमी की जंगम या स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा उद्ग्रहणीय होगी, सिवाय इसके कि व्यतिक्रमी पर मांग का नोटिस तामील करना आवश्यक नहीं होगा और कुर्की तथा विक्रय के लिए वारण्ट अविलम्ब जारी और निष्पादित किया जा सकेगा।

137. व्यावृत्तियां.— बिल, मांग के नोटिस, वारण्ट, सूची या तत्संबंधी अन्य कार्यवाहियों में हुई किसी गलती, त्रुटि या प्ररूप के अभाव के कारण इस अधिनियम के अधीन की गयी कोई कुर्की या विक्रय विधि विरुद्ध नहीं समझा जायेगा और न ही ऐसा करने वाला व्यक्ति अतिचारी समझा जायेगा।

138. समस्त संदायों के लिए रसीद का दिया जाना.— इस अधिनियम के अधीन किसी कर के मद्धे संदत्त सभी राशियों के लिए उस

व्यक्ति द्वारा, जो ऐसी रकम प्राप्त करता है, रसीद निविदत्त की जायेगी, जिसमें उस रकम और उस कर का, जिसके मद्दे वह संदत्त की गयी है, उल्लेख होगा।

139. **वाद लाने की अनुकल्पी शक्ति.**—मुख्य नगरपालिक अधिकारी, कुर्की और विक्रय द्वारा कार्यवाही करने के बजाय या उसके द्वारा मांग की पूर्णतः या अंशतः वसूली करने में विफल रहने की दशा में, उसका संदाय करने के दायी व्यक्ति के विरुद्ध, अधिकारिता रखने वाले किसी सक्षम न्यायालय में वाद ला सकेगा।

140. **करों के लिए भूमि, भवन आदि पर दायित्व.**— भूमियों या भवनों या दोनों पर अधिरोपित किसी कर के मद्दे शोध्य समस्त राशियां, राज्य सरकार को शोध्य भू-राजस्व, यदि कोई हो, के पूर्व संदाय के अध्यक्ष रहते हुए, ऐसे भवन या भूमि पर जिसके सम्बन्ध में ऐसा कर उद्ग्रहणीय है, और ऐसी जंगम सम्पत्ति, यदि कोई हो, जो ऐसे भवन या भूमि में या उस पर पायी जाये और जो ऐसे कर के लिए दायी व्यक्ति की हो, पर प्रथम प्रभार होंगी:

परन्तु ऐसे किसी कर की कोई बकाया ऐसे किसी अधिभोगी से, जो स्वामी न हो, वसूल नहीं की जायेगी, यदि वह एक वर्ष से अधिक समय से या ऐसी अवधि के लिए, जिसमें कि ऐसे अधिभोगी का अधिभोग नहीं था, शोध्य रही हो।

अध्याय 8 उधार

141. **समग्र ऋण परिसीमा नीति.**— राज्य सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, नगरपालिकाओं द्वारा लिए जाने वाले उधारों को शासित करने वाले साधारण सिद्धांतों, वह सीमा जिस तक नगरपालिका अपनी वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए उधार ले सकेगी, ऐसे उधारों पर संदत्त

किये जाने वाले ब्याज की दर और उसके पुनर्संदाय की कालावधि को सम्मिलित करते हुए शर्तों और निबंधनों को अधिकथित करते हुए, नगरपालिका द्वारा लिए जाने वाले उधारों, जिसमें अल्पकालिक उधार भी सम्मिलित हैं, के मामले में लागू होने वाली कोई समग्र ऋण परिसीमा नीति विरचित करेगी।

142. उधार लेने की नगरपालिका की शक्ति.—(1) नगरपालिका समय-समय पर, नगरपालिका की बैठक में इस निमित्त पारित प्रस्ताव द्वारा धारा 141 के अधीन विरचित समग्र ऋण परिसीमा नीति द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर रहते हुए, कोई भी ऐसी धन राशि, जो निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, उधार ले सकेगी:—

- (क) इस अधिनियम के अधीन संकर्मों का संनिर्माण, या
- (ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भूमियों और भवनों का अर्जन, या
- (ग) राज्य सरकार को शोध्य किसी ऋण का भुगतान, या
- (घ) इस अधिनियम के अधीन लिये गये उधार का प्रतिसंदाय, या
- (ङ) किसी ऐसे लोक उपयोगिता समुत्थान का अर्जन, जो ऐसी सेवाएं प्रदान करता हो, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन प्रदान करने के लिए नगरपालिका प्राधिकृत हो, या
- (च) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक यानों और अन्य मशीनरी का क्रय, या
- (छ) कोई भी अन्य प्रयोजन जिसके लिए नगरपालिका इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उधार लेने के लिए प्राधिकृत है:

परन्तु कोई भी ऐसा उधार, जिसका लिया जाना प्रस्तावित है, यथापूर्वोक्त समग्र ऋण परिसीमा नीति द्वारा स्थापित सीमाओं से परे हो जाता है, तो उसके लिए, उसके प्रयोजनों, परिमाण, ब्याज की दर और

प्रतिसंदाय की कालावधि और अन्य शर्तों तथा निबंधनों, यदि कोई हों, के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी:

परन्तु यह और कि नगरपालिका यथापूर्वोक्त उधारों के अतिरिक्त, राज्य सरकार या किसी कानूनी निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के निगम से भी उधार ले सकेगी।

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार नगरपालिका को, उसकी प्रतिसंदाय क्षमता विहित रीति से अभिनिश्चित करने के अध्यक्षीन रहते हुए, कोई उधार या उसके द्वारा लिये गये किसी उधार की प्रत्याभूति मंजूर करेगी।

(2) जब उप-धारा (1) के अधीन कोई भी उधार लिया गया हो, तब—

(क) उसका कोई भी भाग, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी भी ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जायेगा, जिसके लिए वह लिया गया है, और

(ख) उस उप-धारा में निर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए लिये गये किसी उधार का कोई भी भाग नगरपालिका के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी, उनके अलावा जो अनन्य रूप से उस प्रयोजन के लिए नियोजित किये गये हैं जिसके लिए उधार लिया गया है, के वेतन या भत्तों के संदाय में प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.—उप-धारा (1) में अभिव्यक्ति “इस अधिनियम के अधीन शोध्य” में उस उप-धारा के खण्ड (ङ) के प्रयोजनों के लिए उस खण्ड में निर्दिष्ट लोक उपयोगिता समुत्थान से उद्भूत होने वाली आय सम्मिलित समझी जायेगी।

143. **बैंक में क्रेडिट खाता खोलने की नगरपालिका की शक्ति.**— धारा 142 में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, नगरपालिका, जहां उक्त धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा उधार लिए जाने की मंजूरी दे दी गयी है, वहां ऐसा उधार या उसका कोई भाग लेने के बजाय ऐसी शर्तों पर, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जायें, किसी अनुसूचित बैंक से ऐसे उधार या उसके किसी भी भाग की सीमा तक नगरपालिका के नाम से नकद खाते में रखे जाने के लिए क्रेडिट ले सकेगी और ऐसी क्रेडिट की रकम के, या ऐसे नकद खाते पर समय-समय पर दी गयी राशि के ब्याज सहित प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के लिए, राज्य सरकार की मंजूरी से, नगरपालिका में निहित समस्त या किन्हीं भी सम्पत्तियों का बंधक मंजूर कर सकेगी।

144. **नगरपालिका की अल्पावधि उधार लेने की शक्ति.**—इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, नगरपालिका, धारा 141 के अधीन विरचित समग्र ऋण परिसीमा नीति द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर, समय-समय पर, ऐसे प्रयोजन के लिए जो धारा 142 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रयोजन न हो, किसी अन्य अनुसूचित बैंक से ऐसी कालावधि के भीतर, जो बारह मास से अधिक नहीं हो, प्रतिसंदेय अल्पावधि उधार, ऐसे निबन्धनों पर, और ऐसे उधार के प्रतिसंदाय के लिए ऐसी प्रतिभूति देने पर, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाये, ले सकेगी।

145. **निक्षेप निधि की स्थापना.**—नगरपालिका धारा 142 के अधीन लिए गये प्रत्येक उधार के सम्बन्ध में, उधार ली गयी धन राशियों, के प्रतिसंदाय के लिए एक निक्षेप निधि की स्थापना करेगी और प्रत्येक वर्ष ऐसी निक्षेप निधि में ऐसी राशि का संदाय करेगी जो ऐसे उधार के लिए नियत कालावधि के भीतर उधार ली गयी धन राशियों के प्रतिसंदाय के लिए पर्याप्त हो।

146. निक्षेप निधि का उपयोजन.—निक्षेप निधि या उसके किसी भाग का उपयोजन ऐसे उधार या उधार के भाग के उन्मोचन के लिए किया जायेगा जिसके लिए उस निधि का सृजन किया गया था, और जब तक उस उधार या उसके भाग का पूर्णतः उन्मोचन नहीं हो जाता है, तब तक ऐसी निधि का उपयोजन किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

147. निक्षेप निधि में संदाय रोकने की शक्ति.— यदि धारा 145 के अधीन किसी उधार के प्रतिसंदाय के लिए स्थापित निक्षेप निधि में जमा राशि की रकम किसी भी समय इतनी हो जाती है कि यदि उसे धारा 142 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन मंजूर ब्याज की दर पर संचित होने दिया जाये तो वह उक्त परन्तुक के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कालावधि के भीतर-भीतर उस उधार को चुकाने के लिए पर्याप्त होगी, तो ऐसी निधि में आगे और संदाय रोका जा सकेगा।

148. निक्षेप निधि में जमा रकम का विनिधान.— (1) किसी निक्षेप निधि में संदत्त समस्त धन का नगरपालिका द्वारा, यथाशक्यशीघ्र, निम्नलिखित में विनिधान किया जायेगा—

- (क) सरकारी प्रतिभूतियां, या
- (ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियां, या
- (ग) ऐसी अन्य लोक प्रतिभूतियां, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जायें,

और उसे नगरपालिका द्वारा लिए गये उधारों का समय-समय पर प्रतिसंदाय करने के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा धारित किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी विनिधान के सम्बन्ध में प्राप्त समस्त राशियां, उनकी प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, निक्षेप निधि में

संदत्त की जायेंगी और उनका उक्त उप-धारा में अधिकथित रीति से विनिधान किया जायेगा।

(3) दो या अधिक निक्षेप निधियों में जमा धन का, नगरपालिका के विवेकाधीन, सामान्य निधि के रूप में एक साथ विनिधान किया जा सकेगा और नगरपालिका के लिए ऐसे विनिधानों में धारित प्रतिभूतियों को विभिन्न निक्षेप निधियों में आवंटित करना आवश्यक नहीं होगा।

(4) उप-धारा (1) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, इस धारा के अधीन किया गया कोई विनिधान, समय-समय पर, परिवर्तित या पक्षांतरित किया जा सकेगा।

149. **उधारों के प्रतिसंदाय की रीति.**— धारा 142 के अधीन नगरपालिका द्वारा लिए गये प्रत्येक उधार का प्रतिसंदाय उक्त धारा के अधीन अनुमोदित समय के भीतर-भीतर किया जायेगा और ऐसा प्रतिसंदाय या तो ऐसे उधार के संबंध में धारा 145 के अधीन स्थापित निक्षेप निधि में से या भागतः ऐसी निक्षेप निधि में से और उस सीमा तक जिस तक ऐसी निक्षेप निधि ऐसे उधार के प्रतिसंदाय के लिए अपेक्षित राशि से कम हो, भागतः धारा 142 के अधीन इस प्रयोजन के लिए, लिये गये उधार में से, जैसा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाये, किया जायेगा।

150. **वार्षिक विवरण.**— (1) मुख्य नगरपालिक अधिकारी, प्रत्येक वर्ष के अंत में, निम्नलिखित को दर्शाते हुए एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा और उसे नगरपालिका को प्रस्तुत करेगा—

(क) वह रकम, जो वर्ष के दौरान धारा 145 के अधीन निक्षेप निधि या निक्षेप निधियों में संदत्त कर दी गयी है,

(ख) वर्ष के दौरान किये गये अंतिम विनिधान की तारीख,

(ग) वर्ष के अंत में नगरपालिका के पास प्रतिभूतियों की सकल रकम, और

(घ) वह सकल रकम, जो धारा 149 के अधीन उधार के प्रतिसंदाय के प्रयोजन के लिए उपयोजित कर ली गयी है।

(2) ऐसे प्रत्येक वार्षिक विवरण की प्रति मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

151. **निक्षेप निधियों की वार्षिक परीक्षा.**— (1) इस अधिनियम के अधीन स्थापित समस्त निक्षेप निधियां संपरीक्षक द्वारा वार्षिक परीक्षा के अध्यक्षीन होंगी, जो यह अभिनिश्चित करेगा कि क्या ऐसी निक्षेप निधियों से संबंधित नकद और प्रतिभूतियों का मूल्य ऐसी रकम के बराबर है जो ऐसी निक्षेप निधि में जमा होनी चाहिए, क्या धारा 148 के अधीन विनिधान नियमित रूप से कर दिया गया है और क्या ऐसे विनिधान से उद्भूत होने वाला ब्याज नियमित रूप से अभिप्राप्त किया गया है।

(2) उस रकम की गणना, जो किसी निक्षेप निधि में जमा होनी चाहिए, धारा 145 के अधीन ऐसी निक्षेप निधि में संदत्त की गयी राशि के आधार पर की जायेगी।

(3) निक्षेप निधि से संबंधित प्रतिभूतियों का मूल्य, ऐसी प्रतिभूतियों का वर्तमान मूल्य होगा, जब तक कि ऐसी प्रतिभूतियां परिपक्वता से पहले ही उनके अंकित मूल्य पर या उससे ऊपर मोचन के लिए शोध्य नहीं हो जायें, जिस दशा में उनका मोचन मूल्य ही वर्तमान मूल्य माना जायेगा।

(4) नगरपालिका किसी निक्षेप निधि में ऐसी रकम तुरन्त संदत्त करेगी जिसको संपरीक्षक ऐसी निक्षेप निधि के संबंध में कम होना प्रमाणित करे जब तक कि राज्य सरकार ऐसी कमी का क्रमिक पुनर्समायोजन विशिष्टतः मंजूर न करे।

(5) यदि निक्षेप निधि में जमा नकद और प्रतिभूतियों का मूल्य उस रकम से अधिक हो जो ऐसी निक्षेप निधि में होनी चाहिए तो संपरीक्षक ऐसी आधिक्य राशि की रकम को प्रमाणित करेगा और नगरपालिका तदुपरांत

ऐसी आधिक्य राशि को नगरपालिक निधि के साधारण खाते में अंतरित करेगी।

(6) यदि उप-धारा (4) या उप-धारा (5) के अधीन किसी प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट किसी कमी या आधिक्य की शुद्धता के बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो तो नगरपालिका ऐसी कमी के संदाय या, यथास्थिति, ऐसे आधिक्य के अंतरण के पश्चात् मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगी जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

अध्याय 9

वाणिज्यिक परियोजनाएं, निजी क्षेत्र सहभागिता करार और अन्य अभिकरणों को समनुदेशन

152. **वाणिज्यिक परियोजनाएं और उनसे प्राप्तियां**— नगरपालिका या तो स्वयं या सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से जिला केन्द्रों, शॉपिंग सेंट्रों, बस या ट्रक टर्मिनलों और वाणिज्यिक परिसरों सहित पर्यटक बासों और वाणिज्यिक आधार पर किसी अन्य प्रकार की वाणिज्यिक परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए वाणिज्यिक अवसंरचना परियोजनाओं के योजना बनाने, संनिर्माण, प्रचालन, रख-रखाव या प्रबंध का जिम्मा ले सकेगी।

153. **नगरपालिका या किसी अन्य अभिकरण द्वारा परियोजना का जिम्मा लेना**— इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किन्तु नगरपालिक अवसंरचना और सेवाओं की योजना, विकास, प्रचालन, रख-रखाव और प्रबंध से संबंधित किसी भी राज्य विधि के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई नगरपालिका धारा 45, धारा 46 और धारा 47 में विनिर्दिष्ट अपने कृत्यों के निर्वहन में,—

(क) नगरपालिका की ऐसी परियोजना के वित्तपोषण, सन्निर्माण, रख-रखाव और प्रचालन में किसी कम्पनी, फर्म, सोसाइटी,

न्यास या किसी निगमित निकाय या किसी संस्था, या किसी सरकारी अभिकरण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अभिकरण की सहभागिता से नगरीय अवसंरचना या सेवाओं के प्रदाय के लिए किसी परियोजना की जिम्मेदारी लेने को, उसकी लागत पर विचार किये बिना, प्रोत्साहित कर सकेगी,

(ख) किसी कम्पनी, या फर्म, या सोसाइटी, या निगमित निकाय द्वारा किसी निजी क्षेत्र सहभागिता करार के निबंधनों के अनुसार, या ऐसे किसी अभिकरण के साथ संयुक्त रूप से, नगरीय अवसंरचना या सेवाओं से संबंधित किसी परियोजना की जिम्मेदारी लिए जाने पर विचार कर सकेगी और उसका अनुमोदन कर सकेगी, और

(ग) किसी संस्था, या सरकारी अभिकरण या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन किसी अभिकरण द्वारा, या ऐसे किसी अभिकरण के साथ संयुक्त रूप से, नगरीय अवसंरचना या सेवाओं से संबंधित किसी परियोजना की जिम्मेदारी लिए जाने पर विचार कर सकेगी और उसका अनुमोदन कर सकेगी।

154. **निजी क्षेत्र सहभागिता करारों के प्रकार.**—(1) निजी क्षेत्र सहभागिता करार ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

(2) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे करारों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

(क) निर्माण—स्वामित्व—प्रचालन—अंतरण करार,

(ख) निर्माण और अंतरण करार,

(ग) निर्माण—पट्टा—अंतरण करार,

(घ) निर्माण—प्रचालन—अंतरण करार,

- (ड) पट्टा और प्रबंध करार,
- (च) प्रबंध करार,
- (छ) पुनर्वास-प्रचालन-अंतरण करार,
- (ज) पुनर्वास-स्वामित्व-प्रचालन-अंतरण-करार,
- (झ) सेवा संविदा करार, और
- (ञ) प्रदाय-प्रचालन-अंतरण करार।

155. नगरपालिका या अन्य अभिकरणों को समनुदेशित कृत्य-धारा 47 के अधीन समनुदेशित अपने दायित्वों के निर्वहन में नगरपालिका, जब कभी भी लोकहित में ऐसा किया जाना समुचित समझे,—

- (क) अपने किन्हीं भी दायित्वों का स्वयं निर्वहन कर सकेगी, या
- (ख) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो करार में उपबंधित किये जायें कोई निजी क्षेत्र सहभागिता करार कर सकेगी।

अध्याय 10

आर्थिक और विकास योजना

156. नगर विकास योजना.—(1) प्रत्येक नगरपालिका ऐसी नियतकालिकता की, और ऐसे अध्यायों, सामग्री और स्कीमों को अन्तर्विष्ट करने वाली, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायें, एक नगर विकास योजना बनायेगी। नगर विकास योजना जिला कलक्टर और सरकार के निम्नलिखित विभागों के अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के परामर्श से तैयार की जायेगी, अर्थात्:—

- (i) सार्वजनिक निर्माण विभाग;
- (ii) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग;
- (iii) सिंचाई विभाग;
- (iv) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग;

- (v) शिक्षा विभाग;
- (vi) स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग;
- (vii) योजना विभाग;
- (viii) नगर सुधार न्यास/नगर विकास प्राधिकरण, यदि कोई हो;
और
- (ix) कोई अन्य विभाग या अभिकरण, जिससे नगरपालिका परामर्श करना आवश्यक समझे।

(2) नगरपालिका नगर विकास योजना की तैयारी के लिए जिला कलक्टर के समन्वय में पूर्वोक्त विभागों की सहायता से विशेषज्ञों और ज्ञानवान व्यक्तियों से सहायता ले सकेगी।

(3) उस दशा में जहां नगरपालिका किसी महानगर क्षेत्र का कोई भाग है, उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गयी नगर विकास योजना, महानगर क्षेत्र विकास योजना में सम्मिलित किये जाने के लिए महानगर योजना समिति को भेजी जायेगी; और समस्त अन्य दशाओं में, वह जिला मास्टर योजना में सम्मिलित किये जाने के लिए जिला योजना समिति को भेजी जायेगी।

(4) महानगर योजना समिति या, यथास्थिति, जिला योजना समिति, समिति में और संबंधित नगरपालिका के साथ सम्यक् विचार-विमर्श करने के पश्चात्, नगर विकास योजना या ऐसी योजना के ऐसे तत्वों को, जिन्हें वह समुचित समझे, महानगर क्षेत्र विकास योजना या, यथास्थिति, जिला मास्टर विकास योजना में सम्मिलित करेगी; और तत्पश्चात् वह अपने द्वारा तैयार की गयी योजना को राज्य योजना में सम्मिलित किये जाने के लिए और योजना के निष्पादन के लिए सरकार से संसाधनों के आबंटन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

157. महानगर योजना के लिए समिति.— (1) सम्पूर्ण महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए 10 लाख या अधिक की जनसंख्या वाले प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति गठित की जायेगी, जिसे इस धारा में इसके पश्चात् 'समिति' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। यह योजना "महानगरक्षेत्र विकास योजना" के नाम से जानी जायेगी।

(2) समिति में इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किये जायें।

(3) समिति के सदस्यों की कुल संख्या इस प्रकार नियत करने में राज्य सरकार क्रमशः नामनिर्देशित सदस्यों और निर्वाचित सदस्यों की संख्या विनिर्दिष्ट करेगी:

परन्तु ऐसी समिति के सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून, महानगरीय क्षेत्र में की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा, और उनमें से, ऐसे महानगरीय क्षेत्र में के नगरपालिक क्षेत्र की जनसंख्या और उस क्षेत्र में की पंचायतों की जनसंख्या के बीच के अनुपात में निर्वाचित किये जायेंगे।

(4) निर्वाचित सदस्य ऐसी रीति से चुने जायेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विरचित नियमों में विहित की जाये।

(5) नामनिर्देशित सदस्यों में—

(क) भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति;

(ख) राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति;

और

(ग) ऐसे संगठनों और संस्थाओं का, जिनकी राज्य सरकार द्वारा पहचान की जाये, प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति,

हो सकेंगे।

(6) उप-धारा (5) में निर्दिष्ट व्यक्तियों का नामनिर्देशन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, तथापि, वह इस शर्त के अधीन होगा कि भारत सरकार का या केन्द्रीय सरकार के किसी भी संगठन या संस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के मामले में भारत सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त की जायेगी।

(7) नामनिर्देशन या तो नाम से या पदाभिधान से किया जा सकेगा।

(8) समिति के, -

(i) महानगरीय क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय के सम्बन्ध में ऐसे कृत्य होंगे, जो उसे राज्य सरकार द्वारा समनुदिष्ट किये जायें; और

(ii) ऐसी शक्तियां और कृत्य होंगे जो उसे इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त या प्रत्यायोजित या न्यस्त किये जायें।

(9) समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(10) प्रत्येक महानगरीय योजना समिति, महानगर क्षेत्र विकास योजना का प्रारूप तैयार करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी:-

(i) महानगरीय क्षेत्र की नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गयी योजनाएं;

(ii) पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच के सामान्य हित के विषय, जिसमें क्षेत्र की समन्वित स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों की हिस्सेदारी, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण सम्मिलित हैं;

(iii) भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समग्र लक्ष्य और प्राथमिकताएं; और

(iv) भारत सरकार के और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगरीय क्षेत्र में किये जाने के लिए संभावित विनिधानों और अन्य उपलब्ध संसाधनों का, चाहे वे वित्तीय हों या अन्यथा, विस्तार और स्वरूप।

(11) प्रत्येक महानगरीय योजना समिति का अध्यक्ष, ऐसी समिति द्वारा यथाप्रारूपित महानगरीय क्षेत्र विकास योजना को राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

स्पष्टीकरण.— इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए साधारणतः पद “महानगरीय क्षेत्र” और “पंचायत” के अर्थ क्रमशः वही होंगे जो उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 243त में समनुदिष्ट किये गये हैं।

158. जिला योजना के लिए समिति.— राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 121 के उपबन्धों के अधीन गठित की गयी जिला योजना समिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यघ के अधीन गठित की गयी समिति समझी जायेगी।

अध्याय 11

नगरीय विकास और नगर योजना

159. **नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करना.**— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नगरपालिका, नगर के नियोजित और समेकित विकास और भूमि के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से नगर का एक विस्तृत सर्वेक्षण करवायेगी और मास्टर विकास

योजना और कानून द्वारा अपेक्षित अन्य योजनाएं तैयार करेगी। नगरपालिका इस प्रयोजन के लिए महानगर योजना समिति या, यथास्थिति, जिला योजना समिति के साथ-साथ राज्य के मुख्य नगर नियोजक से भी समन्वय स्थापित करेगी। इसमें वर्णित योजनाएं निम्नलिखित समय-परिप्रेक्ष्य में तैयार की जायेंगी, अर्थात्:-

- (i) मास्टर विकास योजना-बीस वर्ष की कालावधि के लिए;
- (ii) निष्पादन योजना- पांच वर्ष की कालावधि के लिए; और
- (iii) वार्षिक नगरपालिक कार्य योजना-एक वर्ष की कालावधि के लिए।

(2) मास्टर विकास योजना, निष्पादन योजना और वार्षिक नगरपालिक कार्य योजना के अतिरिक्त नगरपालिका प्रत्येक वार्ड के लिए, ऐसी अन्य योजनाएं तैयार कर सकेगी जो वह समुचित समझे या जैसा राज्य सरकार समय-समय पर निदेश दे।

(3) मास्टर विकास योजना नगरपालिका के विकासशील क्षेत्र की आवश्यकताओं का हितसाधन करने के लिए लोक उपयोगिताओं, नागरिक सुविधाओं, सामुदायिक प्रसुविधाओं, आवास, संचार और यातायात के नेटवर्क, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास की परियोजनाओं या स्कीमों के लिए समयबद्ध विकास को संक्षेप में स्पष्ट करेगी और जहां अपेक्षित हो वहां निम्नलिखित मामलों के लिए उपबंध कर सकेगी-

- (i) यातायात और संचार, जैसे सड़क, राजमार्ग, रेल, नहरें, अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों, एयरकार्गो काम्प्लेक्स और बस सेवा, उनके विकास को सम्मिलित करते हुए;
- (ii) विद्युत और गैस को सम्मिलित करते हुए जलप्रदाय, जल-निकास, मल-वहन, मलनिस्तारण और अन्य लोक उपयोगिताएं, सुख-सुविधाएं और सेवाएं;

- (iii) प्राकृतिक दृश्यावली, शहरी वन, वन्य जीवन, प्राकृतिक संसाधनों और भू-दृश्य चित्रणों के क्षेत्रों का परिरक्षण, संरक्षण और विकास;
- (iv) ऐतिहासिक, प्राकृतिक, स्थापत्य या वैज्ञानिक रुचि और शैक्षिक मूल्य की वस्तुओं, आकृतियों, संरचनाओं और स्थानों का परिरक्षण;
- (v) भूक्षरण का निरोध, वनीकरण और पुनः वनीकरण का उपबंध, जलाभिमुख क्षेत्रों, नदियों, नालियों, झीलों और जलाशयों का सुधार;
- (vi) सिंचाई, जलप्रदाय और जल-विद्युत संकर्म, बाढ़ नियंत्रण और जल तथा वायु प्रदूषण का निरोध;
- (vii) शैक्षिक और चिकित्सीय सुविधाएं;
- (viii) जिला व्यापार केन्द्र, अन्य शॉपिंग काम्प्लेक्स, निर्यातोन्मुखी औद्योगिक क्षेत्र और क्लियरिंग हाउस, स्थायी प्रदर्शनी केन्द्र, पशु मेले और बाजार;
- (ix) राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्पर्धाएं कराने योग्य खेलकूद और स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स;
- (x) मनोरंजन पार्क, जिसमें कृत्रिम झीलें और जलाशय सम्मिलित हैं;
- (xi) सांस्कृतिक काम्प्लेक्स, जिसमें नाट्यशाला, सिनेमाघर, स्टूडियो, आमोद-प्रमोद के केन्द्र, कांफ्रेंस हॉल काम्प्लेक्स, कन्सर्ट हॉल, टाउन हॉल और ओडिटोरिया सम्मिलित हैं;
- (xii) पर्यटक काम्प्लेक्स, जिसमें होटल और मोटल, कार भाड़ा सम्बन्धी सेवाएं, संगठित टूर और ट्रेक सम्मिलित हैं;

- (xiii) भिन्न-भिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आबंटन, भूमि का साधारण वितरण और साधारण अवस्थिति और वह सीमा, जिस तक भूमि आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक कृषि, या वन के रूप में या खनिज निष्कर्षण के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा सकेगी;
- (xiv) खुले स्थानों, उद्यानों, मनोरंजन केन्द्रों, चिड़ियाघरों, नेचर-रिजर्व, पशु अभयारण्य, डेयरी और स्वास्थ्य रिसोर्ट और अन्य प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों का आरक्षण;
- (xv) अधिक जनसंख्या और औद्योगिक रूप से संकुलित क्षेत्रों से जनसंख्या या उद्योगों का स्थान परिवर्तन और जनसंख्या के घनत्व या संकुचित क्षेत्रों का अंकन तथा ऐसे क्षेत्र में अनुज्ञात किये जाने वाले जनसंख्या घनत्व या उद्योग संकेन्द्रण का अंकन;
- (xvi) आवासन;
- (xvii) नीचे, दलदली या अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों को भरना या उनका पुनरुद्धार करना या भूमियों को समतल करना; और
- (xviii) विद्यमान निर्मित क्षेत्रों का पुनः विकास और सुधार।

(4) मास्टर विकास योजना, जहां अपेक्षित हो, उन विभिन्न जोनों को भी परिभाषित कर सकेगी जिनमें नगरपालिका विकास के प्रयोजनों के लिए विभाजित की जा सकेगी और ऐसी रीति उपदर्शित कर सकेगी जिसमें विकासात्मक कार्य किये जाने हैं, और ऐसी रीति उपदर्शित कर सकेगी जिसमें प्रत्येक जोन में भूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है (चाहे उसमें विकासात्मक कार्य करते हुए या अन्यथा) और उन प्रक्रमों को उपदर्शित कर सकेगी जिनमें ऐसा कोई विकासात्मक कार्य किया जायेगा

और उस आधारभूत प्रतिमान ढांचे के रूप में कार्य करेगी जिसके अन्तर्गत विभिन्न जोनों के लिए जोन विकास योजनाएं तैयार की जा सकेंगी:

परन्तु नगरपालिका, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो किसी जोन के क्षेत्र को परिवर्तित कर सकेगी।

(5) नगरपालिका ऊपर वर्णित कानून द्वारा अपेक्षित अन्य योजनाओं के मामले में उनमें सम्मिलित की जाने वाली विकास की मदों और अपेक्षित सर्वेक्षणों की सीमा के बारे में विनिश्चय कर सकेगी।

(6) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, नगरपालिका मास्टर विकास योजना में सम्मिलित किसी स्कीम का, उसके वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, जिम्मा ले सकेगी।

160. योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया.— (1) किसी भी योजना को अंतिम रूप से तैयार करने के पूर्व नगरपालिका योजना का एक प्रारूप तैयार करेगी और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायी जाकर, योजना के संबंध में किसी भी व्यक्ति के आक्षेपों और सुझावों को, ऐसी तारीख के पूर्व, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, आमंत्रित करते हुए एक नोटिस ऐसे प्रारूप में और रीति से प्रकाशित करते हुए, जो उप-विधियों द्वारा अवधारित की जाये, प्रकाशित करेगी।

(2) नगरपालिका, यदि वह समुचित समझे, प्रारूप योजना को अंतिम रूप देने के पूर्व उस पर विचार करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगी:—

- (i) नगरपालिका के समस्त सदस्य;
- (ii) उद्योग, वाणिज्य और व्यापार तथा वृत्तियों के संगमों के प्रतिनिधि;
- (iii) नगर में अवस्थित शैक्षिक संस्थानों से छह प्रतिनिधि;

(iv) नगर में अवस्थित प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों से छह प्रतिनिधि; और

(v) नगर के कोई भी अन्य छह प्रमुख नागरिक।

(3) सलाहकार समिति के समस्त आक्षेपों, सुझावों, अभ्यावेदनों और सिफारिशों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् नगरपालिका योजना को अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेजेगी और राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् योजना को अंतिम रूप से मंजूर करेगी।

(4) योजना के प्ररूप और अंतर्वस्तु तथा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में और ऐसी योजना के तैयार किये जाने और मंजूरी से संबंधित किसी भी अन्य मामले के संबंध में उपबंध उप-विधियों द्वारा किये जा सकेंगे।

161. **योजना के प्रवर्तन की तारीख.**— नगरपालिका द्वारा योजना मंजूर किये जाने के तुरंत पश्चात् उसे लोक नोटिस द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि योजना का अनुमोदन किया जा चुका है और उस स्थान का नाम देते हुए, जहां योजना की प्रति का समस्त समुचित कालांशों में निरीक्षण किया जा सकता है, प्रकाशित किया जायेगा और उपर्युक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख को यह योजना प्रवर्तन में आ जायेगी।

162. **योजना का पश्चात्वर्ती उपांतरण.**— (1) धारा 161 के उपबंधों के अनुसार योजना के प्रवर्तन में आने के पश्चात् किसी भी समय नगरपालिका, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, योजना में ऐसे कोई भी उपान्तरण कर सकेगी, जो वह ठीक समझे, ऐसे उपान्तरण जो उसकी राय में योजना के स्वरूप में तात्विक उपान्तरण नहीं करते हैं और जो भूमि के उपयोगों की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से संबंधित नहीं हैं।

(2) योजना में कोई भी उपान्तरण करने के पूर्व नगरपालिका, ऐसी तारीख के पूर्व, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, आक्षेप आमंत्रित करते

हुए, नोटिस प्रकाशित करेगी और उन समस्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगी, जो नगरपालिका को प्राप्त हों।

(3) इस धारा के उपबंधों के अधीन किया गया प्रत्येक उपान्तरण प्रकाशित किया जायेगा और वह उपान्तरण या तो प्रकाशन की तारीख से या ऐसी तारीख से, जो नगरपालिका राजपत्र में प्रकाशित नोटिस द्वारा नियत करे, प्रवर्तन में आयेगा तदुपरांत उपान्तरित योजना इस अधिनियम के समस्त आशयों और समस्त प्रयोजनों के लिए प्रवर्तन में आयेगी।

(4) किसी भी उपान्तरित योजना के प्रवर्तन में आने पर इस अध्याय की पूर्वगामी धाराओं के सिवाय, किसी भी अन्य धारा में मास्टर विकास योजना या किसी भी अन्य योजना के प्रति निर्देश को इस धारा के उपबंधों के अधीन यथा-उपान्तरित मास्टर विकास योजना या, यथास्थिति, किसी भी अन्य योजना के प्रति निर्देश के रूप में अर्थान्वित किया जायेगा।

(5) इस धारा के अधीन योजना का कोई भी उपान्तरण तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसका अंतिम रूप से अनुमोदन न हो जाये।

163. **योजना का क्रियान्वयन.**— किसी भी योजना के प्रवर्तन में आने के पश्चात् नगरपालिका, योजना के क्रियान्वयन के लिए ऐसी कार्रवाई आरम्भ कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, आवश्यक समझी जाये।

164. **इस अधिनियम के पूर्व तैयार की गयी योजनाएं इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी समझी जायेंगी.**— इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन तैयार की गयी कोई मास्टर विकास योजना इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन तैयार की गयी समझी जायेगी, जिस पर मास्टर योजना/मास्टर विकास योजना की मंजूरी, उपान्तरण और प्रवर्तन से संबंधित पूर्वगामी धाराओं के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे:

परन्तु जैसे ही इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई योजना मंजूर की जाती है, विधि के किन्हीं भी अन्य उपबंधों के अधीन नगरपालिका के लिए मंजूर किसी मास्टर विकास योजना प्रवर्तन में नहीं रहेगी।

165. **योजना का पुनरीक्षण.**— इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, यदि राज्य सरकार या नगरपालिका की, उस तारीख से दस वर्ष के भीतर, जिसको कोई योजना इस अधिनियम के अधीन प्रवर्तन में आती है, कभी भी यह राय हो कि ऐसी योजना का पुनरीक्षण आवश्यक है तो राज्य सरकार नगरपालिका को पुनरीक्षण का निदेश दे सकेगी या नगरपालिका स्वप्रेरणा से, नया नागरिक सर्वेक्षण, यदि आवश्यक हो, करवाने और विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र तैयार करवाने के पश्चात् ऐसी योजना का पुनरीक्षण कर सकेगी और तदुपरांत इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध, जहां तक वे लागू किये जा सकें, ऐसी योजना के पुनरीक्षण पर वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी योजना की तैयारी, प्रकाशन और मंजूरी के संबंध में लागू होते हैं।

166. **विकास क्षेत्रों की घोषणा .**— (1) धारा 161 में उपबन्धित रूप से किसी योजना के प्रवर्तन में आने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र नगरपालिका, राज्य सरकार के अनुमोदन से और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नगर में किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर सकेगी।

(2) राजपत्र में उप-धारा (1) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भूमि का उपयोग आरंभ या उसमें परिवर्तन नहीं करेगा या भूमि पर कोई भी विकास कार्य नहीं करेगा:

परन्तु निम्नलिखित के लिए ऐसी कोई अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगी:—

- (i) किसी भवन के रख-रखाव, सुधार या उसमें अन्य परिवर्तन के लिए ऐसे संकर्मों के कार्यान्वयन के लिए जो भवन के केवल आंतरिक भाग को प्रभावित करते हों या जो उसके बाह्य स्वरूप को तात्विक रूप से प्रभावित नहीं करते हों;
- (ii) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी भी आदेश या निदेश के अनुपालन में किये जाने वाले संकर्मों के लिए;
- (iii) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन नगरपालिका द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किये जाने वाले संकर्मों के लिए;
- (iv) केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किये जाने वाले ऐसे किन्हीं संकर्मों के लिए जो—
- (क) किसी राजमार्ग, सड़क या लोकमार्ग के रख-रखाव या सुधार के लिए अपेक्षित हों और वे ऐसे संकर्म हों जो ऐसे राजमार्ग, सड़क या लोकमार्ग की सीमाओं के भीतर की भूमि पर किये गये हों; और
- (ख) किन्हीं नालियों, मलनालियों, मुख्य प्रणालों, पाइपों, केबलों, टेलीफोनों या अन्य साधित्रों का निरीक्षण, मरम्मत या नवीकरण करने के प्रयोजन के लिए हों;
- (v) खेती करने के मामूली अनुक्रम में किये गये उत्खनन (कृओं सहित) के लिए हों;
- (vi) ऐसी किसी सड़क के संनिर्माण के लिए जो केवल कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि पर पहुंचने के लिए आशयित हो;

(vii) उस भूमि के सामान्य उपयोग के लिए जिसका अस्थायी रूप से अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा हो; और

(viii) ऐसी भूमि के मामले में, जिसका उपयोग सामान्यतः एक प्रयोजन के लिए किया जाता है और यदाकदा किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, यदाकदा उस अन्य प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए।

167. **अप्राधिकृत विकास या योजना से असंगत उपयोग के लिए शास्ति.**— (1) कोई व्यक्ति, जो स्वप्रेरणा से या किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर ऐसा कोई विकास प्रारम्भ करता है, विकास का दायित्व लेता है या उसे कार्यान्वित करता है या किसी भूमि के उपयोग का परिवर्तन करता है जो—

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना किया जाता है; या

(ख) मंजूर की गयी किसी अनुज्ञा के अनुसार नहीं है या किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में है जिसके अध्यक्षीन ऐसी अनुज्ञा मंजूर की गयी थी; या

(ग) विकास की अनुज्ञा का सम्यक् रूप से प्रतिसंहरण करने के पश्चात् किया जाता है; या

(घ) ऐसी अनुज्ञा के उल्लंघन में है जिसका सम्यक् रूप से उपान्तरण किया गया है,

दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अपराध के जारी रहने पर ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें अपराध जारी रहता है, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसा करने की अनुज्ञा के बिना किसी योजना के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भूमि या भवन का उपयोग जारी रखता है या उपयोग करना अनुज्ञात करता है, या, जहां ऐसे उपयोग को जारी रखने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा दी गयी हो, वहां ऐसा उपयोग उस कालावधि के पश्चात् भी, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, या उन निबन्धनों और शर्तों का अनुपालन किये बिना, जिनके अधीन ऐसा उपयोग जारी रखने की अनुज्ञा दी गयी है, जारी रखता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अपराध जारी रहने पर ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अपराध जारी रहता है, पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

168. अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति.—

(1) जहां भूमि का कोई विकास धारा 167 की उप-धारा (1) में उपदर्शितानुसार किया गया हो वहां नगरपालिका इस धारा के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, स्वामी को नोटिस दे सकेगी, जिसमें उससे अपेक्षा की जायेगी कि वह नोटिस की तामील के पश्चात् उसमें विनिर्दिष्ट ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर जो एक मास से अधिक की नहीं होगी, निम्नलिखित में से ऐसे कदम उठाए जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किये जायें:—

(क) धारा 167 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या (ग) में विनिर्दिष्ट मामलों में भूमि को उसी स्थिति में प्रत्यावर्तित करना, जो स्थिति उक्त विकास के पूर्व विद्यमान थी;

(ख) धारा 167 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या (घ) में विनिर्दिष्ट मामलों में शर्तों या यथाउपान्तरित अनुज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित करना:

परन्तु जहां नोटिस में भूमि के किसी उपयोग को रोकना अपेक्षित हो वहां नगरपालिका अधिभोगी पर भी नोटिस की तामील करायेगी।

(2) विशिष्टतया ऐसे नोटिस में उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा की जा सकेगी कि—

(क) किसी भवन या संकर्म को तोड़ दिया जाये या उसमें परिवर्तन किया जाये;

(ख) भूमि पर किसी भवन का निर्माण या अन्य संक्रियाएं की जायें; या

(ग) भूमि के किसी उपयोग को रोक दिया जाये।

(3) ऐसे नोटिस से व्यथित कोई भी व्यक्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर और उप-विधियों द्वारा अवधारित रीति से, भूमि पर किसी भवन या संकर्म के प्रतिधारण के लिए या भूमि के किसी उपयोग को जारी रखने के लिए, जिससे नोटिस संबंधित है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा; और आवेदन का अन्तिम रूप से अवधारण लम्बित होने या उसे वापस ले लिए जाने के दौरान भवनों या संकर्म के प्रतिधारण या ऐसे उपयोग को जारी रखने पर केवल नोटिस का कोई प्रभाव नहीं होगा।

(4) आवेदित अनुज्ञा यदि मंजूर कर दी जाती है तो नोटिस प्रत्याहृत माना जायेगा; किन्तु आवेदित अनुज्ञा यदि मंजूर नहीं की जाती है तो नोटिस यथावत बना रहेगा; या यदि ऐसी अनुज्ञा केवल कुछ भवनों या संकर्मों के प्रतिधारण के लिए या भूमि के केवल किसी भाग के उपयोग को जारी रखे जाने के लिए मंजूर की जाती है तो नोटिस ऐसे भवनों या संकर्मों या भूमि के ऐसे भाग के संबंध में प्रत्याहृत माना जायेगा, किन्तु अन्य भवनों या संकर्मों या, यथास्थिति, भूमि के अन्य भागों के संबंध में यथावत बना रहेगा; और तदुपरांत स्वामी से अपेक्षा की जायेगी कि वह

ऐसे अन्य भवनों, संकर्मों या भूमि के भाग के संबंध में उप-धारा (1) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट कदम उठाये।

(5) यदि नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर या उप-धारा (4) के अधीन आवेदन के निपटारे के पश्चात् उसी कालावधि के भीतर-भीतर नोटिस का या जितना वह यथावत रहता है उसका, अनुपालन नहीं किया जाता है तो नगरपालिका-

(क) नोटिस का अनुपालन न करने पर स्वामी को और जहां नोटिस में भूमि के किसी उपयोग को जारी न रखे जाने की अपेक्षा की गयी हो वहां किसी अन्य व्यक्ति को भी, जो भूमि का उपयोग करता है या नोटिस के उल्लंघन में भूमि का उपयोग कराता है या उसकी अनुज्ञा देता है, अभियोजित कर सकेगी; और

(ख) जहां नोटिस में किसी भवन या संकर्म को तोड़ दिये जाने या उसमें परिवर्तन करने या किसी भवन या अन्य संक्रियाओं के निष्पादन की अपेक्षा की गयी हो, वहां स्वयं विकास होने के पहले वाली स्थिति का प्रत्यावर्तन करायेगी और अनुज्ञा की शर्तों या यथाउपान्तरित अनुज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु किसी भवन या संकर्म को तोड़ने या उसमें परिवर्तन करने या किसी निर्माण या अन्य संक्रिया के निष्पादन सहित ऐसे कदम उठायेगी जो नगरपालिका आवश्यक समझे; और इस निमित्त उसके द्वारा उपगत खर्चों की रकम स्वामी से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करेगी।

(6) उप-धारा (5) के खण्ड (क) के अधीन अभियोजित कोई भी व्यक्ति, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अपराध जारी रहने पर उसे ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम

बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें अपराध जारी रहता है, दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

169. **अप्राधिकृत विकास को रोकने की शक्ति.**— (1) जहां धारा 167 की उप-धारा (1) में उपदर्शितानुसार भूमि का कोई विकास किया जा रहा हो किन्तु पूर्ण न हुआ हो, वहां नगरपालिका, स्वामी और विकास करने वाले व्यक्ति पर नोटिस की तामील की तारीख से भूमि के विकास को रोकने की अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील कर सकेगी, और तदुपरांत ऐसे नोटिस के संबंध में धारा 168 की उप-धाराओं (3),(4),(5) और (6) के उपबंध, जहां तक लागू हो सकें, वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे धारा 168 के अधीन नोटिस के संबंध में लागू होते हैं।

(2) कोई व्यक्ति, ऐसे नोटिस की तामील होने के पश्चात् भी, चाहे स्वयं के लिए या स्वामी या अन्य किसी भी व्यक्ति के निमित्त भूमि का विकास करना जारी रखता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अननुपालन जारी रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसे और जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(3) इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् भी अप्राधिकृत विकास करना जारी रखता है, वहां नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को, किसी अभियोजन या अन्य कार्यवाही या कार्रवाई, जो इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भ की जा सकती हो, के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति को, जिसके द्वारा ऐसा निर्माण कार्य करना जारी रखा गया हो और उसके समस्त सहायकों और कर्मकारों को ऐसे अप्राधिकृत विकास के स्थान से, ऐसे समय के भीतर जो अध्यपेक्षा में

विनिर्दिष्ट किया जाये, हटाने के लिए किसी पुलिस अधिकारी से अपेक्षा करने की शक्ति होगी और ऐसा पुलिस अधिकारी अध्यक्ष का तदनुसार अनुपालन करेगा। ऐसे व्यक्तियों को हटाये जाने के अतिरिक्त नगरपालिका ऐसी संनिर्माण सामग्रियों, औजारों आदि को भी अधिहृत कर सकेगी जिन्हें ऐसा व्यक्ति अप्राधिकृत विकास के लिए उपयोग में ले रहा था।

(4) उप-धारा (3) के अधीन किसी अध्यक्ष आदेश का अनुपालन कर दिये जाने के पश्चात्, अप्राधिकृत विकास तत्पश्चात् भी जारी रखने वाला कोई व्यक्ति या उसके सहायक और कर्मकार, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अपराध के जारी रहने पर ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अपराध जारी रहता है, दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होंगे।

(5) इस अधिनियम के अधीन अप्राधिकृत विकास को रोकने के परिणामस्वरूप उठाई गयी किसी भी हानि के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी नुकसानी का दावा नहीं किया जायेगा।

170. अप्राधिकृत अस्थायी विकास का संक्षिप्ततः हटाया जाना या रोकना.— (1) इस अध्याय में इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां किसी व्यक्ति ने धारा 167 की उप-धारा (1) में उपदर्शितानुसार किसी अस्थायी प्रकृति का कोई विकास अप्राधिकृत रूप से किया है, वहां नगरपालिका लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर यथापूर्वोक्त अप्राधिकृत रीति से निर्मित किसी संरचना या कार्य को हटाने या भूमि के उपयोग को रोकने का निदेश दे सकेगी और यदि तत्पश्चात् वह व्यक्ति आदेश की अनुपालना उक्त कालावधि के भीतर-भीतर नहीं करता है तो नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, बिना किसी नोटिस के आदेश में यथानिदेशित रूप से ऐसे कार्य को संक्षिप्ततः हटवा सकेगा या

ऐसे उपयोग को संक्षिप्ततः रुकवा सकेगा; और पुनः किये गये किसी भी अप्राधिकृत विकास को बिना यथापूर्वोक्त किसी भी आदेश के संक्षिप्ततः हटा दिया या रोक दिया जायेगा:

परन्तु खड़ी फसलें संक्षिप्ततः नहीं हटायी जायेंगी और फसलों को काटने और एकत्रित करने के लिए, नगरपालिका द्वारा संबंधित व्यक्ति को छह मास से अनधिक की युक्तियुक्त कालावधि अनुज्ञात की जायेगी।

(2) इस प्रश्न पर, कि अस्थायी प्रकृति का विकास क्या है, नगरपालिका का विनिश्चय अंतिम होगा।

171. भूखंड के उप-विभाजन या निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी.—

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 161 के अधीन योजना के कार्यान्वयन की तारीख को या उसके पश्चात् अपनी भूमि या भूखंड का उप-विभाजन करने या ऐसी भूमि या भूखंड पर निजी मार्ग बनाने का आशय रखता है, ऐसे प्रयोजन के लिए आशयित अभिन्यास योजना, ऐसे विवरणों और ऐसी फीस के साथ, जो उप-विधियों या सरकारी आदेशों द्वारा अवधारित किये जायें, नगरपालिका को मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) नगरपालिका, उप-विधियों में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर, ऐसी योजना को या तो बिना उपांतरणों के या ऐसे उपांतरणों या शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह समीचीन समझे, मंजूरी दे सकेगी या, यदि नगरपालिका की यह राय हो कि ऐसा विभाजन या मार्ग बनाना किसी भी तरह से योजना के प्रस्तावों से संगत नहीं है, मंजूरी देने से इनकार कर सकेगी।

(3) मंजूरी से इन्कार के लिए या मंजूरी में उपांतरणों या शर्तों के अधिरोपण के लिए कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति, उप-धारा (1) के उल्लंघन में, या उप-धारा (2) के अधीन दी गयी किसी भी मंजूरी में के उपांतरणों या शर्तों के उल्लंघन में, या उक्त उप-धारा (2) के अधीन मंजूरी देने से इनकार कर

देने के बावजूद, कोई कार्य करता है तो नगरपालिका ऐसे व्यक्ति को लिखित नोटिस द्वारा, किसी चालू कार्य को रोकने का निदेश दे सकेगी और उप-विधियों द्वारा अवधारित रीति से जांच करने के पश्चात् किसी भी कार्य को हटा सकेगी या गिरा सकेगी या भूमि को उसकी मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित कर सकेगी।

(5) कोई भी व्यक्ति, जो ऐसे नोटिस की तामील हो जाने के पश्चात् भी, चाहे स्वयं के लिए या स्वामी के या किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त, भूमि का विकास करना जारी रखता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अननुपालन जारी रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसे और जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

172. **उपगत व्यय की वसूली.**— नगरपालिका द्वारा धाराओं 168, 169, 170 और 171 के अधीन उपगत कोई भी व्यय, व्यतिक्रमी व्यक्ति या भूमि अथवा भू-खंड के स्वामी से इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका को शोध्य रकम होगी और भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

173. **परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना और विषयवस्तु.**—

(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए नगरपालिका, किसी भी योजना के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए या अन्यथा, नगर या उसके किसी भाग के एकीकृत विकास के लिए ऐसी परियोजनाएं और स्कीमें बना सकेगी जैसी आवश्यक समझी जायें।

(2) कोई परियोजना या स्कीम निम्नलिखित में से सभी या किसी भी मामले के लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात्:—

- (क) लोक उपयोगिताओं, जैसे सड़कों, मार्गों, खुले स्थानों, उद्यानों, बागों, मनोरंजन और खेल के मैदानों, अस्पतालों, औषधालयों, शैक्षिक संस्थाओं, हरित पट्टियों, डेयरियों, आवास विकास, बाजारों का विकास, शॉपिंग सेन्ट्रों, वाणिज्यिक काम्प्लेक्सों, सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रशासनिक केन्द्रों, परिवहन सुविधाओं, और सभी प्रकार के लोक उद्देश्यों के प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन, विकास, आरक्षण और विक्रय या पट्टे पर देना;
- (ख) स्कीम में समाविष्ट किसी भूमि की अभिन्यास योजना तैयार करना;
- (ग) स्कीम में समाविष्ट सम्पत्ति के स्वामियों से संबंधित स्थलों का पुनः वितरण;
- (घ) मानव निवास के लिए अनपयुक्त भवनों या भवन के भाग को बंद करना या तोड़ना;
- (ङ) बाधाकारी भवन या उसके भाग को तोड़ना;
- (च) भवनों का संनिर्माण या पुनःसंनिर्माण;
- (छ) निजी मार्गों सहित मार्गों का संनिर्माण और परिवर्तन करना;
- (ज) मार्गों की प्रकाश व्यवस्था, जलप्रदाय, जल-निकास और अन्य सुविधाएं;
- (झ) खुले स्थानों का उपबंध;
- (ञ) स्कीम में समाविष्ट क्षेत्र के लिए अपेक्षित स्वच्छता इंतजाम;

- (ट) निवासियों के किसी भी वर्ग के लिए आवास का उपबंध;
- (ठ) संचार के लिए सुविधाओं के उपबंध;
- (ड) स्कीम में समाविष्ट किसी भी संपत्ति का विक्रय, पट्टे पर देना या विनिमय;
- (ढ) भवनों, सड़कों, जलनिकास, जिसमें मल-वहन, सतही और अधोमृदा जलनिकास, मल निस्तारण सम्मिलित है, और अन्य ऐसी ही सुविधाओं के प्रयोजन के लिए भू-खण्डों का पुनःसंनिर्माण;
- (ण) भवनों, पुलों और अन्य संरचनाओं का संनिर्माण, परिवर्तन और हटाया जाना;
- (त) ऐतिहासिक या राष्ट्रीय अभिरूचि या प्राकृतिक सौन्दर्य की वस्तुओं और धार्मिक उद्देश्यों के लिए वास्तव में प्रयुक्त किये जाने वाले भवनों का परिरक्षण;
- (थ) विकलांग, निःशक्तजन, और मानसिक रूप से मंदित व्यक्तियों तथा असहाय बुजुर्ग व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और समाज के कमजोर तबके के सदस्यों के लिए आवास-स्थान उपलब्ध करवाने के प्रयोजन के लिए भूमि का किसी भी स्कीम में ऐसी सीमा तक आरक्षण करना, जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में विहित किया जाये;
- (द) भवनों के चारों तरफ रखे जाने वाले खुले स्थान, किसी भू-खंड के लिए भवन के क्षेत्रफल के

प्रतिशत, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुज्ञात भवन की संख्या, आकार, ऊंचाई और विशेषता; वे प्रयोजन, जिनके लिए भवन या विनिर्दिष्ट क्षेत्रों का उपयोग किया या नहीं किया जा सकेगा, भूखंडों के उप-विभाजन, किसी विनिर्दिष्ट कालावधि में किसी भी क्षेत्र में भूमि के आपत्तिकारक उपयोगों को रोकने, किसी भी भवन के लिए पार्किंग स्थान और सामान चढ़ाने और उतारने के स्थान और बहिर्गत भागों, विज्ञापन संकेतों और होर्डिंगों का आकार और अवस्थिति के संबंध में शर्तों और निर्बंधनों का अधिरोपण;

- (ध) ऐसी प्रकृति के कोई भी अन्य कार्य जो पर्यावरण सुधारों के लिए हों, जो नगरपालिका द्वारा हाथ में लिए जायें और ऐसे समस्त अन्य मामले जो इस अधिनियम के उद्देश्यों से असंगत न हों।

(3) परियोजना या स्कीम के प्रारूप में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्:—

- (क) प्रत्येक मूल भूखंड का क्षेत्र, स्वामित्व और धृति;
- (ख) उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन आबंटित या आरक्षित भूमि की विशिष्टियां, जिसमें उन उपयोगों का, जिसके लिए ऐसी भूमि प्रयुक्त की जानी है, और उन निर्बंधनों और शर्तों का, जिनके अधीन रहते हुए ऐसी भूमि को ऐसे उपयोग के लिए प्रयुक्त किया जाना है, साधारण संकेत होगा;
- (ग) वह सीमा जिस तक मूल भूखंडों की परिसीमाओं में परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है;

- (घ) समुचित नगरपालिका द्वारा वहन की जाने वाली स्कीम की शुद्ध लागत का प्राक्कलन;
- (ङ) उप-धारा (2) के अधीन, जो लागू हो, स्कीम के समस्त ब्यौरों का पूर्ण विवरण;
- (च) भूमि, चाहे वह खाली हो या उस पर पहले से ही निर्माण किया हुआ हो, का अभिविन्यास या पुनर्भिन्यास;
- (छ) नीचे, दलदली या अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों को भरना या उनका पुनरुद्धार करना अथवा भूमि को समतल करना; और
- (ज) कोई भी अन्य विशिष्टि, जो उप-विधियों द्वारा अवधारित की जाये।

174. **परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी.**— (1) नगरपालिका किसी विकास क्षेत्र में, संकल्प द्वारा, धारा 173 में यथा-उपबंधित किसी परियोजना या स्कीम की तैयारी के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी।

(2) ऐसी परियोजना या स्कीम बनाने के आशय की ऐसी घोषणा की तारीख से तीस दिवस के अपश्चात् नगरपालिका, ऐसी घोषणा, राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से जो उप-विधियों द्वारा अवधारित की जाये, प्रकाशित करेगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के अपश्चात् नगरपालिका, प्रारूप के रूप में परियोजना या स्कीम तैयार करेगी और उसे, उक्त प्रारूप परियोजना या स्कीम के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऐसी तारीख के पूर्व, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये और जो नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस से पहले की नहीं होगी, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए नोटिस के साथ, ऐसे प्रारूप में

और ऐसी रीति से प्रकाशित करेगी, जो उप-विधियों द्वारा अवधारित की जाये।

(4) उप-धारा (3) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर प्राप्त होने वाले समस्त आक्षेपों और सुझावों पर नगरपालिका विचार करेगी और ऐसे व्यक्तियों को, जो उससे प्रभावित हों और सुने जाने के इच्छुक हों युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यथाप्रकाशित प्रारूप परियोजना या स्कीम का प्रारूप अनुमोदित करेगी या उसमें ऐसे उपांतरण करेगी, जो वह उचित समझे।

(5) उप-धारा (4) के अधीन उपांतरणों सहित या उपांतरणों के बिना किसी परियोजना या स्कीम के अनुमोदन के तुरन्त पश्चात् नगरपालिका राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जो उप-विधियों द्वारा अवधारित की जाये, अंतिम परियोजना या स्कीम प्रकाशित करेगी और वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगी जिसको वह प्रवर्तन में आयेगी।

(6) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उनमें यथा अधिकथित प्रक्रिया का उस दशा में अनुसरण करना आवश्यक नहीं होगा, जहां परियोजना या स्कीम नगरपालिका में निहित किसी भूमि पर कार्यान्वित की जानी है और उसके निष्पादन में किसी भी भवन का तोड़ा जाना या वहां रहने वाले लोगों को हटाया जाना अन्तर्वलित नहीं है।

175. **पुनर्विकास स्कीम.**— जहां मुख्य नगरपालिक अधिकारी का किसी भी क्षेत्र के संबंध में, उसके कब्जे में की किसी सूचना के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि—

(क) किसी भी क्षेत्र के भवन बेमरम्मती या अस्वच्छता की दशाओं के कारण मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हैं या उनके खराब इंतजामों या संकड़ेपन या गली के खराब इंतजाम या प्रकाश, वायु, संवातन या समुचित सुविधाओं की कमी के कारण उस क्षेत्र के

निवासियों के स्वास्थ्य के लिए संकटपूर्ण या हानिकारक हैं, और

(ख) उस क्षेत्र की दशाओं से निपटने का सबसे संतोषप्रद तरीका पुनर्विकास स्कीमों के अनुसार गलियों और भवनों का पुनर्इतजाम और पुनर्संनिर्माण है,

तो वह उस क्षेत्र के संबंध में कोई पुनर्विकास स्कीम विरचित कर सकेगा। ऐसी स्कीम धारा 173 और 174 में यथा-उपबंधित नियमित स्कीम की समस्त अपेक्षाओं को पूरा करेगी।

176. परियोजना और स्कीम को अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करना.— प्रत्येक विकास स्कीम, उसके विरचित किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा नगरपालिका को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी और नगरपालिका, या तो स्कीम का बिना किसी उपांतरण के या ऐसे उपांतरणों सहित, जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदन कर सकेगी या स्कीम को अस्वीकार कर सकेगी और मुख्य नगरपालिक अधिकारी से ऐसे निदेशों के अनुसार जो नगरपालिका दे, कोई नयी स्कीम विरचित करने की अपेक्षा कर सकेगी।

177. किसी स्कीम की घोषणा के पश्चात् भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बंधन.— (1) धारा 174 के अधीन प्रारूप स्कीम के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् कोई भी व्यक्ति, परियोजना या स्कीम में सम्मिलित किये गये क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि या भवन के उपयोग का प्रारम्भ या उसमें परिवर्तन या किसी विकास का कार्यान्वयन तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने इस निमित्त बनायी गयी उप-विधियों के अनुसार नगरपालिका से ऐसा करने की आवश्यक अनुज्ञा के लिए आवेदन नहीं कर दिया हो और ऐसी अनुज्ञा प्राप्त न कर ली हो:

परन्तु किसी भी व्यक्ति के लिए ग्राम आबादी सीमाओं के भीतर ग्राम पंचायत द्वारा मंजूर अनुज्ञा के अनुसार, जहां तक कि ऐसी अनुज्ञा

ऐसी प्रारूप-स्कीम या स्कीम से संगत हो, ऐसा विकास करना विधिपूर्ण होगा।

(2) धारा 174 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित परियोजना या स्कीम पर धारा 166 से 172 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

178. **स्कीम का व्यपगत होना.**— यदि नगरपालिका धारा 174 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित परियोजना या स्कीम को, धारा 174 की उप-धारा (5) के अधीन उसके प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर क्रियान्वित करने में विफल रहती है तो उक्त दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर वह परियोजना या स्कीम व्यपगत हो जायेगी।

179. **परियोजना या स्कीम का उपांतरण या प्रत्याहरण.**—(1) यदि नगरपालिका की, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यह राय है कि ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि धारा 174 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित परियोजना या स्कीम प्रत्याहृत की जाती है और ऐसी घोषणा होने पर, ऐसी परियोजना या स्कीम के संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(2) यदि नगरपालिका धारा 174 की उप-धारा (4) के अधीन किसी परियोजना या स्कीम के अनुमोदन के पश्चात् किसी भी समय उसमें कतिपय ऐसे उपांतरण करना आवश्यक समझती है, जो उसकी राय में परियोजना और स्कीम के स्वरूप में कोई तात्विक परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वह उपयुक्त उपांतरण कर सकेगी।

180. **नगरपालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति.**— नगरपालिका, मुख्य नगरपालिक अधिकारी को नगर के किसी क्षेत्र के संबंध में कोई विकास स्कीम तैयार करने का निदेश दे

सकेगी और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो ऐसा निदेश देगी।

181. **किसी भी परियोजना या स्कीम की व्यावृत्ति.**— इस अधिनियम के किसी भी उपबंध में या तदधीन मंजूर की गयी किसी योजना में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, नगरपालिका को उक्त योजना के अन्तर्गत नहीं आने वाली किसी परियोजना या स्कीम को बनाने और उसे कार्यान्वित करने की स्वतन्त्रता होगी, यदि नगरपालिका की राय में ऐसा किया जाना आवश्यक है या लोकहित में समीचीन है, और उक्त योजना उस सीमा तक उपांतरित की गयी समझी जायेगी।

182. **भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बन्धन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति.**— (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी नगरपालिक क्षेत्र में स्थित किसी भूमि का उपयोग, उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए जिसके लिए ऐसी भूमि राज्य सरकार, किसी नगरपालिका, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय या प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को मूलतः आबंटित या विक्रीत की गयी थी, या किसी मास्टर योजना, जहां कहीं भी वह प्रवर्तन में हो, में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से अन्यथा नहीं करेगा या करने की अनुज्ञा नहीं देगा।

(2) ऐसी किसी भूमि के मामले में जो यथापूर्वोक्त रूप में आबंटित या विक्रीत नहीं की गयी है और उप-धारा (1) के अन्तर्गत नहीं आती है, कोई भी व्यक्ति, नगरपालिक क्षेत्र में स्थित ऐसी किसी भूमि का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा या करने की अनुज्ञा नहीं देगा जिसके लिए ऐसी भूमि का उपयोग इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पूर्व किया जा रहा था।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, किसी

ऐसी भूमि के स्वामी या धारक को उसके उपयोग में परिवर्तन करने के लिए, यदि लोकहित में ऐसा करने का उसका समाधान हो जाता है तो, ऐसी दरों पर संपरिवर्तन प्रभारों के संदाय पर और पड़ौसियों से, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, आक्षेप आमंत्रित करने और उनको सुनने के पश्चात् उपयोग में निम्नलिखित परिवर्तनों के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुज्ञा दे सकेगा, अर्थात्:—

- (i) आवासीय से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन; या
- (ii) वाणिज्यिक से कोई भी अन्य प्रयोजन; या
- (iii) औद्योगिक से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन; या
- (iv) सिनेमा से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन; या
- (v) होटल से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन; या
- (vi) पर्यटन से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन; या
- (vii) संस्थागत से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन;

परन्तु संपरिवर्तन प्रभार, की दरें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए और भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकेंगी।

(4) जहां राज्य सरकार या उप-धारा (3) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने, जिसे इस धारा के अधीन अनुज्ञा या नियमन के लिए आवेदन करना चाहिए था, आवेदन नहीं किया है और ऐसी अनुज्ञा मंजूर की जा सकती है या भूमि के उपयोग को नियमित किया जा सकता है, तो वह सम्यक् नोटिस देने और पक्षकार या पक्षकारों को सुनने के पश्चात् संपरिवर्तन प्रभारों के अवधारण के लिए अग्रसर होगा और ऐसे प्रभार, जो विहित किये जाएं, नगरपालिका को शोध्य होंगे और उप-धारा (6) के अधीन वसूलीय होंगे। नगरपालिका इस कार्य को शीघ्र करने के लिए कैम्प लगा सकेगी और साथ ही किसी भी अभिकरण की सहायता ले सकेगी:

परन्तु ऐसे मामलों में, जहां भूमि का मूल उपयोग किसी लोक प्रयोजन जैसे शिक्षा, चिकित्सा, या किसी पूर्ण प्रयोजन के लिए था, और आबंटन किसी रियायती दर पर किया गया था, तो वहां भूमि के परिवर्तन का नियमन तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि आबंटन की मूल दर और प्रचलित दर का अन्तर संदत्त नहीं कर दिया जाता और उस प्राधिकारी की, जिसने मूल आबंटन किया था, विनिर्दिष्ट सहमति प्राप्त नहीं कर ली जाती।

(5) इस प्रकार वसूल किये गये संपरिवर्तन प्रभार नगरपालिका की निधि में जमा किये जायेंगे।

(6) इस धारा के अधीन प्रभार, ऐसी भूमि के संबंध में, जिसका उपयोग परिवर्तित किया गया है, ऐसे प्रभारों को संदत्त करने के दायी व्यक्ति के हित पर प्रथम प्रभार होगा, और भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

183. **सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन-** (1) प्रत्येक नगरपालिका, नगरपालिका के भीतर किसी सार्वजनिक मार्ग के किसी भी ओर या दोनों ओर कोई लाइन विहित करेगी और यदि नगरपालिका ऐसे सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग को चौड़ा करने के प्रयोजन के लिए ऐसी नयी लाइन विहित करना आवश्यक समझे तो इस प्रकार विहित की गयी किसी लाइन या उसके किसी भाग के स्थान पर समय-समय पर नयी लाइन विहित कर सकेगी:

परन्तु-

(क) नगरपालिका ऐसी लाइन या, यथास्थिति, नयी लाइन, विहित करने से कम से कम एक मास पूर्व, उस मार्ग में या उसके उस भाग में, जिसके लिए ऐसी लाइन या नयी लाइन विहित करने का प्रस्ताव हो, उसका विशेष नोटिस लगायेगी और ऐसे संरेखण से

प्रभावित भूमियों के स्वामियों या अधिभोगियों को भी इसका नोटिस देगी;

(ख) नगरपालिका ऐसे समय के भीतर-भीतर जो ऐसे विशेष नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, नगरपालिका के कार्यालय में ऐसे प्रस्ताव के बारे में परिदत्त किसी लिखित आक्षेप या सुझाव पर विचार करेगी; और

(ग) नगरपालिका उक्त लाइन और संबंधित मार्ग के भीतर समाविष्ट क्षेत्र का नक्शा और उससे घिरी भूमियों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक विवरण तैयार करवायेगी, जो जन-साधारण के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(2) तत्समय इस प्रकार विहित लाइन सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन कहलायेगी।

(3) कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर किसी भवन के किसी भी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और नगरपालिका-

(क) निदेश देगी कि ऐसा निर्माण या पुनर्निर्माण रोक दिया जाये, और

(ख) लिखित नोटिस देकर, इस प्रकार निर्मित या पुनर्निर्मित भवन या उसके किसी भाग को तोड़ दिये जाने की अपेक्षा करेगी।

(5) उप-धारा (4) के अधीन नगरपालिका के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से, उसकी प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को छोड़कर, तीस दिवस के भीतर-भीतर कलक्टर को अपील कर सकेगा और अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।

184. **भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार.**— भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 13), विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 36) और ऐसी अन्य विधियों, जो राज्य सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित की जायें, के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार नियमों द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) राज्य सरकार, या किसी कानूनी निकाय या ऊपर उल्लिखित किन्हीं भी अधिनियमों या अन्य विधियों के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभिन्न लोक उपयोगिताओं, जिनमें विद्युत प्रदाय, टेलीफोन या अन्य दूरसंचार प्रसुविधाएं, गैस पाइप, जल-प्रदाय, जल-निकास, और मलनिकास, तथा भूमिगत रेलवे प्रणाली, पैदल सब-वे, शॉपिंग प्लाजा, भाण्डागार प्रसुविधाएं और उनसे सम्बन्धित साधित्र के लिए किसी नगरपालिक क्षेत्र में की सार्वजनिक और निजी मार्गों की अधोमृदा में मार्ग के विनिर्दिष्ट अधिकारों की नगरपालिका द्वारा मंजूरी,

(ख) यथापूर्वोक्त किन्हीं भी अधिनियमों या अन्य विधियों के अधीन किसी भी फीस या प्रभारों का उद्ग्रहण,

(ग) नगरपालिका को ऐसे नक्शे, रेखाचित्र और ऐसे विवरण उपलब्ध करवाना जिससे वह नगरपालिक क्षेत्र में

भूमिगत उपयोगिताओं के स्थान का अभिलेख ठीक-ठीक संकलित और संधारित करने में समर्थ हो सके,

(घ) कार्य के निष्पादन के लिए समय-सीमा नियत करना और इस संबंध में ऐसी शर्तें अधिरोपित करना, जिन्हें नगरपालिका समुचित समझे,

(ङ) कार्य पूरा करने में विलम्ब के मामले में शास्ति अधिरोपित करना, और

(च) किसी नगरपालिका मार्ग या किसी अन्य नगरपालिका संपत्ति को पूर्वोक्त अधिकारों के प्रयोग में लाये जाने के दौरान हुई क्षति की सम्बन्धित विभाग के खर्च पर मरम्मत या मूल स्थिति में लौटाना।

185. **भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे**— मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगरपालिक क्षेत्रों में समस्त भूमिगत उपयोगिताओं के संपूर्ण सर्वेक्षण नक्शे, रेखाचित्र और वर्णन, और फायर हाईड्रेन्ट्स तथा मल-वहन मेनहॉलों के नक्शों का संधारण ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से करवायेगा जैसा उप-विधियों द्वारा उपबंधित किया जाये, और सूचना के अधिकार से संबंधित किसी भी विधि के उपबंधों के अनुरूप उसकी गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

186. **केन्द्रीय या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबन्ध**— (1) यदि कोई राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, या कोई मार्ग जो केन्द्रीय सरकार या, यथास्थिति, राज्य सरकार में निहित है,—

(क) नगरपालिका, ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या मार्ग के संबंध में ऐसा कोई कार्य करने के लिए अनुज्ञा, केन्द्रीय सरकार या, यथास्थिति, राज्य सरकार

की मंजूरी के सिवाय, मंजूर नहीं करेगी जिसका उसकी लिखित अनुज्ञा के बिना किये जाने से इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन होगा, और

(ख) यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो नगरपालिका ऐसे मार्ग के संबंध में इस अधिनियम या किन्हीं भी उप-विधियों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(2) राज्य सरकार में निहित और नगरपालिक क्षेत्र से गुजरने वाली सड़कों के मामले में नगरपालिका का ऐसी सड़कों पर, जहां तक उसके अस्थायी अधिभोग की अनुज्ञा और उस पर से अधिक्रमण को हटाने का संबंध है, नियंत्रण होगा, किन्तु ऐसी सड़कों के रख-रखाव का जिम्मा राज्य सरकार का ही रहेगा।

187. **उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण.**— (1) मुख्य नगरपालिक अधिकारी, त्यौहारों और उत्सवों के अवसरों पर, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी शर्तों पर, जो नगरपालिका द्वारा उप-विधियों द्वारा अवधारित की जायें और ऐसी कालावधि के लिए, जो अनुज्ञा-पत्र में उल्लिखित की जाये, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई बूथ, पांडाल या किसी अन्य संरचना के अस्थायी निर्माण के लिए लिखित अनुज्ञा मंजूर कर सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी अनुज्ञा, नगरपालिक क्षेत्र में यातायात के प्रभारी पुलिस अधिकारी से परामर्श के बिना नहीं दी जायेगी।

(2) वह व्यक्ति, जिसको ऐसी अनुज्ञा मंजूर की जाती है, मैदान को भरेगा और उसको मुख्य नगरपालिक अधिकारी के समाधानप्रद रूप में ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जो अनुज्ञा-पत्र में उल्लिखित की जाये, यथापूर्व करेगा।

188. **मार्ग, नाली या परिसर के संनिर्माण या मरम्मत के दौरान पूर्वावधानियां**— ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो उप-विधियों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, मुख्य नगरपालिक अधिकारी, किसी भी सार्वजनिक मार्ग या किसी भी नगरपालिक नाली या नगरपालिका में निहित किसी भी परिसर के संनिर्माण या मरम्मत के दौरान,—

- (क) उसके बाड़ लगवायेगा और सुरक्षित करवायेगा;
- (ख) सार्वजनिक मार्ग या लगे हुए भवनों को प्रभावित करने वाली दुर्घटना के विरुद्ध उचित पूर्वावधानी बरतेगा;
- (ग) उसकी लिखित अनुज्ञा के बिना, किसी भवन निर्माण सामग्री को जमा कराने, या किसी सार्वजनिक मार्ग पर किसी पाड़ या किसी अस्थायी निर्माण करने को प्रतिषिद्ध करेगा;
- (घ) किसी भी मार्ग को यातायात के लिए पूर्णतः या भागतः बन्द करेगा;
- (ङ) जहां कहीं आवश्यक हो, वहां यातायात का आवश्यक मोड़ उपलब्ध करायेगा;
- (च) किसी सार्वजनिक मार्ग को यथापूर्व करना या किसी नाली या परिसरों को उनके मूल रूप में लाना सुनिश्चित करेगा; और
- (छ) ऐसे किसी स्थान की, जो उसकी राय में किसी मार्ग के यातायात के लिए या ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो उसमें विधिक पहुँच रखते हैं, या उसके पड़ौस के लिए, खतरनाक है या असुविधा कारित करने वाला है, मरम्मत करने या उसे बन्द करने के लिए कदम उठायेगा, और ऐसे मरम्मत कार्य का खर्चा ऐसे स्थान या परिसर के स्वामी या अधिभोगी से वसूल करेगा।

189. **बिना अनुज्ञा किसी मार्ग में न तो काष्ठ जमा किया जायेगा और न गड्ढे खोदे जायेंगे.**— (1) नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना या ऐसी शर्तों के अनुसार, जो उसमें विहित की जायें, से अन्यथा कोई भी व्यक्ति, किसी भी मार्ग में कोई गड्ढा नहीं खोदेगा या उस पर कोई काष्ठ, पत्थर, ईंट, मिट्टी या अन्य सामान, जिसे भवनों के लिए प्रयुक्त किया गया है या प्रयुक्त किये जाने के लिए आशयित है, परिनिर्मित या जमा नहीं करेगा और ऐसी अनुज्ञा नगरपालिका के विवेक पर समाप्त होगी और जब ऐसी अनुज्ञा किसी व्यक्ति को मंजूर की जाये तब वह अपने स्वयं के खर्चे पर ऐसी सामग्री या ऐसे गड्ढे पर पर्याप्त रूप से बाड़ लगवायेगा तथा उसकी घेराबन्दी करवायेगा, जो उस समय तक बनी रहेगी जब तक कि वह सामग्री हटा न दी जाये या वह गड्ढा भर न दिया जाये अथवा उसे नगरपालिका के समाधानप्रद रूप से अन्यथा सुरक्षित न कर दिया जाये, और रात्रि में उस पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करवायेगा।

(2) जो कोई उप-धारा (1) के उपबंधों में से किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और ऐसी प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसा उल्लंघन जारी रहने वाले प्रत्येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, अतिरिक्त जुर्माने से, जो पचास रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

190. **फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध.**— (1) नगरपालिका, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी चौड़ाई के जो विहित की जाये, सभी सार्वजनिक मार्गों पर, ऐसे सार्वजनिक मार्गों से लगे हुए फुटपाथ बना दिये गये हैं।

(2) विद्यमान स्थिति के होने पर भी, भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति फुटपाथों की भिन्न-भिन्न न्यूनतम चौड़ाइयां ऐसे विनिर्दिष्ट करेगी कि किसी भी दशा में प्रत्येक तरफ की चौड़ाई डेढ़ मीटर से कम न हो:

परन्तु सार्वजनिक मार्ग के प्रत्येक प्रवर्ग के संस्पर्शी फुटपाथ के लिए एक से अधिक न्यूनतम चौड़ाइयां विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ताकि भिन्न-भिन्न संस्पर्शी भूमि उपयोगों की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं के लिए उपबंध किया जा सके:

परन्तु यह और कि किसी सार्वजनिक मार्ग की कोई भी नियमित लाइन विहित या पुनरीक्षित करते समय यह नियत किया जायेगा कि फुटपाथों के लिए न्यूनतम चौड़ाई के विनिर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट न्यूनतम चौड़ाइयां भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेंगी।

191. **मार्गों के कोने पर भवन.**— (1) नगरपालिका, दो मार्गों के कोने पर बनने वाले किसी भी भवन के, ऐसी ऊंचाई तथा ऐसी सीमा तक, जो वह अवधारित करे, गोलाकार या घुमावदार या अन्यथा होने की अपेक्षा कर सकेगी और कोने पर स्थल के ऐसे किसी भी भाग को, जिसे वह लोक-सुविधा या सुख-सुविधा के लिए आवश्यक समझे, अर्जित कर सकेगी।

(2) इस प्रकार अर्जित किसी भी भूमि के लिए नगरपालिका प्रतिकर संदत्त करेगी।

(3) ऐसे प्रतिकर का अवधारण करने में मार्गों के सुधार से उक्त भवन को प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे के लिए कटौती की जायेगी।

192. **बहिर्गत भवनों को पीछे करना.**— (1) यदि किसी भवन का कोई भाग धारा 183 के अधीन यथाविहित किसी सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन से बाहर निकला हुआ हो तो नगरपालिका,—

(क) यदि उसका बहिर्गत भाग, मुख्य भवन के बाहर का बरामदा, सीढ़ी या कोई अन्य संरचना हो तो किसी भी समय, या

(ख) यदि बहिर्गत भाग यथापूर्वोक्त ऐसी बाह्य संरचना न हो तो जब कभी ऐसे भवन का अधिकांश भाग या जब कभी ऐसे बहिर्गत भाग का कोई महत्वपूर्ण भाग गिरा दिया गया हो या जला दिया गया हो या गिर गया हो,

लिखित नोटिस देकर अपेक्षा कर सकेगी कि या तो उक्त नियमित लाइन के बाहर निकले हुए भाग को या उसके कुछ भाग को हटा दिया जाये या ऐसे भवन को, जब उसका पुनर्निर्माण किया जाये, उक्त नियमित लाइन तक या और पीछे हटा दिया जाये और इस प्रकार पीछे किये जाने या हटाये जाने के कारण मार्ग में जुड़ जाने वाली भूमि का वह भाग उसके बाद से सार्वजनिक मार्ग का भाग समझा जायेगा और नगरपालिका में निहित हो जायेगा।

(2) यदि कोई भूमि, जो नगरपालिका में निहित न हो, चाहे खुली हो या घिरी हुई, किसी सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर स्थित हो और जो कोई चबूतरा, बरामदा, सीढ़ी या अन्य बाह्य संरचना से भिन्न किसी भवन के दखल में न हो तो नगरपालिका, ऐसी भूमि के स्वामी को, अपने आशय का कम से कम पूर्ण पन्द्रह दिवस का लिखित नोटिस देने के पश्चात्, या यदि ऐसी भूमि राज्य सरकार में निहित हो तो ऐसे अधिकारी की, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किया जाये, लिखित अनुज्ञा लेकर उक्त भूमि का, चार दीवारी, झाड़बन्दी या बाड़ सहित, यदि कोई हो, कब्जा कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटवा सकेगा; और इसके बाद से इस प्रकार अर्जित भूमि सार्वजनिक मार्ग का भाग समझी जायेगी और नगरपालिका में निहित हो जायेगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किसी मार्ग में जोड़ी गयी या उप-धारा (2) के अधीन अर्जित किसी भूमि के स्वामी को, उक्त भूमि के मूल्य के लिए और उक्त उप-धाराओं में से किसी के भी अधीन नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भवन के स्वामी को हुई किसी हानि, नुकसान या उसके द्वारा उपगत व्यय के लिए नगरपालिका द्वारा प्रतिकर संदत्त किया जायेगा, जिसकी रकम, विवाद होने की दशा में धारा 295 में उपबंधित रीति से अभिनिश्चित और अवधारित की जायेगी; परन्तु ऐसा प्रतिकर उन मामलों में देय नहीं होगा जिन पर धारा 243 लागू होती है।

(4) जब प्रतिकर की रकम इस प्रकार अभिनिश्चित और अवधारित कर ली गयी हो या जब उप-धारा (1) के अधीन आने वाला कोई ध्वंसक या खतरनाक भवन धारा 243 के उपबन्धों के अधीन गिरा दिया गया है तो नगरपालिका, प्रतिकर, यदि कोई हो, की संदेय रकम, को निविदत्त करके मार्ग में इस प्रकार जोड़ी गयी भूमि पर कब्जा कर सकेगी और उसकी सफाई करा देगी।

193. **भवनों की सतह.**— इसके पश्चात् कोई भी भवन ऐसी सतह से नीची सतह पर नहीं बनाया जायेगा जिससे उस भवन का जल-निकास, उस समय विद्यमान या नगरपालिका द्वारा निकाली हुई किसी सार्वजनिक मलनाली या नाली अथवा किसी जलप्रवाह या किसी मलकूप में अथवा नगरपालिका द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उपयुक्त स्थान में न हो सके।

194. **समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबन्ध.**— (1) किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर,—

(क) नया भवन निर्मित करने; या

(ख) भवन को पुनर्निर्मित करने या भवन में तात्विक परिवर्धन करने; या

(ग) भवन के किसी बहिर्गत भाग को निर्मित या पुनर्निर्मित करने; या

(घ) किसी भी प्रकार का कुंआ या बोरिंग बनाने या उसका विस्तार करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति, संनिर्माण आरम्भ करने के पूर्व उप-धारा (2) के अधीन अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विहित प्ररूप में नगरपालिका को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण.— पद “तात्त्विक परिवर्धन” से विद्यमान सेट बेक, कवरेज, ऊँचाई, भूमि उपयोग और पार्किंग क्षेत्र, जहां कहीं भी ऐसे पार्किंग क्षेत्र विधि के अधीन अनिवार्य हो, में कोई भी परिवर्तन अभिप्रेत है,

(2) (क) उप-धारा (1) में यथावर्णित आवेदन के साथ निम्नलिखित होगा, अर्थात्:—

- (i) भूमि या, यथास्थिति, भवन के हक के समर्थन में सभी दस्तावेजों के साथ-साथ दस्तावेजों की असलियत और भूमि या भवन पर अविवादित हक के बारे में शपथ पर व्यक्तिगत शपथपत्र;
- (ii) नगरपालिका में जमा करायी गयी विहित फीस की रसीद की फोटोप्रति;
- (iii) नक्शे (भिन्न-भिन्न रंगों में प्रस्तावित कार्य का ब्यौरा दर्शाते हुए) और स्थल योजना की छह प्रतियां। नक्शे में विशेष रूप से संनिर्माण के विनिर्देश, भवन की ऊँचाई, अनुज्ञेय आवृत क्षेत्र, खुले स्थान, सैट बैक, पार्किंग स्थान, संवातन इत्यादि दर्शाया जायेगा; और
- (iv) कोई अन्य सूचना या दस्तावेज जो नगरपालिका द्वारा अपने समाधान के लिए समय-समय पर अपेक्षित हो;

(ख) खण्ड (क) के अधीन अपेक्षित नक्शे, नगरपालिका, नगर सुधार न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण, राज्य के मुख्य नगर नियोजक द्वारा या समय-समय पर ऐसे प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा सशक्त किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत और अनुमोदित किये गये अर्हित वास्तुविद् या अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

(3) (क) नगरपालिका द्वारा हक के कागजातों की संवीक्षा यह सुनिश्चित किये जाने तक निर्बंधित रहनी चाहिए कि भूमि या, यथास्थिति, भवन, सरकार या किसी सार्वजनिक अभिकरण का नहीं है;

(ख) आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आवेदन की तारीख को आवेदक के पास भूमि या भवन का वैध कब्जा होना चाहिए:

परन्तु नगरपालिका द्वारा भवन निर्माण योजनाओं की मंजूरी आवेदक के पक्ष में किसी भी प्रकार से हक का सृजन करने की कोटि में नहीं आयेगी।

(4) (क) नगरपालिका उप-विधियों द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि उप-धारा (2) के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे;

(ख) नगरपालिका आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर-भीतर आवेदन विनिश्चित करेगी और अपने लिखित आदेश से संसूचित करेगी। नगरपालिका या अनुज्ञा मंजूर करने के लिए सशक्त कोई भी प्राधिकारी या कोई

समिति नक्शा मंजूर करने या नामंजूर करने या उपांतरित करने अथवा ऐसी अन्य शर्तें या निर्बंधन अधिरोपित करने, जो आवश्यक समझे जायें, के लिए भी सक्षम होगी। ऐसे मामलों में, जहां नगरपालिका दो मास के भीतर-भीतर अपने विनिश्चय से संसूचित करने में विफल रहती है, वहां आवेदक, नगरपालिका को उस आशय का एक मास का स्पष्ट नोटिस देने के पश्चात् इसे दी हुई अनुज्ञा मानते हुए संनिर्माण कर सकेगा। तथापि, आवेदक और वास्तुविद् या अभियंता का यह उत्तरदायित्व होगा कि मानी गयी अनुज्ञा के समस्त मामलों में अधिनियम, नियमों और उप-विधियों के उपबन्धों का अतिक्रमण नहीं किया जाये।

(5) जहां उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत किया गया आवेदन किसी बहु-मंजिला भवन अर्थात् पन्द्रह मीटर से अधिक की ऊँचाई वाला कोई भवन, या पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र में कोई संस्थागत काम्प्लेक्स या व्यावसायिक काम्प्लेक्स से संबंधित हो तो नगरपालिका ईप्सित अनुज्ञा मंजूर करने से पूर्व राज्य सरकार के क्षेत्रीय नगर नियोजक की सलाह प्राप्त करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित योजना और संनिर्माण नियमों, उप-विधियों और लोक सुविधा से असंगत नहीं है।

(6) (क) नगरपालिका इस धारा के अधीन प्रस्तुत आवेदन की शर्तों, निर्बंधनों, मानकों, विनिर्देशों और प्रक्रिया की रीति के सम्बन्ध में एकरूपता लागू करने के लिए धारा 339 और 340 के अधीन नियम और उप-विधियां विरचित करेगी;

(ख) जहां उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन गैर-आवासिक भवन, बहु-मंजिला भवन, काम्प्लेक्स, या तहखाने के संनिर्माण से संबंधित है, वहां नगरपालिका ईप्सित अनुज्ञा मंजूर करने के पूर्व उस क्षेत्र के नगर नियोजक की सलाह प्राप्त करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित योजना और संनिर्माण नियमों, उप-विधियों और लोक सुविधा से असंगत नहीं है।

(7) (क) कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का संनिर्माण प्रारम्भ नहीं करेगा, और नगरपालिका सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर-भीतर उसका आवेदन विनिश्चित करेगी;

(ख) यदि दो मास की कालावधि के भीतर-भीतर विनिश्चय से आवेदक को सूचित नहीं किया जाता है तो वह संनिर्माण आरम्भ करने के पूर्व उस कालावधि के भीतर-भीतर अपना आवेदन विनिश्चित करने की अपेक्षा करते हुए नगरपालिका को एक मास का स्पष्ट नोटिस देगा;

(ग) यदि नगरपालिका तब भी आवेदन का निपटारा करने में या कार्रवाई, जो उस मामले में की जा रही हो, की सूचना उस व्यक्ति को देने में विफल रहती है तो आवेदक इसे नगरपालिका की दी हुई अनुज्ञा मानते हुए संनिर्माण प्रारम्भ कर सकेगा किन्तु वह इस अधिनियम, और तदधीन बनाये गये नियमों

या उप-विधियों के किसी भी उपबंध का अतिक्रमण नहीं करेगा;

- (घ) लिखित अनुज्ञा वहां अपेक्षित नहीं होगी, जहां किसी व्यक्ति ने उप-धारा (1) के अधीन 250 वर्गमीटर से कम के क्षेत्र पर के लिए आवेदन किया हो, प्रस्ताव प्रथम तल तक एकल आवासिक इकाई के संनिर्माण के लिए हो, और भवन की कुल ऊंचाई छत की मोटाई और किसी भी अन्य संरचना सहित सड़क की सतह से दस मीटर से अधिक न हो। तथापि, यह उपबंध किसी परकोटे वाले शहरी क्षेत्र में, जहां पृथक् उप-विधियां विद्यमान हैं या ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी हेरिटेज क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, लागू नहीं होगा।
- (ङ) मुख्य नगरपालिक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या अनुज्ञा प्रदान करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष को स्थल या भवन का निरीक्षण करने, और आवेदन विनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी भी समय नापजोख करने, या यह सुनिश्चित करने, कि कार्य मंजूर की गयी योजना के अनुसार ही किया जा रहा है, की शक्ति होगी। मुख्य नगरपालिक अधिकारी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण के समय, मंजूर योजना और उसमें अधिरोपित शर्तों का अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा और ऐसे निर्माण या किसी

भी निर्माण जिससे मंजूर योजना का अतिक्रमण होता हो, को हटाने या दूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति से कहना उसके लिए विधिपूर्ण होगा। जहां निर्माण अनुज्ञा के बिना किया जा रहा हो, वहां निर्माण रोकने के लिए संबंधित व्यक्ति को निदेशित करना भी मुख्य नगरपालिक अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा ;

(च) इस धारा के उपबन्धों को प्रवर्तित करने के लिए सम्पूर्ण परिसर या उसके भाग को अभिगृहीत करना और अपने कब्जे में लेना और नोटिस में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए ऐसे परिसर का उपयोग प्रतिषिद्ध करना मुख्य नगरपालिक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा।

(8) नगरपालिका किसी ऐसे आवेदन को विनिश्चित नहीं करेगी जिसमें भूमि के वर्तमान उपयोग का परिवर्तन अन्तर्वलित है और ऐसे परिवर्तन के लिए धारा 182 के अधीन अनुज्ञा की आवश्यकता है। इस उप-धारा में उल्लिखित आवेदनों को, आवेदक को सूचना देते हुए और उसे कार्य प्रारम्भ नहीं करने के निदेशों के साथ, राज्य सरकार को या संबंधित प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(9) (क) 15 मीटर से अधिक की ऊँचाई वाले किसी भवन के पूर्ण होने के पश्चात् किन्तु इसके अधिभोग के पूर्व, भवन का स्वामी अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन (वास्तुविद्/अभियंता द्वारा सुरक्षा के प्रमाणपत्र और अन्य तथ्यों के सत्यापन के साथ) प्रस्तुत करेगा। मुख्य नगरपालिक अधिकारी, आवश्यक निरीक्षण की

व्यवस्था करने के पश्चात् ऐसा प्रमाणपत्र जारी करेगा या ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर उन त्रुटियों को, यदि कोई हों, जैसा उसे आवश्यक प्रतीत हो, हटाने के लिए कहेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि आवेदक ने मंजूर नक्शे का उल्लंघन नहीं किया है। यह स्वामी का उत्तरदायित्व होगा कि अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना ऐसे भवन का अधिभोग न करे या अधिभोग किया जाना अनुज्ञात न करे;

(ख) जो कोई खण्ड (क) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने के मामले में, ऐसे उल्लंघन के प्रत्येक दिवस के लिए, जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपये से, दण्डित किया जायेगा।

(10) (क) यदि उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किये बिना, कोई व्यक्ति किसी प्रकार का निर्माण या पुनर्निर्माण प्रारम्भ करता है, जारी रखता है, या पूर्ण करता है, या किसी भवन या उसके भाग में कोई सारवान् परिवर्तन करता है, या भवन के ऐसे किसी बहिर्गत भाग को, निर्मित करता है या पुनः परिनिर्मित करता है, जिसके संबंध में नगरपालिका उस बहिर्गत भाग को हटाया जाना प्रवर्तित करने या सेट बेक की नियमित लाईन को प्रत्यावर्तित करने के लिए धारा 192 के अधीन

सशक्त है, या कृएं या बोरिंग के संनिर्माण या विस्तार करने में स्वयं को नियोजित करता है तो सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा;

(ख) यदि कोई व्यक्ति मंजूर योजना के उल्लंघन में या उस पर अधिरोपित मानकों, शर्तों, निर्बंधनों का अतिक्रमण करते हुए निर्माण या पुनर्निर्माण आरम्भ करता है, या जारी रखता है या पूर्ण करता है अथवा किसी भवन या उसके भाग में कोई तात्त्विक परिवर्तन करता है तो वह सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो पन्द्रह दिवस से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पैंतालीस दिवस तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा;

(ग) यदि कोई व्यक्ति, जिसने उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया है और उप-धारा (7) के खण्ड (घ) के अधीन उपबंधित सुविधा का उपयोग किया है, ऐसे संनिर्माण के लिए विहित शर्तों, निर्बंधनों और मानकों का उल्लंघन करता है तो वह सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो पन्द्रह दिवस से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पैंतालीस

दिवस तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा;

(घ) यदि यह पाया जाता है कि वास्तुविद् या अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित नक्शा इस धारा या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों, उप-विधियों या किये गये आदेशों के उपबन्धों से असंगत है तो नगरपालिका द्वारा ऐसे वास्तुविद् या अभियंता का नाम काली सूची में रख दिया जायेगा और नगरपालिका द्वारा उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जायेगा और वह सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या प्रत्येक मामले में दोनों से, दण्डित किया जायेगा;

(ङ) यदि यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने नगरपालिका की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए गढ़े हुए या कूटरचित या मिथ्या दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है अथवा गलत और मिथ्या कथन किया है अथवा शपथपत्र में तात्त्विक तथ्यों को छिपाया है तो वह सुसंगत विधियों के अधीन गढ़न, कपट और छिपाव के लिए अभियोजित किये जाने का दायी होगा। उक्त कार्य में लिप्त ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिसमें नगरपालिका का पदाधिकारी, यदि कोई हो, सम्मिलित

है, के विरुद्ध अविलम्ब दण्डित कार्यवाहियां आरम्भ करना मुख्य नगरपालिक अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा;

(च) यदि उप-धारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन के निपटारे के लिए और उप-धारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन प्राप्त किसी भी नोटिस के मामले में नियत कालावधि की जानबूझकर उपेक्षा की जाती है तो इस धारा के प्रवर्तन के लिए सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या इस प्रयोजन के लिए अभिलेख रखने वाला पदधारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। ऐसी उपेक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, एक मास के सादा कारावास से या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा;

(छ) नगरपालिका का कोई कर्मचारी, जिसे क्षेत्र-विशेष के लिए कर्तव्य समनुदेशित किये गये हैं और इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन के मामले की रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे उल्लंघन की रिपोर्ट अविलम्ब उचित रूप से की गयी है और उसकी प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में कर दी गयी है तथा अप्राधिकृत निर्माण रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा और यदि यह साबित हो जाता है कि उसने ऐसे अप्राधिकृत निर्माण को रोकने में और उसकी रिपोर्ट करने में जानबूझकर उपेक्षा की है तो उसे धारा

245 की उप-धारा (18) के उपबन्धों के अनुसार दण्डित किया जायेगा;

(ज) नगरपालिका को, अनुज्ञा के बिना प्रारम्भ किये गये या मंजूर नक्शे के मानकों का अतिक्रमण करने वाले या आवेदन प्रस्तुत किये बिना किये गये किसी कार्य को रोकने की शक्ति होगी;

(झ) व्यतिक्रमी के अभियोजन के अतिरिक्त, नगरपालिका को ऐसे सम्पूर्ण संनिर्माण या उसके भाग को तोड़ डालने की शक्ति होगी, जिसे अनुज्ञा के बिना या अनुज्ञा का अतिक्रमण करते हुए किया गया है, या जहां अनुज्ञा इस धारा में यथावर्णित कपट इत्यादि द्वारा प्राप्त की गयी थी।

(11) कोई भी नगरपालिका शुष्क तहारतों के सन्निर्माण को अनुज्ञात नहीं करेगी और यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में शुष्क तहारत का सन्निर्माण या संधारण करता है तो वह नगरपालिका उक्त तहारतों के ध्वंस हेतु कदम उठायेगी।

(12) नगरपालिका या उसके द्वारा सशक्त समिति के किसी आदेश या विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

195. **निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेन्ट काम्प्लेक्सों का रख-रखाव-** (1) भवन-निर्माता या विकासकर्ता, साथ ही काम्प्लेक्स की इकाइयों के स्वामियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे, जैसे ही काम्प्लेक्स अधिभोग के लिए तैयार हो, काम्प्लेक्स के रख-रखाव के लिए, निवासियों

का एक संगम स्थापित करेंगे। भवन निर्माता के अन्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे,—

- (i) संनिर्माण की अनुज्ञा के लिए आवेदन करते समय, स्वामियों और निवासियों को पार्किंग स्थान सहित सामान्य सुविधाओं के ब्यौरे बताना;
- (ii) काम्प्लेक्स के रख-रखाव के लिए एक निकाय निधि का गठन करना और उसे संगम के प्रवर्तन में आते ही, सौंपना;
- (iii) सुरक्षा, भवन में उपलब्ध सामान्य सुविधाएं और उनका रख-रखाव संगम के प्रवर्तन में आते ही, यथाशीघ्र, उसे सौंपना;
- (iv) संगम को निम्नलिखित दस्तावेज सौंपना:—
 - (क) अनुमोदित भवन निर्माण योजना की प्रति और काम्प्लेक्स के संनिर्माण के लिए अनुज्ञा की मंजूरी वाला पत्र;
 - (ख) लिफ्ट, जल-प्रदाय उपस्कर, जेनरेटर या भवन में स्थापित किये गये अन्य किसी भी महत्वपूर्ण उपस्कर की वारण्टी दस्तावेजों की प्रतियां;
 - (ग) भूमि के स्वामी के साथ करार की प्रति, यदि कोई हो;
 - (घ) भवन में स्थापित किये गये मल-वहन और जल-प्रदाय के डिजाइन।

(2) नगरपालिका तब तक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगी जब तक कि उप-धारा (1) में वर्णित औपचारिकताएं भवन निर्माता या विकासकर्ता द्वारा पूरी नहीं कर ली गयी हैं।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

- (i) "स्वामी" से उस भूमि का स्वामी अभिप्रेत है जिस पर काम्प्लेक्स का संनिर्माण किया गया है और इसमें वह व्यक्ति, जिसने उस काम्प्लेक्स में रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा किसी इकाई को क्रय किया है, सम्मिलित है;
- (ii) "निवासी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वामी या भवन निर्माता के साथ किसी भी व्यवस्था के अधीन उस समय इकाई के अधिभोग में है;
- (iii) "निवासियों का संगम" से किसी काम्प्लेक्स के स्वामियों और निवासियों का सुसंगत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत संगम, जिसे काम्प्लेक्स के रख-रखाव के लिए स्थापित किया गया है, अभिप्रेत है।

196. अनुज्ञा और संनिर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना.— (1) नगरपालिक क्षेत्र के भीतर, कोई संनिर्माण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति या अभिकरण, कोई भी निर्माण आरंभ करने के पूर्व, प्रस्तावित संनिर्माण से संबंधित निम्नलिखित विशिष्टियां, भवन-स्थल पर किसी प्रमुख स्थान पर जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाये, कार्ड बोर्ड या सादे कागज को छोड़कर, जब तक कि नगरपालिका द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाये, किसी भी दृढ़ पदार्थ से बने 4 x 4 फुट के आकार के बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा:—

- (i) संनिर्माण करने वाले व्यक्ति या अभिकरण का नाम, पता और टेलीफोन नम्बर, यदि कोई हो, सहित;
- (ii) भवन-स्थल की विशिष्टियां जिनमें स्वामी का नाम, पता और टेलीफोन नम्बर, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं;

- (iii) नगरपालिका या किसी भी अन्य प्राधिकारी या नगर सुधार न्यास से प्राप्त की गयी अनुज्ञा का संख्यांक और तारीख, यदि अपेक्षित हो;
- (iv) प्रस्तावित संनिर्माण की प्रमुख विशिष्टियां अर्थात् प्रस्तावित उपयोग, तलों की कुल संख्या, इकाइयों की संख्या, संनिर्माण का वर्ग फुट में प्रस्तावित क्षेत्र, सार्वजनिक पार्किंग इकाइयों की संख्या;
- (v) संनिर्माण प्रारंभ करने और समाप्त करने की तारीख; और
- (vi) भवन निर्माण की अनुज्ञा अपेक्षित न होने के मामले में कारण।

(2) जो कोई भी उप-धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा।

197. **मरम्मत इत्यादि के दौरान होर्डिंग लगाना.**— (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थितियों में किसी भवन के निर्माण का या किसी भवन को गिराने का या किसी भवन के बाह्य भाग को परिवर्तित करने या उसकी मरम्मत करने का आशय रखता है, कि उस कार्य से किसी मार्ग में बाधा, खतरा, असुविधा होने की संभावना है या हो सकती है तो वह ऐसा कार्य आरंभ करने से पूर्व—

- (क) ऐसा करने के लिए नगरपालिका से पहले लिखित अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा, और
- (ख) मार्ग से उस भवन को, जहां पर ऐसे कार्य किये जा रहे हैं, अलग रखने के लिए, पर्याप्त होर्डिंग या बाड़ लगवायेगा और ऐसे समय के दौरान जो लोक सुरक्षा या सुविधा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी बाड़ या होर्डिंग को नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में खड़ी हुई और अच्छी हालत में

रखेगा और उसे रात्रि में पर्याप्त रूप से प्रकाशित करवायेगा और जब नगरपालिका द्वारा निदिष्ट किया जाये तो उसे हटा देगा।

(2) जो कोई भी इस धारा के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है वह ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, जिसको ऐसा उल्लंघन जारी रहता है ऐसे और जुर्माने से, जो पचास रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

198. सुख-सुविधाओं के रख-रखाव का उत्तदायित्व लेना.-

तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी नगरपालिका, किसी प्राधिकारी, अभिकरण या व्यक्ति द्वारा किसी भी स्कीम या कालोनी में उपलब्ध करवायी गयी सुख-सुविधाओं के रख-रखाव का कोई भी उत्तदायित्व तब तक नहीं लेगी जब तक कि-

- (i) ऐसी सुख-सुविधाओं की योजनाओं, विनिर्देशों और डिजाइनों सहित समस्त सुसंगत अभिलेख नगरपालिका को प्रस्तुत न कर दिया जाये; और
- (ii) नगरपालिका का यह समाधान न हो जाये कि ऐसी सुख-सुविधाएं इस निमित्त तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उपबंधों के अनुसार विकसित या संनिर्मित की गयी हैं:

परन्तु यदि नगरपालिका, उसको प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की परीक्षा पर, या सुख-सुविधाओं के निरीक्षण पर यह पाती है कि सुख-सुविधाओं के संनिर्माण या प्रचालन में ऐसी कमियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है तो वह उस प्राधिकारी, अभिकरण या व्यक्ति से, जिसने ऐसी

स्कीम या कालोनी विकसित की है, कमियों को नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में सुधारने या नगरपालिका को ऐसे कमी-प्रभारों का संदाय करने की अपेक्षा करेगी, जिन्हें नगरपालिका ऐसी कमी को सुधारने के लिए उचित समझे और कमियों के सुधार लेने पर या, यथास्थिति, कमी के प्रभार के संदाय पर, नगरपालिका ऐसी सुख-सुविधाओं के रख-रखाव का उत्तदायित्व फिर से आरंभ कर सकेगी।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए “सुख-सुविधाओं” में सड़कें, पुल, संसूचना के कोई भी अन्य साधन, परिवहन, मार्ग, खुले स्थान, उद्यान, मनोरंजन के मैदान, खेल के मैदान, जल, गैस और विद्युत प्रदाय, और ऊर्जा के स्रोत, मार्ग की प्रकाश व्यवस्था, मल-वहन, जल-निकास, सफाई, लोक कार्य, और ऐसी अन्य उपयोगिताएं, सेवाएं और सुविधाएं सम्मिलित हैं जिन्हें राज्य सरकार, नगरपालिका के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कोई सुख-सुविधा होना विनिर्दिष्ट करे।

199. **अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों का सौंपा या ग्रहण किया जाना.**— कोई भी नगरपालिका, किसी भी अन्य प्राधिकारी, अभिकरण या व्यक्ति द्वारा विकसित की गयी किसी स्कीम या कालोनी का ग्रहण तब तक नहीं करेगी जब तक कि उसकी योजनाएं नगरपालिका द्वारा अग्रिम तौर पर अनुमोदित न कर दी गयी हों और अन्य मामलों में स्कीम या कालोनी, विद्यमान विधियों और नियमों के अनुसार न हो। नगरपालिका स्वयं का यह समाधान भी करेगी कि विहित सुख-सुविधाएं पहले से ही धारा 198 में उपदर्शितानुसार उपलब्ध करवा दी गयी हैं या आवश्यक कमी-प्रभार संदत्त कर दिये गये हैं और हक का सबूत, ऐसी स्कीमों या कालोनियों की योजनाएं, विनिर्देश और डिजाइनों को सम्मिलित करते हुए समस्त सुसंगत अभिलेख नगरपालिका को प्रस्तुत कर दिये गये हैं। नगरपालिका को, इस प्रकार के ग्रहण के पश्चात्, स्कीम के उपबंधों के

अनुसार कालोनी में सम्मिलित समस्त संपत्तियों के व्ययन के पूरे अधिकार होंगे। ऐसी समस्त स्कीमें, कालोनियां और सुख-सुविधाएं, ऐसे ग्रहण के पश्चात् नगरपालिका में निहित होंगी।

अध्याय 12

नगरपालिक शक्तियां और अपराध

200. नालियों आदि पर नगरपालिका का नियंत्रण.— (1)

नगरपालिका के भीतर समस्त मलनालियां, नालियां, शौचालय, फलश शौचालय, घरों की नालियां और मलकूप नगरपालिका के सर्वेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

(2) समस्त ढकी हुई मलनालियों और नालियों तथा समस्त मलकूपों, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, के लिए नगरपालिका या अन्य व्यक्ति द्वारा, जिनके वे पृथक्-पृथक् स्वामित्व में हों, उचित जालियों या अन्य ढक्कनों या संवातन के साधनों की व्यवस्था की जायेगी, और नगरपालिका, लिखित नोटिस द्वारा, ऐसी किन्हीं ढकी हुई मल-नालियों, नालियों या मलकूपों के स्वामी से तदनुसार व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेगी।

201. नालियां आदि बनाने की शक्तियां.— (1) किसी जल-निकास स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए, किसी मार्ग या मार्ग के रूप में अभिन्यस्त या मार्ग के लिए आशयित किसी स्थान में होकर, उसके आर-पार या उसके नीचे से, अथवा किसी मार्ग के नीचे स्थित किसी गोदाम या तहखाने के नीचे से और स्वामी या अधिभोगी को लिखित रूप में युक्तियुक्त नोटिस देने के पश्चात् नगरपालिका के भीतर किसी भी भूमि में, उसमें से होकर या उसके नीचे से कोई नाली, मलनाली, नलिका, सुरंग, पुलिया, पाइप या जल मार्ग ले जाना, नगरपालिका के लिए विधिपूर्ण होगा।

(2) नगरपालिका या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कोई भी अधिकारी, ऐसी किसी भूमि पर जिस पर नगरपालिका में निहित कोई नाली पहले से ही बनी हुई है, प्रवेश कर सकेगा और विद्यमान नाली के स्थान पर नयी नाली बनवा सकेगा अथवा नगरपालिका में निहित किसी नाली की मरम्मत या उसमें परिवर्तन कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई अनावश्यक नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा और ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसी शक्ति के प्रयोग से नुकसान हुआ हो, नगरपालिका द्वारा प्रतिकर संदत्त किया जायेगा, जो विवाद की दशा में धारा 295 में उपबंधित रीति से अभिनिश्चित और अवधारित किया जायेगा।

202. **भवन से प्रभावी जल-निकास.**— (1) किसी भवन का निर्माण या किसी भवन का पुनर्निर्माण करना या किसी नवनिर्मित या पुनर्निर्मित किये जाने वाले भवन को अधिभोग में लेना, तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा जब तक—

(क) ऐसे आकार, सामग्री और प्रकार की, ऐसी सतह पर और ऐसे ढलान की, जो ऐसे भवन से प्रभावी जल-निकास के लिए नगरपालिका को आवश्यक प्रतीत हो, कोई नाली नहीं बनायी जाये;

(ख) ऐसे भवन और उससे अनुलग्न भूमि के लिए और उसमें, ऐसे सभी साधित्रों और फिटिंग्स की, जो नगरपालिका को उक्त भवन और उक्त भूमि के जल-निकास को एकत्र करने और ग्रहण करने और उसे दूर ले जाने और उक्त भवन और उससे संबंधित प्रत्येक फिक्सचर की नाली को प्रभावी रीति से प्लश करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्रतीत हों, व्यवस्था न कर दी गयी हो।

(2) पूर्वोक्त रीति से बनायी जाने वाली नाली, नगरपालिका की नाली में या ऐसे स्थान में, जो ऐसे भवन से पचास फुट से अधिक की दूरी पर स्थित न हो और जो जल-निकास के निस्सारण के लिए विधिक रूप से नियत हो, गिरेगी किन्तु यदि ऐसी दूरी के भीतर ऐसी नाली या स्थान न हो तो ऐसी नाली ऐसे मलकूप में गिरेगी जिसके लिए नगरपालिका निदेश दे।

(3) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी प्रसाधन कक्ष, रसोई और स्नानघर से अपशिष्ट जल के समुचित निस्सारण के लिए मल-वहन प्रणाली के क्षेत्र से, जैसे ही वह किसी अभिकरण द्वारा उस क्षेत्र में स्थापित की जाये, विहित रीति से संबंध प्राप्त करना किसी भी भवन या भूमि के प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी के लिए आज्ञापक होगा।

(4) जहां कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन दिये गये नगरपालिकाओं के निदेशों की अवज्ञा करता है, वह दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

203. **भवनों या भूमियों के स्वामियों और अधिभोगियों का नगरपालिका की नालियों में उत्सारण करने का अधिकार.**— नगरपालिका के भीतर किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी अपनी नाली नगरपालिका की मल-नालियों में गिराने का हकदार होगा, बशर्ते कि वह पहले नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर ले और ऐसी शर्तों का पालन करे जो नगरपालिका वह ढंग, जिससे और अधीक्षण, जिसके अधीन उन नालियों, जो नगरपालिका में निहित नहीं हैं और उन नालियों, जो नगरपालिका में इस प्रकार निहित हैं, के बीच संचार को विहित करे।

204. **मल और वर्षा-जल की नालियों का पृथक्-पृथक् होना.**— जब कभी अधिनियम में यह उपबंधित हो कि किसी परिसर के प्रभावी जल-निकास के लिए कार्यवाही की जाये तो नगरपालिका यह अपेक्षा कर

सकेगी कि एक नाली घृणोत्पादक पदार्थ और मल के लिए हो और दूसरी नाली वर्षा-जल और अदूषित अधोमृदा-जल के लिए हो और उनमें से प्रत्येक नाली, नगरपालिका की पृथक्-पृथक् नालियों में या नगरपालिका द्वारा जल-निकास के निस्सारण के लिए अन्य स्थानों में या अन्य उपयुक्त स्थानों में गिरे।

205. अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार.—नगरपालिका द्वारा कैसे और किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जायेगा.— (1) यदि किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी, नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे कि वह किसी अन्य व्यक्ति की या उसके अधिभोग में या उपयोग में की किसी भूमि में होकर नाली बनाने से अन्यथा उसे नगरपालिक नाली से संसक्त नहीं कर सकता तो नगरपालिका, ऐसे अन्य व्यक्ति को उस आवेदन के संबंध में कोई आक्षेप करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और यदि कोई आक्षेप न किया जाये और यदि कोई आक्षेप किया जाये तो ऐसा आक्षेप नगरपालिका की राय में अपर्याप्त हो, लिखित आदेश द्वारा प्रथम-वर्णित स्वामी या अधिभोगी को अपनी नाली उक्त भूमि में, उसमें से होकर, या उसके नीचे से या, यथास्थिति, उक्त नाली में ले जाने के लिए किराए या प्रतिकर के संदाय के विषय में और उक्त नाली के रख-रखाव, मरम्मत, फ्लशिंग, सफाई और खाली करने के पक्षकारों के अपने-अपने उत्तरदायित्वों के विषय में ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर, जो उसे पर्याप्त और समतायुक्त प्रतीत हों, ले जाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) ऐसा प्रत्येक आदेश, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पक्ष में वह किया जाये या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियोजित किसी अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के लिए, उक्त भूमि या नाली के स्वामी या अधिभोगी को उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट प्रतिकर या किराया, यदि कोई हो,

देने या निविदत्त करने के पश्चात् और उक्त आदेश की शर्तों को यथासम्भव अन्यथा पूरी करने पर और उक्त स्वामी या अधिभोगी को उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट भूमि पर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच अपने सहायकों और कर्मकारों के साथ किसी समय प्रवेश करने का युक्तियुक्त लिखित नोटिस देने के पश्चात् और इस अधिनियम के समस्त उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए ऐसे सभी कार्य करने और ऐसे सभी संनिर्माण कार्य निष्पादित करने का पूर्ण प्राधिकार होगा जो—

- (क) नाली के संनिर्माण या उसे संसक्त करने के लिए, जैसा उक्त आदेश द्वारा प्राधिकृत किया जाये; या
- (ख) आदेश के निबन्धनों के अधीन उक्त नाली या उसके किसी भाग के रख-रखाव, मरम्मत, फलशिंग, उसकी सफाई या उसे खाली करने संबंधी उसके किसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हों।

206. **संकर्म किस प्रकार किया जाना है।**— धारा 205 के अधीन कोई संकर्म इस प्रकार निष्पादित किया जायेगा जिससे नुकसान यथासम्भव कम से कम हो और उस भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिसके फायदे के लिए संकर्म किया जाता है—

- (क) संकर्म को यथासाध्य अविलम्ब निष्पादित करवायेगा,
- (ख) उक्त संकर्म को निष्पादित करने के प्रयोजन के लिए भूमि या किसी भवन या अन्य संनिर्माण के खोले गये, तोड़े गये या हटाये गये किसी भाग को अपने खर्च से और यथासाध्य अविलम्ब भरेगा, पुनः स्थापित करेगा और पूर्व दशा में लायेगा, और
- (ग) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे उक्त संकर्म के निष्पादन से नुकसान पहुंचे, प्रतिकर देगा।

207. जिस भूमि पर से नाली ले जायी जाये उस पर पश्चात्वर्ती भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी का अधिकार.— यदि ऐसी किसी भूमि का स्वामी, जिसमें, जिस पर या जिसके नीचे से धारा 205 के अधीन कोई नाली उस समय ले जायी गयी हो जब उस भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया गया था, किसी पश्चात्वर्ती समय पर उस भूमि पर कोई भवन निर्मित करना चाहे तो नगरपालिका, यदि वह ऐसे भवन निर्माण की मंजूरी देती है, उस भवन या भूमि के स्वामी या अधिभोगी को, जिसके फायदे के लिए वह नाली बनायी गयी थी, उस नाली को बन्द करने, हटाने या उसकी दिशा बदलने के लिए तथा प्रस्तावित भवन का निर्माण या उसका सुरक्षित उपभोग निश्चित करने के लिए उस भूमि को ऐसी रीति से, जो नगरपालिका आवश्यक समझे, भरने, पुनः स्थापित करने तथा पूर्व दशा में लाने की अपेक्षा करते हुए लिखित नोटिस दे सकेगी और भवन का निर्माण करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति से भी उसे लिखित नोटिस देकर अपेक्षा कर सकेगी कि वह उस नाली को ध्यान में रखते हुए भवन के स्थल में या भवन के निर्माण के ब्यौरों में ऐसे परिवर्तन ऐसे निबन्धनों पर कर ले जो नगरपालिका नाली को संसक्त रखने के लिए आवश्यक समझे।

208. शौचालयों आदि की व्यवस्था.— (1) जहां नगरपालिका की यह राय हो कि किसी-किसी भवन में या भूमि पर शौचालय या मलकूप या अतिरिक्त शौचालयों या मलकूपों की व्यवस्था की जानी चाहिए या किसी नगरपालिका में, जिसमें फलश शौचालय पद्धति आरम्भ की गयी है, किसी भवन में या भूमि पर विद्यमान शौचालयों या मलकूपों के स्थान पर फलश शौचालय प्रतिस्थापित किये जाने चाहिए या उनमें या उन पर अतिरिक्त फलश शौचालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए वहां नगरपालिका, ऐसे भवन या भूमि के स्वामी को लिखित नोटिस देकर ऐसे शौचालयों, मलकूपों या फलश शौचालयों की, जो नगरपालिका उचित समझे, व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से जो बीस से अधिक कर्मकारों या श्रमिकों को नियोजित करते हों या जो किसी बाजार, विद्यालय या नाट्यशाला अथवा सार्वजनिक समागम के किसी अन्य स्थान के स्वामी अथवा प्रबन्धक हों, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वे ऐसे तहारतों और मूत्रालयों की व्यवस्था करें, जैसा नगरपालिका निदेश दे तथा उनका उचित प्रकार से रख-रखाव करें और प्रतिदिवस साफ करायें।

(3) नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसी भूमि के, जिस पर कोई शौचालय हो, स्वामी या अधिभोगी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह पड़ोसियों या मार्ग में आने जाने वाले व्यक्तियों या पड़ोस के निवासियों की दृष्टि से छिपा हुआ रखने के लिए ऐसे शौचालय को पर्याप्त छत या दीवार या घेरे द्वारा बन्द कर दे अथवा किसी शौचालय द्वार या छंद द्वार में जो किसी मार्ग की ओर खुलता हो और जिसे वह न्यूसेन्स समझती हो, ऐसा परिवर्तन करे जैसा वह निदेश दे।

(4) किसी भी व्यक्ति को उसके शौचालय से विष्ठा, नगरपालिका की नाली में या उसकी प्राइवेट नाली में बहाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(5) इस धारा के अधीन दिये गये नगरपालिका के निदेश की अवज्ञा करने वाला कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन दोषसिद्धि पर ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो मास तक का हो सकेगा, और जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

209. कारखानों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में तहारत और मूत्रालय का निर्माण.— (1) नगरपालिका व्यावसायिक काम्प्लेक्सों, विद्यालयों, प्राइवेट अस्पतालों, होटलों, रेस्टोरेंटों, विश्राम गृहों, बाजारों, सामुदायिक

केन्द्रों, विवाह हॉलों, सिनेमा हॉलों, सभा भवनों, क्लबों, मनोरंजन केन्द्रों, मनोरंजन पार्कों, और अन्य ऐसे प्राइवेट स्थानों के स्वामी, अधिभोगी या नियंत्रक को ऐसे स्थानों के उपयोक्ताओं की सुविधा के लिए पर्याप्त तहारत और मूत्रालय निर्मित करने के लिए नोटिस दे सकेगी, जिसे नगरपालिक प्राधिकारी उपयुक्त समझे। ऐसे तहारत और मूत्रालय को साफ व गंधहीन बनाये रखने या रखने के लिए ऐसे स्थानों के प्रबंधन को निदेशित करना भी मुख्य नगरपालिक अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा। मुख्य नगरपालिक अधिकारी को ऐसे स्थानों के प्रबंधन को महिलाओं के लिए अलग से तहारतों और मूत्रालयों के रख-रखाव के लिए भी निदेश करना चाहिए।

(2) मुख्य नगरपालिक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी समय-समय पर ऐसे तहारत/मूत्रालय में यह सुनिश्चित करने के लिए जायेंगे कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

(3) ऐसे स्थानों का प्रबंधन इस संबंध में मुख्य नगरपालिक अधिकारी के आदेशों और निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

(4) ऐसे स्थानों का प्रभारी व्यक्ति दोषसिद्धि होने पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो मुख्य नगरपालिक अधिकारी के आदेशों या निदेशों की अननुपालना के मामले में बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा।

210. **शौचालयों आदि में परिवर्तन करने, उनकी मरम्मत करने और उनको ठीक दशा में रखने का खर्चा.**— (1) नगरपालिका के भीतर स्थित समस्त मल-नालियां, नालियां, शौचालय, फलश शौचालय, गृह-नालियां और मलकूप जब तक कि वे नगरपालिका के खर्चे से न बनाये गये हों, उस भूमि या भवन के स्वामी, जिसके वे हैं अथवा जिसके उपयोग के लिए वे बनाये गये हों या चालू रखे जाते हों, के खर्चे से तथा उसके प्रभारों पर

उन्हें परिवर्तित किया जायेगा, उनकी मरम्मत की जायेगी तथा उन्हें ठीक दशा में रखा जायेगा और नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा ऐसे स्वामी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह, ऐसी रीति से, जो नगरपालिका ठीक समझे, उनमें परिवर्तन करे, उनकी मरम्मत करे तथा उनको ठीक दशा में रखे।

(2) नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा स्वामी से किसी ऐसे शौचालय या मलकूप को तोड़ देने या बन्द करने की अपेक्षा कर सकेगी, चाहे वह इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व बनाया गया हो या पश्चात्, जो नगरपालिका की राय में, न्यूसेन्स हो अथवा इस प्रकार निर्मित हो कि जिसे समुचित रूप से साफ नहीं किया जा सकता हो या जिसे ठीक दशा में नहीं रखा जा सकता हो।

211. **विद्यमान प्राइवेट नालियों को बन्द करने की शक्ति.**— जब नगरपालिका के भीतर स्थित किसी भवन या भूमि की कोई नाली किसी मलकूप या मल-नाली से संसक्त हो तो नगरपालिका, यदि वह समझे कि ऐसी नाली यद्यपि ऐसे भवन या भूमि के जल-निकास के लिए पर्याप्त हो और जो यद्यपि अन्यथा आपत्तिजनक न हो, नगरपालिका की मल-वहन की सामान्य पद्धति के अनुकूल नहीं है, तब ऐसे भवन या भूमि के जल-निकास के लिए समान रूप से प्रभावी नाली या नालियों की व्यवस्था करके ऐसी नाली तथा ऐसे मलकूप या मल-नाली को बन्द कर सकेगी, चाहे वह नगरपालिका में निहित भूमि में हो या न हो और नगरपालिका इस प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई भी कार्य कर सकेगी।

212. **अप्राधिकृत रीति से निर्मित, पुनर्निर्मित या जारी रखी जाने वाली मल-नालियों के संबंध में शक्ति.**— यदि कोई नगरपालिक सीमाओं के भीतर की किसी भूमि पर—

(क) नगरपालिका की सम्मति के बिना अथवा उसके आदेशों, निदेशों, साधारण उप-विधियों या नगरपालिका की उप-विधियों के प्रतिकूल या उस समय, जबकि मल-नाली

का ऐसा निर्माण, पुनर्निर्माण या उसे जारी रखने का काम किया जाये, प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के प्रतिकूल, और

- (ख) ऐसी भूमि के नगरपालिका का भाग होने के पश्चात्, किसी मलनाली, नाली, शौचालय, फलश-शौचालय, गृहनाली या मलकूप का निर्माण या पुनर्निर्माण करे या उसे जारी रखे तो नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से, जिसने ऐसा निर्माण, पुनर्निर्माण या जारी रखने का काम किया हो, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी मलनाली, नाली, शौचालयों, फलश-शौचालय, गृह-गली या मलकूप को, जैसा भी नगरपालिका उचित समझे, नष्ट, संशोधित या परिवर्तित कर दे, भले ही ऐसा व्यक्ति ऐसा नोटिस प्राप्त करे या न करे, या उसका अनुपालन करे या न करे, ऐसी शास्ति जिसका वह ऐसे अननुपालन के लिए दायी हो, के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

213. **नगरपालिका की नालियों आदि का अतिक्रमण.**— (1) जो कोई नगरपालिका की लिखित पूर्व सम्मति प्राप्त किये बिना, नगरपालिका में निहित किन्हीं मलनालियों या नालियों में से किसी में जाने वाली या उसके बाहर निकलने वाली कोई नाली बनाता है या बनवाता है तो उसे जुर्माने से, दण्डित किया जा सकेगा, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा और नगरपालिका लिखित नोटिस देकर उस व्यक्ति से ऐसी नाली को तोड़ने, परिवर्तित करने या पुनर्निर्मित करने या उसके सम्बन्ध में अन्य कोई कार्रवाई करने की, जैसा कि नगरपालिका ठीक समझे, अपेक्षा कर सकेगी।

(2) नगरपालिका की लिखित सम्मति के बिना नगरपालिका में निहित किसी मलनाली, नाली, पुलिया या गटर के ऊपर किसी भवन का नवनिर्माण या पुनर्निर्माण नहीं किया जायेगा और नगरपालिका लिखित नोटिस देकर उस व्यक्ति से, जिसने ऐसे भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण किया हो, उस भवन को गिराने या उसके सम्बन्ध में अन्य किसी प्रकार की कार्रवाई करने की, जैसा नगरपालिका ठीक समझे, अपेक्षा कर सकेगी।

214. **नालियों आदि का निरीक्षण.**— (1) मुख्य नगरपालिक अधिकारी या उसके द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी मलनाली, नाली, शौचालय, फलश शौचालय, गृहनाली या मलकूप का निरीक्षण कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच किसी भी समय अपने सहायकों और कर्मकारों के साथ किसी भी भूमि पर या भवन में प्रवेश कर सकेगा और यथासंभव कम से कम नुकसान करते हुए उस जगह जहां वह ठीक समझे, भूमि को खुदवा सकेगा।

(2) ऐसे निरीक्षण का तथा जमीन भरवाने और उसे पहले जैसी कराने का खर्चा जब तक कि मलनाली, नाली, शौचालय, फलश-शौचालय, गृहनाली या मलकूप अव्यवस्थित दशा या खराब हालत में न पाया जाये अथवा उसका निर्माण तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति या नगरपालिका की किसी भी उप-विधि के उपबन्धों के उल्लंघन में न किया गया हो तो नगरपालिका द्वारा उठाया जायेगा, अन्यथा कुल खर्चों के दस प्रतिशत की दर से प्रशासनिक और पर्यवेक्षण प्रभारों सहित वह खर्चा ऐसी मलनाली, नाली, शौचालय, फलश-शौचालय, गृहनाली या मलकूप के स्वामी द्वारा संदत्त किया जायेगा और उसी रीति से वसूलीय होगा जैसा इस अधिनियम के अधीन वसूलीय किसी कर के मद्दे दावाकृत किसी रकम की वसूली होती है।

215. **कतिपय संकर्मों को स्वामी से कराने के बजाय स्वयं निष्पादित करने की नगरपालिका की शक्ति.**— (1) नगरपालिका, यदि वह उचित समझे तो इस प्रकार की प्रकृति के किसी कार्य को जिस पर यह अध्याय लागू होता है, उस व्यक्ति को जो अन्यथा उसका निष्पादन करता, पहले करने का विकल्प न देकर अपने आदेशाधीन किसी नगरपालिक या अन्य अभिकरण द्वारा निष्पादित करा सकेगी।

(2) इस प्रकार किये गये किसी कार्य का, कुल खर्चों के दस प्रतिशत की दर से प्रशासनिक और पर्यवेक्षण प्रभारों सहित खर्चा पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जायेगा, जब तक कि नगरपालिका किसी सामान्य या विशेष आदेश या संकल्प द्वारा, ऐसे कार्य का निष्पादन नगरपालिक निधि से किये जाने की मंजूरी न दे, जैसी मंजूरी देने के लिए उसे इसके द्वारा सशक्त किया जाता है।

(3) प्राइवेट भवनों या भूमियों के जलनिकास के लिए या उससे संसक्त कोई पाइप, फिटिंग्स, आधान या अन्य साधित्र, यदि वे नगरपालिका के खर्च पर प्रदत्त किये, निर्मित किये या बनाये गये हों तो वे तब तक नगरपालिका की सम्पत्ति समझे जायेंगे जब तक कि नगरपालिका उनमें अपने हित को ऐसे भवनों या भूमियों के मालिकों को अन्तरित नहीं कर देती।

216. **जल-प्रणाल आदि ले जाने की शक्ति.**— राज्य सरकार का जलप्रदाय विभाग या, यथास्थिति, नगरपालिका को, जिसमें नगरपालिका को जलप्रदाय करने के लिए जलप्रदाय संबंधी कार्यों का निर्माण तथा रख-रखाव का कर्तव्य निहित है, नगरपालिका के भीतर या बाहर जल-प्रणाल, पाइप और प्रणालिका ले जाने, उसे नवीकृत करने और उसकी मरम्मत करने के बारे में वही शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उन्हीं निर्बंधनों के अधीन होगी जो नगरपालिका के भीतर नालियों को ले जाने उन्हें नवीकृत करने और उनकी मरम्मत करने के लिए इस अधिनियम में

अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन नगरपालिका को प्राप्त हैं और जिन उपबन्धों के अधीन नगरपालिका है।

217. **व्यवसायिक बहिःस्राव के संबंध में विशिष्ट उपबन्ध.**— इस अधिनियम के उपबन्धों और तदधीन बनायी गयी उप-विधियों और तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अध्यधीन रहते हुए, किसी भी व्यवसायिक परिसर का अधिभोगी, नगरपालिका के अनुमोदन से या, इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी उप-विधियों या तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा जहां तक अनुज्ञात किया जाये, ऐसे अनुमोदन के बिना, नगरपालिका की नाली में, ऐसे परिसरों से होने वाले कोई व्यवसायिक बहिःस्राव का निस्सारण कर सकेगा।

218. **व्यवसायिक बहिःस्राव के जलनिकास से संबंधित विशेष उपबन्ध.**— इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों या किसी रूढ़ि, प्रथा या करार में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, जहां मुख्य नगरपालिक अधिकारी की राय में—

- (i) कोई भी व्यवसायिक परिसर प्रभावी जलनिकास के समुचित साधनों और व्यवसायिक बहिःस्राव के पर्याप्त उपाय के बिना है; या
- (ii) उसकी नालियां, यद्यपि अन्यथा आपत्तिकारक नहीं है, उन्हें नगरपालिक क्षेत्र की सामान्य जलनिकास प्रणाली में मिलाया नहीं गया है; या
- (iii) बहिःस्राव विनिर्दिष्ट शुद्धता का नहीं है,

वहां मुख्य नगरपालिक अधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी से अपेक्षा कर सकेगा कि—

- (क) व्यवसायिक बहिःस्राव का निस्सारण ऐसी रीति से, ऐसे समय पर, ऐसी नालियों में होकर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की गयी

हों, किया जाये और नोटिस के अनुसार से अन्यथा बहिःस्राव के निस्सारण को रोक दे,

(ख) किसी नगरपालिक नाली में निस्सारण से पूर्व व्यवसायिक बहिःस्राव का शोधन करे और व्यवसायिक बहिःस्राव के शोधन के लिए ऐसे साधित्र, उपकरण, फिटिंग और संयंत्र स्थापित करे जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किये जायें,

(ग) ऐसी सामग्री, आकार और विवरण की नाली का निर्माण करे, और ऐसे स्तर पर और ऐसे संरक्षण के अनुसार और ऐसे ढलान और निकास के साथ लगाये, जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये,

(घ) किसी शोधन संयंत्र, विद्यमान नाली, उपकरण, संयंत्र-फिटिंग या किसी भी नगरपालिक या गृह-नाली के संबंध में प्रयुक्त वस्तु में परिवर्तन, संशोधन, मरम्मत या नवीकरण करे।

219. जल-प्रणालों या नगरपालिका की नालियों पर बिना अनुज्ञा के भवन, रेलवे और प्राइवेट मार्गों का परिनिर्माण या संनिर्माण नहीं किया जाना.— (1) नगरपालिका द्वारा संनिर्मित या रख-रखाव की गयी या उसमें निहित किसी भी नगरपालिका की नाली पर मुख्य नगरपालिक अधिकारी की अनुज्ञा के बिना, कोई भवन, दीवार, बाड़ या अन्य ढांचा परिनिर्मित नहीं किया जायेगा और किसी रेलवे या प्राइवेट मार्ग का संनिर्माण नहीं किया जायेगा।

(2) किसी भी नाली या जल संकर्म पर बिना उपरोक्त अनुज्ञा के यदि कोई भवन, दीवार, बाड़ या अन्य ढांचा निर्मित किया गया है या कोई भी रेलवे या प्राइवेट मार्ग संनिर्मित किया गया है तो मुख्य नगरपालिक

अधिकारी ऐसे परिनिर्माण या संनिर्माण को ऐसी रीति से, जो वह ठीक समझे, हटा सकेगा या उस पर अन्यथा कार्रवाई कर सकेगा।

(3) मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा उप-धारा (2) के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने में उपगत किया गया व्यय, प्राइवेट मार्ग या भवन, बाड़, दीवार या अन्य ढांचे के स्वामी द्वारा या रेलवे प्रशासन या, यथास्थिति, उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जायेगा और इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

220. **कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करना.**— यदि मुख्य नगरपालिक अधिकारी किसी भी रेलवे लाइन के आर-पार कोई पाइप या नाली रखना या ले जाना या जल आपूर्ति से संबंधित कोई अन्य कार्य या जलनिकास करना चाहता है तो वह रेलवे प्रशासन को सूचित करेगा, जो नगरपालिका के खर्चे पर उसका निष्पादन करेगा।

221. **परिसर के स्वामी को अन्य व्यक्तियों की भूमि में होकर पाइप लगाने और नाली रखने की शक्ति.**— (1) यदि मुख्य नगरपालिक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी भी परिसर के जल-निकास का एक मात्र या सर्वाधिक सुविधापूर्ण माध्यम, अन्य व्यक्ति की स्थावर सम्पत्ति के ऊपर, नीचे, साथ-साथ या आर-पार पाइप या नाली ले जाना है तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे परिसर के स्वामी को ऐसी स्थावर सम्पत्ति के ऊपर, नीचे, साथ-साथ या आर-पार पाइप या नाली लगाने या ले जाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई आदेश देने के पूर्व, मुख्य नगरपालिक अधिकारी, ऐसे समय के भीतर-भीतर, जैसा कि उसके द्वारा लिखित आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, स्थावर संपत्ति के स्वामी को यह हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा कि आदेश क्यों नहीं किया जाये:

परन्तु यह और कि ऐसी स्थावर संपत्ति जिसके ऊपर, नीचे, साथ-साथ या आर-पार ऐसे पाइप या नाली रखी गयी है या ले जायी

गयी है, में परिसर के स्वामी को उपयोक्ता के अधिकार के अलावा कोई अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आदेश पर, परिसर का स्वामी, उसके ऐसा करने के आशय का युक्तियुक्त नोटिस देने के पश्चात् ऐसी स्थावर संपत्ति के ऊपर, नीचे, साथ-साथ, आर-पार पाइप रखने या नाली ले जाने के प्रयोजन के लिए या ऐसे पाइप या नाली की मरम्मत करने के प्रयोजन के लिए सहायकों और कर्मकारों के साथ सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ऐसी स्थावर संपत्ति में किसी भी समय प्रवेश कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन पाइप या नाली रखने या ले जाने में, जहां तक संभव हो ऐसी स्थावर संपत्ति को कम से कम हानि पहुंचायी जायेगी और परिसर का स्वामी—

(क) न्यूनतम संभव विलंब करते हुए पाइप रखवायेगा या नाली ले जायेगा;

(ख) ऐसे पाइप रखने या नाली ले जाने के प्रयोजन के लिए कोई खुदी हुई, तोड़ी हुई या हटायी गयी भूमि को, स्वयं के खर्चे पर और न्यूनतम संभव विलंब करते हुए भरेगा, पुनः स्थापित करेगा और पूर्वस्थिति में लायेगा; और

(ग) ऐसी स्थावर संपत्ति के स्वामी और ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसको ऐसे पाइप या नाली रखने या ले जाने से हानि हुई है, प्रतिकर का संदाय करेगा।

(4) यदि ऐसी स्थावर संपत्ति, जिसके ऊपर, नीचे, साथ-साथ या आर-पार पाइप या नाली इस धारा के अधीन रखी या ले जायी जा चुकी है, जब कि ऐसी स्थावर संपत्ति पर कोई भवन निर्मित नहीं किया गया था, का स्वामी ऐसी स्थावर संपत्ति पर कोई भवन निर्मित करना चाहता है तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी लिखित नोटिस द्वारा परिसर के स्वामी से

पाइप या नाली को ऐसी रीति से जैसी कि उसके द्वारा अनुमोदित की जाये, बन्द करने, हटाने या मोड़ने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी स्थावर संपत्ति को भरने, पुनःस्थापित करने और पूर्वस्थिति में लाने की अपेक्षा कर सकेगा मानो कि पाइप या नाली ऐसी स्थावर संपत्ति के उपर, नीचे, साथ-साथ या आर-पार न रखे या न ले जाये गये हों:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि मुख्य नगरपालिक अधिकारी की राय में प्रस्तावित भवन के निर्माण या इसके सुरक्षित उपभोग के लिए यह आवश्यक या समीचीन न हो कि पाइप या नाली को बन्द किया जाये, हटाया जाये या उसे मोड़ा जाये।

222. दायी व्यक्ति को नोटिस देने के पश्चात् मुख्य नगरपालिक अधिकारी की कार्य निष्पादित करने की शक्ति.— (1) जब इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, कोई व्यक्ति नगरपालिक क्षेत्र के भीतर जलनिकास और मल-वहन से संबंधित कार्य निष्पादित करने के लिए अपेक्षित या दायी है, तब मुख्य नगरपालिक अधिकारी इस अधिनियम और तदधीन बनायी गयी उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार, ऐसे व्यक्ति को ऐसा कार्य ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाये, निष्पादित करने का अवसर देने के पश्चात् ऐसा कार्य निष्पादित करायेगा।

(2) मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा ऐसे कार्य के निष्पादन में उपगत व्यय या संभावित उपगत व्यय ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय होंगे और मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा ऐसे कार्य के रख-रखाव या ऐसे कार्य द्वारा प्रदत्त संभावित सुविधाओं और प्रसुविधाओं के संबंध में उपगत व्यय ऐसी सुविधाओं और प्रसुविधाओं का उपभोग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा संदेय होगा।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट व्यय इसके लिए दायी व्यक्ति या व्यक्तियों से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

223. कार्य का अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर द्वारा किया जाना.- (1) नगरपालिका, अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर के रूप में कार्य करने के लिए ऐसी तकनीकी अर्हताएं या अनुभव, जिन्हें उप-विधियों द्वारा अवधारित किया जाये, रखने वाले किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगी।

(2) अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर से भिन्न कोई भी व्यक्ति इस अध्याय में वर्णित कोई भी कार्य निष्पादित नहीं करेगा, और कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कार्य को किसी अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर द्वारा के सिवाय निष्पादित किये जाने की अनुमति नहीं देगा:

परन्तु यदि मुख्य नगरपालिक अधिकारी की राय में कार्य मामूली प्रकृति का है तो वह अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए लिखित अनुज्ञा मंजूर कर सकेगा।

(3) नगरपालिका उप-विधियों द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबंध करेगी-

- (क) ऐसे अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बरों के नियोजन के निबंधन और शर्तें,
- (ख) उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व, और उनके कृत्यों के लिए मार्गदर्शन,
- (ग) विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उन्हें संदत्त किये जाने वाले प्रभार,
- (घ) उनके कार्य के संबंध में किसी परिसर के स्वामियों या अधिभोगियों द्वारा की गयी शिकायतों की सुनवाई और उनका निस्तारण, और

(ड) किसी भी ऐसे प्लम्बर द्वारा किन्हीं ऐसी उप-विधियों के उल्लंघन के मामले में ऐसी अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्दकरण, चाहे उसे इस अधिनियम के अधीन अभियोजित किया जाये या नहीं।

224. कतिपय कार्यों का प्रतिषेध.— (1) कोई व्यक्ति—

(क) मुख्य नगरपालिक अधिकारी की प्राधिकारिता के अधीन, किसी कार्य की रूपरेखा बनाने में या ऐसे कार्य की रूप रेखा बनाने के प्रयोजन से भूमि में गाड़े गए किसी स्तम्भ, खम्भे या शाफ्ट को खींचने या हटाने वाले व्यक्ति को जानबूझकर कोई बाधा नहीं पहुंचायेगा, या ऐसे प्रयोजन के लिए किन्हीं कार्यों को विरूपित या नष्ट नहीं करेगा, या

(ख) नगरपालिका से संबंधित किसी ताले, काक, वाल्व, पाइप, मीटर या अन्य कार्य या उपकरण को जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक न तोड़ेगा, न हानि पहुंचायेगा, न घुमायेगा, न खोलेगा, न बन्द करेगा, न शटआफ करेगा या अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करेगा, या

(ग) नगरपालिका से संबंधित किसी जल संकर्म या किसी ऐसे जल-मार्ग, जिसके द्वारा किसी ऐसे जल संकर्म की आपूर्ति की जाती है, के प्रवाह या प्लश, ड्रा-आफ को विधिविरुद्धतया बाधित नहीं करेगा या नहीं मोड़ेगा या उससे जल नहीं लेगा, या

(घ) नगरपालिका से संबंधित मलवाही संकर्म के प्रवाह या प्लश, ड्रा-आफ को विधिविरुद्धतया बाधित नहीं

- करेगा या नहीं मोड़ेगा या नहीं लेगा या नगरपालिका द्वारा रखी गयी किसी विद्युत पारेषण लाइन को नहीं तोड़ेगा या क्षतिग्रस्त नहीं करेगा, या
- (ड) नगरपालिका की किसी नाली या मलनाली में प्लास्टिक की थैलियों और पात्रों या डेयरियों, सुअर पालन और फार्मों के अपशिष्ट सहित कोई भी पदार्थ नहीं फेंकेगा, या
- (च) इस अध्याय के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले नगरपालिका के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को बाधित नहीं करेगा, या किसी जल या मल संबंधी संकर्म के संबंध में कोई प्रवेश, निरीक्षण, परीक्षा या उसके अधीन जांच करने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराने से इनकार नहीं करेगा या जानबूझकर उपेक्षा नहीं करेगा, या
- (छ) किसी जल संकर्म में, पर, या उस पर स्नान नहीं करेगा, या उसमें किसी पशु को नहीं धोयेगा या नहीं फेंकेगा या उसका प्रवेश नहीं करवायेगा या किसी जल-संकर्म में कोई कूड़ाकरकट, गंदगी या कीचड़ नहीं फेंकेगा, या उसमें कोई कपड़ा, ऊन या चमड़ा या किसी पशु की खाल को नहीं धोयेगा या साफ नहीं करेगा, या किसी सिंक या नाली या वाष्प-इंजन या बायलर या किसी भी प्रदूषित जल को किसी जल-संकर्म में नहीं मोड़ेगा, या नहीं लायेगा, या ऐसा कोई भी अन्य कार्य नहीं करेगा जिससे जल संकर्मों में जल दूषित होता हो या होने की संभावना हो।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में की कोई भी बात उपभोक्ता के परिसर को जल की आपूर्ति करने वाले सर्विस पाइप पर लगायी गयी स्टाप-काक को बन्द करने वाले उपभोक्ता पर लागू नहीं होगी, जहां तक कि उसने ऐसे किसी अन्य उपभोक्ता की सम्मति प्राप्त कर ली हो जिसकी जल-आपूर्ति उससे प्रभावित होगी।

225. मलवाही संकर्मों के प्रवर्तन और रख-रखाव का सौंपा जाना और मल-वहन प्रभारों का बिल बनाना और उनका संग्रहण- नगरपालिका, राज्य सरकार के अनुमोदन से नगरपालिक क्षेत्र में मल-वहन संकर्मों का कार्यान्वयन और रख-रखाव किसी को सौंप सकेगी और मल-वहन प्रभार या मल-वहन उपकर के बिल बनाने और उनके संग्रहण का कार्य, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अभिकरण को या किसी प्राइवेट अभिकरण को सौंप सकेगी।

226. ठोस अपशिष्ट प्रबंध और उनके हस्तन के संबंध में नगरपालिका का कर्तव्य-(1) धारा 4 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए नगरपालिका, नगरपालिक क्षेत्र के भीतर, केन्द्र सरकार द्वारा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 29) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिक ठोस अपशिष्टों के प्रबंध और हस्तन को विनियमित करने और ऐसे ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन के लिए, अवसंरचना के विकास के लिए बनाये गये नियमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) धारा 4 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, नगरपालिका या तो स्वयं, या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा,-

(क) नगरपालिक ठोस अपशिष्ट का संग्रहण निम्न में से किसी एक रीति, जैसे कि सामुदायिक बिन संग्रहण (केन्द्रीय कचरा-पात्र), घर-घर से संग्रहण और

नियमित पूर्व-सूचित समयों और कार्यक्रमों पर संग्रहण, से करेगी,

(ख) होटलों, भोजनालयों, कार्यालय काम्प्लेक्सों और वाणिज्यिक क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए गंदी बस्तियों और अनधिवासी क्षेत्रों और अन्य इलाकों से अपशिष्टों के संग्रहण का उपाय करेगी,

(ग) इस प्रकार खण्ड (क) और (ख) के अधीन संगृहीत किये गये समस्त ठोस अपशिष्ट को दैनिक आधार पर व्ययन के लिए नियमित अन्तराल पर हटायेगी, और

(घ) वधशालाओं, मांस और मछली बाजारों, और फल और सब्जी बाजारों से जैव-व्याहासन योग्य अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य रीति से उपयोग करने की व्यवस्था करेगी।

227. ठोस अपशिष्टों का प्रबंध और हस्तन और बिल बनाने और प्रभारों के संग्रहण का सौंपा जाना.— इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं भी अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिक ठोस अपशिष्टों के प्रबंध और हस्तन के प्रयोजनों के लिए और ऐसे ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन के लिए अवंसरचना, यदि कोई हो, के विकास के लिए प्रभार उद्गृहीत किया जायेगा और उसका संदाय ऐसी दर पर किया जायेगा, जो नगरपालिका समय-समय पर नियत करे:

परन्तु यथा-उपरोक्त प्रभार, जहां तक साध्य हो, ऐसा होगा जो नगरपालिक ठोस अपशिष्टों के प्रबंध और हस्तन और उनके संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन के लिए अवंसरचना, यदि कोई हो, के विकास के मद्दे होने वाले खर्च को और ऋण-सेवा,

संयंत्र और मशीनों का अवक्षयण, और अन्य प्रभार, यदि कोई हो, के खर्च को भी समाविष्ट करे:

परन्तु यह और कि मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगरपालिका के पूर्व अनुमोदन से, ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन के लिए अवसंरचना के विकास और नगरपालिक ठोस अपशिष्टों के प्रबंध और हस्तन का कार्य और बिल बनाने और उपरोक्त प्रभारों के संग्रहण का कार्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अभिकरण या अन्य किसी भी अभिकरण को सौंप सकेगी।

228. ठोस अपशिष्टों का नगरपालिका की संपत्ति होना.— लोक पात्रों, डिपो और धारा 226 के अधीन उपलब्ध करवाये गये या नियत किये गये स्थानों में जमा समस्त ठोस अपशिष्ट, और नगरपालिक कर्मचारियों या ठेकेदारों या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा संगृहीत समस्त ठोस अपशिष्ट नगरपालिका की संपत्ति होंगे और नगरपालिका, जैसा वह उचित समझे, इसका व्ययन कर सकेगी।

229. ठोस अपशिष्टों के व्ययन और अंतिम व्ययन के लिए स्थान नियत करना.— नगरपालिका, या तो स्वयं या अन्य किसी अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्टों का नगरपालिक क्षेत्र के भीतर या बाहर, ऐसे स्थान या स्थानों पर और ऐसी रीति से, जैसी कि वह उपयुक्त समझे, व्ययन करा सकेगी :

परन्तु ऐसे किसी भी स्थान का, जिसका उपयोग इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है, इस प्रकार उपयोग नहीं किया जायेगा, सिवाय कि वह—

- (i) विकास योजना और भू-उपयोग नियंत्रण से संबंधित किसी भी राज्य विधि के उपबंधों या इससे संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुरूप हो, या

(ii) ऐसी किसी विधि के अभाव में, राज्य सरकार के अनुमोदन से:

परन्तु यह और कि ठोस अपशिष्टों का अंतिम रूप से व्ययन ऐसी किसी भी रीति से नहीं किया जायेगा जिसको राज्य सरकार अननुज्ञात करना ठीक समझे।

230. परिसरों के स्वामियों और अधिभोगियों का ठोस अपशिष्टों के उत्पन्न होने के स्रोत पर ही भंडारण करने का कर्तव्य.— नगरपालिक क्षेत्रों में की समस्त भूमियों और भवनों के स्वामियों और अधिभोगियों का यह कर्तव्य होगा कि—

(क) परिसरों में नियमित आधार पर झाड़ू लगवायें और सफाई करवायें,

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट आपस में मिलें नहीं, निम्नलिखित के भंडारण के लिए पृथक पात्र या निस्तारण थैलियां उपलब्ध करवायें—

(i) कार्बनिक और जैव-व्याह्रासनीय अपशिष्ट,

(ii) पुनःप्रसंस्करण योग्य और गैर-जैव-व्याह्रासनीय अपशिष्ट, और

(iii) घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट,

(ग) ऐसे पात्रों को अच्छी दशा में और व्यवस्थित रखना, और

(घ) कूड़ाकरकट, घृणोत्पादक पदार्थ, गंदगी, व्यवसायिक कूड़ा, मृत जानवरों के शव, जीव-चिकित्सा अपशिष्ट और अन्य प्रदूषित और घृणित पदार्थों को सम्मिलित करते हुए ऐसे समस्त अपशिष्ट को जो उनके

अपने-अपने परिसरों से संगृहीत किये जाने हैं और सामुदायिक कचरा पात्र में या पात्रों में ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर जमा किये जाने हैं, जैसा कि मुख्य नगरपालिक अधिकारी नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करे, एकत्र करना।

231. **सहकारी आवासन सोसाइटी, अपार्टमेन्ट स्वामी संगम आदि का कर्तव्य.**— सहकारी आवासन सोसाइटियों, अपार्टमेन्ट स्वामी संगमों, निवासीय और गैर-निवासीय भवन काम्प्लेक्सों, शैक्षिक भवनों, वाणिज्यिक भवनों, औद्योगिक भवनों, भंडारण भवनों और परिसंकटमय भवनों के प्रबंधनों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपशिष्टों (पुनः प्रसंस्करणीय अपशिष्टों के अलावा), परिसंकटमय अपशिष्टों, और जीव-चिकित्सा अपशिष्टों के अस्थायी भंडारण के लिए और उनके पश्चात्त्वर्ती संग्रहण तथा नगरपालिका द्वारा हटाये जाने के लिए उनके परिसरों में सामुदायिक कचरा-पात्र या ऐसे समुचित आकार की निस्तारण थैलियां उपलब्ध करवायें, जैसी कि नगरपालिका द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

232. **प्रतिषेध.**— कोई भी व्यक्ति और किसी भूमि या भवन का कोई भी स्वामी या अधिभोगी—

- (क) किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी ठोस अपशिष्ट को नहीं फैलायेगा या जमा नहीं करेगा,
- (ख) भवन के कूड़ा करकट को किसी सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक स्थान या खुली भूमि पर जमा नहीं करेगा,
- (ग) सार्वजनिक स्थानों पर किसी गंदगी वाले पदार्थ को फैलाने नहीं देगा, या
- (घ) मृत जानवरों के शव या उसके किसी भी भाग को ऐसे स्थान पर जमा या अन्यथा व्ययन नहीं करेगा

जो ऐसे प्रयोजन के लिए उपलब्ध या नियत नहीं किया गया है।

233. **मार्गों को गंदा करने और कोई ठोस अपशिष्ट जमा करने या फेंकने के लिए दण्ड.**— जो कोई भी इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान को गंदा करता है या किसी भी स्थान पर कोई ठोस अपशिष्ट या भवन का कूड़ाकरकट जमा करता है या फेंकता है या जमा करवाता है या फिंकवाता है या जमा करवाना या फिंकवाना अनुज्ञात करता है या अपने परिसर से किसी गंदगी वाले पदार्थ का प्रवाह अनुज्ञात करता है, वह नगरपालिका द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली पांच सौ रुपये से अनधिक की शास्ति मौके पर ही संदत्त करने का दायी होगा।

234. **जीव-चिकित्सा अपशिष्ट.**— यह नगरपालिका का कर्तव्य होगा कि या तो वह स्वयं या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 29) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये नियमों के उपबन्धों का जीव-चिकित्सा अपशिष्टों के प्रबंध और हस्तन को उस सीमा तक जहां तक, ऐसे नियम नगरपालिका पर लागू होते हों, विनियमित करने के लिए क्रियान्वयन करावे।

235. **परिसंकटमय अपशिष्ट.**— यह नगरपालिका का कर्तव्य होगा कि या तो वह स्वयं या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 29) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये नियमों के उपबन्धों का परिसंकटमय अपशिष्टों के प्रबंध और हस्तन को उस सीमा तक जहां तक

ऐसे नियम नगरपालिका पर लागू होते हों, विनियमित करने के लिए क्रियान्वयन करावे।

236. कतिपय बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा आवश्यक है— (1) नगरपालिका, यातायात की बहुलता और लोक सुविधा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक मार्गों में के भवनों के स्वामियों या अधिभोगियों को उक्त भवनों की किसी ऊपर वाली मंजिल, से इस निमित्त बनायी गई उप-विधियों के उपबंधों के अनुसरण में खुले बरामदे, बालकनियां या कमरे बनवाने की लिखित अनुज्ञा दे सकेगी।

(2) यथा—पूर्वोक्त प्रकार से ऐसे किसी बहिर्गत भाग का ऐसी अनुज्ञा के बिना या ऐसे आदेशों के उल्लंघन में निर्माण करने वाला स्वामी या अधिभोगी ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, और यदि ऐसा स्वामी या अधिभोगी यथा—पूर्वोक्त किसी बहिर्गत भाग को, जिसके संबंध में वह इस धारा के अधीन दण्डित किया गया है, हटाने में असफल रहता है तो वह ऐसे और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जब तक ऐसी चूक या उपेक्षा चालू रहे, पचास रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा।

(3) नगरपालिका लिखित सूचना द्वारा, किसी भवन के स्वामी या अधिभोगी से, किसी बहिर्गत भाग, अतिक्रमण या अवरोध, जो चाहे ऐसे भवन के क्षेत्र के नगरपालिका का भाग बन जाने के पूर्व या इसके पश्चात बना हो, ऐसे भवन के सामने या आगे निर्मित या स्थापित किया गया हो, और जो—

(क) किसी सार्वजनिक मार्ग में इस प्रकार मुड़ा हुआ या प्रक्षिप्त हो अथवा उस पर किसी ऐसी रीति से आगे निकला हुआ हो या अतिक्रमण करता हो जिससे कि

वह ऐसे मार्ग पर सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन के लिए अवरोध बन गया हो, या

- (ख) ऐसे मार्ग में के किसी अनावृत जलसेतु, नाली या मल-नाली में या उस पर इस प्रकार आगे निकला हुआ हो और अतिक्रमण करता हो जिससे कि ऐसे जलसेतु, नाली या मल-नाली में अथवा उसके उचित रीति से कार्य करने में अवरोध या बाधा उत्पन्न करता हो या किसी भी रूप में भवन रेखा को कम करने वाला हो, को हटाने या परिवर्तित करने की अपेक्षा कर सकेगी:

परन्तु सदैव यह कि यदि ऐसा बहिर्गत भाग, अतिक्रमण या अवरोध किसी ऐसे स्थान में उस तारीख से पूर्व जिसको कि ऐसा स्थान किसी नगरपालिका का भाग बना हो, या ऐसी तारीख के बाद में नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा से निर्मित किया गया हो तो नगरपालिका ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसको ऐसे हटाये जाने या परिवर्तन से नुकसान पहुंचे, उचित प्रतिकर देगी और यदि ऐसे प्रतिकर की रकम के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसका अभिनिश्चय और अवधारण धारा 295 में उपबन्धित रीति से किया जायेगा।

237. वर्षा जल के लिए द्रोणी और पाइप.— (1) नगरपालिका, लिखित नोटिस द्वारा, किसी मार्ग में प्रत्येक भवन के स्वामी से ऐसे भवन की छत और अन्य भागों से जल के ग्रहण और उसका वहन करने और उसे ऐसी रीति से जो वह उचित समझे, निकालने के लिए, जिससे कि वह मार्ग में आने जाने वाले व्यक्तियों पर न पड़े या मार्ग को नुकसान न पहुंचाये, उचित द्रोणी और पाइप की व्यवस्था करने और अच्छी दशा में रखने की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) जहां भवन का कोई स्वामी या अधिभोगी उप-धारा (1) के अधीन नोटिस में परिकल्पित अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता

है और तद्द्वारा उसके उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, जो एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा।

238. वर्षा जल संग्रहण संरचना का उपबंध.- (1) सरकार, या सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी कानूनी निकाय या कम्पनी या संस्था के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधिभुक्त प्रत्येक भवन में वर्षा-जल संग्रहण संरचना सरकार द्वारा या ऐसे कानूनी निकाय, या कम्पनी या, यथास्थिति, संस्था द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाये, उपलब्ध करवायी जायेगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी भवन का स्वामी या अधिभोगी, भवन में वर्षा-जल संग्रहण संरचना ऐसी रीति से और ऐसी कालावधि के भीतर, जो उप-विधियों में या अन्यथा विहित की जाये, उपलब्ध करायेगा।

स्पष्टीकरण.- जहां कोई भवन एक से अधिक व्यक्ति द्वारा स्वामित्वाधीन या अधिभुक्त हों वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन दायी होगा।

(3) ऐसी किसी कार्रवाई पर, जो इस अधिनियम के अधीन की जाये, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां भवन का स्वामी या अधिभोगी उप-धारा (2) के अधीन विहित कालावधि के भीतर-भीतर उस भवन में वर्षा जल संग्रहण संरचना उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा।

(4) किसी लोक जलप्रदाय प्रणाली से, नवनिर्मित भवन में कोई भी जल-संबंध तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका स्वामी या अधिभोगी संबंधित नगरपालिका का इस आशय का प्रमाणपत्र

प्रस्तुत न कर दे कि उस भवन में वर्षा-जल संग्रहण संरचना उपलब्ध करा दी गयी है।

239. **मकानों पर ब्रकेट इत्यादि लगाना.**— नगरपालिका, तेल या गैस से जलाये जाने वाले लैम्पों के लिए या, बिजली के सम्बन्ध में प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बिजली से या अन्यथा जलायी जाने वाली बत्तियों के लिए, या टेलीग्राफ के संबंध में प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, टेलीग्राफ के तारों या टेलीफोन के तारों के लिए, या लोकोमोटिव्ज के लिए बिजली ले जाने या अन्य प्रयोजनों हेतु ब्रकेट या ऐसे पाइप, जो वह मल-नालियों और जल संकर्मों के उचित संवातन के लिए आवश्यक समझे, किसी भवन के बाहर बना सकेगी या अवस्थित कर सकेगी और ऐसे ब्रकेट और पाइप इस प्रकार बनाये जायेंगे कि उनसे उक्त भवन या पड़ौस के किन्हीं अन्य भवनों को असुविधा या न्यूसेंस न हो।

240. **मार्गों के नाम रखना और मकानों का संख्यांकन.**— (1) नगरपालिका, समय-समय पर प्रत्येक मार्ग और सार्वजनिक स्थान के अंत में या उसके समीप, कोने पर या प्रवेश पर किसी भवन के किसी सहजदृश्य भाग पर वह नाम, जिससे कि ऐसे मार्ग या सार्वजनिक स्थान को जाना जाये, लगाये जाने या पेंट किये जाने की व्यवस्था कर सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका को किसी मार्ग, कालोनी, मोहल्ला, मार्केट, बाजार, पुल, फ्लाईओवर, उद्यान या किसी भी अन्य लोक स्थान या पथ को विनिर्दिष्ट नाम से अभिहित करने के लिए निदेश देना विधिपूर्ण होगा और ऐसा निदेश नगरपालिका पर बाध्यकारी होगा।

(2) नगरपालिका समय-समय पर भवन के बाहर मुख्य प्रवेश द्वार पर किसी सहजदृश्य स्थान पर संख्यांक की प्लेट लगा सकेगी और उस प्लेट का खर्चा उस मकान के स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी नाम या संख्यांक प्लेट को नष्ट करे, हटाये या विरूपित करे अथवा नगरपालिका द्वारा लगाये गये नाम या संख्यांक से भिन्न कोई नाम या संख्यांक लगाये तो दोषसिद्धि पर वह ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

241. मूर्तियों की स्थापना .- (1) किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर कोई मूर्ति स्थापित किये जाने के लिए अनुमति या अनुज्ञा, राज्य सरकार या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं दी जायेगी।

(2) कोई व्यक्ति जो, नगरपालिका की सीमाओं के भीतर उप-धारा (1) के अनुसार स्थापित या परिनिर्मित की गयी किसी मूर्ति को नष्ट करता है, गिराता है या विकृत करता है या कोई व्यक्ति या प्राधिकारी जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना या उसके द्वारा विहित शर्तों के उल्लंघन में कोई मूर्ति स्थापित करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो दो मास से कम नहीं होगा किन्तु जो छह मास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

242. झाड़ियों, वृक्षों आदि का हटाया जाना और उनकी काट-छांट.-(1) नगरपालिका, लिखित नोटिस द्वारा, किसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी से किसी सार्वजनिक मार्ग की सीमा पर स्थित झाड़ियों की छांटई या काट-छांट इस प्रकार करने के लिए कि जिससे उक्त झाड़ी की मार्ग तल से ऐसी ऊँचाई और ऐसी चौड़ाई उतनी से अधिक न हो जाये जितनी कि नगरपालिका निदेश दे, और ऐसे सभी वृक्ष या झाड़ियां, जो किसी प्रकार किसी सार्वजनिक मार्ग पर झुकते हों, खतरा पैदा करते हों या बाधा उत्पन्न करते हों, या जिन्हें नगरपालिका सार्वजनिक मार्ग पर

सम्भवतया झुकने वाले, खतरा पैदा करने वाले या बाधा उत्पन्न करने या सार्वजनिक मार्ग को नुकसान पहुंचाने वाला मानती है, या जो किसी सार्वजनिक तालाब, कुएं या जल प्रदाय की अन्य व्यवस्था पर इस प्रकार झुकते हैं जिससे कि उसका पानी गन्दा होता हो या उसके पानी के गन्दा होने की सम्भावना हो, काट डालने, उनकी शाखाएँ काटने या उनकी छँटाई करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) यदि स्वामी या अधिभोगी उप-धारा (1) के अधीन उसे जारी किये गये नोटिस का अनुपालन नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर करने में विफल रहता है तो नगरपालिका ऐसी झाड़ियों की छँटाई या काट-छांट करवा सकेगी और छँटाई या काट-छांट का व्यय उसी रीति से वसूल कर सकेगी जिससे नगरपालिक बकायाओं की वसूली की जाती है।

243. **खतरनाक भवन.**— (1) यदि कोई भवन या उस पर लगी हुई कोई वस्तु नगरपालिका द्वारा, ध्वस्त हालत में या गिरने की दशा में अथवा किसी अन्य प्रकार से ऐसे भवन के निवासी के लिए या किसी पड़ोस के भवन अथवा उसके अधिभोगी के लिए या राहगीरों के लिए, खतरनाक समझी जाये तो नगरपालिका, यदि उसे आवश्यक प्रतीत हो, राहगीरों की रक्षा के लिए तुरन्त उचित प्रकार की पाड़ अथवा बाड़ लगवा देगी। इस उप-धारा के अधीन नगरपालिका द्वारा उपगत किया गया समस्त व्यय ऐसे भवन के स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा संदत्त किया जायेगा और उसी तरह वसूलीय होगा जिस प्रकार से इस अधिनियम के अधीन किसी कर के मद्धे दावाकृत रकम वसूलीय होती है:

परन्तु यह सदैव कि यदि खतरा अति आसन्न न हो तो यह नगरपालिका के विवेकाधीन होगा कि वह अपनी ओर से उचित पाड़ अथवा बाड़ लगाने के बजाय पहले उसके स्वामी अथवा अधिभोगी को उचित पाड़ अथवा बाड़ लगाने के लिए लिखित नोटिस दे और स्वामी अथवा अधिभोगी

द्वारा, उस पर ऐसा नोटिस तामील हो जाने के दो दिवस के भीतर-भीतर, पाड़ अथवा बाड़, जिसे कि नगरपालिका मामले की परिस्थितियों में पर्याप्त समझे, लगाये जाने में विफल रहने पर, नगरपालिका स्वतः तुरन्त ऐसी पाड़ अथवा बाड़ लगवा देगी और तत्पश्चात् नगरपालिका द्वारा उपगत व्यय को वसूल करने के लिए जैसा कि इस उप-धारा में उपबंधित है, अग्रसर होगी।

(2) नगरपालिका, स्वामी अथवा अधिभोगी से यह अपेक्षा करते हुए कि ऐसे भवन अथवा उस पर लगी हुई वस्तु को, जैसा कि मामले में अपेक्षित हो, तुरन्त गिरा दिया जाये, सुरक्षित कर दिया जाये अथवा उसकी मरम्मत कर दी जाये, ऐसे स्वामी अथवा अधिभोगी को लिखित नोटिस भी देगी, और यदि ऐसा स्वामी अथवा अधिभोगी ऐसे नोटिस की तामील होने से तीन दिवस के भीतर-भीतर और आपातकाल के मामलों में तुरन्त ऐसे भवन अथवा वस्तु की मरम्मत करना, नीचे गिराना अथवा सुरक्षित करना शुरू नहीं करता है और उसे तत्परता से पूरा नहीं करता है तो नगरपालिका ऐसे भवन अथवा वस्तु को पूर्णतः अथवा उसके इतने भाग को, जो वह आवश्यक समझे, नीचे गिरा देगी, उसकी मरम्मत करा देगी अथवा उसको अन्य प्रकार से सुरक्षित करा देगी।

(3) यदि स्वामी या अधिभोगी इस धारा के अधीन जारी नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहता है और वह भवन गिर जाता है तो भवन का स्वामी और अधिभोगी, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन उनके विरुद्ध की जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर प्रभाव डाले बिना, ऐसे भवन के मलबे से कारित किसी भी क्षति के लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायी होगा।

244. **पटरियों आदि को हटाना.**— (1) जो कोई नगरपालिका की अथवा अन्य विधिपूर्ण प्राधिकारी की लिखित सम्मति के बिना किसी सार्वजनिक मार्ग की पटरी, गटर, बरसाती पानी की नाली, पत्थर की

चौकियों या अन्य सामग्रियों, अथवा उसकी बाड़ों, दीवारों या खम्भों, या नगरपालिका के किसी लैम्प, लैम्प के खम्भे, ब्रेकेट, नल-स्तम्भ, दिशा सूचक स्तम्भ, बम्बे, जल पाइप को अथवा उसमें की, उस पर की अथवा उसके नीचे की, नगरपालिका की अन्य किसी सम्पत्ति को हटाता है, नुकसान पहुँचाता है, उखाड़ता है अथवा उसमें कोई परिवर्तन करता है अथवा उसमें अन्यथा हस्तक्षेप करता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा और नगरपालिका को वास्तविक क्षति की रकम और प्रशासनिक प्रभारों के रूप में उसका दस प्रतिशत संदत्त करने का भी दायी होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक मार्ग की ऐसी पटरी, गटर, बरसाती पानी की नाली, पत्थर की चौकियों अथवा अन्य सामग्रियों में या बाड़ों, दीवारों, खम्भों, नगरपालिका के लैम्पों, लैम्पों के खम्भों, ब्रेकेट्स, जल स्तम्भों, दिशा सूचक स्तम्भों, बम्बों, जल पाइपों अथवा नगरपालिका की किसी अन्य सम्पत्ति को हटाने, नुकसान पहुंचाने, उखाड़ने अथवा परिवर्तन करने या अन्यथा हस्तक्षेप करने के बाद उनको नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में वापस ठीक करने में, ऐसा करने का नोटिस मिलने पर भी, विफल रहता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा और ऐसा कोई भी व्यय संदत्त करेगा जो मार्ग को पुनः पहले वाली हालत में लाने में उपगत हो, और ऐसा व्यय उसी रीति से वसूलीय होगा जिस प्रकार से इस अधिनियम के अधीन किसी भी कर के मद्धे दावाकृत रकम वसूलीय होती है।

245. सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा.—(1) जो कोई भी ऐसी किसी भी भूमि या स्थान पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि या स्थान नगरपालिका का हो या नहीं या उसमें निहित हो या नहीं,

किसी भी सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर बनायी गयी सीढ़ियों के सिवाय, कोई अतिक्रमण करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा:

परन्तु न्यायालय निर्णय में उल्लिखित किये जाने वाले किन्हीं भी पर्याप्त या विशेष कारणों से, तीन मास से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।

(2) जो कोई भी नगरपालिका की पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी किसी भी भूमि या स्थान पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि या स्थान नगरपालिका का हो या नहीं या उसमें निहित हो या नहीं, किसी भी सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर बनायी गयी सीढ़ियों के सिवाय, अस्थाई बाधा उत्पन्न करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(3) नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को ऐसी किसी बाधा या अतिक्रमण को हटाने की शक्ति होगी और ऐसे हटाये जाने का व्यय उस व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जायेगा जिसने उक्त बाधा या अतिक्रमण कारित किया है।

(4) इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत न होते हुए जो कोई भी यथापूर्वोक्त किसी भी भूमि या स्थान से मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री को हटाता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से, जो दो मास से कम नहीं होगा किन्तु जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(5) पूर्वगामी उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को, इस धारा में यथा उपबन्धित की गयी कार्रवाई के अतिरिक्त, इस धारा में निर्दिष्ट भूमि या स्थान पर औजारों और यानों के साथ-साथ पायी गयी या, यथास्थिति, ऐसी भूमि या स्थान से संलग्न, या ऐसी भूमि या स्थान से संलग्न किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने या उसे कुर्क करने की शक्ति भी होगी।

(6) जहां नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा कोई सम्पत्ति अभिगृहीत या कुर्क की जाती है, वहां वह नगरपालिका को ऐसे अभिग्रहण या कुर्की की रिपोर्ट तत्काल करेगा।

(7) नगरपालिका, अधिहरण की कार्यवाहियों के निष्कर्ष के लम्बित रहते, अभिगृहीत या कुर्क सम्पत्ति की समुचित अभिरक्षा के लिए ऐसे आदेश कर सकेगी जो वह उचित समझे और यदि सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हो या ऐसा करना अन्यथा समीचीन हो तो नगरपालिका उसे विक्रय या अन्यथा व्ययनित किये जाने के आदेश दे सकेगी।

(8) जहां कोई सम्पत्ति यथापूर्वोक्त विक्रीत की जाती है तो उसके विक्रय आगम का संदाय, ऐसे किसी विक्रय के व्ययों या उससे सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक व्ययों में कटौती के पश्चात् –

(क) जहां नगरपालिका द्वारा अधिहरण का कोई आदेश अन्ततोगत्वा पारित नहीं किया गया हो; या

(ख) जहां अपील में पारित किसी आदेश के द्वारा ऐसा अपेक्षित हो,

उसके स्वामी को या उस व्यक्ति को किया जायेगा जिससे वह अभिगृहीत या कुर्क की गयी है।

(9) जहां उप-धारा (5) के अधीन कोई सम्पत्ति अभिगृहीत या कुर्क की जाती है वहां नगरपालिका ऐसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश दे सकेगी।

(10) उप-धारा (9) के अधीन किसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि ऐसी सम्पत्ति के स्वामी को या उस व्यक्ति को, जिससे कि वह अभिगृहीत या कुर्क की गयी है,—

(क) उन आधारों की उसे सूचना देने वाला एक लिखित नोटिस, जिन पर सम्पत्ति का अधिहरण करना प्रस्तावित है;

(ख) अधिहरण के आधारों के विरुद्ध ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, एक लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर; और

(ग) मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर, न दे दिया जाये।

(11) इस धारा के अधीन किसी अधिहरण का और किसी अतिक्रमण को हटाने का आदेश ऐसे किसी भी दण्ड के अधिरोपण को निवारित नहीं करेगा जिसका प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायी है।

(12) उप-धारा (7) या उप-धारा (9) के अधीन किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की उसे संसूचना की तारीख से एक मास के भीतर, उसके विरुद्ध उस जिले के जिला न्यायाधीश को अपील कर सकेगा जिसमें ऐसी सम्पत्ति अभिगृहीत या कुर्क की गयी है।

(13) ऐसी अपील पर जिला न्यायाधीश, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील के निपटारे के लंबित रहते आदेश के रोके जाने का निदेश दे सकेगा या आदेश को उपान्तरित,

परिवर्तित या बातिल कर सकेगा और कोई ऐसा और आदेश दे सकेगा जो न्यायोचित हो।

(14) जब कभी कोई सम्पत्ति इस धारा के अधीन अधिहरण के लंबित रहते अभिगृहीत या कुर्क की जाये तब, ऐसी सम्पत्ति के कब्जे, परिदान, व्ययन, निर्मुक्ति या वितरण के सम्बन्ध में आदेश करने की अधिकारिता नगरपालिका या जिला न्यायाधीश को होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, किसी अन्य न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण को नहीं होगी।

(15) जहां कोई व्यक्ति उप-धारा (1), उप-धारा (2) या उप-धारा (4) के अधीन के किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां यह साबित करने का भार, कि वह अपराध उसने नहीं किया है, उसी व्यक्ति पर होगा।

(16) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, नगरपालिका को, किसी सार्वजनिक मार्ग पर त्यौहारों और समारोहों के अवसरों पर अस्थायी अधिभोग करने अथवा उस पर अस्थायी निर्माण करने अथवा गलियों में और आस-पास की जगह में ऐसे समय के लिए जो सात दिवस से अधिक नहीं हो और जिससे जनता अथवा किसी व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं हो, ईंधन इकट्ठा करने की अनुमति देने से नहीं रोकेंगी।

(17) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, धारा 236 की उप-धारा (1) के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी बहिर्गत भाग के लिए अथवा किसी ऐसे मामले में, जहां इस धारा की उप-धारा (16) के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गयी हो, लागू नहीं होगी।

(18) अतिक्रमण या बाधा को हटाने या बन्द करने या रोकने के कर्तव्य से विनिर्दिष्ट रूप से न्यस्त जो कोई भी नगरपालिका का कर्मचारी होते हुए या सरकार के किसी विभाग से नगरपालिका में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए स्वयं अतिक्रमण करता है या अतिक्रमण में दूसरों की सहायता

करता है, या ऐसे अतिक्रमण या बाधा को हटाने या बन्द करने या रोकने में जानबूझकर या जानते हुए उपेक्षा करता है या जानबूझकर लोप करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा :

परन्तु कोई भी न्यायालय, नगरपालिका की पूर्व मंजूरी के सिवाय, ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध इस उप-धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(19) इस धारा के अधीन के किसी अपराध का कोई भी अन्वेषण पुलिस उप अधीक्षक की रैंक से नीचे के किसी अधिकारी के द्वारा नहीं किया जायेगा। तथापि, ऐसा अन्वेषण, नगरपालिका की ओर से मुख्य नगरपालिक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदधारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल करने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर पूरा किया जायेगा और रिपोर्ट न्यायालय में फाइल की जायेगी।

(20) धारा 298 के उपबंधों और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य नगरपालिक अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके द्वारा किसी सरकारी या नगरपालिक भूमि पर अतिक्रमण किया जाना संभावित हो, ऐसा कोई अतिक्रमण करने से उसे रोकने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही दाखिल करे और मुख्य नगरपालिक अधिकारी की आशंका की युक्तियुक्तता के बारे में समाधान कर लेने पर मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसके अच्छे व्यवहार के लिए एक वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए, जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे, प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित किये जाने की अपेक्षा करने में सक्षम होगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अध्याय 8 में अन्तर्विष्ट प्रक्रिया इस उप-धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाहियों पर, यथावश्यक

परिवर्तनों सहित, ऐसे लागू होगी मानो ऐसी कार्यवाहियां दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 107 के अधीन कार्यवाहियां हों।

246. **खतरनाक खुदाई.**— यदि नगरपालिका की राय में किसी खान की खुदाई अथवा किसी स्थान पर जमीन से पत्थर, मिट्टी या अन्य पदार्थ निकालना, उसके पड़ोस में रहने वाले या वहां तक विधिसम्मत पहुंच रखने वाले व्यक्तियों के लिए खतरनाक है, अथवा न्यूसेंस पैदा करता है अथवा सम्भवतः कर सकता है तो नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा उक्त खान या स्थान के स्वामी या उस पर कार्य करने अथवा पदार्थ को हटाने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी खान की खुदाई या ऐसे पदार्थ को हटाने का कार्य जारी न रखे अथवा इसकी अनुमति न दे अथवा ऐसी खान या स्थान के लिए ऐसी व्यवस्था करे जैसा कि नगरपालिका खतरे के निवारण के लिए अथवा उससे उत्पन्न होने वाले या हो सकने वाले न्यूसेंस को कम करने के लिए निदेश दे:

परन्तु यदि ऐसी खान अथवा स्थान राज्य सरकार में निहित हो अथवा यदि उसकी इस प्रकार खुदाई अथवा वहां से पूर्वोक्त प्रकार से पदार्थों को हटाया जाना राज्य सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से या राज्य सरकार की अनुज्ञा या प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो तो नगरपालिका ऐसी कार्रवाई तब तक नहीं करेगी जब तक कि राज्य सरकार ने उसको ऐसा करने की सम्मति न दे दी हो:

परन्तु यह और कि यदि इस धारा में निर्दिष्ट किसी मामले में किसी आसन्न संकट को रोकने के लिए आवश्यक प्रतीत हो तो नगरपालिका ऐसी खान अथवा स्थान के पास आने-जाने वालों की रक्षा के लिए उचित पाड़ अथवा बाड़ तुरन्त लगवा देगी, और इस धारा के अधीन की गयी कार्रवाई में नगरपालिका द्वारा उपगत कोई व्यय ऐसे पूर्वोक्त

स्वामी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जायेगा और इस अधिनियम के अधीन किसी कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

247. परिसरों का अनुज्ञप्ति के बिना पशु रखने, या मुर्गी पालन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाना.— कोई भी व्यक्ति किसी भूमि या परिसरों का ढोर, घोड़ा, सुअर, कुत्ता या अन्य चौपाया पशुओं को रखने या किसी भी प्रकार के मुर्गी पालन के लिए, किसी भी प्रयोजन के लिए, चाहे जो हो, नगरपालिका द्वारा, ऐसी फीस के संदाय पर जो नगरपालिका द्वारा उप-विधियों द्वारा अवधारित की जाये, मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति के निबंधनों के बिना या उसके अनुरूप से अन्यथा उपयोग नहीं करेगा या उपयोग किये जाने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा:

परन्तु नगरपालिका किसी लिखित आदेश द्वारा पशुओं या पक्षियों के किसी वर्ग को ऐसी अनुज्ञप्ति से या किसी ऐसे प्रयोजन से, जिसके लिए पशुओं या पक्षियों के ऐसे वर्ग रखे जा सकेंगे, छूट प्रदान कर सकेगी।

248. कतिपय पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण.— (1) यदि कोई ढोर, घोड़ा, सुअर, कुत्ता या अन्य चौपाया पशु या पक्षी, इस अध्याय के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भूमि या परिसर में रखा जाता है या किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर घूमता हुआ या भटका हुआ या रस्सी से बंधा हुआ पाया जाता है या जनता के लिए उत्पात या खतरा कारित करता हुआ पाया जाता है तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगरपालिका के किसी अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे ढोर, घोड़ा, सुअर, कुत्ता या अन्य चौपाया पशु या पक्षी का अभिग्रहण करने के लिए निदेश दे सकेगा और उसको ऐसे स्थान पर, परिबद्ध करवायेगा या हटवायेगा और रखवायेगा, जो नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किया जाये; और ऐसे

अभिग्रहण और परिबद्ध करने या हटाने और बनाये रखने की लागत ऐसे पशु या पक्षी के विक्रय या, यथास्थिति, नीलाम द्वारा वसूलीय होगी:

परन्तु ऐसे पशु या पक्षी का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे अभिग्रहण के सात दिवस के भीतर, नगरपालिका द्वारा ऐसे पशु या पक्षी का अभिग्रहण, परिबद्ध करने या हटाने या बनाये रखने में उपगत किये गये समस्त व्यय के संदाय पर और उसके दावे के समर्थन में ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, जैसा कि मुख्य नगरपालिक अधिकारी पर्याप्त समझे, उसको छुड़ा सकेगा।

(2) किसी पशु या पक्षी की उप-धारा (1) के अधीन नीलाम द्वारा विक्रय से प्राप्त आगम को, ऐसे पशु या पक्षी के अभिग्रहण, परिबद्ध करने या हटाने और बनाये रखने और ऐसा विक्रय करवाने के मद्दे उपगत होने वाले व्ययों को पूरा करने में काम में लिया जायेगा, और अधिशेष, यदि कोई हो, मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा जमा कर लिया जायेगा और यदि ऐसे पशु या पक्षी के स्वामी द्वारा ऐसे विक्रय की तारीख से नब्बे दिवस की कालावधि के भीतर दावा नहीं किया जाता है तो नगरपालिक निधि में जमा करवा दिया जायेगा।

249. संक्रमित कुत्तों या पशुओं पर कार्रवाई करने की शक्ति.—
मुख्य नगरपालिक अधिकारी—

(क) ऐसे किसी कुत्ते या अन्य पशु को, जो रेबीज से ग्रसित है या ग्रसित होने की युक्तियुक्त रूप से संभावना है, या जिसे रेबीज से ग्रसित या जिसके ग्रसित होने वाले संभावित किसी कुत्ते या अन्य पशु द्वारा काटा गया हो, नष्ट करा सकेगा या ऐसी अवधि के लिए, जैसा वह निदेश दे, परिसीमित करा सकेगा;

(ख) लोक नोटिस द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी तारीख के पश्चात्, जिसे नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, कुत्ते, जो अनुज्ञप्ति के बिना हैं प्राइवेट सम्पत्ति के रूप में उन्हें अलग करते हुए और मार्गों पर या अपने मालिकों, यदि कोई हों, के घरों के अहाते के बाहर भटकते हुए पाये जाते हैं, परिसीमित किये जायें और यदि आवश्यक हो तो उन पर अन्यथा कार्रवाई की जाये या उन्हें नष्ट किया जाये।

250. परिसरों के भीतर पशुओं से न्यूसेंस रोकने की शक्ति.— (1) जब कभी भी मुख्य नगरपालिक अधिकारी की यह राय हो कि किसी पशु या पक्षी को रखने के लिए किसी परिसर का उपयोक्ता, चाहे अनुज्ञप्तिधारी हो, न्यूसेंस कारित करता है और ऐसा न्यूसेंस तुरन्त रोका जाना चाहिए तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी आदेश द्वारा, ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी से ऐसा न्यूसेंस, ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, रोकने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) यदि, ऐसी कालावधि की समाप्ति पर न्यूसेंस रोका नहीं जाता है तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसे परिसर के ऐसे उपयोग को ऐसे साधनों से रूकवा सकेगा, जिन्हें वह ठीक समझे और ऐसे स्वामी या अधिभोगी को हेतुक दर्शित करने के लिए, कि क्यों नहीं ऐसे पशु या, यथास्थिति, पक्षी को रखने की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाये, निदेश दे सकेगा।

(3) यदि ऐसा स्वामी या अधिभोगी, मुख्य नगरपालिक अधिकारी के समाधान के लिए हेतुक दर्शित नहीं करता है या यदि न्यूसेंस का उपशमन नहीं होता है तो इसके लिए अनुज्ञप्ति को रद्द करने के पश्चात्, परिसर में

पाये गये पशु या पक्षी के अभिग्रहण और नीलाम द्वारा न्यूसेंस को रोका जायेगा।

251. **डेयरियों को अनुज्ञप्ति देना.**— (1) कोई व्यक्ति व्यापार के प्रयोजनों के लिए किसी स्थान का, नगरपालिका से अनुज्ञप्ति के निबंधनों के अधीन और अनुसार के सिवाय दुधारू पशु के लिए या दूध के भंडारण या विक्रय के लिए, या मक्खन बनाने, या विक्रय के लिए उपयोग नहीं करेगा या उपयोग किये जाने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।

(2) नगरपालिका ऐसी अनुज्ञप्ति ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें वह ठीक समझे, मंजूर कर सकेगी, और किसी भी समय ऐसी अनुज्ञप्ति को, अनुज्ञप्तिधारी को एक माह का नोटिस देकर, प्रत्याहृत कर सकेगी:

परन्तु जहां अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति की शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है तो वह ऐसे किसी नोटिस के बिना प्रत्याहरण कर सकेगी।

(3) जो कोई भी उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, ऐसी अनुज्ञप्ति के बिना या इसकी शर्तों में से किसी शर्त के उल्लंघन में या इसके प्रत्याहरण के पश्चात् या इसके निलंबन के दौरान, किसी स्थान का उपयोग करता है या उपयोग किये जाने के लिए अनुज्ञात करता है तो वह ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा और निरंतर अपराध की दशा में ऐसे और जुर्माने से, जो ऐसे प्रथम अपराध के लिए दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अपराध निरंतर रहता है, पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन किसी स्थान के संबंध में दोषसिद्धि प्राप्त होने पर, मुख्य नगरपालिक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी किन्तु अन्यथा नहीं, के आवेदन पर मजिस्ट्रेट, ऐसे

स्थान को बन्द करने का आदेश देगा और ऐसे स्थान को इस प्रकार उपयोग में लिये जाने से रोकने के लिए उस पर व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य कदम उठायेगा।

252. कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति.— (1) नगरपालिका, लिखित में नोटिस द्वारा,—

(क) किसी भी सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग में वाहनों के यातायात को या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से प्रतिषिद्ध या विनियमित कर सकेगी ताकि जनता को होने वाले खतरों, बाधा या असुविधा को रोका जा सके या किसी भी इलाके में शान्ति सुनिश्चित की जा सके,

(ख) किसी सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग के संबंध में ऐसे प्रकार, स्वरूप, संरचना, वजन, उत्सर्जन, या आकार के किसी भी यान को, या ऐसी भारी या स्थूल वस्तु से लदे हुए किसी यान को, जिससे सड़क मार्गों को या उन पर के किसी संनिर्माण को क्षति कारित होने की संभावना हो, या लोक सुविधा के आधार पर किसी यान के अभिवहन का समय, कर्षण या संचलन का ढंग, सड़क मार्गों के संरक्षण के लिए उपकरणों का उपयोग, बत्तियों और सहायकों की संख्या, और अन्य साधारण पूर्ववधानियों के बारे में, ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे प्रभारों के संदाय पर, जो नगरपालिका द्वारा प्रत्येक मामले में साधारणतया या विशिष्टतया

विनिर्दिष्ट किये जायें, के सिवाय, प्रतिषिद्ध कर सकेगी।

(ग) किसी भी यान के आवागमन के प्रवेश को पूरे समय के लिए या किन्हीं भी विशिष्ट घंटों के लिए प्रतिषिद्ध कर सकेगी, या ऐसे आवागमन वाले किसी भी विशिष्ट सार्वजनिक मार्ग से किसी परिसर में ऐसे यान के आवागमन के निकास को प्रतिषिद्ध कर सकेगी;

(घ) जल-निकास, जल-आपूर्ति या प्रकाश व्यवस्था से संबंधित किसी कार्य को पूरा करने या मरम्मत के लिए या इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए किसी भी मार्ग को यातायात के लिए अस्थायी रूप से बंद कर सकेगी:

परन्तु ऐसा कार्य युक्तियुक्त गति के साथ पूरा किया जायेगा और ऐसा मार्ग यातायात के लिए पुनः खोला जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई नोटिस, यदि ऐसा नोटिस किसी विशिष्ट सार्वजनिक मार्ग को लागू होता है तो ऐसे सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग पर जिस पर ऐसा नोटिस लागू होता है, सुस्पष्ट स्थानों पर या दोनों अंतिम सिरों पर चिपकाया जायेगा या, यदि ऐसा नोटिस सामान्य रूप से सभी सार्वजनिक मार्गों पर लागू होता है तो विज्ञापित किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका लिखित में नोटिस द्वारा घोषित कर सकेगी कि कोई भी पैदल रास्ता या उसका भाग साईकिल और पैदल पथ के रूप में उपयोग में लिया जायेगा।

(4) उप-धारा (3) में निर्दिष्ट नोटिस, ऐसे सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग पर, जिस पर उप-धारा (3) के उपबंध लागू होते हैं, सुस्पष्ट स्थान पर या दोनों सिरों पर चिपकाया जायेगा।

253. सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का विनियमन.— नगरपालिका, यातायात के सरल बहाव को सुनिश्चित करने और सामान्य जनता की असुविधा की रोक-थाम के लिए, फुटपाथों और सड़क के किनारों सहित सार्वजनिक स्थानों पर यानों की पार्किंग का विनियमन करेगी। किसी भी दशा में सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग तब तक अनुज्ञात नहीं की जायेगी जब तक कि पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो:

परन्तु नगरपालिका, पर्याप्त स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, ऐसी दर पर कोई पार्किंग फीस, जो नगरपालिका द्वारा विहित की जाये, के संदाय के अध्यक्षीन रहते हुए साधारण या विशेष आदेश द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग अनुज्ञात कर सकेगी।

254. सार्वजनिक मैदानों पर यानों या जानवरों को ठहराना.— जहां नगरपालिका में किसी भूमि को या किसी सार्वजनिक स्थान को नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी यान अथवा जानवर को ठहराने के स्थान के रूप में या पड़ाव स्थल के रूप में उपयोग में लाया जाता है तो उस यान या जानवर का स्वामी या पालक या, यथास्थिति, पड़ाव डालने वाला व्यक्ति दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और निरंतर उसके भंग की दशा में ऐसे और जुर्माने का, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसके लिए अपराधी के लिए यह सिद्ध हो कि वह लगातार अपराध करने में संलग्न रहा है, पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

255. **अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था.**— नगरपालिका, उप-विधियों द्वारा, नगरपालिक क्षेत्र में के समस्त या किन्हीं परिसरों के स्वामी या अधिभोगी से, ऐसी व्यवस्थाएं करने की अपेक्षा कर सकेगी जो वह नगरपालिक क्षेत्र में अग्नि की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा के लिए वह आवश्यक समझे और स्वामी या अधिभोगी से एक अनापत्ति प्रमाणपत्र ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी से, जो ऐसी उप-विधियों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, प्राप्त करने की अपेक्षा भी कर सकेगी।

256. **अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रख-रखाव.**— नगरपालिका अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रखरखाव कर सकेगी और किन्हीं औजारों, मशीनों अथवा आसूचना देने के साधनों की, जिन्हें वह आग के निवारण और बुझाने के लिए आवश्यक समझे, व्यवस्था कर सकेगी।

257. **आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियां.**— (1) किसी नगरपालिक क्षेत्र में आग लगने के अवसर पर कोई भी मजिस्ट्रेट, नगरपालिका का कोई सदस्य, मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगरपालिका का कोई भी अन्य अधिकारी, अग्निशमन दल की कार्रवाई के संचालन का निदेशन करने वाला उसका कोई सदस्य अथवा कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का कोई भी पुलिस अधिकारी—

(क) किसी व्यक्ति को, जो कि अपनी उपस्थिति से आग बुझाने अथवा जान या माल की रक्षा करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है अथवा अड़चन डालता है, हटा सकेगा या हटाये जाने का आदेश दे सकेगा;

(ख) किसी मार्ग अथवा रास्ते को, जिसमें या जिसके पास आग जल रही हो, बन्द कर सकेगा;

(ग) आग को बुझाने के प्रयोजन के लिए किसी भवन अथवा भूमि में प्रवेश कर सकेगा अथवा उसमें से होकर पार निकल

सकेगा अथवा उसे गिरा सकेगा या उसमें प्रवेश करवा सकेगा अथवा उसमें होकर पार निकलवा सकेगा या उसको गिरवा सकेगा, अथवा उन्हें मकानों या अन्य साधित्रों से गुजरने के लिए उपयोग में ला सकेगा;

- (घ) मुख्य प्रणालों तथा पाइपों को बन्द करवा सकेगा ताकि उस स्थान में अथवा उस स्थान के पास, जहां पर आग लग गयी है, तेज दबाव से जल पहुंचाया जा सके;
- (ङ) ऐसी सहायता जो सम्भव हो, देने के लिए अग्निशमन इंजन के भारसाधक व्यक्ति की मांग कर सकेगा; और
- (च) सामान्यतः ऐसे उपाय कर सकेगा जो जान और माल के परिरक्षण के लिए आवश्यक हों।

(2) कोई भी व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन अपने द्वारा सद्भावना से किये गये किसी कार्य के लिए नुकसानी संदत्त करने का दायी नहीं होगा।

258. प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को निर्बंधित करने या उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति.— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन, नगरपालिका को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सम्पूर्ण नगरपालिक क्षेत्र में या उसके किसी भाग में किसी भी प्रकार की प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण, विक्रय या उपयोग को निर्बंधित करने या उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति होगी।

(2) जो कोई भी उप-धारा (1) के अधीन अधिरोपित निर्बंधन या पाबंदी का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक सौ रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, तथा

ऐसे और जुर्माने से, जो प्रत्येक ऐसे दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, जिस पर ऐसा अपराध प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् जारी रहता है, पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

259. कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाना.— जो कोई अपने नियंत्रणाधीन किसी भवन अथवा भूमि से धारा 202 में यथा उपबंधित मल-वहन प्रणाली से कनेक्शन नहीं लेता है या नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी होदी अथवा मल-नाली के पानी को, किसी अन्य तरल पदार्थ अथवा अन्य वस्तु को, जो दुर्गन्धपूर्ण है अथवा जिसके दुर्गन्धपूर्ण हो जाने की सम्भावना है, किसी मार्ग या खुले स्थान में बहाता है, निकालता है या फेंकता है, या किसी बाहरी दीवार में सोखने देता है अथवा इन कार्यों की अनुज्ञा देता है या किसी मल-नाली अथवा शौचालय से किसी दुर्गन्धपूर्ण पदार्थ को किसी मार्ग में सतह पर की नाली में बहाता है, निकालता है या फेंकता है, या ऐसा करने की अनुज्ञा देता है, या जो ऐसी अनुज्ञा में विहित किन्हीं शर्तों के पालन में विफल रहता है वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

260. गन्दे भवन आदि.— (1) जो कोई, किसी भवन अथवा भूमि का स्वामी या अधिभोगी होते हुए उसे गन्दी तथा अस्वास्थ्यकर हालत में रखता है अथवा नगरपालिका की राय में पड़ोस में रहने वालों के लिए न्यूसेंस होने देता है, या उसमें नागफनी अथवा उग्रगन्ध तथा दुर्गन्धपूर्ण वनस्पति उगने देता है और नगरपालिका द्वारा उसे साफ करने अथवा कटवा डालने अथवा उसे अन्यथा अच्छी हालत में करने के लिखित नोटिस के पश्चात् युक्तियुक्त समय में ऐसे नोटिस में अन्तर्विष्ट अध्यपेक्षा की पालना नहीं करता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, तथा ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् उक्त नोटिस के अनुपालन में विफलता जारी रहने के प्रत्येक दिवस के लिए पचास रुपये

से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(2) यदि किसी भवन की हालत ऐसी हो कि वह नगरपालिका की विवेकबुद्धि में मानव निवास के लिए अनुपयुक्त है तो वह लिखित नोटिस द्वारा उसे तब तक प्रयोग में लाने का, जब तक कि उसे रहने योग्य न बना दिया जाये, प्रतिषेध भी कर सकेगी।

(3) यदि कोई भवन, जीर्णवस्था में, उपेक्षित, परित्यक्त अथवा अप्रयुक्त अथवा किरायेदार विहीन दशा में रहता है तथा उस कारण—

(क) बेकार तथा उपद्रवी व्यक्तियों का अथवा ऐसे व्यक्तियों का, जिनके जीविका निर्वाह का कोई दृश्यमान साधन न हो अथवा जो स्वयं का परिचय समाधानप्रद रूप से नहीं दे सकते हों, आश्रय स्थल बन जाता है; या

(ख) किन्हीं अस्वास्थ्यकर अथवा अनैतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में आने लगा हो; या

(ग) सर्पों, चूहों या अन्य खतरनाक अथवा संतापकारी जीवों का शरण स्थल हो गया हो,

तो उसके बारे में यह आपत्ति उठायी जा सकती है कि वह पड़ोस अथवा ऐसे भवन के पास से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूसेंस हो गया है, इस रूप में अस्वास्थ्यकर या भद्दा हो कि उसके कारण तकलीफ, असुविधा या क्षोभ हो तो यदि नगरपालिका, यह समझे कि ऐसी आपत्ति का, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन, अन्यथा निवारण नहीं किया जा सकता है तो यदि नगरपालिका के भीतर कोई ऐसा ज्ञात व्यक्ति अथवा निवासी हो जो ऐसे भवन का स्वामी होने का दावा रखता हो तो ऐसे व्यक्ति को निदेशित लिखित नोटिस द्वारा, अथवा अन्य किसी दशा में, उस भवन के बाहर के दरवाजे पर अथवा अन्य किसी सहजदृश्य स्थान पर लिखित नोटिस चिपकाकर, उसमें हितबद्ध समस्त व्यक्तियों से नोटिस

में उल्लिखित कालावधि के भीतर ऐसे भवन के संबंध में ऐसी व्यवस्था, जैसी कि नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) नोटिस में उल्लिखित अवधि के भीतर उसकी अपेक्षाओं के अननुपालन की दशा में नगरपालिका, नोटिस में विनिर्दिष्ट ऐसे आदेश को प्रश्नगत भवन के स्वामी अथवा उसमें हितबद्ध व्यक्तियों के खर्चे पर क्रियान्वित करवायेगी और यदि वह भवन गिराया जाता है तो उसके समस्त मलबे को वहां से हटवा देगी तथा तुरन्त विक्रय करवा देगी।

(5) किसी भवन के मलबे का विक्रय किये जाने की दशा में, विक्रय आगमों को, नगरपालिका द्वारा प्रथमतः उस भवन को गिराने तथा उसके मलबे को हटवाने तथा बेचने में उपगत व्यय को चुकाने में उपयोजित किया जायेगा और इस तरह न चुक सकने वाले समस्त व्यय उसी रीति से वसूलीय होंगे जिस प्रकार किसी कर के पेटे दावाकृत रकम इस अधिनियम के अधीन वसूल की जाती है:

परन्तु ऐसे समस्त व्यय चुकाने के बाद यदि कोई रकम अधिशेष रहे तो वह विक्रय की तारीख से छह मास के भीतर आवेदन किये जाने पर स्वामी को अथवा उसमें हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय होगी।

261. **नहाने के स्थान.**— (1) नगरपालिका, नहाने के लिए उपयोग में लाने के उद्देश्य से पर्याप्त सार्वजनिक स्थान अलग से नियत कर सकेगी और निवासियों के नहाने के लिए पर्याप्त संख्या में सुविधाजनक तालाबों अथवा जल-प्रवाहों का प्रबन्ध भी कर सकेगी अथवा उनको अलग से नियत कर सकेगी; और जानवरों अथवा कपड़ों को धोने के लिए और निवासियों के स्वास्थ्य, सफाई तथा सुख से संबंधित समस्त प्रयोजनों के लिए अलग तालाब या जलाशय या जल-प्रवाह भी नियत कर सकेगी और इस धारा में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए नगरपालिका के भीतर किसी सार्वजनिक स्थान को अथवा समस्त सार्वजनिक स्थानों को उपयोग में लाने का प्रतिषेध कर सकेगी।

(2) ऐसे समस्त आदेशों और नोटिसों की प्रतियां, जो नगरपालिका द्वारा पारित और जारी किये गये हैं और जो तत्समय इस धारा के अधीन प्रवृत्त हैं, नगरपालिका के कार्यालय में रखी जायेंगी और समस्त युक्तियुक्त समय पर जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।

262. **कलुषित जल.**— (क) जो कोई धारा 261 या किसी अन्य उप-विधि के अधीन नगरपालिका के किसी आदेश की अवज्ञा करते हुए नगरपालिका के स्वामित्व के किसी जलकुण्ड, तालाब, जलाशय, कुएं, हौज, नलके या जलसेतु में नहाता है या उसके अन्दर किसी जानवर या अन्य किसी वस्तु, चाहे जो कोई भी हो, को धोता है या धुलवाता है अथवा किसी जानवर या अन्य वस्तु को उसमें फेंकता, डालता या बहाता है या उसमें प्रवेश करवाता है या उसके अन्दर कोई ऐसी चीजें, जो न्यूसेंस हों या न्यूसेंस हो सकती हैं, डालता, प्रवाहित करता या लाता है या ऐसा कोई भी काम करता है, चाहे जो कोई भी हो, जिससे उसमें उसका पानी किसी भी सीमा तक गंदा या दूषित हो जाये, और

(ख) जो कोई नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना नगरपालिका के भीतर या उसकी सीमा पर किसी तालाब या खाई में किसी जानवर, सब्जी या खनिज पदार्थ को डालता है, जो ऐसे तालाब या खाई के पानी को संतापकारी अथवा न्यूसेंसकारी बना दे, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

263. **कुंओं आदि से पैदा होने वाले न्यूसेंस का उपशमन.**— (1) यदि नगरपालिका की राय में—

(क) कोई जलकुण्ड, खाई, खान, गड्ढा, गर्त, तालाब, कुआं, जलाशय, नाली, जल-प्रवाह अथवा कोई जल संग्रह, या

(ख) कोई हौज अथवा जल का कोई अन्य पात्र चाहे वह किसी भवन के अन्दर हो या बाहर, या

(ग) कोई भूमि, जिस पर पानी इकट्ठा होता है और जो किसी निवास गृह के रूप में उपयोग में लाये जाने वाले किसी भवन से सौ मीटर के फासले के अन्दर स्थित है, जो मच्छरों के पैदा होने की जगह है या उसके ऐसा बन जाने की सम्भावना है या वह अन्य रूप से न्यूसेंस है,

तो नगरपालिका लिखित सूचना द्वारा उसके स्वामी से उसे भरने, ढकने अथवा उसे इस ढंग से और ऐसी सामग्री के साथ बहाने अथवा न्यूसेंस को हटाने या उसका उपशमन करने के लिए ऐसी व्यवस्था करने की जो नगरपालिका निदिष्ट करे, अपेक्षा कर सकेगी।

(2) (क) नगरपालिका की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई नया तालाब या जलाशय खोदा या बनाया नहीं जायेगा, और

(ख) यदि ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसा कोई कार्य शुरू किया जाता है अथवा पूरा किया जाता है तो नगरपालिका या तो—

(i) लिखित नोटिस द्वारा उसके स्वामी से या अन्य व्यक्ति से जिसने कि वह कार्य किया है, उसको उस रीति से भरने या गिराने की अपेक्षा कर सकेगी, जैसा कि नगरपालिका निदिष्ट करे; या

(ii) ऐसे कार्य के बने रहने की लिखित अनुज्ञा प्रदान कर सकेगी, किन्तु ऐसी अनुज्ञा ऐसे स्वामी को इस उप-धारा के खण्ड (क) के

उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों से मुक्त नहीं करेगी।

264. **कतिपय प्रकार की खेती का नियमन या प्रतिषेध.**— निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या स्थानीय चिकित्सा अधिकारी की इस रिपोर्ट पर कि नगरपालिका की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में किसी उपज विशेष की खेती अथवा किसी प्रकार के खाद का उपयोग अथवा भूमि की सिंचाई जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो नगरपालिका राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, सार्वजनिक नोटिस द्वारा ऐसी हानिकारक बतायी गयी खेती, खाद के उपयोग या सिंचाई का विनियमन अथवा प्रतिषेध कर सकेगी:

परन्तु जब ऐसी खेती, उपयोग या सिंचाई ऐसे सार्वजनिक नोटिस की तारीख से पिछले पांच वर्षों में ऐसे अनवरत रूप से, जो कृषि के सामान्य अनुक्रम के अनुसार संभव हो, की गयी है तो ऐसे पूर्ण प्रतिषेध से उनको हुए किसी प्रकार के नुकसान के लिए उसमें हितबद्ध समस्त व्यक्तियों को नगरपालिका की निधि से प्रतिकर संदत्त किया जायेगा।

265. **दुर्गन्धपूर्ण खाद आदि को उपयोग में लाना.**— जो कोई नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा और ऐसी अनुज्ञा में बताये गये किसी तरीका, यदि कोई हो, के सिवाय मल अथवा संतापकारी दुर्गन्ध उत्सर्जित करने वाला अन्य खाद एकत्रित करता है अथवा उपयोग में लाता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

266. **कोई क्षोभकारी खेल खेलना.**— जो कोई भी, उपेक्षा से पतंग उड़ाता है, या पटाखे अथवा अग्नि गुब्बारे छोड़ता है या जलाता है या किसी खेल में ऐसी रीति से लगता है कि वहां से गुजरने वाले या पड़ोस में निवास करने वाले या कार्य करने वालों को खतरा या क्षोभ कारित होता है या कारित होने की संभावना है या संपत्ति की क्षति का जोखिम कारित

करता है वह ऐसे जुर्माने से, जो एक सौ रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

267. अन्य न्यूसेंसों का प्रतिषेध.— (1) किसी नगरपालिका में कोई भी व्यक्ति,—

(क) किसी सार्वजनिक मार्ग में अथवा सार्वजनिक स्थान पर—

(i) मल मूत्र विसर्जन नहीं करेगा या उसके प्रभार में रहने वाले बच्चे को मलमूत्र विसर्जन नहीं करायेगा; या

(ii) मांस को बिना ढंके इस तरह नहीं ले जायेगा कि आम लोगों की उस पर नजर पड़े; या

(iii) पशुओं या छकड़ों को इकट्ठा नहीं करेगा; या

(iv) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों के अनुसार लगाये हुए या प्रदर्शित किसी विज्ञापन, नोटिस अथवा अन्य दस्तावेज को नहीं हटायेगा, नष्ट नहीं करेगा, विकृत नहीं करेगा या अन्यथा नहीं मिटायेगा; या

(v) खुले यान में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं ले जायेगा; या

(ख) किसी ऐसे स्थान पर जो ऐसे प्रयोजन के लिए अलग से नियत नहीं किया गया है, कोई कब्र, समाधि या स्मारक नहीं बनायेगा, न किसी शव को जलायेगा या दफनायेगा; या

- (ग) किसी जानवर को इस प्रकार खुला नहीं छोड़ेगा कि वह किसी व्यक्ति को क्षति, खतरा, भय अथवा क्षोभ उत्पन्न करे, न उपेक्षापूर्वक किसी जानवर को ऐसा करने देगा, या
- (घ) किसी ऐसे स्थान को जो ऐसे प्रयोजन के लिए आशयित नहीं है, शौच-स्थान के रूप में उपयोग नहीं करेगा, न ऐसा उपयोग किये जाने की अनुज्ञा देगा।

(2) जो कोई उप-धारा (1) के उपबन्धों में से किसी का भी उल्लंघन करता है, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

268. धुएं को खपा देना.— (1) नगरपालिका के लिए सार्वजनिक नोटिस द्वारा ऐसा निदेश देना विधिपूर्ण होगा कि नगरपालिका की सीमाओं के भीतर किन्हीं संकर्मों अथवा भवनों में किसी व्यवसाय अथवा विनिर्माण जो भी हो, के प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जाने के लिए लगायी गयी अथवा लगायी जाने वाली प्रत्येक भट्ठी, चाहे उसमें वाष्प इंजन उपयोग में अथवा काम में लाया जाये अथवा नहीं, प्रत्येक दशा में इस प्रकार बनायी, अनुपूरित या परिवर्तित की जाये ताकि ऐसी भट्ठी में से निकलने वाले धुएं को यथासाध्य खपाया अथवा नष्ट या कम किया जा सके।

(2) ऐसे निदेश के पश्चात् यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार अनिर्मित अननुपूरित या अपरिवर्तित भट्ठी का उपयोग करेगा या उसका उपयोग करने की अनुमति देगा या इतनी उपेक्षा से ऐसी किसी भट्ठी का उपयोग करेगा अथवा उपयोग करने की अनुमति देगा कि उससे निकलने वाला धुआं प्रभावकारी ढंग से नहीं खपाया जाये अथवा यथासाध्य नष्ट न किया जाये तो उक्त कार्यो अथवा भवनों का स्वामी या अधिभोगी होते हुए इस

प्रकार का अपराध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अथवा उसका प्रबन्ध करने हेतु ऐसे स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा नियोजित कोई अभिकर्ता अथवा अन्य व्यक्ति ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, और इसके पश्चात्‌वर्ती किसी दोषसिद्धि पर दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी रेलपथ पर यातायात के प्रयोजन के लिए या सड़कों की मरम्मत के लिए उपयोग में लाये जाने वाले लोकोमोटिव इंजन के लिए लागू नहीं समझी जायेगी।

269. बाजारों, वधशालाओं और कतिपय कारबार के लिए अनुज्ञप्ति देना.— (1) नगरपालिका के लिए यह निदेश करना विधिपूर्ण होगा कि उससे असंबंधित अथवा उसमें अनिहित कोई स्थान धारा 340 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, नगरपालिका से प्राप्त अनुज्ञप्ति के अधीन और उसकी शर्तों के अनुसार से अन्यथा, उपयोग में नहीं लाया जायेगा जिसे नगरपालिका या तो सामान्य रूप से अथवा वैयक्तिक प्रकरणों में ऐसी अनुज्ञप्तियां समय-समय पर मंजूर, निलम्बित, विधारित अथवा प्रत्याहृत कर सकेगी।

(2) जो कोई ऐसे निदेश के प्रतिकूल यथापूर्वोक्त अपेक्षित अनुज्ञप्ति के बिना या उसकी किसी शर्त के उल्लंघन में, या उसके निलम्बन की अवधि में या ऐसी अनुज्ञप्ति के वापस लिये जाने के पश्चात् किसी स्थान का उपयोग करता है अथवा उपयोग करने की अनुज्ञा देता है तो ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(3) इस धारा की उप-धारा (2) के अधीन किसी स्थान के संबंध में दोषसिद्धि पर, नगरपालिका के आवेदन पर, न कि अन्यथा, मजिस्ट्रेट, ऐसे स्थान को बन्द करने का आदेश देगा, और तत्पश्चात् ऐसे स्थान को

इस प्रकार उपयोग में लाने से रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य कदम उठायेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उसके बन्द किये जाने के आदेश किये जाने के पश्चात् ऐसे स्थान को इस प्रकार उपयोग में लाये या उपयोग में लाने की अनुज्ञा दे, ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसके दौरान वह उस स्थान को इस प्रकार बन्द किये जाने का आदेश दिये जाने के पश्चात् इस प्रकार उपयोग में लेना जारी रखे या ऐसे उपयोग की अनुज्ञा दे, ऐसे जुर्माने से, जो पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को मंजूर करने, उसका निलम्बन करने, उसको रोकने अथवा वापस लेने के नगरपालिका के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से, उसकी प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को कम करके, तीस दिवस के भीतर कलक्टर को अपील कर सकेगा और अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत किये जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा।

270. बाजारों और वधशालाओं का खोला जाना, बन्द किया जाना तथा किराये पर दिया जाना.— (1) नगरपालिका समय-समय पर कोई सार्वजनिक बाजार अथवा वधशाला खोल सकेगी अथवा बन्द कर सकेगी। वह या तो किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे बाजार अथवा वधशाला के उपयोग के लिए स्टालों के लिए प्रभार अथवा अन्य किराया या फीस भी ले सकेगी अथवा सार्वजनिक नीलाम के द्वारा या अन्यथा समय-समय पर ऐसे बाजार या वधशाला में के किसी ऐसे स्टॉल या स्थान के, या अन्यथा उपयोग के, अधिभोग के विशेषाधिकार का विक्रय कर सकेगी।

(2) कोई व्यक्ति, जो नगरपालिका की अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति के बिना उक्त बाजार में कोई वस्तु विक्रय करेगा अथवा विक्रय करने के लिए प्रदर्शित करेगा या उक्त वधशाला का उपयोग करेगा वह ऐसे जुर्माने से,

जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(3) नगरपालिका के लिए एक समय पर एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए सार्वजनिक नीलाम द्वारा अथवा निजी संविदा द्वारा किसी किराये अथवा फीस के संग्रहण का, जो उप-धारा (1) के अधीन अधिरोपित की जाये, पट्टा देना विधिपूर्ण होगा।

271. नगरपालिक सीमाओं के बाहर वधशालाएं आदि.— राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अथवा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी की मंजूरी से नगरपालिका के लिए, नगरपालिका की सीमाओं के बाहर वधशालाएं अथवा पशुओं के शवों का निर्वर्तन करने के स्थान स्थापित करना विधिपूर्ण होगा, और नगरपालिक सीमाओं के भीतर ऐसे स्थानों से सम्बन्धित इस अधिनियम और तदधीन प्रवृत्त उप-विधियों के समस्त उपबंध उनमें ऐसे प्रवृत्त होंगे मानो वे स्थान नगरपालिक सीमाओं के भीतर हों।

272. नयी वधशालाओं का खोला जाना.— इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, नगरपालिका नयी वधशाला की स्थापना करते समय या स्थापना की अनुज्ञा देते समय सार्वजनिक सुविधा और साधारण जनता की राय को ध्यान में रखेगी और जनता से प्राप्त युक्तियुक्त आक्षेपों पर विचार करेगी।

273. वे शक्तियां जिनका खतरनाक रोगों को रोकने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा.— (1) प्रत्येक नगरपालिका, ऐसी परिसीमाओं, निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन, जो इस संबंध में विहित की जायें, उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट समस्त अथवा किसी शक्ति का प्रयोग खतरनाक बीमारियों को रोकने के लिए कर सकेगी।

(2) शक्तियां, जो पूर्ववर्ती उप-धारा के अधीन प्रयोग में लायी जा सकेंगी, निम्नलिखित हैं—

- (क) आदेश द्वारा, जो या तो विशेष या सामान्य तौर पर लागू होते हों, ऐसा निदेश देने की शक्ति, कि प्रत्येक चिकित्सा व्यवसायी जो यह जानता है अथवा जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसे वह किसी निवास गृह में, जो कि अस्पताल नहीं है, अपनी व्यावसायिक हैसियत से देखने गया था अथवा किसी कारखाने या शैक्षिक संस्था का प्रत्येक प्रबन्धक अथवा कुटुम्ब का प्रत्येक मुखिया जो यह जानता है अथवा जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जो ऐसे प्रबन्धक या कुटुम्ब के मुखिया की व्यवस्था अथवा नियन्त्रण के अधीन किसी निवास गृह में रहता है, किसी खतरनाक रोग से पीड़ित है, उसकी सूचना यथासाध्य अविलम्ब ऐसे व्यक्ति को देगा जिसे इस संबंध में नगरपालिका द्वारा अभिहित किया जाये;
- (ख) किसी स्थान का, जिसमें कोई खतरनाक रोग होने की रिपोर्ट हो अथवा उसका संदेह विद्यमान हो, निरीक्षण करने तथा ऐसे स्थान के परे ऐसे रोग के प्रसार को रोकने के उपाय करने के लिए निदेशित अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को बिना सूचना के अथवा ऐसी सूचना देकर, जो युक्तियुक्त प्रतीत हो, निरीक्षण करने का निदेश देने अथवा प्राधिकृत करने की शक्ति;
- (ग) किसी ऐसे कुएं, तालाब या अन्य स्थान से, जो नगरपालिका को, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकारियों, स्वास्थ्य अधिकारी की सलाह पर, किसी खतरनाक रोग का प्रसार करने की संभावना वाला

प्रतीत होता हो, पीने के लिए जल लेने को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति;

(घ) नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी या नगरपालिका द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी सम्यक् रूप में अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र पर किसी व्यक्ति को जो कि बिना समुचित आवास अथवा वास-सुविधा के हो अथवा जो एक से अधिक कुटुम्ब द्वारा अधिभुक्त किसी कमरे अथवा कक्ष समूह में आवासित हो, अथवा ऐसे स्थान में जहां पर उसकी उपस्थिति आस-पड़ोस के लिए खतरा हो, तथा जो किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो, किसी अस्पताल अथवा ऐसे स्थान से, जहां उक्त रोग से पीड़ित व्यक्ति चिकित्सा संबंधी उपचार के लिए भर्ती किये जाते हैं, हटाने का आदेश देने अथवा हटवाने की शक्ति और इस प्रकार हटाये गये व्यक्ति को ऐसे अस्पताल अथवा स्थान से नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना छोड़ने पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति;

(ङ) लिखित नोटिस द्वारा किसी भवन या भवन के किसी भाग के स्वामी अथवा अधिभोगी से या उसमें की किसी वस्तु के स्वामी अथवा प्रभारी व्यक्ति से ऐसे भवन अथवा उसके भाग को या वस्तु को अपने स्वयं के व्यय पर या गरीबी की हालत में या किसी अन्य कारण से, जिसे कि नगरपालिका मामले की परिस्थिति में युक्तियुक्त समझे, नगरपालिका के व्यय पर उसे साफ करने और रोगाणुरहित करने की अपेक्षा करने की शक्ति;

- (च) किसी होटल, धर्मशाला या मुसाफिरखाने में कोई व्यक्ति किसी खतरनाक रोग से पीड़ित रहा है या यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें ऐसा पीड़ित व्यक्ति रहा है तो ऐसी वास-सुविधा को किराये पर देने या किसी को उसमें जगह देने का तब तक प्रतिषेध करने की शक्ति, जब तक कि ऐसी वास-सुविधा को इस प्रकार किराये पर देने अथवा उसमें जगह देने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त ऐसे अधिकारी का इस विषय में समाधान न कर दे कि भवन या उसके किसी भाग और उसमें की किसी वस्तु को, जिसके संक्रमित होने की सम्भावना हो, रोगाणुरहित कर दिया गया है;
- (छ) प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा से किन्हीं गन्दी झोंपड़ियों या शेडों को, जिनके लिए यह विश्वास करने का कारण हो कि इनमें व्यक्ति किसी खतरनाक रोग से पीड़ित रहे हैं, नष्ट करने की शक्ति;
- (ज) कपड़ों अथवा ऐसी अन्य वस्तुओं को जो किसी खतरनाक रोग से संक्रमण के लिए खुली रही हैं, रोगाणुरहित करने अथवा धोने के लिए साधन उपलब्ध कराने और स्थान विहित करने या उनके नष्ट करने का निदेश देने की शक्ति;
- (झ) (i) खतरनाक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क ले जाने के लिए उपयुक्त वाहनों की व्यवस्था करने तथा उनका संधारण करने की शक्ति;

- (ii) जहां ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है वहां ऐसे व्यक्तियों को समस्त या किसी सार्वजनिक वाहन में ले जाना प्रतिषिद्ध करने की शक्ति; और
- (iii) यह निदेश देने की शक्ति कि ऐसे वाहन जो ऐसे व्यक्तियों को ले जाने के लिए किसी समय प्रयुक्त किये जायें, तुरन्त रोगाणुरहित किये जायेंगे;
- (ज) (i) खतरनाक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को किसी मार्ग में अथवा किसी विद्यालय या कारखाने में या किसी होटल, धर्मशाला, मुसाफिरखाना या लोक आवागमन के अन्य स्थान में उक्त रोग के फैलने के विरुद्ध समुचित पूर्वावधानी बरते बिना अपने आपको जानबूझकर अभिदर्शित करने से प्रतिषिद्ध करने की शक्ति; और
- (ii) ऐसे रोगग्रस्त व्यक्ति के प्रभारी व्यक्ति को रोगी को इस प्रकार अभिदर्शित करने से प्रतिषिद्ध करने की शक्ति; और
- (ट) किसी ऐसी वस्तु को, रोगाणुरहित करने के प्रयोजन से अन्यथा किसी अन्य स्थान पर हटाने या किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने से किसी भी व्यक्ति को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति, जिसके बारे में प्रतिषिद्ध किया गया व्यक्ति यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह वस्तु किसी खतरनाक रोग से किसी भी प्रकार से संक्रमित होने के लिए खुली रह चुकी है।
- (3) नगरपालिका ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे इस धारा के अधीन, किसी सम्पत्ति के नष्ट होने से सारभूत क्षति उठानी पड़ी हो, प्रतिकर दे

सकेगी किन्तु नगरपालिका द्वारा यथा अनुज्ञात के सिवाय उसमें विनिर्दिष्ट शक्तियों के किसी प्रयोग से हुई किसी हानि या क्षति के लिए प्रतिकर का कोई दावा नहीं होगा।

(4) नगरपालिका में कोई व्यक्ति, तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसे आदेश की, जो इस धारा द्वारा उसे प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका द्वारा पारित किया गया है, अवज्ञा करता है या नगरपालिका के किसी अधिकारी या नगरपालिका के प्राधिकार के अन्तर्गत कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी आदेश की क्रियान्विति किये जाने में बाधा डालता है, ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(5) राज्य सरकार किसी भी समय—

(क) इस धारा के द्वारा या इसके अधीन किसी नगरपालिका को प्रदत्त कोई शक्ति वापस ले सकेगी, या

(ख) ऐसी किसी शक्ति के संबंध में विहित किसी परिसीमा, निर्बन्धन या शर्त को रद्द या उपान्तरित कर सकेगी, या

(ग) ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी नगरपालिका द्वारा पारित किसी आदेश को रद्द कर सकेगी।

274. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अति भीड़ वाले क्षेत्रों के संबंध में विशेष शक्तियां, जो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जा सकेंगी.—

(1) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि या तो किसी क्षेत्र के किसी अधिभोगी के लिए या उस क्षेत्र के पड़ोस के किन्हीं निवासियों के लिए निम्नलिखित दोषों में से किसी के कारण रोग का खतरा पैदा हो गया है अथवा पैदा होने की सम्भावना है, अर्थात्—

- (क) वह ढंग जिसमें या तो भवन अथवा भवन-ब्लाक, जो पहले से विद्यमान या उनमें बहिर्गत हैं, भीड़युक्त हैं अथवा भीड़युक्त बन सकते हैं, या
- (ख) पहले से विद्यमान या परियोजित किन्हीं ऐसे भवनों अथवा ब्लाकों को साफ करने की असाध्यता, या
- (ग) जल-निकास अथवा मैला साफ करने की व्यवस्था की कमी अथवा पूर्वोक्त किन्हीं ऐसे भवनों अथवा ब्लाकों में जल-निकास या मैला साफ करने के प्रबन्ध में कठिनाई, या
- (घ) मार्गों अथवा भवनों या भवनों के समूहों में तंगी, समीपता, कुप्रबन्ध अथवा खराब हालत,

तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नगरपालिका को उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट समस्त अथवा कोई शक्ति प्रदत्त कर सकेगी और इस संबंध में विहित परिसीमाओं, निर्बन्धनों, उपान्तरणों, शर्तों अथवा उप-विधियों, यदि कोई हों, के अध्याधीन उस क्षेत्र के भीतर नगरपालिका इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी ।

(2) वे समस्त या कोई शक्तियां जो उप-धारा (1) के अधीन नगरपालिका को प्रदत्त की जा सकेंगी, निम्नलिखित हैं:-

- (क) जब किसी भवन अथवा ब्लाक जो पहले से विद्यमान हैं अथवा निर्माणाधीन है, उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी दोष के कारण पूर्वोक्त प्रकार का कोई जोखिम पैदा हो गया है अथवा नगरपालिका की राय में जोखिम पैदा होने की संभावना है, ऐसे भवन अथवा भवन समूह के किसी सहजदृश्य भाग पर लिखित नोटिस चिपकाकर तथा या तो उसके स्वामियों से या

ऐसी भूमि जिस पर ऐसे भवन अथवा ब्लाक खड़े हैं अथवा निर्मित हो रहे हैं, के स्वामियों से, जो भी नगरपालिका उचित समझे, यह अपेक्षा करने की शक्ति कि इस प्रकार सम्बोधित व्यक्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट युक्तियुक्त समय के भीतर उक्त भवन अथवा ब्लाक को या तो गिरा दे या हटा दे या ऐसे संकर्मों को निष्पादित करे अथवा उसके सम्बन्ध में ऐसी कार्रवाई करे जो नगरपालिका रोग के ऐसे समस्त जोखिमों की रोकथाम के लिए आवश्यक समझे;

(ख) यदि उक्त नोटिस द्वारा सम्बोधित व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर उक्त भवन अथवा ब्लाक को गिराने अथवा हटाने अथवा ऐसे संकर्म निष्पादित करने या ऐसी कार्रवाई करने में उपेक्षा करे, तो नगरपालिका अथवा अन्य अभिकरण द्वारा ऐसा करने की शक्ति;

(ग) किसी अधिकारी को जिसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया जाये और जिसका निर्णय निश्चायक होगा, अपील करने के अधिकार के अध्यक्षीन, ऐसे किसी स्थल अथवा स्थान के स्वामी तथा अधिभोगी को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा तथा आम नोटिस द्वारा निम्नलिखित पर किसी भवन के निर्माण अथवा किसी भवन के विनिर्दिष्ट परिमाण से अधिक निर्माण को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति -

(i) किसी ऐसे भवन के स्थल पर जो खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट शक्ति के प्रयोग से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से गिरा दिया गया है, या

- (ii) किसी स्थान पर जिस पर भवन न हो चाहे
ऐसी जगह निजी सम्पत्ति हो अथवा न हो
और वह अहातायुक्त हो अथवा न हो,

यदि नगरपालिका का यह मत हो कि यथापूर्वोक्त ऐसे जोखिम को रोकने के लिए ऐसे स्थल अथवा स्थान पर निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, तो या तो—

- (क) ऐसे स्थल अथवा स्थान का अर्जन करने की शक्ति, या
(ख) ऐसी शर्तें, जिन्हें उसके स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा उसका उपयोग करने अथवा उपयोग की अनुज्ञा देने के संबंध में नगरपालिका आवश्यक समझे, विहित करने की शक्ति:

परन्तु प्रत्येक मामले में किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके अधिकार ऐसे प्रतिषेध के कारण प्रभावित हुए हैं, प्रतिकर दिया जायेगा, विवाद के मामले में जिसकी रकम का अभिनिश्चय तथा अवधारण, धारा 295 में उपबंधित रीति से किया जायेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन किसी नोटिस के अनुसरण में जब कोई भवन गिराया जाता है तो, यदि वह इस अधिनियम या तदधीन प्रवृत्त किन्हीं उप-विधियों के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया हो तो नगरपालिका ऐसे स्वामी अथवा अधिभोगी को, जिसको उसके द्वारा नुकसान हुआ है, युक्तियुक्त प्रतिकर संदत्त करेगी और विवाद के मामले में इस रकम का अभिनिश्चय या अवधारण धारा 295 में उपबंधित रीति से किया जायेगा।

(4) राज्य सरकार इस धारा के अधीन उसके द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को ऐसी ही अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय वापस ले सकेगी या ऐसी शक्ति के संबंध में किसी परिसीमा, निर्बन्धन, उपान्तरण, शर्त या विनियम को रद्द या उपान्तरित कर सकेगी।

275. **शव गाड़ना और कब्रिस्तान.**— नगरपालिका, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी—

(क) कब्रिस्तानों और श्मशानों का संनिर्माण और रख-रखाव; और

(ख) मृतक के निर्वर्तन के लिए स्थानों का अर्जन, रख-रखाव, बदलाव और नियमन।

276. **कब्रिस्तानों और श्मशानों के संबंध में शक्ति.**—(1)

नगरपालिका, सार्वजनिक नोटिस द्वारा नगरपालिक सीमाओं में अथवा उससे एक किलोमीटर के भीतर स्थित किसी कब्रिस्तान अथवा श्मशान भूमि को, जिसे निदेशक, जन स्वास्थ्य अथवा जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक प्रमाणित किया गया है, सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से बन्द किये जाने का आदेश दे सकेगी और ऐसे मामले में यदि युक्तियुक्त दूरी के भीतर दफनाने अथवा जलाने के लिए कोई उपयुक्त स्थान न हो तो पूर्वोक्त तारीख से पहले इस प्रयोजन के लिए उचित स्थान की व्यवस्था करेगी।

(2) नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना और ऐसी अनुज्ञा की शर्तों और निबन्धनों के अनुसार से अन्यथा कोई नया कब्रिस्तान अथवा श्मशान भूमि नहीं बनायी जायेगी।

(3) यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना, किसी स्थान पर जो कब्रिस्तान अथवा श्मशान भूमि नहीं है अथवा जलाने या दफनाने के ऐसे किसी स्थान में जो इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल बनाया या काम में लाया गया है या उसको बन्द करने के लिए उनके अधीन नियत तारीख के पश्चात् किसी शव को दफनाता है या जलाता है अथवा दफनाने या जलाने की अनुज्ञा देता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो

एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(4) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन नगरपालिका द्वारा किये गये किन्हीं आदेशों से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से उसकी प्रति प्राप्त करने के अपेक्षित समय को कम करके तीस दिवस के भीतर, कलक्टर को अपील कर सकेगा और ऐसे आदेश को ऐसी अपील से अन्यथा प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

(5) अपील प्राधिकारी यदि उचित समझे तो उप-धारा (4) के अधीन अपील के लिए अनुज्ञात समय की कालावधि को बढ़ा सकेगा।

(6) नोटिस या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पर अपील प्राधिकारी का पुष्ट, अपास्त या उपान्तरित करने वाला आदेश अन्तिम होगा:

परन्तु नोटिस अथवा आदेश को तब तक उपान्तरित या अपास्त नहीं किया जायेगा जब तक कि अपीलार्थी और नगरपालिका को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(7) जब उप-धारा (4) के अधीन कोई अपील संस्थित कर दी गयी हो तो ऐसे आदेश को प्रवर्तित करने की समस्त कार्यवाहियां और उसके किसी भंग के सम्बन्ध में समस्त अभियोजन, अपील के निर्णय तक निलम्बित कर दिये जायेंगे, तथा यदि ऐसा आदेश अपील पर अपास्त कर दिया जाता है तो उसकी अवज्ञा अपराध नहीं समझी जायेगी।

277. शवों को ले जाने का विनियमन.—(1) नगरपालिका, सार्वजनिक नोटिस द्वारा, ऐसे मार्ग विहित कर सकेगी, केवल जिन मार्गों से विभिन्न कब्रिस्तानों या श्मशान भूमियों में शवों को ले जाया जा सकेगा।

(2) जो कोई भी किसी शव को इस प्रकार विहित मार्ग से भिन्न किसी मार्ग से कब्रिस्तान या श्मशान भूमि को ले जाता है तो वह ऐसे

जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

278. श्मशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति देने की शक्ति.— (1) नगरपालिका अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र देने वाले व्यक्तियों को और ऐसी फीस का, जो नगरपालिका नियत करे, संदाय करने पर, समस्त श्मशानों अथवा उनमें से किसी में ईंधन तथा अन्य वस्तुओं के, जो शवों को जलाने के लिए अपेक्षित या प्रयुक्त हों, विक्रय के लिए धारा 340 में अधिकथित अथवा उसके अधीन विहित रीति से उसके द्वारा बनायी जाने वाली उप-विधियों के अनुसार, अनुज्ञप्ति दे सकेगी तथा उसका नवीकरण कर सकेगी।

(2) नगरपालिका उचित और पर्याप्त कारण बताये जाने पर, उप-धारा (1) के अधीन मंजूर अथवा नवीकृत किसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत अथवा प्रत्याहृत कर सकेगी।

(3) यदि किसी श्मशान भूमि के संबंध में उप-धारा (1) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी हो अथवा उसका नवीकरण कर दिया गया हो तो—

(क) नगरपालिका शवों को जलाने के लिए अपेक्षित या प्रयुक्त ईंधन और अन्य वस्तुओं के विक्रय के लिए, समय-समय पर, दरों का मापमान विहित करेगी, और

(ख) कोई व्यक्ति, जिसे इस प्रकार से प्राधिकृत नहीं किया गया हो, ऐसी श्मशान भूमि से तीन सौ मीटर के भीतर कोई ऐसा ईंधन या अन्य वस्तुओं का विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापना नहीं करेगा।

(4) जो कोई—

(क) उप-धारा (1) के अधीन मंजूर की गयी अथवा नवीकृत श्मशान भूमि के संबंध में किसी अनुज्ञप्ति का धारक होते हुए श्मशान भूमि पर विक्रय किये जाने वाले ईंधन या अन्य वस्तुओं का उप-धारा (3) के अधीन नगरपालिका द्वारा नियत दर से ऊंची दर पर विक्रय करता है, या

(ख) उप-धारा (2) के अधीन उसकी अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण अथवा प्रत्याहरण हो जाने पर भी ऐसे विक्रय को जारी रखता है, या

(ग) इस प्रकार प्राधिकृत किया गया व्यक्ति न होते हुए कोई व्यक्ति ऐसे श्मशान के तीन सौ मीटर के भीतर, जिसके संबंध में उप-धारा (1) के अधीन मंजूर अथवा नवीकृत की गयी अनुज्ञप्ति प्रवृत्त है, कोई ऐसा ईंधन अथवा अन्य वस्तु का विक्रय करता है,

ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले मामले में, अनुज्ञप्ति के रद्द किये जाने का और भागी होगा।

279. शवों को दफन करवाने या जलवाने की शक्ति .- (1) नगरपालिका अदावाकृत शवों की दशा में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के चौबीस घंटे से अन्यून समय के पश्चात् और अप्राकृतिक मृत्यु की दशा में, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् किसी व्यक्ति के शव को दफन करवा या जलवा सकेगी।

(2) ऐसी दशा में, जहां तक सम्भव हो, शव की मृतक के धार्मिक नियमों के अनुसार, जहां तक वे ज्ञात किये जा सकें, अंत्येष्टि की जायेगी।

(3) उप-धारा (4) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन मृतक व्यक्ति के शव को दफन कराने या उसे जलवाने में नगरपालिका द्वारा उपगत व्यय ऐसे व्यक्ति की सम्पदा से शोध्य ऋण के रूप में वसूलीय होगा।

(4) नगरपालिका अपनी सीमाओं के भीतर अकिंचनों के शवों के निःशुल्क दफन या दाह के लिए नगरपालिक निधि में से समय-समय पर उपबंध कर सकेगी।

280. नगरपालिक क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों का हटाया जाना.—

(1) प्रत्येक नगरपालिक क्षेत्र में नगरपालिका पशुओं के शवों के निर्वर्तन हेतु उपयुक्त एवं सुविधाजनक स्थानों की व्यवस्था करेगी।

(2) जब कभी किसी व्यक्ति के प्रभार में का कोई पशु, विक्रयार्थ अथवा धार्मिक प्रयोजन के लिए मारे जाने से भिन्न प्रकार से मर जाता है तो ऐसा व्यक्ति चौबीस घंटों के भीतर, या तो —

(क) उप-धारा (1) के अधीन उपलब्ध कराये गये अथवा नियत स्थान पर या नगरपालिक सीमाओं या आबादी क्षेत्र से, जो भी दूर हो, दो किलोमीटर के बाहर किसी स्थान पर शव को ले जायेगा, या

(ख) मृत्यु की सूचना नगरपालिका को देगा जो तदुपरान्त शव को हटवायेगी तथा उसका निर्वर्तन करवायेगी।

(3) ऐसे किसी परिसर का, जिसमें या जिस पर कोई पशु मर जाये अथवा जिसमें या जिस पर किसी पशु का शव पाया जाये, अधिभोगी भी उप-धारा (2) के अनुसार ऐसे शव के संबंध में कार्रवाई करेगा।

(4) नगरपालिका, उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन अथवा उप-धारा (3) के अधीन हटाये या निर्वर्तित किये गये ऐसे प्रत्येक मृत पशु के शव के संबंध में नगरपालिका उसकी मृत्यु की सूचना देने वाले व्यक्ति से, ऐसी फीस जो नगरपालिका विहित करे, प्रभारित कर सकेगी और यदि

ऐसी फीस का अग्रिम संदाय न किया जाये तो नगरपालिका सूचना देने वाले व्यक्ति से उक्त फीस नगरपालिक दावों के लिए इस अधिनियम के अधीन उपबंधित रीति से वसूल कर सकेगी।

(5) जो कोई इस धारा की उप-धारा (2) अथवा उप-धारा (3) के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होते हुए, ऐसा कार्य करने से चूक करेगा, तो ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

281. कतिपय विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्यों के लिए शास्ति.— जो कोई, जबकि वह किसी संक्रामक अथवा सांसारिक विकारों से पीड़ित हो—

(क) किसी खाद्य अथवा पेय पदार्थ को अथवा किसी औषध या ओषधि को मानव उपभोग हेतु विक्रय के लिए बनाता या प्रस्तुत करता है, या

(ख) किसी ऐसी वस्तु, ओषधि अथवा औषधि को, जबकि वह दूसरों द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुत की गई हो, जानबूझकर छूता है, या

(ग) गंदे कपड़े धोने अथवा उन्हें ले जाने के कारबार में भाग लेता है,

तो वह दोषसिद्धि पर जुर्माने का, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

282. कतिपय व्यवसायों का विनियमन.— (1) यदि नगरपालिका का समाधान हो जाये कि कोई भवन या स्थान किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है अथवा उपयोग में लाये जाने के लिए आशयित है,—

- (क) मांसावशिष्ट, रक्त, हड्डियों, जानवरों की आंतों या चिथड़ों को उबालने या संग्रह करने के लिए,
- (ख) मछलियों को छांटने, साफ करने या संग्रह करने के लिए,
- (ग) खालों, सींगों या चमड़ों का संग्रह करने के लिए,
- (घ) चमड़ों का शोधन करने के लिए,
- (ङ) चमड़े के सामान के विनिर्माण के लिए,
- (च) रंगाई के लिए,
- (छ) साबुन बनाने के लिए,
- (ज) ऊन या बालों को धोने या सुखाने के लिए,
- (झ) तेल उबालने के लिए,
- (ञ) चर्बी या गन्धक पिघलाने के लिए,
- (ट) ईंटों, मिट्टी के बर्तनों, चूना या सुर्खी को जलाने या पकाने के लिए,
- (ठ) सूखी घास, भूसा, चारा, लकड़ी, कोयला या अन्य ज्वलनशील पदार्थों का संग्रह करने के लिए,
- (ड) व्यवसाय के प्रयोजनार्थ अनाज का संग्रह करने के लिए,
- (ढ) खान के रूप में,
- (ण) गाड़ियों के ठहरने के स्थान के रूप में,
- (त) तेल मिल के रूप में,
- (थ) विद्युत् शक्ति से अन्यथा, अन्य प्रकार से चलायी जाने वाली आटे की चक्की के रूप में,
- (द) आसवनी के रूप में, या
- (ध) किसी अन्य प्रकार के कारखाने या कारबार के स्थान के रूप में जहां से संतापकारी या अस्वास्थ्यकर गंध, धूम,

कालिख या गर्द निकलती हो या जिससे आग लगने का जोखिम हो,

ऐसे उपयोग के कारण तथा उसकी स्थिति के कारण आस-पड़ोस के लिए न्यूसेंस होने की सम्भावना है या इस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है या इस प्रकार से स्थित है कि वह जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो सकता है तो नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा उसके स्वामी या अधिभोगी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह –

- (i) उस स्थान का, ऐसा उपयोग तुरन्त बन्द करे, या ऐसा उपयोग किये जाने से या किये जाने के लिए इस प्रकार के आशय से विरत हो, या
- (ii) उसको ऐसी रीति से या उसमें संरचना संबंधी ऐसे परिवर्तन करने के पश्चात् जैसा कि नगरपालिका ऐसे नोटिस में विहित करे, उपयोग में लाये ताकि वह जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए न्यूसेंसकारी या खतरनाक न बन जाये या न रहे, या
- (iii) उसको ऐसे स्थान पर, जो सीमांकित किया जाये, हटाये;

परन्तु खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट किसी प्रकार की अध्यपेक्षा खण्ड (क) से (ज) तक विनिर्दिष्ट उपजीविका में से किसी के संबंध में नहीं की जायेगी जब वह स्वामी या अधिभोगी द्वारा स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा कुटीर उद्योग के रूप में किया जाता हो, जब तक कि नगरपालिका ऐसी उपजीविका चलाने के लिए किसी अन्य स्थान की व्यवस्था न कर दे।

(2) जो कोई, उप-धारा (1) के अधीन नोटिस दिये जाने के पश्चात्, किसी स्थान का, इस तरीके से जिससे वह पड़ोस के लिए न्यूसेंसकारी हो या जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो, उपयोग करता है अथवा उपयोग करने की अनुज्ञा देता है तो वह ऐसे

जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसे उपयोग अथवा उपयोग की अनुज्ञा के जारी रहने वाले प्रत्येक दिवस के लिए एक सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(3) इस धारा के अधीन दोषसिद्धि हो जाने पर, नगरपालिका के प्रार्थना-पत्र पर, किन्तु अन्यथा नहीं, मजिस्ट्रेट ऐसे स्थान को बन्द किये जाने के लिए आदेश देगा और तदुपरान्त ऐसे स्थान को उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाने से रोकने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा या अन्य कदम उठायेगा।

(4) जो कोई बिना किसी अनुज्ञप्ति के अथवा उसके निलम्बन के दौरान अथवा अनुज्ञप्ति के प्रत्याहरण के पश्चात् किसी नगरपालिका में जिसमें, वे शर्तें, जिन पर और जिनके अध्यक्षीन और वे परिस्थितियां, जिनमें और वे क्षेत्र तथा बस्तियां जिनके सम्बन्ध में ऐसे उपयोग को विहित करने वाली तत्समय उप-विधियां प्रवृत्त हों, जिनके अध्यक्षीन अनुज्ञप्ति मंजूर, अस्वीकृत या निलम्बित और प्रत्याहृत की जाये, उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए किसी स्थान का उपयोग करता है, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसा उपयोग जारी रहने वाले प्रत्येक दिवस के लिए एक सौ रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(5) उप-धारा (1) के अधीन दिये गये नगरपालिका के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर, उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवश्यक समय को कम करके

कलक्टर के यहां अपील कर सकेगा और अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

283. मजदूरों को बुलाने या उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग.— (1) मजदूरों या नियोजित व्यक्तियों को बुलाने अथवा उनकी छुट्टी करने हेतु, नगरपालिका की अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन तथा उनके अनुसार से अन्यथा किसी सायरन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

(2) नगरपालिका ऐसी शर्तों के अध्याधीन, जो वह उपयुक्त समझे, ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगी और अनुज्ञप्तिधारी को एक माह का नोटिस देकर तथा प्रस्तावित वापसी के विरुद्ध उसकी सुनवाई करने के पश्चात्, यदि वह ऐसा चाहे, किसी भी समय ऐसी अनुज्ञप्ति वापस ले सकेगी।

(3) जो कोई, ऐसी अनुज्ञप्ति के बिना या उसकी किसी शर्त का उल्लंघन करके या वापस लेने के पश्चात्, ऐसे किसी भी सायरन का उपयोग करता है अथवा काम में लेता है, ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

284. व्यक्ति को सम्बोधित नोटिसों आदि की तामील.— (1) इस अधिनियम के अधीन या तदधीन बनाये गये किसी नियम या उप-विधि के अधीन किसी व्यक्ति को, या ऐसे व्यक्ति को जिसे नाम से सम्बोधित किया गया हो, प्रत्येक नोटिस या आदेश की तामील तथा प्रत्येक बिल की प्रस्तुति, यदि उसमें उसके लिए विशिष्ट रूप से अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया हो, प्रत्येक दशा में किसी नगरपालिक अधिकारी या कर्मचारी या नगरपालिका द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित कार्य करते हुए की जायेगी—

- (क) उस व्यक्ति को, जिसे वह सम्बोधित किया गया है, ऐसा नोटिस, आदेश या बिल देकर या निविदत्त करके; या
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिले तो उस नोटिस, आदेश या बिल को उसके आवास के अन्तिम ज्ञात स्थान पर छोड़कर या उस नोटिस, आदेश या बिल को उसके कुटुम्ब के वयस्क पुरुष सदस्य या नौकर को देकर या उसको निविदत्त करके; या
- (ग) यदि ऐसा व्यक्ति नगरपालिक सीमा में नहीं रहता हो और उसके स्थान का पता नोटिस, आदेश या बिल जारी करने वाले नगरपालिका के अध्यक्ष अथवा पदधारी को मालूम हो तो नोटिस, आदेश या बिल, ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक से लिफाफे द्वारा, जिस पर उक्त पता लिखा हो, भेजकर; या
- (घ) यदि पूर्वोक्त साधनों में से कोई भी उपलब्ध न हो, या व्यक्ति लेने से इनकार कर दे तो उस बिल, आदेश या नोटिस को उस क्षेत्र के दो व्यक्तियों की उपस्थिति में उस भवन या भूमि, यदि कोई हो, जिससे कि ऐसा बिल, आदेश या नोटिस संबंधित है, के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाकर।

(2) जब किसी नोटिस, आदेश या बिल का किसी भवन या भूमि के स्वामी या अधिभोगी पर तामील किया जाना इस अधिनियम के अधीन या तदधीन बनाये गये किसी नियम या उप-विधि द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात हो तो उसमें स्वामी या अधिभोगी को नामित करना आवश्यक नहीं होगा, और ऐसे मामलों में जिनके विषय में अन्यथा विशेष उपबंध नहीं है, उनकी तामील निम्नलिखित रीति से की जायेगी अर्थात् या तो –

- (क) स्वामी या अधिभोगी को, या यदि एक से अधिक स्वामी या अधिभोगी हों तो उनमें से किसी एक को नोटिस, आदेश या बिल देकर या निविदत्त करके; या
- (ख) यदि ऐसा स्वामी या अधिभोगी नहीं मिले तो यथापूर्वोक्त ऐसे किसी स्वामी या अधिभोगी के कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या नौकर को नोटिस, आदेश या बिल देकर या निविदत्त करके; या
- (ग) यदि पूर्वोक्त साधनों में से कोई भी उपलब्ध न हो तो उस नोटिस, आदेश या बिल को दो व्यक्तियों की उपस्थिति में उस भवन या भूमि के, जिससे कि वह संबंधित है, किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाकर।

(3) ऐसा प्रत्येक नोटिस, जिसे सार्वजनिक नोटिस के रूप में, या सामान्य तौर पर, या ऐसे उपबंधों द्वारा, जो ऐसे नोटिस को उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को व्यक्तिशः दिये जाने की अपेक्षा न करते हों, दिये जाने या तामील किये जाने के लिए इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या उप-विधि द्वारा नगरपालिका को सशक्त किया गया है, उस दशा में इसे पर्याप्त रूप से दिया गया या तामील किया गया समझा जायेगा यदि उसकी एक प्रति, ऐसी कालावधि के दौरान और ऐसी अन्य रीति से, जो नगरपालिका निदेश दे या उप-विधियों द्वारा विहित करे, नगरपालिक कार्यालय के किसी ऐसे सहजदृश्य भाग पर लगा दी जाये।

(4) प्ररूप की किसी त्रुटि के कारण कोई नोटिस, आदेश या बिल अविधिमान्य नहीं होगा।

(5) जब कोई नोटिस या आदेश किसी ऐसे कार्य को किये जाने की अपेक्षा करता हो, जिसके लिए इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या उप-विधि द्वारा कोई समय निश्चित नहीं किया जाये तो

उस नोटिस या आदेश में उसे करने के लिए युक्तियुक्त समय नियत किया जायेगा।

(6) नोटिस या आदेश के निबंधनों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नगरपालिका के लिए ऐसी कार्रवाई करना या ऐसे कदम उठाना जो उस कार्य को, जिसके किये जाने की अपेक्षा उसके द्वारा की गयी है, पूरा करने के लिए आवश्यक हो, विधिपूर्ण होगा तथा उसमें नगरपालिका द्वारा उपगत किया गया समस्त व्यय उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों द्वारा संदत्त किया जायेगा जिन पर नोटिस या आदेश की तामील की गयी थी और ऐसा व्यय धारा 296 में उपबंधित रीति से वसूलीय होगा।

285. व्यष्टि नोटिस की अवज्ञा.— यदि इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या उप-विधि के उपबन्धों के अधीन, किसी व्यक्ति से किसी जंगम अथवा स्थावर तथा सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति के संबंध में किसी कार्य का निष्पादन करने की, अथवा नोटिस या आदेश में विनिर्दिष्ट समय में उसकी व्यवस्था करने की, या उसे सम्पन्न करने या ऐसा करने से विरत रहने की अपेक्षा करते हुए कोई नोटिस या आदेश दिया गया है और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे नोटिस या आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो —

(क) नगरपालिका ऐसा कार्य निष्पादित करवा सकेगी या ऐसा कार्य किये जाने की व्यवस्था करवा सकेगी या ऐसा कार्य सम्पन्न करवा सकेगी तथा उसके द्वारा उस पेटे किया गया समस्त व्यय उक्त व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन उपबंधित रीति से वसूल कर सकेगी, और

(ख) उक्त व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और भंग के चालू रहने की स्थिति में ऐसे और जुर्माने

का, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जब तक कि अपराधी के विरुद्ध भंग करते रहना सिद्ध होता है, पचास रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

286. **सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा**— जब इस अधिनियम या इसके अधीन जारी किये गये किसी नोटिस या आदेश द्वारा जनता से किसी बात को करने या करने से विरत रहने की अपेक्षा की जाये, कोई व्यक्ति, जो ऐसी अध्यपेक्षा की अनुपालना करने में विफल रहता है, यदि ऐसी विफलता किसी अन्य धारा के अधीन दण्डनीय अपराध नहीं है तो वह किसी मजिस्ट्रेट द्वारा, दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु प्रत्येक ऐसी विफलता के लिए पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा, भंग के चालू रहने की दशा में ऐसे और जुर्माने का, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जब तक कि अपराधी के विरुद्ध भंग करते रहना सिद्ध होता है, पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

287. **स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम करने पर नगरपालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी और उसका व्यय वसूल कर सकेगी**—(1) जब कभी भी इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी भवन अथवा भूमि के स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा किसी कार्य के निष्पादित किये जाने की अपेक्षा की जाती है और ऐसे कार्य के निष्पादन में व्यतिक्रम किया जाता है तो चाहे ऐसे व्यतिक्रम के लिए किसी शास्ति का उपबन्ध किया गया हो अथवा नहीं, नगरपालिका ऐसा कार्य निष्पादित करवा सकेगी; और उसके द्वारा उपगत व्यय, न्यूनतम एक हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, कुल व्यय के दस प्रतिशत के साथ, ऐसे व्यक्ति से, जिसके द्वारा ऐसा कार्य निष्पादित किया जाना था, वसूल कर सकेगी, और ऐसी रीति से, जैसे किसी कर के पेटे दावाकृत कोई रकम इस अधिनियम

के अधीन वसूलीय है या तो एकमुश्त या किश्तों में, जैसा नगरपालिका ठीक समझे, वसूलीय होगी:

परन्तु—

(क) जब नगरपालिका द्वारा कोई जल-निकास स्कीम आरम्भ की गयी हो तो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन उसकी शक्तियों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना नगरपालिका के लिए, किसी भवन अथवा भूमि के स्वामी के साथ जल-निकास अथवा जल कनेक्शन की रीति और ऐसी आर्थिक अथवा अन्य सहायता, यदि कोई हो, जो नगरपालिका करे, के संबंध में विशेष करार करना विधिपूर्ण होगा और यदि स्वामी कोई संदाय करने का करार करे तो ऐसी रकम को ऐसे करार के निबन्धनों के अनुसार या व्यतिक्रम होने पर उप-धारा (2) और (3) में वर्णित रीति से वसूल किया जायेगा; और

(ख) जब कोई आदेश धारा 194 या धारा 200 या धारा 202 या धारा 207 या धारा 210 के अधीन पारित किया गया हो, या जब कोई अनुज्ञा धारा 203 के अधीन दी गयी हो, या इस उप-धारा के परन्तुक (क) के अधीन कोई करार किया गया हो, तो नगरपालिका इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि वह उचित समझे, नगरपालिका द्वारा यथापूर्वोक्त किये गये किसी किसी व्यय को, न्यूनतम एक हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, प्रशासनिक प्रभारों के रूप में कुल व्यय के दस प्रतिशत सहित

सुधार व्यय घोषित कर सकेगी जो कि भवन या भूमि पर प्रभार होगा और प्रतिवर्ष पन्द्रह प्रतिशत की दर से ब्याज सहित उद्गृहीत किया जायेगा और उप-धारा (2) तथा (3) में वर्णित रीति से वसूलीय होगा।

(2) यदि व्यतिक्रमी भवन या भूमि का स्वामी हो तो अतिरिक्त उपाय के रूप में, चाहे ऐसे स्वामी के विरुद्ध कोई वाद चलाया गया हो अथवा कार्यवाही की गयी हो अथवा नहीं, नगरपालिका उप-धारा (3) के उपबंधों के अधीन उस समय स्वामी द्वारा संदेय समस्त व्यय या उसके किसी भाग को उस व्यक्ति से जो उस समय या उसके पश्चात् किसी भी समय, ऐसे स्वामी के अधीन भवन अथवा भूमि का अधिभोगी है, संदाय की अपेक्षा कर सकेगी, और ऐसे अधिभोगी से मांगे जाने पर उसके संदाय में व्यतिक्रम होने की दशा में ऐसे अधिभोगी से उद्गृहीत की जा सकेगी और इस प्रकार उद्गृहीत प्रत्येक रकम उसी रीति से वसूलीय होगी जिस प्रकार किसी कर के पेटे दावाकृत कोई रकम इस अधिनियम के अधीन वसूलीय है; और ऐसा प्रत्येक अधिभोगी, अपने द्वारा भू-स्वामी को दिये जाने वाले किराये में से इतनी रकम, जितनी कि ऐसे किसी व्यय के संबंध में उसके द्वारा संदत की गयी है अथवा जो ऐसे अधिभोगी से वसूल की गयी है, काट लेने का हकदार होगा।

(3) किसी भवन या भूमि का कोई अधिभोगी, उस भवन या भूमि के स्वामी पर इस अधिनियम द्वारा प्रभारित किन्हीं व्ययों के संबंध में ऐसे किराये पर की रकम से, अधिक धन का संदाय करने का दायी नहीं होगा जो उस भवन या भूमि के लिए, जिसके संबंध में उस पर की गयी मांग के समय ऐसा व्यय संदेय है, अधिभोगी से शोध्य है या जो ऐसी मांग के पश्चात् और उसके भू-स्वामी को उसका संदाय न करने के नोटिस के पश्चात् किसी समय प्रोद्भूत हो गया है और ऐसे अधिभोगी द्वारा संदेय हो गया है, सिवाय उस दशा के जब कि वह सत्यतापूर्वक अपने किराये की

रकम और उस व्यक्ति का, जिसे ऐसा किराया संदेय है, नाम व पता, नगरपालिका द्वारा उस प्रयोजन के लिए उसे आवेदन किये जाने पर, बताने में उपेक्षा करे या बताने से इनकार करे, किन्तु यह साबित करने का भार ऐसे अधिभोगी पर होगा कि ऐसे किसी अधिभोगी से मांगी गई राशि, उस किराये से अधिक है, जो ऐसी मांग के समय अधिभोगी द्वारा देय थी या जो तब से प्रोद्भूत हो गयी है:

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी अधिभोगी तथा स्वामी के बीच पूर्वोक्त ऐसे किन्हीं संकर्मों के व्यय के संदाय संबंधी किसी विशिष्ट संविदा को प्रभावित नहीं करेगी।

288. स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किये जाने पर अधिभोगी संकर्म निष्पादित कर सकेगा और किराये में से व्यय काट सकेगा.— जब किसी भवन अथवा भूमि के स्वामी द्वारा, किसी कार्य को, जिसके निष्पादित किये जाने की नगरपालिका द्वारा उससे अपेक्षा की जाये, करने में व्यतिक्रम किया जाता है तो ऐसे भवन अथवा भूमि का अधिभोगी नगरपालिका के अनुमोदन से ऐसा कार्य निष्पादित करवा सकेगा और उसका व्यय उसे स्वामी द्वारा संदत्त किया जायेगा अथवा उसकी रकम ऐसे स्वामी को उससे देय होने वाले किराये में से काटी जा सकेगी।

289. कार्यवाहियां, यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है.— यदि किसी भवन अथवा भूमि का अधिभोगी उसके स्वामी को, ऐसी भूमि या भवन के संबंध में इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को क्रियान्वित करने से, ऐसे अधिभोगी को स्वामी द्वारा उनको क्रियान्वित करने के अपने आशय का नोटिस दिये जाने के पश्चात् रोकता है तो कोई मजिस्ट्रेट, स्वामी द्वारा उसका सबूत और आवेदन दिये जाने पर ऐसे अधिभोगी से, उस भवन अथवा भूमि के संबंध में इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित कराने में आवश्यक ऐसे समस्त संकर्मों का निष्पादन करने के लिए स्वामी को अनुज्ञा देने की अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश

दे सकेगा और यदि वह उचित समझे तो अधिभोगी को ऐसे आवेदन या आदेश से संबंधित खर्चे का संदाय स्वामी को करने का आदेश भी दे सकेगा और यदि ऐसे आदेश की तारीख से, आठ दिवस की समाप्ति के पश्चात् ऐसा अधिभोगी ऐसे स्वामी को ऐसे संकर्म निष्पादित करने की अनुज्ञा से इनकार करता रहता है तो ऐसा अधिभोगी जब तक कि वह इनकार जारी रखता है, ऐसे जुर्माने से, जो प्रत्येक दिवस के लिए एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा और प्रत्येक ऐसा स्वामी, ऐसे इनकार के जारी रहने के दौरान उन शास्तियों से विमुक्त रहेगा जिनके लिए ऐसे संकर्मों के निष्पादन में व्यतिक्रम के कारण वह अन्यथा दायी हुआ होता ।

290. नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने के लिए शास्ति.— (1) जो कोई इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका द्वारा नियोजित अथवा उसके साथ की गयी संविदा पर रखे गये किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य के पालन में अथवा संविदा को पूरा करने में बाधा डालता है अथवा उसे उत्पीड़ित करता है अथवा इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कार्य का निष्पादन करने के लिए आवश्यक किसी स्तर या दिशा के निदेश को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए किसी चिन्ह को मिटाता है, दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

(2) ऐसे पुलिस अधिकारी को, जिसकी दृष्टि में उप-धारा (1) के अधीन अपराध कारित किया जाये, ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने की शक्ति होगी ।

291. अधिनियम, नियमों और उप-विधियों के भंग के लिए शास्ति, जो अन्यथा उपबन्धित नहीं है.— जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन किसी नियम, उप-विधि या आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है

या इसके अधीन जारी किये गये या दिये गये किसी नोटिस, आदेश या निदेश की अनुपालना करने में विफल रहता है, जिसके उल्लंघन या विफलता के लिए इस अधिनियम, या तदधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों में किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, दोषसिद्धि पर जुर्माने का, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

292. अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश.— मुख्य नगरपालिक अधिकारी या नगरपालिका द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के लिए, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम या उप-विधि के किसी भी प्रयोजन के लिए, किसी भी भवन या भूमि में और उस पर, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ऐसे सहायकों सहित, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रवेश करना विधिपूर्ण होगा:

परन्तु इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी ऐसे भवन या भूमि में, जो उस समय अधिभोगाधीन हो, उसके अधिभोगी की अनुमति के सिवाय तब तक प्रवेश नहीं किया जायेगा, जब तक इसका चौबीस घण्टे का लिखित नोटिस उक्त अधिभोगी को न दे दिया जाये:

परन्तु यह और कि मानव-आवास के रूप में उपयोग में लिये जाने वाले भवनों के मामले में अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का सम्यक् ध्यान रखा जायेगा।

293. निवारक निरीक्षण.— जहां यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भवन में या किसी भूमि पर, इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों के उपबंधों के उल्लंघन में, किन्हीं नगरपालिक जल-निकास संकर्मों, या किसी नगरपालिक उपक्रम के संबंध में कोई कार्य निष्पादित किया गया है वहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगरपालिक अधिकारी या कोई स्वास्थ्य अधिकारी किसी भी समय और नोटिस के बिना ऐसे भवन या भूमि का निरीक्षण कर सकेगा:

परन्तु किसी मानव-आवास के रूप में उपयोग में लिये जाने वाले भवन के मामले में उसके अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का सम्यक् ध्यान रखा जायेगा।

294. **प्रवेश करने की शक्ति.**— इस अधिनियम की धारा 292 के उपबंधों या इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए, निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजनार्थ किसी दरवाजे, फाटक या अन्य अवरोध को,—

(क) यदि वह ऐसे प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजनार्थ उसका खोला जाना आवश्यक समझे, और

(ख) यदि स्वामी या अधिभोगी अनुपस्थित है या उपस्थित है तो ऐसे दरवाजे, फाटक या अवरोध को खोलने से इनकार कर देता है,

खोलना या खुलवाना विधिपूर्ण होगा।

295. **कतिपय मामलों में प्रतिकर का अवधारण.**— (1) यदि ऐसे किसी भी प्रतिकर या नुकसानी, जो इस अधिनियम द्वारा संदत्त किये जाने हेतु निदिष्ट है, के संबंध में कोई सहमति नहीं हो तो उसकी रकम और यदि आवश्यक हो तो उसका प्रभाजन ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किया जाये, अभिनिश्चित और अवधारित किया जायेगा:

परन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात व्यथित पक्षकार को सक्षम अधिकारिता वाले किसी सिविल न्यायालय में प्रतितोष मांगने से निवारित नहीं करेगी।

(2) ऐसे किसी भी मामले में जिसमें किसी भूमि के संबंध में प्रतिकर का दावा किया जाता है, न्यायालय के अवधारण के लिए निर्दिष्ट मामलों में कार्यवाहियों के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का

केन्द्रीय अधिनियम सं.1) द्वारा विहित प्रक्रिया का, जहां तक हो सके, अनुसरण किया जायेगा।

296. **खर्चें या व्यय कैसे अवधारित और वसूल किये जायें.**— यदि कोई विवाद ऐसे किन्हीं भी खर्चों या व्ययों के संबंध में उद्भूत हो जो इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदत्त किये जाने हेतु निदिष्ट हो तो उसकी रकम और यदि आवश्यक हो तो उसका प्रभाजन उस दशा के सिवाय जब कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित हो, नगरपालिका द्वारा अभिनिश्चित की जायेगी और उसी रीति से वसूलीय होंगे जैसा इस अधिनियम के अधीन किसी कर के मद्दे दावाकृत रकम वसूलीय होती है।

297. **राज्य नगरपालिका संघ का गठन और उसके कृत्य.**— (1) राज्य में की समस्त नगरपालिकाएं या उनमें से कोई, एक संघ जिसे राजस्थान राज्य नगरपालिक-बोर्ड संघ कहा जा सकेगा, या किसी ऐसे अन्य नाम से, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, गठित करने हेतु संयोजित हो सकेंगी, परन्तु ऐसा कोई संघ तब तक गठित नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य में की नगरपालिकाओं की आधी से अधिक उसके सदस्य बनने के अपने आशय के संकल्प पृथक्-पृथक् रूप से पारित न कर दें।

(2) इस धारा की उप-धारा (1) के अधीन गठित संघ के कृत्य, निम्नलिखित होंगे—

- (i) नगरपालिकाओं के सामान्य हित के विवाद्यकों का परीक्षण;
- (ii) ऐसे विवाद्यकों से संबंधित सूचना का प्रसारण;
- (iii) सामान्य हित के मामलों पर राज्य सरकार और अन्य अभिकरणों को उपयुक्त अभ्यावेदन करना;

(iv) नगरपालिकाओं को नगरपालिक प्रशासन के सुधार पर सहायता और परामर्शी सेवाएं प्रदान करना; और

(v) ऐसे अन्य कृत्य करना जो राज्य सरकार समय-समय पर उसे समनुदेशित करे।

(3) निम्नलिखित मामले राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित और शासित होंगे, अर्थात्:-

(क) संघ का संविधान और उसके लक्ष्य और उद्देश्य;

(ख) नगरपालिकाओं द्वारा संघ को दिये जाने वाले अभिदाय की रकम और उसका ढंग;

(ग) संघ के वित्तपोषण के लेखाओं का रखरखाव और उनकी संपरीक्षा सहित उनका प्रबन्ध और नियंत्रण; और

(घ) ऐसे अन्य मामले जो इस धारा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हों:

परन्तु कोई भी व्यक्ति संघ में प्रतिनिधित्व करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह तत्समय किसी नगरपालिका का अध्यक्ष न हो।

अध्याय 13

अभियोजन, वाद आदि

298. नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी.- (1) मुख्य नगरपालिक अधिकारी किसी भी प्रकार के किसी लोक न्यूसेंस या इस अधिनियम के अधीन जारी आदेश या निदेशों के उल्लंघन के लिए अभियोजन का निदेश दे सकेगा और किन्हीं शास्तियों की वसूली के लिए तथा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उप-विधि के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए कार्यवाही किये जाने का आदेश दे सकेगा और ऐसे अभियोजनों या अन्य

कार्यवाहियों का व्यय नगरपालिक निधि में से संदत्त किये जाने का आदेश दे सकेगा:

परन्तु इस अधिनियम या इसके अधीन विरचित नियम या उप-विधि के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन ऐसा अपराध कारित किये जाने के पश्चात् छह मास के भीतर के सिवाय संस्थित नहीं किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या उप-विधियों के अधीन कोई अभियोजन उसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्थित किया जा सकेगा, और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उप-विधि के अधीन या उसके आधार पर, अधिरोपित प्रत्येक जुर्माना या शास्ति और प्रतिकर या अन्य व्ययों के सभी दावे जिनकी वसूली के लिए इस अधिनियम में अन्यथा कोई विशेष उपबंध न किया गया हो, ऐसे मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर उसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर ऐसे व्यक्ति की, जिस पर धन का दावा किया जा सके, किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के करस्थम् तथा विक्रय द्वारा वसूल किये जा सकेंगे।

299. अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियां.— नगरपालिका—

(क) किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसने नगरपालिका की राय में इस अधिनियम या उसके अधीन बनायी गयी किसी उप-विधि के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया हो, समझौता कर सकेगी और ऐसा समझौता कर लिए जाने पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी;

(ख) इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनायी गयी किसी उप-विधि के अधीन अभियोजनों को प्रत्याहृत कर सकेगी;

(ग) इस अधिनियम के या इसके अधीन बनायी गयी किसी उप-विधि के विरुद्ध किये गये ऐसे किसी अपराध का, जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा प्रशमनीय घोषित किया गया हो, प्रशमन कर सकेगी:

परन्तु इस धारा के अधीन, अपराधों के संबंध में समझौता करने के लिए सशक्त व्यक्तियों की कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकेगी।

300. नगरपालिका की सम्पत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाये.—यदि किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम द्वारा, जिसके कारण कोई व्यक्ति इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किसी शास्ति का भागी हुआ हो, और यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा नगरपालिका की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो, तो ऐसी शास्ति की अदायगी के साथ-साथ ऐसे नुकसान की पूर्ति का भी भागी होगा, तथा विवाद की दशा में नुकसानी की रकम उस मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जायेगी जिसके द्वारा ऐसी शास्ति का भागी व्यक्ति सिद्धदोष ठहराया गया है और मांग किये जाने पर ऐसी नुकसानी का संदाय न होने की दशा में वह करस्थम् द्वारा उद्गृहीत की जायेगी तथा ऐसा मजिस्ट्रेट तदनुसार वारन्ट जारी करेगा।

301. कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम की धारा 167, 236, और 245, के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा।

302. प्रक्रिया त्रुटियुक्त होते हुए भी करस्थम् विधिपूर्ण होगा.— इस अधिनियम के आधार पर उद्गृहीत कोई भी करस्थम् किसी समन, दोषसिद्धि या करस्थम् के वारण्ट या उससे संबंधित अन्य कार्यवाही में प्रक्रिया की त्रुटि के कारण न तो अविधिपूर्ण समझा जायेगा और न ही उसे करने वाला कोई पक्षकार अतिचारी समझा जायेगा और न ही ऐसा

पक्षकार अपने द्वारा तत्पश्चात् की गयी किसी अनियमितता के कारण प्रारम्भ से ही अतिचारी समझा जायेगा, किन्तु ऐसी अनियमितता से व्यथित समस्त व्यक्ति सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में विशेष नुकसान के लिए पूरा अनुतोष वसूल कर सकेंगे।

303. **वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया**— इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन वसूली की किसी अनुज्ञात प्रक्रिया के बदले में या ऐसी प्रक्रिया द्वारा इस अधिनियम के अधीन वसूलीय सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग की या इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी प्रतिकर, व्यय, प्रभार या नुकसानी की सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग की वसूली करने में विफल रहने की दशा में उसके संदाय के दायी व्यक्ति पर सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में वाद लाना नगरपालिका के लिए विधिपूर्ण होगा।

304. **नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद**—(1) नगरपालिका के विरुद्ध या नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध या उनमें से किसी के भी निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी पदीय हैसियत से किये गये या ऐसे किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के लिए तब तक कोई वाद संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका लिखित नोटिस, वाद-हेतुक, चाहे गये अनुतोष का स्वरूप, दावाकृत प्रतिकर की रकम तथा आशयित वादी के नाम और निवास स्थान का स्पष्ट कथन करते हुए नगरपालिका की दशा में उसके कार्यालय में दे दिये जाने और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति की दशा में उसे परिदत्त कर दिये जाने या उसके कार्यालय या निवास स्थान पर दे दिये जाने के पश्चात्, दो मास समाप्त न हो गये हों, तथा

वादपत्र में इस बात का कथन होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार परिदत्त कर दिया गया है या दे दिया गया है।

(2) उप-धारा (1) में यथावर्णित कोई कार्रवाई वाद हेतुकों के उद्भूत होने के पश्चात् अगले छह मास के भीतर ही प्रारम्भ की जायेगी सिवाय उस दशा के जब कि वह स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए या उसके हक की घोषणा के लिए कार्रवाई हो।

(3) उप-धारा (1) की कोई भी बात किसी ऐसे वाद पर लागू नहीं समझी जायेगी जिसमें दावाकृत अनुतोष केवल ऐसा व्यादेश हो जिसका उद्देश्य नोटिस देने अथवा वाद या कार्यवाही के प्रारम्भ को मुलतवी करने से विफल हो जाये।

305. कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का मंजूर नहीं किया जाना.— कोई सिविल न्यायालय किसी वाद के अनुक्रम में,—

(क) किसी नगरपालिका के या उसकी समिति या उप-समिति के किसी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी या कर्मचारी की शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का निर्वहन करने से किसी व्यक्ति को, इस आधार पर अवरुद्ध करते हुए कि ऐसा व्यक्ति ऐसे सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी या कर्मचारी के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त नहीं किया गया है, या

(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को या किसी नगरपालिका या नगरपालिका की समिति या उप समिति को, कोई निर्वाचन करवाने या किसी विशिष्ट रीति से कोई निर्वाचन करवाने से अवरुद्ध करते हुए,

कोई अस्थायी व्यादेश या कोई अन्तरिम आदेश नहीं देगा।

306. **समझौता करने की शक्ति.**— (1) नगरपालिका उसके द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किसी वाद के संबंध में या उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन की गयी किसी संविदा से उद्भूत होने वाले किसी दावे या मांग के संबंध में ऐसी धनराशि या अन्य प्रतिकर पर, जो वह पर्याप्त समझे, प्रशमन या समझौता कर सकेगी:

परन्तु किसी संविदा के किये जाने में यदि कोई मंजूरी इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है तो ऐसी संविदा से उद्भूत होने वाले किसी दावे या मांग का प्रशमन या समझौता करने के लिए भी ऐसी मंजूरी अभिप्राप्त की जायेगी।

(2) नगरपालिका इस अधिनियम के अधीन स्वयं में, उसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों में निहित किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के कारण किसी व्यक्ति को हुए किसी नुकसान के लिए नगरपालिक निधि से प्रतिकर दे सकेगी।

(3) नगरपालिक निधि, नगरपालिका की ओर से अभियोजित या प्रतिवादित किसी सिविल कार्यवाही के व्यय का संदाय करने के दायित्वाधीन होगी।

307. **नगरपालिक अभिलेखों को साबित करने की रीति.**— नगरपालिका के कब्जे में की किसी रसीद, आवेदनपत्र, रेखांक, नोटिस, आदेश की प्रतिलिपि, किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज की प्रविष्टि को यदि उसके वैध अभिरक्षक द्वारा या इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित कर दिया जाये तो उसे उस प्रविष्टि या दस्तावेज की विद्यमानता के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और प्रत्येक मामले में, उसमें अभिलिखित मामलों और संब्यवहारों के साक्ष्य के रूप में वहां तक तथा उस सीमा तक ग्रहण किया जायेगा, जहां तक तथा जिस सीमा तक मूल प्रविष्टि या दस्तावेज, यदि प्रस्तुत किये जाते, तो ऐसे मामले को साबित करने के लिए ग्राह्य होते।

308. **दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों को समन करने पर निर्बन्धन.**— नगरपालिका के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से किसी भी विधिक कार्यवाही में जिसमें नगरपालिका पक्षकार नहीं है, कोई रजिस्टर या दस्तावेज जिसकी विषय-वस्तु पूर्ववर्ती धारा के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा साबित की जा सकती है, प्रस्तुत करने या उसमें अभिलिखित मामलों तथा संव्यवहारों को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में उपसंजात होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक कि विशेष कारण से न्यायालय के आदेश द्वारा ऐसी अपेक्षा न की जाये।

अध्याय 14

नियंत्रण

309. **निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियां.**— (1) राज्य सरकार किसी अधिकारी को निदेशक, स्थानीय निकाय के रूप में चाहे किसी भी पदनाम से हो, नियुक्त कर सकेगी जो ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के द्वारा या अधीन प्रत्यायोजित या प्रदत्त की जायें।

(2) राज्य सरकार इतने अन्य अधिकारियों को भी नियुक्त कर सकेगी जो वह निदेशक की सहायता के लिए ठीक समझे और वे निदेशक के निदेश तथा नियन्त्रण के अधीन रहेंगे।

(3) इस प्रकार नियुक्त अन्य अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे तथा ऐसी स्थानीय अधिकारिता रखेंगे जो उन्हें निदेशक के द्वारा समनुदिष्ट की जाये।

310. **निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की शक्तियां.**— (1) राज्य सरकार द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां होंगी—

- (क) किसी नगरपालिका या उसके नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन किसी संस्था के अधिभोग में की किसी स्थावर सम्पत्ति या उसके अधीन या उसके निदेश या नियंत्रण के अधीन चल रहे किसी कार्य के स्थल में प्रवेश तथा निरीक्षण करने या प्रवेश तथा निरीक्षण करवाने;
- (ख) किसी नगरपालिका की या किसी समिति की कार्यवाहियों से किसी उद्धरण या नगरपालिका के कब्जे के या नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या पुस्तक तथा किसी विवरणी, विवरण, लेखे या रिपोर्ट जिसकी ऐसे नगरपालिका से प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना वह उचित समझे, के लिए अपेक्षा करने की;
- (ग) किसी नगरपालिका से ऐसी आपत्ति पर, जो उसे किसी ऐसी बात के करने के संबंध में जो ऐसी नगरपालिका द्वारा की जाने वाली हो या की जा रही हो, विद्यमान प्रतीत हो, या किसी ऐसी जानकारी पर, जिसे वह प्रस्तुत करने में समर्थ हो और जो उसे नगरपालिका द्वारा कतिपय बातों के किये जाने के लिए आवश्यक प्रतीत हो, विचार करने की तथा ऐसी बात को करने से विरत न रहने या उसे न करने के संबंध में अपने कारण बतलाते हुए युक्तियुक्त समय के भीतर उसे लिखित उत्तर देने की अपेक्षा करने की; और
- (घ) नगरपालिका के किसी मामले में राज्य सरकार द्वारा यथानिदेशित जांच संचालित करने की और सुसंगत

अभिलेख को प्रस्तुत करने की मांग करने के साथ ऐसे अभिलेख को कब्जे में लेने की, जो राज्य सरकार को उसकी जांच रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना है।

(2) ऐसे अधिकारी को, जिसे उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किया जाये, दी गयी समस्त या कोई भी शक्ति उसके द्वारा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, जो उप-खण्ड अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो, प्रत्यायोजित की जा सकेगी।

311. नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति.—राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी भी नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने तथा ऐसी किसी नगरपालिका के अभिलेखों को तलब करने की शक्ति होगी।

312. नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलम्बित करने की शक्ति.— (1) यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत ऐसे किसी अधिकारी की राय में नगरपालिका के किसी आदेश या संकल्प का निष्पादन या किसी काम का किया जाना जो नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से किया जाने वाला हो या किया जा रहा हो, जनता को हानि या क्षोभ पहुंचा रहा है या जिसके पहुंचने की सम्भावना है या उससे शांति भंग होती है या वह नगरपालिका के हित में अहितकर या विधिविरुद्ध है तो वह अपने हस्ताक्षरों से लिखित आदेश द्वारा निष्पादन को निलम्बित कर सकेगा या उस काम के किये जाने को प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(2) जब ऐसा कोई अधिकारी इस धारा के अधीन कोई आदेश करता है तो वह आदेश की एक प्रति उसके किये जाने के कारणों के विवरण सहित राज्य सरकार को तथा उससे प्रभावित नगरपालिका को तत्काल अग्रेषित करेगा और यह राज्य के विवेकाधीन होगा कि वह आदेश

को विखण्डित करे या यह निदेश दे कि वह उपान्तरण सहित या उसके बिना स्थायी रूप से या ऐसी कालावधि के लिए जो वह उचित समझे, प्रवृत्त रहेगा :

परन्तु ऐसे अधिकारी के इस धारा के अधीन पारित किसी भी आदेश को नगरपालिका को उक्त आदेश के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना राज्य सरकार द्वारा पुष्ट, पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जायेगा ।

313. **आपात की दशा में असाधारण शक्तियां.**— (1) आपात की दशा में जिला मजिस्ट्रेट किसी संकर्म के निष्पादन या किसी कार्य के किये जाने के लिए व्यवस्था कर सकेगा जिसे निष्पादित करने या किये जाने के लिए नगरपालिका सशक्त हो और जिसका तुरन्त निष्पादन या किया जाना उसकी राय में जनता के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए आवश्यक हो तथा वह निदेश दे सकेगा कि संकर्म के निष्पादन या कार्य के किये जाने के व्यय का संदाय उसे निष्पादित या कार्य के किये जाने के लिए नियुक्त व्यक्ति को समुचित पारिश्रमिक सहित नगरपालिका द्वारा तत्काल किया जायेगा ।

(2) यदि व्यय तथा पारिश्रमिक का संदाय नहीं किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में उस समय नगरपालिका के निमित्त कोई धन हो, निदेश देते हुए आदेश दे सकेगा कि वह ऐसे धन में से, जो उसके पास हो या जो समय-समय पर उसे प्राप्त हो ऐसे व्यय तथा पारिश्रमिक का संदाय करे और ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

(3) धारा 312 की उप-धारा (2) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन किये गये किसी आदेश पर लागू होंगे ।

314. **आपात समय में नगरपालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अध्यक्षता का अनुपालन.**— युद्ध, अकाल, दुर्भिक्ष, खतरनाक रोग,

बाढ़ या किसी ऐसे ही आपात की दशा में और, मेलों या अन्य अवसरों को, जिनमें काफी संख्या में लोग एकत्रित होते हों, व्यवस्था करने के लिए नगरपालिका, राज्य सरकार द्वारा या अध्यक्षता करने के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, उसके चिकित्सा, जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, टीका, पशु-चिकित्सा, विद्युत्, जल संकर्म या सार्वजनिक निर्माण विभागों में पद धारण करने वाले नगरपालिका के किसी भी अधिकारी या पदधारी की सेवाओं के लिए या नगरपालिका द्वारा नियोजित किसी वैद्य या हकीम की सेवाओं के लिए की गयी किसी अध्यक्षता का, तुरन्त अनुपालन करेगी और अध्यक्षता किये जाने से संबंधित प्रभार के ऐसे अनुपात की पूर्ति करेगी जो राज्य सरकार नगरपालिका पर उचित प्रभार के रूप में विनिश्चित करे।

315. सार्वजनिक संकर्मों के निष्पादन के लिए अभिकरण.- (1)

ऐसे सार्वजनिक संकर्म, जिनके लिए राज्य सरकार की राय में, किसी अंश तक वृत्तिक कुशलता अपेक्षित हो, जो नगरपालिका के प्रबंधनाधीन न हो, राज्य सरकार द्वारा या ऐसे अभिकरण द्वारा जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, कार्यान्वित किये जायेंगे।

(2) नगरपालिका के अन्य समस्त संकर्म इस निमित्त बनाये गये नियमों के अधीन ऐसे अभिकरण द्वारा तथा ऐसे पर्यवेक्षण के अधीन जो नगरपालिका उचित समझे, निष्पादित किये जायेंगे।

(3) जब नगरपालिका के लिए कोई संकर्म राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के आदेशों के अधीन किसी अन्य अभिकरण द्वारा निष्पादित किया जाये तो संकर्म पर उपगत व्यय, पर्यवेक्षण तथा औजारों और संयंत्रों के लिए किये गये प्रभारों सहित ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार समय-समय पर नियत करे, राज्य सरकार या ऐसे अन्य अभिकरण को संदेय होंगे, सिवाय उस दशा के जब कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा अधित्यक्त कर दिया जाये।

(4) यदि उप-धारा (3) के अधीन राज्य सरकार या अन्य अभिकरण को देय रकम का युक्तियुक्त समय के भीतर संदाय नहीं किया जाये तो राज्य सरकार उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिक निधि हो, यह निदेश देते हुए आदेश दे सकेगी कि वह ऐसी निधि में से किसी भी अन्य प्रभार पर पूर्विकता देते हुए उसका संदाय कर दे तथा ऐसा व्यक्ति नगरपालिका की जमा निधि की सीमा तक ऐसे आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

316. राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संकर्मों के संबंध में विशेष उपबन्ध.—(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के लिए किसी भी समय नगरपालिका से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित कार्य करना विधिपूर्ण होगा—

(क) स्थायी प्रकृति के किसी संकर्म या संकर्मों का, जो राज्य सरकार की राय में निवासियों के, चाहे वे किसी नगरपालिका के भीतर के हों या बाहर के, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए आवश्यक या वांछनीय है या हैं; पूर्णतः या भागतः निर्माण करना;

(ख) किसी ऐसे संकर्म के प्रबन्ध तथा अनुरक्षण के कार्य को अपने पास या उसे पूर्णतः या भागतः नगरपालिका को सौंप देना या नगरपालिका से वापस लेना;

(ग) किसी ऐसे संकर्म की पूंजी लागत तथा उसके प्रबन्ध तथा अनुरक्षण की लागत, उस पर ऐसी दर से ब्याज सहित, जो राज्य सरकार नियत करे, नगरपालिक निधि से या इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर या करों के आगमों से वसूल करना।

(2) किसी व्यक्ति का, जिसकी अभिरक्षा में तत्समय, नगरपालिका की ओर से कोई धन हो, यह कर्तव्य होगा कि वह पूर्ववर्ती

उप-धारा के खण्ड (ग) के अधीन नगरपालिका द्वारा संदत्त की जाने वाली राज्य सरकार द्वारा निदिष्ट सभी रकमों का संदाय ऐसे धन से करे, जो उसके पास हो या जो समय-समय पर उसे प्राप्त हो।

317. नगरपालिक मामलों की सरकार द्वारा जांच.- (1) राज्य सरकार अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को किसी नगरपालिका के नगरपालिक प्रशासन से संबंधित किन्हीं मामलों में या ऐसे किन्हीं मामलों की जिनके संबंध में इस अधिनियम के अधीन उसकी मंजूरी, अनुमोदन या सहमति अपेक्षित है, जांच करने का आदेश दे सकेगी।

(2) ऐसी जांच करने वाले अधिकारी को इस प्रयोजनार्थ वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी न्यायालय में निहित हैं:-

- (क) प्रकटीकरण तथा निरीक्षण,
- (ख) साक्षियों को हाजिर कराना तथा उनके व्ययों को जमा कराने की अपेक्षा करना,
- (ग) दस्तावेजों को पेश किये जाने के लिए बाध्य करना,
- (घ) शपथ पर साक्षियों की परीक्षा करना,
- (ङ) स्थगन देना,
- (च) शपथ पत्र पर लिए गये साक्ष्य को ग्रहण करना, और
- (छ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना,

और वह स्वप्रेरणा से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी साक्ष्य उसको तात्विक प्रतीत हो, समन कर सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के अर्थान्तर्गत उसे सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण.— साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजनार्थ राज्य की सीमाएं ही ऐसे अधिकारी की अधिकारिता की सीमाएं होंगी।

(3) साक्ष्य देने के लिए हाजिर होने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उपगत युक्तियुक्त व्यय जांच करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिलवाये जा सकेंगे तथा उसे खर्च का भाग समझा जायेगा।

(4) खर्चों का संदाय राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर होगा और उसको यह निर्धारित करने की कि ऐसे खर्चों का संदाय किसके द्वारा और किसको तथा किस सीमा तक किया जाना है तथा ऐसे खर्चों पर ऐसी दर से ब्याज, जो पंद्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक न हो, अनुज्ञात करने की पूर्ण शक्ति होगी और ऐसे खर्च तथा ब्याज भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होंगे।

318. कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति.— (1) यदि राज्य सरकार की राय में नगरपालिका द्वारा अधिकारियों या कर्मचारियों के रूप में नियोजित या नियोजन के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या या उन व्यक्तियों या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नगरपालिका द्वारा नियत किया गया पारिश्रमिक अत्यधिक हो तो नगरपालिका राज्य सरकार द्वारा अध्यक्षता किये जाने पर उक्त व्यक्तियों या व्यक्ति का पारिश्रमिक कम कर देगी।

(2) राज्य सरकार के लिए इस बात की अपेक्षा करना विधिपूर्ण होगा कि—

- (i) मुख्य नगरपालिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति में नगरपालिका द्वारा, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन या तत्सम प्रवृत्त किन्हीं नियमों के अधीन विधिपूर्वक

उसे प्रत्यायोजित की जा सकने वाली समस्त या कोई शक्तियां विनिहित की जायेंगी;

- (ii) धारा 273 में निर्दिष्ट समस्त या उनमें से कोई शक्ति किसी ऐसी नगरपालिका द्वारा, चाहे वहां कोई मुख्य नगरपालिक अधिकारी हो या नहीं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को, जो राज्य सरकार उचित समझे, प्रत्यायोजित कर दी जायेगी।

(3) उप-धारा (2) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) के अधीन किसी नगरपालिका को जारी की गयी किसी अध्यक्ष का ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार प्रत्येक मामले में इस निमित्त विहित करे, अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य सरकार को किसी नगरपालिका में कर्मचारियों की आवश्यकता निर्धारित करने की शक्ति होगी और जहां उसका यह समाधान हो जाये कि कतिपय कर्मचारी अधिक हैं वहां नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के किसी भी वर्ग की सेवा को शासित करने वाले तत्समय प्रवृत्त नियमों में अर्न्तविष्ट किसी बात के होने पर भी, वह उन्हें अतिशेष घोषित कर सकेगी और वह रीति, जिससे अतिशेष कर्मचारी अन्य नगरपालिकाओं में आमेलित किये जायेंगे, विहित कर सकेगी।

319. नगरपालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालना की व्यवस्था करने की सरकार की शक्ति.— (1) जब राज्य सरकार को शिकायत द्वारा या अन्यथा सूचना मिलती है कि किसी नगरपालिका ने इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के अनुपालन में व्यतिक्रम किया है, तो राज्य सरकार सम्यक् जांच करने के पश्चात्, यदि उसका समाधान हो जाये कि नगरपालिका

अभिकथित व्यतिक्रम की दोषी है, उस कर्तव्य का अनुपालन कराने के लिए कालावधि नियत कर सकेगी।

(2) यदि नियत कालावधि के भीतर उस कर्तव्य का अनुपालन न किया जाये तोराज्य सरकार उसका अनुपालन कराने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी और यह निदेश दे सकेगी कि उसका अनुपालन कराने के लिए नियुक्त व्यक्ति को युक्तियुक्त पारिश्रमिक सहित, उसका अनुपालन करने के व्यय का संदाय नगरपालिका द्वारा तुरन्त किया जायेगा।

(3) यदि व्यय तथा पारिश्रमिक का इस प्रकार संदाय न किया जाये, तो राज्य सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में तत्समय, नगरपालिका की ओर से कोई धन राशियां हों, ऐसी धन राशियों में से जो उसके पास जमा हों या समय-समय पर उसे प्राप्त हों, ऐसे व्यय तथा पारिश्रमिक का संदाय करने का निदेश देते हुए आदेश कर सकेगी और ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

320. नगरपालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग.— जब नयी नगरपालिका का सृजन किया जाये, तो ऐसा अधिकारी, समिति या प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाये, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नगरपालिका की स्थापना होने तक नगरपालिका की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन कर सकेगा और ऐसे अधिकारी, समिति या प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नगरपालिका समझा जायेगा :

परन्तु हमेशा ऐसा अधिकारी, समिति या प्राधिकारी, नगरपालिका के सृजन के छह मास के भीतर प्रथम निर्वाचन करवाने तथा नगरपालिका का गठन हो जाने के पश्चात् शीघ्रता से उसके द्वारा कर्तव्य ग्रहण किये जाने की व्यवस्था करेगा:

परन्तु यह और कि ऐसा अधिकारी, समिति या प्राधिकारी कोई नया कर प्रस्तावित या अधिरोपित करने और उप-विधियां बनाने का हकदार नहीं होगा।

321. उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिक निधि है सरकारी देयों का संदाय करने का निदेश देने की सरकार की शक्ति.— यदि कोई नगरपालिका राज्य सरकार को देय किसी रकम का संदाय करने में व्यतिक्रम करे तो राज्य सरकार नगरपालिक निधि की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति को ऐसी निधि में से किसी अन्य प्रभार के संदाय पर पूर्विकता देते हुए उसका संदाय करने का निदेश देते हुए आदेश कर सकेगी और ऐसा व्यक्ति नगरपालिका की जमा निधि की सीमा तक, ऐसे आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

322. क्षमता न होने या दो-तिहाई से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगरपालिका को विघटित करने की सरकार की शक्ति.—(1) यदि किसी समय राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि कोई नगरपालिका इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन या किसी अन्य विधि द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है या उनका पालन करने में बारबार व्यतिक्रम करती है या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग करती है तो राज्य सरकार ऐसा करने के कारण बताते हुए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा घोषणा कर सकेगी कि ऐसी नगरपालिका अक्षम या व्यतिक्रमी है, या, यथास्थिति, उसने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है, और विघटन के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसी नगरपालिका को विघटित कर सकेगी:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नगरपालिका को अपने अध्यक्ष के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का तथा सुने जाने का यदि नगरपालिका ऐसा चाहे तो, युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो:

परन्तु यह और कि इस उप-धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा—

(i) जब तक कि राज्य सरकार ने नगरपालिका के विरुद्ध आरोपों को स्पष्टतः लेखबद्ध करते हुए विवरण तैयार न कर लिया हो तथा उसे विहित रीति से जांच करने तथा निष्कर्ष निकालने के लिए विहित रीति से गठित अधिकरण को, जिसमें एक अध्यक्ष तथा कम से कम दो सदस्य होंगे, न भेज दिया हो, या

(ii) जब तक कि वह ऐसे निष्कर्षों के अनुरूप न हो।

स्पष्टीकरण.—यदि किसी भी कारण से किसी नगरपालिका में रिक्तियों की संख्या स्थानों की कुल संख्या के दो—तिहाई से अधिक हो तो नगरपालिका को उस पर इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने के लिए सक्षम नहीं समझा जायेगा।

(2) राज्य सरकार किसी नगरपालिका को विघटित करेगी यदि किसी भी समय उसके निर्वाचित सदस्य उसके कुल सदस्यों के दो तिहाई से कम रह जायें।

(3) जब किसी नगरपालिका को उप-धारा (1) या इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के अधीन विघटित कर दिया जाये तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे:—

(क) नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए उसके सभी सदस्य, विघटन के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख को अपने—अपने पद रिक्त कर देंगे किन्तु इससे पुनर्निर्वाचन या पुनर्नियुक्ति की उनकी पात्रता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(ख) विघटन की कालावधि के दौरान नगरपालिका की सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन ऐसे

अधिकारी के द्वारा प्रशासक के रूप में किया जायेगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे।

(4) किसी नगरपालिका को गठित करने के लिए कोई निर्वाचन उसके विघटन की तारीख से छह मास की कालावधि समाप्त होने के पूर्व पूरा किया जायेगा:

परन्तु जहां वह शेष कालावधि जिस तक, विघटित नगरपालिका बनी रहती, छह मास से कम हो, वहां ऐसी कालावधि के लिए नगरपालिका को गठित करने के लिए इस उप-धारा के अधीन कोई भी निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(5) अपनी कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नगरपालिका के विघटन पर गठित कोई नगरपालिका उस शेष कालावधि तक के लिए ही बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका धारा 7 के अधीन तब बनी रहती यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की गयी होती।

(6) इस धारा के अधीन किये गये विघटन का कोई आदेश उसके किये जाने के पश्चात् उसके कारणों के कथन के साथ राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष, यथाशक्य शीघ्र रखा जायेगा।

323. नगरपालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद.— (1) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले के संबंध में यदि नगरपालिका तथा एक या अधिक अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच कोई विवाद, जिसके विनिश्चय के लिए इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्ध नहीं है, विद्यमान हो तथा विवाद का सौहार्दपूर्ण रूप से समझौता नहीं होता है तो—

(क) यदि विवाद उसी जिले की किसी अन्य नगरपालिका से या किसी पंचायत से हो तो कलक्टर विवाद का संज्ञान कर सकेगा और स्वयं उसका विनिश्चय कर सकेगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा ; और

(ख) अन्य सभी मामलों में मामला संभागीय आयुक्त को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विवाद का संज्ञान कर सकेगा और उसका विनिश्चय कर सकेगा तथा संभागीय आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा कोई वाद ग्रहण नहीं किया जायेगा।

324. **नगरपालिका और नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण या किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच विवाद.**— किसी नगरपालिका और किसी भी नगर विकास न्यास, नगर विकास प्राधिकरण, आवासन बोर्ड या किसी भी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच क्षेत्रीय और कृत्यकरण सम्बन्धी अधिकारिता से सम्बन्धित समस्त विवाद, यदि सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं होते तो उन्हें राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और ऐसे मामले पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

325. **सरकार की नगरपालिकाओं की उप-विधियों तथा नियमों को रद्द या उपान्तरित करने की शक्ति.**— (1) राज्य सरकार किसी भी समय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी नगरपालिका द्वारा बनाये गये किसी भी नियम या उप-विधि को पूर्णतः या भागतः निरसित या उपान्तरित कर सकेगी:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व राज्य सरकार नगरपालिका को वे आधार, जिन पर वह ऐसा करने की प्रस्थापना करती है, संसूचित करेगी, प्रस्थापना के विरुद्ध हेतुक-दर्शित करने के लिए नगरपालिका के लिए युक्तियुक्त कालावधि नियत करेगी तथा नगरपालिका के स्पष्टीकरण तथा आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी।

(2) किसी नियम या उप-विधियों का निरसन या उपान्तरण, यदि अधिसूचना में कोई तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गयी हो तो राजपत्र में

उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा तथा ऐसी तारीख से पूर्व की गयी या लोपित या सहन की गयी किसी बात को प्रभावित नहीं करेगी।

326. **सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन.**— (1) राज्य सरकार द्वारा धाराओं 3,6,7,67,94,102,103,107,111,142,297,318,322,325,337,339 और 340 या इस धारा के प्रयोक्तव्य शक्तियों या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन अपील प्राधिकारी नियुक्त करने की शक्ति को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन की अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों को अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार यह आदेश भी कर सकेगी कि इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध द्वारा या उसके अधीन या उसके अनुसरण में किसी कलक्टर या राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए ऐसे किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसे आदेश में नामित किया जाये।

327. **अभिलेख मंगवाने की शक्ति.**— (1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी नगरपालिका, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, किसी सदस्य या अधिकारी के द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन पारित या पारित किया गया तात्पर्यित किसी आदेश या संकल्प की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में समाधान करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत अभिलेख मंगा सकेगा तथा ऐसा करते समय निदेश दे सकेगा कि ऐसे अभिलेख की परीक्षा होने तक ऐसे आदेश या संकल्प को आस्थगित रखा जायेगा और राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी परीक्षा करने या उप-धारा (2) के अधीन आदेश पारित होने तक उसके बारे में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(2) राज्य सरकार या यथा पूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी, अभिलेख की परीक्षा करने पर ऐसे आदेश या संकल्प को विखंडित कर सकेगा, उलट सकेगा या उपान्तरित कर सकेगा और राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त अधिकारी का आदेश अंतिम और नगरपालिका पर बाध्यकारी होगा।

अध्याय 15

कर्मचारिवृन्द

328. राजस्थान नगरपालिक सेवा का सृजन.— (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, सम्पूर्ण राज्य के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिक सेवा के नाम से एक सेवा सृजित तथा गठित की जायेगी, जिसे इसमें इसके पश्चात् सेवा कहा गया है।

(2) सेवा विभिन्न प्रवर्गों में विभाजित की जायेगी, प्रत्येक प्रवर्ग को विभिन्न श्रेणियों में उप-विभाजित किया जायेगा तथा उसमें प्रशासनिक तथा तकनीकी अधिकारी समाविष्ट होंगे।

329. नगरपालिकाओं का वर्गीकरण.— (1) सेवा के सृजन और गठन के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) राज्य की नगरपालिकाओं को उनकी आय या अन्य कारकों जैसे जनसंख्या या स्थानीय क्षेत्र के महत्व और अन्य परिस्थितियों के अनुसार वर्गों में विभाजित कर सकेगी, और

(ख) किसी नगरपालिका को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में अन्तरित कर सकेगी।

(2) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ऐसी ही अधिसूचना द्वारा उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक वर्ग में सम्मिलित सभी

नगरपालिकाओं के लिए सेवा के विभिन्न पदनामों वाले विभिन्न पदों के लिए एक समान वेतनमान भी विहित कर सकेगी।

330. **सेवा में के पदों पर भर्ती.**— (1) सेवा के सृजन तथा गठन पर उसमें के सभी पदों पर नियुक्तियां धारा 337 के अधीन के किन्हीं नियमों के अध्यक्षीन और धारा 339 के अधीन बनाये गये नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 332, 333 या, यथास्थिति, 335 के उपबंधों के अनुसार ही की जायेंगी:—

(क) सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) पदोन्नति द्वारा,

(ग) स्थानान्तरण द्वारा, या

(घ) आपवादिक मामले में, जब नगरपालिक सेवा में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो, प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) राज्य सरकार वे निबंधन और शर्तें अधिकथित करेगी जिन पर राज्य सेवा से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्तियां की जायेंगी।

(3) राज्य सरकार के अनुमोदन से तथा ऐसे सामान्य या विशेष निदेशों के अनुरूप, जो वह समय-समय पर जारी करे, किसी नगरपालिका के किसी अधिकारी या कर्मचारी को, जो सेवा का सदस्य हो, किसी अन्य नगरपालिका की सेवा में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(4) नगरपालिका के लिए निम्नलिखित विधिपूर्ण नहीं होगा,—

(क) राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना राज्य सरकार के किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी या कर्मचारी को लेना,

(ख) राज्य सरकार के आदेशों को प्राप्त किये बिना किसी अधिकारी या कर्मचारी को पदमुक्त कर देना,

(ग) किसी अधिकारी या कर्मचारी को ड्यूटी ग्रहण कराने से मना कर देना या अनुमति नहीं देना, जब ऐसा

कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरित या प्रतिनियुक्त किया गया हो।

331. **आयोग से परामर्श.**— (1) सेवा के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग से, जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है, संविधान के अधीन उसके अपने कृत्यों के अतिरिक्त, निम्न विषयों पर भी परामर्श ली जायेगी,—

(क) सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों से संबंधित सभी मामलों पर, और

(ख) सेवा के सदस्यों को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनिक मामलों पर।

(2) आयोग का, उप-धारा (1) के अधीन उसे निर्दिष्ट किसी भी मामले पर सलाह देने का कर्तव्य होगा।

(3) आयोग का यह भी कर्तव्य होगा कि वह सेवा में या किसी श्रेणी या उसके प्रवर्ग में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं, यदि आवश्यक हों, संचालित कराये।

(4) आयोग, संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (2) के अधीन प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस धारा के अधीन सेवा के संबंध में आयोग द्वारा किये गये कार्य के बारे में एक रिपोर्ट सम्मिलित तथा समाविष्ट करेगा तथा ऐसी रिपोर्ट पर उक्त अनुच्छेद के उक्त खण्ड में यथाउपबंधित रीति से विचार किया जायेगा।

332. **राजस्थान नगरपालिक प्रशासनिक सेवा.**— (1) इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों तथा धारा 337 के अधीन बनाये गये नियमों या इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध के अध्याधीन रहते हुए, राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त करेगी —

(i) प्रत्येक नगर निगम के लिए एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

- (ii) प्रत्येक नगर निगम और नगर परिषद् के लिए ऐसी संख्या में आयुक्त, जो अवधारित की जाये,
- (iii) प्रत्येक नगरपालिक बोर्ड के लिए कार्यपालक अधिकारी,
- (iv) ऐसे प्रत्येक नगर निगम या नगर परिषद्, जो आयुक्त के अतिरिक्त, सचिव नियुक्त करने का संकल्प करे, के लिए एक सचिव, और
- (v) किसी भी नाम और पदनाम से, कोई भी अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जो आवश्यक समझा जाये।

(2) धारा 333 या धारा 335 के अधीन या इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन नियुक्त सभी अधिकारी तथा कर्मचारी किसी नगर निगम, परिषद् और नगरपालिक बोर्ड में के क्रमशः मुख्य नगरपालिक अधिकारी, आयुक्त और कार्यपालक अधिकारी के अधीनस्थ होंगे।

(3) मुख्य नगरपालिक अधिकारी, आयुक्त, या, यथास्थिति, कार्यपालक अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित या उसे प्रत्यायोजित कर्तव्यों के अतिरिक्त, नगर निगम या नगर परिषद् या नगरपालिक बोर्ड के महापौर या सभापति या, यथास्थिति, अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण के अधीन रहते हुए,—

- (क) नगरपालिका के वित्तीय और कार्यपालक नगरपालिक प्रशासन पर निगरानी रखेगा,
- (ख) नगरपालिका के लेखाओं की संपरीक्षा के प्रक्रम में उसके नोटिस में लायी गयी या संपरीक्षा-रिपोर्ट में इंगित की गयी किसी त्रुटि या अनियमितता को दूर करने के लिए त्वरित उपाय करेगा,

- (ग) नगरपालिका के धन या सम्पत्ति के प्रति कपट, गबन, चोरी या हानि के सभी मामलों की रिपोर्ट करेगा,
- (घ) निगम या परिषद् या बोर्ड द्वारा चाही गयी कोई विवरणी, विवरण, लेखे या रिपोर्ट या उसके प्रभार में का कोई अन्य दस्तावेज या उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा, और
- (ङ) किसी बैठक में विचाराधीन किसी मामले के संबंध में स्पष्टीकरण देगा किन्तु उसमें "उस" पर मत नहीं डालेगा या उस पर कोई प्रतिपादन नहीं करेगा।

333. **राजस्थान नगरपालिक तकनीकी सेवा.**— (1) यथापूर्वोक्त के अध्यक्षीन, राज्य सरकार यदि वह आवश्यक समझे तो इस अधिनियम के अधीन ऐसे विशेष या तकनीकी कर्तव्यों के, जो विहित किये जायें, अनुपालन के लिए स्वास्थ्य अधिकारी, नगरपालिक-अभियंता, जो सहायक अभियंता से नीचे की पंक्ति का न हो, राजस्व अधिकारी, निर्धारक, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, विधि अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन नियुक्त अधिकारियों के बीच कार्य का वितरण अध्यक्ष के अनुमोदन से मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

334. **कर्मचारिवृन्द की संख्या का अवधारण.**— राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं साधारण या विशेष निदेशों के अध्यक्षीन, कोई नगरपालिका संकल्प द्वारा नगरपालिका के लिए अपेक्षित सफाई निरीक्षकों,

अन्य निरीक्षकों, और लेखाकारों तथा लिपिकवर्गीय स्थापन तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या अवधारित कर सकेगी।

335. अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय स्थापन तथा अन्य कर्मचारीगण—

(1) धारा 330 और 331 के उपबंधों या धारा 337 के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबंधों या राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य निदेशों या अधिरोपित निर्बन्धनों या इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के अध्यधीन रहते हुए सफाई निरीक्षक या अन्य निरीक्षक या अधीनस्थ कर्मचारी या लेखाकार या लिपिकवर्गीय स्थापन का कोई सदस्य नगरपालिका द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) धारा 337 के अधीन किन्हीं भी नियमों या इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के अध्यधीन रहते हुए अन्य पदों पर नियुक्तियां, चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी, अध्यक्ष के अनुमोदन से मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा की जायेंगी।

(3) इस धारा के अधीन नियुक्त ऐसे कर्मचारिवृन्दों को मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा, सेवा से पदच्युत या हटाये जाने के दण्ड के सिवाय दण्डित करना विधिपूर्ण होगा।

(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार पदच्युत किया जा सकेगा, हटाया जा सकेगा या अन्यथा दण्डित किया जा सकेगा, ऐसी पदच्युति, हटाया जाना या दण्ड, विहित समय सीमा के भीतर-भीतर निम्नलिखित को अपील के अधिकार के अध्यधीन होगा,—

- (i) राज्य सरकार को, यदि आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, नगरपालिका द्वारा पारित किया गया है, और

(ii) नगरपालिका को यदि ऐसा आदेश मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा पारित किया गया है।

336. एक नगरपालिका से दूसरी में स्थानान्तरण.— (1) नगरपालिका के ऐसे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को, जो किसी अधीनस्थ सेवा, लिपिकवर्गीय सेवा या चतुर्थ श्रेणी सेवा का सदस्य हो, राज्य सरकार द्वारा, एक नगरपालिका की सेवा से दूसरी नगरपालिका की सेवा में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(2) नगरपालिका के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को, राज्य सरकार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण या जोधपुर विकास प्राधिकरण या राजस्थान आवासन बोर्ड या किसी भी नगर सुधार न्यास या किसी भी अन्य स्थानीय निकाय में ऐसे पद पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा, जिसका वेतनमान स्थानान्तरित किये जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी के वेतनमान से निम्नतर न हो:

परन्तु इस प्रकार स्थानान्तरित अधिकारी या कर्मचारी का धारणाधिकार पैतृक नगरपालिका में बना रहेगा और जब कभी उस नगरपालिका में उसके संवर्ग में उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाये तो उस पर आगे की पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

अध्याय 16

नियम, विनियम और उप-विधियां

337. राज्य सरकार की नियम बनाने तथा आदेश पारित करने की शक्ति.— (1) राज्य सरकार सामान्यतः इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी या आदेश कर सकेगी और किसी ऐसी कार्यवाही के लिए प्ररूप विहित कर सकेगी जिसके लिए वह समझे कि प्ररूप उपबंधित किया जाना चाहिए।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों पर नियम बनायेगी:-

- (i) इस अधिनियम द्वारा, विहित किये जाने के लिए, अभिव्यक्ततः अनुज्ञात सभी मामलों के संबंध में;
- (ii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के आबंटन की रीति विहित करने के लिए;
- (iii) निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण, उपांतरण, अद्यतन करने और प्रकाशन से संबंधित सभी मामलों के संबंध में;
- (iv) वे विशिष्टियां, जो एक से अधिक स्थानों पर निर्वाचन से अभ्यर्थिता के प्रत्याहरण के लिए दिये गये नोटिस में अन्तर्विष्ट होंगी, विहित करने के लिए;
- (v) वह रीति, जिससे निर्वाचन में मत दिये जायेंगे और वह रीति जिससे मतदान मशीनों से मत दिये जायेंगे और अभिलिखित किये जायेंगे, विहित करने के लिए;
- (vi) निर्वाचन याचिका को प्रस्तुत करने, निर्वाचन याचिका का निपटारा करने में जिला न्यायाधीश द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और प्रयोग की जाने वाली शक्तियों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में;

- (vii) वह प्ररूप, जिसमें किसी सदस्य द्वारा अपना पदग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान किया जायेगा, विहित करने के लिए ;
- (viii) वह रीति विहित करने के लिए जिसमें कोई न्यायिक अधिकारी किसी सदस्य के विरुद्ध आरोप की जांच करेगा और धारा 39 की उप-धारा (5) के खण्ड (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट मामलों से भिन्न वे मामले विहित करने के लिए जिनके संबंध में न्यायिक अधिकारी को उपरोक्त आरोपों की जांच करते समय किसी सिविल न्यायालय की शक्ति होगी;
- (ix) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की रीति और अध्यक्षों के पदों को आरक्षित करने की रीति विहित करने के लिए और ऐसे मासिक भत्ते और सुविधाएं, जो अध्यक्ष को नगरपालिक निधि में से अनुज्ञात की जा सकेंगी, विहित करने के लिए;
- (x) धारा 48 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट से भिन्न कार्यपालक कृत्य विहित करने के लिए;
- (xi) मुख्य नगरपालिक अधिकारी की शक्तियां विहित करने के लिए;
- (xii) वह रीति विहित करने के लिए जिसमें किसी अध्यक्ष या किसी उपाध्यक्ष के पद का प्रभार सौंपा जायेगा;

- (xiii) नगरपालिका की बैठक के कारबार के संचालन के लिए प्रक्रिया विहित करने के लिए;
- (xiv) किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष से प्रश्न पूछने और नगरपालिका के प्रशासन से संसक्त मामलों पर संकल्प प्रस्तुत करने की रीति विहित करने के लिए;
- (xv) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने का प्रस्ताव करने और उस पर विचार करने की रीति विहित करने के लिए;
- (xvi) धारा 55 के अधीन गठित समितियों की शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों और बैठकों के संचालन की प्रक्रिया विहित करने के लिए;
- (xvii) वे निर्बन्धन, सीमाएं और शर्तें विहित करने के लिए जिनके अध्यक्ष रहते हुए, ऐसी शक्तियां, कर्तव्य या कार्यपालक कृत्य, जिनका नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग, निर्वहन या पालन किया जायेगा, समितियों को प्रत्यायोजित किये जा सकेंगे, और किसी सदस्य को अध्यक्ष की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य को प्रत्यायोजित करने के लिए नगरपालिका की बैठक बुलाने की रीति विहित करने के लिए;
- (xviii) वे निर्बन्धन और शर्तें जिन पर और वे प्रभार या प्रीमीयम, जिनके संदाय के अध्यक्षीन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ख के अधीन नगरपालिका के नियंत्रण के अधीन रखी

- हुई समझी गयी भूमि नगरपालिका द्वारा आबंटित या नियमित की जा सकेगी, विहित करने के लिए;
- (xix) स्थावर सम्पत्ति और भूमि के विक्रय या व्ययन को नियमित करने के लिए;
- (xx) नगरपालिका सीमाओं में स्थित नगरीय भूमि के अभिलेखों को तैयार करने और उनके रख-रखाव हेतु रीति विहित करने के लिए;
- (xxi) धारा 79 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट से भिन्न लेखा शीर्ष विहित करने के लिए और वह रीति और प्ररूप विहित करने के लिए जिसमें लेखा रखे जायेंगे;
- (xxii) वह रीति विहित करने के लिए जिसमें नगरपालिक निधि से संदाय किये जायेंगे;
- (xxiii) बजट प्राक्कलनों को तैयार करने, प्रस्तुत करने, अंगीकार करने, लेखा और तुलनपत्र इत्यादि को तैयार करने और उनके रख-रखाव से संबंधित समस्त मामलों के संबंध में, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में अधिशेष धन के अन्तरण के लिए;
- (xxiv) धारा 102 के अधीन करों के अधिरोपण और उद्ग्रहण की दर, तारीख और रीति विहित करने के लिए;
- (xxv) वह रीति विहित करने के लिए जिसमें नगरपालिका के दिवस-प्रतिदिवस के लेखाओं की आंतरिक संपरीक्षा की जा सकेगी;

- (xxvi) वह प्ररूप, जिसमें निर्धारक की अध्यक्षता पर स्वामी या अधिभोगी द्वारा विवरणी दी जायेगी, विहित करने के लिए;
- (xxvii) व्यतिक्रमी की संपत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए वारण्ट का प्ररूप विहित करने के लिए और वह रीति विहित करने के लिए जिसमें कुर्क की गयी संपत्ति का विक्रय किया जा सकेगा;
- (xxviii) वह रीति विहित करने के लिए जिसमें नगरपालिका को कोई उधार मंजूर करने या उसके द्वारा लिए गये उधार हेतु प्रत्याभूति देने के प्रयोजन के लिए नगरपालिका की प्रतिसंदाय क्षमता अभिनिश्चित की जायेगी;
- (xxix) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्राइवेट सेक्टर सहभागिता के करारों के प्रकार विहित करने के लिए;
- (xxx) नगर विकास योजना में सम्मिलित किये जाने वाले अध्याय, सामग्री और स्कीमों को विहित करने के लिए;
- (xxxi) वह रीति विहित करने के लिए जिसमें महानगर योजना के लिए समिति के निर्वाचित सदस्य चुने जायेंगे;
- (xxxii) वह सीमा विहित करने के लिए जहां तक किसी भी स्कीम में निःशक्त, विकलांग और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों और असहाय बुजुर्ग व्यक्तियों सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,

- पिछड़े वर्गों और समाज के कमजोर तबके के सदस्यों के लिए आवास स्थान उपलब्ध करवाने के प्रयोजन के लिए भूमि आरक्षित की जा सकेगी;
- (xxxiii) विभिन्न लोक सुविधाओं के लिए लोक और निजी मार्गों की अधोमृदा में रास्ते के विनिर्दिष्ट अधिकारों की मंजूरी नियमित करने के लिए;
- (xxxiv) भूमि के उपयोग के परिवर्तन के लिए संपरिवर्तन प्रभारों की दरें विहित करने के लिए और वह रीति विहित करने के लिए जिसमें भूमि के उपयोग के परिवर्तन के संबंध में आक्षेप आमंत्रित और सुने जायेंगे;
- (xxxv) वह रीति और समय विहित करने के लिए, जिसमें सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कानूनी निकाय या कंपनी या संस्था के स्वामित्वाधीन या अधिभुक्त भवनों में जल संग्रहण संरचना उपलब्ध करायी जायेगी;
- (xxxvi) वे सीमाएं, निर्बन्धन और शर्तें विहित करने के लिए जिनके अध्यक्षीन रहते हुए, नगरपालिका खतरनाक रोगों के निवारण के संबंध में शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी;
- (xxxvii) वे सीमाएं, निर्बन्धन और शर्तें विहित करने के लिए जिनके अध्यक्षीन रहते हुए, नगरपालिका उसको धारा 274 के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी;

- (xxxviii) राज्य नगरपालिका संघ के कृत्य विहित करने के लिए;
- (xxxix) जांच और निष्कर्षों के लिए अधिकरण को नगरपालिका के विरुद्ध आरोपों का विवरण भेजने की रीति विहित करने के लिए; और अधिकरण के गठन की रीति विहित करने के लिए;
- (xl) ऐसे विशेष या तकनीकी कर्तव्य, जिनका राजस्थान नगरपालिक तकनीकी सेवा में नियुक्त अधिकारियों द्वारा पालन किया जायेगा, विहित करने के लिए; और
- (xli) राजस्थान नगरपालिका सेवा के संबंध में सेवा के निबंधन और शर्तें विहित करने के लिए।

(3) कोई नियम, सभी नगरपालिकाओं के लिए या उन सभी नगरपालिकाओं के लिए जो इसके प्रवर्तन से अभिव्यक्त रूप से छूट प्राप्त न हों, सामान्य हो सकेगा अथवा किसी एक या अधिक नगरपालिकाओं के पूर्ण या किसी भाग के लिए विशेष हो सकेगा, जैसा राज्य सरकार निदेश दे।

(4) धाराओं 339 और 340 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, यदि नगरपालिका विहित किये गये अनुसार किन्हीं नियमों या उप-विधियों को बनाने में विफल रहती है और राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए इसे आवश्यक समझती है, तो वह धाराओं 339 और 340 में प्रगणित मामलों के लिए भी नियम और उप-विधियां बना सकेगी।

(5) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियम और आदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को या से प्रभावी होंगे।

(6) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिवस से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की, समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण, उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

338. राज्य सरकार की विनियम बनाने की शक्ति.— (1) धारा 337 अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, मानव स्वास्थ्य के परिरक्षण, या लोक स्थानों और मार्गों में जनता की सुरक्षा अथवा सुविधा या रिकशा खींचने-वालों की बेहतरी के प्रयोजन के लिए मार्गों और लोक स्थानों में रिकशे चलाने, उनके खींचे जाने के उपयोग को (शनैः शनैः उसे उत्सादित करने की दृष्टि से) विनियमित अथवा प्रतिषिद्ध करने के लिए और रिकशा खींचने वालों के काम के घण्टों को विनियमित करने के लिए विनियम द्वारा उपबंध कर सकेगी।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम द्वारा—

(क) वह तारीख विहित की जा सकेगी जिसको और जिसके पश्चात् मार्गों और लोक स्थानों में रिकशे नहीं चलाये

जायेंगे, नहीं खींचे जायेंगे अथवा उपयोग में नहीं लाये जायेंगे;

(ख) यह उपबंधित किया जा सकेगा कि रिक्शों और रिक्शा खींचने वालों को नयी अनुज्ञप्तियाँ नहीं दी जायेंगी;

(ग) रिक्शों की और रिक्शा खींचने वालों की अनुज्ञप्तियों की इस शर्त के अध्यक्षीन मंजूरी और नवीकरण के लिए उपबंध किया जा सकेगा कि किसी रिक्शे की अनुज्ञप्ति केवल खींचने वाले के नाम में ही मंजूर या नवीकृत की जायेगी;

(घ) किसी भी क्षेत्र में प्रचालित या निकट भविष्य में संभवतः प्रचालित होने वाले रिक्शों की या किसी अन्य वर्ग के लोक वाहनों की पर्याप्तता को, अथवा उस क्षेत्र में यातायात परिस्थितियों को देखते हुए रिक्शे खींचने वालों की सुरक्षा या सुविधा को ध्यान में रखकर उस क्षेत्र में रिक्शों की संख्या, जिसके लिए अनुज्ञप्तियाँ मंजूर या नवीकृत की जा सकेंगी, समय-समय पर सीमित करने के लिए किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को प्राधिकृत करने के लिए उपबंध किया जा सकेगा;

(ङ) किसी रिक्शे को चला सकने की ऐसी अधिकतम चालन-कालावधि, जिसकी समाप्ति के पश्चात् वह चलाये जाने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा, विहित की जा सकेगी;

(च) वह रीति जिससे रिक्शा अथवा रिक्शा खींचने वालों की संख्या शनैः शनैः कम की जा सके और वे सिद्धांत,

जो ऐसी कमी करने के लिए अनुसरणीय हो, विहित किये जा सकेंगे,

- (छ) रिक्शों की और रिक्शा खींचने वालों की अनुज्ञप्ति की मंजूरी और उसके नवीकरण के निबंधन विहित किये जा सकेंगे;
- (ज) इस धारा के अधीन मंजूर या नवीकृत की जाने वाली अनुज्ञप्तियों के लिए संदेय फीस विहित की जा सकेगी ;
- (झ) रिक्शों का आकार और डिजाइन तथा अनुज्ञप्तियों की मंजूरी अथवा नवीकरण की शर्तें विहित की जा सकेंगी ;
- (ञ) रिक्शे खींचने वालों के लिए अनुज्ञेय आयु-सीमाओं के प्रति विशेष निर्देश के साथ उनकी शारीरिक समर्थता का स्तर विहित किया जा सकेगा;
- (ट) रिक्शे खींचने वालों द्वारा चिकित्सीय परीक्षा के लिए संदत्त की जाने वाली फीस विहित की जा सकेगी;
- (ठ) वह कार्यालय अथवा प्राधिकारी, जिसको और वह मामला जिसके बारे में अपीलें हो सकेंगी, विहित किये जा सकेंगे;
- (ड) रिक्शों के विसंक्रमण के लिए उपबंध किया जा सकेगा;
- (ढ) रिक्शे के स्वामी अथवा रिक्शा खींचने या चलाने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी नियम के अतिक्रमण के लिए शास्तियाँ विहित की जा सकेंगी;
- (ण) सवारियों की अधिकतम संख्या अथवा भार या दोनों को, जिन्हें रिक्शे में किसी एक बार में ले जाया जा सकेगा, विहित किया जा सकेगा;

(त) किन्हीं भी विनियमों के उल्लंघन के लिए अपराध को तथा उस मजिस्ट्रेट के वर्ग को, जिसके द्वारा विनियमों के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया जायेगा, विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा; और

(थ) किसी ऐसे रिक्शे, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है या किया जा रहा है, के अभिग्रहण सहित अनुपूरक तथा आनुषंगिक उपबंध विहित किये जा सकेंगे।

(3) इस धारा के अधीन विनियम बनाने की शक्ति, उनके पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाये जाने की शर्त के अधीन है।

स्पष्टीकरण.— I. इस धारा के प्रयोजन के लिए, रिक्शा से साधारणतः इस नाम से जाना जाने वाला कोई साइकिल-रिक्शा, या कोई पहियेदार गाड़ी अभिप्रेत है जो किसी साइकिल में फिक्स की हुई हो या लगी हुई हो तथा जो मानव बल से चलायी या खींची जाती हो और जो सवारियों तथा माल के लिए वाहन के रूप में उपयोग में लायी जाती हो तथा इसके अन्तर्गत साइकिल रिक्शा गाड़ी आती है किन्तु निम्नलिखित इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं—

(क) कोई बच्चा गाड़ी,

(ख) किसी अशक्त व्यक्ति को ले जाने के लिए उपयोग में लायी जाने वाली पहियेदार गाड़ी, और

(ग) माल ले जाने के लिए उपयोग में लायी जाने वाली पहियेदार गाड़ियों के ऐसे वर्ग, जो विहित किये जायें।

स्पष्टीकरण.— II. उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति “खींचने वाला” से, ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपनी जीविका मुख्यतः वैयक्तिक रूप से रिक्शा चलाकर उपार्जित करता हो।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त विनियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिवस से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की, समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं विनियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई विनियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे विनियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

339. नगरपालिका की नियम बनाने की शक्ति.—प्रत्येक नगरपालिका निम्नलिखित के विषय में ऐसे नियम बनायेगी जो इस अधिनियम या धारा 337 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों से असंगत न हों,—

(क) धारा 103 के अधीन करों के अधिरोपण, उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण से सम्बन्धित सभी मामलों के बारे में;

(ख) धारा 105 के अधीन फीसों और जुर्मानों के अधिरोपण, उद्ग्रहण और संग्रहण से सम्बन्धित सभी मामलों के बारे में;

- (ग) सभी प्रकार के भवनों का संनिर्माण विनियमित करने के लिए;
- (घ) ठोस और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंध से संबंधित सभी मामले विहित करने के लिए;
- (ङ) नगरपालिका द्वारा नियोजित अधिकारियों और कर्मचारियों के स्टाफ और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के अपने-अपने पदनामों, कर्तव्यों, वेतनों, फीसों या अन्य भत्तों को अवधारित करने के बारे में;
- (च) सामान्य तौर पर नगरपालिक प्रशासन से संबंधित समस्त मामलों में उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए;
- (छ) किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली ऐसी प्रतिभूति, जिस प्रतिभूति की उससे अपेक्षा करना समीचीन समझा जाये, की रकम और उसका स्वरूप नियत करने के लिए;
- (ज) किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्त, स्थानान्तरित, दण्डित या पदच्युत करने के ढंग और शर्तें अवधारित करने और नियमों में पदाभिहित अधिकारियों को किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्त, स्थानान्तरित, जुर्माना करने, अवनत करने, निलंबित या पदच्युत करने की शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए;
- (झ) अधिकारियों या कर्मचारियों की छुट्टी की मंजूरी को विनियमित करने और जब वे छुट्टी पर हों तो उनके स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त

व्यक्ति, यदि कोई हो, को संदत्त किया जाने वाला पारिश्रमिक नियत करने के लिए; और

- (ज) ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो ऐसे नियम में विहित की जायें, किसी पेंशन या भविष्य निधि में, जो नगरपालिका द्वारा, या नगरपालिका के अनुमोदन से स्थापित की जाये, उक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के अभिदायों के संदाय को प्राधिकृत करने के लिए:

परन्तु कोई भी नगरपालिका जब तक राज्य सरकार की सहमति न हो, और इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार से अन्यथा, केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा से नगरपालिका की सेवा में स्थानांतरित या भागतः राज्य सरकार द्वारा और भागतः नगरपालिका द्वारा नियोजित किसी अधिकारी की सेवा को अभिमुक्त नहीं करेगी या नगरपालिका की सेवा से राज्य सरकार की सेवा में स्थानांतरित किसी भी अधिकारी की सेवा को नगरपालिका की सेवा से अंतिम रूप से अभिमुक्त नहीं करेगी।

340. नगरपालिका की उप-विधियां बनाने की शक्ति.—(1) प्रत्येक नगरपालिका समय-समय पर ऐसी उप-विधियां बना सकेगी जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों से असंगत नहीं हों—

- (क) नगरपालिक निधि से संदायों को विनियमित करने के लिए;
- (ख) धारा 104 के अधीन उपयोक्ता प्रभारों के अधिरोपण, उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण से संबंधित सभी मामले विहित करने के लिए;
- (ग) भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शों, चित्रों और विवरण को और अग्नि हाईड्रेन्ट व मल-वहन मैनहोल के

नक्शों को रखने के रूप और रीति को विहित करने के लिए;

- (घ) किसी सार्वजनिक स्थान पर बूथ या किसी अन्य संरचना के अस्थायी निर्माण के लिए अनुज्ञा को विनियमित करने के लिए;
- (ङ) उन शर्तों व निबन्धनों को विहित करने के लिए, जिनके अधधीन मार्ग, नाली, या परिसर के संनिर्माण या मरम्मत के दौरान पूर्वावधानियां रखी जायेंगी;
- (च) सभी प्रकार के भवनों के निर्माण को विनियमित करने के लिए;
- (छ) प्लम्बर के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति चाहने वाले व्यक्ति के लिए तकनीकी अर्हताएं और अनुभव अवधारित करने के लिए;
- (ज) धारा 192 के अधीन भवन के बहिर्गत भागों को विनियमित करने के लिए;
- (झ) बाजारों, वस्तुओं के विक्रय के लिए प्रयुक्त सार्वजनिक स्थानों और वधशालाओं, ऐसे पशुओं द्वारा या उनके लिए जो विक्रय के लिए हों या भाड़े पर लेने के लिए हों, या जिनके उत्पाद का विक्रय किया जाता हो, प्रयुक्त सभी स्थानों के विनियमन व निरीक्षण के लिए और उनमें कारबार के उपयुक्त एवं स्वच्छ संचालन के लिए; नगरपालिक बाजारों में फलों और सब्जियों के विक्रय को विनियमित करने के लिए या उनमें से किसी के उपयोग के लिए उद्गृहीत किये जाने वाले अन्य प्रभार, जो

नगरपालिका से संबंधित हों, को विनियमित करने के लिए;

(अ) उन शर्तों को विहित करने के लिए जिन पर या जिनके अध्यक्षीन, और परिस्थितियां जिनमें और क्षेत्र या स्थान जिनके संबंध में किसी ऐसे स्थान जो नगरपालिका से संबंधित नहीं हों, के निम्न प्रकार से उपयोग के लिए अनुज्ञप्तियां मंजूर, अस्वीकार, निलम्बित या प्रत्याहृत की जा सकेंगी:—

- (i) वधशालाओं के रूप में;
- (ii) मानव खाद्य के लिए आशयित पशुओं के, या मांस के या मछली के विक्रय के लिए बाजार या दुकान के रूप में, अथवा फलों या सब्जियों के विक्रय के लिए बाजार के रूप में;
- (iii) धारा 282 में उल्लिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए;
- (iv) डेयरी, होटल, रेस्टोरेंट, खाना गृह, कॉफी हाउस, मिठाई, मीट की दुकान, बेकरी, केम्पिंग ग्राउण्ड, सराय, धोबी घाट, आटा चक्की, सॉ-मिल, आइस केन्डी फैक्टरी, खाद्यान्न गोदाम, नगरपालिका गृह, बासों (सार्वजनिक या मान्यताप्राप्त नियंत्रण के अधीन विद्यार्थियों के होस्टल से भिन्न) के रूप में या बर्फ या वातित जल के विनिर्माण के लिए;

- (v) तेल के तैयार किये जाने या विनिर्माण के लिए स्थान के रूप में;
- (vi) वृहद् पैमाने पर अन्न या बंगाल अन्न सुखाने के लिए ; या
- (vii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिसके लिए अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना विहित किया जाये,

और उपरोक्तानुसार प्रयुक्त किसी स्थान में कारबार संचालन के निरीक्षण व विनियम के लिए उपबंध करने, ताकि उसमें स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके या उससे उत्पन्न हो रहे या संभाव्यता उत्पन्न होने वाले किसी हानिकारक, दूषक या खतरनाक प्रभाव को कम किया जा सके;

- (ट) घोड़ों, ऊंटों, गधों, भेड़ों या बकरियों के अस्तबलों या आश्रय को, उनकी संख्या, और उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले स्थानों, जिनसे जन स्वास्थ्य का खतरा निवारित करना आवश्यक हो, के संबंध में ऐसी उप-विधियों में विहित ऐसे नियमों के अनुसार से अन्यथा प्रतिषिद्ध करने;

- (ठ) (i) दूध मवेशी के निरीक्षण के लिए; और डेयरीमेन या दूध विक्रेता का व्यापार करने वाले व्यक्तियों के अधिभोग में की डेयरी और केटल-शेड के संनिर्माण, आयाम, संवातन, रोशनी, सफाई, जल-निकास और जलप्रदाय को विहित व विनियमित करने;

- (ii) दूध या मक्खन के लिए दूध-विक्रेताओं या मक्खन बेचने वालों द्वारा प्रयुक्त दूध भंडारों, दूध की दुकानों या पात्रों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए;
- (ड) जन्म, मृत्यु और विवाह के रजिस्ट्रीकरण, और नगरपालिका के भीतर जनगणना करने के लिए और ऐसी सूचना दिये जाने को प्रवृत्त करने के लिए जो ऐसे रजिस्ट्रेशन या जनगणना को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों;
- (ढ) मृत और मृत पशुओं के कंकालों के निस्तारण को विनियमित करने और ऐसे प्रयोजन के लिए समस्त स्थानों को सुव्यवस्थित रूप में और सुरक्षित स्वच्छता की दशा में बनाये रखने के लिए, जिसमें मृत शवों के निस्तारण के लिए ऐसे स्थानों के उपयोग के हकदार समुदाय के वर्ग या समुदाय की धार्मिक रीतियों को ध्यान में रखा जायेगा;
- (ण) खतरनाक रोग के किन्हीं मामलों के संबंध में सूचना दिये जाने को प्रवर्तित करने, और धारा 273 के उपबंधों को कार्यान्वित करने;
- (त) नगरपालिका के निवासियों द्वारा ऐसी सूचना दिये जाने को प्रवर्तित करने, जो उसमें अधिरोपित किसी कर के प्रति उनके अपने-अपने दायित्वों को अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो;
- (थ) नगरपालिक सीमाओं के भीतर नहाने और धोने के सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को विनियमित करने;

- (द) स्वच्छता और परिरक्षण विनियमित करने ;
- (ध) धारा 46 के खण्ड (iv) के उप-खण्ड (ग) के अधीन बेघर व्यक्तियों के लिए आशयित मकानों के संनिर्माण, उपयोग व निस्तारण के लिए शर्तें विनियमित करने;
- (न) उन शर्तों को विनियमित करने, जिन पर सार्वजनिक मार्गों पर अस्थायी संरचनाओं के अस्थायी अधिभोग या उसे बनाने के लिए, या सार्वजनिक मार्गों पर बहिर्गत भागों के लिए अनुमति दी जाये;
- (प) मजबूती सुनिश्चित करने और आग से निवारण तथा स्वास्थ्य के प्रयोजनों के लिए नये भवनों के स्तम्भों, दीवारों, नीवों, फर्शों, छतों व चिमनियों की संरचना और आयाम को विनियमित करने;
- (फ) अनाज दुकानों या अनाज भण्डारों के लिए भवनों के निर्माण या उपयोग, भवनों के निर्माण के लिए स्थलों का उपयोग और आवासीय प्रयोजनों के लिए आशयित परिक्षेत्रों में दुकानों, बाजार स्थानों, विनिर्माण, सार्वजनिक रिसोर्ट के स्थानों के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भवनों के निर्माण या प्रयोग को विनियमित करने;
- (ब) मार्गों की व्यवस्था और उनकी अवस्थिति के लिए पर्याप्त उपबन्ध किये बिना भवनों के निर्माण को रोकने के लिए;
- (भ) वायु के स्वतंत्र प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए या तो बाहरी या आन्तरिक पर्याप्त खुले स्थान के और दरवाजे और खिड़कियों और अन्य साधनों के

उपबन्ध और अनुरक्षण द्वारा भवनों के पर्याप्त संवातन को सुनिश्चित करने;

(म) किसी अन्य विशिष्ट रीति से, जिसे इस अधिनियम में विशेष रूप से उपबंधित नहीं किया गया हो, गोबर और खाद, मलकूप, फलश शौचालय, पाखानों, तहारतों, मूत्रालयों और प्रत्येक प्रकार के जलनिकास या मलनाली संकर्मों के लिए, चाहे वह नगरपालिका की सम्पत्ति हो या नहीं हो, नालियों, मल-नालियों, संवातन शाफ्ट, पात्रों के संनिर्माण, अनुरक्षण और नियंत्रण को विनियमित करने;

(य) धारा 194 और धारा 236 के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निदेशों और विहित निर्बंधनों, यदि कोई हों, के अनुरूप स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए सभी प्रकार के संनिर्माण के लिए शर्त, निर्बंधन, मानक और विनिर्देश निर्धारित करने;

(यक) ऐसे स्वरूप, संरचना, भार या आकार के, या ऐसी मशीनरी या अन्य भारी या स्थूल वस्तु से लदे किन्हीं भी यानों, जिनके द्वारा सड़क मार्ग को या उस पर किसी संनिर्माण को क्षति या अन्य यानों या राहगीरों को जोखिम या बाधा कारित होने की संभावना हो, का किसी मार्ग के साथ-साथ या उस पर अभिवहन को, सिवाय ऐसी शर्तों के, जो समय, कर्षण या संचलन का ढंग, सड़क मार्गों के संरक्षण के लिए उपकरणों का उपयोग, बत्तियों और सहायकों की संख्या के बारे में और अन्य साधारण

पूर्वावधानियां जो या तो साधारणतया ऐसी उप-विधियों में विहित की जाये या प्रत्येक मामले में मंजूर की जाने वाली विशेष अनुज्ञप्तियों में, उनके लिए आवेदन के समय और फीसों के संदाय के बारे में ऐसे निबंधनों पर, जो ऐसी उप-विधियों में विहित किये जायें, प्रतिषिद्ध करने के लिए;

(यख) नगरपालिका में निहित या उसके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक बागों, बगीचों और खुले स्थानों के, क्षति या दुरुपयोग से, संरक्षण को सुनिश्चित करने और उनके प्रबंध अथवा वह रीति, जिसमें जनता द्वारा उनका प्रयोग किया जायेगा, को विनियमित करने और उनमें व्यक्तियों के उचित व्यवहार के लिए उपबंध करने;

(यग) मार्गों में किसी भी प्रकार के यातायात को विनियमित करने या प्रतिषिद्ध करने, और उसके द्वारा कारित शोर को कम करने के लिए उपबंध करने;

(यघ) नगरपालिका की सीमाओं के भीतर भाड़े के लिए रखे गये या चलाये जाने वाले यानों या पशुओं के स्वत्वधारियों या चालकों के लिए आवश्यक अनुज्ञप्तियों को प्रदान करने, और ऐसी अनुज्ञप्तियों के लिए संदेय फीस और ऐसी शर्तें नियत करने, जिन पर उन्हें प्रदान किया जाना हो और प्रतिसंहत किया जाये;

- (यड) उन दरों को सीमित करने, जिनकी किसी कैरिज, गाड़ी या अन्य वाहन के भाड़े के लिए, या वजन या व्यक्तियों को ले जाने के लिए किराये पर लिए गये किन्हीं पशुओं के भाड़े के लिए, मांग की गयी हो, या वजन ले जाने के लिए या ऐसे वाहन को धकेलने या ले जाने के लिए भाड़े पर लिए गये व्यक्तियों की सेवाओं के लिए मांग की गयी हो, और उन वजनों को सीमित करने, जिन्हें किसी पशु या कैरिज, कार्ट, या अन्य प्रवहण, जो नगरपालिका की सीमाओं के भीतर भाड़े के लिए चल रहे हों, द्वारा चलाया जा रहा हो;
- (यच) सार्वजनिक रिसोर्ट, मनोरंजन या आमोद-प्रमोद के स्थानों के अनुज्ञापन, निरीक्षण और उचित विनियमन के लिए;
- (यछ) बिलों और विज्ञापनों के स्थापन, और साईन-पोस्टों की स्थिति, आकार, आकृति और स्टाईल को विनियमित करने;
- (यज) परिवहन या फेरी वस्तुओं के विक्रय के लिए नियोजित हथटेलाओं या और ऐसे हथटेलाओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक अनुज्ञप्तियों प्रदान करने, और ऐसी अनुज्ञप्तियों के प्रदान या प्रतिसंहरण के लिए शर्तों के विहित करने;
- (यझ) नगरपालिक प्रशासन से संबंधित सभी मामलों को साधारणतः विनियमित करने के लिए;

और प्रत्येक नगरपालिका ऐसी किन्हीं उप-विधियों के अतिलंघन के लिए जुर्माना विहित कर सकेगी।

(2) प्रत्येक नगरपालिका, इस धारा के अधीन किन्हीं उप-विधियों को बनाने से पहले, ऐसे रीति से, जो उसकी राय में पर्याप्त हो, उसके द्वारा प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए, उस तिथि, जिस पर या जिसके पश्चात् प्रारूप पर विचार किया जायेगा, को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस के साथ प्रस्तावित उप-विधियों का प्रारूप प्रकाशित करेगी और उप-विधियों को बनाने से पहले, प्रारूप के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव, जो ऐसे विनिर्दिष्ट की गयी तिथि से पहले किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में दिया जाये, प्राप्त करेगी और उस पर विचार करेगी।

341. नियमों और उप-विधियों का मुद्रित और विक्रय किया जाना.— तत्समय प्रवृत्त नियमों और उप-विधियों को कार्यालय समय के दौरान नगरपालिक कार्यालय में लोक निरीक्षण के लिए खुला रखा जायेगा, और उनकी मुद्रित प्रतियां लागत मूल्य पर विक्रय के लिए रखी जायेंगी या नगरपालिका की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध करायी जायेंगी।

अध्याय 17

प्रकीर्ण

342. कंपनियों द्वारा अपराध.— (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किये जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही

वह कम्पनी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम में उपबन्धित किसी भी दण्ड के लिए ऐसे व्यक्ति को भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को निवारित करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

- (क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसमें फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम सम्मिलित है, और
- (ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

343. कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.— यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, जब भी अवसर अपेक्षा करे किन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की

तारीख से दो वर्ष पश्चात् नहीं हो, आदेश द्वारा कोई भी ऐसी बात कर सकेगी जो कि इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों से असंगत नहीं हो, जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

344. निरसन और व्यावृत्तियां।—(1) इस अधिनियम के प्रारंभ पर और से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 38) निरसित हो जायेगा।

(2) राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

(क) ऐसा निरसन, निरसित अधिनियमिति या तदधीन बनाये गये नियमों, विनियमों और उप-विधियों के अधीन पहले से की गयी या सहन की गयी किसी बात या की गयी किसी कार्रवाई की विधिमान्यता या अविधिमान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगा; और

(ख) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 38) के अधीन स्थापित सभी नगर निगम, परिषद्, बोर्ड या अन्य नगरपालिक प्राधिकरण, ऐसे निरसन के होने पर भी इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये समझे जायेंगे और निरसित अधिनियमिति के अधीन गठित सभी नगरपालिकाएं, नामनिर्दिष्ट, नियुक्त या निर्वाचित सदस्य, बनायी गयी समितियां, परिनिश्चित सीमाएं, की गयी नियुक्तियां, बनाये गये नियम, किये गये आदेश और बनायी गयी उप-विधियां, जारी की गयी

अधिसूचनाएं और नोटिस, अधिरोपित कर, की गयी संविदाएं और संस्थित वाद और अन्य कार्यवाहियां, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से अंसगत न हों, इस अधिनियम के अधीन क्रमशः गठित, नामनिर्दिष्ट, नियुक्त या निर्वाचित, बनायी गयी, परिनिश्चित, बनायी गयी, जारी की गयी, अधिरोपित की गयी, की गयी और संस्थित की गयी समझी जायेंगी।

प्रथम अनुसूची

(धारा 108 का खण्ड (ख) देखिए)

..... नगरपालिका के निवासियों को इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि नगरपालिका संलग्न नियमों में परिभाषित कर, पथकर या (यथास्थिति) उपकर अधिरोपित करना चाहती है।

प्रस्तावित कर के संबंध में आक्षेप करने वाला नगरपालिका का कोई भी निवासी इस नोटिस की तारीख से एक मास के भीतर-भीतर नगरपालिका को अपने लिखित आक्षेप भेज सकेगा।

द्वितीय अनुसूची

(धारा 117 देखिए)

जब अन्तरण लिखत द्वारा किया गया हो तब अन्तरण के संबंध में दिये जाने वाले नोटिस का प्ररूप

प्रेषिती:

अध्यक्ष/मुख्य नगरपालिक अधिकारी

..... नगरपालिका

मैं क. ख, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 116 द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा सम्पत्ति के निम्नलिखित अन्तरण का नोटिस देता हूँ:-

नोटिस की तारीख	लिखत की तारीख	विक्रेता या समनुदेशक का नाम	क्रेता या समनुदेशिती का नाम	सम्पत्ति का वर्णन				भूमि की लम्बाई-चौड़ाई	सीमाएं	यदि लिखत रजिस्ट्रीकृत की गयी है तो रजिस्ट्रीकरण की तारीख	अभ्युक्तियां
				प्रतिफल की रकम	इसमें क्या-क्या समाविष्ट है	अवस्थिति	सम्पत्ति की संख्या/नाम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

तृतीय अनुसूची

(धारा 117 देखिए)

जब अन्तरण लिखत से अन्यथा किया गया हो तब अन्तरण के संबंध में दिये जाने वाले नोटिस का प्ररूप

प्रेषिती:

अध्यक्ष,

..... नगरपालिका

मैं क. ख, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 116 द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा सम्पत्ति के निम्नलिखित अन्तरण का नोटिस देता हूँ:-

नोटिस की तारीख	नगरपालिका के रजिस्ट्रों में सम्पत्ति इस समय किसके नाम से दर्ज है।	वह किसके नाम में अन्तरित की जानी है	सम्पत्ति का वर्णन				सीमाएं	अभ्युक्तियां
			उसमें क्या-क्या समाविष्ट है	अवस्थिति	सम्पत्ति की संख्या / नाम	भूमि की लम्बाई-चौड़ाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

चतुर्थ अनुसूची

(धारा 130 देखिए)

मांग के नोटिस का प्ररूप

प्रेषिती:

क. ख ; निवासी

नोटिस दिया जाता है किनगरपालिका दिनांक..... को प्रारम्भ होने वाली और को समाप्त होने वाली..... कालावधि के लिए के कारण (यहां सम्पत्ति या अन्य विषय जिसके संबंध में कर उद्ग्रहणीय है, का वर्णन दीजिए)से शोध्य राशि रु. जो नियम संख्यांक के अधीन उद्ग्रहणीय है, की से मांग करती है और यदि इस नोटिस की तामील से पंद्रह दिवस के भीतर उक्त राशि नगरपालिका कार्यालय में संदत्त न कर दी जाये या नगरपालिका के समाधानप्रदरूप में, असंदाय के लिए पर्याप्त कारण नहीं बतलाया जाये तो खर्च सहित उसकी वसूली के लिए संपत्ति की कुर्की का वारण्ट जारी किया जायेगा।

तारीख.....200.....

हस्ताक्षरित

.....नगरपालिका के आदेश से

पंचम् अनुसूची

(धारा 131 की उप-धारा (1) देखिए)

वारण्ट का प्ररूप

(यहां उस अधिकारी का नाम, जिस पर वारण्ट के निष्पादन का प्रभार है, दर्ज कीजिए)

यतः क. ख., निवासी.....ने.....को प्रारम्भ होने वाली और.....200.....को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए पार्श्व में उल्लिखित और नियम संख्यांक.....के अधीन उद्ग्रहणीयकर के लिए देयरकम का संदाय नहीं किया है और असंदाय के लिए कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताया है और यतः उसकी मांग का नोटिस उस पर तामील होने के पश्चात् पन्द्रह दिवस बीत गये हैं ;

अतः आपको समादिष्ट किया जाता है कि आप राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 131, 132 और 133 के उपबंधों के अध्याधीन रकम जो उससे शोध्य है, की पूर्ति के लिए उक्त क. ख. की संपत्ति निम्नानुसार कुर्क कर ले

रु. पैसे

उक्त कर के मद्धे.....

नोटिस की तामील के लिए.....

और आपके द्वारा इसके अधीन कुर्क की गयी संपत्ति की सभी विशिष्टियां वारण्ट सहित मेरे पास तुरन्त प्रमाणित रूप में प्रेषित करें।

तारीख.....200.....

(हस्ताक्षरित)

मुख्य नगरपालिक अधिकारी

षष्ठम् अनुसूची

(धारा 133 की उप-धारा (4) देखिए)

तालिका और नोटिस का प्ररूप

प्रेषिती:

क. ख,.....निवासी..... को नोटिस दिया जाता है कि मैंने आज,200..... को प्रारम्भ होने वाली और..... 200..... को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए पार्श्व में वर्णित..... कर के लिए शोध्य..... मूल्य साथ में मांग-नोटिस की तामील के लिए देय रु. के लिए इसके नीचे तालिका में विनिर्दिष्ट संपत्ति कुर्क कर ली है यदि इस नोटिस की तामील की तारीख से पांच दिवस के भीतर आप वसूली के खर्चे सहित उक्त रकम नगरपालिका कार्यालय..... में संदत्त नहीं करते हैं तो उक्त संपत्ति बेच दी जायेगी

वारण्ट का निष्पादन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख..... 200

तालिका

(यहां कुर्क की गयी सम्पत्ति की विशिष्टियों का कथन करें)

एस.एस. कोठारी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT**(GROUP-II)****NOTIFICATION****Jaipur, September 11, 2009**

No. F. 2 (21) Vidhi/2/2009.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Nagarpalika Adhiniyam, 2009 (2009 Ka Adhiniyam Sankhyank 18):-

(Authorized English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009

(Act No. 18 of 2009)

[Received the assent of the Governor on the 11th day of September, 2009]

An

Act

to consolidate and amend the laws relating to the Municipalities in the State of Rajasthan and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixtieth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan, excluding cantonment areas therein.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (i) "Auditor" mean the auditor defined in the Rajasthan Local Funds Audit Act, 1954 (Act No. 28 of 1954);
- (ii) "Backward Classes" means such backward classes of citizens, other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as may be notified by the State Government from time to time;
- (iii) "balance sheet" means the balance sheet prepared under section 92;

- (iv) “bio-medical waste” means any waste that is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human beings or animals, or in research activities pertaining thereto, or in the production or testing of biological materials and includes:-
- (a) human anatomical waste;
 - (b) animal waste;
 - (c) microbiological and biotechnological wastes;
 - (d) waste sharps;
 - (e) discarded medicines and cyto-toxic drugs;
 - (f) solid waste;
 - (g) liquid waste;
 - (h) incineration ash; and
 - (i) chemical waste;
- (v) “bridge” includes a culvert;
- (vi) “budget estimate” means the budget estimate prepared under section 87;
- (vii) “budget grant” means the total sum entered on the expenditure side of a budget estimate under a major head and adopted by the Municipality, and includes any sum by which such budget grant is increased or reduced by transfer from or to other heads in accordance with the provisions of this Act and the rules and the bye-laws made thereunder;
- (viii) "builder" or "developer" means an agency or individual who has constructed a complex on his own land or on others land under an agreement;
- (ix) “building” means a structure constructed for whatever purpose and of whatever materials, and includes the foundation, plinth, walls, floors, roofs, chimneys, fixed platforms, verandas, balconies,

cornices or projections or part of a building or anything affixed thereto or any wall (other than a boundary wall of less than three meters in height) enclosing, or intended to enclose, any land, sign or outdoor display structure but does not include a tent, shamiana or tarpaulin shelter;

- (x) "building site" means a portion of the land held for building purpose;
- (xi) "bye-laws" mean the bye-laws made under this Act;
- (xii) "Chairperson" means,-
 - (a) Chairman, in case of a Municipal Board;
 - (b) President, in case of a Municipal Council; and
 - (c) Mayor, in case of a Municipal Corporation;
- (xiii) "Chief Municipal Officer" means,-
 - (a) the Chief Executive Officer-cum-Commissioner, in case of a Municipal Corporation;
 - (b) the Commissioner, in case of a Municipal Council; and
 - (c) the Executive Officer, in case of a Municipal Board;
- (xiv) "clear days" used with reference to the period of notice under any provision of this Act, includes Sundays and other holidays, but does not include the date of receipt of such notice by the person to whom it is addressed or the date specified in the notice;
- (xv) "complex" means a building comprising twenty five or more units, in case of commercial use; and ten or more units, in case of residential use;
- (xvi) "corporator" means a member of a Municipal Corporation;

- (xvii) “councillor” means a member of a Municipal Council;
- (xviii) "dairy" includes any farm, cattle shed, cow-house, milk-store, milk-shop or other place-
- (a) from which milk is supplied on, or for sale, or
 - (b) in which milk is kept for the purposes of sale or which is used for manufacture or preparation for sale of-
 - (i) butter, or
 - (ii) ghee, or
 - (iii) cheese, or
 - (iv) curds, or
 - (v) dried, sterilized, condensed or toned milk,
- but does not include-
- (i) a shop or other place in which milk is sold for consumption within its premises only, or
 - (ii) a shop or other place from which milk is sold or supplied in hermetically closed and unopened receptacles in the same original condition in which it was first received in such shop or other place;
- (xix) “dangerous disease” means-
- (a) cholera, plague, small-pox, cerebrospinal meningitis, diphtheria, tuberculosis, leprosy, influenza, encephalitis, poliomyelitis, or syphilis; or
 - (b) any other epidemic, endemic, or infectious disease which the State Government may, by notification, declare to be a dangerous disease for the purposes of this Act;

- (xx) "deficit in parking space" means the deficits in the provision for parking spaces required under bye-laws made in this behalf for different types of vehicles in any non-residential buildings, including complexes and institutional buildings whether constructed unauthorized or by change of land use;
- (xxi) "Director of Local Bodies" mean an officer appointed as such by the State Government, or any other officer of the State Government, designated as Commissioner or any other designation, authorized by it to perform the functions of the Director of Local Bodies under this Act;
- (xxii) "disposal" means final disposal of municipal solid wastes in terms of the specified measures to prevent contamination of ground water, surface water and ambient air quality;
- (xxiii) "District Magistrate" means the person appointed under section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) to be the District Magistrate;
- (xxiv) "drain" includes a sewer, pipe, ditch, channel or any other device for carrying spillage, sewage and polluted water, rainwater or sub-soil water together with pail depots, traps, sinks, cisterns, flush tanks, and other fittings appertaining thereto;
- (xxv) "Executive Committee" means the Executive Committee referred to in section 55;
- (xxvi) "Finance Commission" means the Finance Commission constituted under Article 243-I of the Constitution of India;
- (xxvii) "financial statement" means the financial statement prepared under section 92;

- (xxviii) "fire brigade" means the fire fighting force established and maintained by the Municipality under section 256;
- (xxix) "fire fighting property" includes -
- (a) lands and buildings used as fire stations,
 - (b) fire engines, equipments, tools, hydrator, implements and things whatsoever used for fire fighting,
 - (c) motor vehicles and other means of transport used in connection with fire fighting,
 - (d) uniforms and badges of rank;
- (xxx) "fire station" means any post or place declared generally or specially, by the State Government to be fire station;
- (xxxii) "hazardous wastes" mean the categories of wastes specified as such in the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act No. 29 of 1986);
- (xxxiii) "inhabitant" used with reference to a local area, means any person ordinarily residing or carrying on business or owning or occupying immovable property therein;
- (xxxiv) "land" includes land, which is built upon or covered with water;
- (xxxv) "latest census figures" mean the figures as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;
- (xxxvi) "lodging house" includes a collection of buildings, or a building, or part of a building used for the accommodation of pilgrims and travellers;
- (xxxvii) "member" means any person who is lawfully a member of a Municipality and includes, in case of

a Municipal Corporation, a corporator, in case of a Municipal Council, a councillor and in case of a Municipal Board, a member;

- (xxxvii) "milk" includes cream, skimmed milk, separated milk and condensed, sterilized, desiccated or toned milk;
- (xxxviii) "municipal accounting manual" means the municipal accounting manual prepared and maintained under section 91 ;
- (xxxix) "municipal area" means the territorial area of a Municipality as notified by the State Government from time to time;
- (xl) "municipal fund" means the municipal fund referred to in section 79;
- (xli) "municipal solid waste", includes commercial and residential waste generated in a municipal area in either solid or semi-solid form, excluding industrial hazardous waste, but including treated bio-medical waste;
- (xlii) "Municipality" means a Municipal Corporation, Municipal Council, and a Municipal Board in existence at the time of commencement, or constituted in accordance with the provisions of this Act;
- (xliii) "No Objection Certificate" means the document issued by the authority entitled to do so by this Act or rules made thereunder and shall include a provisional No Objection Certificate;
- (xliv) "nuisance" includes any act, omission, place or thing which causes, or is likely to cause injury, danger, annoyance or offence to the sense of sight,

smell or hearing, or which is, or may be, dangerous to life or injurious to health or property;

- (xiv) “occupier” includes any person for the time being paying, or liable to pay, to the owner the rent or any portion of the rent of the land or the building in respect of which the word is used or for damages on account of the occupation of such land or building, and also includes a rent free tenant:

Provided that an owner living in, or otherwise using his own land or building shall be deemed to be the occupier thereof;

- (xvi) “offensive matter” means kitchen refuse, stable refuse, dung, dirt, putrid or putrefying substance, or filth of any kind, which is not included in sewage;
- (xvii) "officer of the Municipality" means a person holding for the time being an office created or continued by or under this Act but shall not include a member of the Municipality or of a committee as such;
- (xviii) “other agency” means a company, firm, society, or body corporate in the private sector, or any institution, or government agency, or any joint sector agency, or any agency under any other law for the time being in force;
- (xlix) “owner” includes the person for the time being receiving the rent of any land or building or of any part of any land or building, whether on his own account or as an agent or trustee for any person or society or for any religious or charitable purpose or as a receiver who would receive such rent if the

land or the building or of any part of the land or the building were let to a tenant;

- (l) “population”, used with reference to any local area, means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;
- (li) "prescribed" means prescribed by this Act or by rules, orders or bye-laws made thereunder;
- (lii) "public place" means a space, not being private property, which is open to the use or enjoyment of the public, whether such space is vested in the Municipality or not;
- (liii) "public securities" mean-
 - (a) securities of the Government of Rajasthan or of the Central or any State Government in India; and
 - (b) a security expressly authorized by any order which the State Government makes in this behalf;
- (liv) "public street" means any street-
 - (a) over which the public have a right of way, or
 - (b) which has heretofore been levelled, paved, metal led, channelled, sewerred or repaired out of municipal fund, State Government fund, Central Government fund or other public funds, or
 - (c) which, under any provision of this Act, becomes a public street;

- (lv) "rubbish" means dust, ashes, broken bricks, mortar, broken glass and refuse of any kind which is not offensive matter;
- (lvi) "rules" mean a rule made in exercise of a power conferred by this Act;
- (lvii) "Scheduled Castes" mean any of the castes specified in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950;
- (lviii) "Scheduled Tribes" mean any of the tribes specified in the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950;
- (lix) "sewage" means night-soil and other contents of privies, urinals, cesspools or drains, and includes trade effluents and discharges from manufactories of all kinds;
- (lx) "State " means the State of Rajasthan as formed by section 10 of the State Reorganisation Act,1956 (Central Act No. 37 of 1956);
- (lxi) "State Finance Commission" means the Rajasthan State Finance Commission, as constituted by the Governor of Rajasthan in exercise of the powers conferred on him by Article 243-I, read with Article 243Y, of the Constitution of India;
- (lxii) "street" means any road, bridge, foot-way, lane, square, court, alley or passage accessible, whether permanently or temporarily to the public, whether a thoroughfare or not, and includes on either side-
- (a) the drain or gutters and the land up to the defined boundary, notwithstanding the projection over such land of any verandah or other super-structure;

- (b) every space, notwithstanding that it may be private property or partly or wholly obstructed by any gate, post, chain or other barrier, if it is used by any person, whether or not occupying any abutting property, as a means of access to or from any public place or thoroughfare;
- (lxiii) "sub-division" means division of a parcel or piece of land into two or more parts;
- (lxiv) "tax" includes any toll, rate, cess, fee or other impost leviable under this Act;
- (lxv) "a transitional area", "a smaller urban area" or "a larger urban area" means an area specified under Article 243Q of the Constitution of India;
- (lxvi) "urban land" means any land vested in, or placed at the disposal of, any local authority under any law for the time being in force for the purpose of urban development;
- (lxvii) "vehicle" includes a bicycle, a tricycle, an auto-motor car and every wheeled conveyance, which is used or is capable of being used on a public street;
- (lxviii) "Vice-Chairperson" means-
- (a) Vice-Chairman, in case of a Municipal Board,
- (b) Vice-President, in case of a Municipal Council, and
- (c) Deputy Mayor, in case of a Municipal Corporation;
- (lxix) "village" means a village specified under clause (g) of Article 243 of the Constitution of India;
- (lxx) "ward" means a ward formed under section 9;

- (lxxi) "Ward Committee" means the Ward Committee referred to in section 54;
- (lxxii) "waste management" includes collection, segregation, storage, transportation, processing and disposal of municipal solid waste; and
- (lxxiii) "whole number" or "total number" when used with reference to the members of a Municipality, means the total number of members, excluding the members nominated under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 6, holding office at the time.

CHAPTER II

Constitution and Government of Municipalities

3. Delimitation of Municipalities.- (1) The State Government may, by notification published in the Official Gazette, declare any local area not included within the limits of a Municipality to be a Municipality, or include any such area in a Municipality, or exclude any local area from a Municipality, or otherwise alter the limits of any Municipality and when-

- (a) any local area is declared as, or included in, a Municipality, or
- (b) any local area is excluded from a Municipality, or
- (c) the limits of a Municipality are otherwise altered, by amalgamation of one Municipality into another or by splitting up a Municipality into two or more Municipalities, or
- (d) any local area ceases to be a Municipality,

the State Government may, notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, by an order published in the Official Gazette provide ,-

- (i) in a case falling under clause (a), that the election of the members for the area or the

- additional area shall be held within a period of six months from the appointed day;
- (ii) in a case falling under clause (b), that the members who in the opinion of the State Government represent the area excluded from the Municipality shall be removed;
 - (iii) in a case falling under clause (c), that until the term of the Municipality in which another Municipality is amalgamated expires under this Act, the Chairperson, Vice-Chairperson and members of such another Municipality shall be deemed to be the members of the Municipality in which such another Municipality is amalgamated and where a Municipality is split into two or more Municipalities, that the members representing the area included in the newly constituted Municipality shall be deemed to be the members of such new Municipality and such new Municipality shall continue, unless dissolved sooner, until original Municipality would have continued;
 - (iv) in a case falling under clause (d), that the Municipality shall be dissolved.

Explanation.- In this sub-section, "appointed day" means the day from which a change referred to in any of the clauses (a) to (d) takes effect.

(2) It shall be the duty of every Municipality already existing and of every Municipality newly established under this Act and of every Municipality whose local limits are altered as aforesaid to cause at its own cost, to be erected or set up, and

thereafter to maintain, substantial boundary marks of such description and in such positions as shall be approved by the Collector or any officer authorized by him in this behalf, defining the limits or altered limits of the Municipality subject to its authority, as set forth in the notification.

(3) When any local area ceases to be a Municipality, the Municipality established therein shall cease to exist, and the balance of the municipal fund and other property and rights vesting in such Municipality shall, subject to all charges and liabilities affecting the same, vest in the State Government and the proceeds thereof, if any, shall be expended under the orders of the State Government for the benefit of the local area in which such Municipality had jurisdiction.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), when any local area ceases to be a Municipality and is included within the local limits of the jurisdiction of some other local authority, the municipal fund and other property and rights vesting in the Municipality shall vest in such other local authority and the liabilities of the Municipality shall be the liabilities of such other local authority.

(5) When any local area is excluded from a Municipality and included in another Municipality, such portion of the municipal fund and other property vested in the first mentioned Municipality shall vest in, and such portion of the liabilities thereof shall be the liabilities of, the other Municipality as the State Government may, after consulting both Municipalities, declare by notification in the Official Gazette:

Provided that the provisions of this sub-section shall not apply in any case where the circumstances, in the opinion of the State Government, render undesirable the transfer of any portion of the municipal fund and properties or liabilities.

(6) When a dwelling house, manufactory, warehouse, or place of industry or business is situated within the limits of two or more adjacent municipal areas, the State Government may, notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, by notification in the Official Gazette, declare the municipal area within which such dwelling house, manufactory, warehouse, or place of industry or business shall be deemed to be included for the purposes of this Act.

(7) When any local area is included in a Municipality, all rules and bye-laws made, orders, directions, notifications and notices issued and powers conferred and in force throughout such Municipality at the time when the said area is so included, shall apply thereto, unless the State Government otherwise directs, from the date of such inclusion.

(8) When an area comprised in a village is specified as, or when any area is excluded from the village and included in, a municipal area, then with effect from the date on which such area is so specified or is so included, the following consequences shall ensue, namely: -

- (a) such area shall cease to be a village;
- (b) the Municipality in which such area is included or the Municipality declared for such area shall exercise jurisdiction over such area and the panchayat established for such area shall cease to function therein;
- (c) until elections are held under sub-section (1) or the term of the Municipality expires under this Act, whichever is earlier, the Sarpanch, Up-Sarpanch and the panch or panchas representing the area of the village so included in, or declared as a Municipality shall be

deemed to be the additional members of the Municipality in which such area of the village is included or the Chairperson, Vice-Chairperson and the members respectively of the Municipality declared for such area, as the case may be;

- (d) the whole of the assets vesting in, and of the liabilities subsisting against, the panchayat so declared to be a Municipality or in case where only a part or whole of a village is so included in a Municipality, such portion of the said assets and liabilities as the State Government may direct, shall devolve upon the Municipality declared for such area or upon the Municipality in which such area of the village is so included;
- (e) the Municipality so established by the inclusion of any area of a village therein or by the declaration of a village as a Municipality, shall levy or continue to levy such of the taxes as are lawfully imposed under this Act;
- (f) any such area shall cease to be subject to all rules, notifications, orders and bye-laws made under the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No.13 of 1994).

(9) For the purpose of facilitating the inclusion of any area of a village in a Municipality or of the declaration of any such area as a Municipality, the State Government may, by order in writing, give such directions as may appear to it to be necessary.

(10) Save as otherwise provided in this section its provisions shall have effect notwithstanding anything contained in this Act or in the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No.13 of 1994) or any other law for the time being in force.

4. Power to exempt Municipal Board from operation of any provisions of the Act unsuited thereto.- (1) The State Government may, by notification, and for reasons to be recorded in writing, exempt any Municipal Board from the operation of any of the provisions of this Act considered unsuited thereto, and, thereupon, the said provisions shall not apply to such Municipal Board until such provisions are applied thereto by notification.

(2) While a notification under sub-section (1) remains in force, the State Government may make rules consistent with the provisions of this Act in respect of any matter within the purview of such provisions from operation of which the Municipal Board is exempted.

5. Establishment and incorporation of Municipality.-

(1) In every transitional area, there shall be established a Municipal Board and every such Municipal Board shall be a body corporate by the name of the Municipal Board of the place by reference to which the Municipality is known and shall have perpetual succession and a common seal and may sue or be sued in its corporate name.

(2) In every smaller urban area, there shall be established a Municipal Council and every such Municipal Council shall be a body corporate by the name of the Municipal Council of the city by reference to which the Municipality is known and shall have perpetual succession and a common seal and may sue and be sued in its corporate name.

(3) In every larger urban area, there shall be established a Municipal Corporation and every such Municipal Corporation shall be a body corporate by the name of the Municipal Corporation of the city by reference to which the Municipality is known and shall have perpetual succession and a common seal and may sue and be sued in its corporate name:

Provided that a Municipality under this section may not be constituted in such urban area or part thereof as the Governor may, having regard to the size of the area and the municipal services being provided or proposed to be provided by an industrial establishment in that area and such other factors as he may deem fit, by notification, specify to be an industrial township:

Provided further that having regard to the cultural, historic, tourist or other like importance of an urban area, the State Government may, by notification in the Official Gazette, exclude such area from the Municipality and constitute, or without excluding such area from the Municipality constitute in addition to the Municipality, a development authority to exercise such powers and discharge such functions in the said area as may be prescribed and notwithstanding anything elsewhere in this Act, may, in relation to such area, delegate, by notification in the Official Gazette, such municipal powers, functions and duties to the said authority as it may think appropriate for the proper, rapid and planned development of such area.

6. Composition of Municipality.- (1) Subject to the provisions contained in the succeeding sub-sections, but save as provided in the following provisions of this sub-section, all seats in a Municipality shall be filled by persons chosen by direct election from the territorial constituencies known as wards, the number of such seats, not being less than thirteen, being fixed by the State Government from time to time by notification in the Official Gazette: -

- (a) the following shall represent in the Municipal Board, Municipal Council or, as the case may be, Municipal Corporation, viz.:-
 - (i) the member of the Rajasthan Legislative Assembly representing a constituency which

comprises wholly or partly the area of a Municipality; and

- (ii) three persons or ten percent of the number of elected members of the Municipality, whichever is less, having special knowledge or experience in municipal administration, to be nominated by the State Government by notification in the Official Gazette:

Provided that-

- (i) the provisions contained in section 24 and section 35 shall be applicable to the persons to be nominated or nominated members;
 - (ii) the State Government shall have power to withdraw a nominated member at any time;
 - (iii) a nominated member shall not have the right to vote in the meetings of a Municipality;
- (b) the member of the House of the People representing a constituency which comprises wholly or partly the area of a Municipal Council or, as the case may be, a Municipal Corporation shall represent on such Council or such corporation:

Provided that the member referred to in sub-clause (i) of clause (a) shall have a right to vote in the meetings of a Municipal Board, a Municipal Council or, as the case may be, a Municipal Corporation, and the member referred to in clause (b) shall have a right to vote in the meetings of a Municipal Council or Municipal Corporation:

Provided further that the members referred to in sub-clause (i) of clause (a), and clause (b) shall

not be subject to any disqualification or any other proceedings under the provisions of this Act.

(2) Upon the completion of each census after the establishment of the Municipality, the number of seats shall be re-determined by the State Government by notification in the Official Gazette on the basis of the population of the municipal area as ascertained at the latest census:

Provided that the determination of seats as aforesaid shall not affect the existing composition of the Municipality until the expiry of its term.

(3) In so fixing the total number of seats for a Municipality, the State Government shall specify the number respectively of general seats and of seats reserved for women and for members of the Scheduled Castes or for members of the Scheduled Tribes or for both or persons belonging to the Backward Classes as it may in each case determine.

(4) The number of seats reserved for members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall, in relation to the total number of seats fixed for a Municipality, bear as nearly as may be, the same proportion as the population of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in the municipal area bears to the total population thereof.

(5) The percentage of seats reserved for the Backward Classes shall be such as the percentage of the combined population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in relation to the total population in the municipal area falls short of fifty:

Provided that the percentage of seats so reserved for the Backward Classes shall not exceed twenty-one:

Provided further that at least one seat shall be reserved for the Backward Classes in every Municipality where the percentage of the combined population of Scheduled Castes and Scheduled

Tribes in relation to the total population in the municipal area does not exceed seventy.

(6) One half of the seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Backward Classes shall be reserved for the women belonging to such Castes, Tribes or, as the case may be, Classes.

(7) One half including the number of seats reserved under sub-section (6) of the total number of seats shall be reserved for women.

(8) The reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Backward Classes under sub-sections (3), (5) and (6) shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution of India.

(9) All the seats fixed for a Municipality, general as well as reserved, shall be filled up by direct election from the wards in the municipal area and such election shall be held in the prescribed manner.

Explanation.- If a fraction forms part of the number of seats computed under this section, the number of seats shall be increased to the next higher number in case the fraction consists of half or more of a seat and the fraction shall be ignored in case it consists of less than half of a seat.

7. Term of office.- (1) Every Municipality unless sooner dissolved under the provisions of this Act, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer.

(2) A Municipality constituted upon the dissolution of a Municipality before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved Municipality would have continued under sub-section (1).

Explanation.-For the purposes of this section, the expression “first meeting” means the meeting of the elected

members of the Municipality held immediately after the general elections.

8. Municipal government to vest in Municipality.-

Except as in this Act otherwise expressly provided, the municipal government of a Municipality shall vest in the Municipal Board, Municipal Council, or as the case may be, Municipal Corporation through their Chairpersons, which shall stand charged with the duty of carrying out the provisions of this Act subject to the limitations and restrictions specified therein.

9. Division into wards.- (1) For purposes of elections, a

Municipality shall be divided into such number of wards as is equal to the total number of seats fixed for the Municipality under sub-section (1) of section 6.

(2) The representation of each ward shall be on the basis of the population of that ward and shall, as far as possible, be in the same proportion as the total number of seats for the Municipality bear to its population.

10. Determination of wards.- (1) The State Government

shall by order determine,-

- (a) the wards into which each Municipality shall, for the purpose of its elections, be divided;
- (b) the extent of each ward;
- (c) the number of seats, if any, reserved for members of the Scheduled Castes or, as the case may be, Scheduled Tribes and for women members of such castes and tribes and for members of the Backward Classes and women members thereof; and
- (d) the number of wards for women candidates.

(2) The seats reserved for Scheduled Castes or, as the case may be, for Scheduled Tribes and for the Backward Classes and for women may be allotted by rotation to different wards in such manner as may be prescribed.

(3) The State Government shall carry out the determination of the boundaries of the wards and allocation of seats reserved in favour of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the Backward Classes and women among the wards having regard to the provisions of section 6 and also to the following provisions, namely: -

- (a) all wards shall, as far as practicable, be geographically compact areas;
- (b) wards which are reserved for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be distributed to different parts of the municipal areas where the proportion of the population of such castes or tribes, as the case may be, is comparatively large; and
- (c) the numbering of wards shall start from the north-west corner of the local area of a Municipality.

(4) The draft of the order under sub-section (1) shall be published for filing objections thereto within a period of not less than seven days and a copy of the same shall be sent to the Municipality concerned for comments.

(5) The State Government shall consider any objection and the comments received under sub-section (4) and the draft order shall, if necessary, be amended, altered or modified accordingly, and thereupon it shall become final.

11. Election to the Municipality.-(1) The superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and

the conduct of, all elections to the Municipality shall be vested in the State Election Commission.

(2) An election to constitute a Municipality shall be completed-

- (i) before the expiry of its duration specified in section 7;
- (ii) before the expiration of a period of six months from the date of its dissolution:

Provided that where the remainder of the period for which the dissolved Municipality would have continued is less than six months, it shall not be necessary to hold any election under this clause for constituting the Municipality for such period.

(3) For the aforesaid purpose the State Government shall on the recommendation of the State Election Commission call upon all the wards to elect members, in accordance with the provisions of this Act and the rules and orders made thereunder, on such date or dates as may be specified in the notification.

(4) When a new Municipality is established, it shall, as far as may be, be constituted in accordance with the provisions of this Act relating to general election to a Municipality.

(5) The State Government shall, when so requested by the State Election Commission, make available to the Commission such staff as may be necessary for discharge of the functions conferred on the State Election Commission by sub-section (1).

12. Delegation of functions of State Election Commission.- The function of the State Election Commission under this Act or the rules made or orders issued thereunder, may, subject to such general or special directions, if any, as may be given by the State Election Commission in this behalf, be performed also by a Deputy Election Commissioner, if any, or by the Secretary to the State Election Commission.

13. Electoral Roll for every ward.- (1) For every ward there shall be an electoral roll prepared, revised, modified, updated and published in the prescribed manner by an Electoral Registration Officer who shall be such officer of the State Government or a local authority as the State Election Commission may, in consultation with the State Government, designate or nominate in this behalf.

(2) The Electoral Registration Officer may, subject to any prescribed restrictions, employ such persons as he thinks fit for the preparation and revision of the electoral roll for each ward.

(3) The State Election Commission may appoint one or more persons as Assistant Electoral Registration Officers to assist any Electoral Registration Officer in the performance of his functions.

(4) Every Assistant Electoral Registration Officer shall, subject to the control of the Electoral Registration Officer, be competent to perform all or any of the functions of the Electoral Registration Officer.

(5) Subject to the provisions of section 14, every person who-

- (a) is not less than eighteen years of age on the qualifying date, and
- (b) is ordinarily resident in a ward of the Municipality,

shall be entitled to be registered in the electoral roll for that ward.

Explanation.- (i) A person shall not be deemed to be ordinarily resident in a ward on the ground only that he owns, or is in possession of, a dwelling house therein.

(ii) A person absenting himself temporarily from his place of ordinary residence shall not, by reason thereof, cease to be ordinarily resident therein.

(iii) A person who is a patient in any establishment, maintained wholly or mainly for the reception and treatment of persons suffering from mental illness or mental defectiveness or any other illness involving long treatment or who is detained in prison or other legal custody at any place or residing in a hostel for study or residing in a hotel etc. as a casual visitor shall not, by reason thereof, be deemed to be ordinary resident therein.

(iv) If in any case a question arises as to where a person is ordinarily resident at any relevant time, the same shall be determined with reference to all the relevant facts of the case and in accordance with such rules as may be made in this behalf by the State Government.

(v) A member of Parliament or the State Legislature shall not, during the term of his office, ceased to be ordinarily resident in the ward in the electoral roll of which he is registered as an elector at the time of his election as such member, by reason of his absence from that ward in connection with his duties as such member.

(vi) "Qualifying date", for the purpose of this section, means the first day of January of the year in which electoral roll is so prepared or revised.

(6) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one ward.

(7) No person shall be entitled to be registered in an electoral roll more than once.

14. Disqualifications for registration in an electoral roll.-(1) A person shall be disqualified for registration in the electoral roll for the ward if he-

(a) is not a citizen of India; or

(b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

- (c) is for the time being disqualified from voting under the provisions of any law relating to corrupt practices and other offences in connection with elections.

(2) The name of any person, who becomes so disqualified after registration, shall forthwith be struck off the electoral roll prepared under this Act:

Provided that the name of any person struck off the electoral roll of a ward by reason of a disqualification under clause (c) of sub-section (1) shall forthwith be re-entered in that roll, if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed under any law authorizing such removal.

15. Making false declaration.-If any person makes in connection with-

- (a) the preparation, revision or correction of an electoral roll, or
(b) the inclusion or exclusion of any entry in or from an electoral roll,

a statement or declaration in writing which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees, or with both.

16. Chief Electoral Officer.- (1) There shall be a Chief Electoral Officer who shall be such officer of the State Government as the State Election Commission may, in consultation with the State Government, designate or nominate in this behalf.

(2) Subject to the superintendence, direction and control of the State Election Commission-

- (a) the Chief Electoral Officer shall supervise the preparation, revision and correction of all electoral rolls in the State under this Act;

(b) shall supervise the conduct of all elections in the State under this Act; and

(c) shall exercise such other powers and functions as the State Election Commission may direct.

17. District Election Officers.- (1) For each district in the State, the State Election Commission shall, in consultation with the State Government, designate or nominate a District Election Officer who shall be an officer of the State Government:

Provided that the State Election Commission may designate or nominate more than one such officer for a district if the State Election Commission is satisfied that the functions of the office cannot be performed satisfactorily by one officer.

(2) Where more than one District Election Officers are designated or nominated for a district under the proviso to subsection (1), the State Election Commission shall in the order designating or nominating the District Election Officers also specify the area in respect of which each such officer shall exercise jurisdiction.

(3) Subject to the superintendence, direction and control of the Chief Electoral Officer, the District Election Officer shall co-ordinate and supervise all work in connection with the conduct of elections in the Municipalities of the district within his jurisdiction.

(4) The District Election Officer shall also perform such other functions as may be entrusted to him by the State Election Commission and the Chief Electoral Officer.

18. Staff of local authorities etc. to be made available.-

(1) Every local authority in the State shall, when so required by the Chief Electoral Officer, make available to any Electoral Registration Officer such Staff as may be necessary for the

performance of any duties in connection with the preparation and revision of electoral rolls.

(2) The authorities specified in sub-section (3) shall, when so required by the Chief Electoral Officer, make available to any returning officer such staff as may be necessary for the performance of any duties in connection with an election.

(3) The following shall be the authorities for the purposes of sub-section (2), namely: -

- (i) every local authority;
- (ii) any other institution, concern or undertaking which is established by or under a State Act or which is controlled or financed wholly or substantially by funds provided directly or indirectly by the State Government.

19. Officers and staff deemed to be on deputation to the State Election Commission.- The officers and staff deployed in connection with the preparation, revision and correction of the electoral rolls and for the conduct of all elections under this Act shall be deemed to be on deputation to the State Election Commission for the period during which they are so deployed and such officers and staff shall, during that period, be subject to the control and superintendence of the State Election Commission.

20. Breach of official duty in connection with the preparation etc. of electoral rolls.- (1) If any Electoral Registration Officer or other person required by or under this Act to perform any official duty in connection with the preparation, revision or correction of an electoral roll or the inclusion or exclusion of any entry in or from that roll, is without reasonable cause guilty of any act or omission in breach of such official duty, he shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to

two years or with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees or with both.

(2) No suit or other legal proceedings shall lie against any such officer or other person for damages in respect of any such act or omission as aforesaid.

(3) No court shall take cognizance of any offence punishable under sub-section (1) unless there is a complaint made by order of, or under authority from, the State Election Commission or the Chief Electoral Officer or the District Election Officer concerned.

21. Persons qualified for being members.- Subject to the provisions contained in sections 6 and 24 a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat on a Municipality unless-

- (a) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or the Backward Classes, such person is a member of any of these Castes or Tribes or Classes, as the case may be, and is an elector for any ward in the Municipality;
- (b) in the case of a seat reserved for a woman, such person belongs to the female sex and is an elector for any ward in the Municipality;
- (c) in the case of a seat reserved for a woman belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or the Backward Classes, such person is a member of any of these castes or tribes or classes, as the case may be, and is an elector for any ward in the Municipality and belongs to the female sex;
- (d) in the case of any other seat, such person is an elector for any ward in the Municipality; and

- (e) he has attained the age of 21 years, in either case whether the seat is reserved or not.

21A. Special qualification for election on certain seats.-

Notwithstanding anything to the contrary contained in any provision of this Act or of any other law for the time being in force, a person shall not be eligible for election on such seats in a Municipality, as may be determined by the State Government in the prescribed manner, unless he or she is within the age group of twenty one years to thirty five years and is otherwise eligible for election on such seats:

Provided that-

- (i) not more than two seats each from the seats reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes or women in a Municipality shall be determined under this section;
- (ii) where number of seats reserved in a Municipality for any of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes or women is three or less than three, only one seat from such Castes, Tribes, Classes or, as the case may be, women shall be determined under this section;
- (iii) where number of unreserved seats in a Municipality is five or less than five, only one from such seats shall be determined under this section; and
- (iv) where the number of unreserved seats in a Municipality is more than five, one seat out of each block of five such seats shall be determined under this section and any fraction of less than five seats shall be ingnored.

22. Restriction on contesting elections for more than one ward.-Notwithstanding anything contained in section 21, no person shall be entitled, in cases where election to a seat is contested, to contest such election for more than one ward, and every person who may have filed his nomination paper for seats to a Municipality for more than one ward shall withdraw his candidature from all but one of the seats by a notice in writing which shall contain such particulars as may be prescribed and deliver the same before 3 P.M. on the last date fixed for withdrawal:

Provided that if a person fails to withdraw his candidature from all but one seat in the manner specified above, he shall be deemed to have withdrawn his candidature from all seats.

23. Restrictions on use of vehicles, loud-speakers etc. .-

(1) The State Election Commission may impose reasonable restrictions on the use of vehicles or loudspeakers or on displaying of cut outs, hoardings, posters and banners by any candidate or his duly authorized election agent during the period of election commencing from the date of publication of notification for election to a Municipality and ending on the date on which the whole process of election is completed.

(2) If any candidate or his duly authorized election agent contravenes any of the restrictions imposed by the State Election Commission under sub-section (1), he shall, on conviction, be punishable with a fine which may extend to two thousand rupees.

(3) Every person punished under sub-section (2) shall, by an order of the State Election Commission, be liable to be disqualified for being chosen as or for being a member of any Municipality for a period which may extend to six years from the date of such order:

Provided that the State Election Commission may by a subsequent order, for reasons to be recorded, remove any

disqualification under this section or reduce the period of any such disqualification.

(4) No court shall take cognizance of an offence referred to in sub-section (2) except on the complaint made by an officer authorized in this behalf by any general or special order of the State Election Commission.

24. General disqualifications for members.- A person, notwithstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified, for being chosen as or for being a member of a Municipality-

- (i) if he has been convicted of an offence involving moral turpitude or of any other offence by a competent court of law and sentenced to imprisonment for six months or more, or
- (ii) if he has been convicted of an offence under section 245 of this Act, or
- (iii) if he is under trial in the competent court which has taken cognizance of the offence and framed the charges against him of any offence punishable with imprisonment for five years or more, or
- (iv) if he has been convicted of an offence under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (Central Act No. 37 of 1954), or
- (v) against whom an order has been passed under section 117 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), in proceedings instituted under section 110 of the said Code, such order not having been subsequently reversed, or
- (vi) if he has been dismissed or removed from the service of the Central or a State Government or any

local authority or any other authority specified under clause (xi) for misconduct, or

- (vii) if, he having been a professional practitioner, has been debarred from practicing as such by order of any competent authority, or
- (viii) if he holds any place of profit in the gift or disposal of the Municipality, or
- (ix) if he is disqualified under section 35 or section 41, or
- (x) if he is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of elections to the Rajasthan Legislative Assembly:

Provided that no person shall be disqualified under this clause on the ground that he is less than 25 years of age, if he has attained the age of 21 years, or

- (xi) if he holds a salaried or part-time appointment under the Central or a State Government or a local authority or any other authority, or
- (xii) if he holds a salaried whole time or part-time appointment under a university or any corporation, body, enterprise or co-operative society, which is either controlled or wholly or partly financed by the State Government, or
- (xiii) if he is an undischarged insolvent, or
- (xiv) if he has been adjudged by a competent court to be of unsound mind, or
- (xv) if he, save as hereinafter provided, has directly or indirectly, by himself or any member of his family or his partner, employer or employee, any share or interest in any work done or supply made by the

order of such Municipality or in any contract or employment with or under or by or on behalf of such Municipality, or

- (xvi) if he is employed as a paid legal practitioner on behalf of such Municipality or contesting as lawyer against the Municipality in any court of law at the time of filing nomination as candidate for such Municipality or accepts employment as legal practitioner against such Municipality during the term for which he has been elected, or
- (xvii) if he has more than two children, or
- (xviii) if he has been in arrear of any municipal dues for more than two years and proceedings for the recovery have been initiated against him under this Act, or
- (xix) if he has been convicted of an offence involving misappropriation or embezzlement of municipal property or fund by a competent court :

Provided that-

- (a) the disqualification mentioned in clause (i) shall cease to operate after the expiry of six years from the date of the release of the disqualified person from imprisonment;
- (b) the disqualification mentioned in clause (v) shall cease to operate after the expiry of the period for which a person is ordered to furnish security;
- (c) the disqualification mentioned in clause (ix) shall cease to operate after the expiry of the period for which a person is so disqualified unless such disqualification is removed

earlier by an order of the State Election Commission;

(d) a person shall not be deemed to have incurred the disqualification under clause (xv) by reason of his-

- (i) having any share or interest in any joint stock company, otherwise than as a managing director or agent which shall contract with or be employed by or on behalf of the Municipality, or
- (ii) having any share or interest in any lease, sale or purchase of any immovable property or in any agreement for the same, or
- (iii) having a share or interest in any newspapers in which any advertisement relating to the affairs of the Municipality may be inserted, or
- (iv) holding a debenture or being otherwise interested in any loan raised by or on behalf of the Municipality, or
- (v) having a share or interest in the occasional sale of any article in which he regularly trades to the Municipality to a value not exceeding in any official year such amount as the Municipality, with the sanction of the State Government, may fix in this behalf, or
- (vi) having a share or interest in the occasional letting out on hire to the Municipality, or in the hiring from the

Municipality, of any article for an amount not exceeding in any official year two thousand rupees or such higher amount not exceeding five thousand rupees as the Municipality, with the sanction of the State Government, may fix in this behalf;

- (e) a person having more than two children shall not be disqualified under clause (xvii) for so long as the number of children he had on 27th November, 1995 does not increase.

Explanation.- For the purpose of clause (xvii) any number of children born out of a single delivery shall be deemed to be one entity and any child given in adoption shall not be excluded while computing the number of children.

25. Right to vote.- (1) Except as expressly provided by this Act, every one who is for the time being registered in the electoral roll of any ward, shall be entitled to vote in that ward.

(2) No person shall vote at an election in any ward, if he is subject to any of the disqualifications referred to in section 14.

(3) No person shall at any election vote in more than one ward and if a person votes in more than one ward his votes in all the wards shall be void.

(4) No person shall at any election vote in the same ward more than once, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral roll thereof more than once, and, if he does so vote, all his votes shall be void.

(5) No person shall vote at any election under this Act, if he is confined in a prison whether under a sentence or otherwise or

is in the lawful custody of the police:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to a person subjected to preventive detention under any law for the time being in force.

26. Manner of voting at election.- (1) At every election, where a poll is taken, votes shall be given by ballot in such manner as may be prescribed and no votes shall be received by proxy.

(2) Every elector shall have one vote. If an elector gives votes to more than one candidate then, at the time of counting of the votes, all votes given by him shall be rejected as void.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder, the giving and recording of votes by voting machines, in such manner as may be prescribed, may be adopted in such ward or wards of any Municipality as the State Election Commission may, having regard to the circumstances of each case, specify.

Explanation.-For the purpose of sub-section (3), “voting machine” means any machine or apparatus whether operated electronically or otherwise used for giving or recording of votes and any reference to a ballot box or ballot paper in this Act or the rules made thereunder shall, save as otherwise provided, be construed as including a reference to such voting machine wherever such voting machine is used in any election.

27. Casual vacancy how to be filled.- (1) A casual vacancy in the office of a member occurring otherwise than by efflux of time shall be filled, subject to the provisions of sub-section (4), at a bye-election which shall be fixed to take place as soon as may be, in the manner as may be prescribed for a general election.

(2) A member elected at a bye-election shall hold office so long only as the member in whose place he is elected would have been entitled to hold the office, if the vacancy had not occurred.

(3) When a vacancy occurs by reason of death, resignation or removal of any elected member,-

- (a) against a seat reserved in any ward for a member of the Scheduled Caste or, as the case may be, the Scheduled Tribes or the Backward Classes, such vacancy shall be filled in by a member of such caste or tribe or classes; and
- (b) against a seat reserved in any ward for a woman, such vacancy shall be filled in by a woman.

(4) Where a vacancy occurs by reason of death, resignation, removal or avoidance of the election of an elected member and the term of office of that member would, in the ordinary course of events, have determined within six months of the occurrence of the vacancy, the State Government may direct that the vacancy be left unfilled until the next general election.

28. Electoral offences.- The provisions of sections 125, 126, 127, 127A, 128, 129, 130, 131, 132, 132A, 133, 134, 134A, 134B, 135, 135A, 135B, 135C and 136 of the Representation of People Act, 1951 (Central Act No. 43 of 1951) shall have effect as if -

- (a) references therein to an election were references to an election under this Act,
- (b) references therein to a constituency were references to a ward,
- (c) in sections 125 and 127, for the expression “under this Act”, the expression “under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 ” and in sections 134 and 136, for the expression "by or under this Act", the expression “by or under the Rajasthan Municipalities Act, 2009” were substituted, and

- (d) in sub-section (1) of section 135B for the words “House of the People or the Legislative Assembly of a State”, the words “ward of the Municipality” were substituted.

29. Corrupt practices.—The following shall be deemed to be corrupt practices for the purposes of an election under this Act, namely:—

- (i) bribery, that is to say, any gift, offer or promise by a candidate or his agent or by any other person of any gratification to any person whomsoever with the object, directly or indirectly, of inducing—
- (a) a person to stand or not to stand as, or to withdraw from being, a candidate or to retire from contest at an election; or
- (b) an elector to vote or refrain from voting at an election; or as a reward to—
- (i) a person for having so stood or not stood, or for having withdrawn his candidature or having retired from contest; or
- (ii) an elector for having voted or refrained from voting.

Explanation.—For the purpose of this clause the term “gratification” is not restricted to pecuniary gratification or gratifications estimable in money, and it includes all forms of entertainment and all forms of employment for reward, but it does not include the payment of any expenses bonafide incurred at, or for the purpose of, any election;

- (ii) Undue influence, that is to say, any direct or indirect interference or attempt to interfere on the

part of a candidate or his agent or of any other person, with the free exercise of any electoral right :

Provided that—

(a) without prejudice to the generality of the provisions of this clause any such person as is referred to therein who-

(i) threatens any candidate, or any elector, or any person in whom a candidate or an elector is interested, with injury of any kind including social ostracism and ex-communication or of expulsion from any caste or community; or

(ii) induces or attempts to induce a candidate or an elector to believe that he, or any person in whom he is interested, will become or will be rendered as object of divine displeasure or spiritual censure,

shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or elector within the meaning of this clause;

(b) a declaration of public policy, or a promise of public action or the mere exercise of a legal right without intent to interfere with an electoral right, shall not be deemed to be interference within the meaning of this clause;

(iii) The appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion, race, caste, community and language or the use of, or appeal to,

religious symbols or the use, or appeal to national symbols such as the national flag or the national emblem, for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate :

Provided that no symbol allotted under this Act to a candidate shall be deemed to be a religious symbol or a national symbol for the purpose of this clause;

- (iv) The promotion of, or attempt to promote, feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion, race, caste, community or language, by a candidate or his agent or any other person with the consent of a candidate or his election agent for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate;
- (v) The propagation of the practice or the commission of sati or its glorification by a candidate or his agent or any other person with the consent of the candidate or his election agent for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate.

Explanation.—For the purposes of this clause, “sati” and “glorification” in relation to sati shall have the meaning respectively assigned to them in the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (Central Act No. 3 of 1988);

- (vi) The publication by a candidate or his agent or by any other person of any statement of fact which is false, and which he either believes to be false or

does not believe to be true, in relation to the candidature or withdrawal or retirement from contest of any candidate, being a statement reasonably calculated to prejudice the prospects of that candidate's election;

- (vii) The hiring or procuring, whether on payment or otherwise, of any vehicle or vessel by a candidate or his agent or by any other person for the conveyance of any elector (other than the candidate himself, any member of his family or his agent), to or from any polling station or place fixed for the poll :

Provided that the hiring of a vehicle or vessel by an elector or by several electors at their joint cost for the purpose of conveying him or them to or from any such polling station or place fixed for the poll shall not be deemed to be a corrupt practice under this clause if the vehicle or vessel so hired is a vehicle or vessel not propelled by mechanical power:

Provided further that the use of any public transport vehicle or vessel or any tram, car or railway carriage by any elector at his own cost for the purpose of going to or coming from any such polling station or place shall not be deemed to be a corrupt practice under this clause.

Explanation.— In this clause the expression “vehicle” means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport whether propelled by mechanical power or otherwise and whether used for drawing other vehicles or otherwise;

- (viii) The incurring or authorizing by a candidate or his agent or by any other person of expenditure in contravention of the provision of any rule or order relating to election made under this Act;
- (ix) The obtaining or procuring or abetting or attempting to obtain or procure by a candidate or his agent or by any other person any assistance (other than the giving of vote) for the furtherance of the prospects of the candidate's election from any person in the service of the Government and belonging to any of the following classes, namely:—
- (a) Gazetted Officers;
 - (b) Members of the armed forces of the Union;
 - (c) Members of the police force;
 - (d) Excise Officers;
 - (e) Revenue Officers including Patwaries and like;
and
 - (f) Such other class of persons in the service of the Government as may be prescribed.

Explanation.— (i) For the purposes of clause (ix), a person shall be deemed to assist in the furtherance of the prospects of a candidate's election if he acts as an election agent or polling agent or counting agent of that candidate;

(ii) In this section, the expression “agent” includes an election agent, a polling agent and any person who is held to have acted as an agent in connection with the election with the consent of the candidate.

30. Jurisdiction of civil courts in electoral matters.— (1) No civil court shall have jurisdiction to entertain or adjudicate upon any question relating to the delimitation of wards, the

allotment of seats to such wards, preparation of electoral rolls or conduct of election.

(2) No election to any Municipality shall be called in question except by an election petition presented in accordance with the provisions of this Act.

31. Election petition.— (1) The election of any person as a member of a Municipality may be questioned by an election petition filed within one month from the date of election before the District Judge having territorial jurisdiction over the municipal area on one or more of the following grounds, namely:—

- (a) that on the date of election a returned candidate was not qualified, or was disqualified, to be chosen to fill the seat under this Act, or
- (b) that any corrupt practice specified in section 29 has been committed by a returned candidate or his election agent or by any other person, with the consent of a returned candidate or his election agent, or
- (c) that any nomination has been improperly rejected, or
- (d) that the result of the election, in so far as it concerns a returned candidate has been materially affected—
 - (i) by the improper acceptance of any nomination, or
 - (ii) by any corrupt practice committed in the interest of the returned candidate by a person other than that candidate or his election agent or a person acting with the consent of such candidate or election agent, or

- (iii) by the improper reception, refusal or rejection of any vote or the reception of any vote which is void, or
- (iv) by any non-compliance with the provisions of this Act or of any rules or orders made thereunder, or
- (e) that in fact the petitioner or some other candidate received a majority of the valid votes, or
- (f) that, but for the votes obtained by the returned candidate by corrupt practices, the petitioner or some other candidate would have obtained a majority of the valid votes.

(2) In hearing the election petition, the District Judge shall follow such procedure and exercise such powers as may be prescribed.

32. Appeals from orders of District Judge.— (1) An appeal shall lie to the High Court from every order made by the District Judge on the petition presented under section 31.

(2) The High Court shall, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, have the same powers, jurisdiction and authority, and follow the same procedure, with respect to an appeal under this section as if the appeal was an appeal from an original decree passed by a civil court situated within the local limits of its civil appellate jurisdiction.

(3) Every appeal under this section shall be preferred within a period of thirty days from the date of the order appealed from :

Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.

(4) Where an appeal has been preferred against an order declaring the election of all or any of the returned candidates to be void, the High Court may, on sufficient cause being shown, stay operation of the order appealed from and in such a case the order shall be deemed not to have taken effect.

(5) Every appeal shall be decided as expeditiously as possible and endeavour shall be made to determine it finally within three months from the date on which the memorandum of appeal is presented to the High Court.

33. Procedure where election of all candidates is set aside.—Whenever the election of all the members or of more than two-thirds of the total number of the members of a Municipality is declared to be void under section 31 or on appeal under section 32 the State Government shall dissolve the Municipality whereupon the provisions of section 322, except the provisions of sub-section (1) thereof, shall apply.

34. Finality of orders and decision.—The decision of the High Court on an appeal under section 32, and, only subject to such decision, the order of the District Judge under section 31 shall be final and conclusive.

35. Disqualifications.—(1) The following shall entail disqualifications for membership of a Municipality, namely:—

- (a) electoral offences referred to in section 28,
- (b) corrupt practices specified in section 29.

(2) The period of such disqualification shall be six years from the date of the finding of the District Judge as to such corrupt practice or from the date of conviction for such offence, as the case may be.

36. Removal or reduction of period of disqualification.—The State Election Commission may, for reasons to be recorded in writing, remove any disqualification under clause (a) of sub-

section (1) of section 35 or reduce the period of any such disqualification.

37. Oath of office.—(1) Every member shall, before entering upon his duties as such, make and subscribe before the Collector or his nominee for the purpose an oath or affirmation in the prescribed form.

(2) Any member who fails to comply with the provisions of sub-section (1) within a period of one month from the date of the first meeting of the Municipality or in case of a member elected in a bye-election or a nominated member, from the date of his election or, as the case may be, his nomination, shall be deemed to have vacated his seat :

Provided that the period during which such member was in jail as an under trial prisoner or as a detenué or as a political prisoner shall not be taken into account.

38. Resignation.—A member may resign his membership by giving notice in writing to that effect duly attested by an Executive Magistrate to the Chairperson and such resignation shall take effect after the expiry of fifteen days from the date of the notice or from the date of the acceptance of the resignation by the Chairperson, whichever is earlier.

39. Removal of member.—(1) The State Government may, subject to the provisions of sub-sections (3) and (4), remove a member of a Municipality on any of the following grounds, namely:—

- (a) that he has absented himself for more than three consecutive general meetings, without leave of the Municipality :

Provided that the period during which such member was in jail as an under trial prisoner

or as a detenue or as a political prisoner shall not be taken into account,

- (b) that he has failed to comply with the provisions of section 37,
- (c) that after his election he has incurred any of the disqualification mentioned in section 14 or section 24 or has ceased to fulfill the requirements of section 21,
- (d) that he has—
 - (i) deliberately neglected or avoided performance of his duties as a member, or
 - (ii) been guilty of misconduct in the discharge of his duties, or
 - (iii) been guilty of any disgraceful conduct, or
 - (iv) become incapable of performing his duties as a member, or
 - (v) been disqualified for being chosen as member under the provisions of this Act, or
 - (vi) otherwise abused in any manner his position as such member :

Provided that an order of removal shall be passed by the State Government after such inquiry as it considers necessary to make either itself or through such existing or retired officer not below the rank of State level services or authority as it may direct and after the member concerned has been afforded an opportunity of explanation.

(2) The power conferred by sub-section (1) may be exercised by the State Government of its own motion or upon the receipt of a report from the Municipality in that behalf or upon the facts otherwise coming to the knowledge of the State Government :

Provided that, until a member is removed from office by an order of the State Government under this section, he shall not vacate his office and shall, subject to the provisions contained in sub-section (6), continue to act as, and exercise all the powers and perform all the duties of, a member and shall as such be entitled to all the rights and be subject to all the liabilities, of a member under this Act.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where it is proposed to remove a member on any of the grounds specified in clause (c) or clause (d) of sub-section (1), as a result of the inquiry referred to in the proviso to that sub-section and after hearing the explanation of the member concerned, the State Government shall draw up a statement setting out distinctly the charge against the member and shall send the same for enquiry and findings by Judicial Officer of the rank of a District Judge to be appointed by the State Government for the purpose.

(4) The Judicial Officer so appointed shall proceed to inquire into the charge, hear the member concerned, if he makes appearance, record his findings on each matter embodied in the statement as well as on every other matter he considers relevant to the charge and send the record along with such findings to the State Government, which shall thereupon either order for re-inquiry, for reasons to be recorded in writing, or pass final order.

(5) While hearing an inquiry under sub-section (4), the Judicial Officer shall observe such rules of procedure as may be prescribed by the State Government and shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

- (b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;
- (c) requisitioning any public record; and
- (d) any other matter which may be prescribed.

(6) Notwithstanding the foregoing provisions of this section, the State Government may place under suspension a member against whom proceedings have been commenced under this section until the conclusion of the inquiry and the passing of the final order and the member so suspended shall not be entitled to take part in any proceedings of the Municipality or otherwise perform the duties of a member thereof.

(7) Every final order of the State Government passed under this section shall be published in the Official Gazette and shall be final and no such order shall be liable to be called in question in any court.

40. Inquiry into certain allegations after expiry of term of office.—(1) In respect of any allegations of the nature specified in clause (d) of sub-section (1) of section 39 against any member or the Chairperson or Vice-Chairperson of a Municipality, the inquiry referred to in the proviso to the said sub-section, and in sub-sections (3) and (4) of that section may be initiated against such member, Chairperson or Vice-Chairperson even after the expiry of the term of office of that Municipality or after he has ceased to be such member or Chairperson or Vice-Chairperson or, if already initiated before such expiry may be continued thereafter and in each such case except in the cases covered under sub-section (3), the State Government shall, by order in writing, only record its findings in conformity with those of the Judicial Officer recorded under sub-section (4) of section 39.

(2) The provisions of sub-section (6) of section 39 shall apply to the findings of the State Government so recorded.

(3) In case of a member, Chairperson or Vice-Chairperson, who is re-elected for the new term of the Municipality and against whom any inquiry referred to in sub-section (1) is initiated or, if it has already been initiated, is continued, in respect of his previous term in the Municipality, the provisions of section 39 shall *mutatis mutandis* apply.

41. Disability of members removed under section 39.—A member who has been removed under clause (d) of sub-section (1) of section 39 or against whom adverse findings have been recorded under section 40 shall not be eligible for re-election for a period of six years from the date of the order of his removal or of recording adverse findings as the case may be.

42. Restriction on simultaneous holding of the office of a member in Municipality and the membership of Parliament or State Legislative Assembly or a Panchayati Raj Institution.—No person shall remain both the elected or nominated member of a Municipality and a member of Parliament or State Legislative Assembly or a Panchayati Raj Institution and if a person who is already a member of Parliament or State Legislative Assembly or a Panchayati Raj Institution is elected as a member of a Municipality, then, at the expiration of fourteen days from the date of his being elected or nominated as such member, he shall cease to be such member unless he has previously resigned his seat in the Parliament or the State Legislative Assembly or the Panchayati Raj Institution, as the case may be :

Provided that if a person, who is already an elected or nominated member of a Municipality, is elected as a member of Parliament or the State Legislative Assembly or a Panchayati Raj Institution, then, at the expiration of fourteen days from the date of

his being elected as a member of a Parliament or the State Legislative Assembly or a Panchayat Raj Institution, as the case may be, he shall cease to be such member unless he has previously resigned his seat in the Parliament or the State Legislative Assembly or the Panchayati Raj Institution, as the case may be.

43. Every Municipality to have a Chairperson and a Vice-Chairperson.—(1) There shall be a Mayor for every Municipal Corporation, a President for every Municipal Council and a Chairman for every Municipal Board, who shall be elected in the prescribed manner.

(2) There shall be a Deputy Mayor for every Municipal Corporation, a Vice-President for a Municipal Council and a Vice-Chairman for every Municipal Board who shall be elected in the prescribed manner.

(3) The offices of Chairpersons of Municipalities shall be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Classes as also for women in such manner as may be prescribed.

(4) The State Government shall allocate the offices of Chairpersons reserved under sub-section (3) to different Municipalities in the State and in allocating such offices regard shall be had to the following provisions, namely:—

- (i) Municipalities in which office is reserved for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be distributed throughout the State and located as far as practicable in those areas where the proportion of their population to the total population is comparatively large;
- (ii) the Municipalities in which office is reserved for women shall be distributed throughout the State.

(5) The reservation of the office of the Chairpersons for the members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or the Backward Classes under this section shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution of India.

(6) Every Chairperson or Vice-Chairperson who, for a period exceeding one month, remains absent from the Municipality so as to be unable to perform his duties as such Chairperson or Vice-Chairperson shall cease to be Chairperson or Vice-Chairperson unless leave so to absent has been granted by the Municipality.

(7) Leave under sub-section (6) shall not be granted for a period exceeding six months. Whenever leave is granted to a Chairperson and the office of the Vice-Chairperson is vacant the vacancy shall be filled up by election from amongst the members within such period and in such manner as may be prescribed. When leave is granted to a Vice-Chairperson or when the Vice-Chairperson is acting for the Chairperson, the vacancy in the office of the Vice-Chairperson may be filled up by election of some other member thereto.

(8) If the Vice-Chairperson of a Municipality is elected as Chairperson of the Municipality, he shall be deemed to have vacated his office as Vice-Chairperson.

(9) Every Chairperson and every Vice-Chairperson of a Municipality shall forthwith be deemed to have vacated his office, if a resolution expressing want of confidence in him is passed in accordance with the procedure prescribed.

(10) Every Chairperson and every Vice-Chairperson shall be removable from his office as such Chairperson and Vice-Chairperson on any of the grounds specified in clause (d) of sub-section (1) of section 39, and the provisions of sub-sections (2) to (6) of that section shall apply.

(11) The term of office of every Chairperson and every Vice-Chairperson shall, save as otherwise provided in this Act, correspond with the term of the Municipality.

(12) A Vice-Chairperson may resign his office by giving notice in writing to the Chairperson, and a Chairperson may resign by personally giving a like notice to such officer as may be appointed or authorized by the State Government in this behalf. Every such resignation shall take effect on its acceptance or as the case may be, the expiry of thirty days from the delivery of the notice to the Chairperson or such officer as the case may be whichever is earlier.

(13) (i) A vacancy in the office of a Chairperson occurring otherwise than efflux of time shall be filled within a period of six months from the occurrence of such vacancy and the person elected to fill up the vacancy shall hold office for the residue of the term for which the Chairperson in whose place he is so elected would have held, if the vacancy had not occurred:

Provided that in case of unavoidable circumstances the State Government may extend the date of such election up-to maximum period of three months beyond the aforesaid period.

(ii) A vacancy in the office of a Vice-Chairperson occurring otherwise than by efflux of time shall be filled in accordance with the provisions of the foregoing sub-sections and the person elected to fill up the vacancy shall hold office for the residue of the term for which the Vice-Chairperson in whose place he is so elected would have held, if the vacancy had not occurred.

(14) The names of the Chairperson and Vice-Chairperson elected in accordance with the provisions of this section shall be published, as soon as may be, in the Official Gazette.

(15) The Chairperson of a Municipality may receive out of the municipal fund such monthly allowances and facilities as may be prescribed.

44. Determination of validity of election of Chairperson or Vice-Chairperson.—(1) The election of a Chairperson or Vice-Chairperson under section 43 shall not be called in question except by an election petition presented to the District Judge having territorial jurisdiction, over the municipal area :

Provided that where an election petition is presented as aforesaid to a District Judge, he may, for the reasons to be recorded in writing, transfer the same for hearing and disposal to a Judge subordinate to him.

Explanation.—The District Judge or any other Judge to whom an election petition is or transferred and by whom it is heard in accordance with the provisions of this section is hereinafter referred to as the Judge.

(2) Such petition may be presented by a candidate who has been defeated or whose nomination has been rejected in such manner, on such grounds and within such period as may be prescribed, along with a deposit of one thousand rupees.

(3) In hearing the petition, the Judge shall follow such procedure and exercise such powers as may be prescribed.

(4) Without prejudice to the generality of the provision contained in sub-section (3), the Judge may, if the petition is found to be frivolous, direct that the deposit mentioned in sub-section (2) shall be forfeited to the State Government.

45. Core municipal functions.—(1) It shall be the duty of every Municipality to make reasonable provision and proper

arrangement for the following matters within the municipal area, namely:-

- (a) public health, sanitation, conservation, solid waste management, drainage and sewerage, cleaning public streets, places and sewers, and all spaces, not being private property, which are open to the enjoyment of the public, whether such spaces are vested in the Municipality or not, removing noxious vegetation and abating all public nuisances;
- (b) removing filth, rubbish, night-soil, odour, or any other noxious or offensive matter from privies, latrines, urinals, cesspools or other common receptacles for such matter in or pertaining to a building or buildings;
- (c) lighting public streets, places and buildings;
- (d) extinguishing fires and protecting life and property when fire occurs;
- (e) regulating offensive or dangerous trades or practices;
- (f) removing obstructions and projections in public streets or places and in spaces, not being private property which are open to the enjoyment of the public, whether such spaces are vested in the Municipality or not;
- (g) securing or removing dangerous buildings or places and reclaiming unhealthy localities;
- (h) acquiring, maintaining, changing and regulating places for the disposal of the dead and of the carcasses of dead animals;

- (i) constructing, altering and maintaining public streets, culverts, municipal boundary marks, markets, slaughter-houses, drains, sewers, drainage-works, sewerage-works, baths, washing places, drinking fountains, tanks, wells, dams and the like;
- (j) constructing public latrines, privies and urinals;
- (k) naming streets and numbering houses;
- (l) registering births and deaths;
- (m) arranging for detention and preservations of such dogs within the Municipality as may be dealt with under section 249 of this Act;
- (n) paying the salary and the contingent expenditure on account of such police officers as may be required by the Municipality for the purposes of this Act or for the protection of any municipal property and providing such accommodation as may be required by the State Government under the law in force relating to police;
- (o) raising volunteer force with such functions and duties in relation to the protection of persons, the security of property and the public safety as may be prescribed;
- (p) making arrangements for preparation of compost manure from night soil and rubbish;
- (q) establishing and maintaining cattle pounds;
- (r) promoting population control, family welfare and small family norms;
- (s) preparing plans for economic development and social justice;
- (t) establishing communication systems including construction and maintenance of roads, footpaths,

- pedestrian pathways, transportation terminals, both for passengers and goods, bridges, over-bridges, subways, ferries, and inland water transport system;
- (u) preparing transport system accessories including traffic engineering schemes, street furniture, parking areas and bus stops;
 - (v) arranging for planned development of new areas for human settlement;
 - (w) taking measures for beautification of the municipal area by setting up parks and fountains, providing recreational areas, improving river banks, and landscaping;
 - (x) collecting statistics and data significant to the community;
 - (y) integrating development plans and schemes of the municipal area with the district or regional development plan, if any;
 - (z) promoting educational, sports and cultural activities;
 - (za) disclosing material and vital information regarding finances of, and development work and other activities undertaken by the Municipality to the stakeholders and the public at large;
 - (zb) taking steps for securing the prevention of cruelty to animals; and
 - (zc) performing such other statutory or regulatory functions as may be provided by or under this Act or under any other law for the time being in force.

(2) The Municipality may, having regard to its managerial, technical, financial and organizational capacity, and

the actual conditions obtaining in the municipal area, decide not to take up, or postpone, the performance of, any of the functions as aforesaid.

(3) The State Government may direct a Municipality to perform any of the functions as aforesaid, if such function is not taken up, or is postponed, by the Municipality.

(4) The Municipality may plan, build, operate, maintain or manage the infrastructure required for the discharge of any of the functions, as aforesaid, either by itself or by any agency under any agreement referred to in section 154.

46. Other municipal functions.- A Municipality may, having regard to the satisfactory performance of its core functions which shall constitute the first charge on the municipal fund, and subject to its managerial, technical and financial capabilities, undertake or perform, or promote the performance of, any of the following functions, namely: -

- (i) in the sphere of protection of environment-
 - (a) reclamation of waste lands, promotion of social forestry and maintenance of open spaces;
 - (b) establishment and maintenance of nurseries for plants, vegetables and trees and promotion of greenery through mass participation;
 - (c) organization of flower-shows and promotion of flower-growing as a civic culture; and
 - (d) promotion of measures for abatement of all forms of pollution;
- (ii) in the sphere of public health and sanitation-
 - (a) mass inoculation campaigns for eradication of infectious diseases;

- (b) reclamation of unhealthy localities;
 - (c) maintenance of all public tanks and regulating re-excavation, repair and up-keep of all private tanks, wells and other sources of water-supply on such terms and conditions as the Municipality may deem proper ; and
 - (d) advancement of civic consciousness of public health and general welfare by organizing discourses, seminars and conferences;
- (iii) in the sphere of education and culture-
- (a) promotion of civic education, adult education, social education and non-formal education;
 - (b) promotion of cultural activities including music, physical education, sports and theatres and infrastructure therefor;
 - (c) advancement of science and technology in urban life;
 - (d) publication of municipal journals, periodicals and souvenirs, purchase of books, and subscription to journals, magazines and newspapers;
 - (e) installation of statues, portraits and pictures in appropriate manner;
 - (f) organization, establishment and maintenance of art galleries and botanical or zoological collections;
 - (g) conservation and maintenance of monuments and places of historical, artistic and other importance; and

- (h) construction, establishment, maintenance or contribution to the maintenance of public libraries, museums, reading rooms, lunatic asylums, halls, offices;
- (iv) in the sphere of public welfare-
 - (a) establishment and maintenance of shelters, in times of drought, flood, earthquake, or other natural or technological disasters, and relief works, for destitute persons within the limits of the municipal area;
 - (b) construction or maintenance of, or provision of aids to, hospitals, dispensaries, asylums, rescue homes, maternity houses, and child welfare centers;
 - (c) provision of shelters for the homeless;
 - (d) implementation of programmes for liberation and rehabilitation of scavengers and their families;
 - (e) organization of voluntary labour and co-ordination of activities of voluntary agencies for community welfare; and
 - (f) campaigns for dissemination of such information as is vital for public welfare; and
- (v) in the sphere of community relations-
 - (a) civic receptions to persons of distinction and paying homage on death to persons of repute;
 - (b) organization and management of fairs and exhibitions; and
 - (c) dissemination of information of public interest.

47. Functions assigned by the Government.- The State Government may, by general or special order, require a Municipality to perform such other municipal functions as the State Government may, having regard to the necessity and the resources of the Municipality, think fit to be performed by the Municipality.

48. Functions of Chairperson and Vice-Chairperson.-

(1) It shall be the duty of the Chairperson of a Municipality -

- (a) to convene regular meetings of the Municipality as provided in section 58;
- (b) to preside unless prevented by reasonable cause, at all meetings of the Municipality and subject to the provisions of the rules for the time being in force under clause (xiii) of sub-section (2) of section 337, to regulate the conduct of business at such meetings;
- (c) watch over the financial and executive municipal administration of the Municipality;
- (d) to perform all the duties and exercise all the powers specifically imposed or conferred upon him under and in accordance with Act; and
- (e) to perform such other executive functions as may be prescribed.

(2) The Vice-Chairperson of a Municipality shall exercise such of the powers and perform such of the duties of the Chairperson as the Chairperson from time to time delegates to him. It shall also be the duty of the Vice-Chairperson-

- (a) in the absence of the Chairperson and unless prevented by reasonable cause, to preside at the meeting of the Municipality and when so presiding to exercise the same authority as is

vested in the Chairperson under clauses (a) and (b) of sub-section (1); and

- (b) during the absence of a Chairperson on leave, to exercise the powers and perform the duties of the Chairperson.

49. Powers and duties of the Chief Municipal Officer including custody of records.- (1) The Chief Municipal Officer shall be responsible for the custody and maintenance of all the records of the Municipality.

(2) Where any proceedings or resolution of a Municipality or of any of its committees or order of the Chairperson is inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, it shall be the duty of the Chief Municipal Officer to tender advice to the Municipality, or committee or the Chairperson mentioning the relevant provisions of law to bring out the provisions of this Act or the rules made thereunder and record in the proceedings of the meeting of Municipality or committee or on the order of the Chairperson the fact that he had tendered such advice and thereupon put up a note of dissent on such proceedings, resolution, or as the case may be, the order and ensure the communication of the matter to the State Government or any officer authorized by it in this behalf within seven days of passing such resolution or order, or as the case may be, undertaking such proceedings.

(3) If the Chief Municipal Officer knowingly neglect his duty under sub-section (2), he shall be personally liable to any loss incurred by the Municipality as a result of the proceedings, resolution or the order of the nature specified in that sub-section and such loss may be recovered from him in the same manner in which municipal dues are recovered.

(4) After examining the note of dissent reported under subsection (2), the State Government or the officer authorized by it in this behalf, may make such interim or final order as he thinks fit, which shall be binding on the Municipality:

Provided that if no such interim or final order is passed within a period of thirty days from the date of receipt of the dissent note, the Municipality may proceed with the proceedings or the resolution or, as the case may be, the order as if the dissent note was not put up.

(5) The Chief Municipal Officer or any other officer authorised in this behalf by the State Government shall have the power, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, to authenticate under his signatures all resolutions, all licences, permissions which may be granted or given by the Municipality, Committee or order of Chairperson under this Act and no licence or permission or order shall be legal and valid unless it has been so authenticated by the Chief Municipal Officer or as the case may be, by such other officer.

(6) The Chief Municipal Officer shall exercise such other powers of the Municipality as the State Government may entrust him in the specified administrative exigency by a general or special order.

(7) All correspondence addressed to or meant for the Municipality shall ordinarily be sent in the name of the Chief Municipal Officer but may also be sent to the Chairperson and all correspondence issued or made on behalf of the Municipality shall ordinarily be issued under the seal and signature of the Chief Municipal Officer and may also be issued under the seal and signature of the Chairperson.

(8) The Chief Municipal Officer shall furnish any extract from the minutes of the proceedings of the Municipality or of any

committee or other document or thing, which the officer appointed or authorized by the State Government in this behalf, calls from time to time.

(9) The Chief Municipal Officer shall,-

- (i) take prompt steps to remove any defect or irregularity brought to his notice in the course of the audit of the municipal accounts or pointed out in the audit report;
- (ii) report to the Municipality all cases of fraud, embezzlement, theft or loss of municipal money or property;
- (iii) supply any return, statement, account or report or any other document in his charge or a copy thereof requisitioned by the Municipality;
- (iv) make an explanation in regard to a subject under discussion at a meeting thereof but not vote upon or make any proposition thereat;
- (v) carry out the policies, decisions and directions of the Municipality if not inconsistent with provisions of this Act and rules made thereunder, and take necessary measures for the speedy execution of all works and development schemes of the Municipality;
- (vi) discharge such other duties as may be assigned to him by or under this Act or the rules and bye-laws made thereunder; and
- (vii) subject to the general superintendence and control of the Chairperson, exercise

supervision and control over the officers and servants of the Municipality subordinate to him.

50. Handing over charge.—(1) Whenever-

- (i) a Chairperson resigns or ceases to be such or is removed from or vacates the office of Chairperson, or is placed under suspension or his election as a member or Chairperson is declared to be void;
- (ii) a Vice-Chairperson resigns or ceases to be such or is removed from, or vacates the office of Vice-Chairperson or is placed under suspension or his election as a member or Vice-Chairperson is declared to be void;
- (iii) a member resigns or is removed or placed under suspension or his election is declared to be void;
- (iv) a Municipality is dissolved or it otherwise becomes defunct,

such Chairperson, Vice-Chairperson or member or the Chairperson, Vice-Chairperson and members of such Municipality, as the case may be, shall forthwith hand over charge in the prescribed manner of his or their office including all papers and properties pertaining to such office, in his or their actual possession or occupation-

- (a) in the case of a Chairperson, to the Vice-Chairperson and if there be no Vice-Chairperson, to such member as the State Government may direct:

Provided that charge of office of any Chairperson who was elected to an office reserved for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Backward Classes, or for Women, shall be handed over to the Vice-Chairman if he belongs to the same category and if there be no such Vice-Chairperson as per directions of the State Government, to a member, if any, of the said Castes, Tribes or Classes or a woman member, as the case may be, in the manner as may be prescribed and where there is no such member belonging to said Castes, Tribes, Classes or a woman member to whom charge can be given as aforesaid, the charge shall be handed over in the manner as may be prescribed, to any other member not belonging to the aforesaid categories;

- (b) in the case of a Vice-Chairperson, to the Chairperson, and if there be no Chairperson, to such member as the State Government may direct;
- (c) in the case of a member, to a Chairperson, and in his absence, to the Vice-Chairperson; and

- (d) in the case of a Municipality dissolved or otherwise becoming defunct, to the newly constituted Municipality or, as the case may be, to the officer appointed under section 322:

Provided that a member to whom charge has been handed over under clauses (a) and (b) shall hold charge for a period, not exceeding sixty days, or till the taking over of charge by the Chairperson or, the Vice-Chairperson, as the case may be, whichever may be earlier.

(2) If any person fails or refuses or is not available to hand over the charge of office as required under sub-section (1), the person who is entitled to take over the charge of office shall assume charge and thereupon he shall be deemed to have taken over the charge of such office in accordance with the provisions of this Act.

CHAPTER III

Conduct of Business and Ward Committee

51. Provisions in regard to meetings of a Municipality.-

(1) There shall be an ordinary general meeting of the Municipality once within sixty days and minimum six meetings in a calendar year and the business of the meeting shall be conducted in accordance with such procedure as may be prescribed.

(2) The Chairperson shall call a special meeting for a date not more than seven days from the date of receiving a request in writing signed by not less than one-third of elected members of the

Municipality specifying the resolution, which is proposed to be moved.

(3) If the Chairperson fails to call a special meeting within the time specified under sub-section (2), the Chief Municipal Officer shall call such meeting within ten days from the date on which the time specified in sub-section (2) expires.

52. Rights and privileges of individual members.-(1)

Any member may call the attention of the proper authority to any neglect in the execution of a municipal work, to any wastage of municipal property or to the civic problems of any locality, and may suggest any improvement which he considers desirable.

(2) Every member shall have the right to put questions to the Chairperson and to move resolutions on matters connected with the administration of the Municipality, subject to the rules prescribed.

(3) Every member shall have the right to inspect, without payment of any fees, records of the Municipality at the municipal office, after giving due notice to the Chief Municipal Officer.

53. Motion of non-confidence against Chairperson.-(1)

Motion expressing no confidence in the Chairperson or the Vice-Chairperson shall be made and considered in the prescribed manner.

(2) No notice of motion under this section shall be made within one year of the assumption of office by a Chairperson or a Vice-Chairperson.

(3) If a motion under sub-section (1) is not carried, no notice of a subsequent motion expressing no confidence in the same Chairperson or Vice-Chairperson shall be made until after the expiration of two years from the date of the meeting in which the motion was considered.

54. Constitution of Wards Committee.-(1) There shall be constituted Wards Committees, consisting of one or more wards, within the territorial areas of the Municipalities having population of three lakh or more.

(2) Each Ward Committee shall consist of-

- (a) the members of the Municipality representing the wards within the territorial areas of the Wards Committee; and
- (b) such other members, not exceeding five who are not less than 25 years of age and who have special knowledge or experience in municipal administration to be nominated by the Municipality :

Provided that a person shall be disqualified for being nominated , and for being , a member of the Wards Committee, if under the provision of this Act or any other law for the time being in force, he would be disqualified for being elected as, and for being, a member.

(3) Where a Wards Committee consists of one ward, the member representing that ward in the municipality shall be the Chairperson of that Committee.

(4) (a) The Ward Committee shall at its first meeting after its constitution under sub-section (1) and at its first meeting in the same month in each succeeding year shall elect where the Wards Committee consists of two or more wards, one of the members representing such wards in the Municipality to be the Chairperson of that Committee.

(b) The Chairperson shall hold office until his successor has been elected and shall be eligible for re-election.

(5) The Chairperson shall vacate office as soon as he ceases to be a member.

(6) In the event of the office of the Chairperson falling vacant before the expiry of his term, the Wards Committee shall, as soon as conveniently may be after the occurrence of the vacancy, elect new Chairperson in accordance with sub-section (4) :

Provided that a Chairperson so elected shall hold office so long only as the person in whose place he is elected would have held it if such vacancy had not occurred.

(7) The duration of the Wards Committee shall be co-extensive with the duration of the municipality.

(8) The Municipality shall by order define the functions and duties of the Wards Committee, the territorial areas of such Committee and the procedure to be adopted by such Committee for transaction of its business.

(9) Three members including the Chairperson of the Wards Committee shall constitute the quorum and the Wards Committee shall observe such rules of procedure in transacting its business as may be made by the Municipality.

55. Committees.-(1) In every Municipality there shall be an Executive Committee constituted and consisting of-

- (i) the Chairperson of the Municipality;
- (ii) the Vice-Chairperson of the Municipality;
- (iii) the leader of the opposition;
- (iv) in case of a Municipal Corporation or Municipal Council seven members elected by the Municipal Corporation or, as the case may be, Municipal Council, including two from the women members;

- (v) in case of a Municipal Board, such number of members not exceeding five, as may be determined by the Municipal Board, elected by the Municipal Board; and
- (vi) the Chairperson of the committees constituted by the Municipality under sub-section (3).

(2) The Chief Municipal Officer of the Municipality shall be ex-officio Secretary of the Executive Committee.

(3) In addition to the Executive Committee, every Municipality shall also constitute the following Committees consisting of not more than ten members, namely:-

- (i) a finance committee;
- (ii) a health and sanitation committee;
- (iii) a buildings permission and works committee;
- (iv) a slum improvement committee;
- (v) a rules and bye-laws committee;
- (vi) a compounding and compromising of offences committee; and
- (vii) looking to the functions of a Municipality, it may also constitute such other committees, not exceeding eight in case of Municipal Corporation, not exceeding six in case of Municipal Council, and not exceeding four in case of Municipal Board, as it may deem necessary:

Provided that the State Government may, looking to the functions of a Municipality, increase the maximum limit of committees specified in this clause.

(4) The Executive Committee and the committees mentioned in sub-section (3) may exercise, perform and discharge such powers, duties and functions as may be prescribed.

(5) The above referred committees shall be constituted by the Municipality within ninety days of the constitution of the Municipality, failing which the State Government may constitute such committees.

Explanation.- For the removal of doubts it is clarified that a nominated member may also be appointed as a member of a committee constituted under this section.

56. When persons other than members may serve on committee.-(1) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be lawful for the Municipality, from time to time, by a resolution supported by not less than one-half of the whole number of members, to appoint, as members of any committee under section 55, except the Executive Committee, any persons who are not members, but who may in the opinion of such Municipality possess special qualifications for serving on such committee:

Provided that the number of persons so appointed on any committee shall not exceed one-third of the total number of the members of such committee.

(2) All the provisions of this Act relating to the duties, powers, liabilities, disqualification and disabilities of members shall be applicable, so far as may be, to such persons.

57. Chairman of committee.-(1) The Chairperson of the Municipality, if a member of any committee, shall be *ex-officio* Chairman thereof.

(2) The Vice-Chairperson of the Municipality, if appointed as a member of any committee of which the Chairperson is not a member, shall be *ex-officio* Chairman thereof.

(3) The Municipality may appoint a member, as Chairman of any committee of which there is no *ex-officio* Chairman.

(4) Every committee, of which there is an *ex-officio* Chairman or a Chairman appointed by the Municipality, shall, at each meeting which such Chairman does not attend, appoint from amongst its members a Chairman of such meeting.

(5) Every committee, of which there is no *ex-officio* Chairman or Chairman appointed by the Municipality, shall appoint from time to time its own Chairman from amongst its own members.

58. Procedure at meetings.-(1) The ordinary meetings of a committee of a Municipality shall be conducted within two months in accordance with such procedure as may be prescribed.

(2) If the Chairman of any committee has been absent from the Municipality for a period exceeding fifteen days, the Chairperson or Vice-Chairperson of the Municipality may, in his absence, call a meeting thereof.

(3) Committees may meet and adjourn as they think proper but the Chairman of a committee may, whenever he thinks fit, and shall, upon the written request of the Chairperson of the Municipality or of not less than two members of the committee, and for a date not more than two days after the presentation of such request, call a special meeting of such committee.

(4) No business shall be transacted at any meeting of the committee unless one-half of the members of the committee be present thereat.

59. Subordination of committees to instructions of Municipality and compliance with requisitions of Municipality.-(1) Every committee including Wards Committee shall conform to any instructions that may from time to time be given to it by the Municipality. No committee can approve any

scheme or expenditure from the municipal fund unless it has already been approved in the annual budget or supplementary budget passed by the Municipality. The Municipality may, at any time, call for any extract from any proceedings of any committee, and any return, statement of accounts or report concerning or connected with any matter with which any committee has been authorized or directed to deal, and every such requisition shall without unreasonable delay, be complied with by the committee so called upon.

(2) Every resolution passed by a committee appointed under sections 54 and 55 shall be subject to revision by, and open to appeal to, the Municipality in accordance with rules that may be framed by the Municipality in this behalf.

60. General functions of the Ward Committee.-The Ward Committee may discharge the following functions, namely:-

- (a) assisting in solid waste management in the ward;
- (b) assisting in supervision of sanitation work in the ward;
- (c) assisting in the preparation and encouragement of the development scheme for the ward;
- (d) encouraging harmony and unity among various groups of people in the ward;
- (e) mobilizing voluntary labour and donation by way of goods or money for social welfare programmes;
- (f) assisting in the implementation of development schemes relating to the ward;

- (g) assisting in identifying beneficiaries for the implementation of development and welfare schemes;
- (h) encouraging art and cultural activities and activities of sports and games;
- (i) ensuring people's participation in the voluntary activities necessary for successful implementation of the developmental activities of the Municipality;
- (j) assisting in timely collection of taxes, fees and other sums due to the Municipality;
- (k) assisting in maintenance of parks in the ward;
- (l) assisting in maintenance of street lighting in the ward; and
- (m) such other functions as may be assigned to it by the Municipality.

61. Powers, duties and functions which may be delegated.- (1) Any powers, duties or executive functions which may be exercised, discharged or performed by or on behalf of the Municipality may, subject to such restrictions, limitations and conditions as may be prescribed, be delegated to the committees under this Act, without prejudice to the powers, duties and functions prescribed under sections 55, 157 or 158.

(2) When the office of a Chairperson becomes vacant and there is no Vice-Chairperson to take over, the Municipality shall at a meeting to be called in prescribed manner, delegate the powers, duties and executive functions of the Chairperson to such member of the Municipality as it thinks proper to be exercised by him till a Chairperson is elected in accordance with the rules in force:

Provided that when the office of a Chairperson reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the Backward Classes or for women becomes vacant, the powers, duties and executive functions of the chairperson shall be delegated to a member belonging to said castes, tribes, classes or, as the case may be, a woman member and if there is no member belonging to said castes, tribes, classes or, as the case may be, woman member to such other member as it thinks proper.

62. Acts and proceedings of Municipality and committees not vitiated by disqualifications etc., of members thereof.

(1) No disqualification of or defect in the election, nomination or appointment of any person acting as member, or as the Chairperson or presiding authority of a general meeting or a committee appointed under this Act shall be deemed to vitiate any act or proceeding of the Municipality or such committee, as the case may be, in which such person has taken part.

(2) Where a member or a Chairperson or a Vice-Chairperson is declared, as the result of an election petition, not to have been duly elected he shall cease to act as such from such date but acts done by him till then in the execution of his office shall not be invalidated by reason of such declaration.

(3) No resolution of a Municipality or any committee appointed under this Act shall be deemed invalid on account of any irregularity in the service of notice upon any member; provided that the proceedings of the Municipality or committee were not prejudicially affected by such irregularity.

(4) Unless the contrary is proved, every meeting of the Municipality or of a committee appointed under this Act in respect of the proceedings whereof a minute has been made and signed in accordance with this Act, shall be deemed to have been duly convened and held, and all the members at the meeting shall be

deemed to have been duly qualified, and, where the proceedings are the proceedings of a committee, such committee shall be deemed to have been duly constituted and to have had the power to deal with the matters referred to in the minute.

(5) During any vacancy in a Municipality or committee, the continuing members may act as if no vacancy had occurred.

63. Municipal fund ordinarily liable for all costs and expenses incurred by Municipalities.-(1) Except as herein otherwise provided, no Chairperson or Vice-Chairperson or member shall be personally liable in respect of any contract or agreement made, or for any expense incurred by or on behalf of the Municipality, and the municipal fund shall be liable for and be charged with all costs in respect of any such contract or agreement and all such expenses.

(2) Every Chairperson, Vice-Chairperson or member shall be liable for the misapplication of any money or other property owned by or vested in the Municipality to which he has been a party and for any loss or waste of such money or property which has been caused or facilitated by his misconduct. The Chairperson, the Vice-Chairperson, member, the Chief Municipal Officer or other officer or person to whom executive powers are conferred by or under this Act shall be liable for such loss, waste or misapplication, if it is a direct consequence of his neglect or has been caused or facilitated by his misconduct.

64. Official of the Municipality not to be interested in any contract.—Any person who has, directly or indirectly, by himself or his partner, any share or interests in any contract with, by or on behalf of, a Municipality or in any employment with, under, by or on behalf of a Municipality other than as a municipal officer or servant shall be liable for disciplinary action under the appropriate rules.

65. Penalty for member, officer or employee interested in a contract etc., with Municipality.-(1) Any member who knowingly acquires, directly or indirectly, any share or interest in any contract or employment with, under, by, or on behalf of a Municipality of which he is a member, not being a share or interest such as under section 24, it is permissible for a person to have without being thereby disqualified for being member, shall be liable, on conviction before a criminal court, to a fine which may extend to five thousand rupees.

(2) Any municipal officer or servant who knowingly acquires, directly or indirectly, any share or interest in any contract or, except in so far as concerns his own employment as municipal officer or servant, in any employment with, under, by or on behalf of a Municipality of which he is an officer or servant shall be liable, on conviction before a criminal court, to a fine which may extend to five thousand rupees and shall also be liable for disciplinary action in accordance with the rules applicable to him.

66. Members etc. to be deemed public servant.-Every member, officer, servant of the Municipality or employee of Municipality and every lessee of the levy of any municipal tax, and every servant or other employee of any such lessee shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

CHAPTER IV

Municipal Property

67. Power to acquire and hold property.-The Municipality shall, for the purposes of this Act, have power to acquire, by gift, purchase or otherwise, and hold, movable and immovable properties or any interest therein, whether within or outside the limits of the municipal area.

68. Vesting of property.- (1) All property of the nature hereinafter in this section specified and not being specially

reserved by the State Government shall, subject to any other law for the time being in force, vest in and belong to the Municipality, and shall together with all other property of whatsoever nature or kind not being specially reserved by the State Government, which may become vested in the Municipality, be under its direction, management and control, and shall be held and applied by it as trustee subject to the provisions and for the purpose of this Act, that is to say—

- (a) all vested public lands;
- (b) all public city or town walls, gates, markets, slaughterhouses, manure, night-soil depots, and public building of every description which have been constructed or are maintained out of municipal fund;
- (c) all public tanks, streams, reservoirs, cisterns, springs, aqueducts, conduits, tunnels, pipes and pumps; and all bridges, buildings, engines, works, materials and things connected therewith or appertaining thereto and also any adjacent land, not being private property, appertaining to any public tank or well;
- (d) all public sewers and drains, channels, tunnels, culverts and watercourses in, alongside, or under, any street;
- (e) all public streets and pavements, and stones and other materials thereon, and also trees, erections, materials, implements and things provided for such streets;
- (f) all public parks and gardens, including squares and public open spaces;

- (g) all public ghats on rivers or streams or tanks;
- (h) such Government lands, whether situate within or out of the municipal area, as the State Government may by general or special order vest in the Municipality;
- (i) all public lamps, lamp-posts and apparatus connected therewith, or appertaining thereto;
- (j) all Government buildings and all private lands and buildings transferred to it by gift or otherwise;
- (k) all public places for disposal of the dead, excluding those governed by any specific law in this behalf;
- (l) all solid wastes collected on a public street or public place, including dead animals and birds; and
- (m) all stray animals not belonging to any private person.

(2) The State Government shall be competent to resume from time to time, by notification in the Official Gazette, any Government land vested in a Municipality under clause (h) of subsection (1),—

- (i) if such Municipality is found upon inquiry to have mismanaged such land, or
- (ii) if such land is otherwise required by the State Government in the public interest,

on such terms as the State Government may determine.

69. Acquisition of property by Municipality by agreement, exchange, lease, grant, etc..-(1) The Municipality

may, on such terms and conditions as may be approved by it and with the prior approval of the State Government,—

- (i) acquire by agreement—
 - (a) any immovable property, and
 - (b) any easement affecting immovable property;
- (ii) acquire any property by exchange; and
- (iii) hire or take on lease immovable property.

(2) The Municipality may receive any grant or dedication by donor, whether in the form of any income or any movable or immovable property, by which the Municipality may be benefited in the discharge of any of its functions.

(3) It shall be lawful for the Municipality to be the beneficiary of any trust created under the Charitable and Religious Trusts Act, 1920 (Central Act No. 14 of 1920), or the Indian Trusts Act, 1882 (Central Act No. 2 of 1882).

70. Compulsory acquisition of land.—When any land or right in land whether within or without the limits of the Municipality, is required for the purposes of this Act, the State Government may, at the request and on behalf of the Municipality, proceed to acquire it under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act No. 1 of 1894) and on the payment by the Municipality to the State Government of compensation awarded thereunder and of other charges incurred by the State Government in connection with such acquisition, the land or right, as the case may be, shall vest in the Municipality.

71. Allotment, regularization etc. of certain lands.—(1) All lands which are deemed to have been placed at the disposal of a Municipality under section 90-B of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) upon resumption or surrender of

tenancy rights and interest of Khatedars thereof, as the case may be, shall be available for allotment or regularization preferably to the persons having possession on the basis of the documents referred to in sub-section (1) of the said section 90-B or as the case may be to the person who surrendered the land under sub-section (3) of the said section 90-B, on such terms and conditions and after examining their eligibility for allotment and subject to payment to the Municipality of such charges or premium or both as the case may be, and at such rates as may be prescribed by the State Government in this behalf :

Provided that no allotment or regularization of any land shall be made which has been duly earmarked for public utilities or services such as park, nursery, civil or military aviation, bus-stand, transport terminal, railways, public roads, high-ways, footpath, sewage lines, water supply, electricity supply, telephone lines, hospital, school, educational institution, university, cremation ground, grave-yard and for such other purposes as the State Government may specify by notification in the Official Gazette.

(2) The charges realized under sub-section (1) shall be credited to the Consolidated Fund of the State and the fund of the Municipality as may be determined by the State Government.

72. Contracts by officers appointed by Government to execute municipal works and payment for such works.- Notwithstanding anything contained in section 82, any person appointed by the State Government to carry any work into execution on behalf of a Municipality may, subject to such control as the State Government may prescribe, make such contracts as are necessary for the purpose of carrying such work into execution to the extent of the sum provided for such work; and the Municipality shall pay to the person so appointed such sums as may be required for the said purpose, to the extent aforesaid.

73. Provisions relating to transfers of property and contracts.-(1) Every Municipality shall be competent, subject to the prescribed restrictions and conditions to lease, sell, regularize, allot or otherwise transfer any movable or immovable property belonging to it, including municipal land as also any Government land and so far as is not inconsistent with the provisions and purposes of this Act and the rules made thereunder, to enter into and perform all such contracts as it may consider necessary or expedient in order to carry into effect the said provisions and purposes :

Provided that—

- (i) no such lease, sale, regularization, allotment or transfer and contract shall be binding on a Municipality unless it is in conformity with the provisions of this Act and the rules made thereunder;
- (ii) no lease, sale, regularization, allotment or transfer of, or any other contract respecting any Government land shall be valid unless it is confirmed by the prescribed authority in the prescribed manner and on the prescribed conditions.

Explanation.-for the purposes of this section, the expression "Government land" means any land—

- (a) which has become vested in a Municipality under clause (h) of sub-section (1) of section 68; or
- (b) which is a Nazul land as defined in section 3 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956); or
- (c) which may be placed at the disposal of a Municipality by the State Government.

(2) (a) The State Government or any officer authorized by it in this behalf may, for the purpose of satisfying as to the correctness, legality or propriety of any proposal to lease, sell, regularize, allot or transfer any Municipal land or Government land made by or on behalf of a Municipality or Chairperson, or officer of a Municipality, call for the relevant record, and may while doing so direct that pending the examination of the matter, the proposal to lease, sell, regularize, allot, or transfer of the Municipal land or Government land shall remain in abeyance and no action in furtherance thereof shall be taken till the decision of the State Government or of the authorized officer under subsection (2)(b).

(b) If after examination of the record and after giving to the persons interested in such proposal, a reasonable opportunity of being heard, the State Government or the officer authorized as aforesaid, is satisfied that the proposal to lease, sell, regularize, allot or transfer of the Municipal land or Government land is not in accordance with or is in contravention of the provisions of this Act, it may by order published in the Official Gazette, modify, cancel or rescind wholly or in part the proposal made for lease, sale, regularization, allotment or transfer of the Municipal land or Government land or any action or proceeding taken in pursuance thereof or may give any other direction as may be deemed proper.

(3) Where in pursuance of any lease, sale, allotment, transfer or any other contract made by a Municipality or by the Chairperson, or officer of a Municipality, in contravention of the provisions of this section, any person has entered into the possession of any Municipal land or Government land, such person shall be deemed to be in unauthorized occupation within the meaning of the Rajasthan Public Premises (Eviction of

Unauthorized Occupants) Act, 1964 (Act No. 2 of 1965) and shall be liable to eviction from such land and to all the liabilities as to the payment of rent or damages for use and occupation under that Act unless notwithstanding anything contained in that Act, such lease, sale, allotment, transfer or contract is confirmed by the State Government or the officer authorized as aforesaid, in the prescribed manner :

Provided that where any such lease, sale, allotment, transfer or contract is not confirmed as aforesaid, the consideration, if any, received by the Municipality, Chairperson, or officer of the Municipality for such lease, sale, allotment, transfer or contract shall, be refunded to the person evicted from such land.

74. Inventory and map of immovable municipal property.- (1) The Municipality shall maintain an inventory and a map of all immovable properties which vest in or belong to or are acquired by it. The copies of updated inventories and maps shall be deposited in the office of the Director of Local Bodies by each Municipality within one year from the commencement of this Act.

(2) The Chief Municipal Officer shall in case of the inventory of an immovable property, prepare an annual statement indicating the changes, if any, in the said inventory and shall place the same before the Municipality and also send a copy thereof to the Director of Local Bodies.

75. Maintenance of records of urban land and properties.- The Municipality may, in consultation with other concerning departments or authority, as the case may be, prepare, maintain and regularly update the record of the urban land and all properties, including private properties, situated within the municipal area, in such manner as may be prescribed.

CHAPTER V*Municipal Finance and Municipal Fund*

76. State Finance Commission.- (1) The State Finance Commission shall review the financial position of the Municipalities and make recommendations to the Governor as to—

- (a) the principles which should govern;
 - (i) the distribution, between the State and the Municipalities of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees leviable by the State which may be divided between them and the allocation between the Municipalities at all levels of their respective shares of such proceeds;
 - (ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by, the Municipalities; and
 - (iii) the grants-in-aid to the Municipalities from the Consolidated Fund of the State;
- (b) the measures needed to improve the financial position of the Municipalities; and
- (c) any other matter referred to the State Finance Commission in the interest of sound finances of the Municipality.

(2) Every recommendation made by the State Finance Commission together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon shall be laid before the State Legislature.

77. Implementation of recommendations of the State Finance Commission.- After taking into consideration the recommendations of the State Finance Commission, the State Government shall determine—

- (a) the devolution of net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees to the Municipalities,
- (b) the assignment of taxes, duties, tolls and fees to the Municipalities,
- (c) the sanction of grants-in-aid to the Municipalities from the Consolidated Fund of the State, and
- (d) the other measures required to improve the financial position of the Municipalities.

78. Financial assistance from State Government.- (1) The State Government may, from time to time, give grants or financial assistance to the Municipality with or without direction as to the manner in which such grants or financial assistance shall be applied.

(2) The State Government may, for giving such grants or assistance, lay down a scheme, which may include the conditions of release of such grants or assistance and may provide for the division of Municipalities into different classes for that purpose.

(3) The State Government may give grants to the Municipality for implementation, in full or in part, of any scheme included in the annual development plan of the Municipality.

79. Municipal Fund.- (1) There shall be a fund to be called the Municipal Fund, which shall be held by the Municipality in trust for the purposes of this Act, and all moneys realized or realizable under this Act and all moneys otherwise received by the Municipality shall be credited thereto.

(2) Subject to such directions as the State Government may issue in this behalf, the receipts and expenditures of the Municipality shall be kept under such heads of accounts, including those for drainage and sewerage, solid waste management, road development and maintenance, slum services, commercial projects and other account heads as may be prescribed and the general

account head, in such manner, and in such form, as may be prescribed, so as to facilitate the imposition of user charges and preparation of any subsidy report under this Act.

Explanation.—For the purposes of this section "commercial projects" shall include municipal markets, market development projects, property development projects, and such other projects of a commercial nature as may be specified by the Municipality from time to time.

(3) Every head of account specified under sub-section (2) shall be split up into a revenue account and a capital account and all items of receipts and expenditures shall be kept appropriately under such revenue account or capital account, as the case may be.

80. Application of Municipal Fund.— The moneys credited to the Municipal Fund from time to time shall be applied for payment of all sums, charges and costs necessary for carrying out the purposes of this Act and the rules and the bye-laws made thereunder and for payment of all sums payable out of the Municipal Fund under any other law for the time being in force.

81. Payments not to be made out of Municipal Fund unless covered by budget grant.— No payment of any sum out of the Municipal Fund shall be made unless such expenditure is covered by a current budget grant and a sufficient balance of such budget grant is available, notwithstanding any reduction or transfer thereof under the provisions of this Act:

Provided that this section shall not apply to any payment in the following cases, namely:—

- (a) refund of taxes and other moneys which are authorized by this Act,
- (b) repayment of moneys belonging to contractors or other persons and held in deposit and all moneys

collected by the Municipality or credited to the Municipal Fund by mistake,

- (c) temporary payment for works urgently required by the State Government in the public interest,
- (d) expenses incurred by the Municipality on special measures on the outbreak of dangerous diseases, natural or technological hazards or in any other emergent case,
- (e) sums payable as compensation under this Act or the rules or the bye-laws made thereunder,
- (f) sums payable—
 - (i) under orders of the State Government on failure of the Municipality to take any action required by the State Government under any provision of this Act, or
 - (ii) under any other law for the time being in force, or
 - (iii) under the decree or order of a civil or criminal court against the Municipality, or
 - (iv) under a compromise of any claim, suit or other legal proceeding, or
 - (v) on account of the cost incurred in taking immediate action by any of the municipal authorities to avert a sudden threat or danger to the property of the Municipality or to human life, or
 - (vi) on account of salaries or wages, and
- (g) such other cases as may be determined by bye-laws.

82. Temporary payment from Municipal Fund for works urgently required in public interest.- (1) On a requisition,

in writing, by the State Government, the Municipality may, at any time, require the Chief Municipal Officer to undertake the execution of any work certified by the State Government to be urgently required in the public interest and, for this purpose, to make payment for such work from the Municipal Fund in so far as such payment may be made without unduly interfering with the regular work of the Municipality.

(2) The cost of all work so executed, and the proportionate establishment charges for executing such work, shall be paid by the State Government and credited to the Municipal Fund.

83. Power to incur expenditure beyond the limits of Municipality.- Notwithstanding anything contained elsewhere in this Chapter, the Municipality may, with the approval of the State Government, authorize expenditure to be incurred beyond the limits of the municipal area for creation of physical assets relating to the core functions of the Municipality outside the limits of such municipal area and for maintenance thereof for carrying out the purposes of this Act.

84. Exclusive use of Municipal Fund for particular purpose.- (1) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Chapter, the State Government may, by order, require the Municipality to earmark a particular portion of the Municipal Fund or a particular grant or a part thereof, or any item of receipt under any head of account, or any percentage thereof, or any share of tax receivable by the Municipality other than taxes, duties and fines assigned to the Municipality under this Act or any part thereof, to be utilized exclusively for such purpose related to municipal functions as may be specified by the State Government, and it shall be the duty of the Municipality to act accordingly.

(2) The State Government may, for carrying out the purposes of sub-section (1), make rules for different classes of Municipalities.

85. Operation of accounts.- Subject to the other provisions of this Act, payment from the Municipal Fund shall be made in such manner as may be prescribed in the rules made by the State Government.

86. Investment of surplus moneys.- (1) Surplus moneys standing at the credit of any of the heads of accounts of the Municipal Fund which are not required, either immediately or at any early date, to be applied for the purposes of this Act by the Municipality may, in accordance with the rules made by the State Government, be transferred by the Municipality, either in whole or in part, to any other head of account of the Municipal Fund:

Provided that such surplus money standing at the credit of the Commercial Projects Account of the Municipal Fund shall not be transferred to the General Account of the Municipal Fund.

(2) Surplus moneys which are not transferred under sub-section (1) may be invested in public securities or small savings schemes, approved by the State Government, or deposited at interest with such scheduled bank as may be determined by the Municipality.

(3) Profit or loss, if any, arising from the investment as aforesaid shall be credited or debited, as the case may be, to the account to which such profit or loss relates.

87. Preparation of budget estimate of Municipality.- (1) The Chief Municipal Officer shall prepare in each year, before fifteenth January, a budget estimate alongwith an establishment schedule of the Municipality for the ensuing financial year, and such budget estimate shall be an estimate of the actual income and expenditure of the Municipality. However, before submission to

the Municipality for approval, the financial estimates shall be approved by the Finance Committee.

(2) Subject to the provisions of section 4 and sub-section (2) of section 79, the budget estimate shall separately state the income and the expenditure of the Municipality to be received and incurred in terms of the various heads of accounts:

Provided that without prior approval of the State Government, no proposal regarding-

- (i) creation of new posts or filling of vacant posts;
- (ii) purchase of new vehicles;
- (iii) purchase of immovable property;
- (iv) making grant-in-aid to any private institution or person; or
- (v) for any other matter as may be directed by the State Government, from time to time,

shall be included in the budget.

(3) The budget estimate shall state the rates at which various taxes, surcharges, cesses and fees shall be levied by the Municipality in the year next following.

(4) The budget estimate shall state the amount of money to be raised as loan during the year next following.

(5) The Chairperson shall present the budget estimate to the Municipality on such date, not being later than 31st January in each year, as may be fixed by the Executive Committee and it shall be passed by the Municipality prior to 15th February of every year.

(6) The budget estimate shall be prepared, presented and adopted in such form and in such manner, and shall provide for such matters, as may be prescribed.

(7) The annual inventory prepared under sub-section (1) of section 74 and the statement prepared under sub-section (1) of section 150 shall be enclosed with the budget estimate.

88. Sanction of budget estimate of Municipality.-The Municipality shall consider the budget estimate and shall, by the fifteenth day of February in each year, adopt the budget estimate for the ensuing year with such changes as it may consider necessary, and submit a copy of the same to the State Government through the Director of Local Bodies and if, after considering the budget estimates, the State Government is of the opinion that it is necessary in the interest of Municipality to make changes in budget estimates, it may direct the Municipality to carry out the changes and such directions shall be binding on the Municipality.

89. Power to alter budget grant.- A Municipality may, from time to time, during the financial year-

- (a) increase the amount of any budget grant under any head,
- (b) make an additional budget grant for the purpose of meeting any special or unforeseen requirement arising during the said year,
- (c) transfer the amount of any budget grant or portion thereof under one head to the amount of budget grant under any other head, or
- (d) reduce the amount of the budget grant under any head:

Provided that nothing shall be done under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) without the recommendation of the Finance Committee.

CHAPTER VI*Accounts and Audit*

90. Maintenance of accounts.- The Chief Municipal Officer shall prepare and maintain accounts of receipts and expenditures of the Municipality in such form, and in such manner, as may be prescribed.

91. Preparation of Municipal Accounting Manual.- The State Government shall prepare and maintain a Manual to be called the Municipal Accounting Manual containing details of all financial matters and procedures relating thereto in respect of the Municipality.

92. Financial statement and balance sheet.- (1) The Chief Municipal Officer shall, within three months of the close of a financial year, cause to be prepared a financial statement containing an income and expenditure account and a receipts and payments account for the preceding financial year in respect of the accounts of the Municipality and a balance sheet of the assets and liabilities of the Municipality for the preceding financial year.

(2) The form of the financial statement and the balance sheet, and the manner in which the financial statement and the balance sheet shall be prepared, shall be such as may be prescribed.

93. Submission of financial statement and balance sheet to Auditor.- The financial statement and the balance sheet shall be placed by the Chief Municipal Officer before the Finance Committee which, after examination of the same, shall adopt and remit them to the Auditor.

94. Audit of accounts.- (1) The municipal accounts as contained in the financial statement and the balance sheet shall be examined and audited by the Auditors of Local Fund Audit in accordance with the provisions of the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954 (Act No. 28 of 1954).

(2) The Comptroller and Auditor General of India may, on the request of the State Government provide technical guidance for proper maintenance of accounts of Municipalities.

(3) The Chief Municipal Officer shall submit such further accounts to the Auditor, as may be required by him.

(4) The Auditor, or the officer subordinate to him, may report any item of accounts contrary to the provisions of this Act to the Finance Committee.

(5) The Finance Committee shall consider the report of the Auditor as early as possible and shall, if necessary, take prompt action thereon, and shall also, if necessary, surcharge the amount of any illegal payment on the person making or authorizing it, and charge against any person responsible therefore the amount of any deficiency loss incurred by the negligence or misconduct of such person or any amount which ought to have been, but is not, brought into account by such person, and shall in every such case, certify the amount due from such person:

Provided that any person aggrieved by an order of payment of certified sums may appeal to the State Government or any officer authorized by it in this behalf whose decision on such appeal shall be final.

95. Placing of Audited Accounts before the Municipality.- (1) The Chief Municipal Officer shall place the audited financial statement, the balance sheet and the report of the Auditor and his comments before the Finance Committee which, after the examination thereof, shall place them before the Municipality with its comments, if any.

(2) The Chief Municipal Officer shall remedy any defect that has been pointed out by the Auditor in his report and place before the Municipality the reply of the objections and defects as pointed out by the Auditors .

96. Submission of audited accounts.- (1) The Chief Municipal Officer shall, after adoption of the financial statement and the balance sheet and the report of the Auditor, if any, by the Municipality, forward the same to the State Government together with a report of the action taken thereon by the Municipality.

(2) If there is any difference of opinion between the Auditor and the Municipality or if the Municipality does not remedy the defects or the irregularities mentioned in the report of the Auditor within a reasonable period, the Auditor shall refer the matter to the State Government whose decision thereon shall be final and binding.

97. Power of State Government to enforce order upon audit report.- If any order made by the State Government under this Chapter is not complied with, it shall be lawful for the State Government to take such steps as it thinks fit to secure the compliance of the order and to direct that all expenses thereof shall be defrayed from the Municipal Fund.

98. Special audit.- In addition to the audit of annual accounts, the State Government or the Municipality may, if it thinks fit, appoint an auditor to conduct special audit pertaining to a specified item or series of items requiring through examination, and the procedure relating to audit shall apply *mutatis mutandis* to such special audit.

99. Internal audit.- The State Government or the Municipality may provide for internal audit of the day-to-day accounts of the Municipality in the manner prescribed.

100. Annual administration report.- (1) As soon as may be after the first day of April in every year and not later than thirtieth day of June, the Municipality shall submit to the State Government a report on the administration during the preceding year in such form and with such details as the State Government may direct.

(2) The Chief Municipal Officer, shall prepare the report and place it before the Municipality for consideration and forward it to the State Government with the resolution of the Municipality thereon.

(3) The report may be published in such manner as the Municipality may direct.

CHAPTER VII

Municipal Revenue

101. Internal revenues of Municipality.- The internal revenues of the Municipality shall consist of its receipts from the following sources, namely:-

- (a) taxes levied by the Municipality,
- (b) user charges levied by the Municipality for provision of civic services, and
- (c) fees and fines levied for performance of regulatory and other statutory functions.

102. Obligatory taxes.- (1) Subject to the provisions of section 4, every Municipality may, and if so required by the State Government shall, levy, at such rate and from such date as the State Government in each case direct by notification in the Official Gazette and in such manner as is laid down in this Act and as may be provided in the rules made by the State Government in this behalf, the following taxes, namely:-

- (a) tax on lands and buildings situated in the municipal limits, by unit area base method or by any other method;
- (b) tax on professions, trades, callings and employment;
- (c) toll on roads, bridges and ferries owned by, or built from the funds of, the Municipality;

- (d) a tax for pollution control from the trade and industries which are the source of environment polluton within the municipal limits;
- (e) a tax on permissible display or advertisements on public place or on private land or building;
- (f) any other tax which State Government has power to impose under the Constitution of India:

Provided that upon a representation made to it by and at the request of a Municipality, the State Government, if it is satisfied that circumstances exist which sufficiently provide the justification for a Municipality not to levy, or to stop the levy, or reduce the rate of , any of the taxes mentioned in this section, may, by special order published in the Official Gazette, along with the reasons for making such order, permit the Municipality not to levy, or to stop the levy, or reduce the rate, of any such tax.

(2) A direction under sub-section (1) may provide for the levy of taxes at different rates in different Municipalities having regard to their varying local conditions and needs, and on the same considerations and by a like direction, the State Government may, from time to time vary uniformly or differently in relation to different Municipalities, the rates of taxes levied.

103. Other taxes that may be imposed.- (1) Subject to any general or special orders of the State Government in this behalf, a Municipality may impose and levy in the whole or any part of the Municipality for which it is established, all or any of the following taxes, namely:-

- (i) a tax on vehicles plying within the Municipality;
- (ii) a tax on boats moored within the Municipality;
- (iii) a lighting tax;

- (iv) a tax on congregations;
- (v) tax on pilgrims and tourists;
- (vi) a tax on land or building used for erecting hoardings or any other structures for advertisement;
- (vii) fire tax;
- (viii) a tax on deficit in parking spaces in any non-residential building;
- (ix) a surcharge on stamp duty at the rate not exceeding half percent of the stamp duty;
- (x) any other tax which the State Government has power to impose under the Constitution.

(2) Nothing in this section shall authorise or be deemed to authorise the imposition or levy of any tax which the State Government has no power under the Constitution to impose or levy in the State.

(3) The levy, assessment and collection of taxes under this section shall be in accordance with the provisions of this Act and the rules and the bye-laws made thereunder.

104. Power to levy user charges.-The Municipality may levy user charges for -

- (i) provision of drainage and sewerage,
- (ii) solid waste management,
- (iii) parking of different types of vehicles in different areas and for different periods,
- (iv) stacking of materials or rubbish on public streets for construction, alteration, repair or demolition work of any type, and
- (v) any other civic service,

in such manner, and at such rates as may be determined by it from time to time with prior approval of the State Government :

Provided that the State Government may direct the Municipality to levy any of the user charges as aforesaid, which the Municipality has not levied or has postponed.

105. Power to levy fees and fines.- The Municipality shall have the power to levy fees and fines in exercise of the regulatory powers vested in it by or under this Act or the rules or the bye-laws made thereunder for -

- (a) sanction of building plans and issue of completion certificates,
- (b) issue of municipal licences for various non-residential uses of lands and buildings,
- (c) licensing of –
 - (i) various categories of professionals such as plumbers and surveyors,
 - (ii) various activities such as sinking of tube-wells, sale of meat, fish or poultry, or hawking of articles,
 - (iii) sites used for advertisements or premises used for private markets, slaughterhouses, hospitals, nursing homes, clinics, factories, warehouses, godowns, goods transport depots, eating-houses, lodging-houses, hotels, theatres, cinema-houses and places of public amusement and for other non-residential uses,
 - (iv) animals,
 - (v) carts or carriages, and

(vi) such other activities as require a licence or permission under the provisions of this Act, and

(d) issue of birth and death certificates,

in accordance with the provision of this Act, and the rules or bye-laws made thereunder.

106. Power to levy development charge.-(1) The Municipality may levy such development charge as may be determined by bye-laws, from time to time-

- (a) on any residential building with a height of more than fourteen meters, or any non-residential building, having regard to its location along a particular category of street, its use characteristics, and sanctioned built up area, and
- (b) for development or redevelopment of any existing area, in accordance with any development plan or while approving any sub-division plan of that area.

(2) Any such development charge shall be paid in advance by the developer before commencing any activity on the approved plan or sub-division.

(3) In case of redevelopment of the area, the charges shall be payable by all the residents and beneficiaries of the development.

(4) The Municipality shall keep a separate account of such development charge and shall not divert it for any other use.

107. Exemption from taxation.-(1) None of the taxes specified in sections 102 and 103 shall be leviable by a Municipality in respect of any property belonging to or vested in it.

(2) None of the taxes specified in clause (a) of sub-section (1) of section 102 and clauses (i) and (ii) of sub-section (1) of

section 103 shall be leviable in respect of any lands, buildings, vehicles, conveyance and boats belonging to or vested in the Central Government or the State Government:

Provided that, so long as any such tax continues to be levied by the Municipality on like properties of other persons, nothing in this sub-section shall prevent the Municipality from levying that tax to which, immediately before the 26th day of January, 1950, any lands, buildings, vehicles, conveyances and boats of the Central Government were liable or treated as liable:

Provided further that any land, building, vehicle, conveyance or boat belonging to or vested in the State Government shall be so exempted from payment of any such tax, if the same is used or intended to be used solely for public purposes and not for purposes of profit.

(3) The tax specified in clause (a) of sub-section (1) of section 102 shall not be leviable in respect of lands and buildings used solely as places of public worship and duly recognized as such by the Municipality.

(4) The State Government may, if in its opinion reasonable ground exists for doing so, grant and define by general or specific order published in the Official Gazette such exemptions from payment of a tax leviable under this Act as it may consider necessary.

108. Procedure preliminary to imposing tax.- A Municipality, before imposing a tax under section 103 shall observe the following preliminary procedure namely: -

(a) it shall, by resolution passed at a general meeting, select for the purpose one or other of the taxes specified in

section 103, and prepare a draft of the rules prescribing the tax and shall in such rules specify-

- (i) the classes of persons or of property or of both which the Municipality proposes to make liable, and any exemptions which it proposes to make,
 - (ii) the amount or rate at which the Municipality proposes to assess each such person or class of persons,
 - (iii) in the case of a rate on buildings or lands or both, the basis for each class of the valuation on which such rate is to be imposed, and
 - (iv) all other matters which the State Government may require to be specified therein;
- (b) when such resolution has been passed the Municipality shall publish the draft rules so prepared with a notice in the form set forth in the First Schedule;
- (c) any inhabitant of the Municipality objecting to the imposition of the said tax or to the amount or rate proposed or to the classes of persons or property to be made liable thereto or to any exemption, proposed may, within one month from the publication of the said notice, send his objection in writing to the Municipality and the Municipality shall take all such objections into consideration, or shall authorize a committee to consider the same and report thereon, and, unless it decides to abandon the proposed tax, shall by special resolution direct the imposition of the tax with effect from a date to be specified in the resolution.

109. Imposition of tax etc..- (1) After the passing of the special resolution referred to in section 108 the Municipality shall

notify in the Official Gazette the imposition of the tax from the appointed date.

(2) A notification of the imposition of a tax under subsection (1) shall be conclusive proof that the tax has been imposed in accordance with the provisions of this Act:

Provided that-

(a) a tax leviable by the year-

(i) shall not come into force except on one of the following dates viz., the first day of April, the first day of July, the first day of October, or the first day of January in the official year in which such notice is published, and

(ii) if it comes into force on any day other than the first April, it shall be leviable by the quarter till the first day of April then next ensuing;

(b) on or before the day on which a notice is issued under this section, the Municipality shall publish such further detailed rules as may be required, prescribing the mode of levying and recovering the tax therein specified, and the dates on which it or the instalments, if any, thereof shall be payable; and

(c) if the levy of a tax, or of a special portion of a tax, has been sanctioned for a period only, the levy shall cease at the conclusion of that period, except so far as regards unpaid arrears which may have become due during that period.

110. Procedure for altering taxes.- The procedure for abolishing or altering a tax imposed under section 103, shall, so far as may be, be the procedure prescribed by sections 108 and 109 for its imposition.

111. Power of Government to suspend or prohibit or remedy tax.- If it appears to the State Government on complaint or otherwise that any tax, levied by a Municipality under sections 102 and 103 is unfair in its incidence or that the levy thereof or any part thereof is contrary or obnoxious to the interest of the general public, the State Government may require the said Municipality within such period as it shall fix in this behalf to take measures for removing any defect or objection which appear to it to exist in the said tax or in the method of assessing or collection of the same, and if, within the period so fixed, such requirement is not carried into effect to the satisfaction of the State Government it may, by notification in the Official Gazette, suspend the levy of the tax or of any part thereof, until such time as the defect or objection is removed or may abolish or reduce such tax.

112. Power of Municipality to suspend or abolish tax.- Subject to any general or special orders of the State Government, a Municipality may, if it is satisfied that it is in public interest so to do, suspend or abolish any tax, which has been or is deemed to have been imposed under section 103.

113. Assessment of tax and appointment of Assessors.-
(1) For assessing municipal tax the State Government may appoint Assessors who shall assess tax in such form and in such manner as may be laid down in rules made by the State Government in that behalf.

(2) The Assessors may be assigned any other functions by general or special orders of the State Government.

114. Supply of certain information and consequence of failure to supply.- (1) On the requisition of the Assessor, the

owner or occupier of any building or land or both referred to in sub-section (1) of section 102 shall, within such reasonable period as shall be specified in the requisition be bound-

- (i) to furnish a return in such form, as may be prescribed; and
- (ii) to give such information as may be requisite for determining the person from whom the tax is primarily leviable under section 120.

(2) If such owner or occupier fails or refuses to comply with the requisition within the period specified therein, then without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this Act, the Assessor shall, after making such inquiry as he considers necessary, assess the tax payable on such building or land or both to the best of his judgment.

115. Obligation to supply information for purposes of amendment.- (1) When a building is built or enlarged, the owner shall give notice thereof to the Municipality within one month from the date of completion of such building, re-building or enlargement, or from the date of the occupation of such building, whichever date happens first.

(2) If any person fails to give the notice required by sub-section (1), the Municipality may impose upon him such penalty not exceeding five hundred rupees or ten times the amount of the tax payable on the said building or enlargement for period of three months, whichever is greater, as the Municipality may think fit.

116. Notice to be given to Municipality of all transfers of title by persons primarily liable to payment of taxes on building or lands.- (1) Whenever the title of any person primarily liable for the payment of a tax imposed on a building or land or both, is transferred, the person whose title is so transferred and the

person to whom the same shall be transferred shall give notice of such transfer in writing to the Municipality.

(2) In the event of the death of any person primarily liable as aforesaid the person to whom the title of the deceased is transferred as heir or otherwise shall give notice of such transfer to the Municipality.

117. Form of notice.- (1) The notice to be given under the last preceding section shall be in the form either of the Second Schedule or the Third Schedule, as the case may be, and shall state clearly and correctly all the particulars required by the said form.

(2) On receipt of any such notice, the Municipality may, if it thinks necessary, require the production of the instrument of transfer, if any or of a copy thereof.

118. Name of transferee to be substituted in the municipal registers.- Whenever such transfer comes to the knowledge of the Municipality either through such notice or otherwise and after such enquiry as may be necessary, the name of the transferee shall be substituted in the municipal register for that of the person primarily responsible.

119. Liability for payment of taxes on buildings or lands to continue in absence of a notice of transfer.- (1) Every person primarily liable for the payment of the tax imposed on a building or land or both, who transfers his title thereto without giving notice of such transfer to the Municipality as aforesaid, shall continue to be liable for the payment of all taxes from time to time payable in respect thereof until he gives such notice, or until the transfer shall have been recorded in the register of the Municipality.

(2) Nothing in this section shall be held to diminish the liability of the transferee for the said tax or to affect the prior claim of the Municipality on the premises conferred by section 140, for the recovery of the tax due thereupon.

120. Tax from whom primarily leviable.- (1) Every tax imposed on the buildings or lands or both shall be leviable primarily from the actual occupier of the property assessed to such tax, if he is the owner of the building or land or both, or holds them on a building or other lease from the State Government or from the Municipality, or on a building lease from any person.

(2) Subject to the provisions contained in sub-section (1), the tax shall be primarily leviable as follows namely:-

- (a) if the property is let, from the lessor;
- (b) if the property is sub-let, from the superior lessor;
- (c) if the property is not let, from the person in whom the right to let the same vests:

Provided that on failure to recover any sum due on account of such tax from the person primarily liable, such portion of the sum may be recovered from the occupier of any part of the building or land as is payable proportionately in respect of such part:

Provided further that, for any sum paid by, or recovered from, any occupier who is not primarily liable under this section he shall be entitled to get credit in account with the person primarily liable.

121. Appeals relating to taxation.-An appeal against an assessment, or any alteration of an assessment, and, in all cases in which no appeal has been made as aforesaid an appeal against a notice of demand under section 130, may be made to the Collector or such other officer as may be empowered by the State Government in this behalf.

122. Limitation and preliminary deposit of tax claimed.-No such appeal shall be heard and determined unless-

(a) the appeal is, in the case of tax assessed on buildings or lands or both, brought within thirty days next after the date of communication of the order (exclusive of the time requisite for obtaining a copy thereof) and, in the case of any other tax, within thirty days next after the date of the receipt of the notice of assessment of or alteration of assessment or, if no notice has been given, within thirty days next after the date of the first demand under the assessment or alteration of assessment; and

(b) the amount claimed from the applicant has been deposited by him in the municipal office:

Provided that the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing and on such terms and conditions as it may impose, entertain an appeal without deposit of the amount mentioned in clause (b) or on deposit of such smaller amount as the said authority may direct.

123. Costs.- (1) In every appeal the costs shall be in the discretion of the officer deciding the appeal.

(2) Costs awarded under this section to the Municipality shall be recoverable by the Municipality in the manner provided in this Chapter.

(3) If the Municipality fails to pay costs awarded to an appellant within thirty days after the date of the communication to the Municipality of the order for payment thereof, the officer awarding the costs may order the person having the custody of the balance of the municipal fund to pay the amount.

124. Bar to jurisdiction of civil and criminal courts in matter of taxation.- (1) No objection shall be taken to a valuation or assessment nor shall the liability of a person to be assessed or taxed be questioned in any other manner or by any other authority than is provided in this Act.

(2) The order of the appellate authority confirming, setting aside or modifying an order in respect of valuation or assessment or liability to assessment or taxation shall be final:

Provided that it shall be lawful for the appellate authority, upon application or on its own motion, to review any order passed by it in appeal by a further order passed within three months from the date of the original order.

125. Savings.- (1) No assessment list or other list, notice, bill or other such document specifying or purporting to specify, with reference to any tax, charge, rent or fee, any person, property, thing or circumstance shall be invalid by reason only of a mistake in the name, residence, place of business or occupation of the person or in the description of the property, thing or circumstance, or by reason of any mere clerical error or defect of form, and it shall be sufficient that the person, property, thing or circumstance is described sufficiently for the purpose of identification, and it shall not be necessary to name the owner or occupier of any property liable in respect of a tax.

(2) The levy of taxes shall not be deemed to be the title of the property.

126. Obligation to disclose liability.- (1) The Municipality, the Chief Municipal Officer, the Assessor or any other officer authorized by the Municipality in this behalf, may by written communication, call upon a inhabitant of the Municipality to furnish such information as may be necessary in order to ascertain,-

- (a) whether such inhabitant is liable to pay tax imposed under this Act;
- (b) at the amount at which he should be assessed;
- (c) the name and address of the owner.

(2) If an inhabitant so called upon to furnish information omits to furnish it or furnishes information which is untrue, he

shall be liable upon conviction to a fine, which may extend to one thousand rupees.

127. Duty to recover the taxes.- The Chief Municipal Officer or any officer authorized by him shall be responsible for proper levy and recovery of the taxes imposed under sections 102 and 103.

128. Presentation of bill of tax.- When any amount—

- (a) which, by or under any provision of this Act, is declared to be recoverable in the manner provided by this Chapter, or
- (b) which is due to the Municipality on account of rent in respect of any building or land vested in it,

the Municipality shall with least practicable delay cause to be presented to the persons liable for the payment thereof a bill for the sum claimed as due.

129. Contents of bill.- Every such bill shall specify-

- (a) the period for which, and
- (b) the property occupation, circumstance or thing in respect of which,

the sum is claimed, and shall also give notice of-

- (i) the liability to be incurred in default of payment, and
- (ii) the time within which an appeal may be preferred as provided in this Act.

130. Notice of demand.- If the sum for which any bill has been presented as aforesaid is not paid into the municipal office or to a person authorized by any rule in that behalf to receive such payment, within fifteen days from the presentation thereof, the Municipality may cause to be served upon the person to whom

such bill has been presented, a notice of demand in the form of the Fourth Schedule or to the like effect.

131. In what cases warrant may issue.- (1) If the person on whom a notice of demand has been served under section 130 does not, within fifteen days from the service of such notice of demand, either,—

- (a) pay the sum demanded in the notice, or
- (b) show cause to the satisfaction of the Municipality, or of such officer as the Municipality by rule may appoint in this behalf, or of the Chief Municipal Officer, if any, why he should not pay the same, or
- (c) prefer an appeal in accordance with the provisions of section 121 against the demand,

such sum with all costs of the recovery may be levied by attachment and sale of any property of the defaulter and in case of attachment of movable property, the warrant shall be caused to be issued by the Chief Municipal Office in the form of the Fifth Schedule or to the like effect and in the case of attachment of immovable property, the warrant shall be caused to be issued by the Municipality in such form as may be prescribed.

(2) No warrant for attachment and sale shall be issued under sub-section (1) for the recovery of any sum due to the Municipality under this Act after the expiration of a period of three years from the date on which such warrant might have been issued under that sub-section :

Provided that after the expiry of the said period of three years the Municipality shall be entitled to request the concerned authorities for recovery of any sum due to the Municipality as arrears of land revenue.

(3) Every warrant shall be signed and issued by the Chief Municipal Officer.

(4) Where such property is within the jurisdiction of the Municipality, the warrant shall be addressed to an officer of the Municipality.

(5) Where such property is in another Municipality or in a place, which is not a Municipality, the warrant shall be addressed to the Chief Municipal Officer of the Municipality concerned or to the Tehsildar, as the case may be :

Provided that such Chief Municipal Officer or Tehsildar may endorse such warrant to a subordinate officer.

132. Forcible entry for executing warrant.- It shall be lawful for any officer to whom a warrant issued under section 131 is addressed or endorsed, to break open, at any time between sunrise and sunset, any outer or inner door or window of a building, in order to make the attachment directed in the warrant, if he has reasonable grounds for believing that such building contains property which is liable to seizure under the warrant and if after notifying his authority and purpose and duly demanding admittance, he cannot otherwise obtain admittance :

Provided that such officer shall not enter or break open the door of any apartment appropriated for women until he has given three hours notice of his intention, and has given such women an opportunity to withdraw.

133. Manner of executing warrant.- (1) It shall be lawful for any such officer to attach wherever it may be found, any movable or immovable property of the person named in the warrant issued under section 131 as defaulter, subject to the provisions of the following sub-sections.

(2) The following property shall not be attached namely:-

- (i) the necessary wearing apparel and bedding of the defaulter, his wife and children,

- (ii) his cooking utensils,
- (iii) the tools of artisans, and
- (iv) when the defaulter is an agriculturist, his implements of husbandry, seed grain, and such cattle's as may be necessary to enable the defaulter to earn his livelihood.

(3) The attachment of movable property shall not be excessive, that is to say, the movable property attached shall be as nearly as possible proportionate in value to the amount recoverable under the warrant, and if any articles have been attached which, in the opinion of a person authorized by or under sub-section (3) of section 131 to sign a warrant or of the person to whom the warrant is addressed, should not have been so attached, they shall forthwith be returned.

(4) The officer shall on attaching the movable property forthwith make an inventory thereof and shall before removing the same give to the person in possession thereof at the time of attachment, a written notice in the form of the Sixth Schedule.

(5) When the property is immovable,—

- (i) the attachment shall be made by an order prohibiting the defaulter from transferring or charging the property in any way, and all persons from taking any benefit from such transfer or charge, and
- (ii) the order shall be proclaimed at some place on or adjacent to the property by beat of drum or other customary mode, and a copy of the order shall be affixed on a conspicuous part of the property and on a conspicuous part of the office of the Municipality and also, when the property is land paying revenue to the State

Government, in the office of the Collector of the district in which the land is situate.

(6) Any transfer of or charge on the property attached or of any interest therein made subsequent to such attachment, and without the written permission of the Chief Municipal Officer shall be void as against all claims of the Municipality enforceable under the attachment.

134. Sale of property attached in special cases.- (1)

When the property seized is subject to speedy and natural decay or when the expense of keeping it in custody together with the amount to be recovered is likely to exceed its value, the Chief Municipal Officer, shall at once give notice to the person in whose possession the property was, when attached, to the effect that it will be sold at once, and shall sell it accordingly unless the amount named in the warrant be forthwith paid or a security equal to that amount be furnished.

(2) If property is not sold at once under sub-section (1), the attached property or a sufficient portion thereof may, unless the sum due by the defaulter together with all costs incidental to the notice, warrant, attachment and detention of the property is paid, be sold by public auction under the orders of Chief Municipal Officer in the manner prescribed by the State Government and the proceeds or such part thereof as shall be requisite shall be applied in discharge of the sum due and of all such incidental costs as aforesaid.

(3) The surplus, if any, shall be forthwith credited to the municipal fund, notice of such credit being given at the same time to the persons in whose possession the property was at the time of attachment but if the same be claimed by written application to the Municipality within one year from the date of the notice given under this sub-section, a refund thereof shall be made to such person. Any sum not claimed within one year from the date of such notice, shall be the property of the Municipality.

135. Attachment and sale outside the Municipality.-

Where the warrant is to be executed outside the Municipality, the authority issuing the warrant, may by endorsement direct the officer to whom the warrant is addressed to sell the property attached and in such case, it shall be lawful for such officer to sell the property and to do all things incidental to the sale and the foregoing provisions shall apply *mutatis mutandis*. Such officer shall after deducting all costs of recovery incurred by him remit the amount recovered under the warrant to the authority by whom it was issued, who shall dispose of the same in accordance with the provisions of section 131.

136. Summary proceedings may be taken against persons about to leave the Municipality.-

(1) If the Municipality shall at any time have reason to believe that any person, from whom any sum recoverable under the provisions of this Chapter is due or is about to become due, is about to remove himself from the municipal area, Chief Municipal Officer may cause a bill for the sum due or about to become due to be presented to such person and demand immediate payment thereof.

(2) If, on presentation of such bill, the said person does not forthwith pay the sum due or about to become due by him, the amount shall be leviable by attachment and sale of the movable or immovable property of the defaulter in the manner herein before prescribed, except that it shall not be necessary to serve on the defaulter any notice of demand and the warrant for attachment and sale may be issued and executed without any delay.

137. Savings.-No attachment or sale made under this Act shall be deemed unlawful nor shall any person making the same be deemed a trespasser on account of an error, defect or want of form in the bill, notice of demand, warrant, inventory or other proceedings relating thereto.

138. Receipt to be given for all payments.- For all sums paid on account of any tax under this Act, a receipt stating the amount, and the tax on account of which it has been paid, shall be tendered by the person receiving the same.

139. Alternative power of bringing suit.- Instead of proceeding by attachment and sale or in case of failure to realize thereby the whole or any part of the demand, Chief Municipal Officer may sue the person liable to pay the same in any court of competent jurisdiction.

140. Liability of land, building, etc., for taxes.- All sums due on account of any tax imposed on the lands or buildings or both shall, subject to the prior payment of land revenue, if any, due to the State Government thereupon, be a first charge upon the building or land in respect of which such tax is leviable and upon the movable property, if any, found within or upon such building or land and belonging to the person liable for such tax :

Provided that no arrears of any such tax shall be recovered from any occupier who is not the owner, if it has been due for more than one year or for a period during which such occupier was not in occupation.

CHAPTER VIII

Borrowings

141. Comprehensive debt limitation policy.- The State Government shall frame a comprehensive debt limitation policy applicable in the case of loans, including short-term loans, to be raised by the Municipalities, laying down, *inter alia*, the general principles governing the raising of loans by the Municipalities, the limit of the loans which any Municipality may raise having regard to its financial capacity, the rate of interest to be paid for such loans and the terms and conditions, including the period of repayment thereof.

142. Power of Municipality to raise loan.- (1) The Municipality may, from time to time, raise, by a resolution in this behalf passed at a meeting of the Municipality, a loan within the limits set by the comprehensive debt limitation policy framed under section 141, any sum of money which may be required for the purpose of-

- (a) construction of works under this Act, or
- (b) acquisition of lands and buildings for the purposes of this Act, or
- (c) paying off any debt due to the State Government, or
- (d) repayment of a loan raised under this Act, or
- (e) acquisition of a public utility concern which renders such services as the Municipality is authorized to render under this Act, or
- (f) purchase of vehicles, and other machinery necessary for carrying out the purposes of this Act, or
- (g) any other purpose for which the Municipality is, by or under this Act or any other law for the time being in force, authorized to borrow:

Provided that any loan proposed to be raised which goes beyond the limits set by the comprehensive debt limitation policy as aforesaid shall require the previous sanction of the State Government in that regard to its purposes, the quantum, the rate of interest and the period for repayment, and the other terms and conditions, if any:

Provided further that in addition to the loans as aforesaid, the Municipality may also take loan from the State Government or any statutory body or public sector corporation:

Provided also that the State Government shall grant any loan to, or guarantee any loan raised by, the Municipality subject to its repaying capacity ascertained in the prescribed manner.

- (2) When any loan has been raised under sub-section (1),-
- (a) no portion thereof shall, without the previous sanction of the State Government, be applied to any purpose other than that for which it has been raised, and
 - (b) no portion of any loan raised for any of the purposes referred to in that sub-section shall be applied to the payment of salaries or allowances to any officer or other employee of the Municipality, other than those who are exclusively employed for the purpose for which the loan has been raised.

Explanation.- The expression "dues under this Act" in sub-section (1) shall, for the purposes of clause (e) of that sub-section, be deemed to include the income derivable from the public utility concern referred to in that clause.

143. Power of Municipality to open credit account with bank.- Notwithstanding anything contained in section 142, the Municipality may, where the raising of a loan is sanctioned by the State Government under that section, instead of raising such loan or any part thereof, take credit, on such terms as may be approved by the State Government, from any scheduled bank, to be kept in a cash account bearing the name of the Municipality to the extent of

such loan or any part thereof and, with the sanction of the State Government, may grant mortgage of all or any of the properties vested in the Municipality by way of securing the repayment of the amount of such credit or of the sums advanced from time to time on such cash account with interest.

144. Power of Municipality to raise short-term loan.-

Notwithstanding anything contained in this Chapter, the Municipality may, within the limits set by the comprehensive debt limitation policy framed under section 141 from time to time, take a short-term loan repayable within such period, not exceeding twelve months, from any other scheduled bank, for such purpose, not being a purpose referred to in sub-section (1) of section 142, on such terms, and on furnishing such security for the repayment of such loan, as may be approved by the State Government.

145. Establishment of Sinking Fund.-

The Municipality shall establish a Sinking Fund in respect of each loan raised under section 142 for the repayment of moneys borrowed and shall, every year, pay into such Sinking Fund such sum as shall be sufficient for the repayment, within the period fixed for the loan, of the moneys borrowed.

146. Application of Sinking Fund.-

A Sinking Fund or any part thereof shall be applied to the discharge of the loan or a part of the loan for which such fund was created and, until such loan or part thereof is wholly discharged, such Fund shall not be applied to any other purpose.

147. Power to discontinue payment towards Sinking

Fund.- If, at any time, the sum standing at the credit of a Sinking Fund established under section 145 for the repayment of any loan is of such amount that if allowed to accumulate at the rate of interest sanctioned under the first proviso to sub-section (1) of section 142, it will be sufficient to pay off the loan within the

period approved by the State Government under the said proviso, further payment towards such fund may be discontinued.

148. Investment of amount at the credit of Sinking Fund.- (1) All moneys paid into a Sinking Fund shall, as soon as possible, be invested by the Municipality in-

- (a) Government securities, or
- (b) securities guaranteed by the Central Government or any State Government, or
- (c) such other public securities as may be approved by the State Government,

and shall be held by the Municipality for the purpose of repaying, from time to time, the loans raised by.

(2) All sums received in respect of any investment under sub-section (1) shall, as soon as possible, after their receipt, be paid into the Sinking Fund and shall be invested in the manner laid down in that sub-section.

(3) Moneys standing at the credit of two or more Sinking Funds may, at the discretion of the Municipality, be invested together as a common fund, and it shall not be necessary for the Municipality to allocate the securities held in such investments to the several Sinking Funds.

(4) Subject to the provisions of sub-section (1), any investment made under this section may, from time to time, be varied or transposed.

149. Manner of repayment of loans.- Every loan raised by the Municipality under section 142 shall be repaid within the time approved under that section and such repayment shall be made either from a Sinking Fund established under section 145 in respect of such loan or partly from such Sinking Fund and, to the extent to which such Sinking Fund falls short of the sum required

for the repayment of such loan, partly from the loan raised for the purpose under section 142, as may be approved by the State Government.

150. Annual statement.- (1) The Chief Municipal Officer shall, at the end of every year, prepare and submit to the Municipality, an annual statement showing-

- (a) the amount which has been paid into the Sinking Fund or Sinking Funds during the year under section 145,
- (b) the date of the last investment made during the year,
- (c) the aggregate amount of the securities in the hand of the Municipality at the end of the year, and
- (d) the aggregate amount which has been applied for the purpose of repayment of the loan under section 149.

(2) A copy of every such annual statement shall be submitted to the State Government by the Chief Municipal Officer.

151. Annual examination of Sinking Funds.- (1) All Sinking Funds established under this Act shall be subject to annual examination by the Auditor who shall ascertain whether the cash and the value of securities belonging to such Sinking Funds are equal to the amount which should be at the credit of such Sinking Funds, had the investment under section 148 been regularly made and had the interest accruing from such investments been regularly obtained.

(2) The amount which should be at the credit of a Sinking Fund shall be calculated on the basis of the sums paid into such Sinking Fund under section 145.

(3) The value of securities belonging to a Sinking Fund shall be the current value of such securities, unless such securities become due for redemption at par with, or above, their face value before maturity in which case their current value shall be taken as their redemption value.

(4) The Municipality shall forthwith pay into a Sinking Fund such amount as the Auditor may certify to be deficit in respect of such Sinking Fund, unless the State Government specially sanctions a gradual readjustment of such deficit.

(5) If the cash and the value of the securities at the credit of a Sinking Fund are in excess of the amount which should be at the credit of such Sinking Fund, the Auditor shall certify the amount of such excess sum, and the Municipality shall, thereupon, transfer the excess sum to the Municipal Fund in the General Account.

(6) If any dispute arises as to the accuracy of any deficit or excess referred to in the certificate under sub-section (4) or sub-section (5), the Municipality may, after payment of such deficit or after transfer of such excess, as the case may be, refer the matter to the State Government whose decision thereon shall be final.

CHAPTER IX

Commercial Projects, Private Sector Participation Agreements and Assignment to other Agencies

152. Commercial projects and receipts therefrom.- The Municipality may, either on its own or through public or private sector agencies, undertake the planning, construction, operation, maintenance or management of commercial infrastructure projects, including district centers, shopping centers, bus or truck terminals and tourist lodges with commercial complexes and any other type of commercial projects on commercial basis.

153. Undertaking of project by Municipality or by other agency.- Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act,

but subject to the provisions of any State law relating to planning, development, operation, maintenance and management of municipal infrastructure and services, a Municipality may, in the discharge of its functions specified in section 45 section 46, and section 47, -

- (a) promote the undertaking of any project for supply of urban infrastructure or services by participation of a company, firm, society, trust or any body corporate or any institution, or government agency or any agency under any other law for the time being in force, in financing, construction, maintenance and operation of such project of a Municipality irrespective of its cost,
- (b) consider and approve the undertaking of any project relating to urban infrastructure or services by a company, or firm, or society, or body corporate in terms of a private sector participation agreement or jointly with any such agency, and
- (c) consider and approve the undertaking of any project relating to urban infrastructure or services by any institution, or government agency or any agency under any other law for the time being in force, or jointly with any such agency.

154. Types of private sector participation agreements.- (1)

Private sector participation agreements shall be such as may be prescribed.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions of this section, such agreements include the following:

- (a) Build-Own-Operate-Transfer Agreement,
- (b) Build and Transfer Agreement,
- (c) Build-Lease-Transfer Agreement,
- (d) Build-Operate-Transfer Agreement,

- (e) Lease and Management Agreement,
- (f) Management Agreement,
- (g) Rehabilitate-Operate-Transfer Agreement,
- (h) Rehabilitate-Own-Operate-Transfer Agreement,
- (i) Service Contract Agreement, and
- (j) Supply-Operate-Transfer Agreement.

155. Functions assigned to Municipality or other agencies.- In the discharge of its obligations assigned under section 47, the Municipality may, wherever considered appropriate in the public interest,-

- (a) discharge any of its obligations on its own, or
- (b) enter into any private sector participation agreement with prior approval of the State Government, on such terms and conditions as may be provided in the agreement.

CHAPTER X

Economic and Development Planning

156. City Development Plan.- (1) Every Municipality shall prepare a City Development Plan for such periodicity, and containing such Chapters, material and schemes, as may be prescribed by the rules framed by the Government in this behalf. The City Development Plan shall be prepared in consultation with the District Collector and other district level officials of the following departments of the Government, namely:-

- (i) Public Works Department;
- (ii) Public Health Engineering Department;
- (iii) Irrigation Department;
- (iv) Medical and Health Department;
- (v) Education Department;

- (vi) Local Self Government Department;
- (vii) Planning Department;
- (viii) Urban Improvement Trust/ City Development Authority, if any; and
- (ix) any other department or Agency which the Municipality may consider necessary to consult.

(2) The Municipality may also take the assistance of experts and knowledgeable persons for the preparation of the City Development Plan with the help of the aforesaid departments in the co-ordination of the District Collector.

(3) The City Development Plan, as prepared under sub-section (1), shall be sent to the Metropolitan Planning Committee for inclusion in the Metro Region Development Plan, in case the Municipality is a part of any Metro Region; and in all other cases, it shall be sent to the District Planning Committee for inclusion in the District Master Development Plan.

(4) The Metropolitan Planning Committee or the District Planning Committee, as the case may be, shall include the City Development Plan or such elements of the Plan as it may find appropriate in the Metro Region Development Plan or District Master Development Plan, as the case may be, after due deliberations in the committee and with the concerned Municipality; and it shall thereafter submit the Plan prepared by it to the State Government for inclusion in the State Plan, and also for allocation of resources from the Government for execution of the Plan.

157. Committee for Metropolitan Planning.- (1) There shall be constituted in every Metropolitan Area having population of 10 Lakh or more a Metropolitan Planning Committee, hereinafter in this section referred to as "the Committee", to

prepare a draft development plan for the Metropolitan Area as a whole. This plan shall be known as the "Metropolitan Region Development Plan".

(2) The Committee shall consist of such number of members as may be fixed by the State Government from time to time by notification in the Official Gazette.

(3) In so fixing the total number of members of the Committee, the State Government shall specify the number respectively of the nominated members and elected members:

Provided that not less than two thirds of the members of such Committee shall be elected by, and from amongst, the elected members of the Municipalities and Chairpersons of the Panchayats in the Metropolitan Area in the ratio that the population of the municipal areas in such Metropolitan region bears to the population of Panchayats in that region.

(4) The elected members shall be chosen in such manner as may be prescribed in the rules framed in this behalf by the Government.

(5) The nominated members may consist of-

- (a) persons representing the Government of India ;
- (b) persons representing the State Government; and
- (c) persons representing such organisations and institutions as may be identified by the State Government.

(6) The nomination of the persons referred to in sub-section (5) shall be made by the State Government, subject, however, to the condition that in the case of persons representing the Government of India or any Central Government organisation or institution, the prior concurrence of the Government of India shall be obtained.

(7) The nomination may be made either by name or by virtue of office.

(8) The Committee shall have -

- (i) the functions relating to planning and co-ordination for the Metropolitan Area, which may be assigned to it by the State Government; and
- (ii) the powers and functions as may be conferred on or delegated or entrusted to it by the State Government for carrying out the purposes of this Chapter.

(9) The Chairperson of the Committee shall be nominated by the State Government .

(10) Every Metropolitan Planning Committee shall, in preparing the draft Metro Region Development Plan, have regard to -

- (i) the plans prepared by the Municipalities and the Panchayats in the Metropolitan area;
- (ii) matters of common interest between the Municipalities and the Panchayats, including coordinated spatial planning of the area, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation;
- (iii) the overall objectives and priorities set by the Government of India and the State Government; and
- (iv) the extent and nature of investments likely to be made in the Metropolitan Area by agencies of the Government of India and of the State Government and other available resources whether financial or otherwise.

(11) The Chairperson of every Metropolitan Planning Committee shall forward the Metro Region Development Plan, as drafted by such Committee, to the State Government.

Explanation.-For the purposes of this Chapter generally, the term "Metropolitan Area" and "Panchayat" shall have the meanings respectively assigned to them in Article 243P of the Constitution of India.

158. Committee for District Planning.- The District Planning Committee constituted under the provisions of section 121 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) shall be deemed to be the Committee constituted under Article 243ZD of the Constitution of India.

CHAPTER XI

Urban Development and Town Planning

159. Civic Survey and preparation of Master Development Plan and other Plans.- (1) Subject to the provisions of any other law for the time being in force, the Municipality, with a view to securing planned and integrated development of the city and balanced use of the land, shall carry out a detailed survey of the city and prepare a Master Development Plan and other statutory plans. The Municipality shall, for this purpose, co-ordinate with the Metropolitan Planning Committee or the District Planning Committee, as the case may be, and also Chief Town Planner of the State. The plans mentioned herein shall be prepared with the following time perspective, namely:-

- (i) Master Development Plan - for a 20 year period;
- (ii) Execution Plan - for a 5 year period; and
- (iii) Annual Municipal Action Plan - for a 1 year period.

(2) In addition to the Master Development Plan, Execution Plan and Annual Municipal Action Plan, the Municipality, may prepare such other plans for each ward as it may consider

appropriate or as may be directed by the State Government from time to time.

(3) The Master Development Plan shall precisely define the time targeted development to sub-serve the needs of the growing area of Municipality, the net work of public utilities, civic amenities, community facilities, housing, communications and transport, the projects or schemes for conservation and development of natural resources and may provide for following matters, wherever required-

- (i) transport and communications such as roads, high-ways, railways, canals, international air ports, air cargo complexes and bus-service, including their development;
- (ii) water supply, drainage, sewerage, sewage disposal and other public utilities, amenities and services, including electricity and gas;
- (iii) preservation, conservation and development of areas of natural scenery, city forests, wild life, natural resources and landscaping;
- (iv) preservation of objects, features, structures or places of historical, natural, architectural or scientific interest and educational value;
- (v) prevention of erosion, provision for forestation or re-forestation, improvement of water front areas, rivers, drains, lakes and tanks;
- (vi) irrigation, water supply and hydro-electric works, flood control and prevention of water and air pollution;
- (vii) educational and medical facilities;
- (viii) district business centers, other shopping complexes, export oriented industrial areas

- and clearing houses, permanent exhibition centers, cattle fairs and markets;
- (ix) games and sports complexes worthy of holding national and international events;
- (x) amusement parks, including artificial lakes and water reservoirs;
- (xi) cultural complexes including theatres, cinemas, studios, recreation centers, conference hall complexes, concert halls, town halls and auditoria;
- (xii) tourist complexes including hotels and motels, car hiring services, organized tours and treks;
- (xiii) allocation of land for different uses, general distribution and general location of land and the extent to which the land may be used as residential, commercial, industrial, agricultural, or as forests or for mineral exploitation or for other purposes;
- (xiv) reservation of areas for open spaces, gardens, recreation centers, zoological gardens, nature-reserves, animal sanctuaries, dairies and health resorts and other purposes;
- (xv) the relocation of the population or industry from over populated and industrially congested areas and indicating the density of population or the congested areas and indicating the density of population or the concentration of industry to be allowed in the area;
- (xvi) housing;

(xvii) filling up or reclamation of low lying, swampy or un-healthy areas or leveling up of lands; and

(xviii) re-development and improvement of existing built-up areas.

(4) The Master Development Plan may also define the various zones, wherever required, into which the Municipality may be divided for the purposes of development and indicate the manner in which developmental works are to be carried out, and indicate the manner in which the land in each zone is proposed to be used (whether by the carrying out therein developmental works or otherwise), and the stages by which any such developmental works shall be carried out and shall serve as a basic pattern of frame-work within which the Zonal Development Plans of the various zones may be prepared:

Provided that the Municipality may, if it considers necessary in the public interest, alter the area of any zone.

(5) The Municipality may decide about the items of development to be included and extent of surveys required, in the case of other statutory plans mentioned above.

(6) Notwithstanding anything contained in this section the Municipality may undertake any of the schemes included in the Master Development Plan having regard to the availability of its financial resources.

160. Procedure to be followed in the preparation and sanction of Plan.- (1) Before preparing any Plan finally the Municipality shall prepare a Plan in draft and publish it by making a copy thereof available for inspection and publishing a notice in such form and manner as may be determined by bye-laws inviting objections and suggestions from any person with respect to the draft Plan before such date as may be specified in the notice.

(2) The Municipality may, if it considers appropriate, constitute an Advisory Committee consisting of the following to consider the draft plan before it is given a final shape: -

- (i) All members of the Municipality;
- (ii) Representatives of associations of industry, commerce and trade and professions;
- (iii) Six representatives from academic institutions located in the city;
- (iv) Six representatives from prominent Non-Government-Organizations located in the city; and
- (v) Six any other prominent citizens of the city.

(3) After considering all objections, suggestions, representations and recommendations of the advisory committee, if any, the Municipality shall send the Plan to the State Government for approval and after receipt of the approval of the State Government finally sanction the Plan.

(4) Provisions may be made by bye-laws with respect to the form and content of a Plan and with respect to the procedure to be followed and any other matter, in connection with the preparation and sanction of such Plan.

161. Date of operation of Plan.- Immediately after a Plan has been sanctioned by the Municipality, it shall be published through a public notice stating that a Plan has been approved and naming a place where a copy of the Plan may be inspected at all reasonable hours and upon the date of the first publication of the aforesaid notice, the Plan shall come into operation.

162. Subsequent modification of Plans.- (1) At any time after a Plan has come into operation according to provisions of section 161, the Municipality may, with the prior approval of the State Government, make any modification to the Plan as it thinks

fit, the modifications, which in its opinion, do not affect material alterations in the character of the Plan and which do not relate to the extent of land uses or the standards of population density.

(2) Before making any modification to the Plan, the Municipality shall publish a notice, inviting objections before such date as may be specified in the notice and shall consider all objections and suggestions that may be received by the Municipality.

(3) Every modification made under the provisions of this section shall be published and the modification shall come into operation either on the date of publication or on such date as the Municipality may fix by notice published in the Official Gazette whereupon the modified Plan shall come into operation to all intents and for all purposes of this Act.

(4) Upon coming into operation of any modified Plan, any reference in any other section, except in the foregoing sections of this Chapter, to the Master Development Plan or any other plan, shall be construed as a reference to the Master Development Plan or, as the case may be other plan, as modified under the provisions of this section.

(5) No modification of the Plan shall be made under this section until and unless it is finally approved by the State Government.

163. Implementation of Plan.-After the coming into operation of any plan, the Municipality may initiate such action for implementation of the Plan as may be deemed necessary, subject to the provisions of this Act.

164. Plans prepared prior to this Act deemed to have been prepared under this Act.-Any Master Development Plan prepared under the provisions of any other law for the time being

in force prior to the commencement of this Act, shall be deemed to have been prepared under the provision of this Act, to which the provisions of the foregoing sections relating to the sanction, modification and operation of Master Plan/Master Development Plan shall *mutatis mutandis* apply:

Provided that any Master Development Plan sanctioned for the Municipality under any other provisions of law shall cease to operate as soon as a Plan is sanctioned under the provisions of this Act.

165. Review of Plan.- Notwithstanding anything contained in this Act, if the State Government or the Municipality at any time within ten years from the date on which a Plan comes into operation under this Act is of the opinion that the revision of such Plan is necessary, the State Government may direct the Municipality to revise or the Municipality may of its own motion undertake revision of such Plan after carrying out, if necessary, fresh civic survey and preparing an existing land use map and thereupon the foregoing provisions of this Chapter shall, so far as they can be made applicable, apply to the revision of such Plan as those provisions apply in relation to the preparation, publication and sanction of a Plan.

166. Declaration of Development Areas.- (1) As soon as may be after a plan comes into operation as provided in section 161, the Municipality may, with the approval of the State Government and by notification in the Official Gazette, declare any area in the city to be a development area for the purposes of this Act.

(2) On or after the date on which notification under subsection (1) is published in the Official Gazette, no person shall institute or change the use of any land or carry out any

development of land without the permission in writing of the Municipality:

Provided that, no such permission shall be necessary-

- (i) for carrying out works for the maintenance, improvement or other alteration of any building, being works which affect only the interior of the building or which do not materially affect the external appearance thereof;
- (ii) the carrying out of works in compliance with any order or direction made by any authority under any law for the time being in force;
- (iii) the carrying out of works by the Municipality in exercise of its powers under any law for the time being in force;
- (iv) for the carrying out by the Central or the State Government or any local authority of any works-
 - (a) required for the maintenance or improvement of a highway, road or public street, being works carried out on land within the boundaries of such highway, road or public street; and
 - (b) for the purpose of inspecting, repairing or renewing any drains, sewers, mains, pipes, cable, telephone or other apparatus;
- (v) for the excavation (including wells) made in the ordinary course of agricultural operation;

- (vi) for the construction of a road intended to give access to land solely for agricultural purposes;
- (vii) for normal use of land which has been used temporarily for other purposes; and
- (viii) in case of land, normally used for one purpose and occasionally used for any other purpose, for the use of land for that other purpose on occasion.

167. Penalty for unauthorized development or for use otherwise than in conformity with the Plan.- (1) Any person who, whether at his own instance or at the instance of any other person commences, undertakes or carries out development or changes the use of any land-

- (a) without permission required under this Act; or
- (b) which is not in accordance with any permission granted or in contravention of any condition subject to which such permission has been granted; or
- (c) after the permission for development has been duly revoked; or
- (d) in contravention of any permission which has been duly modified,

shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees, and in the case of a continuing offence with a further fine which may extend to one hundred rupees for every day during which the offence continues after conviction for the first commission of the offence.

(2) Any person who continues to use or allows the use of any land or building in contravention of the provisions of a Plan

without being allowed to do so under the provisions of this Act, or, where the continuance of such use has been allowed under this Act, continues such use after the period for which the use has been allowed or without complying with the terms and conditions under which the continuance of such use is allowed, shall, on conviction, be punished with fine which may extend to two thousand rupees; and in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence.

168. Power to require removal of unauthorized development.-(1) Where any development of land has been carried out as indicated in sub-section (1) of section 167, the Municipality may, subject to the provisions of this section, serve on the owner a notice requiring him, within such period being not exceeding one month, as may be specified therein after the service of the notice, to take such steps as may be specified in the notice-

- (a) in cases specified in clause (a) or (c) of sub-section (1) of section 167 to restore the land to its condition existing before the said development took place; and
- (b) in cases specified in clause (b) or (d) of sub-section (1) of section 167 to secure compliance with the conditions or with the permission as modified:

Provided that, where the notice requires the discontinuance of any use of land the Municipality shall serve a notice on the occupier also.

(2) In particular, such notice may, for purposes of sub-section (1), require-

- (a) the demolition or alteration of any building or works;

- (b) the carrying out on land of any building or other operations; or
- (c) the discontinuance of any use of land.

(3) Any person aggrieved by such notice may, within the period specified in the notice and in the manner determined by bye-laws, apply for permission under the provisions of this Act for retention on the land, of any building or works or for the continuance of any use of the land, to which the notice relates and pending the final determination or withdrawal of the application, the mere notice itself shall not affect the retention of buildings or works or the continuance of such use.

(4) If the permission applied for is granted, the notice shall stand withdrawn; but if the permission applied for is not granted, the notice shall stand; or if such permission is granted for the retention only of some buildings or works, or for the continuance of use of only a part of the land, the notice shall stand withdrawn as respects such buildings or works or such part of the land, but shall stand as respects other buildings or works or other parts of the land, as the case may be; and thereupon the owner shall be required to take steps specified in the notice under sub-section (1) as respects such other buildings, works or part of the land.

(5) If within the period specified in the notice or within the same period after the disposal of the application under sub-section (4), the notice or so much of it as stands is not complied with, the Municipality may-

- (a) prosecute the owner for not complying with the notice and where the notice requires the discontinuance of any use of land, any other person also who uses the land or causes or permits the land to be used in contravention of the notice; and

(b) where the notice requires the demolition or alteration of any building or works or carrying out of any building or other operations, itself cause the restoration of the land to its condition before the development took place and secure compliance with the conditions of the permission or with the permission as modified by taking such steps as the Municipality may consider necessary including demolition or alteration of any building or works or carrying out of any building or other operation; and recover the amount of any expenses incurred by it in this behalf from the owner as arrears of land revenue.

(6) Any person prosecuted under clause (a) of sub-section (5) shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees, and in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to two hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence.

169. Power to stop unauthorized development.-(1)

Where any development of land as indicated in sub-section (1) of section 167 is being carried out but has not been completed, the Municipality may serve on the owner and the person carrying out the development, a notice requiring the development of land to be discontinued from the time of the service of the notice, and thereupon, the provisions of sub-sections (3), (4), (5) and (6) of section 168 shall, so far as may be applicable, apply in relation to such notice, as they apply in relation to notice under section 168.

(2) Any person, who continues to carry out the development of land, whether for himself or on behalf of the owner or any other person, after such notice has been served shall, on

conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees, and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non-compliance has continued or continues.

(3) Notwithstanding anything contained in this Chapter, where any person continues to carry out unauthorized development after receiving a notice under sub-section (1), the Municipality or any officer authorized by it in this behalf, shall, in addition to any prosecution or other proceedings or action that may be initiated under this Act, have the power to require any police officer to remove the person by whom the erection of the building has been continued and all his assistants and workmen from the place of the unauthorized development within such time as may be specified in the requisition and such police officer shall comply with the requisition accordingly. In addition to such removal of persons, the Municipality may also confiscate such construction materials, tools etc. which such person was using for unauthorized development.

(4) After a requisition order under sub-section (3) has been complied with, any person or his assistants and workmen subsequently continuing unauthorized development shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to five thousand rupees and in case of continuing offence, with a further fine which may extend to two hundred rupees for every day during which such offence continues after the conviction for the first commission of the offence.

(5) No compensation shall be claimed by any person for any damage which he may sustain in consequence of the discontinuation of the unauthorized development under this Act.

170. Removal or discontinuance of unauthorized temporary development summarily.-(1) Notwithstanding anything hereinbefore contained in this Chapter, where any person

has carried out any development of a temporary nature unauthorizedly as indicated in sub-section (1) of section 167, the Municipality may, by an order in writing direct that person to remove any structure or work erected, or discontinue the use of land made, in an unauthorized manner as aforesaid, within fifteen days of the receipt of the order; and if thereafter, the person does not comply with the order within the said period, the Municipality or any officer authorized by it in this behalf may get such work summarily removed or get such use summarily discontinued without any notice as directed in the order; and any unauthorized development made again shall similarly be summarily removed or discontinued without making any order as aforesaid:

Provided that standing crops shall not be summarily removed and reasonable period not exceeding six months shall be allowed to the person concerned by the Municipality for the crop to be cut and gathered.

(2) The decision of the Municipality on the question of what is development of a temporary nature shall be final.

171. Sanction for sub-division of plot or lay out of Private Street.-(1) Every person who intends to sub-divide his land or his plot or make or lay out a private street on such land or plot on or after the date of the operation of plan under section 161 shall submit the intended layout plan for such purpose together with such particulars and such fees, as may be determined by bye-laws or by Government orders, to the Municipality for sanction.

(2) The Municipality may, within the period specified in the bye-laws, sanction such plan either without modifications or subject to such modifications or conditions as it considers expedient or may refuse to give sanction, if the Municipality is of opinion that such division or laying out of street is not in any way consistent with the proposals of the plan.

(3) No compensation shall be payable for the refusal of a sanction or for the imposition of modifications or conditions in the sanction.

(4) If any person does any work in contravention of sub-section (1), or in contravention of the modifications or conditions in any sanction given under sub-section (2), or in spite of refusal of sanction under the said sub-section (2), the Municipality may direct such person by notice in writing to stop any work in progress and after making an inquiry in the manner determined by bye-laws remove or pull down any work or restore the land to its original condition.

(5) Any person, who continues to carry out the development of land, whether for himself or on behalf of the owner or any other person, after such notice has been served shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees, and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine which may extend to two hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non-compliance has continued or continues.

172. Recovery of expenses incurred.-Any expenses incurred by the Municipality under sections 168, 169, 170 and 171 shall be a sum due to the Municipality under this Act from the person in default or the owner of the land or plot and shall be recovered as arrears of land revenue.

173. Making and contents of Projects and Schemes.-(1) Subject to the provisions of this Act or any other law for the time being in force, the Municipality for the purpose of implementing the proposals in any plan or otherwise, may make such projects and schemes for the integrated development of the city or any part thereof, as may be considered necessary.

(2) A project or scheme may make provisions for all or any of the following matters, namely:-

- (a) acquisition, development, reservation and sale or leasing of land for purpose of public utilities such as roads, streets, open spaces, parks, gardens, recreation and play grounds, hospitals, dispensaries, educational institutions, green-belts, dairies, housing development, development of markets, shopping centers, commercial complexes, cultural centers, administrative centers, transport facilities and public purposes of all kinds;
- (b) preparation of layout plan of any land comprised in the scheme;
- (c) re-distribution of sites belonging to owners of property comprised in the scheme;
- (d) closure or demolition of buildings or portion of building unfit for human habitation;
- (e) demolition of obstructive building or portions thereof;
- (f) construction and reconstruction of buildings;
- (g) construction and alteration of streets, including private streets;
- (h) street lighting, water supply, drainage and other conveniences;
- (i) provision of open spaces;
- (j) sanitary arrangements required for the area comprised in the scheme;
- (k) provision of accommodation for any class of the inhabitants;
- (l) provisions of facilities for communications;

- (m) sale, letting or exchange of any property comprised in the scheme;
- (n) re-construction of plots for the purpose of buildings, roads, drainage inclusive of sewerage, surface or sub-soil drainage, sewerage disposal and other similar amenities;
- (o) construction, alteration and removal of buildings, bridges and other structures;
- (p) preservation of objects of historical or national interest or natural beauty and of buildings actually used for religious purposes;
- (q) reservation of land in any scheme to such extent as may be prescribed in the rules made by the State Government for the purpose of providing housing accommodation to the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the Backward Classes and weaker sections of the society, including disabled, handicapped and mentally retarded persons and unassisted elderly persons;
- (r) imposition of conditions and restriction in regard to the open space to be maintained around buildings, the percentage of building area for a plot, the number, size, height and character of building allowed in specified areas, the purposes to which buildings or specified areas may or may not be appropriated, the sub-division of plots, the discontinuance of objectionable uses of lands in any area in specified periods, parking space and loading and unloading space for any building and the sizes or locations of projections, advertisement signs, and hoardings;

- (s) any other work of a nature such as would bring about environmental improvements which may be taken up by the Municipality and all such other matters not inconsistent with the objects of this Act.

(3) The draft project or scheme shall contain the following particulars, namely: -

- (a) the area, ownership and tenure of each original plot;
- (b) the particulars of land allotted or reserved under clause (a) of sub-section (2) with a general indication of the uses to which such land is to be put and the terms and conditions subject to which such land is to be put to such uses;
- (c) the extent to which it is proposed to alter the boundaries of original plots;
- (d) the estimate of the net cost of the scheme to be borne by the appropriate Municipality;
- (e) a full description of all the details of the scheme under sub-section (2) as may be applicable;
- (f) the laying out or relaying out of land either vacant or already built upon;
- (g) the filling up or reclamation of low laying, swampy or unhealthy areas or leveling up of land; and
- (h) any other particular as may be determined by the bye-laws.

174. Preparation of Projects and Schemes.- (1) The Municipality may, by resolution, declare its intention to prepare a project or scheme as provided in section 173 in any development area.

(2) Not later than thirty days from the date of such declaration of intention to make such project or scheme, the Municipality shall publish the declaration in the Official Gazette and in such other manner as may be determined by bye-laws.

(3) Not later than one year from the date of publication of the declaration under sub-section (2) the Municipality shall prepare a project or scheme in draft form and publish it in such form and manner as may be determined by bye-laws together with a notice inviting objections and suggestions from any person with respect to the said draft project or scheme before such date as may be specified therein, such date being not earlier than thirty days from the date of publication of such notice.

(4) The Municipality shall consider all the objections and suggestions as may be received within the period specified in the notice under sub-section (3) and shall, after giving a reasonable opportunity to such persons affected thereby as are desirous of being heard, approve the draft project or scheme as published or make such modifications, as it may deem fit.

(5) Immediately after a project or scheme is approved under sub-section (4) with or without modifications, the Municipality shall publish in the Official Gazette and in such other manner as may be determined by bye-laws, a final project or scheme and specify the date on which it shall come into operation.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the procedure as laid down therein shall not be required to be followed in case the project or scheme is to be carried out on any land vested in the Municipality and no demolition of any building or removal of persons living thereat is involved in its execution.

175. Redevelopment Scheme.- Where the Chief Municipal Officer upon information in his possession is satisfied in respect of any area-

- (a) that the buildings in any area are by reasons of disrepair or unsanitary conditions unfit for human habitation or are by reason of their bad arrangements or the narrowness or bad arrangement of the street or the want of light, air, ventilation or proper conveniences, dangerous or injurious to the health of the inhabitants of the area, and
- (b) that the most satisfactory method of dealing with the conditions in the area is the re-arrangement and re-construction of the streets and buildings in accordance with re-development schemes,

he may frame a redevelopment scheme in respect of the area. Such a scheme shall fulfil all the requirements in the case of a regular scheme as provided in sections 173 and 174.

176. Submission of project and scheme to the Municipality for approval.- Every development scheme shall, as soon as may be after it has been framed, be submitted by the Chief Municipal Officer for approval to the Municipality and the Municipality may either approve the scheme without modification or with such modifications as it may consider necessary or reject the scheme and require the Chief Municipal Officer to have a fresh scheme framed according to such directions as the Municipality may give.

177. Restrictions on use and development of land after declaration of a Scheme.- (1) On or after the date on which a draft scheme is published under section 174, no person shall, within the area included in the project or scheme, institute or change the use of any land or building or carry out any development, unless such

person has applied for and obtained the necessary permission for doing so from the Municipality in accordance with the bye-laws made in this behalf:

Provided that it shall be lawful for any person to undertake such development within the village abadi limits in accordance with the permission granted by the Gram Panchayat so far as such permission is consistent with such draft scheme or scheme.

(2) The provisions of section 166 to 172 shall be applicable *mutatis mutandis* for the project or scheme approved under sub-section (4) of section 174.

178. Lapse of Scheme.- If the Municipality fails to implement the project or scheme approved under sub-section (4) of section 174 within a period of two years from the date of publication thereof under sub-section (5) of section 174, it shall, on the expiration of the said period of two years, lapse.

179. Modification or withdrawal of project or Scheme.-

(1) The Municipality, after making such inquiry as it may deem fit, may, if it is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, by notification published in the Official Gazette, declare that the project or scheme approved under sub-section (4) of section 174, is withdrawn and upon such declaration, no further proceedings shall be taken in regard to such project or scheme.

(2) If the Municipality, after approval of any project or scheme under sub-section (4) of section 174, at any time, considers it necessary to make certain modifications therein, which in its opinion do not effect material alteration in the character of the project and scheme, may make suitable modifications.

180. Power of the State Government to require Municipality to make scheme.- The Municipality may, and if so required by the State Government it shall, direct the Chief

Municipal Officer to prepare a Development Scheme in respect of any area of the City.

181. Saving to any project or Scheme.- Notwithstanding anything contained in any provision of this Act or in any plan sanctioned under it, the Municipality shall be at liberty to make and carry out any project or scheme not covered by the said plan, if in the opinion of the Municipality, it is necessary to do so or is expedient in public interest, and the said plan shall be deemed to be modified to that extent.

182. Restriction on change of use of land and power of the State Government to allow change of use of land.- (1) No person shall use or permit the use of any land situated in any municipal area, for the purpose other than that for which such land was originally allotted or sold to any person by the State Government, any Municipality, any other local authority or any other body or authority in accordance with any law for the time being in force or, otherwise than as specified under a Master Plan, wherever it is in operation.

(2) In the case of any land not allotted or sold as aforesaid and not covered under sub-section (1), no person shall use or permit the use of any such land situated in a municipal area for the purpose other than that for which such land was being used on or before the commencement of this Act.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2), the State Government or any authority authorized by it by notification in the Official Gazette, may allow the owner or holder of any such land to have change of use thereof, if it is satisfied so to do in public interest, on payment of conversion charges at such rates and after inviting and hearing objections from the neighbourhood in such manner

as may be prescribed with respect to the following changes in use, namely: -

- (i) from residential to commercial or any other purpose; or
- (ii) from commercial to any other purpose; or
- (iii) from industrial to commercial or any other purpose; or
- (iv) from cinema to, commercial or any other purpose; or
- (v) from hotel to commercial or any other purpose; or
- (vi) from tourism to commercial or any other purpose; or
- (vii) from institutional to commercial or any other purpose:

Provided that rates of conversion charges may be different for different areas and for different purposes.

(4) Where the State Government or any authority authorized by it under sub-section (3), is satisfied that a person who ought to have applied for permission or regularization under this section, has not applied and that such permission can be granted or the use of land can be regularized, it may proceed to determine the conversion charges after due notice and hearing the party or parties and the charges as may be prescribed, shall become due to the Municipality and be recoverable under sub-section (6). The Municipality may hold camps for expediting this work and take the assistance of any agency as well:

Provided that regularization of land use change shall not be permitted in cases where the original land use was for a public purpose such as education, medical or any charitable purpose and the allotment was made at any concessional rate unless the difference in the original rate of allotment and the prevailing is

paid and specific consent of the authority which made the original allotment has been obtained.

(5) The conversion charges so realized shall be credited to the fund of the Municipality.

(6) Charges under this section shall be the first charge on the interest of the person liable to pay such charges with respect to the land, the use of which has been changed, and shall be recoverable as arrears of land revenue.

183. The regular line of Public Street.- (1) Every Municipality shall prescribe a line on either side or both sides of a public street within the Municipality and may from time to time prescribe a fresh line in substitution of any line so prescribed or of any part thereof if the Municipality thinks the prescribing of such fresh line to be necessary for the purpose of widening such public street or any part thereof :

Provided that-

- (a) atleast one month previous to prescribing such line or fresh line, as the case may be, the Municipality shall put up special notice of the same in the street or part of the street for which such line or fresh line is proposed to be prescribed and shall also give notice thereof to the owners for occupiers of the land affected by such alignment;
- (b) the Municipality shall consider any written objection or suggestion in regard to such proposal delivered at the office of the Municipality within such time as may be specified in such special notice; and
- (c) the Municipality shall cause to be prepared, a map of the area comprised within the said line and the street concerned and a statement specifying the lands enclosed therein, which shall be open for the inspection of the public.

(2) The line for the time being so prescribed shall be called the regular line of the public street.

(3) No person shall construct or re-construct any portion of any building within the regular line of the public street.

(4) If any person contravenes the provisions of sub-section (3), he shall be punishable on conviction with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees and the Municipality shall—

- (a) direct that such construction or re-construction be stopped; and
- (b) by a written notice, require the building or any portion thereof so constructed or re-constructed to be demolished.

(5) Any person aggrieved by an order of the Municipality under sub-section (4) may within thirty days from the date of such order, exclusive of the time requisite for obtaining a copy thereof, appeal to the Collector and the order of the appellate authority shall be final and shall not be liable to be called in question in any court.

184. Rights of way for underground utilities.— Subject to the provisions of the Indian Telegraph Act, 1885 (Central Act No. 13 of 1885), the Electricity Act, 2003 (Central Act No. 36 of 2003) and such other laws as may be notified by the State Government for the purposes of this section, the State Government may, by rules, provide for the following, namely:—

- (a) the sanction by the Municipality of specific rights of way in the sub-soil of public and private streets in any municipal area for different public utilities including electric supply, telephone or other telecommunication facilities, gas pipes, water-supply, drainage and sewerage, and underground rail system, pedestrian sub-ways, shopping plazas,

- warehousing facilities and apparatus and appurtenances related thereto, provided by the State Government, or any statutory body or any licensee under any of the above mentioned Acts or other laws;
- (b) the levy of any fee or charges under any of the Acts or other laws as aforesaid;
 - (c) the furnishing to the Municipality of maps, drawings and statements which shall enable it to compile and maintain precise records of the placement of the underground utilities in the municipal area;
 - (d) the fixing of time limit for execution of work and imposing of such conditions in this respect as the Municipality may consider appropriate;
 - (e) the imposing of penalty in case of delay in the completion of work; and
 - (f) the repairing and rendering in original condition, at the cost of concerned department or body, any municipal street or any other municipal property damaged while exercising aforesaid rights.

185. Maps of underground utilities.-The Chief Municipal Officer shall cause to be maintained complete survey maps, drawings and descriptions of all underground utilities in the municipal areas, and maps of fire hydrants and sewerage man-holes in such form and in such manner, as may be provided by bye-laws, and shall ensure the secrecy of the same in conformity with the provisions of any law relating to right to information.

186. Special provision regarding streets belonging to Central or State Government.- (1) If any national highway, state

highway, or a street is vested in the Central Government or the State Government, as the case may be,—

- (a) the Municipality shall not, in respect of such national highway, state highway, or street, grant permission to do any act, the doing of which without its permission, in writing, would contravene the provisions of this Act, except with the sanction of the Central Government or the State Government, as the case may be; and
- (b) if so required by Central Government or the State Government, the Municipality shall exercise the powers conferred upon it by this Act or any bye-laws relating to such street.

(2) In the case of roads vested in the State Government, and passing through the municipal area, the Municipality shall have control over such roads in so far as permission for temporary occupation thereof and removal of encroachments therefrom are concerned, but the maintenance of such roads shall remain with the State Government.

187. Temporary erection on streets during festivals.- (1)

The Chief Municipal Officer may grant a permission, in writing, for temporary erection of a booth, pandal, or any other structure on any public place on occasions of ceremonies and festivals, on payment of such fee, and on such conditions, as may be determined by the Municipality by bye-laws, and for such period as may be mentioned in the letter of permission :

Provided that no permission shall be given under this section without consultation with the Police Officer Incharge of traffic in the municipal area.

(2) The person to whom such permission is granted shall fill in the ground and reinstate the same to the satisfaction of the

Chief Municipal Officer within such period as may be mentioned in the letter of permission.

188. Precautions during construction or repair of street, drain or premises.- Subject to the terms and conditions as may be specified by bye-laws, the Chief Municipal Officer, during construction or repair of any public street or any municipal drain or any premises vested in the Municipality, shall—

- (a) cause the same to be fenced and guarded;
- (b) take proper precaution against accident affecting public street or adjoining buildings;
- (c) prohibit, without his written permission, the deposit of any building material or the setting up of any scaffolding or any temporary erection on any public street;
- (d) close any street wholly or partly to traffic;
- (e) provide for necessary diversion of traffic, wherever necessary;
- (f) ensure the reinstatement of the public street or restoration of any drain or premises to its original condition; and
- (g) take steps for repairing or enclosing of any place which, in his opinion, is dangerous or causing inconvenience to traffic along a street or to persons who have legal access thereto or to the neighbourhood thereof, and recover the costs of such repair works from the owner or the occupier of any such place or premises.

189. Material not to be deposited nor hole to be made in a street without permission.- (1) No person shall without the written permission of the Municipality or otherwise than in accordance with such conditions as may therein be prescribed, make a hole in any street or erect or deposit thereon any timber,

stone, brick, earth or other material that has been or is intended to be used for buildings and such permission shall be terminable at the discretion of the Municipality and, when such permission is granted to any person, he shall, at his own expense, cause such materials or such hole to be sufficiently fenced and enclosed until the material is removed or the hole is filled up or otherwise made secure to the satisfaction of the Municipality and shall cause the same to be sufficiently lit during the night.

(2) Whoever contravenes any of the provisions of subsection (1) shall be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with a further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day or, night, as the case may be, on which such contravention continues after the date of the first conviction.

190. Compulsory provision of footpaths.- (1) The Municipality shall ensure, within a reasonable time, and subject to the availability of resources, that all public streets of such width as may be prescribed have raised footpaths adjoining such public streets.

(2) Notwithstanding the existing situation, the Buildings Permission and Works Committee shall specify different minimum widths for footpaths so as to be not less than one and a half meters on each side in any case :

Provided that more than one minimum width may be specified for the footpath abutting each category of Public Street so as to provide for different requirements owing to different abutting land uses :

Provided further that while prescribing or revising any regular line of a public street, it shall be stipulated that the specification of minimum width for footpaths shall be complied with.

(3) The minimum widths referred to in sub-section (2) may be revised by the Buildings Permission and Works Committee.

191. Building at corner of streets.- (1) The Municipality may require any building intended to be erected at the corner of two streets to be rounded off or played off to such height and to such extent or otherwise as it may determine, and may acquire such portion of the site at the corner as it may consider necessary for public convenience or amenity.

(2) For any land so acquired, the Municipality shall pay compensation.

(3) In determining such compensation, allowance shall be made for any benefit accruing to the said building from the improvement of the streets.

192. Setting back projecting buildings.- (1) If any part of a building projects beyond the regular line of a public street as prescribed under section 183, the Municipality may,—

- (a) if the projecting part thereof is a verandah, step or some other structure external to the main building, then at any time; or
- (b) if the projecting part is not such external structure as aforesaid then whenever the greater portion of such building or whenever any material portion of such projecting part has been taken down or burned down or has fallen down,

require by written notice either that the part or some portion of the part projecting beyond the said regular line, shall be removed or that such building, when being re-built, shall be set back to or towards the said regular line and the portion of land added to the street by such setting back or removal shall thenceforth be deemed part of the public street and be vested in the Municipality.

(2) If any land not vested in the Municipality, whether open or enclosed, lies within the regular line of a public street, and is not occupied by a building other than a platform, verandah, step or other external structure, the Municipality, after giving the owner of the land not less than fifteen clear days written notice of its intention, or if the land is vested in the State Government, then with the permission in writing of such officer, as may be appointed or authorized by the State Government in this behalf, may take possession of the said land with its enclosing wall, hedge or fence, if any, and if necessary, clear the same; and the land so acquired shall thenceforward be deemed a part of the public street and be vested in the Municipality.

(3) Compensation, the amount of which shall in case of dispute be ascertained and determined in the manner provided in section 295, shall be paid by the Municipality to the owner of any land added to a street under sub-section (1) or acquired under sub-section (2) for the value of the said land to the owner of any building for any loss, damage or expense incurred by such owner in consequence of any action taken by the Municipality under either of the said sub-section; provided that no such compensation shall be payable in cases to which section 243 applies.

(4) When the amount of compensation has been so ascertained and determined or when a ruinous or dangerous building falling under sub-section (1) has been taken down under the provisions of section 243, the Municipality may, after tendering the amount of compensation, if any, that may be payable, take possession of the land so to the street, and shall clear the same.

193. Level of buildings.- No building shall hereafter be built upon lower level than will allow the drainage thereof being laid into some public sewer or drain either then existing or

projected by the Municipality or into some stream or some cess pool or other suitable place which may be approved of by the Municipality.

194. Provisions relating to erection of all kinds of buildings.- (1) Within the limits of a Municipality, any person intending,—

- (a) to erect a new building; or
- (b) to re-erect or to make a material addition in a building; or
- (c) to erect or re-erect any projecting portion of a building; or

(d) to make or enlarge any kind of well or boring, shall submit an application in the prescribed form to the Municipality alongwith the documents required under sub-section (2) before starting the construction.

Explanation.- The term "material addition" means any changes in existing set backs, coverage, height, land use and parking areas wherever such parking areas are mandatory under the law.

(2) (a) The application as mentioned in sub-section (1) shall be accompanied by the following, namely:—

- (i) all documents in support of the title over the land or the building, as the case may be, alongwith a personal affidavit on oath regarding the genuineness of the documents and undisputed title over the land or the building;
- (ii) a photocopy of the receipt of the prescribed fee deposited with the Municipality;

- (iii) six copies of the map (showing the details of the proposed work in different colour) and the site plan. The map would particularly show the specification of construction, height of the building, permissible covered area, open spaces, set backs, parking spaces, ventilation etc.; and
 - (iv) any other information or documents required by the Municipality for its satisfaction, from time to time;
 - (b) The maps required under clause (a) shall be signed and authenticated by the qualified architect or engineer registered and approved by the Municipality, Urban Improvement Trust, Jaipur Development Authority, Chief Town Planner of the State or by any other authority empowered by the State Government for such purpose from time to time.
- (3)(a) The scrutiny of title papers by the Municipality should be restricted to ensure that the land or the building as the case may be, does not belong to the government or any public agency;
- (b) The applicant should have legal possession of the land or building on the date of application on the basis of documents submitted by the applicant :
- Provided that the sanction of building plans by the Municipality shall not in any manner amount to creating a title in the favour of the applicant.
- (4)(a) Municipality may, by bye-laws, provide that the documents required to be submitted under sub-section (2) may be submitted in electronic form;
 - (b) The Municipality shall decide the application and convey its written orders within a period of two

months from the date of receipt of application. The Municipality or any authority or any committee empowered to grant the permission, shall also be competent to grant or to reject or modify the map or to impose other conditions or restrictions, as may be deemed necessary. In cases where the Municipality fails to convey its decision within two months, the applicant may undertake the construction, after giving one month's clear notice to that effect to the Municipality, considering it as a case of deemed permission. However, it shall be the responsibility of the applicant and the architect or engineer to ensure that in all cases of deemed permission, the provisions of the Act, rules and bye-laws are not violated.

(5) Where the application submitted under sub-section (1), pertains to a multi-storied building i.e. a building above height of fifteen meters, or any institutional complex or a commercial complex in an area of more than five hundred square meters, the Municipality shall obtain advice of the Regional Town Planner of the State Government, before granting the permission sought for and shall ensure that proposed plan and construction is not inconsistent with the rules, bye-laws and public convenience.

(6) (a) The Municipality shall frame rules and bye-laws under sections 339 and 340 for uniform applicability regarding the conditions, restrictions, norms, specifications and the manner of processing the application submitted under this section;

(b) Where the application submitted under sub-section (1) pertains to non-residential building, multi-storied building, complex or construction of

basement, the Municipality shall obtain the advice of the town planner of the area before granting permission sought for and shall ensure that proposed plan and construction is not inconsistent with the rules, bye-laws and public convenience.

- (7) (a) No person shall commence any type of construction without written permission of the Municipality, and the Municipality shall decide his application within the period of two months from the date of receipt of application complete in all respect;
- (b) If the decision is not conveyed to the applicant within the period of two months, he shall, before commencing the construction, give clear one month's notice to the Municipality asking to take decision on his application within that period;
- (c) If the Municipality still fails to dispose of the application or to inform the person, of the action which is being taken in the matter, the applicant may commence the construction taking it to be deemed permission of the Municipality, but he shall not violate any provisions of this Act, rules or bye-laws made thereunder;
- (d) A written permission shall not be required where a person has submitted an application under subsection (1) on an area less than 250 square meters the proposal is for construction of an individual single residential unit up to first floor, and the total height of the building is not more than ten meters from the road level, including the thickness of the roof and any other structure. However, this provision shall not be applicable in any walled city

area where separate bye-laws are in existence or in any area which has been declared as an heritage area under any law for the time being in force;

(e) The Chief Municipal Officer or any other person authorized by him or Chairman of the Committee authorized to exercise the powers to accord permission shall have power of inspection of site or building and to take measurement at any time for the purpose of deciding the application or to ensure that the work is being carried on according to the sanctioned plan. The Chief Municipal Officer shall issue notice to the person violating the sanctioned plan and the conditions imposed therein while erecting or re-erecting the building and it shall be lawful for him to ask such person to remove or dismantle such construction or any construction which may be in violation of the sanctioned plan. It shall also be lawful for the Chief Municipal Officer to direct the person concerned to stop construction where the construction is going on without permission;

(f) It shall be lawful for the Chief Municipal Officer or any other officer authorized by him in this behalf to seize and take in his possession the whole premises or part thereof and to prohibit the use of such premises for a period specified by him in the notice, for enforcing the provisions of this section.

(8) The Municipality shall not decide any such application in which change of present land use is involved and permission for such change is needed under section 182. The applications mentioned in this clause shall be referred to the State Government

or the concerned authority under intimation to the applicant and with the directions to him not to commence the work.

- (9) (a) After completion of any building having height of more than 15 meters but before its occupancy, the owner of the building, shall submit an application (alongwith the certificate of safety and verification of other facts by architect/ engineer) for issuance of occupancy certificate. The Chief Municipal Officer, after arranging necessary inspection, shall issue such certificate or ask the owner to remove the defects, if any, as may appear to him to be necessary, within the specific period from the date of receipt of such application. He shall also ensure that the applicant has not contravened the sanctioned map. It shall be the responsibility of the owner not to occupy or to allow such building to be occupied without obtaining occupancy certificate;
- (b) Whoever contravenes the provisions of clause (a) shall, on conviction by a competent court, be punished with fine which shall not be less than thirty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees and in case of a continuing contravention, with fine of five hundred rupees for each day of contravention, till such contravention continues.
- (10) (a) If a person commences, continues or completes any kind of erection or re-erection or makes any material alteration in a building or part thereof, or erects or re-erects any projecting portion of a building in respect of which the Municipality is empowered under section 192 to enforce a

removal of the projecting part or restoration to regular line of set back, or engages himself in the construction or enlargement of a well or boring, without submitting an application under sub-section (1), he shall, on conviction by a competent court, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to three months or with fine which shall not be less than twenty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees or with both;

- (b) If a person commences or continues or completes erection or re-erection or makes any material alteration in a building or part thereof in contravention of the sanctioned plan or violating norms, conditions, restrictions imposed upon him, he shall, on conviction by a competent court, be punished with simple imprisonment which shall not be less than fifteen days but which may extend to forty five days or with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees or with both;
- (c) If any person who has submitted an application under sub-section (1) and has availed the facility provided under clause (d) of sub-section (7), contravenes the conditions, restrictions and norms prescribed for such construction shall, on conviction by a competent court, be punished with simple imprisonment which shall not be less than fifteen days but which may extend to forty five days or with fine which shall not be less than ten

thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees or with both;

- (d) If it is found that the map signed and authenticated by the architect or engineer is inconsistent with the provisions of this section or the rules, bye-laws or orders made under this Act, such architect or engineer shall be blacklisted and his registration shall be cancelled by the Municipality and he shall, on conviction by a competent court, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to two months or with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees or, with both in each case;
- (e) If it is found that any person has submitted fabricated or fake or false documents or has made wrong and false statement or has concealed the material facts in affidavit for obtaining Municipality's permission, he shall be liable to be prosecuted for fabrication, fraud and concealment under the relevant laws. It shall be the responsibility of the Chief Municipal Officer to initiate criminal proceedings against such person or persons including official, if any, of the Municipality involved in the said act, without delay;
- (f) The officer or authority empowered for the operation of this section or official keeping record for this purpose shall be personally responsible if the period fixed for disposal of application received under sub-section (1) and in case of any

notice received under clause (b) of sub-section (4) is wilfully ignored. The person or persons responsible for such ignorance shall, on conviction by a competent court, be punished with simple imprisonment for one month or with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees or with both;

- (g) An employee of the Municipality, who has been assigned duties for a particular area and made responsible for reporting the matter of violation of the provisions of this section, shall ensure that such violations are reported properly without delay and the same are entered in the register kept for the purpose and take necessary action to stop unauthorized construction and if it is proved that he wilfully or knowingly ignored to stop such unauthorized construction and to make report, he shall be punished according to the provisions of sub-section (18) of section 245;
- (h) The Municipality shall have power to stop any work commenced without permission, or violating the norms of sanctioned map or without submitting an application;
- (i) In addition to the prosecution of defaulter, the Municipality shall have power to demolish whole or part of the construction which has come up without permission or violating the permission, or where permission was sought by fraud etc. as mentioned in this section.

(11) No Municipality shall permit construction of dry latrines and if any person constructs or maintains dry latrine within

the municipal area the Municipality shall take steps to demolish such latrines.

(12) Any person aggrieved by an order of the Municipality or the committee empowered by it or an order of the prescribed authority, may file an appeal against such order within thirty days from the date of such order to the State Government or to any other officer authorized by it.

195. Maintenance of apartment complexes by association of residents.- (1) It shall be responsibility of the builder or the developer together with the owners of the units of the complex, to set up a resident's association, as soon as the complex is ready for occupancy, for the maintenance of the complex. The other responsibilities of the builder shall be –

- (i) to disclose the details of common facilities, including parking spaces for owners and residents, at the time of applying for permission for construction;
- (ii) to constitute a corpus fund for maintenance of the complex and handover the same to the association, as soon as it becomes operational ;
- (iii) to hand over security, common facilities provided in the building and their maintenance to the association, as soon as it becomes operational; and
- (iv) to hand over the following documents to the association:-
 - (a) copy of approved building plan and the letter granting permission for the construction of the complex;
 - (b) copies of warranty documents for lift, water supply equipment, generator or any other

important equipment installed in the building;

- (c) copy of agreement, if any, with the owner of the land; and
- (d) designs of sewerage and water supply installed in the building.

(2) The Municipality shall not issue completion certificate until the formalities mentioned in sub-section (1) have not been completed by the builder or developer.

Explanation.-For the purpose of this section-

- (i) “owner” means the owner of the land on which the complex has been constructed and includes a person who has purchased a unit in the complex, through a registered deed;
- (ii) “resident” means a person who is, for the time being, in occupation of the unit under any arrangement with the owner or the builder;
- (iii) “residents' association”, means an association of the owners and residents of any complex set up to maintain the complex, registered under the relevant law.

196. Particulars of permission and construction to be displayed prominently.- (1) Each person or agency raising a construction, within the municipal area shall, before starting any construction, display the following particulars relating to the proposed construction in a prominent place on the building site, unless specified otherwise, on a display board made by any sturdy

material, excluding card board or plain paper, of the size of 4x4 feet, unless otherwise specified by the Municipality:-

- (i) name of the person or agency, including address and telephone number, if any, raising construction;
- (ii) particulars of the building site, including the name, address and telephone number, if any, of the owner;
- (iii) number and date of permission, if required, obtained from the Municipality or any other Authority or Urban Improvement Trust;
- (iv) broad particulars of the proposed construction i.e. proposed use, total number of floors, number of units, proposed area of construction in square feet, number of public parking units;
- (v) date of starting and finishing of the construction; and
- (vi) reasons in case the building permission is not required.

(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees.

197. Hoardings to be set up during repairs, etc. .- (1)

Every person, intending to build or take down any building or to alter or repair the outward part of any building in such a position or in such circumstances that the work is likely to cause or may cause obstruction, danger or inconvenience in any street, shall, before beginning such work-

- (a) first obtain a license in writing from the Municipality to do so, and
- (b) cause sufficient hoarding or fences to be put up in order to separate the building where such works are

being carried on from the street and shall maintain such hoarding or fence standing and in good condition to the satisfaction of the Municipality during such time as the public safety or convenience requires and shall cause the same to be sufficiently lighted during the night and shall remove the same when directed by the Municipality.

(2) Whoever contravenes any of the provisions of this section shall be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day or night, as the case may be, on which such contravention continues after the date of the first conviction.

198. Taking over of responsibilities to maintain amenities.-Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Municipality shall not take over any responsibility to maintain any amenities provided in any scheme or colony developed by any authority, agency or person unless-

- (i) all relevant records including plans, specifications and designs of such amenities are submitted to the Municipality; and
- (ii) the Municipality is satisfied that such amenities are developed or constructed in accordance with the provisions of any law for the time being in force in this behalf:

Provided that if the Municipality, on examination of the records submitted to it, or on inspection of the amenities, finds that such deficiencies are there in the construction or operation of the amenities, which can be improved, it may require the authority, agency or person who developed such scheme or colony, to improve the deficiency to the satisfaction of the Municipality or to

pay to the Municipality such deficiency charges, which the Municipality may deem proper to improve such deficiency, and upon the improvement of the deficiency, or as the case may be, payment of deficiency charges, the Municipality may resume the responsibility to maintain such amenities.

Explanation.- For the purposes of this section "amenities" includes roads, bridges, any other means of communication, transport, streets, open spaces, parks, recreational grounds, play grounds, water, gas and electric supply, and source of energy, street lighting, sewerage, drainage, conservancy, public works and such other utilities, services and convenience as the State Government in consultation with the Municipality may, by notification in the Official Gazette, specify to be an amenity for the purpose of this Act.

199. Handing over or taking over of colonies developed by other agencies.- No Municipality shall take over any scheme or colony developed by any other authority, agency or person, unless its plans had been approved in advance by the Municipality and in other cases the scheme or the colony is in accordance with the existing laws and rules. The Municipality shall also satisfy itself that the prescribed amenities have already been provided as indicated in section 198 or the necessary deficiency charges have been paid and all relevant records, including proof of title, plans, specifications and designs of such schemes or colony are submitted to the Municipality. The Municipality, after such taking over, shall have full rights of disposal of all properties included in the colony in accordance with the provisions of the scheme. All such schemes, colonies and amenities shall, after such taking over, vest in the Municipality.

CHAPTER XII*Municipal Powers and Offences*

200. Municipal control over drains etc.- (1) All sewers, drains, privies, water closets, house-gullies and cess-pools within the Municipality shall be under the survey and control of the Municipality.

(2) All covered sewers and drains and all cess-pools, whether public or private, shall be provided by the Municipality or other person to whom they severally belong with proper traps or other coverings or means of ventilation, and the Municipality may by written notice call upon the owner of any such covered sewers, drains or cess-pools to make provision accordingly.

201. Powers for making drains etc. .- (1) In order to carry out any drainage scheme, it shall be lawful for a Municipality to carry any drain, sewer, conduit, tunnel, culvert, pipe or water-course through, across or under any street, or any place laid out as or intended for a street, or under any cellar or vault which may be under any street, and, after giving reasonable notice in writing to the owner or occupier, into, through or under any land whatsoever within the Municipality.

(2) The Municipality or any officer appointed by it for such purpose may enter upon and construct any new drain in the place of an existing drain in any land wherein any drain vested in the Municipality has been already constructed, or may repair or alter any drain vested in the Municipality.

(3) In the exercise of any power under this section no unnecessary damage shall be done, and compensation, which shall, in case of dispute be ascertained and determined in the manner provided in section 295, shall be paid by the Municipality to any person who sustains damage by the exercise of such power.

202. Effectual drainage of building.- (1) It shall not be lawful to construct any building, or to reconstruct any building, or to occupy any building newly constructed, or to be reconstructed unless and until-

- (a) a drain be constructed of such size, materials and description, at such level and with such fall as shall appear to the Municipality to be necessary for the effectual drainage of such buildings;
- (b) there have been provided for and set up in such building and in the land appurtenant thereto all such appliances and fittings as may appear to the Municipality to be necessary for the purposes of gathering and receiving the drainage from, and conveying the same off, the said building and the said land and of effectually flushing the drain of the said building and every fixture connected therewith.

(2) The drain to be constructed as aforesaid shall empty into a municipal drain or into some place legally set apart for the discharge of drainage situated at a distance not exceeding fifty feet from such building but if there is no such drain or place within that distance then such drain shall empty into such cess-pool as the Municipality directs.

(3) Notwithstanding anything contained in previous sub-sections, it shall be mandatory for every owner or occupier of a building or land to take connection, in the prescribed manner, from the sewerage system as soon as it is laid in that area by any agency, for the proper discharge of waste water from toilet, kitchen and bathroom.

(4) Where any person disobeys the directions of the Municipalities given under sub-section (1), he shall, on conviction,

be punished with a fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees.

203. Right of owners and occupiers of buildings or lands to drain into municipal drains.- The owner or occupier of any building or land within the Municipality shall be entitled to cause his drain to empty into sewers of the Municipality only provided that he first obtains the written permission of the Municipality and that he complies with such conditions as the Municipality prescribes as to the mode in which and the superintendence under which communications are to be made between drains not vested in the Municipality and drains which are so vested.

204. Sewage and rain water drains to be distinct.- Whenever it is provided in the Act that steps may be taken for the effectual drainage of any premises, the Municipality may require that there shall be one drain for offensive matter and sewage and another drain for rain-water and un-polluted sub-soil water, each emptying into separate municipal drains or other places set apart by the Municipality for the discharge of drainage or into other suitable places.

205. Right to carry drain through land or into drain belonging to other person-how and on what conditions to be authorized by the Municipality.- (1) If the owner or occupier of any building or land proves to the satisfaction of the Municipality that he cannot connect the same with any municipal drain otherwise than by means of a drain to be constructed through land, belonging to or occupied by or in the use of some other person, the Municipality, after giving to such other person a reasonable opportunity of stating any objection to such application, may, if no objection is raised or if any objection which is raised is in its opinion insufficient, by an order in writing, authorize the owner or occupier first mentioned to carry his drain into, through or under

the said land or into the said drain, as the case may be, in such manner and on such conditions as to the payment of rent or compensation and as to the respective responsibilities of the parties for maintaining, repairing, flushing, cleaning and emptying the said drain, as may appear to it to be adequate and equitable.

(2) Every such order shall be a complete authority to the person in whose favour it is made or to any agent or other person employed by him for this purpose, after giving or tendering to the owner or occupier of the said land or drain the compensation or rent, if any, specified in the said order, and otherwise fulfilling as far as possible the conditions of the said order, and after giving to the said owner or occupier reasonable notice in writing, to enter upon the land specified in the said order with assistants and workmen at any time between sunrise and sunset and, subject to all the provisions of this Act, to do all such acts and execute all such works as may be necessary-

- (a) for the construction or connection of the drain as may be authorized by the said order; or
- (b) for discharging any responsibility attaching to him under the terms of the order as to maintaining, repairing, flushing, cleaning or emptying the said drain or any part thereof.

206. Work, how to be carried out.- In executing any work under section 205 as little damage as possible shall be done, and the owner or occupier of the building or land for the benefit of which the work is done shall-

- (a) cause the work to be executed with the least practicable delay,
- (b) fill in, reinstate and make good at his own cost and with the least practicable delay the ground or any portion of any building or other construction

opened, broken up or removed for the purpose of executing the said work, and

- (c) pay compensation to any person who sustains damage by the execution of the said work.

207. Right of owner of land through which drains are carried in regard to subsequent building thereon.—If the owner of any land into, through or under which a drain has been carried under section 205, whilst such land was not built upon, shall at any subsequent time desire to construct a building thereon, the Municipality may, if it sanctions the construction of such building, by written notice require the owner or occupier of the building or land for the benefit of which such drain was constructed, to close, remove or divert the same, and to fill in, re-instate and make good the land in such manner as it may deem to be necessary, in order to admit of the construction or safe enjoyment of the proposed building and may also, by written notice, require the person desiring to construct the building to make such alterations in the location of the building with reference to the drain, or in the details of the construction of the building and on such terms as Municipality may deem to be necessary for the maintenance of the drainage connection.

208. Provision of privies, etc. .—(1) In case the Municipality shall be of opinion, that any privy or cess-pool or additional privies or cess-pools, should be provided in or on any building or land, or, in any Municipality in which a water-closet system has been introduced, that water-closets should be substituted for the existing privies in or on any building or land, or that additional water-closets should be provided therein or thereon the Municipality may by written notice call upon the owner of such building or land to provide such privies, cess-pools, or water-closets as the Municipality may deem proper.

(2) The Municipality may by written notice require any person or persons employing workmen or labourers exceeding twenty in number, or owning or managing any market, school or theatre or other place of public resort, to provide such latrines and urinals as the Municipality may direct and to cause the same to be kept in proper order and to be daily cleaned.

(3) The Municipality may by written notice require the owner or occupier of any land upon which there is a privy to have such privy shut out by a sufficient roof and a wall or fence from the view of persons passing by or resident in the neighbourhood, or to alter as it may direct any privy door or trap door which opens on to any street and which it deems to be a nuisance.

(4) No person shall be allowed to drain night soil out of his privy, into the outlet drain of the Municipality or into his private drain.

(5) Any person, disobeying the direction of the Municipality given under this section, shall on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to two months and with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees.

209. Erection of latrine and urinal in factories, schools and public places.- (1) The Municipality may give notice to an owner, occupier or controller of commercial complexes, schools, private hospitals, hotels, restaurants, rest houses, bazaars, community centers, marriage halls, cinema halls, auditoria, clubs, entertainment centers, amusement parks and other like private places to erect sufficient latrines and urinals for the facility of users of such places as the municipal authorities may think proper. It shall also be lawful for the Chief Municipal Officer, to direct the

management of such places to maintain and keep such latrines and urinals clean and odourless. The Chief Municipal Officer should also direct the management of such places to maintain latrines and urinals for ladies separately.

(2) The Chief Municipal Officer or any other Officer authorized by him shall visit, from time to time, such latrines/urinals to ensure that necessary steps are being taken for sanitation and hygiene.

(3) The management of such places shall be bound to comply with the orders and directions of the Chief Municipal Officer in this connection.

(4) The person in charge of such places shall be punished, on conviction, with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees in case of non-compliance of the orders or directions of the Chief Municipal Officer.

210. Cost of altering, repairing and keeping in proper order privies, etc. .- (1) All sewers, drains, privies, water-closets, house-gullies and cess-pools within the Municipality shall, unless constructed at the cost of the Municipality, be altered, repaired and kept in proper order at the cost and charges of the owner of the land or building to which the same belong, or for the use of which they are constructed or continued and the Municipality may by written notice require such owner to alter, repair and put the same in good order in such manner as it thinks fit.

(2) The Municipality may by written notice require the owner to demolish or close any privy or cess-pool, whether constructed before or after the coming into operation of this Act, which, in the opinion of the Municipality, is a nuisance or is so constructed as to be incapable of being properly cleaned or kept in good order.

211. Power to close existing private drains.- When any building or land within the Municipality has a drain connecting with any cess-pool or sewer, the Municipality, if it considers that such drain, though it may be sufficient for the drainage of such building or land and though it may be otherwise unobjectionable, is not adapted to the general sewerage of the Municipality, may close such drain and such cess-pool or sewer, whether it is or is not on land vested in the Municipality, on providing a drain or drains equally effectual for the drainage of such building or land, and the Municipality shall do any work necessary for the purpose.

212. Power in respect of sewers etc. constructed in an un-authorized manner, rebuilt or unstopped.- The Municipality may by written notice require that any sewer, drain, privy, water-closet, house-gully or cess-pool on any land within municipal limits constructed or rebuilt or unstopped-

- (a) either without the consent or contrary to the orders, directions, general bye-laws or bye-laws of the Municipality, or contrary to the provisions of any enactment in force at the time when it was so constructed, rebuilt or unstopped, and
- (b) after such land became a part of a Municipality, shall be demolished, amended or altered, as it may deem fit, by the person by whom it was so constructed, rebuilt or unstopped and every person so constructing, rebuilding or unstopping any such sewer, drain, privy, water-closet, house-gully or cess-pool whether he does or does not receive such notice, or does or does not comply therewith, shall in addition to any penalty to which he may be liable on account of such non-compliance, be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.

213. Encroachment on municipal drains etc.- (1)

Whoever, without the written consent of the Municipality first obtained, makes or causes to be made any drain into or out from any of the sewers or drains vested in the Municipality shall be punished with fine which may extend to one thousand rupees, and the Municipality may by written notice require such person to demolish, alter, remake or otherwise deal with such drain as it may think fit.

(2) No building shall be newly constructed or reconstructed over any sewer, drain, culvert or gutter vested in the Municipality without the written consent of the Municipality, and the Municipality may by written notice require the person who may have constructed or reconstructed such building to pull down or otherwise deal with the same as it may think fit.

214. Inspection of drains etc.-(1) The Chief Municipal Officer or any other officer authorized by him for such purpose may, subject to the provisions of this Act, inspect any sewer, drain, privy, water-closet, house-gully or cess-pool and for that purpose, at any time between sunrise and sunset, enter upon any lands or buildings with assistants and workmen and cause the ground to be opened where he or it may think fit, doing as little damage as may be.

(2) The expense of such inspection and of causing the ground to be closed and made good as before shall be borne by the Municipality unless the sewer, drain, privy, water-closet, house-gully, or cess-pool is found to be in bad order or condition or was constructed in contravention of the provisions of any enactment or of any bye-laws of the Municipality in force at the time, in which case such expenses alongwith administrative and supervision charges at the rate of ten percent of the total expenses shall be paid by the owner of such sewer, drain, privy, water-closet, house-gully or cess-pool and shall be recoverable in the same manner as an amount claimed on account of any tax recoverable under this Act.

215. Power of Municipality to execute certain works without allowing owner to do so.- (1) The Municipality may, if it thinks fit, cause any work of the nature to which this Chapter applies to be executed by a municipal or other agency under its own orders, without first of all giving the person by whom the same would otherwise have to be executed the option of doing the same.

(2) The expenses of any work so done alongwith the administrative and supervision charges at the rate of ten percent of the total expenses, shall be paid by the person aforesaid, unless the Municipality shall, by a general or special order or resolution, sanction, as it is hereby empowered to sanction, the execution of such work at the charge of the municipal fund.

(3) Any pipes, fittings, receptacles, or other appliances, for or connected with the drainage of private buildings or lands shall, if supplied, constructed or erected at the expense of the Municipality, be deemed to be municipal property unless the Municipality shall have transferred its interest therein to the owner of such buildings or lands.

216. Power of carrying water mains etc. .- The water supply department of the State Government or the Municipality, as the case may be, in whom the duty of construction and maintenance of water works for supply of water to the Municipality vests, shall have the same powers and be subject to the same restrictions for carrying, renewing and repairing water mains, pipes and ducts within or without the Municipality as the Municipality has and is subject to under the provisions contained in this Act for carrying, renewing and repairing drains within the Municipality.

217. Special provisions relating to trade effluent.- Subject to the provisions of this Act and the bye-laws made

thereunder and of any other law for the time being in force, the occupier of any trade premises may, with the approval of the Municipality or, so far as may be permitted by this Act or the bye-laws made thereunder or any other law for the time being in force, without such approval, discharge into the municipal drain any trade effluent proceeding from such premises.

218. Special provisions regarding drainage of trade effluent.- Notwithstanding anything contained in this Act or, the rules or bye-laws made thereunder or any usage, custom or agreement, where, in the opinion of the Chief Municipal Officer -

- (i) any trade premises are without sufficient means of effectual drainage and treatment of trade effluent; or
- (ii) the drains thereof, though otherwise not objectionable, are not adapted to the general drainage system of the municipal area; or
- (iii) the effluent is not of specified purity,

the Chief Municipal Officer may, by notice, in writing, require the owner or the occupier of such premises-

- (a) to discharge the trade effluent in such manner, at such times, through such drains, and subject to such conditions, as may be specified in the notice, and to cease to discharge the trade effluent otherwise than in accordance with the notice,
- (b) to purify the trade effluent before its discharge into a municipal drain and to set up for purifying the trade effluent such appliances, apparatus, fittings and plants, as may be specified in the notice,
- (c) to construct a drain of such material, size and description, and laid at such level, and according

to such alignment, and with such fall and outlet, as may be specified in the notice,

- (d) to alter, amend, repair or renovate any purification plant, existing drain, apparatus, plant-fitting or article used in connection with any municipal or house-drain.

219. Buildings, railways and private streets not to be erected or constructed over water-mains or on municipal drains without permission.- (1) Without the permission of the Chief Municipal Officer, no building, wall, fence or other structure shall be erected, and no railway or private street shall be constructed, on any municipal drain constructed or maintained by, or vested in, the Municipality.

(2) If any building, wall, fence or other structure is erected, or any railway or private street is constructed, on any drain or waterworks without the permission as aforesaid, the Chief Municipal Officer may remove, or otherwise deal with, such erection or construction in such manner as he may think fit.

(3) The expenses incurred by the Chief Municipal Officer for carrying out the purposes of sub-section (2) shall be paid by the owner of the private street or of the building, fence, wall or other structure or, as the case may be, by the railway administration or the person responsible, and shall be recoverable as an arrear of tax under this Act.

220. Railway administration to be informed in certain cases.- If the Chief Municipal Officer desires to place or carry any pipe or drain or to do any other work connected with water-supply or drainage across any railway line, he shall inform the railway administration, who may execute the same at the cost of the Municipality.

221. Power of owner of premises to place pipes and drains through land belonging to other persons.- (1) If it appears to the Chief Municipal Officer that the only or the most convenient means of drainage of, any premises is by placing or carrying any pipe or drain over, under, along or across the immovable property of another person, the Chief Municipal Officer may, by order in writing, authorize the owner of such premises to place or carry such pipe or drain over, under, along or across such immovable property:

Provided that before making any such order, the Chief Municipal Officer shall give to the owner of the immovable property a reasonable opportunity of showing cause, within such time as may be specified by him by order in writing, as to why the order should not be made:

Provided further that the owner of the premises shall not acquire any right, other than the right of a user, in such immovable property over, under, along or across which any such pipe or drain is placed or carried.

(2) Upon the order under sub-section (1), the owner of the premises may, after giving a reasonable notice of his intention so to do, enter upon such immovable property with assistants and workmen at any time between sunrise and sunset for the purpose of placing a pipe or drain over, under, along or across such immovable property or for the purpose of repairing such pipe or drain.

(3) In placing or carrying a pipe or drain under this section, as little damage as possible shall be done to such immovable property, and the owner of the premises shall-

- (a) cause the pipe or drain to be placed or carried with the least possible delay;
- (b) fill in, reinstate, and make good, at his own cost and with the least possible delay, any land

opened, broken up or removed for the purpose of placing or carrying such pipe or drain; and

- (c) pay compensation to the owner of such immovable property and to any other person, who sustains damage by reason of the placing or carrying of such pipe or drain.

(4) If the owner of such immovable property over, under, along or across which a pipe or drain has been placed or carried under this section, while such immovable property was not built upon, desires to erect any building on such immovable property, the Chief Municipal Officer shall, by notice, in writing, require the owner of the premises to close, remove or divert the pipe or drain in such manner as shall be approved by him and to fill in, reinstate and make good such immovable property as if the pipe or drain had not been placed or carried over, under, along or across such immovable property:

Provided that no action under this sub-section shall be taken unless, in the opinion of the Chief Municipal Officer, it is necessary or expedient for the construction of the proposed building, or the safe enjoyment thereof, that the pipe or drain should be closed, removed or diverted.

222. Power of Chief Municipal Officer to execute work after giving notice to person liable.- (1) When, under the provisions of this Act, any person is required, or is liable, to execute any work in relation to drainage and sewerage within the municipal area, the Chief Municipal Officer may, in accordance with the provisions of this Act and the bye-laws made thereunder, cause such work to be executed after giving such person an opportunity of executing such work within such time as may be specified by him for this purpose.

(2) The expenses incurred or likely to be incurred by the Chief Municipal Officer in the execution of any such work shall be payable by such person, and the expenses incurred by the Chief Municipal Officer in connection with the maintenance of such work or enjoyment of amenities and conveniences rendered possible by such work shall be payable by the person or persons enjoying such amenities and conveniences.

(3) The expenses referred to in sub-section (2) shall be recoverable from the person or persons liable therefore as an arrear of tax under this Act.

223. Work to be done by licenced plumber.- (1) The Municipality may grant licence to any person possessing such technical qualifications or experience as may be determined by bye-laws to act as a licenced plumber.

(2) No person, other than a licenced plumber, shall execute any work described in this Chapter, and no person shall permit any such work to be executed except by a licenced plumber:

Provided that if, in the opinion of the Chief Municipal Officer, the work is of a trivial nature, he may grant permission in writing for the execution of such work by a person other than a licenced plumber.

(3) The Municipality shall, by bye-laws, provide for-

- (a) the terms and conditions of engagement of such licenced plumbers;
- (b) their duties and responsibilities, and guidelines for their functions;
- (c) the charges to be paid to them for different types of works;
- (d) the hearing and disposal of complaints made by the owners or occupiers of any premises with regard to their work; and

- (e) in case of contravention of any such bye-laws by any such plumber, the suspension or cancellation of such licence, whether he is prosecuted under this Act or not.

224. Prohibition of certain acts.- (1) No person shall-

- (a) wilfully obstruct any person acting under the authority of the Chief Municipal Officer in setting out the lines of any works, or pull up or remove any pillar, post or shaft fixed in the ground for the purpose of setting out lines of such works, or deface or destroy any works made for such purpose, or
- (b) wilfully or negligently break, damage, turn on, open, close, shut off, or otherwise interfere with, any lock, cock, valve, pipe, meter or other work or apparatus belonging to the Municipality, or
- (c) unlawfully obstruct the flow of, or flush, draw off, or divert, or take water from, any waterworks belonging to the Municipality or any water-course by which any such waterworks is supplied, or
- (d) unlawfully obstruct the flow of, or flush, draw off, or divert, or take, sewage work belonging to the Municipality or break or damage any electrical transmission line maintained by the Municipality, or
- (e) throw any material including plastic bags and containers or waste of dairies, piggeries and farms into any municipal drain or sewer, or

- (f) obstruct any officer or other employee of the Municipality in the discharge of his duties under this Chapter or refuse, or wilfully neglect, to furnish him with the means necessary for the making of any entry, inspection, examination or inquiry thereunder in relation to any water or sewage work, or
- (g) bathe in, at, or upon, any waterworks, or wash or throw or cause to enter therein any animal, or throw any rubbish, dirt or filth into any waterworks or wash or clean therein any cloth, wool or leather or the skin of any animal, or cause the water of any sink or drain or any steam-engine or boiler or any polluted water to turn, or to be brought, into any waterworks, or do any other act, whereby the water in any waterworks is fouled or is likely to be fouled.

(2) Nothing in clause (b) of sub-section (1) shall apply to a consumer closing the stopcock fixed on the service pipe supplying water to his premises so long as he has obtained the consent of any other consumer whose supply will be affected thereby.

225. Entrustment of operation and maintenance of sewerage works and billing and collection of sewerage charges.- The Municipality may, with the approval of the State Government, entrust the work of operation and maintenance of sewerage works in the municipal area and the work of billing and collection of sewerage charge or sewerage cess to any agency under any law for the time being in force or any private agency.

226. Duty of Municipality in respect of solid wastes management and handling.-(1) Subject to the provisions of section 4, the Municipality shall, within the Municipal area, be

responsible for implementation of the rules made by the Central Government in exercise of the powers conferred by the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act No. 29 of 1986) to regulate the management and handling of municipal solid wastes and for development of an infrastructure for collection, storage, transportation, processing and disposal of such solid wastes.

(2) Subject to the provisions of section 4, the Municipality shall, either on its own or through any other agency authorized by it in this behalf,-

- (a) organize collection of municipal solid wastes through any of the methods, like community bin collection (central bin), house-to house collection, and collection on regular pre-informed times and schedules,
- (b) devise collection of wastes from slums and squatter areas and other localities including hotels, restaurants, office complexes and commercial areas,
- (c) remove at regular intervals all solid wastes so collected under clause (a) and clause (b) for disposal on daily basis, and
- (d) arrange for making use of bio-degradable wastes from slaughter houses, meat and fish markets, and fruits and vegetable markets in an environmentally acceptable manner.

227. Entrustment of management and handling of solid wastes and billing and collection of charge.- Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, for the purposes of management and handling of municipal solid wastes and for development of infrastructure, if any, for collection, storage, segregation, transportation, processing and disposal of such solid

wastes, a charge shall be levied, and payment thereof shall be made, at such rate as the Municipality may fix from time to time:

Provided that the charge as aforesaid shall, as far as practicable, be such as shall cover the costs on account of management and handling of municipal solid wastes and development of infrastructure, if any, for collection, storage, segregation, transportation, processing and disposal thereof and also the costs of debt-servicing, depreciation of plant and machinery, and other charges, if any:

Provided further that the Chief Municipal Officer may, with the prior approval of the Municipality, entrust development of infrastructure for collection, storage, segregation, transportation, processing and disposal of solid wastes and the work of management and handling of municipal solid wastes and of billing and collection of the charges as aforesaid to any agency under any law for the time being in force or to any other agency.

228. Solid wastes to be property of Municipality.- All solid wastes deposited in public receptacles, depots and places provided or appointed under sections 226 and all solid wastes collected by the municipal employees or contractors or any other agency authorized in this behalf shall be the property of the Municipality and the Municipality may dispose it as it may deem proper.

229. Appointment of places for disposal and final disposal of solid wastes.- The Municipality may, either on its own or through any other agency, cause the solid wastes to be disposed of at such place or places within or outside the municipal area, and in such manner, as it considers suitable:

Provided that no place which has not been used before the commencement of this Act for the purpose specified in this section, shall be so used, except-

- (i) in conformity with the provisions of any State law relating to development planning and land

use control or any other law relating thereto for the time being in force, or

- (ii) in the absence of any such law, with the approval of the State Government:

Provided further that the solid wastes shall not be finally disposed of in any manner which the State Government may think fit to disallow.

230. Duty of owners and occupiers of premises to store solid wastes at source of generation.- It shall be the duty of the owners and the occupiers of all lands and buildings in the municipal area-

- (a) to have the premises swept and cleaned on a regular basis,
- (b) to provide for separate receptacles or disposal bags for the storage of-
- (i) Organic and bio-degradable wastes,
- (ii) Recyclable or non-bio-degradable wastes, and
- (iii) Domestic hazardous wastes,
- so as to ensure that these different types of wastes do not get mixed,
- (c) to keep such receptacles in good condition and order, and
- (d) to cause all such wastes, including rubbish, offensive matter, filth, trade refuse, carcasses of dead animals, bio-medical wastes and other polluted and obnoxious matters to be collected from their respective premises and to be deposited in community bins or receptacles at such times and in such places as the Chief Municipal Officer may, by notice, specify.

231. Duty of Co-operative Housing Society, Apartment Owners' Association, etc. .- It shall be the duty of the managements of co-operative housing societies, apartment owners' associations, residential and non-residential building complexes, educational buildings, mercantile buildings, industrial buildings, storage buildings and hazardous buildings to provide at their premises community bins or disposal bags of appropriate size as may be specified by the Municipality for temporary storage of wastes (other than recyclable wastes), hazardous wastes, and bio-medical wastes and for their subsequent collection and removal by the Municipality .

232. Prohibitions.- No person and no owner or occupier of any land or building shall-

- (a) litter or deposit at any public place any solid waste,
- (b) deposit building rubbish in or along any public street, public place or open land,
- (c) allow any filthy matter to flow on public places, or
- (d) deposit or otherwise dispose of the carcass or any part of any dead animal at a place not provided or appointed for such purpose.

233. Punishment for littering on streets and depositing or throwing any solid waste.- Whoever litters any street or public place or deposits or throws or causes or permits to be deposited or thrown any solid waste or building rubbish at any place in contravention of the provisions of this Act, or permits the flow of any filthy matter from his premises, shall be liable to pay a penalty not exceeding five hundred rupees on the spot to be imposed by an officer authorized by the Municipality in this behalf .

234. Bio-medical wastes.- It shall be the duty of the Municipality, either on its own or through any other agency authorized by it in this behalf, to implement the provisions of the rules made by the Central Government in exercise of the powers conferred by the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act No. 29 of 1986) to regulate the management and handling of bio-medical wastes to the extent such rules apply to the Municipality.

235. Hazardous wastes.- It shall be the duty of the Municipality, either on its own or through any other agency authorized by it in this behalf, to implement the provisions of the rules made by the Central Government in exercise of the powers conferred by the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act No. 29 of 1986) to regulate the management and handling of Hazardous wastes to the extent such rules apply to the Municipality.

236. Permission necessary for certain projections.- (1) The Municipality may, having regard to the volume of traffic and public convenience, give written permission to the owners or occupiers of buildings in public streets to put up open verandahs, balconies or rooms to project from any upper storey thereof in accordance with the provisions of the bye-laws made in this behalf.

(2) Any such owner or occupier putting up any such projection as aforesaid without such permission or in contravention of such orders shall be punished with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees and, if any such owner or occupier fails to remove any such projection as aforesaid in respect of which he has been convicted under this section, he shall be punished with further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for each day on which such failure or neglect continues.

(3) The Municipality may, by written notice, require the owner or occupier of any building to remove or alter any projection, encroachment or obstruction which, whether erected before or after the area of such building became part of a Municipality, shall have been erected or placed against or in front of such building, and which-

- (a) over hangs or juts into or in any way projects or encroaches upon any public street so as to be an obstruction to safe and convenient passage along such street, or
- (b) projects and encroaches into or upon any uncovered aqueduct, drain or sewer in such street so as to obstruct or interfere with such aqueduct, drain or sewer or the proper working thereof or to effect alleviation of building line in any way :

Provided always that the Municipality shall, if such projection, encroachment or obstruction shall have been made in any place before the date on which such place became part of a Municipality or after such date with the written permission of the Municipality, make reasonable compensation to every person who suffers damage by such removal or alteration and, if any dispute shall arise touching the amount of such compensation, the same shall be ascertained and determined in the manner provided in section 295.

237. Troughs and pipes for rain water.- (1) The Municipality may, by written notice require the owner of every building in any street to put up and keep in good condition proper troughs and pipes for catching and carrying the water from the roof and other parts of such building, and for discharging the same in such manner as it may think fit so that it shall not fall upon persons passing along the street or cause damage to the street.

(2) Where any owner or occupier of the building fails to comply with the requirements envisaged in the notice under sub-section (1) and thereby contravenes the provisions thereof, he shall, on conviction, be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.

238. Provision of rain water harvesting structure.- (1) In every building owned or occupied by the Government or a statutory body or a company or an institution owned or controlled by the Government, rain water harvesting structure shall be provided by the Government or by such statutory body or company or institution, as the case may be, in such manner and within such time as may be prescribed.

(2) Every owner or occupier of a building other than that referred to in sub-section (1) shall provide rain water harvesting structure in the building in such manner and within such period as may be prescribed in the bye-laws or otherwise.

Explanation.- Where a building is owned or occupied by more than one person, every such person shall be liable under this sub-section.

(3) Without prejudice to any action that may be taken under the provisions of this Act, where the owner or occupier of the building fails to provide the rain water harvesting structure in the building within the period prescribed under sub-section (2), he shall, on conviction, be punished with fine which shall not be less than rupees ten thousand but which may extend to rupees twenty thousand.

(4) No water connection from any public water supply system shall be permitted in newly constructed building unless the owner or occupier thereof produces a certificate from the concerned Municipality to the effect that rain water harvesting structure has been provided in the building.

239. Fixing of brackets etc. to houses.- The Municipality may erect or fix to the outside of any building brackets for lamps to be lighted with oil or gas or, subject to the provisions of any law in force relating to electricity, for lamps to be lighted with electricity or otherwise, or subject to the provisions of the law in force relating to telegraphs, for telegraph wires or telephonic wires, or for the conduct of electricity for locomotives or other purposes or such pipes as it may deem necessary for the proper ventilation of sewers and water works and such brackets and pipes shall be erected so as not to occasion any inconvenience or nuisance to the said building or any other in the neighbourhood.

240. Naming of streets and numbering of houses.-(1) The Municipality may from time to time put up or paint on a conspicuous part of any building at or near each end, corner or entrance to every street and public place the name by which such street or public place is to be known:

Provided that it shall be lawful for the State Government to issue directions to the Municipality for naming of any street, colony, Mohala, Market, Bazar, bridge, flyover, garden or any other public place or way by specific name and such directions shall be binding on the Municipality.

(2) The Municipality may from time to time fix number plate in a conspicuous place on the main entrance of outer side of the building and the cost of the plate shall be borne by the house owner.

(3) Any person who destroys, pulls down or defaces any such name or number plate or puts any name or number different from that put up by the Municipality shall, on conviction, be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.

241. Installation of statues.-(1) No statue in any street or public place shall be allowed or permitted to be installed without the prior approval of the State Government or any authority authorized by it.

(2) Any person who destroys, pulls down or defaces any statue installed or erected within the limits of Municipality in accordance with sub-section (1) or any person or authority who installs a statue without the prior approval of the State Government or in contravention of the conditions prescribed by it, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which shall not be less than two months but which may extend to six months and with fine which shall not be less than twenty five thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees.

242. Removal and trimming of hedges, trees, etc.-(1) The Municipality may, by written notice, require the owner or occupier of any land to trim or prune the hedges thereof bordering any public street so that the said hedges may not exceed such height from the level of the street and such width as the Municipality may direct and to cut down, lop or trim all trees or shrubs which in any way overhang, endanger or obstruct, or which it deems likely to overhang, endanger or obstruct any public street or to cause damage thereto, or which so overhang any public tank, well or other provision for water supply as to pollute, or to be likely to pollute, the water thereof.

(2) If the owner or occupier fails to comply with the notice issued to him under sub-section (1) within the period specified in the notice, the Municipality may cause to trim or prune such hedges and recover the cost of trimming and pruning in the same manner in which municipal dues are recovered.

243. Dangerous buildings.- (1) If any building or anything affixed thereon be deemed by the Municipality to be in a ruinous

state or to be likely to fall or to be in any other way dangerous to any inhabitant of such building or of any neighbouring building, or to any occupier thereof or to passengers, the Municipality shall immediately, if it appears to it to be necessary, cause a proper hoarding or fence to be put up for the protection of passengers. All expenses incurred by the Municipality under this sub-section shall be paid by the owner or occupier of such building and shall be recoverable in the same manner as an amount claimed on account of any tax recoverable under this Act:

Provided always that if the danger be not of hourly imminence, it shall be at the discretion of the Municipality, instead of itself causing a hoarding or fence to be put up, to issue in the first instance a notice in writing to the owner or occupier to put up a proper hoarding or fence and, in the event of the owner or occupier failing to put up within two days from the service of such notice, a hoarding or fence which the Municipality considers sufficient in the circumstances of the case, the Municipality shall at once cause such hoarding or fence to be put up and thereafter proceed to recover the expenses incurred by the Municipality as provided in this sub-section.

(2) The Municipality shall also cause notice in writing to be given to the owner or occupier, requiring such owner or occupier forthwith to take down, secure or repair such building or thing affixed thereon, as the case shall require, and if such owner or occupier does not begin to repair, take down or secure such building or thing within three days, and in case of emergency, immediately after the service of such notice and complete such work with due diligence, the Municipality shall cause all or so much of such building or thing, as it shall think necessary, to be taken down, repaired or otherwise secured.

(3) If the owner or occupier fails to comply with the notice issued under this section and the building falls, the owner and occupier of the building shall, without prejudice to any action that may be taken against them under the provisions of this Act or any other law for the time being in force, be liable, jointly and severally, for any damage caused by the debris of such building.

244. Displacing pavements etc. .- (1) Whoever displaces, damages, takes up or makes any alteration in or otherwise interferes with the pavement, gutter, storm water drain, flags or other materials of any public street, or the fences, walls or posts thereof, or any municipal lamp, lamp post bracket, water-post, direction post, hydrant, water pipe or any other municipal property therein, thereon or thereunder, without the written consent of the Municipality or other lawful authority shall be punished with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees and shall also be liable to pay the Municipality the amount of actual damage and ten percent thereof as administrative charges.

(2) Any person who, having displaced, damaged, taken up or made alteration in or otherwise interfered with any such pavement, gutter, storm water drain, flags or other materials or the fences, walls, post, municipal lamps, lamp-posts, brackets, water-posts, direction posts, hydrants, water-pipes or other municipal property of any public street, fails to replace or restore the same to satisfaction of the Municipality after notice to do so shall be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and shall pay any expense which may be incurred in restoring the street, and such expense shall be recoverable in the same manner as an amount claimed on account of any tax recoverable under this Act.

245. Encroachment or obstruction upon public land.-

(1) Whoever makes any encroachment in any land or space not being private property, whether such land or space belongs to or vests in the Municipality or not, except steps over drain in any public street shall on conviction be punished with simple imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine which shall not be less than thirty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees:

Provided that the court may for any adequate or special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than three months.

(2) Whoever makes even temporary obstruction without prior permission of the Municipality in any land or space not being private property, whether such land or space belongs to or vests in the Municipality or not, except steps over drain in any public street, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

(3) The Municipality or any officer authorized by it in this behalf shall have power to remove any such obstruction or encroachment and the expenses of such removal shall be paid by the person who has caused the said obstruction or encroachment.

(4) Whoever not being duly authorized in that behalf removes earth, sand or other material from any land or space as aforesaid, shall be punished on conviction with imprisonment which shall not be less than two months but which may extend to six months or with fine which shall not be less than thirty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees or with both.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions, the Municipality or the officer authorized by it in this behalf shall, in addition to the action taken as provided in this section, also have power to seize or attach any property alongwith tools and vehicles found on the land or space referred to in this section or, as the case may be, attached to such land or space or permanently fastened to anything attached to such land or space.

(6) Where any property is seized or attached by an officer authorized by the Municipality, he shall immediately make a report of such seizure or attachment to the Municipality.

(7) The Municipality may make such orders as it thinks fit for the proper custody of the property seized or attached, pending the conclusion of confiscation proceedings, and, if the property is subject to speedy and natural decay, or it is otherwise expedient so to do, the Municipality may order it to be sold or otherwise disposed of.

(8) Where any property is sold as aforesaid, the sale proceeds thereof after deduction of the expenses of any such sale or other incidental expenses relating thereto, shall -

- (a) where no order of confiscation is ultimately passed by the Municipality; or
- (b) where an order passed in appeal so requires,

be paid to the owner thereof or the person from whom it is seized or attached.

(9) Where any property is seized or attached under sub-section (5), the Municipality may order confiscation of such property.

(10) No order for confiscating a property shall be made under sub-section (9) unless the owner of such property or the person from whom it is seized or attached is given -

- (a) a notice in writing, informing him of the grounds on which it is proposed to confiscate the property;

- (b) an opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice against the grounds of confiscation; and
- (c) a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(11) The order of any confiscation and removal of encroachment under this section shall not prevent the infliction of any punishment to which the person affected thereby is liable under this Act.

(12) Any person aggrieved by an order made under sub-section (7) or sub-section (9) may, within one month from the date of the communication to him of such order, appeal against it to the District Judge of the District in which such property is seized or attached.

(13) On such appeal the District Judge may, after giving an opportunity to the appellant and the respondent to be heard, direct the order to be stayed pending disposal of the appeal, or may modify, alter or annul the order and make any further orders that may be just.

(14) Whenever any property is seized or attached pending confiscation under this section, the Municipality or the District Judge shall have, and notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, any other court, tribunal or other authority shall not have jurisdiction to make orders with regard to the possession, delivery, disposal, release or distribution of such property.

(15) Where any person is prosecuted of an offence under sub-section (1), sub-section (2) or sub-section (4), the burden of proving that he has not committed the offence shall be on him.

(16) Nothing contained in this section shall prevent the Municipality from allowing any temporary occupation of or erection in any public street on occasions of festivals and ceremonies, or the piling of fuel in any streets and spaces for not more than seven days and in such manner as not to inconvenience the public or any individual.

(17) Nothing contained in this section shall apply to any projection duly authorized under sub-section (1) of section 236 or in any case where permission has been given under sub-section (16) of this section.

(18) Whoever, being an employee of the Municipality, or being on deputation with the Municipality from any department of the Government, specifically entrusted with the duty to remove or to stop or to prevent the encroachment or obstruction, himself encroaches or helps others to encroach, or wilfully or knowingly, neglects or deliberately omits to remove or stop or prevent such encroachment or obstruction shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to three years or with fine which may extend to thirty thousand rupees or with both:

Provided that no court shall take cognizance against such employee for the offence punishable under this sub-section except with the previous sanction of the Municipality.

(19) No investigation of an offence under this section shall be made by an officer below the rank of the Deputy Superintendent of Police. However, such investigation shall be completed and report shall be filed in the court within the period of three months from the date of filing First Information Report on behalf of the Municipality by the Chief Municipal Officer or the official authorized by him.

(20) Without prejudice to the provisions of section 298 and other provisions of this Act, it shall be lawful for the Chief Municipal Officer to lodge proceedings against the person who is likely to make encroachment upon any Government or municipal land before the Magistrate concerned, for preventing him from making any such encroachment and it shall be competent for the Magistrate, on being satisfied about the reasonableness of the apprehension of the Chief Municipal Officer, to require such person to execute a bond, with or without sureties, for his good behavior for such period, not exceeding one year, as the Magistrate thinks fit. The procedure contained in Chapter VIII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) shall apply *mutatis mutandis* to the proceedings before the Magistrate under this sub-section as if such proceedings were the proceedings under section 107 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974).

246. Dangerous quarrying.- If in the opinion of the Municipality the working of any quarry or the removal of stone, earth or other material from the soil in any place is dangerous to persons residing in or having legal access to the neighbourhood thereof or creates or is likely to create nuisance, the Municipality may, by written notice, require the owner of the said quarry or place, or the person responsible for such working or removal, not to continue or permit the working of such quarry or the removing of such material or to take such order with such quarry or place as the Municipality shall direct for the purpose of preventing danger or abating the nuisance arising or likely to arise therefrom:

Provided that, if such quarry or place is vested in the State Government or if such working thereof or removal therefrom as aforesaid is being carried on by or on behalf of the State Government or any person acting with the permission or under the authority of the State Government or of any officer of the

State Government as such, the Municipality shall not take such action unless and until the State Government has consented to its so doing:

Provided further that the Municipality shall immediately cause a proper hoarding or fence to be put up for the protection of passengers near such quarry or place, if in any case referred to in this section, it appears to it to be necessary in order to prevent imminent danger, and any expense incurred by the Municipality in taking action under this section shall be paid by such owner or other persons as aforesaid and shall be recoverable as an arrear of tax under this Act.

247. Premises not to be used for keeping animals, or poultry without licence.- No person shall use, or permit to be used, any land or premises for keeping cattle, horse, pig, dog, or other quadruped animal or any kind of poultry for any purpose whatsoever without, or otherwise than in conformity with, the terms of a licence granted by the Municipality on payment of such fees as may be determined by the Municipality by bye-laws:

Provided that the Municipality may, by a written order, exempt any class of animal or bird from such licence or from any purpose for which such class of animal or bird may be kept.

248. Seizure of certain animals or birds.- (1) If any cattle, horse, pig, dog, or other four-footed animal or bird is kept on any land or premises in contravention of the provisions of this Chapter or is found roaming or straying or tethered on any street or public place or is found causing nuisance or danger to the public, the Chief Municipal Officer may direct any officer or employee of the Municipality to seize such cattle, horse, pig, dog or other four-footed animal or bird and may cause it to be impounded or removed to and maintained in such place as may be appointed by the Municipality for this purpose; and the cost of

such seizure and impounding or removing and maintenance shall be recoverable by sale of such animal or bird, as the case may be, by auction:

Provided that any person claiming such animal or bird may, within seven days of such seizure, get it released on his paying all the expenses incurred by the Municipality in seizing, impounding or removing, or maintaining such animal or bird and on his producing such evidence in support of his claim as the Chief Municipal Officer may think sufficient.

(2) The proceeds of sale of any animal or bird by auction under sub-section (1) shall be applied in meeting the expenses incurred on account of seizure, impounding or removal and maintenance of such animal or bird and of holding such sale and the surplus, if any, shall be held in deposit by the Chief Municipal Officer and shall, if not claimed by the owner of such animal or bird within a period of ninety days from the date of sale, be credited to the Municipal Fund.

249. Power to deal with infected dogs or animals.-The Chief Municipal Officer may-

- (a) cause to be destroyed, or to be confined for such period as he may direct, any dog or other animal which is, or is reasonably suspected to be, suffering from rabies, or which has been bitten by any dog or other animal suffering or suspected to be suffering from rabies;
- (b) by public notice direct that after such date as may be specified in the notice, dogs which are without a licence distinguishing them as private property and are found straying on the streets or beyond the enclosures of the houses of their owners, if any, may be confined and cause them to be otherwise dealt with or destroyed, if necessary.

250. Power to stop nuisances from animals within premises.-(1) Whenever the Chief Municipal Officer is of opinion that the user of any premises for keeping any animal or bird, even if licenced, is causing a nuisance and that such nuisance should immediately be stopped, the Chief Municipal Officer may, by order, require the owner or the occupier of such premises to stop such nuisance within such period as may be specified in the order.

(2) If, at the end of such period, the nuisance is not stopped, the Chief Municipal Officer or any other officer authorized by him in this behalf, may cause such use of such premises to be stopped forthwith by such means as he thinks fit and direct such owner or occupier to show cause why the licence for keeping the animal or the bird, as the case may be, shall not be cancelled.

(3) If such owner or occupier does not show cause to the satisfaction of the Chief Municipal Officer or if the nuisance is not abated, the nuisance shall be stopped by the seizure and auction of the animal or the bird found in the premises after cancellation of the licence therefor .

251. Licensing of dairies.- (1) No person shall for the purposes of trade, use or permit to be used any place for stabling milk cattle or for storing or selling milk or for making, or selling butter except under and in accordance with the terms of a licence from the Municipality.

(2) The Municipality may grant such licence subject to such conditions as it may deem fit and may at any time withdraw such licence on giving one month's notice to the licensee:

Provided that where the licensee has contravened any of the conditions of the licence, it may be withdrawn without any such notice.

(3) Whoever so uses or permits to be used any place for any of the aforesaid purposes without or in contravention of any of the

conditions of, or after the withdrawal of, or during the suspension of, such licence, shall be punished with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees and in the case of a continuing offence with additional fine which may extend to fifty rupees for each day during which such offence is continued after the date of the conviction for the first such offence.

(4) Upon a conviction being obtained in respect of any place under sub-section (3), the Magistrate shall on the application of the Chief Municipal Officer or any other officer authorized by him but not otherwise, order such place to be closed and thereupon, appoint persons or take other steps to prevent such place being so used.

252. Power to prohibit use of public streets for certain kind of traffic. - (1) The Municipality may, by notice, in writing,-

- (a) prohibit or regulate, either temporarily or permanently, vehicular traffic in any public street or any portion thereof so as to prevent danger, obstruction or inconvenience to the public or to ensure quietness in any locality,
- (b) prohibit, in respect of a public street or a portion thereof, the transit of any vehicle of such type, form, construction, weight, emission, or size, or of any vehicle laden with such heavy or unwieldy object as is likely to cause injury to the roadways or any construction thereon, or of any vehicle on the ground of public convenience, except under such conditions as to time, mode of traction or locomotion, use of appliances for the protection of roadways, number of lights and assistants, and other general precautions, and on payment of such charges, as may be specified by the Municipality generally or specifically in each case,

- (c) prohibit, at all times or during any particular hours, entry of any vehicular traffic from, or exit of such vehicular traffic into, any premises from any particular public street carrying such traffic,
- (d) temporarily close any street to traffic for repair or order to carry out any work connected with the drainage, water supply or lighting or for any of the purposes of this Act:

Provided that such work shall be completed and such street re-opened to traffic with all reasonable speed.

(2) Any notice under sub-section (1) shall, if such notice applies to any particular public street, be pasted in conspicuous places at or near both ends of such public street or any portion thereof to which such notice applies or, if such notice applies generally to all public streets, be advertised.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Municipality may declare, by notice in writing, that any pedestrian pathway, or a portion thereof, shall be used as bicycle and pedestrian track.

(4) The notice referred to in sub-section (3) shall be pasted in conspicuous places at or near both ends of such public street or any portion thereof to which the provisions of sub-section (3) apply.

253. Regulation of parking of private vehicles on public places.- The Municipality shall regulate parking of vehicles on public places including footpaths and along roadside to ensure smooth flow of traffic and prevent inconvenience to the general public. In any case parking shall not be permitted on public place unless adequate space is available:

Provided that Municipality may, having regard to availability of adequate space, permit parking on public places by

general or special order subject to payment of a parking fee at such rate as may be prescribed by the Municipality.

254. Halting vehicles or animals on public ground.-

Where any land vested in the Municipality or any public place is, without the permission in writing of the Municipality, used as a halting place for any vehicle or animal or a place of encampment, the owner or keeper of the vehicle or animal or the person encamping, as the case may be, shall be liable on conviction to fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and in the case of a continuing breach to a further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in the commission of the offence.

255. Arrangement for fire prevention.-

The Municipality may require, by bye-laws, the owner or the occupier of all or any of the premises in the municipal area to make such arrangements as may be necessary for fire prevention and fire safety in the municipal area and may also require the owner or the occupier to obtain a no objection certificate in this behalf in such form and in such manner and from such authority as may be specified in such bye-laws.

256. Establishment and maintenance of fire brigade.-

The Municipality may establish and maintain a fire-brigade and may provide any implements, machinery or means of communicating intelligence which it thinks necessary for the prevention and extinction of fire.

257. Powers of fire brigade and other persons for suppression of fire.- (1) On the occasion of a fire in a municipal area any Magistrate, any member of the Municipality, the Chief Municipal Officer, any other officer, of the Municipality, any

member of the fire brigade directing its operations or any police officer above the rank of a constable may-

- (a) remove or order the removal of any person who by his presence interferes with or impedes operations for extinguishing the fire or for saving life or property;
- (b) close any street or passage in or near which the fire is burning;
- (c) for the purpose of extinguishing the fire-break into or through or pull down or cause to be broken into or through or pulled down or used for the passage of house or other appliances any building or land;
- (d) cause mains and pipes to shut off so as to give greater pressure of water in or near the place where the fire has occurred;
- (e) call on the person in-charge of a fire-engine to render such assistance as may be possible; and
- (f) generally take such measures as may appear necessary for the preservation of life and property.

(2) No person shall be liable to pay damages for an act done by him under sub-section (1) in good faith.

258. Power to restrict or ban manufacture etc. of plastic bags.-(1) Subject to any other law for the time being in force and any general or special orders of the State Government, the Municipality shall have power to restrict or ban, by notification in the Official Gazette, manufacture, sale or use of any kind of plastic bags in any part or whole of the municipal area.

(2) Whoever contravenes the restriction or ban imposed under sub-section (1), shall, on conviction, be punishable with simple imprisonment which may extend to three months, or with

fine which shall not be less than one hundred rupees but which may extend to one thousand rupees, or with both, and with further fine which may extend to fifty rupees for every day or night, as the case may be, on which such offence is continued after the date of first conviction.

259. Non-taking of connection or discharging sewage etc.- Whoever does not take connection from sewerage system as provided in section 202 or causes or allows the water of any sink or sewer, any other liquid or other matter which is or which is likely to become offensive, from any building or land under his control, to run, drain or be thrown or put upon any street or open space or to soak through any external wall, or causes or allows any offensive matter from any sewer or privy to run, drain or be thrown into a surface drain in any street, without the permission in writing of the Municipality, or who fails to comply with any conditions prescribed in such permission, shall be punishable with fine which shall not be less than five thousand.

260. Filthy building etc. .- (1) Whoever, being the owner or occupier of any building or land, allows the same to be in a filthy and unwholesome state, or to be, in the opinion of the Municipality, a nuisance to persons residing in the neighborhood, or to be overgrown with prickly-pear or rank and noisome vegetation and does not, within a reasonable time after notice in writing by the Municipality to cleanse, clear or otherwise put the same in a proper state, comply with the requisition contained in such notice, shall be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day on which the failure to comply with the said notice is continued after the date of the first conviction.

(2) Should the state of the building be such as in the judgment of the Municipality to render it unfit for human habitation, it may further by written notice prohibit the using thereof for that purpose until it is so rendered fit.

(3) If any building, by reason of dilapidation, neglect, abandonment or disuse or of its remaining untenanted and thereby—

- (a) becoming a resort of idle and disorderly persons or of persons who have no ostensible means of subsistence or who cannot give a satisfactory account of themselves; or
- (b) coming into use for any unsanitary or immoral purposes; or
- (c) affording a shelter to snakes, rats or other dangerous or offensive animals,

is open to the objection that it is a nuisance or so unwholesome or unsightly as to be a source of discomfort, inconvenience or annoyance to the neighborhood or to persons passing by such building, the Municipality, if it considers that such objection cannot, under any other provision of this Act, be otherwise removed, may, if there is any person known or resident within the Municipality who claims to be the owner of such building by written notice directed to such person or in any other cases, by written notice fixed on the outer door or any other conspicuous part of the building, require all persons interested therein to take within a period mentioned in the notice such steps with respect to the building as may be specified in the notice.

(4) In the event of non-compliance with the requirements of the notice within the period mentioned therein, the Municipality may cause such order as it may be specified in the notice to be taken with the building in question at the cost of the owner or persons interested therein and shall, if the building is taken down, cause all the material thereof to be removed and sold forthwith.

(5) In case the materials of a building are sold, the sale proceeds shall be applied in the first instance towards defraying any expenses incurred by the Municipality in taking down the building and in the removal and sale of the materials thereof and all such expenses not thereby defrayed shall be recoverable in same manner as an amount claimed on account of any tax recoverable under this Act:

Provided that if there shall remain any surplus amount after defraying such expenses, the same shall be payable on application made within six months from the date of sale, to the owner or persons interested.

261. Bathing Places.- (1) The Municipality may set apart sufficient public places for the purpose of being used as bathing places and may also provide or set apart a sufficient number of convenient tanks or runs of water for the inhabitant to bathe in; and may also set apart tanks or reservoirs or runs of water for washing animals or clothes and for all purposes connected with the health, cleanliness and comfort of the inhabitants, and may prohibit the use for any purpose mentioned in this section of any or all other public places within the Municipality.

(2) Copies of all orders passed and notices issued by the Municipality and for the time being in force under this section shall be kept at the municipal office and shall be open for inspection by the public at all reasonable times.

262. Fouling Water.- (a) Whoever, in disobedience of any order of the Municipality under section 261 or of any bye-laws bathes in any pool, tank, reservoir, well, cistern, conduit or aqueduct belonging to the Municipality or washes or causes to be washed therein any animal or anything whatsoever or throws, puts or casts or causes to enter therein any animal or anything or causes or suffers to run, drain or be brought therein to anything that is or may become a nuisance, or does anything whatsoever whereby any water therein shall be in any degree fouled or corrupted, and

(b) whoever, without permission of the Municipality introduces into any tank or ditch within, or on the boundary, of the Municipality any animal, vegetable or mineral matter likely to render the water of such tank or ditch offensive or to be a nuisance, shall be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.

263. Abatement of nuisance from wells, etc. .- (1) If in the opinion of the Municipality-

- (a) any pool, ditch, quarry, hole, excavation, tank, well, pound, drain water-course or any collection of water, or
- (b) any cistern or other receptacle for water whether within or outside a building, or
- (c) any land on which water accumulates and which is situated within a distance of one hundred meters from any building used as a dwelling house, is or is likely to become a breeding place of mosquitoes or in any other respect a nuisance,

the Municipality may, by notice in writing, require the owner thereof to fill up, cover or drain of the same in such manner and with such materials, or to take such order with the same for removing or abating the nuisance, as the Municipality may direct.

(2) (a) No new tank or pond shall be dug or constructed without the previous permission in writing of the Municipality, and

(b) If any such work is begun or completed without such permission, the Municipality may either-

- (i) by written notice require the owner or other person who has done such work to fill up or demolish such work in such manner as the Municipality may direct; or

- (ii) grant written permission to retain such work, but such permission shall not exempt such owner from proceedings for contravening the provisions of clause (a) of this sub-section.

264. Regulation or prohibition of certain kinds of cultivation.- The Municipality, on the report of the Director of Medical and Health Service, the Chief Medical and Health Officer or the Local Medical Officer that the cultivation of any description of crop, or the use of any kind of manure, or the irrigation of land, in any place within the limits of the Municipality is injurious to the public health, may, with the previous sanction of the State Government, by public notice regulate or prohibit the cultivation, use of manure, or irrigation so reported to be injurious:

Provided that, when such cultivation, use or irrigation has been practised during the five years preceding the date of such public notice with such continuity as the ordinary course of husbandry admits of, compensation shall be paid from the municipal fund to all persons interested therein for any damage caused to them by absolute prohibition.

265. Using offensive manure etc. .- Whoever, except with the written permission of the Municipality and in the way, if any, enjoined in such permission, stores or uses night-soil or other manure of substance emitting an offensive smell shall be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.

266. Playing any game causing annoyance.- Whoever negligently flies kites, or discharges or lets fireworks or fire balloons or engages in any game, in such a manner as to cause or be likely to cause danger or annoyance to persons passing by or dwelling or working in the neighbourhood or risk of injury to property, shall be punishable with fine which shall not be less than one hundred rupees but which may extend to five hundred rupees.

267. Prohibition of other nuisances.-(1) In a Municipality, no person shall-

- (a) in any public street or public place-
 - (i) ease himself, or cause any child in his charge to ease himself; or
 - (ii) carry meat exposed to public view; or
 - (iii) picket animals or collect carts; or
 - (iv) remove, destroy, deface or otherwise obliterate any advertisement notice or other document put up or exhibited in accordance with this Act, or the rules or bye-laws made thereunder; or
 - (v) Carry any waste material in open vehicle; or
- (b) make any grave, tomb or monument or burn or bury any corpse at any place not set apart for the purpose; or
- (c) let loose any animal so as to cause, or negligently allow animal to cause injury, danger, alarm or annoyance to any person; or
- (d) use or permit to be used as a latrine any place not intended for that purpose.

(2) Whoever commits a contravention of any of the provisions of sub-section (1) shall be punishable with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.

268. Consumption of smoke.- (1) It shall be lawful for the Municipality to direct by public notice that every furnace employed, or to be employed in any works or buildings used for

the purpose of any trade or manufacture whatsoever within the limits of the Municipality, whether a steam engine, be or be not used or employed therein shall, in all cases, be constructed, supplemented or altered so as to consume or burn or reduce as far as may be practicable, the smoke arising from furnace.

(2) If any person shall, after such direction, use or permit to be used any such furnace not so constructed, supplemented or altered, or shall so negligently use, or permit to be used, any such furnace that the smoke arising therefrom shall not be effectually consumed or burnt as far as may be practicable, every person so offending, being the owner or occupier of the said works or buildings or being an agent or other person employed by such owner or occupier for managing the same, shall be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees, and upon any subsequent conviction, which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees :

Provided that nothing in this section shall be held to apply to locomotive engines used for the purpose of traffic upon any railway or for the repair of roads.

269. Licensing markets, slaughterhouses and certain business.- (1) It shall be lawful for the Municipality to direct that no place not belonging to or vested in it, shall be used for the purposes specified in clause (j) of sub-section (1) of section 340 except under and in accordance with the conditions of a licence from the Municipality which may from time to time grant, suspend, withhold or withdraw such licences either generally or in individual cases.

(2) Whoever uses or permits the use of any place contrary to such direction, without the licence required as aforesaid, or in contravention of any of the conditions or during the suspension or

after the withdrawal of such licence shall be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.

(3) Upon a conviction being obtained in respect of any place under sub-section (2) of this section, the Magistrate shall on the application of the Municipality, but not otherwise, order such place to be closed, and thereupon appoint persons or take other steps to prevent such place being so used and every person who so uses or permits the use of place after it has been so ordered to be closed shall be punished with fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for each day during which he continues so to use, or permits such use of the place after it has been so ordered to be closed.

(4) Any person aggrieved by an order of the Municipality under sub-section (1) granting, suspending, withholding or withdrawing any licence may, within thirty days of the such order exclusive of the time requisite for obtaining a copy thereof appeal to the Collector and the order of the Appellate Authority shall be final and shall not be liable to be questioned in any court.

270. Opening, closing and letting of markets and slaughterhouses.- (1) The Municipality may from time to time open or close any public market or slaughterhouse. It may also either take charges for stalls or other rents or fees for the use by any person of any such market or slaughterhouse or from time to time sell by public auction or otherwise the privilege of occupying any stall or space in, or of otherwise using, any such market or slaughter house.

(2) Any person who, without the permission or licence of the Municipality shall sell or expose for sale any article in the said market or use the said slaughterhouse shall be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.

(3) It shall be lawful for the Municipality to lease for a period not exceeding one year at a time by public auction or private contract the collecting of any rent or fees, which may be imposed under sub-section (1).

271. Slaughterhouses etc. beyond municipal limits.- It shall be lawful for the Municipality, with the sanction of such officer as may be appointed or authorized by the State Government in this behalf, to establish slaughterhouses or places for the disposal of carcasses of animals beyond the limits of the Municipality, and all provisions of this Act and of bye-laws in force thereunder relating to such places within municipal limits shall have full force therein, as if such places were within the municipal limits.

272. Opening of new slaughterhouses.- Notwithstanding anything contained in this Act, the Municipality shall, while establishing or permitting establishment of a new slaughterhouse, have regard to the public convenience and general public opinion and shall consider reasonable objection received from the public.

273. Powers which may be exercised for preventing dangerous diseases.- (1) Every Municipality may, subject to such limitations, restrictions and conditions as may be prescribed in this behalf, exercise all or any of the powers specified in sub-section (2) for prevention of dangerous diseases.

(2) The powers which may be exercised under the preceding sub-section are -

- (a) power by order which may be either of special or general application to direct that every medical practitioner who knows or may have reason to believe that any person whom he has visited in his professional capacity in any dwelling not being a hospital or that every manager of any factory or

educational institution or every head of household who knows or has reason to believe that any person who resides in any dwelling under the management or control of any such manager or head of a household is suffering from dangerous disease shall give information of the same with the least practicable delay to such person as may be designated by the Municipality in that behalf;

- (b) power to direct or authorize the inspection, without notice or with such notice as to the person directed or authorized to inspect appears reasonable, of any place in which any dangerous disease is reported or suspected to exist and the taking of measures to prevent the spread of the disease beyond such place;
- (c) power to prohibit the removal of water for the purpose of drinking from any well, tank or other place which may appear to the Municipality, on the advice of the authorities of the medical and health department, health officer, likely to cause the spread of any dangerous disease;
- (d) power to direct or cause the removal, on a certificate signed by the Health Officer of the Municipality or any duly qualified Medical Practitioner authorized by the Municipality in this behalf, of any person who is without proper lodging or accommodation, or who is lodged in a room or set of apartments occupied by more than one family, or in a place where his presence may be a danger to the neighbourhood, and who is suffering from an infectious disease, to any hospital

- or place at which persons suffering from the said disease are received for medical treatment and to prohibit the person so removed from leaving such hospital or place without permission of the Municipality;
- (e) power to require by written notice, the owner or occupier of any building or part of a building or a person owning or in-charge of any article therein to cleanse and disinfect such building or part thereof or article either at his own expense or in case of poverty or for any other cause which the Municipality in the circumstance of the case considers reasonable, of the expense of the Municipality;
- (f) power to prohibit the letting of or the providing of accommodation in any hotel, dharamshala or musafirkhana in which a person has been, or in which there is reason to believe that a person has been, suffering from a dangerous disease unless and until the person desiring to so let or provide accommodation shall have the building or part thereof and any article therein likely to retain infection disinfected to the satisfaction of the Municipality or any such officer as the Municipality appoints in this behalf;
- (g) power with the previous permission in each case of a Magistrate to destroy any unsanitary huts or sheds in which there is reason to believe that persons have been suffering from any dangerous disease;
- (h) power to provide the means, and to prescribe places, for disinfecting or washing clothes, or other

articles which have been exposed to infection from any dangerous disease or to direct the destruction thereof;

(i) power -

(i) to provide and maintain suitable conveyances for the free carriage of persons suffering from dangerous diseases;

(ii) where such provision has been made, to prohibit the conveyance of such persons in all or any public conveyance; and

(iii) to direct that conveyances that may at any time be used for conveying such persons shall be immediately disinfected;

(j) power to prohibit -

(i) any person suffering from a dangerous disease from wilfully exposing himself, without proper precautions against the spread of the said disease in any street or in any school or factory or in any hotel, dharamshala, musafirkhana or other place of public resort; and

(ii) any person in-charge of the person so suffering from so exposing the sufferer; and

(k) power to prohibit any person from removing to another place, or transferring to another person except for the purpose of disinfection, any article which the person prohibited knows or has reason to believe has been exposed to infection of any kind whatsoever from a dangerous disease.

(3) The Municipality may give compensation to any person who sustains substantial loss by the destruction of any property under this section, but except as allowed by the Municipality, no claim for compensations shall lie for any loss or damage caused by any exercise of the powers specified therein.

(4) Any person who in a Municipality disobeys any order which is for the time being in force and which has been passed by the Municipality in exercise of any powers conferred on it by this section, or obstructs any officer of the Municipality or other person acting under the authority of the Municipality in carrying out executively any such order, shall be punished with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees.

(5) The State Government may at any time-

- (a) withdraw any power conferred on a Municipality by or under this section, or
- (b) cancel or modify any limitation, restriction or condition prescribed in respect of any such power, or
- (c) cancel any order passed by a Municipality in exercise of any such power.

274. Special powers which may be conferred by State Government in respect of over-crowded areas notified by State Government.- (1) If the State Government is of opinion that risk of disease has arisen or is likely to arise, either to any occupier or to any inhabitants in the neighbourhood of any area, by reason of any of the following defects, namely-

- (a) the manner in which either buildings, or blocks of buildings, already existing or projected therein, are, or are likely to become crowded together, or

- (b) the impracticability of cleansing any such buildings or blocks of buildings already existing or projected, or
- (c) the want of drainage or scavenging or the difficulty of arranging therein for the drainage or scavenging of any such buildings or blocks as aforesaid, or
- (d) the narrowness, closeness, bad arrangement or bad condition of the streets or buildings or groups of building,

the State Government may by notification in the Official Gazette confer on the Municipality all or any of the powers specified in sub-section (2) and the Municipality may, subject to the limitations, restrictions, modifications, conditions or bye-laws, if any, prescribed in this behalf, exercise within that area all powers conferred.

(2) The powers, all or any of which may be conferred on the Municipality under sub-section (1), are as follows: -

- (a) power, when any building or block already existing or in course of erection, by reason of any defect specified in sub-section (1), has given or is in the opinion of the Municipality, likely to give rise to such risk as aforesaid, to require by a written notice, to be fixed upon some conspicuous part of such building or block and addressed as the Municipality deems fit either to the owners thereof or to the owners of the land on which such building or block is erected or is in course of erection, that the persons so addressed shall, within a reasonable time as shall be specified in the notice, either pull down or

remove the said building or block or execute such works or take such action in connection therewith as the Municipality deems necessary to prevent all such risk of disease;

- (b) power by municipal or other agency to pull down or remove the said building or block or to execute such works or take such action, if the person addressed in the said notice neglects to do so within the time specified therein;
- (c) power, subject to right of appeal to an officer who may be empowered by the State Government in this behalf and whose decision shall be conclusive, to prohibit, by written notice addressed to the owner and occupier of any such site or space and by general notice, the erection of any building or of any building exceeding such dimensions as may be specified-
 - (i) on the site of any building which has in whole or in part in exercise of the power specified in clause (a) been pulled down, or
 - (ii) on any space not occupied by buildings, whether such space is private property or not and whether it is enclosed or not,

if the Municipality considers that in order to prevent such risk as aforesaid such site or space should not be built upon and either-

- (a) to acquire such site or space, or
- (b) to prescribe such conditions as may be deemed necessary as to the use that the owner or

occupier may make or permit to be made thereof:

Provided that in every case compensation, the amount of which shall, in case of dispute, be ascertained and determined in the manner provided in section 295, shall be paid to any person whose rights are affected by such prohibition.

(3) When in pursuance of any notice under sub-section (2) any building has been pulled down, the Municipality shall, unless it has been erected contrary to any provisions of this Act or of any bye-laws in force thereunder, pay to such owner or occupier as may have sustained damage thereby reasonable compensation the amount of which shall, in case of dispute, be ascertained or determined in the manner provided in section 295.

(4) The State Government may at any time, by like notification, withdraw any power conferred by it under this section, or cancel or modify any limitation, restriction, modification, condition or regulation in respect of any such power.

275. Burials and burial grounds.- The Municipality shall be responsible for -

- (a) constructing and maintaining burial grounds and cremation grounds; and
- (b) acquiring, maintaining, changing and regulating places for the disposal of the dead.

276. Power in respect of burial and burning places.-(1) The Municipality may, by public notice, order any burial or burning ground situated within municipal limits or within one kilometer thereof, which is certified by the Director of Public Health or District Medical and Health Officer to be dangerous to the health of persons living in the neighborhood, to be closed from a date to be specified in the notice and shall, in such case if no suitable place for burial and burning exists within a reasonable distance, provide a fitting place for the purpose before the aforesaid date.

(2) No new burial or burning ground shall be made without the permission in writing of the Municipality and otherwise than in accordance with the terms and conditions of such permission.

(3) Should any person, without the permission of the Municipality, bury or burn or cause or permit to be buried or burnt any corpse at any place which is not a burial or burning ground or in any burning or burial ground made or formed contrary to the provisions of this section or after the date fixed thereunder for closing the same, he shall be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.

(4) Any person aggrieved by any orders made by the Municipality under the power conferred upon it by this section may, within thirty days from the date of such order, exclusive of the time requisite for obtaining a copy thereof, appeal to the Collector and no such order shall be liable to be called in question otherwise than by such appeal.

(5) The appellate authority may, if it shall think fit, extend the period allowed under sub-section (4) for appeal.

(6) The order of the appellate authority confirming, setting aside or modifying the notice or order appealed from shall be final:

Provided that the notice or order shall not be modified or set aside until the appellant and the Municipality have had reasonable opportunity of being heard.

(7) When an appeal has been instituted under sub-section (4), all proceedings to enforce such order and all prosecutions for any breach thereof shall be suspended pending the decision of the appeal, and if such order is set aside on appeal, disobedience thereof shall not be deemed to be an offence.

277. Regulation of the removal of corpses.- (1) The Municipality may by public notice prescribe routes by which routes alone corpses may be moved to the different burial or burning grounds therein.

(2) Whoever removes a corpse to a burial or burning ground by a route other than the route prescribed therefore shall be punishable with a fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.

278. Power to licence fuel shops at burning grounds.-

(1) The Municipality may grant and renew licences in accordance with bye-laws to be framed by it in the manner laid down in or under section 340, to persons applying for the same and on payment of such fee as it may fix, for the sale at all or any of the burning grounds, of fuel and other articles required or used for the cremation of corpses.

(2) The Municipality may on good and sufficient cause being shown, revoke or withdraw any licence granted or renewed under sub-section (1).

(3) Where in respect of a burning ground any licence has been granted or renewed under sub-section (1)-

(a) the Municipality shall, from time to time, prescribe a scale of rates for the sale of fuel and other articles required or used for the cremation of corpses, and

(b) no person, not so authorized, shall sell or offer for sale any such fuel or other article within three hundred meters of such burning ground.

(4) Whoever-

(a) being the holder of a licence in respect of a burning ground granted or renewed under sub-section (1), charges for the sale of fuel or other article sold there at a rate higher than the rate fixed by the Municipality under sub-section (3), or

- (b) notwithstanding the revocation or withdrawal of his licence under sub-section (2), carries on such sale, or
- (c) being a person not so authorized sells fuel or other article within three hundred meters of the burning ground in respect of which licence granted or renewed under sub-section (1) is in operation,

shall be punishable with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and, in a case covered by clause (a), shall be further liable to have the licence cancelled.

279. Powers to cause corpses to be buried or burnt.- (1)

The Municipality may, in case of unclaimed bodies after the expiration of not less than twentyfour hours from the death of the person and in case of unnatural death after completion of formalities under the law for the time being in force, cause the corpse of such person to be buried or burnt.

(2) In such case the corpse shall be disposed off, so far as may be possible, in a manner consistent with the religious tenets of the deceased as far as they may be ascertained.

(3) Subject to the provision contained in sub-section (4) the expenses incurred by the Municipality in causing the corpse of a deceased person to be buried or burnt under this section shall be recoverable as a debt due from the estate of such person.

(4) The Municipality may from time to time make provision from out of the municipal fund, for the burial or burning free of charges, of corpses of paupers within the limits of the Municipality.

280. Removal of carcasses of dead animals in municipal

area.-(1) In every municipal area the Municipality shall provide proper and convenient places for the disposal of the carcasses of animals.

(2) Whenever any animal in the charge of any person dies otherwise than by slaughter for sale or for religious purpose, such person shall, within twenty four hours, either -

- (a) convey the carcasses to a place provided or appointed under sub-section (1) or to a place beyond two kilometers of the municipal limit or the abadi area whichever is away, or
- (b) give notice of the death to the Municipality which shall thereupon cause the carcass to be removed and disposed off.

(3) The occupier of any premises in or upon which any animal shall die or in or upon which the carcass of any animals shall be found shall also take action in respect of such carcass in accordance with sub-section (2).

(4) In respect of every carcass of a dead animal removed and disposed of by the Municipality under clause (b) of sub-section (2) or under sub-section (3), the Municipality may charge from the person giving notice of the death to the Municipality such fee as it may prescribe and may recover the same, if not paid in advance, from the person giving the notice in the manner provided for the recovery of municipal claims under this Act.

(5) Whoever being bound to act in accordance with sub-section (2) or sub-section (3) of this section fails so to act shall be punishable with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.

281. Penalty for acts done by persons suffering from certain disorders.-Whoever while suffering from an infectious or contagious disorder-

- (a) makes or offers for sale an article of food or drink for human consumption or medicine or drug, or

- (b) wilfully touches any such article, medicine or drug when exposed for sale by others, or
- (c) takes any part in the business of washing or carrying soiled clothes,

shall be liable upon conviction to a fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.

282. Regulation of certain trades.- (1) If the Municipality is satisfied that any building or place used or intended by any person to be used, -

- (a) for boiling or storing offal, blood, bones, guts or rags,
- (b) for sorting, curing or storing fish,
- (c) for storing hides, horns or skins,
- (d) for tanning,
- (e) for the manufacture of leather goods,
- (f) for dyeing,
- (g) for soap-making,
- (h) for washing or drying wool or hair,
- (i) for boiling oil,
- (j) for melting tallow or sulphur,
- (k) for burning or baking bricks, pottery, lime or surkhi,
- (l) for storing hay, straw, fodder, wood, coal or other combustible material,
- (m) for storing grain for trade purposes,
- (n) as a quarry,
- (o) as a cart stand,
- (p) as an oil mill,
- (q) as a flour mill worked otherwise than by electric power,

- (r) as a distillery, or
- (s) as a manufactory or place of business of any other kind from which offensive or unwholesome smell, fume, soot or dust arises or which may involve risk of fire,

is, or is likely by reason of such use and of its situation, to become a nuisance to the neighbourhood or is so used or so situated as to be likely to be dangerous to life, health or property, the Municipality may, by written notice, require the owner or occupier-

- (i) at once to discontinue the use, or at once to desist from carrying out or allowing to be carried out the intention so to use, of such place, or
- (ii) to use it in such manner or after such structural alterations as the Municipality in such notice prescribes so that it may not become, or may be no longer, a nuisance or dangerous to life, health or property, or
- (iii) to remove it to such place as may be demarcated:

Provided that no requisition of the nature specified in clause (i) shall be made in respect of any of the occupations specified in clauses (a) to (j) carried on by the owner or occupier himself or by a member of his family as a cottage industry unless the Municipality provides some other place for carrying on such occupation.

(2) Whoever, after notice has been given under sub-section (1), uses any place or permits it to be used in manner as to be a nuisance to the neighbourhood or dangerous to life, health or property, shall be punished with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees and with further fine which may extend to one hundred rupees for every day on which such use or permission to use is continued after the date of the first conviction.

(3) Upon a conviction being obtained under this section, the Magistrate shall, on the application of the Municipality, but not otherwise, order such place to be closed and thereupon appoint persons or take other steps to prevent such place being used for any purpose mentioned in sub-section (1).

(4) Whoever uses, without a licence or during the suspension or after the withdrawal of a licence, any place for any purpose mentioned in sub-section (1) in any Municipality in which bye-laws are for the time being in force prescribing the conditions on and subject to which the circumstances in which and the areas and localities in respect of which licences for such use may be granted, refused, suspended and withdrawn, shall be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with further fine which shall not be less than one hundred rupees but which may extend to five hundred rupees for every day on which such use is continued after the date of the first conviction.

(5) Any person aggrieved by any order of the Municipality made under sub-section (1) may within thirty days of the date of such order, exclusive of the time requisite for obtaining a copy thereof, appeal to the Collector and the order of the appellate authority shall be final and shall not be liable to be questioned in any court.

283. Use of siren for summoning or dismissing workmen. -

(1) No siren may be used for the purpose of summoning or dismissing workmen or persons employed except under and in accordance with the conditions of a licence from the Municipality.

(2) The Municipality may grant such licence subject to such conditions as it may deem fit and at any time withdraw such licence on giving one month's notice to the licensee after hearing him, if he so desires, against the proposed withdrawal.

(3) Whoever uses or employs any such siren as aforesaid without or in contravention of any of the conditions of, or after the withdrawal of, such licence shall be punished with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees.

284. Service of notices, etc. addressed to individual.- (1)

The service of every notice or order and the presentation of every bill under this Act or under a rule or bye-laws made thereunder on any person or to any person to whom it is by name addressed shall in all cases not otherwise specially provided for therein, be effected by a municipal officer or servant or other person authorized by the Municipality in this behalf-

- (a) by giving or tendering such notice, order or bill to the person to whom it is addressed; or
- (b) if such person is not found, by leaving the notice, order or bill at his last known place of abode with, or by giving or tendering the notice, order or bill to, some adult member or servant of his family; or
- (c) if such person does not reside within the municipal limits and his address elsewhere is known to the chairman or official of the Municipality directing the issue of the notice, order or bill, then by forwarding the notice, order or bill, to such person by registered post under cover bearing the said address; or
- (d) if none of the means aforesaid be available, or person refuses to accept, then by causing the bill, order or notice to be affixed in the presence of two persons of the locality on some conspicuous part of the building or land, if any, to which the bill, order or notice relates.

(2) When any notice, order or bill is required or permitted by or under this Act or by a rule or bye-laws made thereunder, to

be served upon an owner or occupier of any building or land, it shall not be necessary to name the owner or occupier therein and the service thereof, in case not otherwise specially provided for, but shall be made either-

- (a) by giving or tendering the notice, order or bill to the owner or occupier or, if there be more owners or occupiers than one, to anyone of them; or
- (b) if no such owner or occupier be found, then by giving or tendering the notice, order or bill to some adult member or servant of the family or any such owner or occupier as aforesaid; or
- (c) if none of the means aforesaid be available then by causing the notice, order or bill to be affixed in the presence of two persons on some conspicuous part of the building or land to which the same relates.

(3) Every notice which this Act or a rule or bye-laws made thereunder requires or empowers a Municipality to give or to serve either as a public notice, or generally, or by provisions which do not expressly require notice to be given to individuals therein specified shall be deemed to have been sufficiently given or served if a copy thereof is put up in such conspicuous part of the municipal office during such period and in such other manner as the Municipality may, direct or prescribe by bye-laws.

(4) No notice, order or bill shall be invalid for defect of form.

(5) When any notice or order requires any act to be done for which no time is fixed by this Act or any rule or bye-laws made thereunder, the notice or order shall fix a reasonable time for doing the same.

(6) In the event of non-compliance with the terms of the notice or order, it shall be lawful for the Municipality to take such action or such steps as may be necessary for the completion of the

act thereby required to be done, and all the expenses therein incurred by the Municipality shall be paid by the person or persons upon whom the notice or order was served and shall be recoverable in the manner provided in section 296.

285. Disobedience to individual notice.- If a notice or order has been given under the provisions of this Act or under a rule or bye-laws made thereunder to a person requiring him to execute some work in respect of any property, movable or immovable and public or private, or to provide or do or refrain from doing anything within a time specified in the notice or order and if such person fails to comply with such notice or order then-

- (a) the Municipality may cause such work to be executed or such thing to be provided or done and may recover all expenses incurred by it on such account from the said person in the manner provided under this Act, and
- (b) the said person shall be liable on conviction by a Magistrate to a fine which may extend to two thousand rupees and in case of a continuing breach to further fine which may extend to fifty rupees for every day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in the breach.

286. Disobedience to public notice.- Where by this Act or a notice or order issued thereunder, the public is required to do or to refrain from doing anything, a person who fails to comply with such requisition shall, if such failure is not an offence punishable under any other section, be liable, on conviction by a Magistrate, to fine which shall be not less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees for every such failure and, in the case of a continuing breach, to a further fine which shall be not

less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in the breach.

287. Municipality in default of owner or occupier may execute work and recover expenses.- (1) Whenever, under the provisions of this Act, any work is required to be executed by the owner or occupier of any building or land and default is made in the execution of such work, the Municipality, whether any penalty is or is not provided for such default, may cause such work to be executed; and the expenses thereby incurred, alongwith ten percent of the total expenses, subject to a minimum of one thousand rupees may be recovered from the person by whom such work ought to have been executed, and shall be recoverable in the same manner as an amount claimed on account of any tax recoverable under this Act either in lumpsum or by instalments, as the Municipality may deem fit:

Provided that-

- (a) whenever any drainage scheme has been commenced by the Municipality it shall be lawful for the Municipality without prejudice to its powers under any provision of this Act to make a special agreement with the owner of any building or land as to the manner in which the drainage or water connection thereof shall be carried out and the pecuniary or other assistance, if any, which the Municipality shall render, and any payment agreed upon by the owner shall be recovered, in accordance with the terms of such agreement or in default, in the manner described in sub-sections (2) and (3) ; and
- (b) when an order has been passed under section 194 or section 200 or section 202 or section 207 or section

210 or when permission has been given under section 203 or when any agreement has been made under proviso (a) of this sub-section, the Municipality may, without prejudice to any other power under this Act, if it thinks fit, declare any expenses incurred as aforesaid by the Municipality alongwith ten percent of the total expenses as administrative charges subject to a minimum of one thousand rupees, to be improvement expenses, which shall be a charge upon the building or land, and shall be levied alongwith interest at the rate of fifteen percent per annum and shall be recoverable in the manner described in sub-sections (2) and (3).

(2) If the defaulter be the owner of the building or land, the Municipality may, by way of additional remedy, whether a suit or proceeding has been brought or taken against such owner or not, require, subject to the provisions of sub-section (3), the payment of all or any part of the expenses payable by the owner for the time being from the person who, then or at any time thereafter, occupies the building or land under such owner, and in default of payment thereof by such occupier on demand the same may be levied from such occupier and every amount so levied shall be recoverable in the same manner as an amount claimed on account of any tax recoverable under this Act; and every such occupier shall be entitled to deduct from the rent payable by him to his landlord so much as has been so paid by or recovered from such occupier in respect of such expenses.

(3) No occupier of any building or land shall be liable to pay more money in respect of any expenses, charged by this Act on the owner thereof than the amount of rent which is due from such occupier for the building or land in respect of which such expenses are payable at the time of the demand made upon him or

which, at any time after such demand and notice not to pay the same to his landlord, has accrued and become payable by such occupier, unless he neglects or refuses, upon application made to him for that purpose by the Municipality, truly to disclose the amount of his rent and the name and address of the person to whom such rent is payable but the burden of proof that the sum demanded of any such occupier is greater than the rent which was due by him at the time of such demand or which has since accrued shall be upon such occupier:

Provided that nothing herein contained shall be taken to affect any special contract made between any such occupier and the owner respecting the payment of the expense of any such works as aforesaid.

288. Occupier, in default of owner, may execute works and deduct expenses from rents.- Whenever default is made by the owner of any building or land in the execution of any work which a Municipality may require him to execute, the occupier of such building or land may, with the approval of the Municipality, cause such work to be executed and the expenses thereof shall be paid to him by the owner or the amount thereof may be deducted out of the rent becoming due from him to such owner.

289. Proceedings if any occupier opposes the execution of the Act.- If the occupier of any building or land prevents the owner thereof from carrying into effect in respect of such building or land any of the provisions of this Act after notice of his intention so to carry them into effect has been given by the owner to such occupier, any Magistrate, upon proof thereof and upon application of the owner, may make an order in writing requiring such occupier to permit the owner to execute all such works with respect to such building or land as may be necessary for bringing into effect the provisions of this Act and may also, if he thinks fit,

order the occupier to pay the owner the cost relating to such application or order; and if after the expiration of eight days from the date of the order, such occupier continues to refuse to permit such owner to execute such work, such occupier shall, for every day during which he so continues to refuse, be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees, and such owner, during the continuance of such refusal, shall be discharged from any penalties to which he might otherwise have become liable by reason of his default in executing such work.

290. Penalty for obstructing persons employed by Municipality.- (1) Whoever obstructs or molests a person employed by or under a contract with the Municipality under this Act in the performance of his duty or in the fulfillment of his contract or removes any mark set up for the purpose of indicating any levels or direction necessary to the execution of work authorized by this Act shall be liable on conviction to fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees.

(2) The police officer in whose view an offence under subsection (1) is committed shall have power to arrest such offender.

291. Penalty for breaches of Act, rules and bye-laws not otherwise provided.- Whoever contravenes any provisions of this Act or of any rule, bye-laws or order thereunder or fails to comply with any notice, order or direction issued or made thereunder for which contravention or failure no penalty has been elsewhere provided in this Act or in the rules or bye-laws made thereunder, shall be liable on conviction to fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees.

292. Entry for purposes of Act.- It shall be lawful for the Chief Municipal Officer or any officer authorized by the

Municipality in this behalf to enter, for any purpose of this Act or any rule or bye-laws made thereunder between sunrise and sunset with such assistants as he may deem necessary, into and upon any building or land:

Provided that except when hereinafter otherwise provided, no building or land which may be occupied at the time shall be entered, except with the consent of the occupier thereof, twenty-four hours written notice having been given to the occupier:

Provided further that, in the case of buildings used as human dwellings, due regard shall be paid to the social and religious customs of the occupiers.

293. Preventive Inspection.- Where there is reason to believe that, in any building or on any land, a work has been executed in connection with any municipal drainage works or other municipal undertaking in contravention of the provisions of this Act or of rules or bye-laws made hereunder, the Chairperson, the Vice-Chairperson, the Chief Municipal Officer or a Health officer may at any time and without notice inspect such building or land:

Provided that in the case of a building used as a human dwelling due regard shall be had to the social and religious customs of the occupiers thereof.

294. Power for effecting entry.-It shall be lawful for a person authorized under the provisions of section 292 or any other provisions of this Act to make an entry for the purpose of inspection or of search to open or cause to be opened a door, gate or other barrier-

- (a) if he considers the opening thereof necessary for the purpose of such entry, inspection or search, and
- (b) if the owner or occupier is absent or being present, refuses to open such door, gate or barrier.

295. Determination of compensation in certain cases.-

(1) If an agreement is not arrived with respect to any compensation or damages which are by this Act directed to be paid, the amount and if necessary, the apportionment of the same shall be ascertained and determined by such officer as may be appointed or authorized in this behalf by the Director of Local Bodies:

Provided that nothing in this sub-section shall prevent the aggrieved party from seeking redress in a civil court of competent jurisdiction.

(2) In any case where compensation is claimed in respect of any land, the procedure prescribed by the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act No. 1 of 1894) for proceedings in matters referred for the determination of the court shall, as far as possible, be followed.

296. Costs or expenses how determined and recovered.-

If a dispute arises with respect to any costs or expenses which are directed to be paid by any person under this Act the amount and, if necessary the apportionment of the same shall, save where it is otherwise expressly provided in this Act, be ascertained by the Municipality and shall be recoverable in the same manner as an amount claimed on account of any tax recoverable under this Act.

297. Formation of State Municipalities Union and its

functions.- (1) All or any of the Municipalities in the State may combine to form an Union to be called the Rajasthan State Municipal Boards Union or by any such other name as may be notified by the State Government, provided that no such Union shall be formed unless more than half the number of Municipalities in the State severally pass a resolution signifying their intention to become members thereof.

(2) The functions of the Union formed under sub-section

(1) of this section shall be-

- (i) to examine issues of common interest to Municipalities;
- (ii) to disseminate information regarding such issues;
- (iii) to make suitable representations to the State Government and other agencies on matters of common interest;
- (iv) to provide assistance and consultancy services to the Municipalities on the improvement of municipal administration; and
- (v) to perform such other functions as the State Government may from time to time assign to it.

(3) The following matters shall be regulated and governed by the rules made by the State Government, namely: -

- (a) the constitution and aims and objects of the Union;
- (b) the amount and the method of contribution by the Municipalities to the Union;
- (c) the management and control of finances of the Union including maintenance of accounts and their audit; and
- (d) other such matters as may be necessary for the purpose of this section:

Provided that no person shall be eligible to represent in the Union unless he is for the time being the Chairperson of a Municipality.

CHAPTER XIII

Prosecution, Suits etc.

298. Municipality may prosecute.- (1) The Chief Municipal Officer may direct any prosecution for any public

nuisance whatsoever or violation of any order or directions issued under this Act and may order proceedings to be taken for the recovery of any penalties and for the punishment of any persons violating the provisions of this Act or of any rule or bye-laws thereunder and may order the expenses of such prosecutions or other proceedings to be paid out of the municipal fund:

Provided that no prosecution for an offence under this Act or rule or bye-laws framed there under shall be instituted except within six months after the commission of such offence.

(2) Any prosecution under this Act or under any rules or bye-laws made thereunder may, save as therein otherwise provided, be instituted before any Magistrate, and every fine or penalty imposed under or by virtue of this Act or any rule or bye-laws thereunder and also all claims to compensation or other expenses for the recovery of which no special provision is otherwise made in this Act may be recovered on application to such Magistrate by the distress and sale of any movable or immovable property within the limits of his jurisdiction belonging to the person from whom the money is claimable.

299. Powers with respect to prosecuting for offences.-A Municipality may-

- (a) compromise with any person who in the opinion of the Municipality has committed an offence punishable under this Act or any bye-law thereunder and on such compromise no proceedings shall be taken against such person in respect of such offence;
- (b) withdraw prosecutions under this Act or under any bye-law made thereunder;
- (c) compound any offence against this Act or against any bye-law made thereunder which

may, by rules made by the State Government, be declared compoundable :

Provided that the State Government may make rules to regulate the proceedings of persons empowered to compromise offences under this section.

300. Damages to municipal property how made good.-

If through any act, neglect or default, on account whereof any person shall have incurred any penalty imposed by or under this Act and any damage to the property of the Municipality shall have been committed by such person, he shall be liable to make good such damage as well as to pay such penalty, and the amount of damage shall, in case of dispute, be determined by the Magistrate by whom the person incurring such penalty is convicted, and in case of non-payment of such damage on demand, the same shall be levied by distress, and such Magistrate shall issue his warrant accordingly.

301. Certain offences to be cognizable and bailable.-

Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No.2 of 1974), an offence punishable under sections 167, 236 and 245 of this Act shall be cognizable and bailable.

302. Distress lawful though defective in form.-

No distress levied by virtue of this Act shall be deemed unlawful, nor shall any party making the same be deemed a trespasser, on account of any defect of form in any summons, conviction or warrant of distress, or other proceeding relating thereto, nor shall such party be deemed a trespasser *ab initio* on account of any irregularity afterwards committed by him; but all persons aggrieved by such irregularity may recover full satisfaction for the special damage in any court of competent jurisdiction.

303. Alternative procedure by suit.-

In lieu of any process of recovery allowed by or under this Act or in case of failure to realize by such process the whole or any part of any

amount recoverable under this Act or of any compensation, expenses, charges or damages payable under this Act, it shall be lawful for a Municipality to sue in any court of competent jurisdiction the person liable to pay the same.

304. Suits against Municipality or its officers.- (1) No suit shall be instituted against a Municipality or against the Chairperson, Vice-Chairperson, member, officer or servant of Municipality or against any person acting under the direction of any of them in respect of an act done or purporting to have been done in its or his official capacity, until the expiration of two months next after notice thereof in writing has been, in the case of a Municipality, left at its office and, in the case of the Chairperson, Vice-Chairperson, member, officer, servant or person delivered to him or left at his office or place or abode explicitly stating the cause of action, the nature of the relief sought, the amount of compensation claimed and the name and place of abode of the intending plaintiff, and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left.

(2) No action such as is described in sub-section (1) shall, unless it is an action for the recovery of immovable property or for a declaration of title thereto, be commenced otherwise than within six months next after the accrual of the causes of action.

(3) Nothing in sub-section (1) shall be construed to apply to a suit wherein the only relief claimed is an injunction of which the object would be defeated by giving of the notice or the postponement of the commencement of the suit or proceeding.

305. Civil court not to grant temporary injunctions in certain cases.- No civil court shall in the course of any suit grant any temporary injunction or make any interim order-

- (a) restraining any person from exercising the powers or performing the functions and duties of a member,

Chairperson, Vice-Chairperson, officer or servant of a Municipality or a committee or sub-committee of a Municipality on the ground that such person has not been duly elected or appointed as such member, chairperson, vice-chairperson, officer or servant, or

- (b) restraining any person or persons or any Municipality or committee or sub-committee of a Municipality from holding any election or from holding any election in any particular manner.

306. Power of compromises.-(1) The Municipality may compound or compromise, in respect of any suit instituted by or against it or in respect, of any claim or demand arising out of any contract entered into by it under this Act, for such sum of money or other compensation as it shall deem sufficient:

Provided that, if any sanction in the making of any contract is required by this Act, the like sanction shall be obtained for compounding or compromising any claim or demand arising out of such contract.

(2) The Municipality may make compensation out of the municipal fund to any person sustaining any damage by reason of the exercise of any of the powers vested in it, its officers and servants under this Act.

(3) The municipal fund shall be liable to pay the expenses of any civil proceeding prosecuted or defended on behalf of the Municipality.

307. Mode of proof of municipal records.- A copy of any receipt, application, plan, notice, order, entry in a register or other document in the possession of a Municipality shall, if duly certified by the legal keeper thereof or other person authorized by it in this behalf, be received as prima facie evidence of the existence of the entry or document and shall be admitted as

evidence of the matters and transaction therein recorded in every case where, and to the same extent as, the original entry or document would, if produced, have admissible to prove such matters.

308. Restrictions on the summoning of municipal servants to produce documents.- No municipal officer or servant shall, in any legal proceeding to which a Municipality is not a party, be required to produce any register or document, the contents of which can be proved under the preceding section by a certified copy, or to appear as a witness to prove the matter and transactions recorded therein unless by order of the court made for special cause.

CHAPTER XIV

Control

309. Appointment and powers of Director, Deputy Director and Assistant Director.- (1) The State Government may appoint an officer to be the Director of Local Bodies with whatever designation, who shall perform such functions and exercise such powers as may be delegated to, or conferred on him by or under this Act or the rules made thereunder.

(2) The State Government may also appoint such number of other officers as it deems fit for assisting the Director and they shall be subject to the direction and control of the Director.

(3) The other officers so appointed shall exercise such powers and perform such functions and shall have such local jurisdiction as may be assigned to them by the Director.

310. Powers of inspection and supervision.-(1) Any officer appointed or authorized by the State Government in this behalf by a general or special order shall have power-

- (a) to enter upon and inspect or cause to be entered upon and inspected any immovable property

- occupied by any Municipality or any institution under its control or management or any work in progress under it or under its direction or control;
- (b) to call for any extract from the proceedings of any Municipality or of any Committee, or from any book or document in the possession of or under the control of a Municipality, and any return, statement, account or report which he may think fit to require such Municipality to furnish;
- (c) to require a Municipality to take into consideration any objection which appears to him to exist to the doing of anything which is about to be done or is being done by such Municipality, or any information which he is able to furnish and which appears to him to necessitate the doing of a certain thing by the Municipality and to make a written reply to him within a reasonable time stating its reasons for not desisting from doing or for not doing such thing; and
- (d) to conduct enquiry in any matter of the Municipality as directed by the State Government and to ask to produce relevant record as also to take into possession the record which is to be submitted alongwith his enquiry report to the State Government.

(2) All or any of the powers given to such officer as may be appointed or authorized under sub-section (1) may be delegated by him to an officer subordinate to him not below the rank of a Sub-Divisional Officer.

311. Power to inspect the office of the Municipality.-

Any officer appointed or authorized by the State Government in this behalf shall have power to inspect the office of any Municipality and call for the records of any such Municipality.

312. Powers of suspending execution of order etc. of Municipality.- (1) If, in the opinion of any such officer as may be appointed or authorized by the State Government in this behalf, the execution of any order or resolution of a Municipality or the doing of anything which is about to be done or is being done by or on behalf of a Municipality, is causing or is likely to cause injury or annoyance to the public or a breach of the peace or is unlawful or detrimental to the interest of the Municipality, he may, by order in writing under his signature, suspend the execution or prohibit the doing thereof.

(2) When any such officer makes any order under this section, he shall forthwith forward to the State Government and to the Municipality affected thereby a copy of the order, with a statement of the reasons for making it, and it shall be in the discretion of the State Government to rescind the order or to direct that it shall continue in force with or without modification, permanently or for such period as it thinks fit:

Provided that no order of such officer passed under this section shall be confirmed, revised or modified by the State Government without giving the Municipality reasonable opportunity of showing cause against the said order.

313. Extraordinary powers in case of emergency.- (1) In cases of emergency, the District Magistrate may provide for the execution of any work or the doing of any act, which a Municipality is empowered to execute or do and the immediate execution or doing of which is, in his opinion, necessary for the health or safety of the public, and may direct that the expenses of executing the work or doing the act alongwith a reasonable remuneration to the person appointed to execute or do it, shall be forthwith paid by the Municipality.

(2) If the expense and remuneration are not paid, the District Magistrate may make an order directing any person, who for the time being has custody of any moneys on behalf of the Municipality, to pay such expenses and remuneration from such moneys as he may have in his hands or may from time to time receive and such person shall be bound to obey such order.

(3) The provisions of sub-section (2) of section 312 shall apply, as far as may be, to any order made under this section.

314. Compliance by Municipality of requisition by Government for servants in times of emergency.- On the occurrence of war, famine, scarcity, dangerous disease, floods or any similar emergency, and to provide for fairs or other occasions involving a large gathering of people, the Municipality shall immediately comply with any requisition made by State Government or by an officer of the State Government authorized by general or special orders to make the requisition, for the services of any of the Municipality's officers or officials holding posts in its medical, public health, sanitary, vaccination, veterinary, electrical, water works or public works departments or for the services of any Vaid or Hakim employed by the Municipality, and shall meet such proportion of the charge connected with the requisitioning as the State Government may decide to be a proper charge on the Municipality.

315. Agency for execution of public works.- (1) Such public works, which, in the opinion of the State Government require a degree of professional skill which may not be at the disposal of the Municipality shall be carried out by the State Government or by such agency as the State Government may direct.

(2) All other works of the Municipality shall be executed by such agency and subject to such supervision as the Municipality thinks fit subject to rules made in this behalf.

(3) When any work is executed for a Municipality by the State Government or by any other agency under the orders of the State Government the expense incurred on the work together with the charges for supervision and for tools and plant at such rates as may be fixed by the State Government from time to time, unless waived by the State Government, shall be payable to the State Government or such other agency.

(4) If the amount due to the State Government or other agency under sub-section (3) is not paid within a reasonable time, the State Government may make an order directing the person having the custody of the municipal fund to pay it in priority to any other charge against such fund and such person shall, so far as the funds to the credit of the Municipality admit, be bound to comply with such order.

316. Special provisions in regard to works executed by the State Government.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act it shall be lawful for the State Government at any time after consulting the Municipality-

- (a) to construct any work or works of a permanent nature which in the opinion of the State Government is or are necessary or desirable for the health or safety of the inhabitants, whether within any Municipality or without it, wholly or in part;
- (b) to retain the management and maintenance of any such work or to entrust the same, in whole or in part, to the Municipality or resume the same from the Municipality;
- (c) to recover the capital cost of any such work and of its management and maintenance together with interest thereon at such rate as the State Government may fix, from the municipal fund or from the proceeds of any tax or taxes imposed under this Act.

(2) It shall be the duty of any person who for the time being has custody of any moneys on behalf of the Municipality to pay from such moneys as he may have in his hands or may from time to time receive, all amounts directed by the State Government to be paid by the Municipality under clause (c) of the preceding sub-section.

317. Government enquiry into municipal matters.- (1) The State Government may order an inquiry to be held by any officer appointed by it in this behalf into any matters concerning the municipal administration of any Municipality or any matters with respect to which its sanction, approval or consent is required under this Act.

(2) The officer holding such inquiry shall, for the purpose thereof, have the powers which are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) in respect of the following matters:-

- (a) discovery and inspection,
- (b) enforcing the attendance of witnesses and requiring the deposits of their expenses,
- (c) compelling the production of documents,
- (d) examining witnesses on oath,
- (e) granting adjournments,
- (f) reception of evidence taken on affidavit, and
- (g) issuing commission for the examination of witnesses,

and may summon and examine *suo motu* any person whose evidence appears to him to be material and shall be deemed to be a civil court within the meaning of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974).

Explanation.- For the purpose of enforcing the attendance of witnesses the local limits of such officer's jurisdiction shall be the limits of the State.

(3) The reasonable expenses incurred by any person in attending to give evidence may be allowed by the officer holding the inquiry to such person and shall be deemed to be part of the costs.

(4) Costs shall be in the discretion of the State Government which shall have full power to determine by and to whom and to what extent such costs are to be paid, and to allow interest on costs at a rate not exceeding fifteen percent per annum, and such costs and interest shall be recoverable as an arrear of land revenue.

318. Power of Government to prevent extravagance in the employment of establishment.- (1) If, in the opinion of the State Government the number of persons who are employed by a Municipality as officers or servants or whom a Municipality proposes to employ, or the remuneration assigned by the Municipality to those persons or to any particular person, is excessive, the Municipality shall on the requirement of the State Government reduce the number of the said persons or the remuneration of the said person.

(2) It shall be lawful for the State Government-

- (i) to require that any person appointed to be a Chief Municipal Officer shall be invested by any Municipality with all or any of the powers which can under this Act or under any rules in force at the time being lawfully delegated to him, in addition to such powers as are conferred on him by this Act;

- (ii) to require that all or any of the powers referred to in section 273 shall be delegated by any such Municipality, whether there be a Chief Municipal Officer or not, to the Chairperson, Vice-Chairperson or any such member as the State Government may deem fit.

(3) Any requisition issued to the Municipality under clause (i) or clause (ii) of sub-section (2) shall be complied with within such time as the State Government may, in each case, prescribe in that regard.

(4) The State Government shall have the power to assess the requirement of the employees in a Municipality and where it is satisfied that certain employees are in excess, notwithstanding anything contained in the rules for the time being governing the conditions of service of any class of employees of the Municipalities, it may declare them as surplus and may prescribe the manner in which such surplus employees shall be absorbed into other Municipalities.

319. Power of Government to provide for performance of duties in default of Municipality.- (1) When the State Government is informed on complaint made or otherwise that a Municipality has made default in performing any duty imposed on it by or under this Act or by or under any enactment for the time being in force, the State Government, if satisfied after due inquiry that the Municipality has been guilty of the alleged default may fix a period for the performance of that duty.

(2) If that duty is not performed within the period fixed, the State Government may appoint some person to perform it and may direct that the expense of performing it, with a reasonable

remuneration to the person appointed to perform it shall forthwith be paid by the Municipality.

(3) If the expense and remuneration are not so paid, the State Government may make an order directing any person who for the time being has custody of any moneys on behalf of the Municipality, to pay such expense and remuneration from such money as he may have in his hands or may from time to time receive and such person shall be bound to obey such order.

320. Exercise of Municipality's power pending its establishment.- When a new Municipality is created, such officer, committee or authority as may be appointed by the State Government in this behalf may, until a Municipality is established in accordance with the provisions of this Act, exercise the powers and discharge the duties and perform functions of the Municipality and such officer, committee or authority shall for the purposes of this Act be deemed to be the Municipality:

Provided always that such officer, committee or authority shall within six months of the creation of the Municipality make arrangements for the holding of the first elections and generally of hastening the assumption by the Municipality of its duties when constituted:

Provided further that no such officer, committees or authority shall be entitled to propose or to impose any new tax and to make bye-laws.

321. Power of Government to direct person in custody of municipal fund to pay Government dues.-If a Municipality makes default in the payment of any amount due to the State Government, it may make an order directing the person having the custody of the municipal fund to pay it in priority to any other charge against such fund and such person shall so far as the funds to the credit of the Municipality admit, be bound to comply with such order.

322. Power of Government to dissolve Municipality in case of incompetency or having less than two third elected members.-

(1) If at any time the State Government is satisfied that the Municipality is not competent to perform, or persistently makes default in the performance of the duties imposed on it by or under this Act or otherwise by law, or has exceeded, or abused its powers, the State Government may, by an order published alongwith the reasons thereof, in the Official Gazette, declare the Municipality to be incompetent or in default, or to have exceeded or abused its powers, as the case may be, and may dissolve such Municipality as from a date to be specified in the order of dissolution:

Provided that no action shall be taken under this sub-section unless the Municipality through its Chairperson has been afforded a reasonable opportunity of submitting an explanation and of being heard, if the Municipality so desires:

Provided further that no order under this sub-section shall be passed-

- (i) unless the State Government has drawn up a statement setting out distinctly the charges against the Municipality and sent the same for inquiry in the prescribed manner and findings to a Tribunal consisting of a Chairman and not less than two members, constituted in the prescribed manner, or
- (ii) otherwise than in conformity with such findings.

Explanation.-If for any reason the number of vacancies in a Municipality exceeds two-thirds of the total number of seats, the Municipality shall be deemed to be not competent to perform the duties imposed on it by or under this Act.

(2) The State Government shall dissolve the Municipality if at any time the number of its elected members falls short of two third of its total members.

(3) When a Municipality is dissolved under sub-section (1) or any other provision of this Act, the following consequences shall ensue: -

- (a) all members of the Municipality including the Chairperson and the Vice-Chairperson shall, on the date specified in the order of dissolution, vacate their respective offices but without prejudice to their eligibility for re-election or re-appointment; and
- (b) all powers and duties of the Municipality shall, during the period of dissolution, be exercised and performed by such officer as an Administrator as the State Government appoints in this behalf.

(4) An election to constitute a Municipality shall be completed before the expiration of a period of six months from the date of its dissolution:

Provided that where the remainder of the period for which the dissolved Municipality would have continued is less than six months, it shall not be necessary to hold any election under this sub-section for constituting the Municipality for such period.

(5) A Municipality constituted upon the dissolution of Municipality before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved Municipality would have continued under section 7 had it not been so dissolved.

(6) An order of dissolution made under this section together with statement of the reasons thereof shall be laid before the House of the State Legislature, as soon as may be, after it has been made.

323. Dispute between a Municipality and one or more local authorities.-(1) If any dispute for the decision of which this

Act does not otherwise provide exists, between a Municipality and one or more other local authorities in regard to any matter arising under the provisions of this Act or any other law and the dispute is not amicably settled-

- (a) the Collector may take cognizance of the dispute and decide it himself if the dispute is with another Municipality or panchayat in the same district and his decision shall be final; and
- (b) in all other cases the matter shall be referred to the Divisional Commissioner, who may take cognizance of the dispute and decide it and the decision of the Divisional Commissioner shall be final.

(2) No suit shall be entertained by a civil court in respect of any dispute referred to in sub-section (1).

324. Dispute between a Municipality and Urban Improvement Trust, City Development Authority or any other Statutory Board.-All disputes between a Municipality and any Urban Improvement Trust, City Development Authority, Housing Board or any other Statutory Board, relating to territorial and functional jurisdiction, if not amicably settled shall be referred to the State Government and the decision of the State Government on such matter shall be final.

325. Powers of Government to cancel or modify bye-laws and rules of Municipalities.- (1) The State Government may at any time by notification in the Official Gazette repeal wholly or in part or modify any rule or bye-laws made by any Municipality:

Provided that, before taking any action under this sub-section, the State Government shall communicate to the Municipality the grounds on which it proposes to do so, fix a

reasonable period for the Municipality to show cause against the proposal and consider the explanation and objections, if any, of the Municipality.

(2) The repeal or modification of any rule or bye-laws shall take effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette if no date is therein specified and shall not affect anything done or omitted or suffered before such date.

326 Delegation of powers by Government.- (1) The State Government may delegate all or any of its powers under this Act, other than the powers exercisable by it under sections 3, 6, 7, 67, 94, 102, 103, 107, 111, 142, 297, 318, 322, 325, 337, 339 and 340 or under this section or the power to appoint an Appellate Authority under any provision of this Act, to any officer subordinate to it.

(2) The State Government may also order that all or any of the powers conferred on the Collector or any other officer of the State Government by or under or in pursuance of any provision of this Act shall be exercised for any specified period by some other officer or authority that may be named in the order.

327. Power to call for records.-(1) The State Government or any officer authorized in this behalf by the State Government, may, for the purpose of being satisfied as to the correctness, legality or propriety of any order or resolution passed or purporting to have been passed, under this Act by or on behalf of a Municipality, its Chairperson, Vice-Chairperson, any member or officer, call for the relevant record, and may, in doing so, direct that pending the examination of such record, such order or resolution shall be kept in abeyance and no action in furtherance thereof shall be taken until such examination by the State

Government or by the officer authorized in this behalf by the State Government and the passing of order under sub-section (2).

(2) On examining the record the State Government or the officer authorized as aforesaid may rescind, reverse or modify such order or resolution and the order of the State Government or the officer authorized as aforesaid shall be final and binding on the Municipality.

CHAPTER XV

Staff

328. Creation of Rajasthan Municipal Service.- (1) As soon as may be after the commencement of this Act, there shall be created and constituted by the State Government for the whole of the State a service designated as the Rajasthan Municipal Service and hereinafter referred to as the Service.

(2) The Service shall be divided into different categories, each category being sub-divided into different grades, and shall consist of officers, Administrative as well as Technical.

329. Classification of Municipalities.-(1) For the purpose of creating and constituting the service, the State Government may, by notification, from time to time, in the Official Gazette, -

- (a) divide Municipalities in the State into classes according to their income or other factors like population or importance of the local area and other circumstances, and
- (b) transfer a Municipality from one class to another class.

(2) For the purpose aforesaid, the State Government may also, by a like notification, prescribe uniform scales of pay for different posts in the service with different designations for all Municipalities included in each class under clause (a) of sub-section (1).

330. Recruitment to posts in the Service.- (1) Upon the creation and constitution of the service, appointments to all posts therein shall, subject to any rules under section 337 and notwithstanding anything contained in the rules made under sections 339, be made in accordance with the provisions of sections 332, 333 or, as the case may be, 335.

(a) by direct recruitment,

(b) by promotion,

(c) by transfer, or

(d) by deputation in exceptional case when eligible person is not available in municipal service.

(2) The State Government shall lay down the terms and conditions on which appointments shall be made by transfer or deputation from a State Service.

(3) With the approval of the State Government and in conformity with such general or special directions as it may from time to time issue, any officer or servant of a Municipality who is a member of the Service may be transferred to the service of another Municipality.

(4) It shall not be lawful for the Municipality, -

(a) to take any officer or employee on deputation from any department of the State Government without obtaining prior approval of the State Government,

(b) to relieve any officer or employee without seeking orders of the State Government,

- (c) to refuse or not to allow any officer or employee to join the duty when such employee is transferred or deputed by the State Government.

331. Consultation with Commission.- (1) As respects the service, the State Public Service Commission, hereinafter referred to as the Commission, shall in addition to its functions under the Constitution, be consulted-

- (a) on all matters relating to appointments to the Service by direct recruitment, and
- (b) on all disciplinary matters affecting the members of the Service.

(2) It shall be the duty of the Commission to advice on any manner referred to it under sub-section (1).

(3) It shall also be the duty of the Commission to conduct examinations, if necessary, for appointments to the Service or to any grade or category thereof.

(4) The Commission shall include and embody, in its report presented under clause (2) of Article 320 of the Constitution, a report as to the work done by the Commission in relation to Service under this section and such report shall be dealt with as provided in the said clause of the said Article.

332. Rajasthan Municipal Administrative Service.- (1) Subject to the forgoing provisions of this Chapter and the rules made under section 337 or any other provision of this Chapter, the State Government shall appoint-

- (i) one Chief Executive Officer for every Municipal Corporation,
- (ii) such number of Commissioners for every Municipal Corporation and Municipal Council as may be determined,

- (iii) an Executive Officer for every Municipal Board,
- (iv) a Secretary for every Municipal Corporation or Municipal Council which resolves to appoint a Secretary in addition to the Commissioner, and
- (v) any other administrative officer by any name and designation as deemed necessary.

(2) All officers and servants appointed under section 333 or 335 or under any other provisions of this Act shall be subordinate to the Chief Municipal Officer, Commissioner and Executive Officer respectively in Municipal Corporation, Council and Municipal Board.

(3) In addition to any duties imposed upon or delegated to him by or under this Act, a Chief Municipal Officer, Commissioner or an Executive Officer, as the case may be, shall, subject to the overall control of the Mayor or President or Chairperson of the Municipal Corporation or Municipal Council or Municipal Board, as the case may be, -

- (a) watch over the financial and executive municipal administration of the Municipality,
- (b) take prompt steps to remove any defect or irregularity brought to his notice in the course of the audit of the municipal accounts or pointed out in the audit report,
- (c) report all cases of fraud, embezzlement, theft or loss of municipal money or property,
- (d) supply any return, statement, account or report or any other document in his charge or a copy thereof requisitioned by the Corporation or Council or Board, and

- (e) make an explanation in regard to subject under discussion at a meeting thereof but not vote 'upon' or make any proposition thereat.

333. Rajasthan Municipal Technical Service.-(1) Subject as aforesaid the State Government may, if it thinks necessary, appoint health officer, municipal engineer, not below the rank of assistant engineer, revenue officer, assessor, senior accounts officer, accounts officer, assistant accounts officer, chief fire officer, fire officer, law officer or any other officer for the performance of such special or technical duties under this Act as may be prescribed.

(2) Work distribution amongst the officers appointed under this section shall be done by the Chief Executive Officer with the approval of the Chairperson.

334. Determination of strength of the staff.-Subject to any general or special directions issued by the State Government, a Municipality may, by resolution determine the number of sanitary inspectors, other inspectors, and accountants and ministerial establishment and other servants required for the Municipality.

335. Subordinate and Ministerial Establishment and other Employees.-(1) Subject to the provisions of sections 330 and 331 or any rules under section 337 or any other direction issued or restrictions imposed by the State Government or any other provision of this Act a sanitary inspector or other inspector or subordinate servant or accountant or a member of the ministerial establishment shall be appointed by the Municipality.

(2) Subject to any rules under section 337 or any other provision of this Act appointments to other posts, whether permanent or temporary, shall be made by Chief Municipal Officer with the approval of the Chairperson.

(3) It shall be lawful for the Chief Municipal Officer to punish such staff appointed under this section except with the punishment of dismissal or removal from the service.

(4) A person appointed under sub-section (1) or sub-section (2) may be dismissed, removed or otherwise punished in accordance with rules then obtaining by the appointing authority, subject to a right of appeal of such dismissal, removal or punishment within the prescribed time limit-

- (i) to the State Government, if the order appealed from is passed by Municipality, and
- (ii) to the Municipality if such order is passed by the Chief Municipality Officer.

336. Transfer from one Municipality to another.-(1)

Any officer or servant of a Municipality who is a member of subordinate service, ministerial service or class IV service may be transferred by the State Government from the service of one Municipality to the services of another Municipality.

(2) Any officer or servant of the Municipality may be transferred by the State Government to the Jaipur Development Authority or Jodhpur Development Authority or Rajasthan Housing Board or any Urban Improvement Trust or any other local body on post carrying pay scale not lower than the pay scale of the officer or servant to be transferred;

Provided that the lien of the Officer or servant so transferred shall remain in the parent Municipality and he shall be considered for further promotion whenever a consideration for promotion to the higher post in his cadre is made in the Municipality.

CHAPTER XVI***Rules, Regulations and Bye-Laws***

337. Power of State Government to make rules and orders.-(1) The State Government may make rules or orders generally for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act and prescribe forms for any proceeding for which it considers that a form should be provided.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, the State Government shall make rules –

- (i) with reference to all matters expressly allowed by this Act to be prescribed;
- (ii) for prescribing the manner of allotment of seats reserved for members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the Backward Classes or for women;
- (iii) with regard to all matters relating to the preparation, revision, modification, updating and publication of electoral rolls;
- (iv) for prescribing particulars which shall contain in the notice given for withdrawal of candidature from election on more than one seat;
- (v) for prescribing the manner in which votes shall be given in an election and the manner in which votes shall be given and recorded by the voting machines;
- (vi) with regard to all matters relating to presentation of an election petition, procedure to be followed and powers to be exercised by the District Judge in disposing the election petition;
- (vii) for prescribing the form in which oath or affirmation shall be made by a member before entering upon his duties;

- (viii) for prescribing the manner in which the Judicial Officer shall enquire into the charge against a member and for prescribing the matters, other than those specified in clauses (a) to (c) of sub-section (5) of section 39, regarding which the judicial Officer shall have power of a civil court while inquiring into the said charges;
- (ix) for prescribing the manner of election of Chairperson and Vice-Chairperson and the manner of reserving the offices of the Chairpersons and for prescribing the monthly allowances and facilities which may be allowed to the Chairperson out of the municipal fund;
- (x) for prescribing the executive functions other than those specified in clauses (a) to (d) of sub-section (1) of section 48;
- (xi) for prescribing the powers of the Chief Municipal Office;
- (xii) for prescribing the manner in which charge of the office a Chairperson or a Vice-Chairperson shall be handed over;
- (xiii) for prescribing the procedure for conducting the business of the meeting of the Municipality;
- (xiv) for prescribing the manner, of putting question by a member to the Chairperson, and of moving resolutions on the matters connected with the administration of the Municipality;

- (xv) for prescribing the manner of making and considering the motion expressing no confidence in the Chairperson or the Vice-Chairperson;
- (xvi) for prescribing the powers, duties and functions, and the procedure for conducting the meetings, of the committees constituted under section 55;
- (xvii) for prescribing the restrictions, limitations and conditions subject to which any powers, duties or executive functions, which may be exercised, discharged or performed by or on behalf of the Municipality, may be delegated to the committees and for prescribing the manner of calling the meeting of the Municipality for delegating the powers, duties and functions of the Chairperson to a member;
- (xviii) for prescribing the terms and conditions on which, and the charges or premium subject to the payment of which, the land deemed to have been placed at the disposal of the Municipality under section 90-B of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 may be allotted or regularized by the Municipality;
- (xix) for regulating the sale or disposal of immovable property and land;
- (xx) for prescribing the manner of preparing and maintaining records of urban land situated in the municipal limits;
- (xxi) for prescribing heads of accounts other than those specified in sub-section (2) of section 79 and for prescribing manner and form in which accounts shall be kept;

- (xxii) for prescribing the manner in which payments from Municipal funds shall be made;
- (xxiii) for transfer of surplus money from one head to another head with regard to all matter relating to preparation, presentation, adoption of budget estimates, preparation and maintenance of accounts and balance sheet etc;
- (xxiv) for prescribing the rate, date, and manner for imposing and levying the taxes under section 102;
- (xxv) for prescribing the manner in which internal audit of the day-to-day accounts of the Municipality may be carried out;
- (xxvi) for prescribing the form in which return shall be furnished by the owner or occupier on the requisition of the assessor;
- (xxvii) for prescribing the form of warrant for attachment and sale of property of the defaulter and for prescribing the manner in which the attached property may be sold;
- (xxviii) for prescribing the manner in which repaying capacity of a Municipality shall be ascertained for the purposes of granting loan or giving grantee for a loan raised by the Municipality;
- (xxix) for prescribing the types of private sector participation agreements for the purpose of this Act;
- (xxx) for prescribing the Chapters, material and schemes to be incorporated in the City Development Plan;

- (xxxix) for prescribing the manner in which the elected members of Committee for Metropolitan Planning shall be chosen;
- (xxxixii) for prescribing the extent to which land in any scheme may be reserved for the purpose of providing housing accommodation to the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the Backward Classes and weaker sections of the society, including disabled, handicapped and mentally retarded persons and unassisted elderly persons;
- (xxxixiii) for regulating the sanction of specific rights of way in the sub-soil of public and private streets for different public utilities;
- (xxxixiv) for prescribing rates of the conversion charges for change of use of land and for prescribing the manner in which objections shall be invited and heard with respects to change of use of land;
- (xxxixv) for prescribing the manner and the time in which water harvesting structure shall be provided in the buildings owned or occupied by the Government or statutory body or a company or a institution owned or controlled by the Government;
- (xxxixvi) for prescribing limitations, restrictions and conditions subject to which the Municipality may exercise powers in respect of prevention of dangerous diseases;
- (xxxixvii) for prescribing limitations, restrictions and conditions subject to which the Municipality may exercise powers conferred on it under section 274;

(xxxviii) for prescribing the functions of the State Municipalities Union;

(xxxix) for prescribing the manner of sending the statement of charges against a Municipality to the Tribunal for enquiry and findings; and for prescribing the manner of constitution of the Tribunal;

(xl) for prescribing the special or technical duties which shall be performed by the officers appointed in the Rajasthan Municipal Technical Service; and

(xli) for prescribing term and conditions of service in respect of the Rajasthan Municipal Services.

(3) A rule may be general for all Municipalities or for all Municipalities not expressly exempted from its operation or may be special for the whole or any part of anyone or more Municipalities as the State Government may direct.

(4) Notwithstanding anything contained in sections 339 and 340, in case the Municipality fails to make any rules or bye-laws as prescribed and the State Government considers it necessary for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act, it may also make the rules and bye-laws for the matters enumerated in sections 339 and 340.

(5) All rules and orders made by the State Government under this section shall come into effect on or from the date of their publication in the Official Gazette.

(6) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of

such rules or resolves that any such rule should not be made, such rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder..-

338. Power of State Government to make regulations.-

(1) Notwithstanding anything contained in section 337 or any other provision of this Act or any other law for the time being in force, the State Government may, for the purpose of preservation of human health or the safety or convenience of the public in public places and streets or the amelioration of rickshaw pullers, by regulation provide for regulating (with a view to gradually abolishing) or prohibiting, the plying, use of drawing of rickshaw in streets and public places and to regulate the hours of work of rickshaw pullers-

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulation may-

- (a) prescribe the date on and after which rickshaw shall not be plied, driven or used in streets and public places;
- (b) provide that no new licences shall be granted to rickshaw and rickshaw pullers;
- (c) provide for the grant and renewal of licences of rickshaw and rickshaw pullers subject to condition that a licence of a rickshaw shall be granted or renewed only in the name of the puller;
- (d) provide for authorising any officer or authority to limit, from time to time, the number of rickshaws for which licences may be granted or renewed in any area having regard to the adequacy of public conveyance of the same or any other class operating or likely to

- operate in the area in near future, or to the safety or convenience of the puller in the light of traffic conditions in the area;
- (e) prescribe the maximum life period of a rickshaw after expiry whereof it shall not be permitted to be plied;
- (f) prescribe the manner in which the number of rickshaws or rickshaw pullers may be gradually reduced and the principles to be followed in effecting such reduction;
- (g) prescribe the terms of the grant and renewal of licence of rickshaw and rickshaw pullers;
- (h) prescribe the fee, payable for licences to be granted or renewed under this section;
- (i) prescribe the size and design of the rickshaw and the condition for grant or renewal of licences;
- (j) prescribe the standard or physical fitness, with special reference to permissible age limits for rickshaw pullers;
- (k) prescribe the fees to be paid by rickshaw pullers for medical examination;
- (l) prescribe the office or authority to which and the matter in respect of which appeals shall lie;
- (m) provide for disinfections of rickshaws;
- (n) prescribe the penalties for the violation of any of the rules by the owner of the rickshaw or the puller or driver of the rickshaw;
- (o) prescribe the maximum number of passengers or load or both which can be carried at any one time in a rickshaw;

- (p) specify the offence for contravening any regulations and the class of Magistrate by whom the offences against the regulations shall be taken cognizance of; and
- (q) prescribe supplementary and incidental provisions including seizure of a rickshaw in respect of which an offence under this Act has been or is being committed.

(3) The power to make regulations under this section is subject to the condition of the regulation being made after previous publication.

Explanation-I.- For the purpose of this section, a rickshaw means a cycle- rickshaw commonly so-called, or a wheeled vehicle which is fixed or attached to a cycle drawn or pulled by human force and used as a conveyance for passengers and goods and includes a cycle-rickshaw cart but does not include-

- (a) a perambulator,
- (b) a wheeled vehicle used for the carriage of an invalid person, and
- (c) such classes of wheeled vehicles used for the carriage of goods as may be prescribed.

Explanation-II.- For the purpose of clause (c) of sub-section (2), the expression "puller" shall mean a person who earns his livelihood mainly by personally driving rickshaw.

(4) All regulations made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of

such regulations or resolves that any such regulations should not be made, such regulations shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

339. Power of Municipality to make rules.- Every Municipality shall make rules, not inconsistent with this Act or with the rules made by the State Government under section 337.-

- (a) with regard to all matters relating to imposition, levy, assessment and collection of the taxes under section 103;
- (b) with regard to all matters relating to imposition, levy and collection of fees and fines under section 105;
- (c) for regulating the construction of all kinds of buildings;
- (d) for prescribing all matters relating to the management of solid and bio-medical waste;
- (e) with regard to determining the staff of officers and servants to be employed by the Municipality and the respective designations, duties, salaries, fees or other allowances of such officers and servants;
- (f) generally for the guidance of its officers and servants in all matters relating to the municipal administration;
- (g) fixing the amount and nature of the security to be furnished by any officer or servant from whom it may be deemed expedient to require security;
- (h) determining the mode and conditions of appointing, transferring, punishing or dismissing any officer or servant and delegating to officers designated in the

rules the powers to appoint, transfer, fine, reduce, suspend or dismiss any officer or servant;

- (i) regulating the grant of leave to officers or servants, and fixing the remuneration to be paid to the person, if any, appointed to act for them whilst on leave; and
- (j) authorizing the payment of contributions, at such rates and subject to such conditions as may be prescribed in such rule, to any pension or provident fund which may be established by the Municipality, or, with the approval of the Municipality, by the said officers and servants:

Provided that no Municipality shall, unless with the assent of the State Government, and otherwise than in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder, dispense with the service of any officer transferred from the service of the Central or a State Government to the service of the Municipality or employed partly by the State Government and partly by the Municipality or finally dispense from the service of the Municipality any officer transferred from the service of the Municipality to the service of the State Government.

340. Power of Municipality to make bye-laws.- (1) Every Municipality may, from time to time, make bye-laws not inconsistent with this Act and the rules made thereunder -

- (a) for regulating the payments from the municipal fund;
- (b) for prescribing all matters relating to the imposition, levy, assessment and collection of user charges under section 104;
- (c) for prescribing the form of and the manner of keeping of maps, drawings and description of underground utilities and maps of fire hydrants and sewerage man-holes;

- (d) for regulating the permission for temporary erection of a booth or any other structure on any public place;
- (e) for prescribing the terms and conditions subject to which the precautions to be taken during construction or repair of street, drain or premise;
- (f) for regulating the erection of all kind of buildings;
- (g) for determining the technical qualifications and experience for the person seeking licence to act as a plumber;
- (h) for regulating the projections of the building under section 192;
- (i) for the regulation and inspection of markets, public places used for the sale of articles and slaughter houses, all places used by or for animals which are for sale or hire, or the produce of which is sold, and for the proper and clean conduct of business therein; for regulating the sale of fruits and vegetables in the municipal markets or other charges to be levied for the use of any of them which belong to the Municipality;
- (j) prescribing the conditions on or subject to which, and the circumstances in which, and the areas or localities in respect of which, licences may be granted, refused, suspended or withdrawn for the use of any place not belonging to the Municipality-
 - (i) as a slaughter house;
 - (ii) as a market or shop for the sale of animals intended for human food, or of meat, or of fish, or as a market for the sale of fruits or vegetables;

- (iii) for any of the purposes mentioned in section 282;
 - (iv) as a dairy, hotel, restaurant, eating-house, coffee-house, sweet, meat-shop, bakery, camping-ground, sarai, dhobi-ghat, flour mill, sawmill, ice-candy factory, foodgrain-godown, Municipality house, lodging-house (other than a students' hostel under public or recognized control) or for manufacturing ice or aerated water;
 - (v) as a place for the preparation or manufacture of oil;
 - (vi) for parching grain or Bengal grain on a large scale; or
 - (vii) for any other purpose for which the issuing of a licence may be prescribed,
- and providing for the inspection and regulation of the conduct of business in any place used as aforesaid, so as to secure cleanliness therein or to minimize any injurious, offensive or dangerous effect arising or likely to arise therefrom;
- (k) prohibiting the stabling or herding of horses, camels, donkeys, sheep or goats, otherwise than in accordance with such rules prescribed in such bye-laws in regard to the number thereof, and the places to be used for the purpose, as may be necessary to prevent danger to the public health;
 - (l) (i) for the inspection of milk cattle; and prescribing and regulating the construction, dimensions, ventilation, lighting, cleansing, drainage and water-supply of dairies and

cattle-sheds in the occupation of persons following the trade of dairymen or milk sellers;

- (ii) for securing the cleanliness of milk-stores, milk-shops and vessels used by milk-sellers or butter-men for milk or butter;
- (m) for the registration of births, deaths and marriages, and the taking of a census within the Municipality and for enforcing the supply of such information as may be necessary to make such registration or census effective;
- (n) regulating the disposal of the dead and of the carcasses of dead animals and the maintenance of all places for the purpose in good order and in a safe sanitary condition, due regard being had to the religious usages of the community or section of the community entitled to the use of such places for the disposal of the dead;
- (o) enforcing the supply of information as to any cases of dangerous disease, and carrying out the provisions of section 273;
- (p) enforcing the supply of such information by inhabitants of the Municipality as may be necessary to ascertain their respective liabilities to any tax imposed therein;
- (q) regulating the use of public bathing and washing places within municipal limits;
- (r) regulating sanitation and conservancy;
- (s) regulating the conditions for the construction, use and disposal of houses intended for the homeless under sub-clause (c) of clause (iv) of section 46;

- (t) regulating the conditions on which permission may be given for the temporary occupation of, or the creation of temporary structures on public streets, or for projections over public streets;
- (u) regulating the structure and dimensions of plinths, walls, foundations, floors, roofs and chimneys of new buildings for the purpose of securing stability and the prevention of fires and for purposes of health;
- (v) regulating the erection or use of buildings for grain shops or grain stores, the use of sites for erection of buildings and, in localities intended for residential purposes, the erection or use of buildings for shops, market places, manufacturing, places of public resort or for any other purpose;
- (w) preventing the erection of building without adequate provision being made for the laying out and location of streets;
- (x) ensuring the adequate ventilation of buildings by the provision and maintenance of sufficient open space either internal or external and of doors and windows and other means for securing a free circulation of air;
- (y) regulating, in any other particular manner not specially provided for in this Act, the construction, maintenance and control of drains, sewers, ventilation shafts, receptacles for dung and manure, cess-pools, water-closets, privies, latrines, urinals and drainage or sewage works of every description, whether the property of the Municipality or not;
- (z) determining the conditions, restrictions, norms and specifications for all kinds of constructions looking to the local need for the purpose of operation of section

194 and section 236 in conformity with the directions issued and restrictions prescribed if any, from time to time, by the State Government;

- (za) prohibiting the transit of any vehicles of such form, construction, weight or size, or laden with such machinery or other unwieldy objects as may be deemed likely to cause injury to the roadway or any construction thereon, or risk or obstruction to other vehicles or to pedestrians, along or over any street, except under such conditions as to time, mode of traction or locomotion, use of appliances for protection of the roadway, number of lights and assistants and other general precautions as may be prescribed, either generally in such bye-laws or in special licences to be granted in each case upon such terms as to time of application and payment of fees therefore as may be prescribed in such bye-laws;
- (zb) securing the protection of public parks, gardens and open spaces, vested in or under the control of the Municipality from injury or misuse, regulating their management and the manner in which they may be used by the public, and providing for the proper behaviour of persons in them;
- (zc) regulating or prohibiting any description of traffic in the streets and providing for the reduction of noise caused thereby;
- (zd) rendering licences necessary for the proprietors or drivers of vehicles or animals kept or plying for hire within the limits of the Municipality, and fixing the fees payable for such licences and the conditions on which they are to be granted and may be revoked;

- (ze) limiting the rates which may be demanded for the hire of any carriage, cart or other conveyance or of any animals hired to carry loads or persons, or for the service of persons hired to carry loads or to impel or carry such conveyance, and limiting the loads which may be carried by any animal, or carriage, cart, or other conveyance, plying for hire, within the limits of the Municipality;
- (zf) for the licensing, inspection and proper regulation of places of public resort, recreation or amusement;
- (zg) regulating the posting of bills and advertisements, and the position, size, shape and style of sign-posts;
- (zh) rendering licences necessary for hand-carts employed for transport, or hawking articles for sale, and for the persons using such hand-carts, and prescribing the conditions for the grant and revocation of such licences;
- (zi) generally for the regulation of all matters relating to municipal administration;

and every Municipality may prescribe fine for the infringement of any such bye-laws.

(2) Every Municipality shall, before making any bye-laws under this section, publish, in such manner as shall in its opinion be sufficient, for the information of persons likely to be affected thereby, a draft of the proposed bye-laws together with a notice specifying a date on or after which the draft will be taken into consideration and shall, before making the bye-laws, receive and consider any objection or suggestion with respect to the draft which may be made in writing by any person before the date so specified.

341. Rules and bye-laws to be printed and sold.-The rules and bye-laws for the time being in force shall be kept open for public inspection at the municipal office during office hours, and printed copies thereof shall be kept for sale at cost price or may be provided in electronic form on the web site, if any, of the Municipality.

CHAPTER XVII

Miscellaneous

342. Offences by companies.- (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation. – For the purpose of this section,-

- (a) "company" means a body corporate, and includes a firm or other association of individuals, and

- (b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

343. Power to remove difficulties.-If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as the occasion requires, but not later than two years from the date of commencement of this Act, by order, do anything, not inconsistent with the objects and purposes of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty.

344. Repeal and Savings.-(1) On and from the commencement of this Act, the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Act No. 38 of 1959) shall stand repealed.

(2) Without prejudice to the provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955),-

- (a) such repeal shall not affect the validity or invalidity of anything already done or suffered or any action already taken under the repealed enactment or the rules, regulations and bye-laws made thereunder; and
- (b) all Municipal Corporations, Councils, Boards or other municipal authorities established under the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Act No. 38 of 1959) shall, notwithstanding such repeal, be deemed to have been established under this Act and all Municipalities constituted, members nominated, appointed or elected, committees formed, limits defined, appointments, rules, orders and bye-laws made, notifications and

notices issued, taxes imposed, contracts entered into and suits and other proceedings instituted under the repealed enactment shall so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been respectively constituted, nominated, appointed or elected, formed, defined, made, issued, imposed, entered into and instituted under this Act.

THE FIRST SCHEDULE

[See clause (b) of section 108]

Notice is hereby given to the inhabitants of the Municipality of.....that the Municipality desires to impose the tax, toll or cess (as the case may be) defined in the rules appended.

Any inhabitant of the Municipality objecting to the proposed tax may within one month from the date of this notice, send his objections in writing to the Municipality.

THE SECOND SCHEDULE

[See section 117]

Form of notice of transfer to be given when the transfer has been effected by instrument

To,

The Chairperson/Chief Municipal Officer of the
.....Municipality

I, A. B., hereby give notice, as required by section 116 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009, of the following transfer of property: -

Date of notice	Date of Instrument	Name of vendor or assigner	Name of purchaser or assignee	Description of property				Dimensions of land	Boundaries	If instrument has been registered, the date of registration	Remarks
				Amount of consideration	Of what it consists	Situation	Number/ Name of property				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

THE THIRD SCHEDULE

[See section 117]

Form of notice of transfer to be given when the transfer has taken place otherwise than by instrument

To,

The Chairperson/Chief Municipal Officer of the
.....Municipality

I, A, B hereby give notice, as required by section 116 of the Rajasthan Municipalities Act, 2008, of the following transfer of property :-

Date of notice	In whose name the property is at present entered in the municipal registers	In whose name it is to be transferred	Description of property				Boundaries	Remarks
			Of what it consists	Situation	Number/ Name of property	Dimensions of land		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

THE FOURTH SCHEDULE

[See section 130]

Form of notice of demand

To,

A. B., residing at.....

Take notice that the Municipality of.....demand from
the sum of.....due from..... on account
 of.....(here describe the property or other subject in respect of
 which the tax is leviable) leviable under rule number.....for
 the period of.....commencing on the day of.....and
 ending on the day of..... and that if, within fifteen days from
 the service of this notice, the said sum is not paid into the
 Municipal Office at.....or sufficient cause for non-payment is
 not shown to the satisfaction of the Municipality, a warrant of
 attachment of property will be issued for the recovery of the same
 with costs.

Dated this.....day.....200...

Signed

By Order of the Municipality of.....

THE FIFTH SCHEDULE

[See sub-section (1) of section 131]

Form of Warrant

(Here insert the name of the officer charged with the execution of the warrant)

Whereas, A. B., of.....has not paid, and has not shown satisfactory cause for the non-payment of the sum of.....due for the tax..... mentioned in the margin for the period commencing on the day of.....and ending with the day of..... 200.. and leviable under rule number.....and whereas fifteen days have elapsed since the service on him of notice of demand for the same;

This is to command you to attach, subject to the provisions of sections 131, 132 and 133 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 the property of the said A.B., to the amount ofbeing the amount due from him, as follows: —

	Rs.	P.
On account of the said tax....
.....		
For service of notice.....	
.....		

and forthwith to certify to me together with the warrant all particulars of the property attached by you thereunder.

Dated this day of.....200...

Signed

Chief Municipal Officer

THE SIXTH SCHEDULE

[See sub-section (4) of section 133]

Form of Inventory and Notice

To,

A. B., residing at.....take notice that I have this day attached the property specified in the inventory beneath this for the value of.....due for..... the tax..... mentioned in the margin for the period commencing with the day of..... 200...and ending with the day of.....200... together with Rs..... due as for service of notice of demand and that unless within five days from the day of the date of this notice you pay into the municipal office at.....the said amount together with the costs of recovery, the said property will be sold.

Signature of officer executing the warrant

Dated thisday of.....200.....

Inventory

(Here state particulars of the property attached)

एस.एस. कोठारी,

Principal Secretary to the Government.



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 24, बुधवार, शाके 1932-सितम्बर 15, 2010
Bhadra 24, Wednesday, Saka 1932-September 15, 2010

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 2010

संख्या प. 2 (28) विधि/2/2010.—राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 19)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को प्राप्त हुई)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह राज-पत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 6 का संशोधन.—राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के विद्यमान उप-खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(ii) नगरपालिक प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले, नगर निगम के मामले में छह व्यक्ति, नगर परिषद् के मामले में पांच व्यक्ति और नगरपालिक बोर्ड के मामले

में चार व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये।”।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 48 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 48 की विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:—

“(1क) जहां नगरपालिका या इसकी समितियों में से किसी भी समिति का कोई भी संकल्प नगरपालिका के हितों के विरुद्ध हो या इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत हो तो वहां अध्यक्ष, ऐसे संकल्प पर अपनी राय अभिलिखित करेगा और उस मामले को राज्य सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा और ऐसे संकल्प पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और उस नगरपालिका के लिए आबद्धकर होगा।”।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 238 का संशोधन.—मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 238 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“238. वर्षा जल संग्रहण का उपबंध.—(1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 19) के प्रारंभ के पश्चात् नगरपालिक क्षेत्र में तीन सौ वर्ग मीटर से अधिक के भू-खण्ड पर संनिर्मित प्रत्येक भवन में, ऐसे प्रकार की और विशिष्टता वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र और भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए विहित की जाये, स्थापित करना और ऐसी प्रणाली को सदैव चालू हालत में रखना अनिवार्य होगा:

परन्तु यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसे क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली स्थापित करना उचित नहीं है तो वह, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र को इस धारा के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(2) नगरपालिका धारा 194 के अधीन कोई भी अनुज्ञा तब तक मंजूर नहीं करेगी जब तक कि अनुज्ञा चाहने वाला व्यक्ति उस धारा के अधीन अपेक्षित नक्शों में उप-धारा (1) के अधीन विहित किये गये प्रकार की और विशिष्टता वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली के लिए व्यवस्था नहीं करता और ऐसी प्रणाली स्थापित

करने का जिम्मा नहीं लेता और इसके लिए नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति नहीं देता।

(3) धारा 194 या इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भवन, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य है, का प्रत्येक स्वामी ऐसे भवन के पूर्ण होने के पश्चात्, विहित रीति से एक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और ऐसा कोई भी भवन तब तक अधिभोग में नहीं लिया जायेगा जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

(4) उप-धारा (3) के अधीन पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये कि उप-धारा (1) के अधीन विहित किये गये प्रकार की और विशिष्टता वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली उस भवन में स्थापित कर ली गयी है और वह चालू हालत में है।

(5) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी नगरपालिक क्षेत्र में भूमि का किया गया या जारी रखा गया कोई भी विकास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा।

(6) ऐसे भवन में, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य है, किसी भी लोक जल प्रदाय प्रणाली से कोई भी स्थायी जल-संबंध तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका स्वामी या अधिभोगी उप-धारा (3) के अधीन जारी किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे।

(7) कोई व्यक्ति जो इस धारा के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, और किसी भी अन्य कार्रवाई, जो इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'वर्षा जल संग्रहण प्रणाली' से, छत के ऊपर की संरचना और भूमिगत टंकी

को सम्मिलित करते हुए, या तो घरेलू उपयोग के लिए या भूमिगत जल का पुनर्भरण करने के प्रयोजन के लिए भूमि में अंतःस्रवण के लिए वर्षा जल एकत्र करने हेतु संनिर्मित या स्थापित कोई संरचना या साधित्र, या दोनों अभिप्रेत हैं।

5. धारा 238—क का अन्तःस्थापन.—मूल अधिनियम की यथापूर्वोक्त संशोधित धारा 238 के पश्चात्, और धारा 239 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

“238—क. पार्किंग स्थान का उपबंध.—(1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 19) के प्रारंभ के पश्चात् नगरपालिक क्षेत्र में संनिर्मित प्रत्येक भवन में ऐसा पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये:

परन्तु राज्य सरकार, भूमि के क्षेत्रफल और भवन की स्थिति और उपयोग को ध्यान में रखते हुए, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी भवन या भवनों के वर्ग को इस धारा के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) नगरपालिका, धारा 194 के अधीन कोई अनुज्ञा तब तक मंजूर नहीं करेगी जब तक कि अनुज्ञा चाहने वाला व्यक्ति, उस धारा के अधीन अपेक्षित नक्शों में उप-धारा (1) के अधीन यथाविहित पार्किंग स्थान के लिए व्यवस्था नहीं कर देता और ऐसा पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने का जिम्मा नहीं लेता और इसके लिए नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति नहीं देता।

(3) धारा 194 या इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भवन, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य है, का प्रत्येक स्वामी ऐसे भवन के पूर्ण होने के पश्चात्, विहित रीति से एक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और ऐसा कोई भी भवन तब तक अधिभोग में नहीं लिया जायेगा जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

(4) उप-धारा (3) के अधीन पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये

कि उप-धारा (1) के अधीन यथा विहित पार्किंग स्थान उस भवन में उपलब्ध करा दिया गया है।

(5) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में नगरपालिक क्षेत्र में भूमि का किया गया या जारी रखा गया कोई भी विकास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा।

(6) ऐसे भवन में, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन पार्किंग स्थान की व्यवस्था अनिवार्य है, किसी भी लोक जल प्रदाय प्रणाली से कोई भी स्थायी जल-संबंध तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका स्वामी या अधिभोगी उप-धारा (3) के अधीन जारी किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे।

(7) कोई व्यक्ति जो इस धारा के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, और किसी भी अन्य कार्रवाई जो इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।”।

कपिल भार्गव,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, September 15, 2010

No. F. 2 (28) Vidhi/2/2010.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Nagarpalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010 (2010 Ka Adhiniyam Sankhyank 19) :-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT)
ACT, 2010**

(Act No. 19 of 2010)

**[Received the assent of the Governor on the 13th day of
September, 2010]**

An

Act

to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 6 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(ii) six persons in case of Municipal Corporation, five persons in case of Municipal Council and four persons in case of Municipal Board, having special knowledge or experience in municipal administration,

to be nominated by the State Government by notification in the Official Gazette: ”.

3. Amendment of section 48, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-After the existing sub-section (1) of section 48 of the principal Act, the following new sub-section shall be added, namely:-

“(1A) Where any resolution of a Municipality or of any of its committees is against the interest of the Municipality or inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Chairperson shall record his opinion on such resolution and refer the matter to the State Government for its decision and the decision of the State Government on such resolution shall be final and binding on the Municipality.”.

4. Amendment of section 238, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 238 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“**238. Provision of rain water harvesting.**-(1) In every building constructed on a plot of land exceeding three hundred square metres in municipal area after the commencement of the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2010 (Act No. 19 of 2010), it shall be compulsory to install a rain water harvesting system of such type and specifications as may be prescribed by the State Government having regard to the area and use of the land and keep such system always in working condition:

Provided that if the State Government, having regard to the ground water level in a particular area, is of the opinion that installation of rain water harvesting system in such area is not appropriate, it may, by notification in the Official Gazette, exempt such area from the operation of the provisions of this section.

(2) The Municipality shall not grant any permission under section 194 unless the person seeking permission makes provision for rain water harvesting system of the type and specifications prescribed under sub-section (1) in the maps required under that section and undertakes to

install such system and furnishes security for the same to the satisfaction of the Municipality.

(3) Notwithstanding anything contained in section 194 or any other provision of this Act, every owner of the building, for which rain water harvesting system is compulsory under the provisions of this section, shall, after completion of such building, obtain a completion certificate in the prescribed manner and no such building shall be occupied unless and until such certificate has been obtained.

(4) The officer or authority authorized to issue completion certificate under sub-section (3) shall not issue such certificate unless he is satisfied that a rain water harvesting system of the type and specifications prescribed under sub-section (1) has been installed in the building and is operational.

(5) Any development of land in a municipal area made or continued in contravention of the provisions of this section shall be deemed to be an unauthorized development for the purposes of this Act.

(6) No permanent water connection from any public water supply system shall be permitted in a building, for which rain water harvesting system is compulsory under the provisions of this section, unless the owner or occupier thereof produces a completion certificate issued under sub-section (3).

(7) Any person who contravenes any provision of this section shall, on conviction and without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this Act or any other law for the time being in force, be punishable with imprisonment which may extend to seven days or with fine which shall not be less than rupees twenty five thousand but which may extend to rupees one lakh or with both.

Explanation.- For the purposes of this section, 'rain water harvesting system' means any structure or apparatus or both, including roof top structure and under ground tank,

constructed or installed to collect rain water either for domestic use or for percolation into earth for the purpose of recharging ground water.

5. Insertion of section 238-A.-After section 238, amended as aforesaid, and before section 239 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“238-A. Provision of parking space.- (1) In every building constructed in a municipal area after the commencement of the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2010 (Act No. 19 of 2010), it shall be compulsory to provide such parking space as may be prescribed by the State Government:

Provided that the State Government may, having regard to the area of land and situation and use of building, exempt, by notification in the Official Gazette, any building or class of buildings from the provisions of this section.

(2) The Municipality shall not grant any permission under section 194 unless the person seeking permission makes provision for parking space as prescribed under sub-section (1) in the maps required under that section and undertakes to provide such parking space and furnishes security for the same to the satisfaction of the Municipality.

(3) Notwithstanding anything contained in section 194 or any other provision of this Act, every owner of the building, for which provision of parking space is compulsory under the provisions of this section, shall, after completion of such building, obtain a completion certificate in the prescribed manner and no such building shall be occupied unless and until such certificate has been obtained.

(4) The officer or authority authorized to issue completion certificate under sub-section (3) shall not issue such certificate unless he is satisfied that parking space as prescribed under sub-section (1) has been provided in the building.

(5) Any development of land in a municipal area made or continued in contravention of the provisions of this section shall be deemed to be an unauthorized development for the purposes of this Act.

(6) No permanent water connection from any public water supply system shall be permitted in a building, for which provision of parking space is compulsory under the provisions of this section, unless the owner or occupier thereof produces a completion certificate issued under sub-section (3).

(7) Any person who contravenes any provision of this section shall, on conviction and without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this Act or any other law for the time being in force, be punishable with imprisonment which may extend to seven days or with fine which shall not be less than rupees twenty five thousand but which may extend to rupees one lakh or with both.”.

कपिल भार्गव,

Principal Secretary to the Government.



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज—पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

चैत्र 6, रविवार, शाके 1933—मार्च 27, 2011

Chaitra 6, Sunday, Saka 1933—March 27, 2011

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2011

संख्या प. 2 (17)/विधि/2/2011.—राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 2)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह 24 नवम्बर, 2010 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 37 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं.18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 37 की उप-धारा (1) में विद्यमान शब्द "प्रत्येक" के पश्चात् और

विद्यमान शब्द "सदस्य" के पूर्व अभिव्यक्ति "अध्यक्ष और" अन्तःस्थापित की जायेगी और विद्यमान अभिव्यक्ति "कलक्टर या इस प्रयोजन के लिए उसके नामनिर्देशिती" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य सरकार द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 53 का संशोधन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 53 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"53. अध्यक्ष का वापस बुलाया जाना और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव.-(1) किसी नगरपालिका के प्रत्येक अध्यक्ष का पद तत्काल रिक्त हुआ समझा जायेगा, यदि उसे, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाये, उस नगरपालिक क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक के बहुमत से गुप्त मतदान के माध्यम से वापस बुलाया जाता है:

परन्तु वापस बुलाये जाने की ऐसी कोई भी प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जायेगी जब तक कि प्रस्ताव पर, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के तीन चौथाई से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर न कर दिये जायें और संबंधित कलक्टर को प्रस्तुत न कर दिया जाये:

परन्तु यह और कि किसी अध्यक्ष के विरुद्ध -

- (i) अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण के दो वर्ष के भीतर-भीतर;
- (ii) किसी उप-चुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष की पदावधि की आधी कालावधि यदि समाप्त न हुई हो तो

ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा:

परन्तु यह भी कि अध्यक्ष को वापस बुलाये जाने के लिए प्रक्रिया उसकी संपूर्ण अवधि में एक बार आरंभ की जायेगी।

(2) कलक्टर, यथासंभव शीघ्रता के साथ किन्तु सात दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर अपना यह समाधान कर लेने और यह सत्यापन कर लेने के पश्चात् कि उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के तीन चौथाई सदस्यों ने वापस बुलाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये हैं, नगरपालिका की एक बैठक, जो चौदह दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर बुलाई जायेगी, के लिए एक तारीख नियत करेगा, जिसकी

अध्यक्षता कलक्टर द्वारा नामनिर्देशित अपर कलक्टर की पंक्ति से अनिम्न के किसी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(3) यदि उस बैठक में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला संकल्प नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से विहित रीति से पारित हो जाये और राज्य सरकार को संसूचित कर दिया जाये तो राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश करेगी।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग, उक्त निर्देश प्राप्त होने पर, वापस बुलाये जाने के प्रस्ताव पर मतदान के लिए, ऐसी रीति से व्यवस्था करेगा जो विहित की जाये।

(5) उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव, विहित रीति से किया और उस पर विचार किया जायेगा।

(6) उप-धारा (5) के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस, किसी उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर-भीतर नहीं दिया जायेगा।

(7) यदि उप-धारा (5) के अधीन प्रस्ताव नहीं लाया जाता है तो उसी उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने के लिए किसी पश्चातवर्ती प्रस्ताव का कोई भी नोटिस उस बैठक, जिसमें ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया गया था, की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति तक नहीं दिया जायेगा।"।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 73 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 73 की उप-धारा (1) में, विद्यमान परन्तुक के अन्त में आये हुए विद्यमान विराम चिह्न "।", के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह और कि जहां कोई नगरपालिका विहित समूह आवासन या नगरी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए किसी नगरपालिक भूमि को पट्टे पर देती है, विक्रय करती है, आबंटित करती है या अन्यथा अन्तरित करती है तो ऐसा पट्टा, विक्रय, आबंटन या अन्तरण इस शर्त के अधीन किया जायेगा कि ऐसी परियोजनाओं में भू-खण्डों या आवासन इकाइयों का कम से कम बीस प्रतिशत ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और

निम्न आय समूह को कीमतों की पारस्परिक सहायता देकर ऐसी रियायती दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जायें, आबंटित किये जायेंगे।”।

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 87 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “तथापि, अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करने के पूर्व, वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।” हटायी जायेगी।

6. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 88 का संशोधन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 88 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“88. नगरपालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी.-(1) नगरपालिका बजट प्राक्कलन पर विचार करेगी और प्रत्येक वर्ष फरवरी के पन्द्रहवें दिवस तक, ऐसे परिवर्तनों के साथ, जिन्हें वह आवश्यक समझे, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी और उसकी एक प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और यदि बजट प्राक्कलनों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय हो कि नगरपालिका के हित में बजट प्राक्कलनों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तो वह परिवर्तन करने के लिए नगरपालिका को निदेश दे सकेगी और ऐसे निदेश नगरपालिका पर बाध्यकारी होंगे।

(2) जहां कोई नगरपालिका उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार बजट प्राक्कलन पारित करने में विफल रहती है तो बजट प्राक्कलन तैयार करना और उस वर्ष की फरवरी के अट्ठाइसवें दिवस को या उसके पूर्व उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना मुख्य नगरपालिक अधिकारी के लिए आज्ञापक होगा। राज्य सरकार बजट प्राक्कलनों को उपान्तरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगी और उन्हें नगरपालिका द्वारा पारित किया हुआ समझा जायेगा।

(3) नगरपालिक निधियों में से किसी व्यय के संबंध में कोई कार्य-आदेश या मंजूरी, अनुमोदित बजट में समुचित उपबंध के बिना, ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार से विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, के सिवाय न तो अनुमोदित की जायेगी और न ही जारी की जायेगी। किसी भी उल्लंघन के मामले में अध्यक्ष, मुख्य नगरपालिक अधिकारी या ऐसे कार्य-आदेश या मंजूरी जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी ऐसे व्यय के लिए संयुक्ततः और पृथकतः उत्तरदायी होंगे और वह उनसे वसूलीय होगा।”।

7. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में नयी धारा 89-क का अंतःस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 89 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

“89-क. नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन.-

(1) प्रत्येक नगरपालिका, नगरपालिका के भीतर गन्दी बस्तियों के निवासियों सहित नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि के नाम से एक निधि का गठन करेगी, जिसे इस धारा में आगे “निधि” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) ऐसा प्रतिशत, जो किसी नगरपालिका के वार्षिक बजट अनुदानों के पच्चीस प्रतिशत से कम न हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये, नगरपालिका के भीतर गन्दी बस्तियों के निवासियों सहित नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए चिह्वित होगा और अनन्य रूप से उसी के लिए उपयोग में लिया जायेगा और ऐसी कोई रकम जो चालू वर्ष में अप्रयुक्त रह जाती है व्यपगत नहीं होगी और निधि में जमा की जायेगी और आगामी वर्ष में उस वर्ष के बजट अनुदानों के अतिरिक्त उपयोग में लिये जाने के लिए उपलब्ध होगी।

(3) निधि में निम्नलिखित नगरपालिक बजट संसाधनों में से आबंटन किया जायेगा, अर्थात्:-

- (क) नगरपालिका के स्वयं के राजस्व स्रोत, जैसे कि कर, फीस, उपयोक्ता प्रभार, किराया इत्यादि;
- (ख) समनुदेशित राजस्व;
- (ग) केन्द्रीय या राज्य वित्त आयोगों से आबंटन और अन्य अन्तर-सरकारी अन्तरण;
- (घ) गरीबों के लिए सेवाओं के लिए व्यष्टियों, संगठनों या अन्य दानदाताओं से नकद या वस्तुओं में अभिदाय या दान;
- (ङ) बाह्य रूप से सहायताप्राप्त परियोजनाओं से अनुदान;
- (च) नगरपालिक आस्तियों का विक्रय; और
- (छ) अन्य स्रोत जो नगरपालिका द्वारा अवधारित किये जायें।

(4) निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये पृथक् बैंक खाते में रखी जायेगी जिसे 'नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि' के नाम से जाना जायेगा।

(5) निधि-लेखों के प्रचालन के लिए राष्ट्रीय नगरपालिक लेखा निर्देशिका के अनुसार विस्तृत लेखा शीर्षों सहित लेखों की पृथक् प्राथमिक पुस्तकें संधारित की जायेंगी।

(6) नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निधियों के आबंटन और इसके उपयोग का ब्यौरा रखा जायेगा और पूर्व वर्ष के तत्संबंधी आकड़ों के साथ वार्षिक नगरपालिक बजट के साथ संलग्न किया जायेगा।

(7) इस धारा में यथा उपबन्धित के सिवाय, नगरपालिक निधि के प्रचालन और उसके लेखा और लेखापरीक्षा से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस धारा के अधीन गठित निधि पर लागू होंगे।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए -

- (i) नगरपालिका द्वारा प्राप्त ऐसा कोई भी अनुदान या अभिदाय, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, जो अनन्य रूप से गन्दी बस्तियों के क्षेत्रों के विकास के लिए है, उपर्युक्त चिह्नित निधियों का भाग नहीं होगा; और

(ii) 'आधारभूत सेवाओं' में जलप्रदाय, जल-निकास, मलवहन, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध, सड़कों को जोड़ना, मार्गों में प्रकाश, सावर्जनिक उद्यान और खेल के मैदान, सामुदायिक और जीविका केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा केन्द्र और निर्धनों के लिए सामर्थ्य के अनुरूप आवासन और नगरपालिका द्वारा यथा अवधारित अन्य सेवाओं पर प्रत्यक्षतः उपगत पूंजी और राजस्व खाते पर व्यय सम्मिलित होगा किन्तु इसमें ऐसे वेतन और मजदूरी, जो गरीबों के लिए आधारभूत सेवाएं देने के लिए प्रत्यक्षतः और विनिर्दिष्टतः उपगत न हुई हो, सहित स्थापन व्यय सम्मिलित नहीं होंगे।"।

8. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 102 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 102 की उप-धारा (1) में,-

- (क) खण्ड (क) में, विद्यमान शब्द "भवनों" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "पर कर" के पूर्व अभिव्यक्ति "चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाये," अंतःस्थापित की जायेगी; और
- (ख) खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "नगरपालिका के स्वामित्व वाली या उसकी निधियों से निर्मित" हटायी जायेगी।

9. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 103 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 103 की उप-धारा (1) के खण्ड (ix) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आधे प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दस प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 122 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 122 में,-

- (क) विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(ख) आवेदक ने उससे इस प्रकार दावाकृत रकम का पच्चीस प्रतिशत नगरपालिक कार्यालय में जमा न करा दिया हो”; और

(ख) विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा।

11. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 161 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 161 में, विद्यमान शब्द “नगरपालिका” के स्थान पर अभिव्यक्ति “राज्य सरकार” प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 282 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 282 की उप-धारा (1) में,-

(क) खण्ड (द) में, विद्यमान शब्द “या” हटाया जायेगा;

(ख) खण्ड (ध) में, विद्यमान विराम चिन्ह “,” के पश्चात् शब्द “या” जोड़ा जायेगा; और

(ग) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (न) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“(न) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित कोई भी अन्य क्रियाकलाप,”।

13. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 331 का संशोधन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 331 हटायी जायेगी।

14. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 01) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या किये गये समस्त आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

सत्य देव टाक,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 27, 2011

No. F. 2 (17) Vidhi/2/2011.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Nagarpalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (2011 Ka Adhiniyam Sankhyank 2) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES

(AMENDMENT) ACT, 2011

(Act No. 2 of 2011)

[Received the assent of the Governor on the 25th day of March, 2011]

An

Act

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 24th November, 2010.

2. Amendment of section 37, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-In sub-section (1) of section 37 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing word "Every" and before the existing word "member", the expression "Chairperson and" shall be inserted and for the existing expression "the Collector or

his nominee”, the expression “an officer authorised by the State Government by a general or special order” shall be substituted.

3. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 53 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“53. Recalling of Chairperson and motion of no confidence against Vice-Chairperson.- (1) Every Chairperson of a Municipality shall forthwith be deemed to have vacated his office if he is recalled through a secret ballot by a majority of more than half of the total number of voters of the Municipal area casting the vote in accordance with the procedure as may be prescribed:

Provided that no such process of recall shall be initiated unless a proposal is signed by not less than three-fourth of the total number of the elected Members and presented to the Collector concerned:

Provided further that no such motion shall lie against a Chairperson-

- (i) within two years of the assumption of office by the Chairperson;
- (ii) if half of the period of tenure of the Chairperson elected in a by-election has not expired:

Provided also that process for recall of the Chairperson shall be initiated once in his whole term.

(2) The Collector shall, after satisfying himself and verifying as expeditiously as possible but within a period of seven days that the three-fourth of the Members specified in sub-section (1) have signed the proposal of recall, fix a date for a meeting of the Municipality to be held within a period of fourteen days, which shall be presided over by an officer not below the rank of an Additional Collector nominated by him.

(3) If a resolution expressing no confidence in the Chairperson is passed in that meeting, in the prescribed manner, by a majority of three-fourth of the elected Members of the Municipality and communicated to the State Government, the State Government shall make a reference to the State Election Commission.

(4) On receipt of the said reference, the State Election Commission shall arrange for voting on the proposal of recall in such manner as may be prescribed.

(5) Motion expressing no confidence in the Vice-Chairperson shall be made and considered in the prescribed manner.

(6) No notice of motion under sub-section (5) shall be made within two years of the assumption of office by a Vice-Chairperson.

(7) If a motion under sub-section (5) is not carried, no notice of a subsequent motion expressing no confidence in the same Vice-Chairperson shall be made until after the expiration of two years from the date of the meeting in which the motion was considered.”.

4. Amendment of section 73, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (1) of section 73 of the principal Act, for the existing punctuation mark “.”, appearing at the end of the existing proviso, the punctuation mark “:” shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely:-

“Provided further that where a Municipality leases out, sells, allots or otherwise transfers any municipal land for carrying out prescribed group housing or township projects, such lease, sale, allotment or transfer shall be made subject to the condition that at least twenty per cent of plots or housing units in such projects shall be allotted to the persons belonging to such Economically Weaker Section and Low Income Group at such concessional rates

through cross subsidization of prices as may be notified by the State Government.”.

5. Amendment of section 87, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (1) of section 87 of the principal Act, the existing expression “However, before submission to the Municipality for approval, the financial estimates shall be approved by the Finance Committee.” shall be deleted.

6. Amendment of section 88, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 88 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“88. Sanction of budget estimate of Municipality.- (1)

The Municipality shall consider the budget estimate and shall, by the fifteenth day of February in each year, adopt the budget estimate for the ensuing year with such changes as it may consider necessary, and submit a copy of the same to the State Government through the Director of Local Bodies and if, after considering the budget estimates, the State Government is of the opinion that it is necessary in the interest of Municipality to make changes in budget estimates, it may direct the Municipality to carry out the changes and such directions shall be binding on the Municipality.

(2) Where a Municipality fails to pass the budget estimates according to the provisions of sub-section (1), it shall be mandatory for the Chief Municipal Officer to prepare the budget estimates and submit the same on or before twenty eighth day of February of that year to the State Government. The State Government shall approve the budget estimates with or without modifications and the same shall be deemed to have been passed by the Municipality.

(3) Any work order or sanction regarding any expenditure out of the Municipal Funds shall neither be approved nor be issued in the absence of proper provision in the approved budget, except in cases where a specific

approval has been obtained from the State Government. In case of any violation the Chairperson, the Chief Municipal Officer or any other officer authorised to issue such work order or sanction shall be jointly and severally responsible for such expenditure and the same shall be recoverable from them.”.

7. Insertion of section 89-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- After section 89 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“89-A. Constitution of Basic Services to the Urban Poor Fund.- (1) Every Municipality shall constitute a fund called the Basic Services to the Urban Poor Fund, hereinafter in this section referred as ‘the fund’, for the purpose of providing basic services to the urban poor including the inhabitants of slum areas within the Municipality.

(2) Such per cent, not being less than twenty five per cent, of yearly budget grants of a Municipality as may be prescribed by the State Government shall be earmarked and used exclusively for the purpose of providing basic services to the urban poor including the inhabitants of slum areas within the Municipality and any amount which remains unutilized in the current year shall not lapse and be credited to the fund and shall be available to be utilized in next year in addition to the budget grants of that year.

(3) The allocation to the fund shall be made from the following municipal budget resources, namely:-

- (a) Municipality’s own sources of revenue like taxes, fees, user charges, rent, etc.;
- (b) assigned revenues;
- (c) allocations from Central or State Finance Commissions and other inter-governmental transfers;

- (d) contributions, in cash or kind, or gifts from individuals, organizations or other donors for services to the poor;
- (e) grants from externally aided projects;
- (f) sale of municipal assets; and
- (g) other sources as determined by the Municipality.

(4) The fund shall be kept in a separate bank account opened with a nationalized bank to be called 'Basic Services to Urban Poor Fund' account.

(5) There shall be maintained separate primary books of accounts with detailed accounting heads in line with the National Municipal Accounting Manual for operation of the fund accounts.

(6) The allocation of the funds and its utilization for providing basic services to the urban poor shall be detailed and enclosed with the municipal annual budget alongwith corresponding figures of the previous year.

(7) Save as provided in this section, provisions of this Act relating to operation of Municipal Fund and accounts and audit thereof shall apply *mutatis mutandis* to the fund constituted under this section.

Explanation.- For the purpose of this section-

- (i) any grant or contribution by whatever name called, received by the Municipality which is exclusively for the development of slum areas shall not be a part of the above earmarked funds; and
- (ii) 'basic services' shall include expenditure on capital and revenue account directly incurred on water supply, drainage, sewerage, construction of community toilets, solid waste management, connecting roads, street lighting, public parks

and play grounds, community and livelihood centers, community health centers, pre-primary and primary education centers, affordable housing for poor and other services as determined by the Municipality but shall not include establishment expenses, including salary and wages, nor directly and specifically incurred for delivery of basic services to the poor.”.

8. Amendment of section 102, Rajasthan Act No. 18 of

2009.- In sub-section (1) of section 102 of the principal Act,-

- (a) in clause (a) after the existing word “buildings” and before the existing word “situated”, the expression “called by whatever name” shall be inserted; and
- (b) in clause (c), the existing expression “owned by, or built from the funds of, the Municipality” shall be deleted.

9. Amendment of section 103, Rajasthan Act No. 18 of

2009.- In clause (ix) of sub-section (1) of section 103 of the principal Act, for the existing expression “half per cent”, the expression “ten per cent ” shall be substituted.

10. Amendment of section 122, Rajasthan Act No. 18 of

2009.- In section 122 of the principal Act,-

- (a) for the existing clause (b), the following shall be substituted, namely:-

“(b) twenty five per cent of the amount so claimed from the applicant has been deposited by him in the municipal office.”; and
- (b) the existing proviso shall be deleted.

11. Amendment of section 161, Rajasthan Act No. 18 of

2009.- In section 161 of the principal Act, for the existing word “Municipality”, the expression “State Government” shall be substituted.

12. Amendment of section 282, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (1) of section 282 of the principal Act,-

- (a) in clause (r), the existing word “or” shall be deleted;
- (b) in clause (s), after the existing punctuation mark “,” the word “or” shall be added; and
- (c) after clause (s), so amended, the following new clause (t) shall be added, namely :-

“(t) any other activity prescribed by the State Government from time to time,”.


13. Amendment of section 331, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- The existing section 331 of the principal Act shall be deleted.

14. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Municipalities (Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 01 of 2010) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under the principal Act as amended by this Act.

सत्य देव टाक,

Principal Secretary to the Government.

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	भाद्र 31, गुरुवार, शाके 1933-सितम्बर 22, 2011 <i>Bhadra 31, Thursday, Saka 1933-September 22, 2011</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 22, 2011

संख्या प. 2(33) विधि/2/2011:-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 29)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह अधिनियम, धारा 3 से 10 के सिवाय, जो 31 मार्च, 2011 को और से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी, तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (xiii) के उप-खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति

"मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मुख्य कार्यपालक अधिकारी और आयुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 49 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (9) के खण्ड (vii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अध्यक्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "नगरपालिका" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 94 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 94 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य सरकार के अनुरोध पर," हटायी जायेगी।

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में नयी धारा 99-क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम में, विद्यमान धारा 99 के पश्चात् और विद्यमान धारा 100 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"99-क. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा.-

(1) नगरपालिकाओं के लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 56) के उपबंधों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किये जायेंगे।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को नगरपालिक लेखाओं की संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण भी न्यस्त करेगी।

(3) राज्य सरकार, उप-धारा (2) में यथानिर्दिष्ट तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ-साथ राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट को राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखवायेगी।" ।

6. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 182 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 182 की उप-धारा (3) के खण्ड (vii)

में, अंत में आये हुए विद्यमान विराम चिह्न ";" के स्थान पर अभिव्यक्ति "; या" प्रतिस्थापित की जायेगी और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"(viii) भूमि के किसी भी विद्यमान अनुज्ञेय उपयोग से ऐसे किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए, जो राज्य सरकार विहित करे:"।

7. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 194 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 194 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) में, अंत में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति," के स्थान पर अभिव्यक्ति "; या" प्रतिस्थापित की जायेगी और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"(ङ) किसी भूमि या भवन पर कोई टावर या इसी प्रकार की संरचना को निर्मित या पुनर्निर्मित करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति," ।

8. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 332 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 332 की उप-धारा (3) में,-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयुक्त, या, यथास्थिति, कार्यपालक अधिकारी" हटायी जायेगी; और
- (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "नगर निगम या नगर परिषद् या नगरपालिक बोर्ड के महापौर या सभापति या, यथास्थिति, अध्यक्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "नगरपालिका" प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 333 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 333 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मुख्य नगरपालिक अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश सं. 02) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या

किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP- II)
NOTIFICATION**

Jaipur, September 22, 2011

No. F.2(33) Vidhi/2/2011.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Nagarpalika (Dvitiya Sanshodhan) Adhinyam, 2011 (2011 Ka Adhinyam Sankhyank 29) :-

**(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (SECOND
AMENDMENT) ACT, 2011
(Act No.29 of 2011)**

[Received the assent of the Governor on the 21st day of September, 2011]

An

Act

Further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Second Amendment) Act, 2011.

(2) This Act shall come into force at once except sections 3 to 10 which shall be deemed to have come into force on and from 31st March, 2011.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-clause (a) of clause (xiii) of section 2 of the

Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 9 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, the existing expression “Chief Executive Officer-cum-Commissioner” shall be substituted by expression “Chief Executive Officer and Commissioner”.

3. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In clause (vii) of sub- section (9) of section 49 of the principal Act, for the existing expression “ the Chairperson”, the expression “ the Municipality” shall be substituted.

4. Amendment of section 94, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (2) of section 94 of the principal Act, the existing expression “, on the request of the State Government” shall be deleted.

5. Insertion of new section 99-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In the principal Act, after the existing section 99 and before the existing section 100, the following new section shall be inserted, namely:-

“99- A. Audit by Comptroller and Auditor General of India.- (1) The accounts of the Municipalities shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India in accordance with the provisions of the Comptroller and Auditor General’ s (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (Central Act No. 56 of 1971).

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government shall also entrust the Comptroller and Auditor General of India with the technical guidance and supervision over the audit of the municipal accounts.

(3) The State Government shall cause the audit report under the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954 (Act No. 28 of 1954) along with Annual Technical Inspection report of the Comptroller and Auditor General of India on the technical guidance and supervision as referred to in sub- section (2) to be laid before the State Legislature”.

6. Amendment of section 182, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In clause (vii) of sub- section (3) of section 182 of the principal Act, for the existing Punctuation mark “:”, appearing at

the end, the expression “; or” shall be substituted and thereafter the following new clause shall be added, namely:-

“(viii) from any existing permissible use of land to any other purposes, as the State Government may prescribe:”.

7. Amendment of section 194, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In clause (d) of sub- section (1) of section 194 of the principal Act, for the existing punctuation mark “;”, appearing at the end, the expression “; or” shall be substituted and thereafter the following new clause shall be added, namely:-

“(e) to erect or re-erect any tower or similar structure on a land or building.”.

8. Amendment of section 332, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub- section (3) of section 332 of the principal Act,-

- (i) the existing expression “, Commissioner or an Executive Officer, as the case may be,” shall be deleted; and
- (ii) for the existing expression “Mayor or President or Chairperson of the Municipal Corporation or Municipal Council or Municipal Board, as the case may be,” the expression “Municipality” shall be substituted.

9. Amendment of section 333, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub- section (2) of section 333 of the principal Act, for the existing expression “Chief Executive Officer”, the expression “Chief Municipal Officer” shall be Substituted.


10. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Municipalities (Amendment) Ordinance, 2011 (Ordinance No. 02 of 2011) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under the principal Act as amended by this Act.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE <i>Extraordinary</i>
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	वैशाख 12, बुधवार, शाके 1934—मई 2, 2012 <i>Vaisakha 12, Wednesday, Saka 1934—May 2, 2012</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 2, 2012

संख्या प. 2 (18) विधि/2/2012.—राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012

(2012 का अधिनियम संख्यांक 12)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को प्राप्त हुई)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अध्याय 2

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में संशोधन

2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 90-क का संशोधन.-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 90-क की विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"(6) जहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा किसी नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में चाही गयी हो, वहां अनुज्ञा केवल तब ही प्रदान की जायेगी जब वांछित गैर-कृषिक प्रयोजन उस क्षेत्र में लागू विधि के अनुसार अनुज्ञेय हो और उस क्षेत्र में प्रवृत्त मास्टर योजना या किसी अन्य विकास योजना या स्कीम, उसका जो कोई भी नाम हो, यदि कोई हो, के अनुरूप हो।

(7) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, जब किसी नगरीय क्षेत्र में स्थित किसी भूमि के संबंध में इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने वाला कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसे आदेश की तारीख को और से,-

- (क) ऐसी भूमि पर, उस व्यक्ति के, जिसे इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गयी है, अभिधृति अधिकार निर्वापित हो जायेंगे; और
- (ख) वह भूमि धारा 102-क के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखी गयी समझी जायेगी और स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि के अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों या उप-विधियों के अनुसार किसी भी अनुज्ञेय गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी को उप-धारा (4) के अधीन उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों के संदाय के अध्यधीन रहते हुए, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को, जिसको इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गयी है या

ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारियों, समनुदेशितियों या अन्तरितियों को आबंटन के लिए उपलब्ध होगी।

(8) इस अधिनियम और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि किसी नगरीय क्षेत्र में या किसी नगरीय क्षेत्र की नगरयोग्य सीमाओं या उपांत पट्टी में, कृषि प्रयोजनों के लिए कोई भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने 17 जून, 1999 के पूर्व ऐसी भूमि या उसके भाग का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया है या उपयोग किये जाने के लिए अनुज्ञात किया है या वह ऐसी भूमि या उसके भाग के तात्पर्यित गैर-कृषिक उपयोग के लिए विक्रय या विक्रय के करार के रूप में और/या मुख्तारनामा और/या वसीयत निष्पादित करके या किसी भी अन्य रीति से प्रतिफल के लिए कब्जे से अलग हो गया है, वहां उक्त भूमि या जोत या, यथास्थिति, उसके भाग में के ऐसे व्यक्ति के अधिकार और हित पर्यवसित किये जाने के दायी होंगे और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् और ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् ऐसी भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हित के पर्यवसान का आदेश देगा और तदुपरान्त उक्त भूमि समस्त भारग्रस्तताओं से मुक्त रूप में, राज्य सरकार में निहित हो जायेगी और धारा 102-क के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखी गयी समझी जायेगी और स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि के अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों या उप-विधियों के अनुसार, किसी अनुज्ञेय गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि या, यथास्थिति, उसके भाग पर कब्जा रखने वाले व्यक्तियों को किसी आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा किये गये आबंटन या दिये गये पट्टे के आधार पर या उनको, या तो उस व्यक्ति द्वारा, जिसके अधिकार और हित इस उप-धारा के अधीन पर्यवसित किये जाने के आदेश दिये जा चुके हों, या ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विक्रय या विक्रय के करार या मुख्तारनामे या वसीयत या भूमि के अंतरण के लिए तात्पर्यित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर, उप-धारा (4) के अधीन उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या

प्रीमियम या दोनों के स्थानीय प्राधिकारी को संदाय के अध्यक्षीन रहते हुए, आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी:

परन्तु -

- (i) इस उप-धारा की कोई भी बात देवता, देवस्थान विभाग, किसी लोक न्यास या किसी धार्मिक या पूत संस्था या वक्फ की किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगी।
- (ii) इस धारा के अधीन कोई भी कार्यवाहियां या आदेश ऐसी भूमियों के संबंध में आरम्भ नहीं की जायेंगी या नहीं किये जायेंगे जिनके लिए नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम सं.33), राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं.11) और राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की सम्पदाओं का अर्जन अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम सं.11) के उपबंधों के अधीन कार्यवाहियां लंबित हैं।

(9) इस धारा के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये कलक्टर की रैंक से अनिम्न पंक्ति के ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो यावत्साध्य, ऐसी अपील का, उसके प्रस्तुत किये जाने की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर निपटारा करेगा और यदि वह पूर्वोक्त कालावधि के भीतर-भीतर उस अपील का निपटारा करने में असमर्थ हो तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा। इस उप-धारा के अधीन पारित किया गया आदेश अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

- (क) "स्थानीय प्राधिकारी" से, किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में, उस क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए गठित या पदाभिहित या उसके कार्य के लिए न्यस्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है और इसमें राजस्थान नगर सुधार

अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) के अधीन गठित कोई नगर सुधार न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) के अधीन गठित जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) के अधीन गठित जोधपुर विकास प्राधिकरण या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) के अधीन गठित कोई नगरपालिका सम्मिलित है;

(ख) "नगरीय क्षेत्र" से, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) की धारा 2 के खण्ड (8) में यथा परिभाषित जयपुर क्षेत्र, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (8) में यथा परिभाषित जोधपुर क्षेत्र, या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 2 के खण्ड (xxxix) में यथा परिभाषित कोई नगरपालिक क्षेत्र या राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 3 के अधीन जारी किसी अधिसूचना में इस रूप में विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई स्थानीय प्राधिकारी गठित या पदाभिहित किया गया हो, के अन्तर्गत आने वाला कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ग) "नगरयोग्य सीमाओं" से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तैयार की गयी किसी शहर या नगर की मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना में उपदर्शित नगरीय सीमाएं और जहां कोई मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना नहीं है, वहां उस नगरपालिक क्षेत्र की बाहरी सीमाएं अभिप्रेत हैं;

(घ) "उपांत पट्टी" से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तैयार की गयी किसी शहर या नगर की मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना में उपदर्शित उपांत पट्टी और जहां कोई मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना नहीं है या जहां ऐसी योजना में उपांत पट्टी उपदर्शित नहीं की गयी है, वहां ऐसा क्षेत्र, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, अभिप्रेत है।"

3. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 90-ख का हटाया जाना.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 90-ख हटायी जायेगी।

अध्याय 3

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 में संशोधन

4. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 की धारा 54-ख का संशोधन.-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं.25) की धारा 54-ख की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क के अधीन प्राधिकरण के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी कोई भूमि, प्राधिकरण द्वारा, उस धारा में विनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या, यथास्थिति, व्यक्तियों को, उस धारा के अधीन विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, और उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों का प्राधिकरण को संदाय किये जाने पर आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी।"

अध्याय 4

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 में संशोधन

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 49 का संशोधन.- जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का

अधिनियम सं.2) की धारा 49 में विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क के अधीन प्राधिकरण के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी कोई भूमि, प्राधिकरण द्वारा, उस धारा में विनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या, यथास्थिति, व्यक्तियों को, उस धारा के अधीन विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, और उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों का प्राधिकरण को संदाय किये जाने पर आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी।"

अध्याय 5

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 में संशोधन

6. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 60 का संशोधन.-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 60 की विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क के अधीन न्यास के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी कोई भूमि, उक्त न्यास द्वारा, उस धारा में विनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या, यथास्थिति, व्यक्तियों को, उस धारा के अधीन विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, और उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों का न्यास को संदाय किये जाने पर आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी।"

अध्याय 6

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में संशोधन

7. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 71 का संशोधन.-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का

अधिनियम सं. 18), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 71 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क के अधीन नगरपालिका के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी कोई भूमि, उक्त नगरपालिका द्वारा उस धारा में विनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या, यथास्थिति, व्यक्तियों को, उस धारा में विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, और उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों का नगरपालिका को संदाय किये जाने पर आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी।"

8. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 337 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 337 की उप-धारा (2) का विद्यमान खण्ड (xviii) हटाया जायेगा।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, May 2, 2012

No. F. 2 (18) Vidhi/2/2012.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan

Vidhiyan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012 (2012 Ka Adhiniyam Sankhyank 12):-

(Authorized English Translation)

THE RAJASTHAN LAWS (AMENDMENT) ACT, 2012

(Act No. 12 of 2012)

(Received the assent of the Governor on the 30th day of April, 2012)

An

Act

further to amend the Rajasthan Land Revenue Act, 1956, the Jaipur Development Authority Act, 1982, the Jodhpur Development Authority Act, 2009, the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 and the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I

Preliminary

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Laws (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force at once.

CHAPTER-II

Amendments in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

2. Amendment of section 90-A, Rajasthan Act No. 15 of 1956.- After the existing sub-section (5) of section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following new sub-sections shall be added, namely:-

“(6) Where permission under this section is sought with respect to a land situated in an urban area, the permission shall be granted only if the desired non-agricultural purpose is permissible in accordance with the law applicable in that area and is in consonance with the

master plan or any other development plan or scheme, by whatever name called, in force, if any, in that area.

(7) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law for the time being in force, when an order granting permission under this section is passed with respect to a land situated in an urban area, on and from the date of such order,-

- (a) tenancy rights over such land of the person to whom permission under this section is granted shall stand extinguished; and
- (b) the land shall be deemed to have been placed at the disposal of the local authority under section 102-A and shall be available for allotment to the person to whom permission is granted under this section, or to the successors, assignees or transferees of such person, by the local authority for any permissible non-agricultural purposes in accordance with the rules, regulations or bye-laws made under the law applicable to the local authority, subject to the payment to the local authority of urban assessment or premium or both leviable and recoverable under sub-section (4).

(8) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act and the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955) where before 17th June, 1999 any person, holding any land for agricultural purposes in an urban area or within the urbanisable limits or peripheral belt of an urban area, has used or has allowed to be used such land or part thereof for non-agricultural purposes or, has parted with possession of such land or part thereof for consideration by way of sale or agreement to sell and/ or by executing power of attorney and/or Will or in any other

manner for purported non-agricultural use, the rights and interest of such person in the said land or holding or part thereof, as the case may be, shall be liable to be terminated and the officer authorized by the State Government in this behalf, shall, after affording an opportunity of being heard to such person and recording reasons in writing for doing so, order for termination of his rights and interest in such land and thereupon the land shall vest in the State Government free from all encumbrances and be deemed to have been placed at the disposal of the local authority under section 102-A and shall be available for allotment or regularization by the local authority for any permissible non-agricultural purposes in accordance with the rules, regulations or bye-laws made under the law applicable to the local authority to the persons having possession over such land or part thereof, as the case may be, on the basis of allotment made, or Patta given, by a Housing Co-operative Society or on the basis of any document of sale or agreement to sell or power of attorney or a Will or any other document purporting transfer of land to them either by the person whose rights and interests have been ordered to be terminated under this sub-section or by any other person claiming through such person, subject to the payment to the local authority of urban assessment or premium or both leviable and recoverable under sub-section (4):

Provided that-

- (i) nothing in this sub-section shall apply to any land belonging to deity, Devasthan Department, any public trust or any religious or charitable institution or a wakf;
- (ii) no proceedings or orders under this sub-section shall be initiated or made in respect of lands for which proceedings under the

provisions of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (Central Act No. 33 of 1976), the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Act No. 11 of 1973) and the Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Land Owners Estate Act, 1963 (Act No. 11 of 1964) are pending.

(9) Any person aggrieved by an order of an officer or authority made under this section may appeal within thirty days from the date of such order to such officer not below the rank of Collector as may be authorized by the State Government in this behalf, who shall, as far as practicable, disposed of such appeal within a period of sixty days from the date of its presentation and if he is unable to dispose of the appeal within the aforesaid period, he shall record reasons therefor. An order passed under this sub-section shall be final.

Explanation.- For the purposes of this section,-

(a) “local authority”, in relation to a local area, means an authority constituted or designated for, or entrusted with the function of, planned development of that area and includes an Urban Improvement Trust constituted under the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), the Jaipur Development Authority constituted under the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), the Jodhpur Development Authority constituted under the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009) or a Municipality constituted under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009);

- (b) “urban area” means an area falling within Jaipur region as defined in clause (8) of section 2 of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), Jodhpur region as defined in clause (8) of section 2 of the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009) or a municipal area as defined in clause (xxxix) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009) or an area specified as such in a notification issued under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959) or an area for which a local authority is constituted or designated under any law for the time being in force;
- (c) “urbanisable limits” means the urbanisable limits indicated in the master plan or master development plan of a city or town prepared under any law for the time being in force and where there is no master plan or master development plan, the outer limits of the municipal area;
- (d) “peripheral belt” means the peripheral belt indicated in the master plan or master development plan of a city or town prepared under any law for the time being in force and where there is no master plan or master development plan or where peripheral belt is not indicated in such plan, the area as may be notified by the State Government from time to time.”.

3. Deletion of section 90-B, Rajasthan Act No. 15 of 1956.- The existing section 90-B of the principal Act shall be deleted.

CHAPTER-III

Amendment in the Jaipur Development Authority Act, 1982

4. Amendment of section 54-B, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- For the existing sub-section (1) of section 54-B of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), the following shall be substituted, namely:-

“(1) Any land deemed to have been placed at the disposal of the Authority under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) shall be available for allotment or regularization by the Authority to the person or persons, as the case may be, specified in that section subject to the terms and conditions prescribed, and on payment to the Authority of the urban assessment or premium or both leviable and recoverable, under that section.”.

CHAPTER-IV

Amendment in the Jodhpur Development Authority Act, 2009

5. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 2 of 2009.- For the existing sub-section (1) of section 49 of the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009), the following shall be substituted, namely:-

“(1) Any land deemed to have been placed at the disposal of the Authority under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) shall be available for allotment or regularization by the Authority to the person or persons, as the case may be, specified in that section subject to the terms and conditions prescribed, and on payment to the Authority of the urban

assessment or premium or both leviable and recoverable, under that section.”.

CHAPTER-V

Amendment in the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959

6. Amendment of section 60, Rajasthan Act No. 35 of 1959.-For the existing sub-section (4) of section 60 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), the following shall be substituted, namely:-

“(4) Any land deemed to have been placed at the disposal of the Trust under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) shall be available for allotment or regularization by the Trust to the person or persons, as the case may be, specified in that section subject to the terms and conditions prescribed, and on payment to the Trust of the urban assessment or premium or both leviable and recoverable, under that section.”.

CHAPTER-VI

Amendments in the Rajasthan Municipalities Act, 2009

7. Amendment of section 71, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing sub-section (1) of section 71 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-


“(1) Any land deemed to have been placed at the disposal of the Municipality under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) shall be available for allotment or regularization by the Municipality to the person or persons, as the case may be, specified in that section subject to the terms and conditions prescribed, and on payment to the Municipality of the

urban assessment or premium or both leviable and recoverable, under that section.”.

8. Amendment of section 337, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- The existing clause (xviii) of sub-section (2) of section 337 of the principal Act shall be deleted.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	वैशाख 14, सोमवार, शाके 1937—मई 4, 2015 <i>Vaisakha 14, Monday, Saka 1937—May 4, 2015</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 4, 2015

संख्या प. 2 (32) विधि/2/2015:—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 13)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (xiii) के विद्यमान उप-खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) नगर निगम के मामले में आयुक्त;"।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 55 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 55 की उप-धारा (3) के विद्यमान खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii) एक या अधिक स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियां:

परन्तु प्रत्येक नगरपालिका, पचास वार्डों तक के लिए एक समिति, इक्यावन वार्डों से पचहत्तर वार्डों तक के लिए दो समितियां और पचहत्तर से अधिक वार्डों के लिए तीन समितियां गठित कर सकेगी;"।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18, में नयी धारा 69-क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 69 के पश्चात् और विद्यमान धारा 70 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"69-क. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पट्टा विलेख जारी करना.- (1) कोई व्यक्ति जो नगरपालिक क्षेत्र के भीतर, नगरपालिका द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है, वह, विहित रीति से, नगरपालिका से पट्टाधृत अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में नगरपालिका के पक्ष में अपने अधिकारों का, विहित रीति से, अभ्यर्पण कर सकेगा और नगरपालिका ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नगरपालिका द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार नगरपालिका में निहित हो जायेंगे और नगरपालिका, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फीस और प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, धारक को उक्त भूमि का पट्टा जारी कर सकेगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन जारी पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से

संलग्न थे और उप-धारा (1) के अधीन नगरपालिका द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।"।

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 332 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 332 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों तथा धारा 337 के अधीन बनाये गये नियमों या इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त करेगी-

- (i) प्रत्येक नगर निगम के लिए एक आयुक्त;
- (ii) प्रत्येक नगर निगम के लिए इतनी संख्या में अपर आयुक्त या उपायुक्त, जो अवधारित की जाये;
- (iii) प्रत्येक नगर परिषद् के लिए एक आयुक्त;
- (iv) प्रत्येक नगरपालिका बोर्ड के लिए एक कार्यपालक अधिकारी;
- (v) ऐसे प्रत्येक नगर निगम या नगर परिषद्, जो आयुक्त के अतिरिक्त, सचिव नियुक्त करने का संकल्प करे, के लिए एक सचिव; और
- (vi) किसी भी नाम और पदनाम से, कोई भी अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जो आवश्यक समझा जाये।"; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1क) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगर निगम के आयुक्त की ऐसी शक्तियों, कृत्यों या कर्तव्यों का प्रत्यायोजन, उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के अधीन नियुक्त किये गये किसी अपर आयुक्त या किसी उपायुक्त को कर सकेगी, जैसाकि वह ठीक समझे।"।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, May 4, 2015

No. F. 2 (32) Vidhi/2/2015.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the Following translation in the English language of the Rajasthan Nagarpalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 13):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT)
ACT, 2015**

(Act No. 13 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 22nd day of April, 2015]

An

Act

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing sub-clause (a) of clause (xiii) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(a) the Commissioner, in case of a Municipal Corporation; "

3. Amendment of section 55, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing clause (ii) of sub-section (3) of section 55 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(ii) one or more health and sanitation committees:

Provided that every Municipality may constitute one committee for wards upto fifty, two

committees for fifty one wards to seventy five wards and three committees for wards exceeding seventy five;"

4. Insertion of new section 69-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- After the existing section 69 and before the existing section 70 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"69-A. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of lease deed.- (1) Any person who holds non-agricultural land within the municipal area otherwise than under a lease or licence issued by the Municipality may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Municipality for the purpose of obtaining lease hold rights from the Municipality and the Municipality may accept such rights.

(2) On acceptance by Municipality of rights under sub-section (1), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Municipality and the Municipality shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue the holder lease of the said land.

(3) The lease issued under sub-section (2) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Municipality of the rights under sub-section (1) .".

5. Amendment of section 332, Act No.18 of 2009.- In section 332 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Subject to the forgoing provisions of this Chapter and the rules made under section 337 or any other provision of this Chapter, the State Government shall appoint-

- (i) one Commissioner for every Municipal Corporation;
- (ii) such number of Additional Commissioners or Deputy

- Commissioners for every Municipal Corporation as may be determined;
- (iii) one Commissioner for every Municipal Council;
 - (iv) an Executive Officer for every Municipal Board;
 - (v) a Secretary for every Municipal Corporation or Municipal Council which resolves to appoint a Secretary in addition to the Commissioner; and
 - (vi) any other administrative officer by any name and designation as deemed necessary.”; and
- (ii) after sub-section (1), so amended and before the existing sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

“(1A) The State Government may, by notification in the Official Gazette, delegate such of the powers, functions or duties of the Commissioner of the Municipal Corporation to an Additional Commissioner or a Deputy Commissioner appointed under clause (ii) of sub-section (1), as it may think fit.”.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 4, मंगलवार शाके 1942- मार्च 24, 2020
Chaitra 4, Tuesday, Saka 1942- March 24, 2020

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(गुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 13, 2020

संख्या प.2(3)विधि/2/2020.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 मार्च, 2020 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 7)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 मार्च, 2020 को प्राप्त हुई)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 23 का संशोधन.-** राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 23 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. **2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 28 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 28 में,-

(i) धारा 28 के विद्यमान उपबंधों को उप-धारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा (2) जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई उम्मीदवार जो स्वयं या अपने प्रस्तावक के माध्यम से निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से, अपने नामनिर्देशन पत्र में या अपने शपथ पत्र या किसी कथन या,

यथास्थिति, किसी घोषणा में, जिसे रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामनिर्देशन पत्र के साथ परिदत्त किया जाना अपेक्षित है,-

(i) मिथ्या सूचना देता है जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है; या

(ii) कोई सूचना छिपाता है,

तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।"

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 31 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 31 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"31. निर्वाचन याचिका.- (1) नगरपालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली कोई निर्वाचन याचिका, ऐसे निर्वाचन के किसी उम्मीदवार द्वारा या किसी निर्वाचक द्वारा, निर्वाचन की तारीख से एक मास के भीतर-भीतर, उस नगरपालिक क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश के समक्ष विहित रीति से प्रस्तुत की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, "निर्वाचक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस निर्वाचन, जिससे निर्वाचन याचिका संबंधित है, में मत देने का हकदार था, चाहे उसने ऐसे निर्वाचन में मतदान किया हो या नहीं।

(2) निर्वाचन याचिका निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर प्रस्तुत की जा सकेगी, अर्थात्:-

(क) कि निर्वाचित उम्मीदवार निर्वाचन की तारीख को इस अधिनियम के अधीन स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित नहीं था, या निरर्हित था, या

(ख) कि निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा या निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारा 29 में विनिर्दिष्ट कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है, या

(ग) कि कोई नामांकन अनुचित रूप से खारिज कर दिया गया है, या

(घ) कि उस निर्वाचन का परिणाम, जहां तक उसका संबंध निर्वाचित उम्मीदवार से है, निम्नलिखित द्वारा तात्त्विक रूप से प्रभावित किया गया है-

(i) किसी नामांकन की अनुचित स्वीकृति द्वारा, या

(ii) निर्वाचित उम्मीदवार के हित में, उस उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा कारित किये गये किसी भ्रष्ट आचरण द्वारा, या

(iii) किसी मत को अनुचित रूप से ग्रहण, नामंजूर या खारिज करके या ऐसे किसी मत को, जो शून्य है, ग्रहण करके, या

(iv) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या किये गये आदेशों के उपबंधों के किसी अननुपालन द्वारा, या

(ङ) कि वस्तुतः याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार ने विधिमान्य मतों का बहुमत प्राप्त किया था, या

(च) कि यदि निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण से मत अभिप्राप्त नहीं किये जाते तो याचिकाकर्ता या कोई अन्य उम्मीदवार विधिमान्य मतों का बहुमत अभिप्राप्त करता।

(3) निर्वाचन याचिका की सुनवाई में, जिला न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जायें।"

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 159 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 159 की विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(4) मास्टर विकास योजना, उन विभिन्न जोनों को भी परिभाषित कर सकेगी जिनमें एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका, विकास के प्रयोजनों के लिए विभाजित की जाये और ऐसी रीति उपदर्शित कर सकेगी जिसमें विकासात्मक कार्य किये जाने हैं, और ऐसी रीति उपदर्शित कर सकेगी जिसमें प्रत्येक जोन में भूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है (चाहे उसमें विकासात्मक कार्य करते हुए या अन्यथा), और ऐसे प्रक्रम, जिनमें ऐसा कोई विकासात्मक कार्य किया जायेगा और ढांचे के आधारभूत प्रतिमान के रूप में कार्य करेंगे जिनमें विभिन्न जोनों के लिए जोन विकास योजनाएं तैयार की जा सकेंगी:

परन्तु नगरपालिका, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी जोन के क्षेत्र को परिवर्तित कर सकेगी:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार स्व-प्रेरणा से या एक लाख से कम जनसंख्या वाली नगरपालिका के प्रस्ताव पर ऐसी नगरपालिका के लिए जोन विकास योजना और सेक्टर योजना तैयार करने का विनिश्चय कर सकेगी।"

6. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में धारा 194-क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 194 के पश्चात् और विद्यमान धारा 195 से पूर्व, एक नयी धारा 194-क अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"194-क. कतिपय क्षेत्रों में अनुज्ञा के बिना भवन संनिर्माण प्रतिषिद्ध करने की राज्य सरकार की शक्ति.- (1) इस अधिनियम की धारा 194 या किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, लोक हित में, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दी गयी अनुज्ञा के सिवाय, किसी नगरपालिका में किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर-भीतर किसी भवन का संनिर्माण प्रतिषिद्ध कर सकेगा:

परन्तु ऐसी भूमि के मामले में, जो राज्य सरकार या नगरपालिका द्वारा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भवन स्थल के रूप में पृथक् से रखी गयी है, ऐसी अनुज्ञा नामंजूर नहीं की जायेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी अनुज्ञा की मंजूरी, ऐसी शर्तों के अध्याधीन होगी जैसीकि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में नियत की जाये या साधारणतया विहित की जाये।

(3) जो कोई भी उप-धारा (1) के उपबंधों या उप-धारा (2) के अधीन अधिरोपित शर्तों के प्रतिकूल किसी भवन का परिनिर्माण करता है, वह सक्षम न्यायालय द्वारा, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(4) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, उप-धारा (1) के उपबंधों या उप-धारा (2) के अधीन अधिरोपित शर्तों के प्रतिकूल परिनिर्मित किसी भवन को तोड़ सकेगा।"।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 13, 2020

No. F. 2(3)Vidhi/2/2020.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Nagarpalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (2020 Ka Adhiniyam Sankhyank 7):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2020

(Act No. 7 of 2020)

(Received the assent of the Governor on the 11th day of March, 2020)

An

Act

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 23, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (2) of section 23 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, for the existing expression "two thousand rupees", the expression "five thousand rupees" shall be substituted.

3. Amendment of section 28, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-In section 28 of the principal Act,-

- (i) the existing provisions of section 28 shall be renumbered as sub-section (1); and
- (ii) after sub-section (1) so renumbered, the following sub-section (2) shall be added, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force a candidate who himself or through his proposer, with intent to be elected in an election,-

(i) gives false information which he knows or has reason to believe to be false; or

(ii) conceals any information,

in his nomination paper or in his affidavit or a statement or a declaration which is required to be delivered along with nomination paper before the Returning Officer, as the case may be, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both."

4. Amendment of section 31, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 31 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"31. Election Petition.- (1) An election petition calling in question an election of any person as member of a Municipality may be presented by any candidate at such election or any elector within one month from the date of election in the prescribed manner to the District Judge having jurisdiction over the municipal area.

Explanation.- For the purpose of this section, "elector" means a person who was entitled to vote at the election to which election petition relates, whether he has voted at such election or not.

(2) The election petition may be presented on one or more of the following grounds, namely:-

- (a) that on the date of election a returned candidate was not qualified, or was disqualified, to be chosen to fill the seat under this Act, or
- (b) that any corrupt practice specified in section 29 has been committed by a returned candidate or his election agent or by any other person, with the consent of a returned candidate or his election agent, or
- (c) that any nomination has been improperly rejected, or
- (d) that the result of the election, in so far as it concerns a returned candidate has been materially affected-

(i) by the improper acceptance of any nomination, or

(ii) by any corrupt practice committed in the interest of the returned candidate by a person other than that candidate or his election agent or a person acting with the consent of such candidate or election agent, or

(iii) by the improper reception, refusal or rejection of any vote or the reception of any vote which is void, or

(iv) by any non-compliance with the provisions of this Act or of any rules or orders made thereunder, or

- (e) that in fact the petitioner or some other candidate received a majority of the valid votes, or
- (f) that, but for the votes obtained by the returned candidate by corrupt practices, the petitioner or some other candidate would have obtained a majority of the valid votes.

(3) In hearing the election petition, the District Judge shall follow such procedure and exercise such powers as may be prescribed."

5. Amendment of section 159, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing sub-section (4) of section 159 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(4) The Master Development Plan may also define the various zones, into which the Municipality having the population of more than one lac may be divided for the purposes of development and indicate the manner in which developmental works are to be carried out, and indicate the manner in which the land in each zone is proposed to be used (whether by the carrying out therein developmental works or otherwise), and the stages by which any such developmental works shall be carried out and shall serve as a basic pattern of frame-work within which the Zonal Development Plans of the various zones may be prepared:

Provided that the Municipality may, if it considers necessary in the public interest, alter the area of any zone:

Provided further that the State Government may *suo-moto* or on the proposal of the Municipality having population of less than one lac, take a decision to prepare the Zonal Development Plan and Sector Plan for such Municipality."

6. Insertion of section 194-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- After the existing section 194 and before the existing section 195 of the principal Act, a new section 194-A shall be inserted, namely:-

"194-A. Power of the State Government to prohibit the construction of building in certain areas without permission.- (1) Notwithstanding anything contained in section 194 or any other provisions of this Act, the State Government or any authority authorised by the State Government may, in public interest, by notification published in the Official Gazette, prohibit the construction of any building within a specified area in a Municipality except with the permission granted by the State Government in this behalf:

Provided that such permission shall not be refused in the case of land which has been set apart as a building site by the State Government or Municipality prior to the publication of such notification.

(2) The grant of any permission under sub-section (1) shall be subject to such conditions as may be fixed by the State Government in each case or prescribed generally.

(3) Whoever erects any building contrary to the provisions of sub-section (1) or the conditions imposed under sub-section (2) shall, on conviction, by a competent court, be punished with fine which may extend to twenty thousand rupees.

(4) The State Government or any authority authorised by the State Government may demolish any building erected contrary to the provisions of sub-section (1) or the conditions imposed under sub-section (2).".

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 18, गुरुवार, शाके 1943-अप्रैल 8, 2021
Chaitra 18, Thursday, Saka 1943- April 8, 2021

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 8, 2021

संख्या प.2(3)विधि/2/2021.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 अप्रैल, 2021 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 4)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 अप्रैल, 2021 को प्राप्त हुई)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में,-

(i) विद्यमान उप-खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii) नगरपालिक प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले, नगरपालिक बोर्ड के मामले में छह व्यक्ति, नगर परिषद् के मामले में आठ व्यक्ति और नगर निगम के मामले में बारह व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये:"

(ii) परन्तुक के विद्यमान उप-खण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(iv) खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) के अधीन नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद् और नगर निगम प्रत्येक में नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में एक दिव्यांग व्यक्ति सम्मिलित होगा;"।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 24 के विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.- खण्ड (xvii) के प्रयोजन के लिए,-

- (I) किसी एकल प्रसव से जन्मी हुई सन्तानों की किसी भी संख्या को एक ही माना जायेगा और दत्तक में दी गयी किसी संतान को संतानों की संख्या की गणना करते समय अपवर्जित नहीं किया जायेगा; और
- (II) संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से जन्मी हो और दिव्यांगता से ग्रस्त हो और इस प्रयोजन के लिए, शब्द "दिव्यांगता" में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की दिव्यांगता सम्मिलित होगी।"

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, April 8, 2021

No. F. 2(3)Vidhi/2/2021.- In pursuance of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Nagarpalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (2021 Ka Adhiniyam Sankhyank 4):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2021

(Act No. 4 of 2021)

(Received the assent of the Governor on the 6th day of April, 2021)

An

Act

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In clause (a) of sub-section (1) of section 6 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing sub-clause (ii), the following shall be substituted, namely:-

“(ii) six persons in case of Municipal Board, eight persons in case of Municipal Council and twelve persons in case of Municipal Corporation, having special knowledge or experience in municipal administration, to be nominated by the State Government by notification in the Official Gazette.”;

(ii) after the existing sub-clause (iii) of the proviso, the following new sub-clause shall be added, namely:-

“(iv) the number of persons to be nominated each in Municipal Board, Municipal Council and Municipal Corporation under sub-clause (ii) of clause (a) shall include one person with disability;”.

3. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing Explanation to section 24 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“**Explanation.-** For the purpose of clause (xvii),-

- (I) any number of children born out of a single delivery shall be deemed to be one entity and any child given in adoption shall not be excluded while computing the number of children; and
- (II) while counting the total number of children a child born from earlier delivery and having disability shall not be counted and the word “disability” for this purpose, shall include any type of disabilities specified in or under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016).”.

विनोद कुमार भारवानी,

Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 16, बुधवार, शाके 1944-अप्रैल 6, 2022
Chaitra 16, Wednesday, Saka 1944- April 6, 2022

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 6, 2022

संख्या प.2(8)विधि/2/2022.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अप्रैल, 2022 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 10)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अप्रैल, 2022 को प्राप्त हुई)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता

है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में नयी धारा 331 का अंतःस्थापन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की विद्यमान धारा 330 के पश्चात् और विद्यमान धारा 332 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"331. आयोग से परामर्श.- (1) धारा 332 और धारा 333 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग से, जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है, संविधान के अधीन उसके अपने कृत्यों के अतिरिक्त-

(क) सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों से संबंधित सभी मामलों पर, और

(ख) सेवा के सदस्यों को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनिक मामलों पर,

परामर्श किया जायेगा।

(2) आयोग का उप-धारा (1) के अधीन उसे निर्दिष्ट किसी भी मामले पर सलाह देने का कर्तव्य होगा।

(3) आयोग का यह भी कर्तव्य होगा कि वह सेवा में या किसी श्रेणी या उसके प्रवर्ग में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं, यदि आवश्यक हों, संचालित कराये।

(4) आयोग, संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) के अधीन प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस धारा के अधीन सेवा के संबंध में आयोग द्वारा किये गये कार्य के बारे में एक रिपोर्ट सम्मिलित और समाविष्ट करेगा तथा ऐसी रिपोर्ट पर उक्त अनुच्छेद के उक्त खण्ड में यथा उपबंधित कार्यवाही की जायेगी।

(5) उप-धारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार सेवा में के अत्यावश्यक आधार पर भरे जाने के लिए अपेक्षित पदों के लिए परीक्षाएं संचालित कराने हेतु किसी अन्य प्राधिकारी या एजेंसी की सेवाएं ले सकेगी।

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन के लिए, शब्द "सेवा" से धारा 332 और धारा 333 में यथा विनिर्दिष्ट सेवाएं अभिप्रेत हैं।।

प्रवीर भटनागर,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 6, 2022

No. F. 2(8)Vidhi/2/2022.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Nagarpalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022 (2022 Ka Adhiniyam Sankhyank 10):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2022

(Act No. 10 of 2022)

(Received the assent of the Governor on the 5th day of April, 2022)

An

Act

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of new section 331, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- After the existing section 330 and before the existing section 332 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), the following new section shall be inserted, namely:-

“331. Consultation with Commission.- (1) As respects the services specified in section 332 and section 333, the State Public Service Commission, hereinafter referred to as the Commission, shall in addition to its functions under the Constitution, be consulted-

(a) on all matters relating to appointments to the Service by direct recruitment,
and

(b) on all disciplinary matters affecting the members of the Service.

(2) It shall be the duty of the Commission to advise on any matter referred to it under sub-section (1).

(3) It shall also be the duty of the Commission to conduct examinations, if necessary, for appointments to the Service or to any grade or category thereof.

(4) The Commission shall include and embody, in its report presented under clause (2) of Article 323 of the Constitution, a report as to the work done by the Commission in relation to Service under this section and such report shall be dealt with as provided in the said clause of the said Article.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), the State Government may engage other authority or agency to conduct examinations for the posts in the Service required to be filled on urgent basis.

Explanation: For the purpose of this section, the word "Service" means services as specified in section 332 and section 333."

प्रवीर भटनागर,

Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।